मंगलवार, 17 दिसंबर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1996/26 अग्रहायण, 1918(शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
24	4	* 663	* 363
314	20	14 नवम्बर	14 नवम्बर, 1996
326	15	(क)	(क) से (ग)
328	नीचे से 5	(क)	(क) से (घ)
332	नीचे से 7	एल.टी. 1084/96	एल.टी. 1083/96

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 19, मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1996/26 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	361, 362 और 365	1 23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	363, 364 और 366 से 380	24 99
अतारांकित प्रश्न संख्या	3518 से 3747	100 330
सभा पटल पर रखे गए पत्र		330 339
राज्य सभा से संदेश		339 340
कंपनी (संशोधन) विधेयक—**सभा पटल पर रखा गया**		
राज्य सभा द्वारा यथापारित		340
प्राक्कलन समिति		
पहला और दूसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		340
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		341
रेल अभिसमय समिति		
पहला प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		341
कृषि संबंधी स्थायी समिति		
सातवां प्रतिवेदन—**प्रस्तुत**		341
कार्यमंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत		342 346
नियम 377 के अधीन मामले		377 381
(एक)	प्रथम श्रेणी प्रबंधन परीक्षा में स्नातक इंजीनियर (खनन) को रियायत दिये जाने संबंधी अंतर-मंत्रालयीय समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय	377
(दो)	गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेस को मथुरा से पुनः चलाये जाने की आवश्यकता चौधरी तेजवीर सिंह	377 378
(तीन)	कालीकट और मंगेश्वरम के बीच उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	378
(चार)	सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी में और अधिक रेल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता प्रो. जितेन्द्र नाथ दास	378 379

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) बरेली, उत्तर प्रदेश, में इफ्को द्वारा जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता कुंवर सर्वराज सिंह	379
(छह) आंध्र प्रदेश में नागरकुरनूल में वर्तमान कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता डा. एम. जगन्नाथ	380
(सात) पश्चिमी घाट क्षेत्र, जिसे खनिजों की खोज के लिए पट्टे पर दिया जाना प्रस्तावित है, के संरक्षण की आवश्यकता श्री एस. बंगरप्पा	380—381
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक—पारित	381—400
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री एस.आर. बोम्मई	381—389
खंड 2 से 43 और 1	390—400
पारित करने का प्रस्ताव	400
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1996-97	401—412, 492—517
कर्नल राव राम सिंह	403—411
श्री के.पी. सिंह देव	492—501
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	501—503
श्री रमेन्द्र कुमार	503—505
श्री चमन लाल गुप्त	505—508
श्री गुलाम रसूल कार	508—510
श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा"	510—513
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	513
श्री पी. चिदम्बरम	514—517
नियम 193 के अधीन चर्चा	
भारत की विदेश नीति	412—490
श्री सुरेश प्रभु	412—415
श्री चित्त बसु	415—419
श्री विजय हाण्डिक	419—422
श्री ई. अहमद	426—429
लेफ्टिनेन्ट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	429—435
श्री शिवराज वी. पाटिल	435—439
श्री जार्ज फर्नान्डीज	439—446
श्री पी. नारायणन	446—449
श्री वी.वी. राघवन	449—452

विषय	कालम
श्री जी.जी. स्वैल	453—455
श्री रूप चन्द पाल	455—458
श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम	458—462
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	462—465
श्री गुलाम रसूल कार	465—470
श्री हन्नान मोल्लाह	470—471
डा. देवी प्रसाद पाल	471—475
श्री रामबहादुर सिंह	475—477
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	477—490
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1996—**पारित**	517—520
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	518
खंड 2, 3 और 1	519—520
पारित करने का प्रस्ताव	520

लोक सभा

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1996/26, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

चीनी मिलों का कार्यकरण

+

*361. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पिराई मौसम के दौरान राज्यवार कितनी चीनी मिलों ने चीनी का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) इस समय कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं और उन्हें पुनः चालू करने के लिए उठाये गये राज्यवार सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पिराई मौसम के लिये चीनी उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) 10.12.1996 तक, उपलब्ध सूचना के अनुसार 1996-97 मौसम के लिए पेराई कार्य आरम्भ करने वाली चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला अनुबन्ध-I संलग्न है।

(ख) 1995-96 (अक्तूबर, 1995 से सितम्बर, 1996) के दौरान बन्द रहने वाली चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला अनुबंध-II संलग्न है। जहां तक पुनः आरम्भ करने के उपाय का संबंध है, चीनी मिलों को स्वयं ही पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

(ग) चीनी उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, मौसम के आरम्भ में 1.10.1996 तक, पूर्वाविशिष्ट स्टाक तथा चालू मौसम के दौरान सम्भावित उत्पादन के साथ चीनी वर्ष 1996-97 के दौरान घरेलू खपत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्धता होगी।

अनुबन्ध-I

10.12.1996 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार मौसम 1996-97 के लिए पेराई कार्य आरम्भ करने वाली चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य	कार्यरत फैक्ट्रियों की संख्या
1.	पंजाब	13
2.	हरियाणा	11*
3.	राजस्थान	-
4.	उत्तर प्रदेश	106*
5.	मध्य प्रदेश	4
6.	गुजरात	16
7.	महाराष्ट्र	97*
8.	बिहार	9*
9.	असम	-
10.	उड़ीसा	3
11.	पश्चिम बंगाल	1
12.	नागालैंड	-
13.	आंध्र प्रदेश	13
14.	कर्नाटक	24
15.	तमिलनाडु	9
16.	पांडिचेरी	1
17.	केरल	1
18.	गोवा	1
	समस्त भारत	309

* राज्य सरकारों के पत्र/दूरभाष पर एकत्र की गई सूचना के आधार पर

अनुबन्ध-II

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1995-96 (अक्तूबर, 95 से सितम्बर, 96 तक) के दौरान बन्द चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1	2	3
1.	पंजाब	1
2.	हरियाणा	-

1	2	3
3.	राजस्थान	–
4.	उत्तर प्रदेश	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	गुजरात	3
7.	महाराष्ट्र	4
8.	बिहार	11
9.	असम	1
10.	उड़ीसा	1
11.	पश्चिम बंगाल	–
12.	नागालैंड	–
13.	आंध्र प्रदेश	6
14.	कर्नाटक	2
15.	तमिलनाडु	1
16.	पांडिचेरी	–
17.	केरल	2
18.	गोवा	–
	समस्त भारत	35

श्री शिवराज सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न काफी व्यापक है लेकिन मंत्री जी ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया है। मैंने पूछा तथा कि चीनी उत्पादन का सरकार का लक्ष्य क्या है? मंत्री जी ने कहा है कि कोई लक्ष्य नहीं है। यह लक्ष्य क्यों नहीं है? दूसरे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इस समय देश में 35 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं और 300 कार्यरत मिलें पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। चीनी को स्वयं ही पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण की योजना तैयार करनी पड़ती है। चीनी मिलों का सम्बन्ध केवल चीनी उद्योग से नहीं है। अगर चीनी मिलें बंद पड़ी रहती हैं, वे पूरी क्षमता से काम नहीं करती तो किसान का गन्ना बिकता नहीं है। फलस्वरूप किसानों को खेतों में खड़े गन्ने को जलाना पड़ता है। इससे किसानों का गन्ना ही नहीं जलता बल्कि उनका भविष्य भी जलता है। लाखों किसानों ने पिछले साल खेतों में खड़े अपने गन्ने को जला दिया और जिन किसानों ने अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचा, उनको भी गन्ने के मूल्य नहीं मिले। आज भी चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। इस कारण किसान गन्ने का उत्पादन कर हतोत्साहित हो रहे हैं। अगर गन्ने का उत्पादन कम होगा तो चीनी का उत्पादन कम होगा। चीनी का उत्पादन कम होगा तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उपभोक्ता भी परेशानी में पड़ेगा और सरकार को आयात करना पड़ेगा जिससे विदेशी धन विदेश जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई सुनिश्चित नीति है जिससे बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया जा सके, नई चीनी मिलें खुल सकें, चीनी मिलों की क्षमता बढ़े, किसानों का गन्ना बिके, उन्हें खड़े खेतों में जलाना न पड़े और समय पर पेमेंट हो जाए। क्या सरकार ने इसके लिए कोई सुनिश्चित नीति बनायी है? अगर बनायी है तो वह इसका ब्यौरा दें। अगर अभी नहीं बनायी है तो क्यों नहीं बनायी?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ठीक से जवाब समझ नहीं पाए। मैंने उनके प्रश्न का स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। इस वक्त 16 दिसम्बर तक मतल कल तक पूरे देश में 321 चीनी मिलें खुल चुकी हैं। पिछले साल इसी समय 323 चीनी मिलें खुली थीं। उस अनुपात में वह अब तक खुल चुकी हैं। कुछ चीनी मिलें डीफेक्ट हैं। मशीनरी ठीक न होने की वजह से और पेराई पिछली बार लेट सीजन तक चलने के कारण, लेबर प्राबलम चलने के कारण तथा मैनेजमैंट प्राबलम के चलने के कारण 35 चीनी मिलें डीफंक्ट हैं। चीनी मिलें खोलने के लिए सरकार अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही है। मैंने इस सम्बन्ध में सभी चीफ सैक्रेटरीज को 26 नवम्बर को पत्र लिखा। मैंने इससे पहले भी उनको पत्र लिखा था। अनुमान है कि एक सप्ताह के भीतर बची हुई चीनी मिलें खुल जायेंगी। बहुत कम चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। माननीय सदस्य ने लक्ष्य के विषय में कहा...**(व्यवधान)** आप पहले जवाब सुन लीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : आप पहले क्वश्चन का 'ए' भाग गौर से सुन लीजिए...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उन्होंने चीनी मिलें पेराई सीजन में खोलने का सवाल पूछा है कि कितनी चीनी मिलें...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : इसमें लिखा है....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनको पहले रिप्लाई पूरा करने दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। उनका एक सवाल है कि चीनी मिलें...**(व्यवधान)**

श्री मधुकर सरपोतदार : यहां जो जवाब लिखा है, उसमें फक है। आप पहले सवाल सुनिए...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

"1996-97 मौसम के लिए पेराई कार्य आरंभ करने वाली चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण।" ऐसा सवाल है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : नहीं, आप पहले सुनिये। 1995-96 में जो पेराई मौसम अभी है, उसमें कितनी चीनी मिलें चालू हैं, यह सवाल है। उन्होंने यह सवाल पूछा कि लक्ष्य क्या है? इसके विषय में..

श्री मधुकर सरपोतदार : लक्ष्य तो बाद में है।

उपाध्यक्ष महोदय : सवाल उन्होंने पूछा है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जो सवाल पूछा है, उसका जवाब दे रहे हैं आप भी अपने समय में सवाल पूछियेगा। माननीय सदस्य ने

पूछा है कि लक्ष्य क्यों नहीं रखा गया है। इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि फरवरी में पूरे लक्ष्य का ऐस्टीमेट बता सकते हैं। अभी तो पिराई शुरू हुई है और इतना अनुमान जरूर हुआ है कि पिछले साल से कम उत्पादन नहीं होगा। पिछले साल 164 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है और उसके पहले 1994-95 में 146 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस साल जो लक्ष्य रखा गया है वह पिछले साल के आस पास ही होगा। लेकिन अभी एग्जेक्ट कहना उचित नहीं होगा। जब तक हम उसका ऐनालेसिस नहीं कर लेते इस सदन में एग्जेक्ट नहीं बता सकते हैं। चूंकि पिराई मौसम शुरू हुआ है इसलिये केवल अनुमान ही बता सकते हैं इसके अलावा गन्ना क्रशिंग के लिये मिलों में जा रहा है और कितना लक्ष्य होगा यह गन्ना के उत्पादन पर डिपैंड करेगा। अतः अनुमान बता सकते हैं और वह मैंने कह दिया है जो पिछले साल उत्पादन हुआ उसके आस पास ही होगा।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो बातें पूछी। एक तो मैंने यह पूछा कि क्या सरकार की स्पष्ट चीनी नीति है और दूसरा बंद चीनी मिलों के बारे में कहा तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर में विचित्र स्थिति बताई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चार चीनी मिलें चालू हैं और एक चीनी मिल बंद है। मेरी जानकारी के अनुसार नौ चीनी मिलें हैं जिनमें चार बंद हैं और एक चालू है तो बाकी की चार चीनी मिलें बंद हैं या चालू हैं? इनकी स्थिति क्या है, यह मंत्री महोदय बतायें। मैंने कहा कि क्या स्पष्ट चीनी नीति है क्योंकि किसानों को अपना खड़ा गन्ना जलाना पड़ रहा है। आज किसान बुरी तरह से परेशान हैं मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया है। इन सब बातों का जवाब देने के लिये क्या सरकार की कोई स्पष्ट नीति है या नहीं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी चीनी नीति तैयार कर रहे हैं। जब तक इसे अंतिम रूप नहीं दे देते तब तक यहां बताना उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां पर नौ चीनी मिलें हैं जिसमें से चार चीनी मिले चल रही हैं और पांच बाकी हैं, उनको चलाने में एक सप्ताह लग जायेगा।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि चार चालू हैं और एक बंद है तो बाकी चार का क्या कर रहे हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : टोटल तो नौ हैं।

श्री शिवराज सिंह : जो आपने उत्तर दिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वह पिछले दिन की सूचना है, आज की नहीं। मैं तो कल तक की स्थिति बता सकता हूं।

श्री शिवराज सिंह : अब तीन-चार दिन में क्या हो जायेगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरे पास तो 16 तारीख तक की सूचना है और उसके आधार पर कह रहा हूं।

श्री शिवराज सिंह : चार दिन में चार मिलें खुल नहीं जायेंगी। यह स्थिति तो पहले से ही मध्य प्रदेश के बारे में।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : रोज चीनी मिलें खुल रही हैं।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आश्चर्य की बात है क्योंकि रोज नई चीनी मिलें नहीं खुल रही हैं। वे तो पहले से हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक उनका सवाल ही पूरा नहीं हुआ, उनको तो पहले बोलने दो।

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में चार चीनी मिलें चालू हो चुकी हैं और बाकी पांच को चालू कराने के लिये केन्द्रीय सरकार प्रयास कर रही है और एक सप्ताह में चालू कर दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामेश्वर पाटीदार जी।

श्री शिवराज सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न हुआ है और पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो बार पूछा है, दो बार एक ही सवाल पूछा है?

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न का दूसरी बार में स्पष्टीकरण पूछा था। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मिलों ने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया और जितनी पिराई क्षमता है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और आज भी किसानों को अपना खड़ा गन्ना जलाना पड़ेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों को अपना खड़ा गन्ना न जलाना पड़े, उसके लिये सरकार तात्कालिक रूप से क्या उपाय करेगी? उपाध्यक्ष महादेय, हमारे देश में गन्ना उत्पादन अत्यधिक रूप से होता है लेकिन चीनी मिलें कम हैं जिनकी पिराई क्षमता भी कम है। क्या इसके लिये सरकार लाईसेंस मुक्त नई चीनी मिलें खोलने पर विचार कर रही है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उपने जवाब में स्पष्ट कहा था कि अभी जो माननीय सदस्य मध्य प्रदेश की बार-बार चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पिछले साल जो जानकारी मिली थी, उसकी पूरी जानकारी हमने वहां के केन कमिश्नर से ली है। हमारे पास उनका पत्र आया है। उन्होंने कहा है कि सेकंडरी ग्रोथ जो होती है, उसको हर साल लोग खाद के लिए जलाते हैं।...(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह : यह असत्य है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। उन्होंने पूछा है कि चीनी मिलें कम हैं तो और खोलने की बात करेंगे क्या? यही आखिर में पूछा है।

श्री शिवराज सिंह : वहां कई जिलों में, नरसिंहपुर में गन्ना जलाना पड़ा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। जवाब तो सुन लीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बार सही सवाल पूछा। चीनी मिल सही मायनों में मध्य प्रदेश में कम है और माननीय सदस्य जहां चीनी मिल लगाना चाहते हैं, चाहे कोआपरेटिव से या और तरीके से, वह आवेदन भेजें। चीनी मिल खोलने में सरकार कोई कोताही नहीं करेगी।

श्री रामेश्वर पाटीदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट आई है कि चीनी उद्योग के ऊपर वित्तीय संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मंडराते हुए बादल छंट भी सकते हैं परंतु किसान पर जो वित्तीय संकट के बादल मंडराते हैं, वह गरजते ही नहीं हैं, बरसते भी हैं और उसकी बरसात किसानों को कर्ज के दलदल में फंसा देती है। इससे किसानों की स्थिति खराब हो जाती है। किसान गन्ने को पानी से नहीं, खून से सींचता है और उसके बाद भी किसानों का इतना बकाया रहा जाता है। माननीय मंत्री जी ने बताया था कि मध्य प्रदेश में 48.42 परसेंट बकाया है। उत्तर प्रदेश में 24.5। परसेंट बकाया था। प्रधान मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी पैसा दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश में इतना बकाया है मगर उसकी घोषणा नहीं हुई और उसका बकाया पैसा नहीं मिल रहा है।

दूसरा सवाल यह है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दर है। मध्य प्रदेश में एक शुगर मिल 75 रुपए दे रही है। दूसरी 92 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है और उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि स्टेट ऐडवाइजरी प्राइस के नाम पर राज्य सरकारें अलग से भाव नहीं बढ़ा सकतीं, इसलिए उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा हुआ है। चीनी मिलें गन्ने का दाम नहीं दे रही हैं। बिना दाम के बिल भरे जा रहे हैं। इसलिए स्टेट ने नया भाव यदि बंद कर दिया है, तो स्टैण्डिंग कमेटी औन फूड ने कहा है कि सरकार को इंटीग्रेटेड प्राइस बनाना चाहिए। क्या सरकार देश भर में गन्ने के लिए इंटीग्रेटेड प्राइस तय करने वाली है? और तय करेगी तो उस प्राइस में गन्ने के राब से जो शराब बनती है, मोलेसेज से स्प्रिट बनता है, वेस्ट मेटीरियल से कागज बनता है, ये सारे लाभ जो उद्योगपति लेते हैं, उस लाभ को गन्ने के समर्थन मूल्य में जोड़कर घोषणा की जाएगी? केन्द्र सरकार ने अभी तक समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है जबकि पेराई का सीजन चालू हो गया है। डेढ़ करोड़ रुपया मेरे जिले के किसानों का महाराष्ट्र की सिनखेड़ा सिंथला मिल पर बकाया है। वह कब देगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गन्ना भुगतान के संबंध में जहां तक एरियर्स की जानकारी दी गई है, यह मूल प्रश्न से नहीं उठता लेकिन 92.6 प्रतिशत एरियर्स का भुगतान हो चुका है। जो बाकी किसानों का भुगतान है, उस पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि केरल में स्थित तीन चीनी मिलों में से दो बंद पड़ी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो दोनों चीनी मिलें बंद हैं वे मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में हैं। मन्नम शुगर मिल्स जिसका नाम एक महान सामाजिक और राजनीतिक नेता के नाम पर रखा गया है, सहकारी क्षेत्र में है तथा दूसरा तिरूवल्ला में है। दोनों चीनी मिलें ऋण होने के कारण वर्षों से बंद हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन ऋण चीनी मिलों को जो बंद पड़ी है, पुनः चालू करने में विचार करेंगे और क्या वे संबंधित दलों, अर्थात, प्रबंधन, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों किसानों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाएंगे और एक कार्य योजना तैयार करेंगे ताकि इन दोनों मिलों को चालू किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो दो चीनी मिल खुलने की सूचना आई है, जो बाकी चीनी मिलें हैं उनके बारे में मैंने पहले ही जवाब में कहा था कि एक सप्ताह के भीतर हमने सभी जगह चीफ सेक्रेट्रीज को पत्र लिखे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं नई चीनी मिलें खोलने के बारे में नहीं, बल्कि उन चीनी मिलों के बारे में पूछ रहा हूं जो पहले से ही बन्द हैं। हमें कोई नई चीनी मिल नहीं चाहिए; हम केवल यही चाहते हैं कि बंद चीनी मिलों को चालू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने पहले ही कारण बताया था कि लेबर प्राब्लम के चलते, मशीनरी की गड़बड़ी के चलते और फाइनेंशियल प्राब्लम के चलते चीनी मिलें बंद थीं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : बंद होने के कारण हमें पता हैं। मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या आप उनको पुनः चालू करने पर विचार करने के लिए संबंधित दलों की एक बैठक बुलाएंगे। मैं केवल यही पूछ रहा हूं। आप केवल 'हां' या 'नहीं' कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए केरल में जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनके बारे में एक विशेष बैठक बुलाकर उनको खुलवाने का प्रयास करूंगा।

श्रीमती रजनी पाटिल : उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है कि जो भी चीनी मिलें खोलना चाहें, चाहे वह सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनको एल.ओ.आई. दिया जायेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में 27 चीनी मिलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में एल.ओ.आई. दिया गया था और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14 चीनी मिलों को एल.ओ.आई. दिये गये थे। जब उनको एल.ओ.आई. दिये गये थे, उनके बाद फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपने कुछ नहीं देखा है और उनको रामभरोसे छोड़ दिया है और वे चीनी मिलें

अभी तक दस साल हो गये हैं, बन नहीं पा रही हैं। तो क्या यही सरकार की चीनी नीति है। जहां एक तरफ काश्तकारों का गन्ना जल रहा है, पेराई नहीं हो रही है और दूसरी तरफ आप एल.ओ.आई. देते जा रहे हैं। एल.ओ.आई. मिलने के बावजूद दस साल होने के बाद भी हमारे महाराष्ट्र में ज्यादातर शूगर फैक्टरीज खड़ी नहीं रह सकी हैं। केन्द्र सरकार ने उनको फाइनेंशियल सहायता नहीं दी है। क्या उसके बारे में आपने कोई कदम उठाया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो एल.ओ.आई. पिछले दिनों दिये गये थे उनकी अवधि तीन साल तक रहती है। यदि माननीय सदस्या चाहती हैं कि यदि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है।

श्रीमती रजनी पाटिल : मंत्री जी, आई.एफ.सी.आई, ने फाइनेंस करने से इंकार कर दिया है, आप इस प्रकार से जवाबदारी टाल नहीं सकते हैं। जब एल.ओ.आई. दिया है तो उसके आगे क्या होता है वह भी आपको देखना चाहिए, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। जो गन्ना मिल 24 करोड़ में चालू होने वाली थी, अब उसका प्राइस 40 करोड़ हो गया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो चीनी मिल खोलने के लिए जो एल.ओ.आई. मिला था, उसको इंसेटिव दिया जा रहा है। 31 मार्च, 1994 तक जो पिछले दिनों चीनी मिलें खुली हैं, सबको केन्द्र सरकार की ओर से इंसेटिव मिल रहा है, यदि इसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो माननीय सदस्या लिखकर इसकी विस्तृत जानकारी दें, हम उसको दिखवा लेंगे।...**(व्यवधान)** मैंने सवाल अलग पूछा था।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, एक बार आप बैठिये, नहीं तो रिकार्ड में कुछ नहीं आयेगा। हाउस का फैसला है कि पांच सप्लीमेंट्री से ज्यादा एक क्विश्चन में नहीं पूछे जायेंगे, पांच सप्लीमेंट्री हो चुके हैं।...**(व्यवधान)** आप आधा घंटे की चर्चा मांगिये।...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैंने आपसे एक ही सवाल पूछने का आग्रह किया था, उसे भी आप एलाऊ नहीं कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप आधे घंटे की चर्चा मांगिए, मैं एलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती रजनी पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको समय देना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा तो पहले ही एलाऊ की जा चुकी है। मेरा निवेदन इतना है कि उस चर्चा के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिए। आधे घंटे की चर्चा पहले ही मंजूर हो चुकी है, मेरी है और मुझे पत्र आ चुका है लेकिन मेरा निवेदन इतना ही है कि महत्वपूर्ण सवाल होने के कारण आप ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, दे देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है, सभी मिलें चालू नहीं हुई हैं, किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हुआ है, किसानों में असंतोष की लहर दौड़ रही है और इसीलिए आधे घंटे की चर्चा के लिए स्वीकृति हुई है। लेकिन आज जब बैलट में इसी विषय पर पहला सवाल आ गया है तो नियमों में थोड़ी ढ़ील देकर, आप दो-चार सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। चीनी वैसे ही कड़वी हो रही है, वातावरण को तो कड़वा मत होने दीजिए।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं एलाऊ करूंगा। आप बैठिए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : डिप्टी स्पीकर साहब, शुगर मिलों का मामला गम्भीर रूप धारण कर रहा है। यह शुगर मिल-मालिकों का ही सवाल नहीं, किसानों का भी मामला है। इस बार शुगर मिलें दो महीने लेट चली हैं। पहले 20 अक्तूबर तक सभी शुगर मिलें चल पड़ती थी लेकिन इस बार पंजाब में 20 नवम्बर तक एक भी शुगर मिल नहीं चली और 30 नवम्बर तक केवल 5 शुगर मिलें चलीं। मंत्री जी यहां जो फिगर्स दे रहे हैं, वे बिल्कुल गलत हैं, अभी तक हमारे यहां केवल 7 शुगर मिलें चली हैं, जबकि मंत्री जी 13 शुगर मिलों के चलने की बात कह रहे हैं। ऐसे ही, हरियाणा में 20 नवम्बर तक एक भी शुगर मिल नहीं चली। इसका कारण यह है कि सरकार अभी तक कोई नीति तय नहीं कर पाई। यदि मरीज को वक्त पर दवाई नहीं दी जाएगी तो वह मर जाएगा। सभी शुगर एनेन्टों को खत्म किया जा रहा है। पंजाब में चार शुगर मिलें प्राईवेट सैक्टर में हैं जिनमें से प्रत्येक की वैल्यू 50 करोड़ रुपये है लेकिन उन्हें मात्र 15 करोड़ रुपये में बेच दिया गया है। हमने पिछले सैशन में भी इस विषय पर शोर मचाया था लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मैं जानना चाहता हूं कि प्राईवेट सैक्टर की चीनी मिलें इतने सस्ते दामों पर क्यों बेची गई? इस बारे में आपकी क्या नीति है? इस समय 80 लाख टन के करीब चीनी का बफर स्टाक है। क्या यह सही नहीं है कि वह लो-क्वालिटी की शुगर है? चीनी की लो-क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? इसके अलावा शुगर डैवलपमेंट फंड को आपने बफर स्टाक बनाने के लिए तो खर्च किया लेकिन चीनी की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्यों खर्च नहीं किया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि शुगर मिलें घाटे में क्यों जा रही है? मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा करण शुगरकेन की रिकवरी है। शुगरकेन की रिकवरी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया, सदन को स्पष्ट बताया जाए ताकि शुगर मिलें प्रौफिट में आ सकें और किसानों के बकायें का भुगतान भी किया जा सके।

श्री देवेन्द प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने एस.डी.एफ. की चर्चा की, शुगर डैवलपमेंट फंड की चर्चा की। पंजाब में चीनी मिलों का जो मैनेजमैंट है, जिन्होंने प्राईवेट सैक्टर में या कोआपरेटिव सैक्टर में चीनी मिलें खोली और स्वयं स्थापन और आधुनिकीकरण या मौडर्नाइजेशन के लिए योजना करके वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति करा कर, एस.डी.एफ. से रियायती दर पर ऋण चाहा, उन्हें एस.डी.एफ.

ऋण देती है। अभी तक स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए, 30.9.1996 तक की अवधि के दौरान 156 चीनी मिलों को 542.21 करोड़ रुपऐ की ऋण मंजूर किए गए हैं।

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। आंध्र प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू किए जाने के फलस्वरूप, चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे का बाजार समाप्त हो गया है क्योंकि इसका उपयोग डिस्टिलरियों द्वारा किया जाता था।

इसके फलस्वरूप चीनी मिलों को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है। उनमें से कुछ बंद भी हो गई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में चीनी उद्योग की सहायता करने के लिए इस शीरे का उपयोग किए जाने की व्यवस्था करेगी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह मौलेसिस का मामला है। जो अभी अति-आधुनिक चीनी मिलें लग रही हैं उनमें तो सारे प्रोजेक्ट्स के समावेश की व्यवस्था है, लेकिन जो पुरानी चीनी मिलें हैं, उनमें यह व्यवस्था नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से बड़ा स्पष्ट और सीधा सवाल करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी चर्चा मंत्री महोदय ने की है उसमें इन्होंने जितनी भी चीनी मिलें बन्द हैं उनको चालू कराने का प्रयास करने की बात कही है। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत बी. आई.सी. ग्रुप की कई चीनी मिलें चल रही हैं जिनमें से बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा क्षेत्र में मढ़ौरा चीनी मिल एक है जिसके ऊपर किसानों का पिछले वर्ष का पांच करोड़ रुपया बकाया है। अब जब किसानों की फसल पूरे खेतों में लगी हुई है, तो इस महीने में आकर कपड़ा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि उस चीनी मिल को बन्द कर देंगे, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा किस परिस्थिति में किया जा रहा है जबकि उसी ग्रुप की अन्य चीनी मिलें भी घाटे में चल रही हैं। उसी ग्रुप की एक पडरौना चीनी मिल है वह ढाई करोड़ के घाटे में चल रही है। एक दूसरी कटकुनिया चीनी मिल है वह भी ढाई करोड के घाटे में चल रही है और यह मढौरा चीनी मिल जो इस वर्ष सवा तीन करोड़ के घाटे में है, उसको किन परिस्थितयों में बन्द किया जा रहा है और क्या मंत्री महोदय कपड़ा मंत्री महोदय से मिल कर इस बारे में बात करेंगे कि जो किसानों का पांच करोड़ रुपया पिछला बकाया है और इस समय जो किसानों का पांच करोड रुपए का गन्ना खेतों में खड़ा है और ईस मौके पर अंत में आकर इस मिल को बन्द किया जा रहा है, तो जो इस प्रकार से किसानों को जो 10 करोड़ रुपए का नुकसान होगा उसकी भरपाई किस प्रकार से की जाएगी और क्या मंत्री महोदय कपड़ा महोदय से मिलकर इस सारण जिले की मढौरा चीनी मिल को भी चलाने के लिए अनुरोध करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, मढौरा चीनी मिल कपड़ा मंत्रालय के अधीन है और कपड़ा मंत्रालय ही इस चीनी मिल का नियंत्रण करता है और उसका जो मैनेजमेंट है यह चीनी मिल उसके जरिये नियंत्रित होती है, लेकिन इसके बावजूद माननीय सदस्य की भावना और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो छूट देने का मामला है वह और जो भी मेरे विभाग से संबंधित होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। मैं कपड़ा मंत्रालय को भी अपने इस मंतव्य के साथ इस मामले को भेज दूंगा कि इसको चलाने की दिशा में तुरन्त कार्रवाई की जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब संतोषजनक नहीं है। सरकार एक है या टुकड़ों में बंटी है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारे नियंत्रण में नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो आप कपड़ा मंत्रालय से बात करके आते?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हां बात करेंगे। यह तो मैंने कहा ही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कपड़ा मंत्रालय मिल बन्द कर रहा है। आप मिल को चलाना चाहते हैं। एक ही सरकार के दो हिस्से आपस में टकरा रहे हैं। किसानों का क्या होगा? गन्ने का क्या होगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने इस मामले को गंभीर बताया है और उन्होंने सरकार के दो टुकड़ों में बंटे होने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें दो टुकडों की कोई बात नहीं है। यह सरकार की संयुक्त जिममेदारी है। इसलिए मैं माननीय कपड़ा मंत्री से स्वयं बात करूंगा कि इस दिशा में तुरंत पहल की जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्रालय चीनी मिल क्यों चलाता है? कपड़ा मिल तो चला नहीं सकता और चीनी मिल चला रहा है और चला नहीं रहा बन्द कर रहा है?

श्री सत्यदेव सिंह : उपाध्यक्ष जी, चीनी मिलों और किसानों की स्थिति में जो संकट उत्पन्न हो गया है उस पर हम प्रश्न के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। मैं सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो सवाल अलाऊ नहीं है। सिर्फ एक ही पूछ सकते हैं।

श्री सत्यदेव सिंह : मेरा पहला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने प्राइवेट चीनी मिलों की अपील पर एक फैसला दिया है। उस फैसले के कारण आज चीनी मिल का दाम क्या होगा, यह तय नहीं हो पा रहा है जिस कारण किसानों में इस समय बहुत बड़ा संकट पैदा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल के मूल्यों के बारे में किया गया फैसला जो हाई कोर्ट ने अभी किया है, उस पर सरकार क्या नीति बनाने जा रही है और कब तक इसका फैसला स्पष्ट रूप से प्रदेश को देने वाली है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अभी एक प्रश्न महाराष्ट्र से आया

था आप लैटर ऑफ इनटेंट इशु कर देते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप लैटर ऑफ इनटेंट की स्क्रीनिंग कमेटी खाद्य मंत्रालय के हाथ में है। अभी कपड़ा मंत्रालय चीनी मिल चला रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि जो लैटर आफ इनडैंट आप इशु करते हैं, चीनी मिल की एप्लीकेशन्स की स्क्रीनिंग आपका विभाग करता है, शुगर डेवलपमैंट फंड पर आपका नियंत्रण है लेकिन लाइसेंस के लिए आप इंडस्ट्रीज विभाग को भेजते हैं। क्यों नहीं इन दोनों विभागों, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, सरकार चलाने की दृष्टि से अभी तक जो गलतियां होती रही हैं, कपड़ा मंत्रालय द्वारा चीनी मिल को लाइसेंस देने का, क्या फूड मंत्रालय को आप करने वाले हैं? सरकार इस प्रश्न पर क्या नीतिगत निर्णय लेगी जिससे चीनी मिलों की समस्या, किसानों की समस्या और गन्ने की समस्या शीघ्रता से हल हो सके। मेरे दो प्रश्न हैं, एक तो नीतिगत है और दूसरा हाई कोर्ट के फैसले से संबंधित है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है।...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश का जजमैंट इस समय हमारे पास नहीं है। हम शीघ्र ही उत्तर प्रदेश का जजमैंट मंगायेंगे। केन के मामले में सरकार का मिनिमम प्राइस 42.50 रुपए है लेकिन सरकार ने उसको बढ़ाकर 45 रुपये 90 पैसे फिक्स किया है। मैं खुद महसूस करता हूं कि उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जा सके। इसलिए यह सरकार किसान के हित की किसी भी हालत में अनदेखी नहीं कर सकती। किसान के व्यापक हित में फैसला लेगी। जहां तक मिनिस्ट्रीयल कंट्रोल का फैसला है, उस पर विचार किया जायेगा। उद्योग विभाग से भी विचार किया जायेगा।

श्री गुलाम रसूल कार : उपाध्यक्ष महोदय, तीन मसले इंटर कनेक्टेड हैं। गन्ने की समस्या...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इनको बोलने दीजिए।

श्री गुलाम रसूल कार : क्रसिंग केपेसिटी और सप्लाई। जहां गन्ना पैदा नहीं होता है। जहां जम्मू कश्मीर के लायक कोई शुगर मिल नहीं है वहां शुगर कैसे सप्लाई की जाती है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।... **(व्यवधान)** एक को बोलने दीजिए।

श्री गुलाम रसूल कार : मैंने पहले भी बताया था कि कश्मीर वादी में 25 रुपये किलो ब्लैक में शुगर मिलता है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इनके अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री गुलाम रसूल कार : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने गंदुम को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में भेजा है। शुगर जो सप्लाई होती है, वह ऑन गवर्नमेंट थ्रू कापरेटिव के जरिये होता है।... **(व्यवधान)** जैसे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर गंदुम सप्लाई होता है वैसे ही यह क्यों नहीं हो सकता है।...**(व्यवधान)** आप खुद जाकर सप्लाई क्यों नहीं करते।...**(व्यवधान)** ऐसे एरियाज जहां 9 महीने तक रास्ते बंद रहते हैं जैसे लद्दाख, कारगिल, गुरेर, टंगवाड़ा और बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। आप वहां क्यों नहीं सप्लाई करते। जैसे आप गंदुम सप्लाई करते हैं वैसे ही यह भी सप्लाई होना चाहिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। माननीय सदस्य की जो भावना है, उसके चलते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूरे देश में चीनी का नौ रुपये पांच पैसे एक ही दाम है जो कि पी.डी.एस. में सप्लाई किया जाता है। पूरे देश में एक कन्जयूमर प्राइस अकेल चीनी में रखा गया है। राज्य सरकार इसमें परचेसिंग टैक्स या ट्रांसपोर्टेशन टैक्स आदि लगाकर तब मुहैया करती है। हमारा काम है नौ रुपये पांच पैसे राज्य सरकार को पी.डी. एस. के लिए चीनी मुहैया करना । इसलिए जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, भारत सरकार का एक ही रेट है जो कि नौ रुपये पांच पैसे है।...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार : मैंने पूछा है कि जैसे आप गंदुम को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर सप्लाई करते हैं उसी प्रकार यह क्यों नहीं करते।...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक निवेदन है। अभी श्री वाजपेयी जी ने कहा कि चीनी कड़वी हो गयी है। कम से कम हाउस में कड़वाहट पैदा न कीजिए।

(व्यवधान)

अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा फैलोशिप

***362. श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर फाउन्डेशन द्वारा उच्चतर अध्ययन के लिये विदेशी फैलोशिप दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पी.एच.डी. तथा पोस्ट-डाक्ट्रेट पाठ्यक्रमों के लिये प्रत्येक विषय में दी गई फैलोशिप का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साक्षात्कार किये जाने और परिणामों की घोषणा करने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बंलवत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (ङ). अम्बेडकर समुद्रपारीय फैलोशिप की योजना जनवरी, 1992 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी। 1992-93,

1993-94 तथा 1994-95 हेतु पुरस्कार चयन किए गए छात्रों को पहले ही प्रदान किए गए हैं। मंत्रालय वर्ष 1995-96 हेतु पुरस्कारों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है। वर्ष 1996-97 के लिए विज्ञापन पहले ही जारी किया गया है तथा उम्मीदवारों के चयन करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

विवरण

विषय	पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता का नाम	पाठ्यक्रम जिसके लिए फैलोशिप प्रदान की जाती है
वर्ष 1992-93		
अर्थशास्त्र	सर्व/श्री अतुल मिश्र	पी.एच.डी.
	विवेक सुनेजा	पी.एच.डी.
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध (आई.आर.)	राहुल मुखर्जी	पी.एच.डी.
समाज विज्ञान	रंजीत नायक	पी.एच.डी.
वर्ष 1993-94		
अर्थशास्त्र	सुश्री जी. राधिका	पी.एच.डी.
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	कमल सादिक	
समाज विज्ञान	के.पी. सिंह	
कानून तथा संवैधानिक अध्ययन	सुश्री अनु ग्रोवर	स्नातकोत्तर
वर्ष 1994-95		
अर्थशास्त्र	जे.डी. राठोड	पी.एच.डी.
अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	राजेन्द्र परिहार	पोस्ट डॉक्टोरट
समाज विज्ञान	सुश्री सलिहा बावा	पी.एच.डी.
	पी.उमेश चन्द्रा	पी.एच.डी.

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर फाउंडेशन की जो स्थापना हुई है और जो फैलोशिप दी जानी है, वह डाक्ट्रेट और पोस्ट-डाक्ट्रेट के लिए है, ऐसा उसमें कहा गया है। प्रश्न के जवाब में जो दिया गया है, उससे यह बात ध्यान में आती है कि जो 11 फैलोशिप्स दी गई हैं, उनमें से पोस्ट-डाक्ट्रेट को केवल एक ही दी गई है जबकि 10 डाक्ट्रेट लेवल पर रखी गई हैं। मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर भी उसमें नहीं है। मैंने यह भी पूछा था कि क्या परिणामों की घोषणा करने में अत्यधिक विलंब होता है और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर में यह दिया गया है कि 1995-96 के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। दिसम्बर समाप्त होने को है, कहीं न कहीं देरी हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इसमें जो डाक्ट्रेट और पोस्ट डाक्ट्रेट दो प्रकार के ऐवार्ड देने होते हैं, क्या उनमें एक ही कमेटी द्वारा और एक ही क्राईटेरिया पर सलैक्शन होता है? डाक्ट्रेट और पोस्ट डाक्ट्रेट में अंतर करना चाहिए, अलग-अलग देना चाहिए। जैसा मैंने कहा, 10 तो केवल डाक्ट्रेट लैवल पर दिए, पोस्ट डाक्ट्रेट लेवल पर एक ही दिया। क्या इसे अलग-अलग न करके मिलाया जा रहा है? इसमें जो अनियमितता हुई है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान खींचा गया है। उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने 12 स्कॉलरशिप्स दी हैं, आप गिनती कर लीजिए। जिन विषयों में हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, वे लॉ, इकोनौमिक्स, सोशियोलौजी और इंटरनैशनल रिलेशन हैं। वे मास्टर्स डिग्री, पोस्ट-डाक्ट्रेट और पी.एच.डी. के लिए देते हैं।

माननीय सदस्या की दो शिकायते हैं। एक तो देरी क्यों हुई और दूसरा, क्या एक ही क्राईटेरिया है। मैं बताना चाहता हूं कि क्वालीफिकेशन तो सेम है लेकिन 1995-96 में देर हुई है जिसके कई कारण हैं। उसे हम इसी फाईनेशल ईयर में कम्पलीट करके, सलैक्शन करके भेज देंगे। अनियमितताओं की जो शिकायत आई है, उस पर पूरा गौर किया गया है। जिस उद्देश्य को लेकर ये छात्रवृत्तियां आरंभ की गई हैं, उनकी भावना का नुक़सान हो, इतनी गंभीर अनियमितता की शिकायत नहीं आई है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी कहा गया, इस फाउंडेशन की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई यानी अम्बेडकर जी के विचारों के अनुरूप पी.एच.डी. तथा पोस्ट-डाक्ट्रेट को अध्ययन स्तर पर जोड़ना है। क्या यह सही है कि आज तक किसी ग्रंथ प्रकाशन या प्रबंध प्रकाश का काम इस संस्था ने नहीं किया है और केवल अम्बेडकर दिवस मनाने तक ही यह फाउंडेशन सीमित रहा है?

क्या यह बात भी सही है कि जब से यह सरकार आई है, अम्बेडकर जी का नाम तो बहुत लिया जाता है, लेकिन तब से यहां पर डायरैक्टर की पोस्ट खाली पड़ी है और केवल एक क्लर्क के जरिये पूरी फाउंडेशन चल रही है, यह बात सही है क्या?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आदरणीय बहन जी, वह पोस्ट तो भर दी है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : कब भरी है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अभी चार-पांच दिन पहले।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मेरा प्रश्न जाने के बाद भरी है। यह सरकार आने के पहले दिन से यह पोस्ट खाली पड़ी है, यह बात सही है। अम्बेडकर जी की बात तो आप बार-बार करते हो और उनके संस्थान को आप इस प्रकार चला रहे हो।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : बहुत धन्यवाद, आपके कहने से ही भर दी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अम्बेडकर जी का नाम लेना बन्द कर दो।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आदरणीय बहन जी ठीक भी कह रही हैं, लेकिन कुछ ज्यादती कर रही हैं। पहली ज्यादती यह है कि केवल नाम लेने तक ही हम नहीं है...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुमित्रा महाजन : तो कितने प्रबन्ध किये, बताइये?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं अर्ज कर रहा हूं न। डा. अम्बेडकर चेयर्स बहुत सी यूनिवर्सिटी में स्थापित हो चुकी हैं, यह मुद्दा नम्बर तीन था। चौथा था, अम्बेडकर ओवरसीज फैलोशिप्स, वे दी जा रही है, आपके सामने ही हमने बताया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : वे अनियमितता के साथ दी जा रही हैं।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : तीसरा था डा. अम्बेडकर नेशनल एवार्ड्स, वे हम दे रहे हैं, वे भी दिये जा रहे हैं। छठा था, इंटरनेशनल सोशल चेंजिज के बारे में एवार्ड्स, वे भी दिये जा रहे हैं। सातवां था, पब्लिकेशन आफ कलेक्ट वर्क्स आफ बाबा साहिब इन हिन्दी एण्ड इन अदर लैंग्वेजेस, बंगला में मैं अभी सैशन के बाद रिलीज करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : करेंगे, अभी से करेंगे, ठीक है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : नहीं, छप गया है। जहां मैं गलत हूं, मैं सिर झुका दूंगा, जहां नहीं, वहां हाथ जोड़कर कहूंगा, मान लीजिए। अब पंजाबी में भी छप गया है, वह भी मैं चंडीगढ़ जाकर रिलीज करूंगा। बाबा साहेब पर फीचर फिलम का काम फंसा हुआ है, उसपर आपको मेरी खिंचाई करनी चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : मतलब, उपाध्यक्ष जी, एक काम भी नहीं हुआ।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : फीचर फिल्म पर आपको मेरी खिंचाई करनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपके जरिये कहता हूं कि मैंने 30 अप्रैल लास्ट डेट दे दी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हिस्सा डाले, हम भी हिस्सा डालेंगे और 30 अप्रैल तक, बल्कि 14 अप्रैल को शो हो जाना चाहिए, नहीं तो 30 अप्रैल तक फिल्म भी हो जाएगी। ऊपर वाला काम रह गया है, 26 अलीपुर रोड पर जो उनकी यादगार है, पासवानी जी ने दलित रैली में वह बात उठाई थी। प्रधान मंत्री जी ने दलित रैली में 21 नवम्बर को एलान किया, उसपर कैबिनेट को नोट जा रहा है, मेरी तरफ कुछ भी बकाया नहीं है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : डा. बाबा साहेब अम्बेडकर पर फीचर फिल्म बनने वाली थी, उसका क्या हुआ? राम विलास पासवान जी ने बड़े जोर से कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर फीचर फिल्म बनेगी, आज तक वह नहीं बनी।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता तो दिया। उसका उन्होंने जवाब दे दिया।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : उस बात को अब तक तीन साल हो गये, तीन साल में भी फिल्म नहीं बन पाई?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : पासवान जी की घोषणा के बाद ही फिल्म का काम शुरू हुआ।...**(व्यवधान)** जोशी जी, सुनिये। उसमें रुकावट आई, अब 30 अप्रैल के बाद एक मई को आप वह फिल्म देख सकेंगे।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : कहां से रुकावट आई, वह बताइये।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : रुकावट रास्ते में आई, मैं उसका क्या जिक्र करूं।

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, वास्तव में अम्बेडकर फैलोशिप शुरू करके एक बहुत अच्छी शुरूआत हुई है और निश्चित रूप से इस सारे काम का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप यदि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह एक नई उपलब्धि होगी। मैं नई अम्बेडकर फैलोशिप के लिए तो आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि फैलोशिप की चयन पद्धति क्या है और छात्र फैलोशिप के लिए चयनित किये जाते हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं, प्रत्येक वर्ष चयन के लिए कुल स्थान कितने निर्धारित किये हैं और फैलाशिप में अब तक एस.सी. के कितने लोगों का चयन किया गया है, इनके लिए कोई स्थानों का निर्धारण भी आप करेंगे क्या , यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कई बातें इतनी जल्दी कह दी कि मैं सारी लिख भी नही सका। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जिनती समझ में आ गई हों, उनका जवाब दे दें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं एक-एक लफ्ज का सही जवाब देने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। आपने पूछा कि योग्यता क्या है। मास्टर्स कोर्स के लिए बी.ए. प्रथम श्रेणी होना चाहिए, डाक्टर रिसर्च कोर्स के लिए प्रथम श्रेणी मास्टर डिग्री, साथ में रिसर्च और टीचिंग का अनुभव हो. इसके बाद एम. फिल. के लिए जाएगा। पोस्ट डाक्टर रिसर्च के लिए जो डाक्टरेट हैं उन्हें पास किया होना चाहिए। जहां तक आपने पूछा कि एस.सी. के कितने लिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब तक 12 अक्लमंद विद्यार्थियों का चयन हुआ, उनमें से पांच एस. सी. हैं और एक ओ.बी.सी. का है और बाकी छः सामान्य हैं। आपने प्रोसिजर के बारे में भी पूछा, उसके लिए बाकायदा विज्ञापन दिया जाता है और अर्जियां मंगाई जाती हैं। उसके बाद एक कमेटी है, जो उनका चयन करती है, यह मंत्रालय से बाहर की कमेटी बनी है।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इतना ही समझ में आया था, उसका जवाब दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : अच्छा जवाब देने के लिए मंत्री जी को भी फैलोशिप देनी चाहिए।

डा. बलिराम : जिन पांच छात्रों को विदेश जाने के लिए यह छात्रवृत्ति दी गई है, उनके नाम क्या हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत है।

डा. बलिराम : पिछले साल विदेश जाने के लिए नौ छात्रों को स्वीकृति दी थी। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष उन नौ छात्रों को भेजेंगे या नहीं और उनमें कितने एस.सी. के भेजेंगे? डा. भीमराव अम्बेडकर के ऊपर फिल्म बन रही है। उसके लिए तीन साल पहले साढ़े छः करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन वह फिल्म अभी तक नहीं दिखाई जा रही है, वह कब तक तैयार करके प्रदर्शित कराएंगे?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अनुसूचित जाति के छात्रों के नाम पूछे हैं, मेरे पास अभी जो लिस्ट है, उसमें सेंग्रीकेट नहीं किए गए हैं, मैं बाद में बता दूंगा।

डा. बलिराम : यह सदन को गुमराह किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब भी सुन लें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : गुमराह तब करूंगा जब नाम नहीं बता सकूंगा। मैं बाद में आपको बता दूंगा। जहां तक नौ छात्रों के जाने की बात है, वे तब जाएंगे जब अपना दाखिला वगैरह क्लियर कर लेंगे। शायद वे क्लियर नहीं कर सके उसके लिए हम तीन साल का समय देते हैं। जब विद्यार्थियों का चयन होता है तो उन्हें तीन साल के अंदर-अंदर विदेश जाना चाहिए, लेकिन बहुत से नहीं जाते। इसलिए मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि आज ही मैंने फैसला किया है कि तीन साल तक जो इंतजार करना पड़ता है उससे अगले विद्यार्थियों को भी इंतजार करना पड़ता है, इसलिए हम इस मियाद को घटाकर दो साल कर रहे हैं ताकि दूसरों को मौका मिले। जहां तक साढ़े छः करोड़ की फिल्म की बात है तो पासवान जी ने यह रुपये दिए थे, उसके बाद थोड़ी नींद आ गई, अब आगामी अप्रैल 1997 तक वह बन जाएगी।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : पासवान जी ने कहां से दिए। इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा कि इनके पास इतने पैसे कहां से आए।

श्री येल्लैया नंदी : अभी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर फिल्म बनाने की बात मंत्री जी बता रहे थे।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो साल पहले आंध्र प्रदेश में एक एस.सी. लेडी डा. पदमावती ने अम्बेडकर के नाम पर बैंक से कर्जा लेकर एक फिल्म तैयार की। क्या उस फिल्म को आपके डिपार्टमेंट के मंत्रालय की तरफ से परचेज करके लेने के लिए तैयार है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं विचार करूंगा।

श्री येल्लैया नंदी : मंत्री जी क्या कह रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि विचार करेंगे।

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा जो नयी-नयी योजनाएं बन रही है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि नागपुर शहर में डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और वहां बहुत बड़ा काम नागपुर शहर में चल रहा है। डाक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर के विचारों का अध्ययन वे लोग बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो ऐसा एक प्रपोजल नागपुर से, माहराष्ट्र गवर्नमेंट से आपके डिपार्टमेंट में आया है। वहां यह अध्ययन कम से कम 10-15 साल से हो रहा है तो मेरा कहना यह है कि आप इस विचार करके इस फाउंडेशन की क्या कुछ मदद करना चाहते हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको वे सब चीजें भेजी हैं वे आलरेडी यह काम 10 साल से कर रहे हैं, यह काम और अच्छा हो इसलिए आप अपने डिपार्टमेंट से क्या उनकी सहायता करने वाले हैं?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, मुझे दुख हुआ जब मेरे जैसे ओबिडिएंट मिनिस्टर को कहा कि मैं गुमराह कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह इन्होंने नहीं कहा, इसका जवाब तो आपने दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : जिसने भी कहा।...**(व्यवधान)** महोदय, नाम आ गए, एक श्री रणजीत नायक हैं, पी.एच.डी. के लिए।...**(व्यवधान)** आप मुझे पहले बोलने दीजिए। अरे, मेरे पास भी छोटी सी जुबान है मुझे बोलने दीजिए। पहला, श्री रणजीत नायक, केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी। दूसरा, श्री के.पी. सिंह, पी.एच.डी. के लिए इनको मेरीलैंड में भेजा गया। तीसरा, श्री जे.डी. राठौर, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है इन्हें अभी जाना है। उसके बाद श्री राजिन्दा परिहर पोस्ट डाक्टरेट के लिए जाएंगे। इन्होंने आफर एक्सेप्ट कर ली है और अभी इन्हें जाना है। श्री पी. उमेश चन्द्रा एस.सी. है यह पी. एच.डी के लिए जाएंगे, यह तो पहली बात है और अब गुमराह वाला मुद्दा खत्म हो गया।

महोदय, दूसरी बात यह है कि मुझे श्री शरद पवार मिले थे। आपने जो बात कही उन्होंने भी यह बात उठाई थी। मैंने कहा था कि प्रपोजल भेज दो, थ्रु स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम कोई भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं देते।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे : महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ...**(व्यवधान)**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं वेरीफाई कर लूंगा। मेरे ख्याल से नहीं आया, वे कहते हैं कि आया है और अगर आया होगा तो बहुत ही सहानुभूति से हम उसको देखेंगे।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह गुमराह की बात नहीं है, आपने राहबरी की बात की है।

[अनुवाद]

दोहरी नागरिकता प्रदान करना

*365. **प्रो. पी.जे. कुरियन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों द्वारा दोहरी नागरिकता प्रदान किये जाने संबंधी अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां।

(ख) दोहरी नागरिकता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह अवधारणा, भारत के संविधान तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुरूप नहीं है।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाना न केवल उनके हित में है बल्कि विशेषकर उदारीकरण के दौर में यह राष्ट्र के भी हित में है और फिर सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है तो इसका अर्थ है कि सरकार इसे राष्ट्र के लिए उपयोगी मानती है।

परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री महोदय बता चुके हैं कि इसमें कानूनी अड़चनें हैं। इस प्रकार इस मार्ग में केवल संवैधानिक अड़चन तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 आ रहा है। इस दृष्टि से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन अधिनियमों में संशोधन आने पर विचार करेगी जिससे कि कानूनी अड़चनें दूर हो जाएं और फिर उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, किसी भी अधिनियम में हमेशा संशोधन किया जा सकता है। यह एक भिन्न मुद्दा है। जहां तक नागरिकता अधिनियम का सम्बन्ध है, वर्तमान के खण्ड-9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक किसी देश की नागरिकता स्वीकार अथवा प्राप्त करता है अर्थात् यदि कोई भारतीय स्वेच्छापूर्वक किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है और इस मामले में उसे भारतीय नागरिकता का त्याग करना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से वह अर्थात् सम्बद्ध अनिवासी भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय मूल की भी एक विशिष्ट परिभाषा है जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल उदार है। तीसरी बात यह है कि यदि दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है तो उन व्यक्तियों को जिन्हें दोहरी नागरिकता प्राप्त हुई है निश्चित रूप से कुछ लाभ और सुविधायें प्राप्त होगी जो अन्यथा उन्हें सुलभ नहीं है। मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। यह उनके लिए अत्यन्त लाभकारी होगा। अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा आदि के लिए विदेश आने-जाने में उन्हें निश्चित रूप से अनेक असुविधायें प्राप्त होंगी। परन्तु इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है जिस पर भी हमें विचार करना होगा और इन मामलों का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, तो वह अन्य देश का भी राष्ट्रीय नागरिक होता है। फिर क्या उसे इस देश के सभी राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा? हमें इस प्रश्न पर गौर करना है। यदि वह एक भारतीय नागरिक हैं और साथ ही किसी अन्य देश का भी नागरिक है तो वह यहां किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकता है। वह देश का राष्ट्रपति अथवा उप राष्ट्रपति या किसी अन्य पद पर निर्वाचित हो सकता है। वह संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सुरक्षा बलों, पुलिस, सेना और अन्यत्र हर जगह जा सकता है।

जहां तक अन्य देश की भी नागरिकता बनाये रखने की बात है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इन सब बातों को सुलझाया नहीं जा सकता है बल्कि इस मामले का और सावधानीपूर्वक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। मैं दोहरी नागरिकता संबंधी वर्तमान स्थिति पर विचार नहीं करता हूं। यह तो वर्षों से, संविधान स्वीकार करने के समय से ही चली आ रही है। इस बात पर कभी भी सहमति नहीं हुई है कि दोहरी नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। मैं भी इस दृढ़ रवैये को स्वीकार करना नहीं चाहता क्योंकि संविधान तो वर्षों पूर्व स्वीकार किया गया था। परिस्थितियां बदल रही हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के कई पहलू हैं जिन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि कोई समिति जैसे स्थायी समिति या अन्य कोई समिति इस मामले का गहराई से अध्ययन करे तथा इस प्रश्न पर चर्चा कर वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अतः यह एक खुला प्रश्न है। मैं इसे बन्द नहीं कर रहा हूं। मैं इसे न तो बन्द कर रहा हूं और न ही यहां यह आश्वासन दे रहा हूं कि दोहरी नागरिकता की बात स्वीकार कर ली जाएगी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मुझे खुशी है कि इस मामले की गहराई से छानबीन के लिए वह समिति गठित करने पर राजी हुए हैं।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न उन भारतीय लोगों के बारे में है जो अनिवासी भारतीयों के रूप में विदेशों में कार्य कर रहे हैं। आम चुनावों में उनको मतदान करने का अधिकार देने के लिए कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि वे लोग भी सुविधाजनक रूप से मतदान कर सकें। वे अभ्यावेदन मंत्रालय के पास हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वह विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों, मेरा मतलब अप्रवासियों को मताधिकार देने संबंधी प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां, इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए और मेरे मंत्रालय में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, बशर्ते कि

ये लोग भारतीय नागरिक ही रहें। भारत में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में उनकी मांग या अनुरोध पर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय से इतना ही पूछना है कि हांगकांग में जो प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, सन् 2000 के बाद हांगकांग चीन में वापस जाए, इस प्रकार की जा बात चल रही है, उसमें प्रवासी भारतीयों की क्या स्थिति होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सवाल समझ नहीं पाया कि उनका क्या होगा।

कुमारी उमा भारती : वे कहां जाएंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी वे जहां हैं, वहीं रहेंगे।

कुमारी उमा भारती : ऐसा नहीं होगा। वे चीन के साथ रहना चाहेंगे या नहीं? उनके बारे में भारत सरकार ने कोई चिन्ता की या नहीं और उनके प्रतिनिधियों से कोई बात की या नहीं? आप मजाक में ऐसे ही बात को उड़ा नहीं सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कुछ भी बोलूं, आप उसे मजाक में लेंगी तो मैं क्या कर सकता हूं।

कुमारी उमा भारती : आप मुझे माफ करें, मैं उसे मजाक में बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं आपकी बात को गम्भीरता से लूंगी। मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न को गम्भीरता से ले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हांगकांग में कई जातियों के और बहुत किस्म के लोग रहते हैं। जब हांगकांग चीन के साथ मिल जाएगा तो हांगकांग चीन का हिस्सा बन जाएगा। कुछ तो वहा रहने के लिए तैयार होंग और हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने/मिलें

***663. श्री एन.जे. राठवा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषतः गुजरात में पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाले कुछ कारखानों/मिलों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मौके पर निरीक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सभी कारखानों/मिलों के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). जी, हां। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की एक विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणी के उद्योगों को लक्ष्य बनाया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योगों के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की निगरानी कर रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुपालन संबंधी रिपोर्ट समय-समय पर सरकार को भेजता है। इन रिपोर्टों तथा उन पर की गई कार्रवाई के आधार पर 1551 इकाइयों में से 1259 इकाइयों ने जब तक प्रदूषण नियंत्रण के अपेक्षित उपायकर लिए हैं, 112 इकाइयां बंद हैं तथा 180 इकाइयों द्वारा अपेक्षाओं का पालन विभिन्न चरणों में है। दोषी इकाइयों के विरुद्ध पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।

विवरण

(क) तथा (ख). विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की 17 श्रेणियों के मामले में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मौके पर किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य	स्थान, जिनका दौरा किया गया	कुल
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, जामपानी, दोलेश्वरम, पिथापुरम, हवाईपट्टनम, भद्रावली, गोदावारी, चागल्लू, चित्तूर, अनंतपुर और कृष्णा जिले	17
2.	असम	पंचग्राम	
3.	बिहार	भागलपुर, अमजोहरे, पलामू, वापी, जिला वलसाड़, जिला खेड़ा	3
4.	गुजरात	भावनगर, वलैसाड़, भरूच, नन्देसरी, वदोदरा, वापी, जिला वलसाड़, जिला खेड़ा	15

1	2	3	4
5.	हरियाणा	कैथल, जिंद, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, हथिन	7
6.	हिमाचल प्रदेश	काला अम्ब.	2
7.	कर्नाटक	बेलगाम, हवेरी, शिमोगा, बिदर, गुलबर्गा, बिजापुर, ब्रह्मवरा, सिराली, हसन, कोलेगल, मैसूर, गोरीबिदानूर, बैंगलौर, उगारखुर्द, गोकक, मण्डया, अंजनापुरा,	27
8.	केरल	उद्योग मंडल, तिरुविल्ला, कोचीन, पालक्कड़, अरनाकुलम,	16
9.	मध्य प्रदेश	धार, रतलाम, दुर्ग, राजगढ़, रायसेन, सियोनी, खण्डवा, दमोह, सतना, ग्वालियर, चचई, कोरबा, खड़गांव	21
10.	महाराष्ट्र	कोपरगांव, औरंगाबाद, कुराड़ी, नासिक, दीप-नगर, अकोला, पारली, चिताली, रोहा, अम्बरनाथ कल्याण, अहमदनगर	12
11.	पांडिचेरी (सं.शा.प्र.)	पांडिचेरी	4
12.	पंजाब	संगरूर, होशियारपुर, पटियाला, अमृतसर, गुरूदासपुर, लुधियाना, नकोदर, फिरोजपुर	10
13.	तमिलनाडु	पम्मल, तिरूवल्लंगडु, वल्लालर, तंजावुर, इन्नौर चेंगल्लपट्टू, एम.जी.आर जिला, वी.आर.पी. जिला, नेवली, मनाली, रानीपेटू	14
14.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद, सोनभद्र, कानपुर, नन्दगंज, बाराबंकी बरेली, बहराइच, उन्नाव	12
15.	पश्चिम बंगाल	आई.एफ.बी. एग्रो इंडस्ट्रीज लि., पश्चिम बंगाल	1
	योग		162

नोट : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 17 श्रेणियों के उद्योगों का दौरा करने के साथ ही समस्याग्रस्त क्षेत्रों की कार्य-योजना, मानकों के कार्यान्वयन, जन शिकायतों, गंगा कार्य योजना तथा न्यायालय मामलों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में 4000 से भी अधिक उद्योगों का भी दौरा किया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

***364. श्री हंस राज अहीर :**

श्री डी.पी. यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सार्वजनिक विकास योजना के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु वन विभाग को दोगुनी भूमि उपलब्ध करानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उसे वन भूमि के बदले में उतनी ही भूमि उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाये;

(ग) क्या सरकार का विचार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय मंत्रालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूरक वनरोपण के प्रावधानों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(ग) उक्त अधिनियम में मौजूदा क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन मागदर्शी सिद्धान्त में वन क्षेत्रों के बदले प्रतिनुपूरक वनरोपण के लिए राज्य वन विभाग को बराबर की वन भूमि से इतर भूमि स्थानान्तरण करने का प्रावधान किया गया है। परिवर्तन के कारण वन भूमि की निबल हानि की क्षतिपूर्ति के लिए पहले वरीयता पर यह बल दिया है। वन भूमि से इतर भूमि कि अनुपलब्धता के मामले में, कतिपय अन्य मामलों में भी, दोगुनी अवक्रमित वन भूमि पर वनरोपण करने के लिए ही निधियां ऐसे राज्य वन विभागों में जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसमें भूमि का कोई

अन्तरण शामिल नहीं है। अतः प्रतिपूरक वनरोपण के लिए दोहरे दुगुनी भूमि की सीमा के अन्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तव में, समय-समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध अधिकतर वनेतर भूम के बजाए अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण करने पर विचार करने के बारे में है।

[अनुवाद]

मत्स्य बन्दरगाह के लिये सहायता

***366. श्री सुरेश कोडीकुनील :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से तटीय क्षेत्रों में मत्स्य बन्दरगाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) केरल सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि की मांग की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). इस समय एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन स्वीकृति समुद्र तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेश पाण्डिचेरी में तेरह छोटे मात्स्यिकी बन्दरगाहों, जिनमें से छह केरल में हैं तथा चौबीस मछली उतारने के केन्द्रों, जिनमें से तीन केरल में हैं, पर निर्माण कार्य चल रहा है (विवरण-I)। मात्स्यिकी बन्दरगाहों की स्वीकृति और उनके निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने के लिए राज्यों से छह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से तीन केरल से हैं (विवरण-II)

विवरण-I

स्वीकृत और निर्माणाधीन छोटे मात्स्यिकी बन्दरगाह और मछली उतारने के केन्द्र

(31.10.96)

	मात्स्यिकी बन्दरगाहों/ मछली उतारने के केन्द्रों के	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत लागत (लाख रु. में)	पूरा होने की लक्षित तारीख मूल	संशोधित	भारत सरकार का अंश (लाख रुपए में)	दी गई धनराशि	बकाया देय राशि	टिप्पणी/वर्तमान स्थिति
1		2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात									
मात्स्यिकी बन्दरगाह									
1.	जखाऊ	5/93	1143.60	5/96	5/97	1143.60 (100%)	240.00	903.60	टेंडरिंग स्टेज पर है।
2.	मंगरोल चरण-2	3/94	701.00	3/98	3/98	350.00	209.603	140.897	निर्माण आरम्भिक चरण में
मछली उतारने के केन्द्र									
	नवबन्दर	3/91	33.91	3/94	3/97	16.95	15.00	1.95	निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।
2.	मागोड डुंगरी	11/92	38.74	11/94	11/96	19.37	19.37	–	पूरे होने की अवस्था में
3.	झोरवाड	11/92	46.12	11/94	3/97	23.06	23.06	–	पूरा होने वाला है
महाराष्ट्र									
मछली पकड़ने के केन्द्र									
1.	सरजेकोट	3/90	30.00	3/92	3/97	15.00	–	15.00	निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक								
मात्स्यिकी बन्दरगाह								
1. माल्पे चरण-2	2/96	1196.70	2/2000	2/2000	598.35	50:00	548.35	कर्नाटक सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन अभी नहीं मिला है।
मछली उतारने के केन्द्र								
1. अल्वेकोडी	3/95	89.53	3/97	3/97	44.77	10.00	34.77	निर्माण आरम्भिक अवस्था में है।
2. हंजमादिकोडी	10/95	95.00	10/97	10/97	47.50	–	47.50	भूमि अधिग्रहण अभी पूरा नहीं है।
3. कोडिवेंगरे	3/93	55.00	3/95	3/97	27.50	27.50	–	पूरा होने वाला है।
4. गंगोली चरण-2	2/95	13.20	2/96	3/97	6.60	6.60	–	निर्माण कार्य शुरू किया जाना है।
केरल								
मात्स्यिकी बन्दरगाह								
1. विझिंगम चरण-3	2/87	704.00	2/90	2/98	352.00	452.00	–	निमार्ण चल रहा है, परन्तु पिछड़ा हुआ है।
2. मुनम्बन	10/88	1167.20 (संशोधित अनुमान मंजूर)	10/93	3/97	583.30	555.00	28.60	-तदैव-
3. थांगासेरी	10/88	1980.50	10/93	3/97	990.25	787.00	203.25	-तदैव-
4. मोपला खाड़ी	1/92	564.00	1/96	1/98	282.00	240.00	42.00	-तदैव-
5. चोम्बल	1/92	556.00	1/96	1/98	278.00	195.00	83.00	-तदैव-
6. कायमकुलम	8/94	624.00	8/98	8/2000	312.30	–	312.30	भूमि अधिग्रहण हाल ही में हुआ है।
केरल								
मछली उतारने के केन्द्र								
1. पुन्नापरा	12/93	36.80	12/95	12/97	18.40	–	18.40	भूमि अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है।
2. कट्ठौर भोलाथाई	12/93	50.25	12/95	12/97	25.125	–	25.125	भूमि अधिग्रहण हाल में पूरा हुआ है।
3. क्विलंडी	3/92	23.00	3/96	3/97	12.50	12.50	–	पूरा होने वाला है।
तमिलनाडु								
मात्स्यिकी बंदरगाह								
1. चिन्नामुरम	10/89	684.00	3/91	3/97	342.00	342.00	–	पूरा होने वाला है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पाण्डिचेरी								
मात्स्यिकी बंदरगाह								
1. पाण्डिचेरी	4/91	423.00	4/94	4/98	423.00	210.00	213.00	चार वर्ष पिछड़ रहा है।
आंध्र प्रदेश								
मात्स्यिकी बंदरगाह								
1. मछलीपट्टनम	3/96	470.88	3/99	3/99	235.44	50.00	185.44	आंध्र प्रदेश सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन नहीं मिला है।
मछली उतारने के केन्द्र								
1. मांगीपुड़ी	10/85	17.00	10/87	3/97	8.50	8.50	–	पूरा होने वाला है।
उड़ीसा								
मछली उतारने के केन्द्र								
1. बहावलपुर	12/93	77.26	12/95	12/96	38.63	30.00	8.63	उड़ीसा सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया है। प्रगति धीमी है।
2. बांदरा	2/94	94.20	2/96	12/96	47.10	45.00	2.10	
3. खाण्डिपटना	3/94	69.00	3/96	12/96	34.50	25.00	9.50	
4. भुसंडपुर बालियापेटपुर	5/94	95.00	5/96	12.96	47.50	30.00	17.50	
5. चन्द्रभागा	4/88	8.32	4/90	3/97	4.15	4.16	–	पूरा होने वाला है।
6. कांसबांसा	3/92	46.40	3/94	3/97	23.20	23.20	–	-तदैव-
7. रूशिकुल्या	3/92	9.40	3/94	3/97	4.70	4.70	–	-तदैव-
8. तांतियापाल	3/93	60.40	3/95	3/97	30.20	30.20	–	-तदैव-
9. सोरान	3/92	9.97	3/94	3/97	4.48.	4.98	–	-तदैव-
10. सोराला	2/94	70.26	2/96	3/97	35.14	35.14	–	-तदैव-
पश्चिम बंगाल								
मात्स्यिकी बंदरगाह								
1. दिधा चरण-2	11/95	492.52	11/99	11/99	246.26	150.00	96.26	टेंडरिंग का काम हो रहा है।
मछली उतारने के केन्द्र								
1. मदन गंज	12/92	9.60	12/94	3/97	4.80	4.80	–	पूरा होने वाला है
2. वृज बल्लभपुर	12/92	9.65	12/94	3/97	4.825	4.825	–	-तदैव-

विवरण–II

मात्स्यिकी बन्दरगाह का नाम	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	वर्तमान स्थिति
केरल			
1. पोन्नानी	1. जलबंध 2. क्वे 3. नीलामी हाल तथा सम्बद्ध सुविधाएं	860.00	केरल सरकार से तकनीकी–आर्थिक व्यावहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए माडल अध्ययन करने और संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से इसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।
2. थोट्टापल्ली	1. जलबंध (दो) और सम्बद्ध सुविधाएं	25.27	तदैव
3. मुथालापोझि	1. जलबंध 2. जहाज घाट 3. नीमाली हाल तथा सम्बद्ध सुविधाएं	605.00	केरल सरकार से तकनीकी–आर्थिक व्यावहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए माडल अध्ययन और पर्यावरणिक प्रभाव अध्ययन करने तथा विस्तृत परियोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
महाराष्ट्र			
1. आनन्दवाड़ी	1. जेट्टीज 2. नीलामी हाल तथा सम्बद्ध सुविधाएं	415.20	महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय समुद्रतटीय मात्स्यिकी इन्जीनियरिंग संस्थान, बंगलौर, के सुझावों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना रिपोर्ट और अनुमानों में संशोधन करे। राज्य सरकार से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
गुजरात			
1. ओखा	1. जेट्टीज 2. क्वे 3. नीलामी हाल तथा सम्बद्ध अन्य सुविधाएं	2775.00	छान–बीन के बाद केन्द्रीय समुद्रतटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर को हिदायत दी गई है कि 2.5 मीटर वातप्रभाव (ड्राफ्ट वाली नौकाओं) की वर्तमान आवश्यकता पूरी करने के लिए संशोधित तकनीकी–आर्थिक व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करे। राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय समुद्रतटीय मात्स्यिकी इन्जीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।
कर्नाटक			
1. मंगलौर चरण–2	1. क्वे तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाएं	30.00	कर्नाटक की राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि ढांचे अर्थात् क्वे की दीवार और नीलामी हाल का डिजाइन फिर से तैयार करने के बाद अनुमानों में संशोधन करें तथा केन्द्रीय समुद्रतटीय मात्स्यिकी इन्जीनियरिंग संस्थान, बंगलौर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें। राज्य सरकार से संशोधन परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंजाब में धान की खरीद

*367. **श्री सुखबीर सिंह बादल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और अन्य धान उत्पादक राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में धान की खरीद की गयी है तथा इसका श्रेणीवार तथा राज्यवार मूल्य क्या है;

(ख) क्या किसानों ने अलाभकारी मूल्य दिये जाने के संबंध में कोई शिकायत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) धान की उन किस्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें, पंजाब में. तो नहीं वरन पड़ोसी राज्यों में उत्तम श्रेणी का घोषित किया गया है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क)-वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष अर्थात 1996-97 (11.12.1996 तक) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल की गई धान की मात्रा निम्नानुसार हैं :-

(टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साधारण	बढ़िया	उत्तम	जोड़
पंजाब	133,313	15,69,165	-	17,82,478
हरियाणा	595	1,144	162,417	164,156
चण्डीगढ़ संघ क्षेत्र	-	उपलब्ध नहीं	-	3,372
जोड़	133,908	15,70,309	162,417	18,78,806

विपणन मौसम 1996-97 के लिए धान की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं :-

साधारण : 380 रुपए प्रति क्विंटल

बढ़िया : 395 रुपए प्रति क्विंटल

उत्तम 415 रुपए प्रति क्विंटल

ये मूल्य समस्त देश में एक समान हैं।

(ख) और (ग). यह शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि पी.आर. 106 धान पंजाब में उत्तम धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्म के रूप में लम्बाई/मोटाई अनुपात (लैन्थ/ब्रेथ रेशियो) के अनुसार उनके वर्गीकरण के आधार पर धान खरीदता है। यद्यपि धान की पी.आर.-106 किस्म को उत्तम किस्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन यदि इसमें निम्नतर श्रेणी की धान का अपमिश्रण विनिर्दिष्टियों में निर्धारित सीमा से अधिक होता है तो इसकी अगली निम्नतर श्रेणी में श्रेणीकरण किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार मूल्य अदा किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। जिस धान को पडौसी राज्यों में उत्तम किस्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है ऐसी धान को पंजाब में बढ़िया अथवा साधारण किस्म के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चावल की नई किस्म

*368. **श्री माणिवराव होडल्या गावीत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मिलकर "सुपर राइस प्लांट" विकसित करने का कार्य किया है जिससे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो सकेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल की एक नई संकर जाति विकसित की है जिससे इसके उत्पादन में प्रति हेक्टेयर एक टन की वृद्धि होगी?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला, फिलीपिन्स में वैज्ञानिक उत्तम किस्म के चावल के विकास पर कार्य कर रहे हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह चावल के उपज स्तर को 20-25 प्रतिशत तक बढा देगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक भी इसी उद्देश्य से चावल की किस्म के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहें हैं। इस प्रकार की किस्म के विकास के लिए चावल के पौधें की आकृति में परिवर्तन किया जाएगा ताकि उसमें अधिक फूलों के गुच्छे निकले तथा दाने की संख्या एवं वजन अधिक हो।

(ग) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली के अन्तर्गत छः चावल के संकरों नामतः ए पी एच आर-1, ए पी एच आर-2, एम जी आर-1, के आर एच-1, के आर एच-2, डी आर आर एच-1 तथा सी एन आर एच-1 को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में खेती के लिए जारी किया गया है। ये किस्में सिंचित दशाओं के तहत अधिक उपज देने वाली किस्मों से 1.0-1.5 टन प्रति हैक्टर अधिक उपज देती हैं।

[हिन्दी]

ताज का प्रदूषण से संरक्षण

*369. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजमहल को पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने कौन-कौन से संसाधन जुटाए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने ताज संरक्षित क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र सरकार की समान भागीदारी की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये यह मांग की गई है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). योजना आयोग ताज महल की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आधा-आधा खर्च वहन करने के आधार पर नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में 300 करोड़ रुपए आवंटित करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, योजना आयोग ने ताज ट्रैपेजियम में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विद्युत क्षेत्र के संचारण तथा वितरण में सुधार के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार को 90 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया है।

(घ) योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार ताज महल से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में जब भी धन की मांग करे, स्वीकृत परिव्यय में से आवश्यक धनराशि अग्रिम रूप से दी जाएगी।

[अनुवाद]

नशीली दवाओं से खतरा

*370. **प्रो. ओमपाल सिंह "निडर"** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "ड्रग मीनेंस प्लेगिंग इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय युवकों को नशीली दवाओं के खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त समाचार में यह बताया गया है कि भारत तेजी से नशीली दवाओं के संकट से त्रस्त होता जा रहा है क्योंकि दक्षिण पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अवैध नशीली दवाएं धीरे-धीरे यहां आती जा रही हैं।

(ग) वित्त मंत्रालय (स्वापक औषधि नोडल नियंत्रण ब्यूरो) नशीली दवाओं की आपूर्ति तथा नियंत्रण से संबंधित सभी मामलों के लिए एजेंसी है। इस प्रयोजन के लिए इसने एक व्यापक कानून अर्थात् नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज एक्ट, 1985, तथा प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साकोट्रॉपिक सब्स्टांसेज एक्ट, 1988, अधिनियमित किया है। इन अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य अवैध व्यापारियों तथा अपराधियों के लिए कठोर दंड लागू करना है।

कल्याण मंत्रालय मांग में कमी के उपायों के समन्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। निर्भरता पैदा करने वाली नशीली दवाओं की बढ़ी मांग का विरोध करने के लिए यह मंत्रालय मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना 1985-86 से कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें नशीली दवा-जागरूकता परामर्श तथा सहायता केन्द्रों एवं नशा मुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, सरकार द्वारा 357 केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है जिनमें 129 नशा मुक्ति व पुनर्वास केन्द्र हैं तथा 228 परामर्श केन्द्र हैं।

यह मंत्रालय जागरूकता सृजन, निवारक शिक्षा कार्यक्रमों तथा परामर्श, नशा मुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों के विस्तार पर और अधिक बल देते हुए मांग में कमी लाने संबंधी अपने कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए और प्रस्ताव कर रहा है।

[हिन्दी]

राजभाषा का प्रयोग

*371. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर कृषि प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में चलाये जा रहे हैं;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 को लागू नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूरे देश में हर स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में शुरू करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर; इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर; जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर; राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर; नरेन्द्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर में अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से भी शिक्षा दी जा रही है।

(ख) प्रशिक्षण के लिए चार राष्ट्रीय संस्थानों (भा.कृ.अनु.सं., भा.पशु.चिकि. अनु.सं., रा.डे.अनु.सं. तथा के.म.शि.सं.) में प्रशिक्षण के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि इन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है तथा इनमें देश के सभी भागों के साथ-साथ विभिन्न देशों के छात्रों को भी दाखिला दिया जाता है। फिर भी, जो प्रतिभागी अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनके लिए हिन्दी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। छात्रों और वैज्ञानिकों को अपना पेपर भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साहित्य और प्रशिक्षण सामग्री भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत की जा रही है।

(ग) भा. कृ.अनु. परिषद के सभी संस्थानों में राजभाषा अधिनियम 1963 को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ). चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए भारतीय भाषाओं में सभी स्तरों पर कृषि प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू करना संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

***372. श्री जी. वेंकट स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे भूमि की उर्वरता पर प्रभाव पड़ा है तथा पर्यावरणविदों में इस बात से काफी चिंता है;

(ख) क्या राजसहायता का लाभ गरीब किसानों को न मिल कर केवल बड़े भूमिपतियों को ही मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका लाभ गरीब किसानों को भी मिले क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं। ऐसे कोई संकेत नहीं हैं, जिनसे यह पता चले कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है। दीर्घावधि परीक्षणों के परिणामों से यह पता चला है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण फसल की उत्पादकता में वृद्धि सतत् बनायी जा सकती है, यदि मृदा संसाधन के आधार की स्थिति को जैव पदार्थों के प्रयोग के माध्यम से कायम रखा जाए। अतः यह आवश्यक है कि जैव पदार्थों के एकीकृत प्रयोग के साथ रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए।

(ख) और (ग). जी नहीं। राजसहायता से सभी वर्ग के किसानों को लाभ मिल रहा है, जिनमें छोटे तथा मार्जिनल किसान भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय और वन क्षेत्रों में विकास योजनाएं

***373. श्री दत्ता मेघे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को लागू किए जाने के पश्चात् देश के जनजातीय तथा वन क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में सड़क निर्माण एवं अन्य अनेक योजनाएं ठप्प पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को शुरू करने हेतु कोई विशेष रियायत प्रदान करने का है ताकि लोगों को लाभ प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नारियल तेल का उत्पादन

***374 श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नारियल तेल का उत्पादन इसकी घरेलू खपत के लिये पर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार के पास कोई प्रमाणित रिपोर्ट है कि नारियल तेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में व्यापक रूप से प्रचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इस बात की कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि नारियल के तेल से सीरम कोलस्ट्रॉल बढ़ता है।

(ग) और (घ). नारियल विकास बोर्ड ने निम्नलिखित के माध्यम से इस गलत अवधारणाओं के विरूद्ध बड़े पैमाने पर प्रचार किया है कि नारियल के तेल से सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है-जनवरी, 1994 में नारियल के तेल पर राष्ट्रीय कार्यशाला, मार्च, 1994 में मानव पोषण में नारियल तेल के उपयोग से सम्बन्धित राष्ट्रीय संगोष्ठी, 1995 में केराफेड के साथ मिलकर केरल में जिला स्तर पर क्रमिक सेमीनारों का आयोजन स्वास्थ्य के लिये उत्तर नारियल के तेल के पोषणिक गुण के बारे में सेमीनारों का आयोजन, एक स्वस्थ पोषण वसा के रूप में नारियल के तेल को बढ़ावा देने हेतु मुद्रित प्रचार माध्यमों में विज्ञापन तथा मानव पोषण के लिये नारियल के तेल की लाभकारी भूमिका पर प्रकाश डालने वाले प्रकाशन। इस अभियान के फलस्वरूप केरल में नारियल के तेल की खपत 1994 के 50,000 मीटरी टन की तुलना में बढ़कर 1996 में 1.50 लाख मीटरी टन हो गई।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति

***375. श्री प्रहलाद सिंह :**

श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य, तेल, मिट्टी के तेल और सोफ्ट कोक की आपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य सरकार से प्राप्त कुल मांगों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को प्रतिमाह कितना आवंटन किया गया;

(ख) क्या मांगों को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्ता अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा वास्तव में इनकी कितनी मात्रा प्रत्येक माह उठाई गई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वस्तुओं का आवंटन, पिछली मांगों, उठान के रूखों, तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य संगत कारकों के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त अतिरिक्त मांगों पर विचार किया जाता है तथा साथ ही निर्धारित मानदंडों पर सुरक्षित भंडार बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के आधार पर आवंटन किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी का आवंटन 1991 की आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के आधार पर हर महीने किया जाता है। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति वर्ष एक लाख टन का अतिरिक्त कोटा त्यौहार कोटा के रूप मे भी निर्मुक्त किया जाता है, जिसे उनके मासिक लेवी कोटे के अनुपात में उनके इच्छित महीने में आवंटित किया जाता है। चीनी की उपलब्धता की स्थिति बेहतर होने के कारण पंचांग वर्ष 1996 के लिए त्यौहार के कोटे को दुगुना कर दिया गया है और साथ ही साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के दिसम्बर, 1996 के महीने के लिए मासिक लेवी कोटे में 10 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की गई है और तदनुसार रिलीज आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, यह प्रयास किया जा रहा है कि जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता, राष्ट्रीय औसत में कम है, उन्हें राष्ट्रीय औसत स्तर तक लाया जाए। इस समय मिट्टी के तेल की अपेक्षित मांग का केवल 60 प्रतिशत ही देश के भीतर उत्पादन किया जाता है और शेष मात्रा आयात की जाती है।

जहां तक खाद्य तेल का संबंध है जब भी बाजार में इसके मूल्य तेजी से बढ़ते हैं, केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार निगम के जरिए पामोलीन जैसे तेल का आयात करती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित करती है।

जहां तक साफ्टकोक का संबंध है, राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों के पास रखे भंडारों में से आवंटन किया जाता है।

वर्ष 1996 के दौरान गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा साफ्टकोक के माहवार तथा राज्यवार आवंटन और उठान से संबंधित सूचना क्रमशः विवरण I, II, III, IV, V और VI पर दी गई है।

विवरण I(क)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : गेहूं वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन.		फर.		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	15000	9100	15000	12000	15000	6200	15000	5800	15000	7300	15000	6400
अरुणाचल प्रदेश	600	400	600		600	400	600	200	600	500	600	600
असम	30000	33500	30000	26000	30000	30000	30000	27900	30000	31200	30000	28600
बिहार	58800	27800	58800	34100	58800	32200	58800	18000	58800	15000	58800	29200
गोवा	3100	3000	3100	1500	3100	1800	3100	200	3100	2700	3100	2600
गुजरात	75000	48300	53500	45600	53500	44400	53500	40700	53500	49700	53500	48500
हरियाणा	16560	9900	20000	11700	20000	11100	16560	1300	16560	400	16560	3800
हिमाचल प्रदेश	12000	7200	12000	7000	12000	8800	12000	6900	12000	8000	12000	9600
जम्मू और कश्मीर	30000	9600	30000	5900	30000	7900	30000	10100	30000	14800	30000	9300
कर्नाटक	30000	20300	30000	20300	30000	15700	30000	20200	30000	18200	30000	21400
केरल	50000	48000	50000	45400	50000	52600	50000	39000	50000	44600	50000	47300
मध्य प्रदेश	48660	18100	48660	20900	48660	19400	48660	13400	48660	18900	48660	29800
महाराष्ट्र	80000	72500	80000	52300	80000	56600	80000	49100	80000	63200	80000	65800
मणिपुर	2700	2200	2700	2300	2700		2700	1500	2700	5700	2700	1600
मेघालय	2500	2200	2500	2500	2500	2400	2500	1900	2500	2900	2500	2700
मिजोरम	2000	2000	2000	1500	2000	2400	2000	1900	2000	1800	2000	2000
नागालैंड	1600	1900	1600	1200	600	500	600	800	600	1200	600	
उड़ीसा	35000	23700	35000	28600	35000	29300	35000	30200	35000	29500	35000	27800
पंजाब	17000	500	17000		17000	5600	8000	9	8000	179	8000	1128
राजस्थान	154910	74800	154910	80700	154910	11100	109910	45400	94910	53600	94910	73600
सिक्किम	1100	200	1100	1300	1100	700	1100	1000	1100	700	1100	1200
तमिलनाडु	30000	18100	25000	15500	25000	14400	25000	9400	25000	11600	25000	21600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
त्रिपुरा	1800	900	1800	800	1800	800	1800	1500	1800	1100	1800	1100
उत्तर प्रदेश	98800	28300	98800	26100	98800	29900	98800	15500	98800	19300	98800	70100
पश्चिम बंगाल	105000	78100	90000	71700	90000	74300	80000	66400	80000	71400	72000	64700
अंडमान और निकोबार												
चंडीगढ़	1800		1800		1800	700	1800		1800		1800	
दादर व नगर हवेली	250	400	250		250		250		250		250	
दमन व दीव	200		200		200		200		200		200	
दिल्ली	90000	16600	90000	17200	70000	29200	50000	25100	50000	17500	50000	30600
लक्षद्वीप												
पांडिचेरी	750		750		750		7500		750		750	
जोड़	995130	557600	957070	532100	936070	488400	855380	433409	833630	490979	825630	601028

विवरण-I(ख)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : गेहूं वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अग.		सित.		अक्तू.		नव.		दिस.		जोड़	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आंध्र प्रदेश	15000	9800	15000	9600	15000	12800	15000	13900	15000		15000		180000	92900
अरुणाचल प्रदेश	600	400	600	600	600	400	600	500	600		600		7200	4000
असम	30500	29000	30000	29200	30000	24500	30000	26700	28000		27000		355500	286600
बिहार	58800	36800	58800	43000	58800	40300	58800	39900	57600		57100		702700	316300
गोवा	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100		3100		37200	24200
गुजरात	53500	53100	53500	57400	53500	48000	53500	53800	53500		60000		670000	489500
हरियाणा	16560	8100	16560	11300	16560	10000	16560	13300	16560		18560		207600	80900
हिमाचल प्रदेश	12000	9200	12000	9200	12000	9200	12000	11000	10000		10000		140000	86300

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
जम्मू और कश्मीर	30000	12000	30000	11600	30000	11500	30000	12900	30000		30000		360000	105600
कर्नाटक	30000	22600	30000	23700	30000	24400	30000	23700	28000		28000		356000	210500
केरल	50000	50800	60000	60600	50000	45200	50000	49700	45000		42000		597000	483200
मध्य प्रदेश	48660	29800	48660	34900	46660	37300	46660	45400	44000		44000		570600	267900
महाराष्ट्र	80000	86600	80000	78600	80000	71100	80000	70000	80000		80000		960000	665800
मणिपुर	2700	4100	2700	3200	2700	1900	2700	700	2700		2700		32400	23200
मेघालय	2500	3100	2500	1900	2500	2400	2500	2600	2000		2000		29000	24600
मिजोरम	2000	2900	2000	1000	2000	1800	2000	1600	1900		1900		23800	18900
नागालैंड	600	1100	1100	700	1100	1100	600	500	600		600		10200	9000
उड़ीसा	35000	35900	35000	36100	35000	32000	35000	36400	33000		33000		416000	309500
पंजाब	8000	2187	8000	2400	8000	5992	8000	6944	8000		8000		123000	24939
राजस्थान	94910	89100	109910	102300	119910	107200	119910	98000	118000		117000		1444100	735800
सिक्किम	1100	800	1100	2000	1100	1500	1100	1100	600		600		12200	10500
तमिलनाडु	25000	17300	25000	19800	25000	25700	25000	20300	23000		22300		300300	173700
त्रिपुरा	1800	1000	1800	1200	1800	1800	1800	1400	1800		1800		21600	11600
उत्तर प्रदेश	98800	80900	98800	87800	80000	71500	80000	74800	80000		80000		1110400	504200
पश्चिम बंगाल	72000	69900	72000	67000	100000	81000	90000	78600	90000		90000		1031000	723100
अंडमान और निकोबार							9000						9000	
चंडीगढ़	1800		1800		1800	200	1800	1100	1800		1800		21600	2000
दादर व नगर हवेली	250	300	250	300	250		250		250		250		3000	1000
दमन व दीव	200		200		200		200		200		200		2400	
दिल्ली	60000	41800	60000	44900	60000	47800	60000	48800	60000		60000		760000	319500
लक्षद्वीप				100			500						500	100
पांडिचेरी	750		750		750		750		750		750		15750	
जोड़	836130	701687	861130	743500	868330	719892	867330	736744	835960	0	838260	0	10510050	6005339

विवरण-II(क)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : चावल वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन.		फर.		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	210000	137600	210000	152800	210000	143700	210000	141300	150000	126700	150000	138000
अरुणाचल प्रदेश	8600	6700	8600	6900	8600	8200	8600	7700	8600	8300	8600	9600
असम	49300	32700	49300	31300	49300	42400	49300	36100	49300	33800	64300	43300
बिहार	31800	700	31800	1800	31800	2900	31800	500	31800	700	31800	900
गोवा	7500	4600	7500	3600	7500	3800	7500	4100	7500	4300	7500	5000
गुजरात	34500	16700	34500	23000	29500	24200	29500	21500	29500	21400	29500	28000
हरियाणा	5000	700	3000	800	3000	1100	5000	1200	5000	2200	5000	1800
हिमाचल प्रदेश	9400	3400	9400	3000	9400	4000	9400	4700	9400	5900	9400	6100
जम्मू और कश्मीर	44000	18300	44000	14100	44000	9700	44000	28700	44000	12700	44000	18600
कर्नाटक	120260	79700	120260	80300	120260	78700	120260	76000	120260	77600	120260	80200
केरल	150000	102500	150000	104300	150000	103600	150000	90500	150000	108200	150000	119300
मध्य प्रदेश	48560	17300	48560	14100	46000	14800	46000	23200	46000	24100	46000	34100
महाराष्ट्र	71500	37400	71500	39000	71500	35800	71500	40900	71500	39900	71500	56900
मणिपुर	10000	2000	10000	2000	10000	2900	10000	3000	10000	3700	10000	4700
मेघालय	15000	13100	15000	13000	15000	14400	15000	13200	15000	15000	15000	14200
मिजोरम	8000	3000	10000	7200	10000	10100	10000	10200	10000	7100	6000	4500
नागालैंड	6000	8300	6000	7000	6000	6400	6000	7500	6000	8700	6200	5400
उड़ीसा	75000	34100	75000	27700	75000	36400	75000	36100	75000	33000	75000	32300
पंजाब	1500		1500		1500	1300	1500	300	1500	300	1500	100
राजस्थान	4000	800	4000	1000	4000	500	5000	800	5000	1300	5000	800
सिक्किम	4800	1500	4800	3600	4800	4800	4800	5300	4800	4300	4800	5500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	145000	174500	145000	162700	145000	187000	145000	133700	145000	111200	165000	171300
त्रिपुरा	16200	10300	16200	9500	16200	5900	16200	14900	16200	15400	16200	12900
उत्तर प्रदेश	45800	20600	45800	14600	45800	20800	45800	20000	45800	24500	45800	34500
पश्चिम बंगाल	65000	35100	65000	38900	65000	33400	65000	47500	65000	35400	65000	39700
अंडमान व निकोबार												
चंडीगढ़	300		300		300	200	300	200	300		300	200
दादर व नगर हवेली	500		500		500		500		500	800	500	
दमन व दीव	600	200	600		600		600		600		600	
दिल्ली	20000	1800	20000	1500	20000	4400	20000	7500	20000	9700	20000	9100
लक्षद्वीप				1600		1000		600		300		
पांडिचेरी	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
जोड़	1210120	763600	1210120	765300	1202560	802400	1205560	777200	1145560	736500	1176760	877000

विवरण-II(ख)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : चावल वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अग.		सित.		अक्तू.		नव.		दिस.		जोड़	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आंध्र प्रदेश	225000	208400	235000	223200	235000	210000	265000	213900	210000		210000		2520000	1695600
अरुणाचल प्रदेश	8600	7800	10600	8300	8600	7100	8600	8200	8600		8600		105200	78800
असम	59300	45100	49300	46700	49300	45700	49300	45300	51300		52300		621600	402400
बिहार	31800	3100	31800	3900	31800	3300	31800	3400	33000		33500		384500	21200
गोवा	7500	4900	7500	5600	7500	4200	7500	5000	7500		7500		90000	45100
गुजरात	29500	22700	29500	25200	29500	25400	29500	17600	29500		35000		369500	225700

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
हरियाणा	5000	2100	5000	1900	5000	2700	5000	2100	5000		3000		54000	16600
हिमाचल प्रदेश	9400	6400	9400	7700	9400	8400	9400	9100	11400		11400		116800	58700
जम्मू और कश्मीर	44000	28900	44000	29400	44000	26600	44000	38900	44000		44000		528000	225900
कर्नाटक	120260	88600	120260	94000	120260	96400	120260	98000	122260		122260		1447120	849500
केरल	150000	122100	160000	163500	150000	116500	150000	128000	155000		158000		1823000	1158500
मध्य प्रदेश	46000	25300	46000	24000	46000	21200	46000	23600	48340		48340		561800	221700
महाराष्ट्र	71500	54500	71500	31300	71500	45400	71500	51200	71500		71500		858000	432300
मणिपुर	10000	3300	10000	6200	10000	4600	10000	6000	10000		10000		120000	38400
मेघालय	15000	14600	15000	16800	15000	11800	16000	15700	16500		16500		184000	141800
मिजोरम	6000	6500	6000	4300	6000	5900	8000	8300	8010		8010		96020	67100
नागालैंड	6000	5300	9000	5200	9000	5700	6000	8500	6000		6000		78200	68000
उड़ीसा	75000	40400	75000	43400	75000	48900	75000	59600	77000		100000		927000	391900
पंजाब	1500	100	1500	500	1500	200	1500		1500		1500		18000	2800
राजस्थान	5000	1600	4000	1900	4000	1200	5000	1700	7000		7000		59000	11600
सिक्किम	4800	3800	4800	4800	4800	5900	4800	6000	5300		5300		58600	45500
तमिलनाडु	145000	187300	165000	168800	165000	155300	175000	161000	155800		147700		1843500	1612800
त्रिपुरा	16200	10000	16200	13000	16200	12700	16200	11500	16200		16200		194400	116100
उत्तर प्रदेश	45800	39900	45800	35200	45800	38800	45800	28800	45800		45800		549600	277700
पश्चिम बंगाल	75000	43700	65000	35600	65000	59700	65000	46500	65000		65000		790000	415500
अंडमान व निकोबार							30000						30000	
चंडीगढ़	300		300	300	300	300	300	300	300		300		3600	1500
दादर व नगर हवेली	500	400	500		500		500		500		500		6000	1200
दमन व दीव	600	200	600	500	600		600		600		600		7200	900
दिल्ली	20000	8400	20000	10100	20000	10000	20000	9600	20000		20000		240000	72100
लक्षद्वीप						700	6300	200					6300	4400
पांडिचेरी	2000		2000		2000		2000		2000		2000		24000	
जोड़	1236560	985400	1260560	1011300	1248560	974600	1325860	1008000	1234910	0	1257810	0	14714940	8701300

विवरण-III(क)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : चीनी वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन.		फर.		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	28280		28280		28284		28281		28279		28286	
अरुणाचल प्रदेश	374		374		374		374		374		374	
असम	10321		9599		9598		10322		9600		9600	
बिहार	36744		36744		39744		36744		37744		36744	
गोवा	511		508		508		508		508		508	
गुजरात	17591		17591		17591		17591		17591		17591	
हरियाणा	7001		7033		7028		7004		7057		7004	
हिमाचल प्रदेश	1999		2017		1989		2069		2242		2217	
जम्मू और कश्मीर	3703		4172		3707		3697		3744		3698	
कर्नाटक	19143		19143		19139		19144		19143		19143	
केरल	12076		12076		12076		12374		12375		12375	
मध्य प्रदेश	28186		28211		28186		28186		28231		28186	
महाराष्ट्र	33572		33572		33572		33572		33572		33572	
मणिपुर	826		824		824		824		824		824	
मेघालय	773		772		773		773		772		772	
मिजोरम	315		315		315		315		315		315	
नागालैंड	563		563		564		564		565		565	
उड़ीसा	13473		13472		13472		13472		13472		13472	
पंजाब	8719		8774		8771		8751		8806		8733	
राजस्थान	18804		18803		18805		18804		18808		18805	
सिक्किम	175		175		175		175		175		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	21255		23763		23754		23748		23751		23751	
त्रिपुरा	1202		1201		1200		1200		1200		1201	
उत्तर प्रदेश	59255		59294		59254		59245		59429		59253	
पश्चिम बंगाल	29093		29093		29096		29096		29096		29096	
अंडमान व निकोबार	1694		2		2		2		2		2	
चंडीगढ़	412		434		400		391		400		394	
दादर व नगर हवेली	60		61		60		60		60		60	
दमन व दीव	40		43		43		43		43		43	
दिल्ली	12080		12100		12081		12084		12100		12069	
लक्षद्वीप	486				22							
पॉडिचेरी	473		473		473		473		473		473	
जोड़	369199	0	369482	0	371880	0	369886	0	370751	0	369301	0

विवरण–III(ख)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : चीनी वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अग.		सित.		अक्तू.		नव.		दि.		जोड़	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आंध्र प्रदेश	28289		28284		32098		35905		30193		30189		354648	
अरुणाचल प्रदेश	374		374		1210		47		47		375		4671	
असम	9600		9600		30250		724		2174		9599		120987	
बिहार	36748		36748		36748		42748		42904		40748		461108	
गोवा	508		508		583		508		508		658		6324	
गुजरात	17591		19217		18655		17584		17589		17589		213771	
हरियाणा	7004		7057		7004		7004		8928		7004		86128	

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
हिमाचल प्रदेश	2199		2217		1999		2607		2607		1999		26161	
जम्मू और कश्मीर	3701		3748		3698		4571		4124		3692		46255	
कर्नाटक	18772		19140		21815		24490		21814		19140		240026	
केरल	12377		15975		12375		11915		12374		12375		150743	
मध्य प्रदेश	28200		28231		31954		35722		31954		28186		353433	
महाराष्ट्र	33572		33572		38079		33572		33571		33572		407370	
मणिपुर	823		823		2680		125		166		822		10385	
मेघालय	772		772		2420		100		2		974		9675	
मिजोरम	315		315		1000		26		52		367		3965	
नागालैंड	565		565		1780		42				697		7033	
उड़ीसा	15339		13474		15339		13474		17204		13474		169137	
पंजाब	8739		8804		9939		11142		9947		8746		109871	
राजस्थान	18799		18803		18805		23903		23883		18799		235821	
सिक्किम	175		175		175		209		208		208		2200	
तमिलनाडु	23749		23751		27146		30541		27143		23750		296102	
त्रिपुरा	1201		1201		3900		151		153		1205		15015	
उत्तर प्रदेश	59251		59290		67220		75185		67224		59252		743152	
पश्चिम बंगाल	29095		29095		29096		36889		36889		29093		364727	
अंडमान व निकोबार	1694		2		37		74		37		2		3550	
चंडीगढ़	392		403		448		502		455		393		5024	
दादर व नगर हवेली	61		67		61		75		68		61		754	
दमन व दीव	43		43		49		55		49		43		537	
दिल्ली	12079		12098		13237		14401		13249		12091		149669	
लक्षद्वीप	486		22						22				1038	
पांडिचेरी	473		505		516		499		516		505		5852	
जोड़	372986	0	374879	0	430316	0	424790	0	406054	0	375608	0	4605132	0

विवरण-IV(क)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : खाद्य तेल वर्ष : 1996 दिनांक 28/11/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन.		फर.		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश		1240	7000	2079	7000	3981	7000	4104	7000	4375	7000	3231
अरुणाचल प्रदेश												
असम		43	300	59		35	300	51		57	300	
बिहार			100		100		100		100		100	
गोवा		368	400	135	400	117	400	357	400	348	400	402
गुजरात	2000	629	3500	453	3500	4738	3500	2778	3500	1751	3500	4335
हरियाणा		264										
हिमाचल प्रदेश		102	200		200	44	200	108	200		200	
जम्मू और कश्मीर			100		100	51	100		100	60	100	98
कर्नाटक					2000	633		1350	2000	998		787
केरल											1000	
मध्य प्रदेश												
महाराष्ट्र	1000	1402	2000	1023	2000	2772	3000	3044	3000	2631	3000	2736
मणिपुर	100	43	300	12	300	95	300		300	483	300	
मेघालय			100		100	10	100		100	50	100	
मिजोरम		66	200	2	200		200	33	200	70	200	
नागालैंड		444	400	12	400	390	400		400	210	400	
उड़ीसा		831	1000		1000		1000		1000		1000	1040
पंजाब												
राजस्थान			50		50		50		50		50	
सिक्किम			110		110	50	110	70	110	80	110	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु			1000		1000	412	1000	1235	1000	1371	1000	299
त्रिपुरा			100		100		100		100		100	
उत्तर प्रदेश												
पश्चिम बंगाल		24		48	2000	1442	2000	1718	2000	1928	2000	1290
अंडमान व निकोबार			25		25		25		25		25	25
चंडीगढ़												
दादर व नगर हवेली		10	80	53	80	40	80	60	80	40	80	70
दमन व दीव		50	75		125	70	125	15	125	50	125	10
दिल्ली			300		300	450	300	302	300	3	300	386
लक्षद्वीप		27	40		40	43	40	31	40		40	
पांडिचेरी		189		112	500	179	500	274	500	253	500	390
जोड़	3100	5732	17380	3988	21630	15552	20930	15530	22630	14758	21930	15179

विवरण-IV(ख)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : खाद्य तेल वर्ष : 1996 दिनांक 28/11/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अग.		सित.		अक्तू.		नव.		दिस.		जोड़	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आंध्र प्रदेश	7000	5510	7000	6073	7000	3760	7000	5931					63000	40284
अरुणाचल प्रदेश														
असम		71	200	37		75	200	38					1300	466
बिहार	100		100		100		100						900	
गोवा	400	220	400	384	800	183	400	146					4000	2660
गुजरात	3500	4367	4000	7569	4000	1037	4000	7173	4000		3000		42000	34830
हरियाणा														264

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
हिमाचल प्रदेश	200	96	200	184	200	147	200	115					1800	796
जम्मू और कश्मीर	100	47	100	71	100	47	100	100					900	474
कर्नाटक	2000	1175		1064	2000	1495		510	1000		500		9500	8012
केरल		89	1000	877									2000	966
मध्य प्रदेश														
महाराष्ट्र	4000	3694	4000	4784	4000	1834	4000	4802	3000		2000		35000	28722
मणिपुर	300	150	300	80	300	10	300	150					2800	1023
मेघालय	100	50	100	20	100	20	100	20					900	170
मिजोरम	200	50	200	100	200	90	200	10					1800	421
नागालैंड	400	292	400	170	400	158	400	160					3600	1836
उड़ीसा	1000		1000	885	1000	18	1000	125					9000	2899
पंजाब														
राजस्थान	50		50		50		50						450	
सिक्किम	110	40	110	10	110	60	110	130					990	520
तमिलनाडु	1000	578	1000	531	1000	550	1000	444					9000	5420
त्रिपुरा	100	20	100		100	10	100						900	
उत्तर प्रदेश														
पश्चिम बंगाल	2500	2915	2500	1487	2500	2525	2500	1779	1000		1000		20000	15156
अंडमान व निकोबार	25		25		25		25						225	25
चंडीगढ़														
दादर व नगर हवेली	80	40	80	40	80	30	80	40					720	423
दमन व दीव	125	50	125	70	125	50	125	30					1075	395
दिल्ली	300	398	300	253	300	200	300	425	500		500		3700	2417
लक्षद्वीप	40		40		40		40						360	101
पांडिचेरी	500	103	500	384	500	422	500	322	500				4500	2628
जोड़	24130	19955	23830	25073	25030	12721	22830	22450	10000	0	7000	0	220420	150938

विवरण-V(ग)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : मिट्टी का तेल | वर्ष : 1996 | दिनांक 11/12/96 | (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन. आ.	जन. उ.	फर. आ.	फर. उ.	मार्च आ.	मार्च उ.	अप्रैल आ.	अप्रैल उ.	मई आ.	मई उ.	जून आ.	जून उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	51286	52295	51286	51156	51286	51329	55458	56473	55458	51771	52345	51431
अरुणाचल प्रदेश	798	816	798	851	798	709	1467	1424	1467	1549	806	826
असम	21186	21608	21186	21149	21186	21557	22332	22375	22332	20830	21398	20155
बिहार	50577	50667	50577	47184	50577	53991	56683	56546	56683	42910	53959	61672
गोवा	2284	2671	2284	2311	2284	2313	2357	2445	2357	2319	2306	2314
गुजरात	67190	67384	67190	68817	67190	68220	70080	71930	70080	68333	75122	70040
हरियाणा	13039	13209	13039	13265	13039	12895	13841	14372	13841	12670	13258	13438
हिमाचल प्रदेश	3519	3636	3519	3646	3519	3464	5246	5014	5246	4242	4779	4133
जम्मू और कश्मीर	8554	5304	9099	9586	8554	7476	6926	7442	6926	3473	5759	5820
कर्नाटक	42661	42703	42661	42511	42661	43233	43745	43613	43745	43363	41566	41527
केरल	24331	24395	26666	26572	26666	26735	24086	27203	24086	25497	23308	23341
मध्य प्रदेश	39935	41832	39935	41081	42270	46501	47047	43962	47047	44419	42671	42619
महाराष्ट्र	127304	128358	127304	127503	127304	131167	132079	129787	132079	129212	128806	128333
मणिपुर	1774	1937	1774	1745	1774	1801	1987	1992	1987	1976	1792	1842
मेघालय	1341	1331	1341	1375	1341	1312	1835	1821	1835	1743	1640	1488
मिजोरम	530	524	530	531	530	525	793	614	793	628	637	618
नागालैंड	887	883	887	951	887	906	1274	1255	1274	1257	1118	1088
उड़ीसा	17621	17519	17621	17345	17621	17943	20687	18376	20687	20789	18975	18695
पंजाब	27411	27961	27411	27221	27411	28055	28385	28102	28385	27064	27685	28753
राजस्थान	30001	28917	30001	30100	25599	26023	32120	32127	32120	27821	28813	28234
सिक्किम	636	640	936	684	936	906	705	950	705	711	643	645
तमिलनाडु	56273	56018	56273	56190	56273	56428	58703	58716	58703	57534	56836	56774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
त्रिपुरा	1926	1930	1926	1929	1926	1794	2668	2409	2668	2409	2548	2398
उत्तर प्रदेश	89649	91087	95486	93163	95486	101296	98740	106063	98740	93991	94071	92759
पश्चिम बंगाल	63004	63341	63004	62188	63004	63324	65385	64587	65385	64447	63634	63713
अंडमान व निकोबार	386	386	386	385	386	387	456	508	456	381	390	381
चंडीगढ़	1761	1743	1761	1802	17621	1783	1791	1647	1791	1538	1779	1482
दादर व नगर हवेली	262	261	262	261	262	262	272	262	272	262	264	225
दमन व दीव	248	.236	248	176	248	248	256	250	256	220	250	176
दिल्ली	20077	20402	20077	20994	20077	20155	20434	20084	20434	20338	20278	20261
लक्षद्वीप	74		74	31	74	74	79		79	31	75	
पांडिचेरी	1251	1227	1251	1171	1251	1214	1280	1149	1280	1167	1264	1213
जोड़	767776	771221	776793	773874	790041	794026	819197	823498	819197	774895	788775	786394

विवरण-V(ख)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : मिट्टी को तेल वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अग.		सित.		अक्तू.		नव.		दिस.		जोड़	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आंध्र प्रदेश	52345	52195	52345	52322	52345	52161	57345	54681	52345		52345		636189	525814
अरुणाचल प्रदेश	806	769	806	808	806	848	806	792	806		806		10970	9392
असम	21398	21704	21398	23254	21398	21479	21398	21757	21398		21398		258008	215868
बिहार	53959	57678	53959	54354	53959	54020	53959	53988	53959		53959		642810	533010
गोवा	2306	2318	2306	2326	2306	2325	2306	2324	2306		2306		27708	23666
गुजरात	67862	73721	67862	68083	67862	68501	67862	68027	67862		67862		824024	693056
हरियाणा	13258	13460	13258	13307	13258	13368	13258	13315	13258		13258		159605	133299
हिमाचल प्रदेश	4779	4499	4779	4580	4779	4684	4779	4766	4779		4779		54502	42664

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
जम्मू और कश्मीर	5759	6591	5759	5723	5759	6702	8639	9497	8639		8639		89012	67614
कर्नाटक	41566	41630	41566	40724	41566	41518	41566	41718	41566		41566		506435	422540
केरल	23308	23391	23308	23425	23308	23400	23308	23222	23308		23308		288991	247181
मध्य प्रदेश	42378	42183	42378	42142	42378	42793	42378	41722	42378		42378		513173	429254
महाराष्ट्र	128577	129011	128577	128404	128577	128838	128577	128151	128577		128577		1546338	1288764
मणिपुर	1792	1798	1792	1793	1792	773	1792	1818	1792		1792		21840	17475
मेघालय	1640	1656	1640	1614	1640	1767	1640	1578	1640		1640		19173	15685
मिजोरम	637	641	637	694	637	641	637	632	637		637		7635	6048
नागालैंड	1118	1121	1118	1112	1118	1120	1118	1119	1118		1118		13035	10812
उड़ीसा	21310	20450	18975	19163	18975	19061	18975	18998	18975		18975		229397	188339
पंजाब	30020	28827	27685	27965	27685	28165	27685	27081	27685		27685		335133	279194
राजस्थान	28813	29086	28813	29860	28813	28697	28813	28716	28813		28813		351532	289581
सिक्किम	643	687	643	645	643	635	643	645	645		643		8421	7148
तमिलनाडु	56836	56351	56836	56427	56836	57068	56836	56915	56836		56836		684077	568421
त्रिपुरा	2548	2216	2548	2464	2548	2456	2548	2465	2548		2548		28950	22470
उत्तर प्रदेश	94071	93481	94071	93721	94071	94603	94071	93076	94071		94074		1136601	953240
पश्चिम बंगाल	63634	64177	63634	63599	63634	63668	63634	64058	63634		63634		765220	637102
अंडमान व निकोबार	390	423	390	386	390	386	390	390	390		390		4800	4013
चंडीगढ़	1779	1495	1779	1568	1779	1634	1779	1672	1779		1779		37178	16364
दादर व नगर हवेली	264	262	264	264	264	262	264	261	264		264		3178	2582
दमन व दीव	250	232	250	224	250	200	250	235	250		250		3006	2197
दिल्ली	20278	20178	20278	20007	20278	20056	20278	20037	20278		20278		243045	202512
लक्षद्वीप	75		75		75	9	75	8	75		75		905	153
पांडिचेरी	1264	1223	1264	1223	1264	1286	1264	1214	1264		1264		151611	12087
जोड़	785663	793454	780993	782181	780993	783124	788873	784878	783875	0	783876	0	9466052	7867545

विवरण-VI(क)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : साफ्ट कोक वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन.		फर.		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश												
अरुणाचल प्रदेश	100		100		100		100		100		100	
असम	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
बिहार	60000		60000		60000		60000		60000		60000	
गोवा												
गुजरात	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
हरियाणा												
हिमाचल प्रदेश	2500		2500		2500		2500		2500		2500	
जम्मू और कश्मीर	2500		2500		2500		2500		2500		2500	
कर्नाटक												
केरल												
मध्य प्रदेश	5000		5000		5000		5000		5000		5000	
महाराष्ट्र	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
मणिपुर	100		100		100		100		100		100	
मेघालय	100		100		100		100		100		100	
मिजोरम	250		250		250		250		250		250	
नागालैंड	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
उड़ीसा	1800		1800		1800		1800		1800		1800	
पंजाब												
राजस्थान												
सिक्किम	1000		1000		1000		1000		1000		1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु												
त्रिपुरा	500		500		500		500		500		500	
उत्तर प्रदेश	20000		20000		20000		20000		20000		20000	
पश्चिम बंगाल	65000		65000		65000		65000		65000		65000	
अंडमान व निकोबार												
चंडीगढ़												
दादर व नगर हवेली												
दमन व दीव												
दिल्ली	9000		9000		9000		9000		9000		9000	
लक्षद्वीप												
पांडिचेरी												
जोड़	173850	0	173850	0	173850	0	173850	0	173850	0	173850	0

विवरण-VI(ख)

सा.वि.प्र. के तहत आवंटन और उठान के राज्यवार ब्यौरे

वस्तु : गेंहू वर्ष : 1996 दिनांक 11/12/96 (आंकड़े टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जुलाई		अग.		सित.		अक्तू.		नव.		दिस.		जोड़	
	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.	आ.	उ.
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आंध्र प्रदेश														
अरुणाचल प्रदेश	100		100		100		100		100		100		1200	
असम	1000		1000		1000		1000		1000		1000		12000	
बिहार	60000		60000		60000		60000		60000		60000		720000	
गोवा														
गुजरात	2000		2000		2000		2000		2000		2000		24000	
हरियाणा														

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
हिमाचल प्रदेश	2500		2500		2500		2500		2500		2500		30000	
जम्मू और कश्मीर	2500		2500		2500		2500		2500		2500		30000	
कर्नाटक														
केरल														
मध्य प्रदेश	5000		5000		5000		5000		5000		5000		60000	
महाराष्ट्र	2000		2000		2000		2000		2000		2000		24000	
मणिपुर	100		100		100		100		100		100		1200	
मेघालय	100		100		100		100		100		100		1200	
मिजोरम	250		250		250		250		250		250		3000	
नागालैंड	1000		1000		1000		1000		1000		1000		12000	
उड़ीसा	1800		1800		1800		1800		1800		1800		21600	
पंजाब														
राजस्थान														
सिक्किम	1000		1000		1000		1000		1000		1000		12000	
तमिलनाडु														
त्रिपुरा	500		500		500		500		500		500		6000	
उत्तर प्रदेश	20000		20000		20000		20000		20000		20000		240000	
पश्चिम बंगाल	65000		65000		65000		65000		65000		65000		780000	
अंडमान व निकोबार														
चंडीगढ़														
दादर व नगर हवेली														
दमन व दीव														
दिल्ली	9000		9000		9000		9000		9000		9000		108000	
लक्षद्वीप														
पांडिचेरी														
जोड़	173850	0	173850	0	173850	0	173850	0	173850	0	173850	0	2086200	0

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों की खपत

*376. **श्री अनंत कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में कुल कृषि उत्पादन की तुलना में इसकी कुल खपत क्या है;

(ख) क्या खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत को बनाये रखा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि उत्पादों की कुल खपत के आंकड़े तैयार नहीं किए जा रहे हैं। फिर भी 1995-96 में खाद्यान्नों की कुल खपत 185 मिलियन मीटरी टन उत्पादन की तुलना में लगभग 189 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) जी. हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता/खपत, वर्ष-वार इस प्रकार है:-

वर्ष	खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि.ग्रा.)
1993	169.4 (अनन्तिम)
1994	172.0 (अनन्तिम)
1995	184.9 (अनन्तिम)
1996	181.8 (अनन्तिम)

[हिन्दी]

नेशनल जीन बैंक

*377. **श्री सत्यदेव सिंह :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बैंक के मुख्य लक्ष्यों को दर्शाने वाला तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जीन बैंक स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) यह बैंक कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जीन बैंकों की स्थापना, आनुवांशिक विविधता के संरक्षण तथा उसके द्वारा आनुवांशिक विविधता से समृद्ध किसानों की परंपरागत किस्मों सहित पौध आनुवांशिक संसाधनों के क्षरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई है। जीन बैंकों का मूल उद्देश्य आनुवांशिक विविधता को सुरक्षित रखना तथा फसल सुधार के लिए इनको उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के दिल्ली स्थित मुख्यालय में इन्डो-यू.एस. एंड पी.जी.आर. परियोजना के तहत संयुक्त राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की गई है। जीन बैंक में 12 लम्बी अवधि वाले भंडारण माड्यूल्स (-20 से.) तथा एक मध्यम अवधि वाला भंडारण माड्यूल (+4 से.) हैं। इसमें एक हिम शीतित बैंक भी है (तरल नाइट्रोजन में -196 से. पर भंडारण तथा ऊतक संवर्धन भंडारण 10 से. से 25 से. तक)।

(ग) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के परिसर-निर्माण पर अब तक 17.84 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है (जिसमें से 50 प्रतिशत व्यय यू.एस. एड द्वारा वापिस किया गया है।) जीन बैंक के लिए प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों तथा अन्य उपकरण 50 लाख अमरीकी डालर पर प्राप्त किए गए हैं। यू.एस.एड का भाग 45 लाख अमरीकी डालर विदेशी मुद्रा में तथा 5 लाख स्थानीय मुद्रा में था। यह परियोजना कुल 279.5 लाख अमरीकी डॉलर के समग्र परिव्यय से लागू की जा रही है।

(घ) जनन द्रव्य का भंडारण व संरक्षण का कार्य वर्ष 1997 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा तथा 13 माड्यूल्स को नियोजित ढंग से भरा जाएगा। जीन बैंक का उसके कुशल कार्यकरण के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

अनुसंधान केन्द्र

*378. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरित क्रान्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए देश में खोले गये कृषि अनुसंधान केन्द्र, उन्नत बीज केन्द्र और अन्य अनुसंधान केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अनुसंधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि अनुसंधान केन्द्रों और अन्य सम्बद्ध अनुसंधान केन्द्रों से किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) हरित क्रांति के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए देश में खोले गये कृषि अनुसंधान केन्द्रों, उन्नत बीज केन्द्रों तथा अन्य अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). परियोजनाओं के आवश्यकता पर आधारित सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव नौवीं योजना में, जिस पर कार्रवाई की जा रही है, किया जा रहा है।

(घ) कृषि अनुसंधान केन्द्रों तथा अन्य संबंधित केन्द्रों से किसानों को लाभ देने के लिए किए गए व्यापक उपाय इस प्रकार हैं :-

1. फसल के पौधों की उन्नत किस्में जारी की गई हैं जोकि किसानों तक पहुंच रही हैं।
2. प्रजनक बीज उत्पादन में वृद्धि की गई है जिससे अच्छी किस्म के बीजों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
3. जैव नियंत्रण कारकों, पौध-मूल के नाशक जीवनाशी तथा कम से कम अवशिष्ट प्रभावों वाले रसायनों का उपयोग करके किसान अब समेकित नाशीजीव प्रबंध उपाय अपना रहे हैं।
4. संकर प्रौद्योगिकी ने कई फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है तथा इसमें सराहनीय उपलब्धियां हुई हैं।
5. किसानों के खेतों, किसान मेलों, प्रशिक्षणों, विस्तार भाषणों आदि में अग्रपंक्ति के प्रदर्शन आयोजित करके भा.कृ.अ. परिषद के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए किसानों को प्रौद्योगिकी पहुंचायी जा रही है। पिछले दशक (1985-95) के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमों के जरिए करीब 21.60 लाख किसानों, कृषक महिलाओं तथा युवाओं को लाभ पहुंचा है।

विवरण-I

देश में चालू अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना तथा अन्य प्रायोजनाओं के केन्द्रों की सूची।

अ.भा.स.अ.प्रा.-चावल

1. फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
2. खुदवानी, जम्मू व कश्मीर
3. पटना, बिहार
4. कोयम्बटूर
5. जोरहट
6. ए.पी.ए.यू., हैदराबाद
7. एच.पी.के.वी.वी., पालमपुर
8. पी.ए.यू., कपूरथला
9. जी.बी.पी.यू.ए. व टी., पंतनगर (उ.प्र.)
10. जी.ए.यू., नवागांव
11. आई.जी.के.वी.वी., रायपुर
12. यू.ए.एस., बंगलौर
13. ए.पी.ए.यू., मास्टेरू
14. ए.पी.ए.यू., वारंगल
15. के.के.वी., कारजट
16. टी.एन.ए.यू. अदिथुराय
17. ओ.यू.ए. एवं टी., चिपलिमा
18. के.ए.यू., पताम्बी
19. एस.के.यू.ए.एस. एवं टी., पोनिचक
20. एच.पी.के.वी.वी., जोगिन्दर नगर
21. एच.ए.यू., करनाल
22. आर.ए.यू. कोटा
23. ओ.यू.ए. एवं टी., जयपुर
24. पी.के.वी., सकोली
25. यू.ए.एस., मंगलौर
26. यू.ए.एस., पोन्नामपैट
27. आर.ए.यू., बिक्रमगंज
28. ए.ए.यू., करीमगंज
29. यू.ए.एस., सिरिगुप्पा
30. टी.एन.ए.यू. मदुरै
31. के.ए.यू., मन्नूथी
32. बी.ए.यू., कांके
33. के.ए.यू., मोनकप्पू
34. जे.एन.के.वी.वी., रेवा
35. यू.ए.एस., मुगध (कर्नाटक)
36. तुलजापुर (एम.एस.)
37. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
38. कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)
39. पूसा (बिहार)
40. कॉल (हिसार)
41. गोगराघाट (उत्तर प्रदेश)
42. साबोर (बिहार)
43. जगदलपुर (मध्य प्रदेश)
44. चिनसुराह (पश्चिम बंगाल)

45. बंकुरा (पश्चिमी बंगाल)
46. अगरतला (त्रिपुरा)
47. अपर शिलांग (मेघालय)
48. कोहिमा (त्रिपुरा)
49. इम्फाल (मणिपुर)
50. पांडिचेरी (तमिलनाडु)
51. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

अ.भा.स.अ.प्रा.–गेहूं

1. बिलासपुर (एम.पी.)
2. चिलिमा (उड़ीसा)
3. कूचबिहार (पश्चिमी बंगाल)
4. दुर्गापुर (बिहार)
5. धारवाड़ (कर्नाटक)
6. धौलकुंआ (हिमाचल प्रदेश)
7. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
8. ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
9. हिसार (हरियाणा)
10. इम्फाल (मणिपुर)
11. जूनागढ़ (गुजरात)
12. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
13. कल्याणी (पश्चिमी बंगाल)
14. कोटा (राजस्थान)
15. लुधियान (पंजाब)
16. महाबलेश्वार (महाराष्ट्र)
17. निफाद (एम.एस.)
18. पंतनगर (उत्तर प्रदेश)
19. पावरखेड़ा (मध्य प्रदेश)
20. पालमपुर (एच.पी.)
21. पुणे (एम.एस.)
22. रांची (बिहार)
23. श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
24. सरगर (एम.पी.)
25. साबोर (बिहार)
26. शिलौंगनी (असम)
27. उदयपुर (राजस्थान)
28. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
29. विजापुर (गुजरात)

ज्वार पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. परभनी
2. राहूरी (बिहार)
3. अकोला (एम.एस.)
4. धारवाड़ (कर्नाटक)
5. धारवाड़ (पी.पी.) (कर्नाटक)
6. बीजापुर (कर्नाटक)
7. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
8. ईलम (हैदराबाद)
9. सूरत (क) (गुजरात)
10. उदयपुर (राजस्थान)
11. हिसार (हरियाणा)
12. पंतनगर (उत्तर प्रदेश)
13. मुरानीपुर (झांसी)
14. तंदूर (हैदराबाद)
15. देसा (गुजरात)
16. इंदौर (मध्य प्रदेश)

मक्का पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. मशोबरा, श्रीनगर
2. बाजौरा (एच.पी.)
3. सलोनी (एच.पी.)
4. कलिम्पौंग
5. जोरहट (असम)
6. ऑलि (उत्तर प्रदेश)
7. लुधियाना (पंजाब)
8. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
9. पंतनगर (उत्तर प्रदेश)
10. बहराइच (उत्तर प्रदेश)
11. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
12. धौली (बिहार)
13. साबोर (बिहार)
14. जोशीपुर (उड़ीसा)
15. चिन्दवाड़ा (एम.पी.)
16. उदयपुर (राजस्थान)
17. बान्सवाड़ा (राजस्थान)
18. गोधरा (गुजरात)

19. हैदराबाद
20. कोल्हापुर
21. अराभवी
22. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
23. मन्द्या (कर्नाटक)
24. नागेनाहतली (कर्नाटक)
25. अगवानपुर (बिहार)
26. धौलाकुंआ (एच.पी.)
27. उचानी (हरियाणा)

जौ पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
2. दुर्गापुर (राजस्थान)
3. बाजौरा (एच.पी.)
4. हिसार (हरियाणा)
5. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
6. रेवा (एम.पी.)
7. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

छोटे मोटे अनाजों पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. बंगलौर (कर्नाटक)
2. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
3. नांदयाल (ए.पी.)
4. विजियानगरम (ए.पी.)
5. ब्रहमपुर (उड़ीसा)
6. कांके (बिहार)
7. धौली (बिहार)
8. दिंदोरी (एम.पी.)
9. रीवा (मध्य प्रदेश)
10. रानीचौरी (उत्तर प्रदेश)
11. मैसूर (कर्नाटक)
12. दपोली

बाजरा पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. बीकानेर (राजस्थान)
2. बीजापुर (राजस्थान)
3. औरंगाबाद (एम.एस.)
4. जामनगर (गुजरात)
5. माधुरीकुंड (उत्तर प्रदेश)
6. हिसार (हरियाणा)
7. बीजापुर (कर्नाटक)
8. मैसूर (कर्नाटक)
9. अनंतपुर (ए.पी.)
10. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
11. ग्वालियर (एम.पी.)
12. लुधियाना (पंजाब)
13. मंडौर (नया केन्द्र) राजस्थान
14. बाडेमर (राजस्थान) नया केन्द्र

पूरे उपयोग में न लाए गए पौधों से संबंधित अ.भा.स.अ.प्रा.

1. हिसार (हरियाणा)
2. एस.के. नगर (गुजरात)
3. बंगलौर (कर्नाटक)
4. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
5. मेटूपलायम (तमिलनाडु)
6. रानीचौरी (उत्तर प्रदेश)
7. रांची (बिहार)
8. राहूरी (एम.एस.)
9. फैजाबाद (नया) (उत्तर प्रदेश)
10. रायपुर (नया) (एम.पी.)
11. लुधियाना (नया) उत्तर प्रदेश
12. मंडौर (नया) राजस्थान
13. पालमपुर (नया) एच.पी.

चारे वाली फसलों पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. आनन्द (गुजरात)
2. राहूरी (एम.एस.)
3. हैदराबाद (ए.पी.)
4. हिसार (हरियाणा)
5. पालमपुर (एच.पी.)
6. तिपतुर (कर्नाटक)
7. वेलायनी (केरल)
8. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
9. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
10. लुधियाना (पंजाब)
11. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
12. कल्याणी (पश्चिमी बंगाल)

13. जबलपुर (एम.पी.)
14. जोरहट (असम)
15. कांके (बिहार)
16. उरलिकंचन (एम.एस.)
17. बीकानेर (राजस्थान)
18. पंतनगर (उत्तर प्रदेश)

शुष्क फलियों पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. बीकानेर, राजस्थान
2. दुर्गापुर, राजस्थान
3. भटिंडा, पंजाब
4. दंतीवाड़ा, गुजरात
5. ग्वालियर, मध्य प्रदेश
6. हिसार, हरियाणा
7. पत्ताम्बो, केरल
8. बंगलौर (नया), कनार्टक
9. परभनी, महाराष्ट्र

चने पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. लुधियाना, पंजाब
2. भरारी, उत्तर प्रदेश
3. राहूरी, महाराष्ट्र
4. हिसार, हरियाणा
5. सम्बर, जम्मू एवं कश्मीर
6. श्रीगंगानगर, राजस्थान
7. बंगलौर, कर्नाटक
8. जूनागढ़, गुजरात
9. सेहोर, मध्य प्रदेश

अरहर पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. खारगोन, मध्य प्रदेश
2. वारांगल, आन्ध्र प्रदेश
3. गुलबर्गा, कर्नाटक
4. बदनापुर, महाराष्ट्र
5. धौली, बिहार
6. कोयम्बटूर, तमिलनाडु
7. वाराणसी, उत्तर प्रदेश

मुलार्प पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. काथिगिरि, कर्नाटक
2. जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर
3. पालमपुर, हि.प्र.
4. दुर्गापुर, राजस्थान
5. लाम, हि.प्र.
6. रायपुर, म.प्र.
7. वामबेन, त.ना.
8. एस.के.नगर, गुजरात
9. अकोला, महाराष्ट्र
10. पंतनगर, उ.प्र.
11. रांची, बिहार
12. शिलोनगनि, असम
13. फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
14. ब्रहमपुर, उड़ीसा
15. बरमहपोर, पश्चिमी बंगाल

तिलहनों पर अ.भा.स.अ.प्रा.

1. तंदूर, आन्ध्र प्रदेश
2. पालेम, आन्ध्र प्रदेश
3. जगतियल, आन्ध्र प्रदेश
4. वेल्लामानचिली, आन्ध्र प्रदेश
5. कांके, बिहार
6. जूनागढ़, गुजरात
7. दंतजीवाड़ा/एस.के. नगर, गुजरात
8. अमरेली, गुजरात
9. कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
10. बंगलौर, कर्नाटक
11. बंगलौर, कर्नाटक पी.सी. यूनिट
12. रायचूर, कर्नाटक
13. अन्नीगेरी, कर्नाटक
14. जबलपुर, मध्य प्रदेश
15. टिकमगढ़, मध्य प्रदेश
16. चिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश
17. होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
18. सागर, मध्य प्रदेश
19. इंदौर, मध्य प्रदेश

20. रायपुर, मध्य प्रदेश
21. शोलापुर
22. जलगांव
23. शोलापुर
24. दिनदोरी
25. अकोला
26. लातुर
27. चिपलीमा, उड़ीसा
28. भुवनेश्वर, उड़ीसा
29. सेमिलगुडा, उड़ीसा
30. भवानीपटनम, उड़ीसा
31. गुरदासपुर, लुधियाना
32. मंडौर, राजस्थान
33. कोटा, राजस्थान
34. फाल्टन
35. कोयम्बटूर तमिलनाडु
36. वृद्धाचलम, तमिलनाडु
37. तिन्दीवनाम, त.ना.
38. कानपुर, उ.प्र.
39. कानपुर पी.सी.यूनिट, उ.प्र.
40. मोरानीपुर, उ.प्र.
41. फेजाबाद, उ.प्र.
42. कयानकुलम, केरल

मूंगफली पर अखिल भा.स.अनु. प्रायोजना

1. वृद्धाचलम, त.ना.
2. भवानीसागर, त.ना.
3. अलियारनगर, त.ना.
4. चिपलिमा, उड़ीसा
5. खड़गांव, म.प्र.
6. मैनपुरी, उ.प्र.
7. जलगांव
8. डिगरात्ज
9. राहुरी (महाराष्ट्र)
10. जुनागढ़ पी.सी. यूनिट, गुजरात
11. जुनागढ़, गुजरात
12. जुनागढ़ गुजरात
13. कादीरी, आ.प्र.
14. पालेम, आ.प्र.
15. दुर्गापुर, राजस्थान
16. हनुमानगढ़, राजस्थान
17. धारवाड़, कर्नाटक
18. चिंतामणि, कर्नाटक

अ.भा.स.अनु. प्रायोजना तोरिया सरसों

1. सिलोगानी, असम
2. धोली, बिहार
3. चियाकी, बिहार
4. धनतिवाड़ा, गुजरात
5. धनतिवाडा, गुजरात
6. हिसार, हरियाणा
7. बावा, हरियाणा
8. पी.सी. यूनिट, हरियाणा
9. कांगड़ा, हि.प्र.
10. कोरेना, म.प्र.
11. जी. उदयगिरि, उड़ीसा
12. लुधियाना, पंजाब
13. भटिण्डा, पंजाब
14. नवगांव, राजस्थान
15. जोबनेर/डिगी, राजस्थान
16. श्रीगंगा नगर, राजस्थान
17. फैजाबाद, उ.प्र.
18. पंतनगर, उ.प्र.
19. कानपुर, उ.प्र.
20. वाराणसी, उ.प्र.
21. वाराणसी, उ.प्र.
22. ब्रह्मपुर

सोयाबीन पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. शेहारे, म.प्र.
2. जबलपुर, म.प्र.
3. पंतनगर, उ.प्र.
4. परभणि, म.प्र.
5. पुणे, महाराष्ट्र
6. बंगलोर, कर्नाटक

7. धारवाड़, कर्नाटक
8. कोयम्बटूर, त.ना.
9. लुधियाना, पंजाब
10. लाम, आ.प्र.
11. कोटा, राजस्थान
12. पालमपुर, हि.प्र.
13. रांची, बिहार

गन्ने पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. अंकपले, आ.प्र.
2. पड़ेगांव, म.प्र.
3. कोल्हापुर म.प्र.
4. जालंधर, पंजाब
5. नवसारी, गुजरात
6. करनाल/उजैनी, हिसार
7. जोरहट, असम
8. कुदालोर, त.ना.
9. पंतनगर, उ.प्र.
10. शाहजहांपुर, उ.प्र.
11. तिरूवेल्ला, केरल
12. पूसा, बिहार
13. वेथुआधारी, प.बं.
14. सिहोरे, म.प्र.
15. माण्डेया, कर्नाटक
16. चिपलिमा, उड़ीसा
17. शंकेश्वर, कर्नाटक
18. कोटा, राजस्थान
19. गोवा, गोवा
20. फरिदकोट, पंजाब

तम्बाकू पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. आनन्द, गुजरात
2. आनन्द सी. यूनिट, गुजरात
3. नन्दयाल, आ.प्र.
4. शिमोगा, कर्नाटक
5. निपानी, कर्नाटक
6. बेरहमपुर, उड़ीसा
7. सरायमिरान, उ.प्र.

चकुन्दर पर नेटवर्क प्रायोजना

1. श्री गंगानगर, राजस्थान
2. मुक्तेश्वर, उ.प्र.
3. सुन्दरवन, प.बं.

गन्ने पर अ.भा.सं.अनु. प्रायोजना

1. अंकपल्ले, आ.प्र.
2. पडेगांव, म.प्र.
3. कोल्हापुर, म.प्र.
4. जालंधर, पंजाब
5. नवसारी, गुजरात
6. करनाल/उजैनी, हिसार
7. जोरहट, असम
8. कोडेलोरे, त.ना.
9. पंतनगर, उ.प्र.
10. शाहजहांपुर, उ.प्र.
11. तिरूवेला, केरल
12. पूसा, बिहार
13. वेथुआधारी, प.बं.
14. सिओरे, म.प्र.
15. माण्डेया, कर्नाटक
16. चिपलिमा, उड़ीसा
17. शंकेवर, कर्नाटक
18. कोटा, राजस्थान
19. गोवा
20. फरिदकोट, पंजाब

तम्बाकू पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. आनन्द, गुजरात
2. आनन्द (सी. यूनिट) गुजरात
3. नंदयाल, आ.प्र.
4. शिमोगा, कर्नाटक
5. नेपानी, कर्नाटक
6. बेरहमपुर, उड़ीसा
7. सरायमिरान, उ.प्र.

चुकन्दर पर नेटवर्क प्रायोजना

1. श्रीगंगा नगर, राजस्थान
2. मुक्तेश्वर, उ.प्र.
3. सुन्दर वन, प.बं.

कपास पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. लुधियाना, पंजाब
2. फरिदकोट, पंजाब
3. हिसार, हरियाणा
4. श्रीगंगा नगर, राजस्थान
5. बांसवाड़ा, राजस्थान
6. नान्देड़, महाराष्ट्र
7. अकोला, महाराष्ट्र
8. राहुरी, महाराष्ट्र
9. पड़ेगांव, महाराष्ट्र
10. पुणे, महाराष्ट्र
11. कोयम्बटूर, त.ना.
12. कोविलपट्टी, त.ना.
13. श्री विलीपुरथर, त.ना.
14. सूरत, गुजरात
15. तालोढ, गुजरात
16. छरोड़ी गुजरात
17. ज्ञागढ़, गुजरात
18. खण्डवा, म.प्र.
19. इंदौर, म.प्र.
20. बधनावर, म.प्र.
21. धारवाड, कर्नाटक
22. अराभावी, कर्नाटक
23. श्रीगुप्पु, कर्नाटक
24. मथुरा, उ.प्र.
25. लाम, आ.प्र.
26. नान्दयाल, आ.प्र.

जूट पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. अमादालवालसा, आ.प्र.
2. बहराइच, उ.प्र.
3. केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा
4. कटिहार, बिहार
5. नवगांव, असम
6. कल्याणी, प.बं.
7. कुछबेहार, प.बं.
8. अधुथुराई, त.ना.
9. कजरात, महाराष्ट्र
10. त्रिपुरा

राष्ट्रीय बीज प्रायोजना

1. जोरहट, असम
2. हैदराबाद, आ.प्र.
3. धोल, बिहार
4. रांची, बिहार
5. नई दिल्ली
6. जामनगर, गुजरात
7. जुनागढ़, गुजरात
8. हिसार, हरियाणा
9. पालमपुर, हि.प्र.
10. श्रीनगर, जे.क.
11. बंगलोर, कर्नाटक
12. धारवाड़, कर्नाटक
13. त्रिचूर, केरल
14. डपोली, महाराष्ट्र
15. परभणि, महाराष्ट्र
16. राहुरी, महाराष्ट्र
17. अकोला, महाराष्ट्र
18. जबलपुर म.प्र.
19. रायपुर, म.प्र.
20. भुवनेश्वर, उडीसा
21. कटक, उड़ीसा
22. लुधियाना, पंजाब
23. दुर्गापुर, राजस्थान
24. जोधपुर, राजस्थान
25. मंडोर, राजस्थान
26. कोयम्बटूर, त.ना.
27. कानपुर, उ.प्र.
28. फैजाबाद, उ.प्र.
29. पंतनगर, उ.प्र.

30. वाराणसी, उ.प्र.
31. अल्मोड़ा, उ.प्र.
32. झांसी, उ.प्र.
33. कल्याणी, प.बं.
34. बैरकपुर, प.बं.

संकर बीज प्रायोजना

1. हैदराबाद, आ.प्र.
2. धोली, बिहार
3. श्रीकृष्णानगर, गुजरात
4. मरूतेरू, आ.प्र.
5. पालेन, आ.प्र.
6. लाम, आ.प्र.
7. जामनगर, गुजरात
8. जुनागढ़, गुजरात
9. सूरत, गुजरात
10. हिसार, हरियाणा
11. बंगलोर, कर्नाटक
12. धारवाड़ कर्नाटक
13. इंदौर, म.प्र.
14. अकोला, महाराष्ट्र
15. राहुरी, महाराष्ट्र
16. नान्देड, महाराष्ट्र
17. कार्जत, महाराष्ट्र
18. औरंगाबाद, महाराष्ट्र
19. लातूर, महाराष्ट्र
20. नागपुर, महाराष्ट्र
21. लुधियाना, पंजाब
22. उदयपुर, राजस्थान
23. जयपुर, राजस्थान
24. श्रीगंगानगर, राजस्थान
25. नवगांव, राजस्थान
26. भंडोर, राजस्थान
27. भवानी सागर, त.ना.
28. त्रिवेन्द्रम, त.ना.
29. कोयम्बटूर, त.ना.
30. पंतनगर, उ.प्र.
31. फैजाबाद, उ.प्र.
32. अल्मोड़ा उ.प्र.
33. कानपुर, उ.प्र.
34. मैसूर, कर्नाटक
35. चिंसुरा, पं.बं.
36. कटक, उड़ीसा
37. नई दिल्ली
38. करनाल, हरियाणा

जैविक नियंत्रण पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. जोरहट, असम
2. हैदराबाद, आ.प्र.
3. श्रीनगर, जे.कं.
4. राहुरी, महाराष्ट्र
5. त्रिचूर, केरल
6. लुधियाना, पंजाब
7. कोयम्बटूर, त.ना.
8. लुधियाना, पंजाब
9. कोयम्बटूर, त.ना.
10. पंतनगर, उ.प्र.

मधुमक्खी अनुसंधान पर अ.भा.सं.अनु. प्रायोजना

1. जोरहट, असम
2. हैदराबाद, आ.प्र.
3. पूसा, बिहार
4. हिसार, हरियाणा
5. सोलन, हि.प्र.
6. त्रिचूर, केरल
7. भुवनेश्वर, उड़ीसा
8. लुधियाना, पंजाब
9. पंतनगर, उ.प्र.

कीटनाशी अपशिष्ट पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. जोरहट, असम
2. हैदराबाद, आ.प्र.
3. पूसा, बिहार
4. हिसार, हरियाणा
5. सोलन, हि.प्र.
6. त्रिचूर, केरल

7. भुवनेश्वर, उड़ीसा
8. बांसकण्ठा, गुजरात
9. जबलपुर, म.प्र.
10. राहुरी, महाराष्ट्र
11. लुधियाना, पंजाब
12. बीकानेर, राजस्थान
13. कोयम्बटूर, त.ना.
14. कल्याणी, प.बं.
15. कानपुर, उ.प्र.

गोलकृमि पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. जोरहट, असम
2. श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर
3. पूसा, बिहार
4. हिसार, हरियाणा
5. सोलन, हि.प्र.
6. त्रिचूर, केरल
7. बंगलोर, कर्नाटक
8. बांसकण्ठा, गुजरात
9. जबलपुर, म.प्र.
10. राहुरी, महाराष्ट्र
11. भुवनेश्वर, उड़ीसा
12. लुधियाना, पंजाब
13. दुर्गापुर, राजस्थान
14. कोयम्बटूर, त.ना.
15. कानपुर, उ.प्र.
16. कल्याणी, प.बं.

कृंतक नियंत्रण पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. हैदराबाद, आ.प्र.
2. बांसकण्ठा, गुजरात
3. सोलन, हि.प्र.
4. बंगलौर, कर्नाटक
5. जबलपुर, म.प्र.
6. लुधियाना, पंजाब

कृषि पक्षी विज्ञान पर अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2. बांसकण्ठा, गुजरात
3. सोलन, हि.प्र.
4. त्रिचूर, केरल
5. दुर्गापुर, राजस्थान

एकालोजी-अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. पूसा, बिहार
2. बनासकाण्ठा, गुजरात
3. हिसार, हरियाणा
4. बंगलौर, कर्नाटक
5. लुधियाना, पंजाब
6. कोयम्बटूर, त.ना.
7. वाराणसी, उ.प्र.
8. कल्याणी, प.बं.

सफेद ग्रस-अ.भा.स.अनु. प्रायोजना

1. बनासकाण्ठा, गुजरात
2. पालमपुर, हि.प्र.
3. बंगलौर, कर्नाटक
4. राहुरी, महाराष्ट्र
5. परभणि महाराष्ट्र
6. दुर्गापुर, राजस्थान
7. पंतनगर, उ.प्र.

गन्ने की नई किस्म

***379. श्री पंकज चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कम उत्पादन वाले क्षेत्रों हेतु गन्ने की एक नई किस्म विकसित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई परीक्षण किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) गन्ने की नई किस्म के विकास के परिणामस्वरूप किसानों की आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर के सहयोग से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों (ज्यादातर उपोष्ण क्षेत्रों) और उप-सीमान्त भूमियों के लिए गन्ने की

किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहा है। अल्प अनुकूल दशाओं (सिफारिश की गई नाइट्रोजन की आधी मात्रा और मानसून-पश्चात एक सिंचाई) के अन्तर्गत गन्ने की किस्मों का चयन और पहचान की जा रही है। सूखा, जल-लग्नता और लवणीय स्थितियों तथा साथ ही उप सीमान्त भूमियों के लिए भी किस्मों का चयन किया जा रहा है। कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के लिए कुछ किस्में जैसे सी.ओ.एस. 767, बी.ओ. 91, सी.ओ.एस. 7918, बी.ओ. 109, सी.ओ. एल.के. 8001, सी.ओ.एल.के. 7901, सी.ओ.एल.के. 8102, सी.ओ. पंत 84211, सी. ओ. 87263 और सी.ओ. 87268 जारी की गई हैं।

(ङ) नई किस्मों को अपनाने से किसानों को आमदनी 5000–7000 रु. प्रति हैक्टर तक बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

पशुओं की नस्लें

*388. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पशुओं/भैंसों की कितनी नस्लें विकसित की गई हैं तथा इन वर्षों के दौरान उनका निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) क्या ऐसी नस्ल से विकसित पशुओं को किसानों को देने का कार्यक्रम है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं; और

(घ) निष्पादन की तुलना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों में पशु नस्लें विकसित करने संबंधी अनुसंधान पर किये गये व्यय का क्या औचित्य है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भा. कृ.अ. परिषद द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गाय/भैंस की किसी नई नस्ल का विकास नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गाय और भैंसों के प्रजनन पर पिछले 20 वर्षों के दौरान जो व्यय किया गया है उसके परिणामस्वरूप अधिक उत्पादन देने वाली नई संकर नस्लों के मवेशियों (करन स्विस, करन फ्रीज, फ्रीजवाल) का विकास हुआ है। गाय और भैंसों में सुधार से संबंधित कार्यक्रमों में नई टेक्नोलाजी का विकास किया गया है जिसके फलस्वरूप जल्द बच्चा देने, दूध के पैदावार में वृद्धि और दो ब्यान्तों के अन्तर को कम करने एवं अधिक संख्या में गाय और भैंस के बच्चों को पैदा करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन नई संकर नस्लों से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होता है। इस तरह गाय और भैंस से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रमों पर जो धन व्यय किया है वह पूर्णरूप से न्याय संगत है।

रुग्ण उर्वरक एककों को पुनः चालू करना

3518. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को पुनः चालू करने के लिए जापान की मरूबेनी कार्पोरेशन के साथ सहयोग नहीं किया है जो उन्हें पुनः चालू करना चाहती थी;

(ख) मरूबेनी के फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को पुनः चालू करने से इंकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को पुनः चालू करने का है और क्या इसके लिए मरूबेनी को राजी कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो एफ.सी.आई. को पुनः चालू करने के लिए अनुमानितः कुल कितना पूंजी परिव्यय होगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र के दो रूग्ण उपक्रमों अर्थात् फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) के पुनर्वास में सहभागिता के लिए मैसर्स मरूबेनी कार्पोरेशन द्वारा दिखाई गई रूचि अन्वेषणात्मक स्तर पर थी। इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक उभर कर सामने नहीं आया है।

(ग) और (घ). एफ सी आई की वित्तीय स्थिति की पुनः स्थापना करने के लिए अप्रैल, 1995 में सिद्धांत रूप से एक पुनरूद्धार पैकेज को मंजूरी दी गई थी जिसमें एफ सी आई की सिन्दरी, रामागुण्डम तथा तालचर एककों के पुनरूद्धार के बारे में सोचा गया था जिसमें उपक्रम की पूंजी पुनर्संरचना तथा वित्तीय राहतों के अलावा 1994 के मूल्य स्तर पर 1736.20 करोड़ रुपए का नया निवेश होना था। इन पैकेजों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इन पुनरूद्धार को फिर से तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था जिसने वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण के उद्देश्य से पुनरूद्धार पैकजों की तकनीकी व्यवहार्यता का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए एक परामर्शदाता संगठन की नियुक्ति की थी। परामर्शदाता संगठन ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर यह दल सरकार के विचारार्थ पुनरूद्धार पैकेज को फिर से तैयार करेगा। तथापि, फिर से तैयार किए गए पुनरूद्धार पैकेजों को लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय वित्त पोषण संबंधी व्यवस्था हो जाने तथा बी आई एफ आर, जो अर्द्ध न्यायिक संगठन है, के समक्ष लंबित कार्रवाईयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

मद्यनिषेध के लिए वित्तीय सहायता

3519. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत "मद्यनिषेध" लागू करने वाले राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान करने

वाली केन्द्र सरकार की वर्तमान अथवा प्रस्तावित नीतियां कौन-कौन सी हैं ताकि इसके कारण होने वाली राजस्व हानि को पूरा किया जा सके;

(ख) इस मामले में किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ग) इन राज्य सरकारों के लिए निर्धारित सहायता राशि अथवा प्रस्तावित सहायता राशि कितनी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मद्य निषेध के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि के कारण 100 प्रतिशत की मात्रा तक पूर्ति करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की उन राज्य सरकारों को राजस्व में हानि को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु कोई वर्तमान या प्रस्तावित नीति नहीं है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए दी जाने वाली विशेष सहायता के विचार का प्रश्न नहीं उठता।

वानिकी के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना

3520. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रतिपूरक वानिकी के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कोई कम्प्यूटरीकरण योजना शुरू की है तथा राज्यों में परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय अन्य क्या शर्तें रखी हैं;

(ख) क्या सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी राज्य सरकार द्वारा लापरवाही बरतने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय ने बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग तथा चण्डीगढ़ में छह क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन कार्यालयों को कम्प्यूटरों से सुसज्जित किया गया है ताकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देते समय प्रतिपूरक वनीकरण के संबंध में शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

(ख) और (ग). सभी अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में सभी राज्यों ने प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। 30.6.1996 की स्थिति के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण की राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण में दी है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति कम हुई है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे तेजी लाएं अन्यथा वन भूमि के उपयोग के उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

विवरण

30.6.1996 की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपयोग में लाया गया वन क्षेत्र	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण (हेक्टेर)	किया गया प्रतिपूरक वनीकरण (है.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14,231	14,600	11,258	77.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	745	1,000	811	80.61
3.	असम	100	1,213	578	47.65
4.	बिहार	3,158	1,788	68	3.80
5.	गोवा	115	94	93	98.94
6.	गुजरात	19,873	30,844	15,899	51.54
7.	हरियाणा	782	994	827	83.19
8.	हिमाचल प्रदेश		7,433	3,890	52.33
9.	जम्मू और कश्मीर	1,286	1,425	288	20.21
10.	कर्नाटक	11,478	10,628	10,909	102.64
11.	केरल	30263	57,891	11,428	19.74
12.	मध्य प्रदेश	2,17,333	2,43,476	92,808	38.11

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	28,936	58,446	42,910	73.41
14.	मणिपुर	244	–	–	–
15.	मेघालय	173	249	270	108.43
16.	मिजोरम	3,107	3,129	1,709	54.61
17.	उड़ीसा	15,040	15,807	13,914	88.02
18.	पंजाब	334	464	227	48.92
19.	राजस्थान	8,025	8,453	3,121	36.92
20.	सिक्किम	409	213	1,448	679.81
21.	तमिलनाडु	4,731	941	816	86.71
22.	त्रिपुरा	168	331	330	99.69
23.	उत्तर प्रदेश	37,631	25,882	20,751	80.17
24.	पश्चिम बंगाल	8,924	1,115	836	74.97
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2,143	1,994	2,046	102.61
26.	दादरा, नगर और हवेली	141	262	262	100.00
	जोड़	4,12,758	4,88,678	2,37,497	48.59

चीनी

3521. श्री मुख्तार अनीस : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू चीनी मौसम (1996-97) के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का उत्पादन, मांग तथा आयात-निर्यात होने का अनुमान है; और

(ख) चीनी उत्पादन की यूनिट लागत, सी.आई.एफ. मुंबई का यूनिट आयात मूल्य तथा एफ.ओ.बी. मुंबई में चीनी का अनुमानित निर्यात मूल्य कितना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चालू मौसम 1996-97 के दौरान चीनी उत्पादन का निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, मौसम के आरम्भ में पूर्वावशिष्ट स्टॉक तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादन के साथ चीनी मौसम 1996-97 के लिए लगभग 138 लाख टन घरेलू आवश्यकता के लिए पर्याप्त उपलब्धता होगी। चालू चीनी मौसम के दौरान आयात की कोई संभावना नहीं है। सुविधाजनक उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक चीनी के निर्यात का प्रयत्न किया जाएगा।

(ख) 1995-96 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य पर आधारित औसत समस्त भारत फैक्ट्री बाहय लेवी मूल्य तथा बी.आई.सी.पी. द्वारा अनुशंसित परिवर्तन लागत 876.75 रु. प्रति क्विंटल बैठती है। अनुमानित निर्यात मूल्य, एफ.ओ.बी. मुंबई बिक्री करते समय वर्तमान विश्व बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

मंत्रियों द्वारा विदेशी दौरा

3522. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, अक्तूबर, तथा नवम्बर, 1996 के दौरान विदेशों का दौरा करने वाले कैबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक मंत्रियों द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए, दौरा किए गए देशों के नाम तथा विशिष्ट उद्देश्य क्या थे तथा प्रत्येक दौरों के दौरान सरकारी खर्च पर साथ दौरा करने वाले अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक दौरों पर साथ गए व्यक्तियों पर किए गए व्यय सहित कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या प्रत्येक मामलों के संबंध में किए गए दौरे मंत्री की पहल पर अथवा दौरा किए गए देश के आमंत्रण पर किये गये थे; और

(ङ) संबंधित देशों की यात्रा के क्या ठोस परिणाम, यदि कोई हों तो, प्राप्त हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में विकलांगों और महिलाओं की भर्ती

3523. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार में और सरकारी उपक्रमों में विकलांगों और महिलाओं की भर्ती के लिए कोई विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). प्रधानमंत्री ने दिनांक 20.9.1996 को महिलाओं सहित विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की पहचान तथा भर्ती के लिए एक व्यापक अभियान चलाने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है जिससे विकलांग व्यक्ति (समान अवसर तथा अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिकल्पित, कम से कम 3 प्रतिशत के आरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मानक उत्सर्जन मानदण्ड

3524. श्री संदीपान थोरात : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1996 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "टू-व्हीलर मेकरज टू राइड टफ ऑन न्यू नॉरम्ज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों तथा विषय-वस्तु के तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दो पहिया गाड़ी निर्माताओं के लिए स्वीकृत मानक उत्सर्जन मानदण्डों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(घ) दो पहिया गाड़ी निर्माताओं द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी को चौपहिया में बदलने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है तथा 2000 तक मानक उत्सर्जन मानदण्डों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित निवेश क्या होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक तकनीकी समिति द्वारा वाहनों के लिए, जिनमें वे दो पहिया वाहन भी शामिल हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है, अधिक सख्त उत्सर्जन मानदण्ड तैयार किए गए हैं। इन मानदण्डों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अधिसूचित किए जाने की सिफारिश की गई है। वाहन निर्माताओं से कहा गया है कि वे 1.4.2000 से अमल में आने वाले मानदण्डों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन का एक गंभीर कार्यक्रम शुरू करें।

(घ) आटोमोबाइल उद्योग द्वारा अपनी प्रौद्योगिकी में उचित परिवर्तन किए जाने हैं और प्रभावी तारीख तक मानदण्डों को पूरा करने के लिए अपना आवश्यक निवेश करना है।

[हिन्दी]

समुद्र तट पर प्रदूषण

3525. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तट भूमि से लगते उन समुद्री क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां प्रदूषण बढ़ रहा है तथा समुद्र में उन जगलों के क्या नाम हैं जहां प्रदूषण का स्तर गंभीर बताया गया है;

(ख) क्या कतिपय विदेश अपने प्रदूषित अपशिष्ट भारतीय समुद्र में डाल रहे हैं तथा इस प्रयास में कतिपय भारतीय कंपनियां उनको सहयोग प्रदान कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) वर्ष 1991 से देश की तटीय भूमि में 77 स्थानों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मुम्बई तटीय क्षेत्र को छोड़कर तट-सीमा से लगे एक किलो मीटर क्षेत्र में स्वच्छता है और यह स्वच्छ समुद्री जल की निर्धारित गुणवत्ता के अनुकूल है। देखा गया है कि तटीय क्षेत्रों में प्रदूषकों का जमाव निम्न से सामान्य मात्रा में है और जिन तटीय क्षेत्रों में निकट भविष्य में प्रदूषकों का जमाव अधिक मात्रा में होने की सम्भावना है वे इस प्रकार हैं :-

1. निम्न प्रदूषक जमाव वाले क्षेत्र

राज्य	क्षेत्र
गुजरात	पोरबन्दर, बेदी, वादिनार, काण्डला
महाराष्ट्र	रत्नागिरी
गोवा	मानदोवी और जुआरी
कर्नाटक	मैंगलोर पोर्ट
केरल	कन्नानोर और कालीकट
तमिलनाडु	कुड्डालोर
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल कोस्ट

2. सामान्य प्रदूषक जमाव वाले क्षेत्र

गुजरात	पोरबन्दर हार्बर, दमन गंगा, एस्टुअरी और वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट
महाराष्ट्र	थाने क्रीक
कर्नाटक	मंगलौर कोस्ट
केरल	कोची बैकवाटर्स, अलेप्पी, कयामकुलम, कोयलोन, पराबुर एण्ड वेली
तमिलनाडु	तुतीकोरिन एण्ड अरमुगानेरी
उड़ीसा	पुरी

3. क्षेत्र, जहां निकट भविष्य में प्रदूषकों का जमाव बढ़ने की संभावना है

गुजरात	वेरावेल पोर्ट, हजीरा एण्ड वापी एस्टुअरी
महाराष्ट्र	वेरसोवा क्रीक, महिम वे एण्ड थाने क्रीक
तमिलनाडु	चेन्नई हारबर एण्ड इन्नोर एस्टुअरी
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम हारबर एण्ड काकीनाडा

(ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय को अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्र तथा बाल कल्याण परिषद

3526. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा चालित नशामुक्ति और पुनर्वास केन्द्रों और बाल कल्याण परिषदों में चिकित्सा अधिकारी और परियोजना निदेशक (पूर्णकालिक आधार पर)/चिकित्सा अधिकारी (अंशकालिक आधार पर) की नियुक्ति के लिए प्रबंधकीय क्षमता सहित एम बी बी एस अपेक्षित अर्हता है;

(ख) क्या इन पदों पर नियुक्ति के लिए होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा शास्त्र प्रणाली में स्नातक डिग्री को मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ग) क्या कई मामलों मे एम.बी.बी.एस. अर्हता में छूट दी गई थी और भारतीय चिकित्सा शास्त्र प्रणाली में डिग्री और होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा में डिप्लोमा (डी एच एम एस) प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी;

(घ) यदि हां, तो नियुक्ति हेतु अन्य निबंधन और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त पद पर नियुक्ति हेतु एलौपैथी चिकित्सकों, द्वारा दिखाई गई कम रूचि को देखते हुए क्या सरकार का विचार होम्योपैथी, जोकि एम बी बी एस के समरूप डिग्री है, सहित भारतीय चिकित्सा शास्त्र प्रणाली में स्नातक डिग्री को मान्यता देने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ख). दिनांक 1.10.1994 से कार्यान्वित मद्यनिषेध तथा नशीली दवाओं का दुरूपयोग निवारण की संशोधित योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे नशामुक्ति तथा पुनर्वास केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी व परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता प्रबंधकीय योग्यताओं सहित एम.बी.बी.एस. के साथ प्रबंधकीय योग्यताएं इस क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष कार्य करने का अनुभव। यह मंत्रालय कोई बाल कल्याण परिषदें नहीं चलाता।

(ग) और (घ). मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग निवारण को संशोधित योजना में निर्धारित विशेष योग्यताओं के संबंध में विभिन्न संगठनों के अभ्यावेदनों पर सिद्धान्त रूप में यह सहमति हो गई है कि 1.10.1994 से पहले जिन लोगों को रोजगार पर लगाया गया है और जिनके पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं। तथापि, उन्हें यथा समय अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) वर्तमान योजना नशामुक्ति के लिए उपचार की ऐलोपैथिक प्रणाली पर आधारित मेडिकल मॉडल निर्धारित करती है।

विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति

3527. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश का अर्थ यह है कि सरकार विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत करते समय पर्यावरणीय मापदंडों का पालन करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय ने किन-किन परियोजनाओं के संबंध में फिर से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निदेश दिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार केरल में गोश्री परियोजना, कर्नाटक में कार्जेट्रिक्स परियोजना, महाराष्ट्र में सिनारमास पल्प एवं पेपर परियोजना, महाराष्ट्र में बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स तथा कच्छ में संघी जेट्टी/सीमेंट परियोजना नामक पांच परियोजनाओं का राष्ट्रीय पर्यावरण, इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) पांच परियोजनाओं में से गोश्री परियोजना, कार्जेट्रिक्स परियोजना, सिनारमास पल्प एवं पेपर परियोजना तथा संघी सीमेंट परियोजना को पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन करने की शर्त पर पर्यावरण निकासी स्वीकृत की गई है। बान्ट्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स पर अब तक इस मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

3528. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के विभिन्न भागों में 1977 में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये थे तथा इन्हें स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों को राशि देने का क्या पैटर्न है;

(घ) क्या सरकार ने राशि देने के पैटर्न में परिवर्तन करने की इच्छा व्यक्त की थी तथा इसे राज्य सरकार को देने का निर्णय ले लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). वर्ष 1976-77 के दौरान भा.कृ.अ.प. के द्वारा देश के विभिन्न भागों में 17 कृ.वि.के. की स्थापना की गई थी जिनमें से 6 कृ.वि. केन्द्रों को स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा गया है, विवरण संलग्न हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृ.वि. केन्द्रों को निधि की व्यवस्था का पैटर्न पहले पांच सालों के लिए सौ प्रतिशत उसके बाद छठे से दसवें साल तक 75 प्रतिशत् राशि मुहैया कराना है। बाद में शत-प्रतिशत बजट की पूर्ति सम्बंधित संस्थानों द्वारा की जाएगी।

(घ) और (ङ) योजना आयोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना में निधि की व्यवस्था हेतु अपनाए जाने वाले पैटर्न के बारे में अन्तिम निर्णय किए जाने तक फिलहाल उन कृ.वि. केन्द्रों के लिए एक अप्रैल 1997 के बाद भी निधि की व्यवस्था के लिए सहमत हो गया है जिनके दस वर्ष 31 मार्च 1997 तक होने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 1976-77 के दौरान स्थापित गैर-सरकारी संगठनों के अधीन कृषि विज्ञान केन्द्र

क्र. सं.	कृ.वि.के.की अवस्थिति	मेजबान संस्थान का नाम
1.	कृ.वि.के., कापगारी, जिला मिदनापुर (प.बंगाल)	सेवा भारती, कापगारी, जिला-मिदनापुर, पं. बंगाल
2.	कृ.वि.के., सुल्तानपुर, जिला-सुल्तानपुर (उ.प्र.)	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
3.	कृ.वि.के., कोसबाद हिल जिला-ठाणे (महाराष्ट्र)	गोखले एजूकेशन सोसाइटी, नासिक (महाराष्ट्र)
4.	कृ.वि.के. मोरबाड़ी जिला-रांची (बिहार)	रामकृष्ण मिशन, मोरबाड़ी, रांची, बिहार
5.	कृ.वि.के., रंधेजा, जिला गांधी नगर (गुजरात)	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, गुजरात
6.	कृ.वि.के., कस्तूरबा ग्राम, जिला-इन्दौर (मध्य प्रदेश)	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर (म.प्र.)

[हिन्दी]

पशुओं के बारे में आंकड़े

3529. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पशुधन की संख्या के संबंध में 1992 के अपूर्ण आंकड़े के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1997 में पशुधन की संख्या का पता लगाने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए उन्हें दी जाने वाली सहायता की धनराशि को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान 4 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में, नौवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पशुधन गणना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बारे में सी.बी.आई. की जांच

3530. **श्री पी.आर. दासमुंशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध सी.बी.आई. जांच चल रही है/सतर्कता के अन्तर्गत हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक

3531. **श्री मोहन रावले** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी हेतु एक आयु सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा उन्हें क्या लाभ/सुविधाएं प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या सरकार इन वरिष्ठ नागरिकों को कोई सर्टिफिकेट जारी करती है ताकि सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा उन्हें वरिष्ठ नागरिक के रूप में पहचाना जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र को गेहूं की मुक्त बिक्री

3532. **श्री राम नाईक** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई) ने अक्तूबर, 1996 माह के लिए मुक्त बिक्री हेतु गेहूं जारी करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के सुझाव क्या-क्या हैं;

(ग) एफ.सी.आई. द्वारा उपरोक्त सुझाव को अस्वीकार कर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में मार्गदर्शन के लिए एफ.सी.आई. को क्या निर्देश दिए गए हैं/दिए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सुझाव दिया कि वह अक्तूबर, 1996 के लिए उन्हें आवंटित 35,000 टन गेहूं में से 20,000 टन का उठान गुजरात में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से कराने की बजाय, समस्त मात्रा महाराष्ट्र में स्थित अपने गोदामों से ही रिलीज करे। चूंकि राज्य की तीन सदस्यीय समिति ने इस अनुरोध की प्राप्ति से पहले निर्णय ले लिया था, इसलिए इस सुझाव पर नवम्बर और दिसम्बर, 1996 के दौरान किए गए आवंटनों के समय ध्यान दिया गया था। दिनांक 29 अक्तूबर, 1996 को महाराष्ट्र सरकार ने यह सुझाव दिया था कि नवम्बर, 1996 के लिए मंजूर 33,000 टन के कोटे के अलावा उसे 20,000 टन गेहूं और रिलीज किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि रोलर फ्लोर मिलों के मामले में निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 500 टन कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार को नवम्बर और दिसम्बर, 1996 माह के दौरान क्रमशः 40,000 टन और 60,000 टन गेहूं आवंटित किया गया था। रोलर फ्लोर मिलों के मामले में निर्धारित सीमा को बढ़ाकर प्रति रोलर फ्लोर मिल प्रति माह 500 टन कर दिया गया है। 21 नवम्बर, 1996 को महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया कि महिला सहकारी समितियों और उपभोक्ता सहकारी समितियों को बयाना राशि जमा करने से छूट प्रदान की जाए। इस पर भी सहमति प्रदान कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.11.1996 के फैक्स में इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारतीय खाद्य निगम ने उसके कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया है जिससे महाराष्ट्र में गेहूं का सुचारू वितरण हो सकेगा।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सैनानियों को सुविधाएं

3533. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन निर्धारित पात्रता मापदण्डों को पूरा करने वाले स्वाधीनता सेनानी, पेंशन के अलावा निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार हैं :-

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को और उनकी विधवाओं/परिचारकों को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी) की सुविधा। (अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां, इस लाभ की हकदार नहीं हैं।)

(ख) केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा भी दी गई है।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में उनके नाम या उनके आश्रितों में से किसी-के नाम कोई निजी मकान/फ्लैट न होने पर दिल्ली में डाक्टरी इलाज कराने के प्रयोजन हेतु अखिल भारतीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में सामान्य पूल के रिहायशी आवास की सुविधा दी जाती है। (मृत स्वाधीनता सेनानी पेंशनर के आश्रित, इस लाभ के हकदार नहीं है।)

(घ) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, के लिए बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास की सुविधा। (मृत स्वाधीनता सेनानी पेंशनर के आश्रित, इस लाभ के हकदार नहीं हैं।)

(ङ) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिभारों के बिना और मात्र आधे किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

कुछ राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने भी, उनके खुद के द्वारा अपनाए गए मापदण्डों के अनुरूप स्वाधीनता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन लाभ तथा कुछ अन्य सुविधाओं का प्रावधान किया है। ये मापदण्ड राज्य दर राज्य, भिन्न-भिन्न हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा

3534. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **गृह मंत्री** 10 जुलाई 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो न्यायालय के निर्णय की तारीख तथा इसे प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को थाना प्रभारी के खिलाफ और शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। सीमापुरी के तत्कालीन थाना प्रभारी तथा इस मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) से (च). उक्त अधिकारी जब तक दिल्ली में थाना प्रभारी के रूप में तैनात रहा, उस अवधि के दौरान उसके खिलाफ दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उनकी जांच-पडताल की गई थी लेकिन इन दोनों शिकायतों में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो सके थे।

[अनुवाद]

वनरोपण

3535. **श्री भीम प्रसाद दाहाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1996-97 के दौरान अब तक सिक्किम को वन रोपण तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित भूमि उपयोग संबंधी योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) इस प्रकार के केन्द्र द्वारा प्रायोजित वन रोपण योजनाओं में कुल कितने क्षेत्र शामिल हैं;

(ग) क्या जहां ऐसी योजनाओं पर कार्य चल रहा है वहां कोई केन्द्रीय दल कभी दौरे पर गया था;

(घ) यदि हां, तो उस दल की रिपोर्ट/टिप्पणी क्या है; और

(ङ) उन टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

पशुओं के अधिकार

3536. **जस्टिस गुमान मल लोढा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय पशु अधिकार लीग द्वारा 1978 में बनाए गए पशु अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का इसे स्वीकार करने और इसे पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम का हिस्सा बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संविधान के अनुच्छेद 51क में वर्णित प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्त्तव्यों में बताया गया है कि सभी सजीव जीवों के प्रति दयाभाव रखी जाए और वनों, झीलों तथा वन्यजीव आदि जैसी प्राकृतिक परिसम्पतियों की सुरक्षा की जाए। सरकार ने जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 अधिनियमित किया है और भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। तथापि सरकार का मत है कि जीवजन्तुओं के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से अब तक कोई प्रभावी समाधान नहीं होगा जब तक कि जनजागरूकता न बढ़े। राष्ट्रीय सरकार/संघ प्रशासन द्वारा लोगों, विशेषकर बच्चों में जीवों के प्रति दया के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जीव जन्तु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कार्य को करती रहेगी।

पूर्वोत्तर विभाग की स्थापना

3537. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एक "पूर्वोत्तर विभाग" स्थापित करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु इस प्रकार का एक केन्द्रीय विभाग स्थापित करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। गृह मंत्रालय में पहले से ही एक प्रभाग है जो केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी विषय ही देखता है। स्वयं प्रधान मंत्री जी इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों में गहरी रूचि ले रहे हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय में पूर्वोत्तर हेतु एक प्रकोष्ठ सृजित किया गया है। यह प्रकोष्ठ, प्रधान मंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के बारे में घोषित की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन का प्रबोधन और समन्वय करेगा।

(ख) और (ग). ऊपर (क) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). ऊपर (क) पर किए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-ओमान संयुक्त उर्वरक संयंत्र

3538. **श्री जी.एम. बनातवाला :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारत-ओमान संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप दिया गया है अथवा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम में सम्मिलित पक्षों, उर्वरक की उत्पादन मात्रा और किस्म तथा इसकी लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हुए समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह संयुक्त उद्यम समझौता कब तक लागू हो जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). ओमान में प्रतिदिन 3500 टन अमोनिया तथा 4400 टन यूरिया क्षमता की एक परियोजना स्थापित करने हेतु एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार/कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको)/ राष्ट्रीय कैमिकल्क एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ) व सल्तनत आफ ओमन सरकार/ ओमान आयल कम्पनी द्वारा 30 जुलाई, 94 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण हो गई है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट में परियोजना लागत, वित्त पोषण प्रभारों, सहित, 1106 मिलियन अमरीकी डालर अनुमानित की गई है। संयुक्त उद्यम करार तथा अन्य परियोजना करारों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला है।

पुरूलिया में हथियारों का गिराया जाना

3539. **डा. अमृत लाल भारती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 13 नवम्बर, 1996 को पुरूलिया में दो और ए.के.-56 राइफल तथा एक राकेट लांचर जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वास्तविक दोषियों की पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसने 13 नवम्बर, 1996 को पुरूलिया में कोई ए.के. 56 राइफल तथा राकेट लांचर बरामद नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धरती पुत्र कल्याण योजना

3540. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "धरती पुत्र कल्याण योजना" के अंतर्गत चुने गए राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इस योजना को क्रियान्वित कर लिया गया है;

(ख) क्या बिहार राज्य सरकार द्वारा "धरती पुत्र कल्याण योजना" के अंतर्गत कई प्रस्ताव इसके हेतु आवश्यक धनराशि सहित प्रस्तुत किये गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिर पर मैला ढोना

3541. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन किए जाने की मांग की है;

(ख) किन-किन राज्यों में यह प्रथा प्रचलित है; और

(ग) इन राज्यों में इस प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) केवल केरल तथा पांडिचेरी को पूर्ण रूप से सिर पर मैला ढोने की प्रथा मुक्त घोषित किया गया है। अन्य सभी राज्यों में सिर पर मैला ढोने की समस्या किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

(ग) "सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को मुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना" हाथ में मल तथा मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 22 मार्च, 1992 को शुरू की गई। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित है :-

1. सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की पहचान के लिए तीव्र सर्वेक्षण तथा वैकल्पिक पेशों के लिए उनकी अभिरूचि;
2. सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को प्रशिक्षण;
3. निर्धारित वित्त पोषण पैटर्न वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से पुनर्वास।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थानीय निकायों के माध्यम से शुष्क शौचालयों में परिवर्तित करने संबंधी कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

बालिकाओं के साथ बलात्कार

3542. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामलों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामले में पीड़ितों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) बच्चों के विरूद्ध ऐसे अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बच्चों के गलत प्रयोग के विभिन्न तरीकों को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत शुरू की गयी एक प्रमुख गतिविधि अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक स्पेशल स्कूल की स्थापना करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अतिरिक्त आहार छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य की देख-रेख आदि। बाल-मजदूरी के उन्मूलन के लिए श्रम मंत्री की अध्यक्षता में, एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय की स्थापना की गयी है। बाल वेश्याओं के पुनर्वास में मदद देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक अन्तर्ग्रस्त किया जा रहा है। बाल कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही कुछ अन्य स्कीमें हैं : किशोरी कन्या स्कीम, दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र/क्रेच, विमुक्त किए गए बच्चों के लिए रिहायशी स्कूल।

विवरण

बाल बलात्कार के शिकार (1992 से 1994)

	आयु वर्ग	
	10 वर्षों से कम	10-16 वर्षों के बीच
1992	532	2581
1993	634	2759
1994	727	3259
1992 की तुलना में, 1993 में हुए परिवर्तन का प्रतिशत	19.17%	6.89%
1993 की तुलना में, 1994 में हुए परिवर्तन का प्रतिशत	14.66%	18.12%

गोदामों का उपयोग

3543. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण क्षमता की भारी कमी के बावजूद सरकार केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य भण्डागार निगम के गोदामों का पूर्ण उपयोग करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य भण्डागार निगम की कितनी कितनी क्षमता का उपयोग किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). जी, नहीं। फिलहाल भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता 235.46 लाख टन है और इसकी उपयोगिता केवल 5। प्रतिशत है। अतः फिलहाल भारतीय खाद्य निगम की मैक्रो स्तर पर भण्डारण क्षमता पर्याप्त है।

[हिन्दी]

गन्ने की खरीद

3544. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू चीनी मौसम (1996-97) के दौरान देश में राज्यवार किसानों को गन्ने की फसल हेतु राज्य सरकारों द्वारा कितने खरीद मूल्य का भुगतान किया जा रहा है और केन्द्र सरकार द्वारा कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) गत वर्ष चीनी के मौसम, (1995-96) के दौरान राज्यवार कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया तथा तत्संबंधी मांग और पूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा देश में चीनी का बफर भंडार कितना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार खरीदी गई मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी मूल्य क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चालू चीनी मौसम 1996-97 के लिए गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य उपलब्ध नहीं हैं। 1996-97 चीनी मौसम के लिए न्यूनतम सांविधिक मूल्य की अग्रिम घोषणा 11.3.1996 को 45.90 रु. प्र. क्विंटल की दर पर, जो 8.5 प्रतिशत की मूल प्राप्ति से जुड़ा है, कर दी गई है।

(ख) 1995-96 मौसम के दौरान चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न हैं। आशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1991 की जनगणना की जनसंख्या आकड़ों के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता के समान मानदंड पर किया जा रहा है, जो 1.1.1996 से प्रभावी है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वहां विशेष परिस्थितियां होने के कारण लेवी चीनी का आबंटन उच्चतर दर पर किये जाने की अनुमति दी जा रही है। 30.9.1996 तक फैक्ट्रियों के पास लगभग 8। लाख टन देशी चीनी का स्टॉक था। 10.1.1996 से एक वर्ष की अवधि के लिए बनाए गए 5 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक को और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तथा 5 लाख टन चीनी का एक अतिरिक्त बफर स्टॉक । वर्ष के लिए बनाया गया है।

(ग) 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के मौसमों के दौरान खरीदे गए गन्ने की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण-II संलग्न है। गन्ने का केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक मूल्य तथा वास्तव में भुगतान किया गया मूल्य दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

मौसम 1995-96 के दौरान चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	चीनी उत्पादन (लाख टन में)
1.	पंजाब	6.32
2.	हरियाणा	4.54
3.	राजस्थान	0.31
4.	उ.प्र.	43.60
5.	मध्य प्रदेश	1.29
6.	गुजरात	11.26
7.	महाराष्ट्र	53.76
8.	बिहार	3.79
9.	असम	0.07
10.	उड़ीसा	0.82
11.	पश्चिम बंगाल	0.08
12.	नागालैंड	0.01
13.	आंध्र प्रदेश	8.66
14.	कर्नाटक	12.67
15.	तमिलनाडु	16.22
16.	पांडिचेरी	0.57
17.	केरल	0.13
18.	गोवा	0.19
	समस्त भारत	164.29

विवरण-II

तीन मौसमों 1993-94, 1994-95, तथा 1995-96 के दौरान चीनी मिलों द्वारा खरीदे गए गन्ने की मात्रा को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण

खरीदे गए गन्ने की मात्रा

(लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मौसम 1993-94	मौसम 1994-95	मौसम 1995-96
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	348.84	330.09	641.88
2.	हरियाणा	302.19	352.42	510.14
3.	राजस्थान	16.68	19.13	33.54
4.	प. उत्तर प्रदेश	994.55	1195.49	1638.73
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1126.84	1526.85	2026.81
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	659.05	974.83	939.94
7.	मध्य प्रदेश	38.67	53.94	99.55
8.	दक्षिण गुजरात	683.21	570.23	936.48
9.	सौराष्ट्र	53.94	40.22	98.26
10.	दक्षिण महाराष्ट्र	995.61	1313.73	2603.19
11.	उत्तर महाराष्ट्र	388.34	984.28	804.24
12.	मध्य महाराष्ट्र	955.82	1751.58	1836.61
13.	उत्तर बिहार	282.04	391.46	402.77
14.	दक्षिण बिहार	0.01	–	–
15.	असम	6.19	8.29	8.08
16.	आंध्र प्रदेश	631.85	883.05	780.55
17.	कर्नाटक	754.23	1085.59	1087.31
18.	तमिलनाडु	1163.64	2117.52	1663.72
19.	केरल	4.71	5.54	2.34
20.	उड़ीसा	26.31	50.45	75.57
21.	पश्चिम बंगाल	6.36	9.63	12.24
22.	नागालैंड	1.79	–	–
23.	पांडिचेरी	40.77	70.95	65.01
24.	गोवा	8.46	16.62	19.03
	समस्त भारत	9490.10	13751.89	16285.99

विवरण-III

देश के विभिन्न राज्यों में फैक्टिरयों द्वारा भुगतान किया गया मूल्य तथा न्यूनतम गन्ना मूल्य की सीमा दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1990-91 (अनं.)		1991-92 (अनं.)		1992-93 (अनं.)		1993-94 (अनं.)		1994-95 (अनं.)		1995-96 (अनं.)	
	न्यून. अधि-सूचित	भुग. किया मूल्य	न्यून. अधि-सूचित	भुग. किया मूल्य	न्यून. अधि-सूचित	भुग. किया मूल्य	न्यून. अधि-सूचित	भुग. किया मूल्य	न्यून. अधि-सूचित	भुग. किया मूल्य	न्यून. अधि-सूचित	भुग. किया मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तर प्रदेश	23.00 से 34.62	41.00 से 44.00	26.00 से 32.12	45.00 से 48.00	31.00 से 38.66	46.00 से 49.00	34.50 से 43.84	58.00 से 61.00	39.10 से 48.40	66.00 से 70.00	42.50 से 53.30	70.00 से 74.00
बिहार	23.00 से 27.06	41.50 से 44.50	26.00 से 32.12	41.50 से 44.50	31.00 से 37.20	45.00 से 49.00	34.50 से 41.81	53.50 से 56.50	39.10 से 47.20	66.00 से 70.00	42.50 से 52.76	71.00 से 75.00
पंजाब	23.00 से 27.60	42.00 से 46.00	26.00 से 29.98	45.00 से 49.00	31.00 से 36.11	46.00 से 50.00	34.50 से 40.99	58.00 से 62.00	39.10 से 47.80	68.00 से 72.00	42.50 से 50.60	73.00 से 77.00
हरियाणा	24.89 से 28.68	41.00 से 46.00	26.00 से 31.20	45.00 से 54.00	31.00 से 38.66	46.00 से 50.00	34.91 से 43.02	56.00 से 60.00	39.10 से 47.20	66.00 से 70.00	42.50 से 48.98	70.00 से 75.00
असम	23.00	29.50 से 32.75	26.00 से 26.31	35.23 से 38.00	31.00 से 31.36	38.25 से 45.00	34.50 से 35.31	40.00 से 45.00	39.10	46.00 से 53.00	42.50	उ.न.
पश्चिम बंगाल	23.00	45.00	26.00 से 48.72	41.00	31.00 से 45.00	34.90	34.50 से 50.00	34.50	39.10	58.00	42.50	67.00
उड़ीसा	23.00 से 26.25	30.00 से 40.00	27.22 से 28.75	45.00	32.82 से 35.38	33.55 से 45.00	34.91 से 40.18	49.88 से 50.00	39.10 से 44.16	44.16 से 60.00	42.50 से 47.90	उ.न.
मध्य प्रदेश	23.00 से 27.87	40.00 से 42.00	28.75 से 32.73	41.00 से 43.00	34.28 से 39.02	40.00 से 56.89	39.37 से 43.43	53.00 से 60.00	39.10 से 47.20	66.00 से 72.00	44.12 से 54.22	उ.न.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	25.71 से 25.90	40.00 से 42.00	26.00 से 27.84	42.50 से 46.86	31.73 से 35.01	40.50 से 50.00	37.34 से 40.59	50.00 से 54.00	39.10 से 41.40	57.00 से 66.00	44.12 से 48.44	64.00 से 67.00
महाराष्ट्र	23.00 से 34.36	26.00* से 53.00	26.00 से 38.54	29.00 से 52.50	33.92 से 47.41	31.00* से 49.65	34.50 से 53.17	36.00 से 61.00	35.00 से 66.40	46.00 से 66.00	42.50 से 68.96	45.00 से 46.00
गुजरात	23.00 से 33.01	22.00* से 33.00	26.00 से 37.93	27.00 से 60.00	31.00 से 45.22	38.00* से 71.90	34.50 से 49.92	31.00 से 50.00	39.10 से 59.80	50.00 से 73.00	42.50 से 65.92	43.50
आंध्र प्रदेश	23.00 से 30.85	27.50 से 36.53	26.00 से 33.95	31.51 से 40.59	31.00 से 41.21	36.47 से 58.32	34.91 से 46.27	39.37 से 56.33	39.10 से 53.80	46.00 से 62.15	42.50 से 58.16	48.66 से 60.00
तमिलनाडु	23.00 से 28.95	30.10 से 36.25	26.31 से 31.51	29.06 से 35.00	32.46 से 39.02	35.26 से 45.71	34.50 से 42.21	36.35 से 55.11	39.56 से 47.20	42.78 से 63.37	44.66 से 54.38	44.50 से 65.88
कर्नाटक	24.08 से 30.85	36.00 से 39.00	26.00 से 37.32	30.89 से 45.00	31.00 से 46.32	35.01 से 61.00	34.50 से 52.76	45.00 से 65.00	39.10 से 63.40	60.00 से 70.00	42.50 से 67.34	58.00 से 72.00
केरल	23.00 से 25.44	33.50 से 34.00	26.00 से 27.53	36.00	31.00 से 31.73	38.00 से 42.50	34.50 से 36.12	उ.न.	39.10	50.00	42.50 से 45.74	उ.न.
पांडिचेरी	24.89 से 26.79	26.79 से 31.60	26.96 से 29.06	29.06 से 31.50	34.65 से 35.38	34.65 से 41.40	39.37 से 54.53	39.37 से 54.53	40.02 से 45.08	40.02 से 60.53	44.66 से 48.44	44.50
नागालैंड	23.00	उ.न.	26.00	उ.न.	31.00	38.00	34.50	46.00	39.10	50.60	47.50	उ.न.
गोवा	23.81	40.50	26.00	45.00*	38.29	42.00	39.37	40.00	41.40 से 50.00	75.00	48.44	75.00

उ.न. सूचित नहीं किया गया।

* खेत बाह्य भुगतान किया गया मूल्य।

[अनुवाद]

नकदी फसलों की नई किस्में

3345. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में नकदी फसलों के बीजों की नई किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नए बीजों को किन-किन राज्यों में उपयोग में लाया गया है; और

(घ) इनसे क्या नतीजे हासिल होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कपास की किस्म -"पूसा बी-6" की पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पछेती बुवाई के लिए पहचान की गई है।

अंगूर की संकर किस्म "पूसा नवरंग" उत्तरी भारत के लिए विकसित की गई है। यह रस व रंगीन शराब तैयार करने के लिए उत्तम है।

भिन्डी की किस्म "ओकरा ए-4" जो कि पीली चित्ती वाले विषाणु की प्रतिरोधी किस्म है, पूरे देश में उगाए जाने के लिए जारी की गई है।

ग्लेडियोली की चार किस्में अर्थात् "नीलम", सूर्यकिरण, धन्वंतरी व संगरवाणी तथा गुलाब की पांच किस्में अर्थात् मदर टेरेसा, नेहरू सेंटेनरी, डॉ. एस. एस. भटनागर, लहर तथा चित्रा जारी की गई हैं।

(घ) उपरोक्त किस्में इन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होंगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उच्च लाभ प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आवास

3546. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेघर वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय प्लाट/आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या इंडियन नेशनल आर्मी के बेघर स्वतंत्रता संनानियों को आवासीय प्लाट/आवास आवंटन के लिए अनुरोध लंम्बित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) बेघर वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय प्लाट/आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने न तो कोई योजना तैयार की है और न ही ऐसा कोई इरादा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातियों की भूमि

3547. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय जिलों में अलग-थलग जनजातीय भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से उड़ीसा को कथित अलग-अलग जनजातीय भूमि के संबंध में सूचना देने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय तथा राज्य द्वारा जनजातीय भूमि की हाथ से चले जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि के हस्तान्तरण को रोकने तथा अनुसूचित जनजातियों की हस्तान्तरित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए "उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र सचल सम्पत्ति अन्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियमन, 1996" नामक विधायन अधिनियमित किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना उड़ीसा सरकार तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय, जो भारत सरकार में भूमि बहाली तथा भूमि के हस्तान्तरण के लिए नोडल मंत्रालय है, से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"क्रीमी लेयर" का निर्धारण

3548. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल आयोग के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1993 में जारी कार्यालय ज्ञापन में निहित निदेशों/दिशानिर्देशों को सभी राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत सरकार द्वारा इन आदेशों को क्रियान्वित नहीं करने वाले राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा संघ की सेवाओं के संबंध में "क्रीमी लेयर" के निर्धारण पर क्या कार्यवाही की गयी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्र सरकार ने कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.1993 को संघ की सेवाओं के अंतर्गत क्रीमी लेयर (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित अनुसरण किए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों का निर्धारण किया है।

सीमा निर्धारण

3549. श्री विजय पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बंगलादेश की सीमा वास्तविक रूप से कई स्थानों पर निर्धारित नहीं की गई है जिससे दोनों देशों के नागरिकों की एक दूसरे देश में बेरोकटोक आवाजाही रहती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सीमा पर अवैध आवाजाही को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। भारत-बंगलादेश सीमा पर 2784 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने और 896 कि.मी. में बाड़ लगाने की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। अक्तूबर, 1996 तक 1671.73 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य और 632.84 किलोमीटर बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(घ) भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि तथा तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त तेज करना, सीमा सड़कों तथा बाड़ का निर्माण करने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि करना, तथा निगरानी उपकरण उपलब्ध कराना, इत्यादि शामिल हैं। इस मामले को विभिन्न अवसरों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप में की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा वापस भेजे गए बंगलादेशी राष्ट्रिकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1995	22,110
1996	12,486
1996 (अक्तूबर तक)	8,216

[हिन्दी]

तिब्बत के शरणार्थी

3550. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत के शरणार्थियों के राशन कार्ड तथा फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें वोट देने तथा भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार है;

(ङ) यदि हां, तो वे इसके लिए किस तिथि तक तथा किस प्रकार योग्य हो जाएंगे;

(च) उन्हें उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता/सुरक्षा के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) उन पर वर्षवार कितना खर्च हुआ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तथापि, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) तिब्बती शरणार्थियों को कृषि एवं हस्तशिल्प संबंधी विभिन्न योजनाओं के अधीन पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है।

(छ) वर्ष 1992-93 तक 1616.23 लाख रुपये की राशि तिब्बती शरणार्थियों पर खर्च की गई थी। इसके बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित खर्च किया गया :

वर्ष	खर्चे की राशि
1993-94	शून्य
1994-95	30 लाख रुपये
1995-96	34.32 लाख रुपये

[अनुवाद]

तम्बाकू की खेती

3551. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के तुलना में इस समय राज्यवार और वर्षवार कुल कितने क्षेत्रफल में तम्बाकू की खेती होती है; और

(ख) सरकार ने तम्बाकू की उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1993-94, 1994-95, और 1995-96 के दौरान तम्बाकू की खेती के अन्तर्गत आने वाले राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस समय सरकार देश में तम्बाकू के विकास के लिए कोई योजना नहीं चला रही है। हालांकि, उत्पादकता में वृद्धि लाने की दृष्टि से उन्नत विधियों को अपनाने के लिए शत-प्रतिशत आधार पर बीड़ी तम्बाकू के शुद्ध बीजों और पौधों के वितरण के लिए दो नान-प्लान योजनाएं चलाई जा रही हैं।

विवरण

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान तम्बाकू के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार अनुमान

(हजार हैक्टेयर)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
	1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	149.1	130.5	134.3
2.	असम	1.8	1.7	1.6
3.	बिहार	13.9	14.9	17.1
4	गुजरात	96.7	113.4	121.8
	हिमाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1
6.	जम्मू और कश्मीर	0.2	0.0	0.0
7.	कर्नाटक	61.2	59.4	58.3
8.	केरल	0.1	0.2	0.2
9.	मध्य प्रदेश	0.7	0.6	0.6
10.	महाराष्ट्र	9.5	9.8	9.4
11.	मेघालय	0.8	0.8	0.8
12.	मिजोरम	1.0	1.0	0.5
	उड़ीसा	10.0	10.3	9.2
14.	राजस्थान	1.4	1.7	1.3
15.	तमिलनाडु	9.2	7.2	6.2
16.	त्रिपुरा	0.5	0.5	0.4
17.	उत्तर प्रदेश	16.6	16.7	18.5
18.	पश्चिम बंगाल	12.0	12.6	12.6
	समस्त भारत	384.8	381.4	392.9

पुलिस बल की तैनाती

3552. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 दिसम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "ट्रेफिक पुलिस केप्ट आन टोज फार वी आई पी ड्यूटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार वी आई पी ड्यूटी के लिए केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल अथवा किसी अन्य बल की सेवाओं का उपयोग करने का है ताकि दिल्ली यातायात पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार दिल्ली में दुर्घटना रहित यातायात का निर्बाध आवागमन किस प्रकार से सुनिश्चित करने का है;

(ङ) क्या नई दिल्ली क्षेत्र के यातायात बहुल क्षेत्रों में वाहनों की भारी भीड़ होती है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन यातायात बहुल क्षेत्रों के आस-पास निर्बाध एवं सुचारू यातायात को किस तरह से सुनिश्चित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। चीन के राष्ट्रपति सहित अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के संबंध में 30 नवम्बर, 1996 को दिल्ली पुलिस को यातायात कर्मचारियों को भारी तादाद में तैनात करना पड़ा था।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्। अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिक यातायात के प्रबन्ध में प्रशिक्षित नहीं हैं। दिल्ली पुलिस को यातायात यूनिट को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में 1102 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रंगरूट इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ङ) और (च). जी हां, श्रीमान्। यातायात बहुल क्षेत्रों में यातायात के सुचारू आवागमन के लिए यातायात प्रबन्ध और विनियमन के लिए एक भली-भांति प्रतिपादित कार्य योजना है।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोचिंग

3553. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए नई मुफ्त कोचिंग/ट्यूटोरियल कक्षाएं शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता की परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय सहायता से विभिन्न स्थानों पर चलाई जा रही मुफ्त कोचिंग कक्षाओं का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ). जी, हां। राज्य सरकार ने 130 लाख रुपए की अनुमानित लागत के 16 नए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा 16 व्यवसाय मार्गदर्शन केन्द्र (कॅरियर गाइडेन्स सेन्टर) के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। पाठ्यक्रमों के प्रकार, कोचिंग प्रदान किए जाने वाले छात्रों की संख्या संबंधी कोई ब्यौरे आगे कार्रवाई करने के लिए नहीं भेजे गए हैं। तथापि, यह मंत्रालय इसी प्रयोजन के लिए राज्य में नागार्जुन विश्वविद्यालय को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राज्य में राज्य द्वारा चलाए जा रहे परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र को केन्द्रीय सहायता पहले ही प्रदान कर रहा है।

(ङ) कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित कोचिंग केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र का नाम/स्थान
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश स्टडी सर्किल, हैदराबाद
2.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आदिवासी सांस्कृतिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद
3.	श्री कृष्ण देवराय शैक्षिक विकास संस्थान, अनन्तपुर
4.	असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज, गुवाहाटी
5.	परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पटना
6.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, दड़भंगा
7.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अहमदाबाद
8.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, सूरत
9.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बरोदा
10.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, गांधी नगर
11.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, राजकोट
12.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरागनगर, बंगलौर
13.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, एस.आर. नगर, बंगलौर
14.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, त्रिवेन्द्रम
15.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, पूना
16.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इम्फाल
17.	अखिल भारतीय परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, शिलांग
18.	आदिवासी तथा हरिजन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, बी बी एस आर, उड़ीसा।
19.	उड़ीसा में, विश्वविद्यालयों में रोजगार निदेशक के माध्यम से
20.	डॉ. भीम राव अम्बेडकर भा.प्र.से. संस्थान जयपुर
21.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, चेन्नई
22.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, मदुरै
23.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, अगरतला
24.	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, मोहाली
25.	इन्स्टीट्यूट ऑफ मार्डन मैनेजमेंट लंदन स्ट्रीट, कलकत्ता
26.	राउज आई.ए.एस. स्टडी सर्किल, 10/44 हेली रोड, दिल्ली
27.	मोती लाल नेहरू इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद
28.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
29.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
30.	देवी अहिल्या कालेज, इन्दौर
31.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय
32.	नागपुर विश्वविद्यालय
33.	पंजाब विश्वविद्यालय
34.	गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर
35.	कर्नाटक विश्वविद्यालय
36.	अरूणाचल विश्वविद्यालय
37.	नागार्जुन विश्वविद्यालय

बंद पड़े आटा मिलों को गेहूं की आपूर्ति

3554. श्री ए. सम्पथ : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि 1995-96 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की बहुत सी मात्रा वैसी निजी रोलर आटा मिलों को दी गई थी जो बहुत पहले से बंद पड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन रोलर फ्लोर मिलों, आटा चक्कियों, व्यापारियों, सहकारी समितियों आदि सहित सभी को गेहूं बेचता है। गेहूं की खुली बिक्री की प्रक्रिया की समीक्षा की गई थी और दिनांक 26.8.1996 को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तीन सदस्यीय क्षेत्रीय समिति द्वारा खरीदारों का चयन किया जाना शामिल है।

भारतीय खाद्य निगम को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि दो सौ टन गेहूं कालीकट में मैसर्स खेमका रोलर फ्लोर मिल के लिए जारी किया गया था, जो 1992 से बंद पड़ी हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है।

भारत-म्यांमार सीमा पर इमारती लकड़ी की तस्करी

3555. श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राइफल्स तथा सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा बलों द्वारा सीमा पर निगरानी रखने के बावजूद भारत-म्यांमार सीमा पर इमारती लकड़ियों की तस्करी चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). भारत-म्यांमार सीमा पर इमारती लकड़ी की तस्करी किए जाने की कतिपय घटनायें सूचित की गयी हैं। असम राईफल्स और सीमा सुरक्षा बल, सेना के आपरेशनल नियंत्रण में, भारत-म्यांमार सीमा पर निगरानी रखती है। भारत-म्यांमार सीमा पर तस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. नौकाओं और गश्त में बढ़ौतरी करके सतर्कता बढ़ायी गयी है।
2. सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के लिए दूरबीनें, चश्में, ट्विन-टेलिस्कोप, नाईट विजन दूरबीनें और हैंड हेल्ड सर्च लाईटें उपलब्ध करायी गयी हैं।

असम में पर्यावरणीय परियोजनाएं

3556. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष असम में कितनी केन्द्र प्रायोजित पर्यावरणीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी सहायता धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) राज्य में निकट भविष्य में शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में केन्द्रीय सहायता प्राप्त शुरू की गई पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाओं तथा भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों सहित उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) उपरोक्त सभी जारी परियोजनाओं के भविष्य में जारी रहने की आशा है।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	संक्षिप्त विषय	निधियन सीमा	स्थिति	पिछले तीन वर्षों 1993-94, 1994-95, तथा 1995-96 के दौरान उपलब्धि	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाघ परियोजना	बाघों की उपयुक्त आबादी के अनुरक्षण कोष निश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	134.35	1 बाघ रिजर्व शामिल
2.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के चारों ओर रहने वाले समुदायों की वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रदान करना	100% अना. 50% आवर्ती	जारी	11.25	1 बाघ रिजर्व कवर
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास	100%	जारी	103.97	2 राष्ट्रीय उद्यान तथा 9 अभ्यारण्य कवर
4.	हाथी परियोजना	हाथियों की सक्षम आबादी सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आ.	जारी	54.15	लक्ष्य वित्तीय बंटनों में निर्धारित
5.	जीवमंडल रिजर्व	संबंधित पारि-प्रणाली की आनुवंशिक विविधता के	100%	जारी	13.45	1 क्षेत्र शामिल
6.	नमभूमियों का संरक्षण	नमभूमि की सुरक्षा और पुनरूद्धार	100%	जारी	9.20	1क्षेत्र शामिल
7.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों का उन्नयन	100%	जारी	20.22	1 चिड़ियाघर शामिल
8.	बीच विकास स्कीम	गुणवत्ता बीजों के लिए अवसंरचना का विकास	100%	जारी	28.35	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित
9.	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वनोपज	औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वनोपज उगाना।	100%	जारी	24.52	150 हेक्टेयर
10.	एकीकृत वनीकरण तथा पारि-विकास स्कीम।	वनीकरण और पारि-विकास संवर्धन	100%	जारी	82.00	उपलब्ध नहीं
11.	क्षेत्रोंन्मुख जलाऊ लकड़ी व चारा परियोजना स्कीम।	अभि निर्धारित जलाऊ लकड़ी की कमी वाले क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी और चारे की आपूर्ति का संवर्धन।	50%	जारी	348.85	8500 हेक्टेयर

आपातकालीन पीड़ितों को सुविधाएं

3557. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1975-77 के आपातकालीन स्थिति के दौरान निरूद्ध किए गये व्यक्तियों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के समकक्ष सुविधाएं/रियायतें देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार संचार माध्यमों से जुडे लोगों तथा आपातकाल के दौरान कष्ट उठाने वाले लोगों के आश्रितों का पुनर्वास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित पैकेज, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को, स्वाधीनता के संघर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए अमूल्य योगदान के सम्मानार्थ, प्रतीक रूप में कुछ सुविधाएं/रियायतें प्रदान की हैं। पैकेज के रूप में ये सुविधाएं/रियायतें, दूसरों को देना, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना की भावना के विरूद्ध होगा।

राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम

3558. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उडीसा में 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को लिया गया है;

(ख) क्या सरकार का आगामी वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा के सूखाग्रस्त जिलों में अधिक क्षेत्र में दालों की खेती करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके कितना बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आठवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए प्रत्येक राज्य, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है, के राज्यवार क्षेत्रों/जिलों का संलग्न विवरण-I से III पर दिया गया है।

(ख) से (घ). खासकर गैर परंपरागत तरीकों जैसे अंतर्फसलन, बहु-फसलन, कैच क्रॉपिंग आदि के जरिए उड़ीसा के सूखा प्रभावित जिलों सहित दालों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गैर परंपरागत तरीकों से दालों के अधीन क्षेत्र विस्तार का उद्देश्य मुख्य रूप से कुल क्षेत्र कवरेज को स्थिर करना है क्योंकि जब कभी भी इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, इन्हें लाभप्रद फसल में बदल दिया जाता है। दलहनों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार की कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. कदन्न, कपास, गन्ना आदि की फसल के बीच अरहर, उड़द, मूंग, सफेद चनों की फसल उगाना।
2. चावल के बाद खाली भूमि में अलसी, उड़द, मूंग की खेती का प्रचार
3. सिंचित क्षेत्रों में रबी फसलों की कटाई के बाद बसन्त/ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती का प्रचार।

विवरण-I

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) के तहत कवर किए गए जिलों/क्षेत्रों का विवरण

क्र.सं.	आन्ध्र प्रदेश	बिहार	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक
1	2	3	4	5	6
1.	आदिलाबाद	भागलपुर	अहमदाबाद	भिवानी	बिदर
2.	अनन्तपुर	दरभंगा	अमरेली	हिसार	बीजापुर
3.	चित्तूर	गुमला	बनासकांठा	सिरसा	बंगलौर शहरी
4.	कुडप्पाह	गया	बड़ौदा		बंगलौर ग्रामीण
5.	पूर्वी गोदावरी	कटिहार	भरूच		बेलगाम
6.	गुन्टूर	मुजफ्फरपुर	भावनगर		बेल्लारी

1	2	3	4	5	6
7.	करीमनगर	मधुबनी	जामनगर		चित्रदुर्गा
8.	खम्माम	पूर्णिया	जूनागढ़		चिकमंगलूर
9.	कृष्णा	पटना	खेड़ा		धारवाड़
10.	कुरनूल	रोहतास	कच्छ-भुज		दक्षिण कन्नड़
11.	मेडक	रांची	मेहसाणा		गुलबर्गा
12.	महबूबनगर	सहरसा	राजकोट		हसन
13.	नालगोण्डा	समस्तीपुर	पंचमहल		कोलार
14.	नेल्लौर	वैशाली	साबरकांठा		मैसूर
15.	निजामाबाद		सूरत		माण्डॅया
16.	प्रकाशम		सुरेन्द्रनगर		रायचूर
17.	रंगारेड्डी				शिमोगा
18.	श्रीकाकुलम				टुमकूर
19.	विशाखापट्नम				उत्तर कन्नड़
20.	विजयनगरम्				
21.	वारंगल				
22.	पश्चिमी गोदावरी				

विवरण–II

क्र.सं.	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान
1	2	3	4	5	6
1.	बिलासपुर	औरंगाबाद	बालासौर	फरीदकोट	अलवर
2.	भिण्ड	अकोला	बोलानगरीर	लुधियाना	अजमेर
3.	बस्तर	अमरावती	कटक	रोपड	भरतपुर
4.	भोपाल	अहमदनगर	ढेंकानल		भीलवाडा
5.	बालाघाट	बीड	गन्जम		बून्दी
6.	छिंदवाडा	बुड्डानाज	क्योंझर		बांसवाड़ा
7.	छतरपुर	भण्डारा	कोरापुट		बाढमेर
8.	दुर्ग	चंद्रपुर	कालाहाण्डी		बरान
9.	दमोह	धुले	मयूरभंज		चुरू
10.	धार	जलगांव	पुरी		चित्तौड़
11.	दतिया	जालना	फुलबनी		दौसा
12.	देवास	लातूर	सम्बलपुर		गंगानगर

1	2	3	4	5	6
13.	गुना	नागपुर	सुदंरगढ़		झुरझुनु
14.	ग्वालियर	नान्देड़			जयपुर
15.	होशंगावाद	नासिक			झालावाड
16.	इंदौर	उस्मानाबाद			जोधपुर
17.	जबलपुर	परभनी			कोटा
18.	खरगोन	पुणे			नागौर
19.	झाबुआ	शोलापुर			सिल
20.	खण्डवा	सांगली			सवाई माधोपुर
21.	मंदसौर	सतारा			टोंक
22.	माण्डला	वर्धा			उदयपुर
23.	मुरैना	यवतमाल			दुर्गापुर
24.	नरसिंहपुर	कोल्हापुर			
25.	पन्ना				
26.	रायसेन				
27.	रायगढ़				
28.	रीवा				
29.	राजनन्दगांव				
30.	रतलाम				
31.	रायपुर				
32.	राजगढ़				
33.	सागर				
34.	साजनपुर				
35.	शिवपुरी				
36.	सिहोर				
37.	सतना				
38.	सर्गुजा				
39.	शिवनी				
40.	सिधी				
41.	शहडोल				
42.	टिकमगढ़				
43.	उज्जैन				
44.	विदिशा				

विवरण-III

क्र.सं.	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	एक जिले के रूप में लिए गए राज्य/संघशासित प्रदेश
1.	कोयम्बटूर	इलाहाबाद	मालदा	असम
2.	चेंगई-अन्ना	आगरा	मुर्शिदाबाद	अरूणाचल प्रदेश
3.	धरमपुरी	आजमगढ़	नादिया	अंडमान व निकोबार द्वीप
4.	दिन्डीगल-अन्ना	अलीगढ़		दिल्ली
5.	कट्टा बोम्मन	बांदा		गोवा
6.	कमाराजर	बस्ती		हिमाचल प्रदेश
7.	मदुरई	बदायूं		जम्मू व कश्मीर
8.	उ. आर्किट (अम्बेथकर)	बेहराईच		केरल
9.	नागापट्टीनम-क्वेड	इटावा		मणिपुर
10.	पेरियार	एटा		मेघालय
11.	पुडुकोट्टई	फतेहपुर		नागालैंड
12.	पसुम्पोन	फिरोजाबाद		सिक्किम
13.	रामनाथपुरम	हमीरपुर		त्रिपुरा
14.	द. आर्कट (बल्कुर)	जालौन		
15.	सलेम	झांसी		
16.	तिरूचीरापल्ली	कानपुर		
17.	थन्जावुर	ललितपुर		
18.	तिरूनेलवेल्ली	मऊ		
19.	तिरूवन्नामलाई	मिर्जापुर		
20.	सम्बुवरयार	राय बरेली		
21.	वी.ओ. चिदम्प्रनार	सुल्तानपुर		
22.	द. आर्कट (बिल्लुपुरम)	शाहजहांपुर		
23.		सोनभद्र		
24.		सिद्धार्थनगर		
25.		वाराणसी		
26.		गोण्डा		
27.		हरदोई		
28.		सीतापुर		
29.		बाराबंकी		
30.		नैनीताल		
31.		पिथौरागढ़		
32.		पौड़ी गढ़वाल		
33.		महोबा		
34.		भदोई		
35.		अम्बेड़कर नगर		
36.		बलिया		
37.		गाजीपुर		
38.		फैजाबाद		
39.		उधम सिंह नगर		

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

3559. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान गुजरात के सभी जिलों के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली बीमा धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीमा दावों पर किए गए भुगतान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी बकायों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). जी, नहीं। हालांकि गुजरात के कुछ जिलों के 9.03 लाख रुपये के दावों को और जांच पड़ताल करने के लिये रोक लिया गया है क्योंकि क्रियान्वित एजेन्सी भारतीय साधारण बीमा निगम को इसमें कुछ अनियमितताओं का पता चला है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में भुगतान किये गये दावों का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं.	वर्ष	भुगतान किये गए दावे (लाख रुपये में)
1.	1992-93	`81.00
2.	1993-94	16239.76
3.	1994-95	450.84
4.	1995-96	1695.84

(घ) क्रियान्वयनकारी एजेन्सी ने गुजरात के लगभग सभी भुगतान योग्य दावों का भुगतान कर दिया है लेकिन खरीफ 1995 के लिये 84.84 करोड़ रुपये और रबी 1995-96 के लिये 4.63 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इनकी जांच/सत्यापन बाकी रह गया है तथा राज्य सरकार से 1/3 हिस्से की प्राप्ति नहीं हुई है।

(ङ) जांच/सत्यापन का कार्य पूरा होने और राज्य सरकार से 1/3 हिस्सा प्राप्त होते ही सभी बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

वक्फ बोर्ड

3560. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके अंतर्गत दिल्ली वक्फ बोर्ड से वर्तमान में जुड़ी सभी समितियां भंग कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कानून लागू हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त कानून कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 112 में यह प्रावधान है कि वक्फ अधिनियम, 1954 तथा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 1984 और ऐसा कोई कानून जो राज्य में इस अधिनियम के अनुरूप हो, को 1995 के केन्द्रीय अधिनियम के लागू होने से माना जाएगा। विधि मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार वक्फ अधिनियम, 1995 को लागू करने के साथ वक्फ अधिनियम, 1954 अथवा राज्य वक्फ कानून के अंतर्गत गठित तथा स्थापित राज्य वक्फ बोर्डों सहित ये निकाय भंग माने जाएंगे।

(ग) वक्फ अधिनियम, 1995, दिनांक 1.1.1996 से देश में (जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर जहां इसका विस्तार नहीं किया गया है) लागू किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जातिवाद पर रोक लगाने/समाप्त करने के लिए विधान

3561. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बढ़ते जातिवाद के कारण किन-किन राज्यों में जातीय दंगे हुए;

(ख) क्या सरकार जातिवाद को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जातिवाद को समाप्त करने और लोगों को अपने नाम के आगे या पीछे जातीय उपनाम जोड़ने से रोकने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विधेयक को कब तक प्रस्तुत करेगी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार शीर्ष नौकरशाहों द्वारा अपने-अपने नाम के साथ जाति का नाम जोड़ने पर रोक लगाने के लिए कोई अध्यादेश जारी करने का है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जातिवाद से उत्पन्न कुछ अपराधों को रोकने तथा उनके निवारण के लिए कानूनों के अंतर्गत पहले ही विभिन्न प्रावधान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विद्यमान है। कई राज्यों में अन्तर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन जैसे उपाय, जिन्हें केन्द्रीय सहायता द्वारा समर्थन मिलता है, जाति भेद को दूर करने के लिए वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रयासों को भी बढ़ावा देते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

चांदपुर सुधार गृह

3562. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजनामा जिले के चांदपुर सुधार गृह के सैकडों संन्यासी भूख के कारण खिड़की तोड़कर भाग गए थे;

(ख) क्या जब ये संन्यासी भागे तो पुलिसकर्मी आराम कर रहे थे; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वक्फ सम्पदा का अंतरण

3563. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वक्फ सम्पदाओं के अवैध अंतरण और इसमें हो रहे भष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इन सम्पदाओं को बचाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औषधि नीति

3564. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा निर्यात हेतु औषधियों, जिनमें आवश्यक औषधियां भी सम्मिलित हैं, के उत्पादन को व्यापक स्तर पर घरेलू निजी क्षेत्र तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारी निवेश के माध्यम से बढ़ाने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो नई औषधि नीति की प्रमुख विशेषताओं विशेषकर नई कंपनियों द्वारा सीधे विदेशी निवेश तथा बहुराष्ट्रीय औषधि इकाइयों के बढ़ते कामकाज का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सीधे विदेशी निवेश के लिए प्राप्त तथा स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने प्रस्ताव लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा शत प्रतिशत सहायक कम्पनियों की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जहां तक औद्योगिक नीति के अन्तर्गत नीतिगत-निर्देशों का प्रश्न है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). जी, हां। विद्यमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1994 में "औषध नीति 1986 में संशोधन" द्वारा (जिसकी एक प्रति सभापटल पर रखी गई थी)। औषध नीति 1986 में संशोधन किया गया जिससे कि उद्योगों के फार्मास्युटिकल सेक्टर में निवेश का माहौल तैयार किया जा सके।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सितंबर 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" के प्रावधानों के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों (100 प्रतिशत सहायक) से प्राप्त 13 (तेरह) विदेशी सीधे निवेश प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। अभी विभाग के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी प्राप्त कंपनियों को स्थापित करने के प्रस्तावों पर "औषध नीति 1986 में संशोधन" के अनुरूप कार्य किया जा रहा है, जिसके अनुसार

> " 51 प्रतिशत से अधिक निवेश पर विचार मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा विशेषतः उन क्षेत्रों, जहां पर कोई अन्य निवेश नहीं आ रहा है, विशेषतः मूल स्तरों तथा उनके अंतर्वर्ती स्तरों से प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए तथा रीकांबीमेंट डी एन ए तकनीक के उपयोग के साथ-साथ विशिष्ट सेल/ऊतक लक्षित सूत्रयोगों के उत्पादन में।"

आई.एस.आई. एजेंटों की रिहाई

3565. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खुफिया एजेन्सियों ने नेपाल पुलिस द्वारा दो आई.एस.आई. एजेण्टों की रिहाई पर चिन्ता प्रकट की है;

(ख) क्या इन एजेण्टों का कश्मीरी-उग्रवादियों के साथ कोई सम्बन्ध था;

(ग) क्या यह भी रिपोर्ट है कि दो आई.एस.आई. एजेण्टों तथा पांच अफगानी भाड़े के सैनिकों ने भारत प्रवेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें गिरफ्तार करने में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). सरकार को इस संबंध में हुई कतिपय घटनाओं की जानकारी है। तथापि, इस विषय पर आगे किसी सूचना को उजागर करना जनहित में उचित नहीं होगा। इन घटनाओं से संबंधित सभी रिपोर्टों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों/एजेंसियों को तुरंत प्रसारित की जाती है।

छठी अनुसूची लागू करना

3666. श्री बाजू बन रियान :
श्री बादल चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों के साथ संलग्न क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची के लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू करने हेतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वन क्षेत्र

3567. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने दिल्ली में पोलो खेल मैदान के लिए रिज़ को पहले ही साफ कर दिया है तथा तीन और पोलो खेल मैदानों के लिए यह कार्य जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिज़ को राजधानी का ताजा फेफड़ा समझा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर हुये नुकसान को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि सेना ने अधिसूचित रिज़ क्षेत्र में कोई सफाई नहीं की है।

(ख) रिज़ क्षेत्र में वन क्षेत्र को राजधानी के हरित फेफड़े कहा जाता है।

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा और विकास के लिए रिज़ को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन के रूप में घोषित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा रिज़ की तारबाड़ करने और अवैध कब्जों को खाली करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संसद और विधान सभाओं में सीटें

3568. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद और विधान सभा की सीटों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करवाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में संसद और विधान सभा की सीटों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जन-संख्या के आधार पर आरक्षण नीति में कुछ संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) से (घ). जी, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का प्रावधान है कि जब तक वर्ष 2000 के बाद प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा तथा विधान सभाओं में सीटों के आरक्षित अनुपात 1971 की जनगणना में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होगा।

[अनुवाद]

सुरक्षा ड्यूटी हेतु अर्द्ध-सैनिक बल

3569. श्री भक्त चरण दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों से अर्द्ध-सैनिक बलों की आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी हेतु बहुत अधिक स्थानों पर तैनाती कर दी गई है और उन्हें बिना किसी राहत के तैनात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अर्द्ध-सैनिक बलों की सेवा शर्तों में सुधार को प्राथमिकता देने, विशेषतया युवा पीढ़ी के लिए इन बलों की सेवाओं को आकर्षक बनाने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है अथवा बनाई जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). आन्तरिक सुरक्षा की समग्र स्थिति, संसदीय चुनावों और विधान सभा चुनावों के कारण केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों की तैनाती काफी अधिक रही है। केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों में सेवा करने वाले को अच्छे भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ वर्दीधारी सशस्त्र सेवा से जुड़ी चुनौतियां और सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। बल के कार्मिक राशन मनी, डिटेचमैंट भत्ता, विशेष ड्यूटी भत्ता, उच्चतुंगता भत्ता आदि जैसे अनेक भत्ते पाने के भी हकदार होते हैं।

लावारिस बच्चे

3570. श्री प्रमोद महाजन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "स्ट्रीट चिल्ड्रेन नाउ गेट हाई ऑन ग्ल्यू पेट्रोल स्टेडी" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन अभागे बच्चों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) टाइम्स ऑफ इंडिया ने 11 नवम्बर, 1996 का दिल्ली संस्करण प्रकाशित नहीं किया है।

(ख) और (ग). बेसहारा बच्चों में एच.आई.वी./एड्स/एस.टी.डी. तथा नशीली दवा दुरूपयोग से संबंधित जोखिम व्यवहार कम करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र नशीली दवा नियंत्रण कार्यक्रम यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यू.एन.एड्स, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य मंत्रालय, समुद्रपारीय विकास एजेंसी तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन को संयुक्त रूप से समर्थन दिया जा रहा है। देश के चार शहरों अर्थात मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में यह अध्ययन शुरू किया गया है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बेसहारा बच्चों में नशीली दवाओं का दुरूपयोग व्यापक रूप से फैल रहा है तथा बढ़ रहा है। इन बच्चों द्वारा अधिकांश रूप से आसानी से पहुंच वाले तथा सस्ती नशीली दवाएं अर्थात घुलनशील प्रदार्थों (सॉल्वेन्ट्स) शराब, तम्बाकू तथा कैनबिस का दुरूपयोग किया जाता है।

इस अध्ययन में की गई टिप्पणियों तथा सिफारिशों पर आधारित मुंबई (4-5 नवम्बर, 1996), कलकत्ता (7-9 नवम्बर, 1996), दिल्ली (12-13 नवम्बर, 1996) तथा हैदराबाद में (3-4 दिसम्बर, 1996) में नगर स्तरीय कार्यालय आरम्भ किए गए हैं। इस नगर स्तरीय कार्यशाला का उद्देश्य बेसहारा बच्चों में नशीली दवा दुरूपयोग एच.आई.वी./एड्स/एस.टी.डी. से संबंधित जोखिम वाले व्यवहार में कमी के लिए पायलट परियोजना शुरू करना तथा इस प्रयोजन के लिए एक नगर स्तरीय कार्रवाई योजना तैयार करना है।

वरिष्ठ नागरिक

3571. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितंबर, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "सपोर्ट बाई पेरेंट्स ऑर फेस पेनल्टि स्टेट्स चाइनीज ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) देश में इस समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये योजनाएं पर्याप्त मानी जा रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन के कानून की भांति ही कोई तरीका अपनाए जाने का सरकार का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) वयोवृद्धों के कारण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने की कल्याण मंत्रालय की योजना, वयोवृद्धों के लिए वयोवृद्ध गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों तथा सचल मेडिकेयर एककों की स्थापना तथा रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान उपलब्ध करती है।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना 65 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले पात्र व्यक्तियों को 75/- रु. प्रतिमाह मासिक पेंशन प्रदान करती है।

रेल मंत्रालय 65 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को द्वितीय श्रेणी तथा स्लीपर क्लास मेल/एक्सप्रेस किरायों में 25 प्रतिशत रियायत प्रदान करता है।

इंडियन एयरलाइन्स अपने वरिष्ठ नागरिक छूट योजना के अंतर्गत 65 वर्ष तथा अधिक आयु वाले वयोवृद्ध व्यक्तियों को किराए में 50 प्रतिशत एयर डिस्काउंट देती है।

(ग) वयोवद्धों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के उपायों का प्रावधान एक सतत प्रक्रिया है जो आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर सरकार के अवधारणा पर आधारित है।

(घ) और (ङ) इसी तरह का एक प्रावधान अपराध प्रक्रिया संहिता (धारा 25 (1) (घ) में पहले ही मौजूद है जो ऐसे व्यक्ति के

लिए इसे आवश्यक बना देता है जिसके पास ऐसे माता या पिता के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन है जो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकते।

औषधियों के मूल्य

3572. श्री हरिन पाठक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैफेनैमिक एसिड, ट्रिमिप्रैमाइन, डायस्माइन, कलोरप्रोमैजाइन, लिंकोमाइसिन, बेकाम्पिसिलीन, फ्रैमाइसिन और कैप्टोप्रिल पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य किस तिथि को निर्धारित किए गए थे;

(ख) इनके वर्तमान मूल्य क्या हैं और दोषी कम्पनियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य निर्धारण के अन्तर्गत औषधियों को गलत ढंग से शामिल करने के विरूद्ध दिए गए अभ्यावेदन के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). जिन तारीखों को सूत्रयोगों का मूल्य नियत किया गया वे संलग्न विवरण में दी गई हैं। उनमें उनके वर्तमान मूल्य भी दिखाए गए हैं। दोषी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) और (घ). 19 प्रपुंज औषधों को मूल्य नियंत्रण के अधीन शामिल करने के विरूद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें और भी अनेक मामले हैं जिसकी व्यापक जांच की जाती है। इस संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जाएगा।

विवरण

क्र. सं.	सूत्रयोग का नाम/ पैक आकार	प्रबलता	सरकार द्वारा नियत की गई प्रारंभिक कीमत और तारीख	सरकार द्वारा नियत की गई नवीनतम कीमत और तारीख	"ड्रग टडे" के अनुसार उसका कंपनी मूल्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	**मेफानेमिक एसिड**	-	-	-	-	मामला अधिनिर्णयाधीन है। मूल्य अनुमोदन आदेश जारी नहीं किए गए।
2.	**ट्रीमीप्रैमाइन**					
	1) सरमोंटिल 10 का पत्ता	10 एमजी टैब्स	5.43 (18.8.92)	5.43 (18.8.92)	5.52	सीमा शुल्क की वर्तमान दर सहित इसका अनुमोदन मूल्य रु. 5.50 पड़ता है। अधिक मूल्य चार्ज नहीं किया जा रहा है।
	2) सरमोटिल 10 का पत्ता	25 एमजी टैब्स	10.92 18.8.92	10.92 (18.8.92)	11.10	सीमा शुल्क की नवीतम दर सहित अनुमोदन मूल्य रु. 11.22 पड़ता है इसलिए अधिक मूल्य चार्ज नहीं किया जा रहा है।
3.	**डिओसमाइन**					
	(1) डिओसमाइन 10 का एएल/एसटी	150 एमजी टैब्स	20.18 12.7.1995	14.42 27.12.95	-	हेलियस रु. 54.00 सरडिया रु. 64.00 एल्डर रु. 41.90 मार्टिन रु. 53.70 एंड हैरिस (इन सभी में अधिक मूल्य चार्ज किया जा रहा है।)

1	2	3	4	5	6	7
	2) डिओसमाइन 10 का एएल/एसटी	300 एमजी टैब्स	39.18 12.7.95	27.62 27.12.95	-	हेलियस रु. 94.00 एल्डर रु. 79.50 मार्टिन रु. 106.25 एंड हैरिस (इन सभी में अधिक मूल्य चार्ज किया जा रहा है।)
	3) डिओसमाइन 10 का एएल/एसटी	450 एमजी टैब्स	60.06 22.7.95	42.58 27.12.95	-	इस प्रबलता का कोई प्रबल विनिर्माता नहीं है।
	4) डिओसमाइन 10 का एएल/ब्लिस्टर	150 एमजी टैब्स	14.12 27.12.95	14.12 27.12.95	-	मद सं. 1,2 और 3 के लिए ब्लिस्टर प्रकार के पैकिंग हेतु ये वैकल्पिक कीमतें हैं।
	5) डिओसमाइन 10 का एएल/ब्लिस्टर	300 एमजी टैब्स	27.32 27.12.1995	27.32 27.12.95	-	-
	6) डिओसमाइन 10 का एएल/बिलस्टर	450 एमजी टैब्स	42.20 27.12.95	42.28 27.12.95	-	
4.	**क्लोरप्रोमाजाइन**					
	1) -	-	-	-	-	मूल्य अनुमोदन आदेश जारी किए जा रहे हैं।
5.	**लिंकोमाइसिन**					
	1) लिंकोमाइसिन 2 एमएल एम्प.	300 एमजी/एमएल	9.14 12.7.95	15.06 3.6.96	-	मैक्स रु. 34.00 वालेंस रु. 10.09
	2) लिंकोमाइसिन 1 एमएल एम्प	300 एमजी/एमएल	5.20 12.7.95	8.16 3.6.96	-	वालेस रु. 5.73
	3) लिंकोमाइसिन कैप 6 का एएल/स्ट्रिप	500एमजी/कैप	43.72 13.3.96	48.34 3.6.98	-	मैक्स रु. 72.00
	4) लिंकोमाइसिन कैप. 10 का एएल/स्ट्रिप	500एमजी/कैप	72.20 29.3.96	-	-	वालेस रु. 63.00
	5) लिंकोमाइसिन कैप 5x6 का एएल/स्ट्रिप	500 एमजी/कैप	218.56 27.12.95	241.82 3.6.96	-	-
	6) लिंकोमाइसिन एचसीएल 5x6 का एएल/ब्लिस्टर	500 एमजी/कैप	217.00 27.12.95	240.06 3.6.96	-	-
	7) लिंकोमाइसिन कैप्स 6 का एएल/ब्लिस्टर	500 एमजी कैप्स	43.40 13.3.96	48.02 3.6.96	-	उपर्युक्त मद सं. 3 के लिए वैकल्पिक रूप से उपयोगी
	8) लिंकोमाइसिन इंजे. 10x2 का एमएल/एम्प	300 एमजी/एमएल	150.64 3.6.96	150.64 3.6.96	-	इस पैक का विपणन नहीं किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
6.	**कैप्टोप्रिल**					
	1) कैप्टोप्रिल 10 का पत्ता	25 एमजी टैब्स	9.11 3.9.96	8.11 3.9.96	-	वाकहार्ट रु. 33.35 टोरेन्ट रु. 29.50 लूपिन रु. 32.83
	2) कैप्टोप्रिल 10 का पत्ता	50 एमजी टैब्स	15.32 3.9.96	15.32 3.9.96	-	वाकहार्ट रु. 45.00 टोरेन्ट रु. 48.50 लूपिन रु. 25.81
	3) कैप्टोप्रिल 10 का पत्ता	40 एमजी टैब्स	8.54 3.9.96	8.54 3.9.96	-	वाकहार्ट रु. 24.13 टोरेन्ट रु. 41.00
7.	**फ्रामाइसीटिन सल्फेट**					
	1) फ्रामाइसीटिन सल्फेट आई ड्राप्स 5 एमएल वायल	5 एमजी/एमएल	6.02 6.11.95	6.76 24.4.96	6.70	
	2) सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम 20 ग्रा. ट्यूब	20 ग्राम	मूलतः मूल्य निर्धारण डीपी सीओ, 87 के अधीन किया गया था।	12.57 24.4.96	12.34	
	3) सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम 100 ग्राम ट्यूब	100 ग्राम		48.63 24.4.96		
	4) प्रोक्टेसीडल आयंट. 10 ग्राम ट्यूब	10 ग्राम		24.88 24.4.96		
	5) सोफ्राडेक्स एफ क्रीम 15 ग्राम ट्यूब	15 ग्राम		16.34 24.4.96	13.46	
	6) सोफ्राकोर्ट ई/ई ड्राप्स 3एमएल वायल	3एमएल/वायल		10.37 24.4.96	10.11	
	7) फ्रामाइसीटिन पाउडर 15 ग्राम बोतल	15 ग्राम		11.12 24.4.96		
8.	**बीकैम्पीसिलिन**					
	1) बीकैम्पीसिलिन 200 एमजी 2 का एएल/स्ट्रिप	200 एमजी/टैब	5.82 2.8.95	5.82 2.8.95	-	इस पैका का विपणन नहीं किया जा रहा है।
	2) बीकैम्पीसिलिन 200एमजी कैप्स 4 का एएल/स्ट्रिप	200एमजी/कैप	11.16 2.8.95	11.16 2.8.95	-	वही
	3) बीकैम्पीसिलिन 400 एमजी टेब्स 2 का एएल/स्ट्रिप	400 एमजी/टैब	10.62 2.8.95	10.62 2.8.95	-	वही

1	2	3	4	5	6	7
4)	वोकेम्पासिलिन 400 एमजी टैब्स 4 का एएल/स्ट्रिप	400 एमजी/टैब	20.76 2.8.95	20.76 2.8.95	-	वही
5)	पेनग्लोब 400 एमजी टैब्स 6 का एएल/स्ट्रिप	400 एमजी/टैब	39.82 5.12.95	39.82 5.12.95	-	एस्ट्रा आईडीएल रु. 49.50
6)	पेनग्लोब 400 एमजी टैब्स 6 का एएल/पांचासी	400 एमजी/टैब	39.62 5.1.95	39.62 5.12.95	-	उपर्युक्त के लिए वैकल्पिक मूल्य
7)	पेनग्लोब 200 एमजी टैब्स 6 का एएल/स्ट्रिप	200 एमजी/टैब	20.25	20.25	-	एस्ट्रा आईडीएल रु. 25.00
8)	पेनग्लोब 200 एमज टैब्स 6 का एएल/पांचासी/ब्लिस्टर	200 एमजी/टैब	20.05 5.12.95	20.05 5.12.95	-	उपर्युक्त के लिए वैकल्पिक मूल्य

मवेशी/कुक्कुट पालन केन्द्र

3573. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मवेशी/कुक्कुट पालन केन्द्र वार्षिक रूप से मुनाफा कमा रहे हैं;

(ख) केन्द्र सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत कुक्कुट पालन केन्द्र से देश में बेचे गए व्यापारिक महत्व के पक्षियों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा देश में पशुपालन के विकास में क्या उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) केन्द्रीय मवेशी तथा कुक्कुट प्रजनन फार्म, राज्य सरकारों को वितरण हेतु आधारभूत प्रजनन सामग्री का उत्पादन करते हैं ताकि उसका वे अपने प्रजनन कार्यक्रमों में आगे इस्तेमाल कर सकें। ये फार्म मुनाफा नहीं कमा रहे हैं तथा इनके कार्यों का स्वरूप इस प्रकार का है कि ये मुनाफा कमाने वाले संस्थान नहीं बन सकते।

(ख) और (ग). भारत सरकार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कुक्कुट प्रजनन फार्म मूल भण्डार का उत्पादन करते हैं जिसका उपयोग राज्य सरकारों द्वारा व्यापारिक महत्व के चूजों के उत्पादन के लिए किया जाता है जिनका वितरण मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां चूजों की उपलब्धता में कमी है।

[हिन्दी]

अन्तर्जातीय विवाह

3574. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जातिविहीन समाज की रचना हेतु अन्तर्जातीय विवाह करने वालों को सामाजिक प्रताड़ना से बचाने हेतु सरकार की क्या योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). सामान्य आपराधिक कानूनों के प्रावधान जैसे कि भारतीय दंड संहिता उस उत्पीड़न, यदि कोई हो, के स्वरूप पर निर्भर करते हुए लागू होंगे जिससे अन्तर जातीय युगल प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त, जहां पति अथवा पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित है, वहां मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के विशेष प्रावधान भी आकर्षित किए जा सकते हैं। कई राज्य सरकारें/संघ राज्य प्रशासन अनुसूचित जातियों तथा अन्य जातियों से संबंधित व्यक्तियों के मध्य विवाहों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, जो इन दो अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों हेतु नौकरियों के आरक्षण

3575. श्री नारायण अठावले : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों को राज्यवार उपलब्ध कराए गए आरक्षण के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने पद खाली पड़े हैं तथा बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्यवार कितने पदों को भरे जाने का अनुमान है; और

(घ) आरक्षित श्रेणियों के लोगों के हितों की सुरक्षा हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). यह सूचना राज्य-वार एकत्र की जा रही है।

(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संघ सरकार में पदों तथा सेवाओं के लिए आरक्षण के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक विवरण प्राप्त करता है।

मछुआरों के लिए योजनाएं

3576. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने ही मछुआरों के लिए बचत एवं राहत योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता देना बंद कर दिया है और इससे केरल में मछुआरों पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सभी मछुआरों को समान लाभ देने हेतु क्या कार्य योजना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). 1991-92 में आरम्भ की गई राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का बचत सह राहत घटक केवल समुद्री मछुआरों के लिए प्रयोज्य था। सामुद्रिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से यह योजना केवल आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार और पाण्डिचेरी संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही थी।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना का बचत सह राहत घटक 1.4.96 से समाप्त कर दिया गया है। इस योजना के समाप्त कर दिए जाने से केरल में मछुआरे बहुत अधिक नहीं, केवल कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि राज्य में (31.12.94 को) 5,39,982 सक्रिय मछुआरों, अर्थात् पूर्णकालिक तथा अंशकालिक मछुआरों, में से केवल लगभग 82,000 मछुआरों को 1995-96 तक इस योजना में कवर किया जा रहा था, जो राज्य में सक्रिय समुद्री मछुआरों की संख्या का केवल लगभग 15 प्रतिशत है।

(ङ) सरकार राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत सह राहत घटक को समाप्त किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। तथापि, जैसा कि भाग (क) के उत्तर में पहले ही यह बताया गया है कि वर्तमान में यह योजना केवल समुद्री मछुआरों के लिए प्रयोज्य है और समुद्री राज्य/संघ शासित प्रदेश इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में, इस योजना को अन्तर्देशीय क्षेत्र में भी लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन

3577. श्री चित्त बसु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन किस प्रकार का होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) और (ग). पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों से कतिपय सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की खरीद

3578. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों, विभागीय उपक्रमों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आवश्यक कम्प्यूटर तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपस्करों की खरीद को केन्द्रीकृत कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुले बाजार में उपस्करों का मूल्य सरकार द्वारा केन्द्रीकृत खरीद प्रणाली द्वारा दिए जा रहे मूल्य से आधे से भी कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली को जारी रखने के पीछे क्या औचित्य है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). वाणिज्य मंत्रालय, पूर्ति विभाग के तहत पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय संगठन है। पूर्ति विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कम्प्यूटरों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की खरीदारी पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में केन्द्रित नहीं है। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का फिलहाल कम्प्यूटरों के लिए कोई रेट कन्ट्रैक्ट नहीं है।

राजस्थानी भाषा को मान्यता

3579. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की मांगें की गई हैं। तथापि, संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी अथवा और भाषाओं को शामिल करने अथवा न करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

गन्ने का मूल्य

3580. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने केन्द्र/राज्य सरकारों को गन्ने के वर्तमान मूल्य जो वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं है, के संबंध में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). गन्ने का मूल्य वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप न होने के बारे में उत्तर प्रदेश के एसोसिएटिड चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज का अभ्यावेदन उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य की घोषणा करने से पूर्व उत्तर प्रदेश के एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज और अन्य चीनी मिल्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की थीं।

सभी संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने चीनी मौसम 1996-97 के लिए गन्ने की साधारण किस्म के लिए 72 रुपये प्रति क्विंटल और शीघ्र परिपक्व होने वाली किस्म के लिए 76 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की थी।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दायर रिट याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के उस उपर्युक्त आदेश को चुनौती दी है जिसमें राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की घोषणा की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य निर्धारित करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

इनर लाइन परमिट्स

3581. श्री अय्यन्ना पटरूडु :
श्री एल. रमना :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में इनर लाइन परमिट लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में ऐसे परमिटों के कार्यान्वयन का क्या प्रभाव पड़ा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). राजस्थान के चार जिलों नामतः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व जालोर (विवरण संलग्न है) के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में तथा जनहित में दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 12.3.1996 को अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 129(ङ) के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। ऐसा राजस्थान सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया है। इस अधिसूचना के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति, जो साधारणतः इन क्षेत्रों के निवासी नहीं है, उन क्षेत्रों में वैध परमिट पर ही प्रवेश कर सकते हैं।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश के विनियम के क्रियान्वयन हेतु कतिपय तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अधिसूचित क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट पद्धति को प्रारंभ किए जाने के प्रभाव की जांच करना जल्दीबाजी होगी।

विवरण

जिला का नाम	क्षेत्र
बाड़मेर	निम्नांकित थानों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नामतः- (1) गदरा रोड (2) रामसर (3) बिंजराद (4) सेदवा (5) बखासर (6) गिराब (7) चोहटन
जैसलमेर	निम्नांकित थानों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नामत :— (1) नचना (2) मौहनगढ़ (3) रामगढ़ (4) साम (5) झीनझीनयाली (6) शाहगढ़ (7) नोख (8) खुदी
बीकानेर	निम्नांकित थानों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नामत :— (1) बज्जू (2) पुगल (3) छत्तरगढ़ (4) खाजूवाला
जालोर	निम्नांकित थानों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नामत :— (1) संचोर (2) चितलवाना (3) सरवाना।

महिला स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

3582. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला स्वैच्छिक संगठनों को किसी केन्द्रीय निधि से सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी

3583. श्री अनादि चरण साहू : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल में अनेक विचाराधीन कैदी गत तीन वर्षों या इससे अधिक समय से बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मामले की सुनवाई में तेजी लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). 1.12.96 की स्थिति क अनुसार तिहाड़ केन्द्रीय कारागार में पिछले तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय से न्यायिक हिरासत में रखे गए विचाराधीन कैदियों की सख्या 596 थी। ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	मामले की प्रवृति	विचाराधीन कैदियों की संख्या
1	2	3
1.	हत्या	380
2.	दहेज	21
3.	डकैती	64
4.	बलात्कार	36
5.	स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम	18
6.	शासकीय गुप्त बात अधिनियम	3
7.	आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम	33
8.	धोखाधड़ी	2
9.	अपहरण	8
10.	भारतीय दंड संहिता 304	4
11.	भारतीय दंड संहिता 307	15
12.	जेल से भाग निकलना	1
13.	भारतीय दंड संहिता 324	1
14.	भारतीय दंड संहिता 328	3
15.	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	1
16.	भारतीय दंड संहिता 436	1
17.	दिल्ली पुलिस अधिनियम	1
18.	शस्त्र अधिनियम	4

(ग) दो जनहित याचिकाओं में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए मापदण्ड निर्धारित किए हैं जिन्होंने वह अधिकतम अवधि जेल में गुजार दी है जितनी अवधि का दण्ड उन्हें दोषसिद्धि पर दिया जा सकता था। उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों के अनुसरण में लगभग 400 कैदियों को, विचारण करने वाले न्यायालयों के आदेशों के अधीन रिहा कर दिया गया था।

हार्टीकल्चर प्रोड्यूस कोआपरेटिव मार्केटिंग (होपकोम) के खुदरा बिक्री केन्द्र

3584. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कर्नाटक राज्य में "हार्टीकल्चर प्रोड्यूस कोआपरेटिव मार्केटिंग" (होपकोम) के खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) उस राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से कितने "होपकोम" बाजार खोले जाएंगे; और

(घ) ये बाजार किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). जी, हां। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अपने विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में कर्नाटक राज्य में केवल बागवानी उत्पादक सहकारी विपणन और प्रसंस्करण समिति लिमिटेड लालबाग, बंगलौर को खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए, वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। निगम के वर्ष 1990-91 के दौरान 177.80 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर हौपकोम्स द्वारा 245 खुदरा बिक्री केंन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी है जिनमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का अंश 133.35 लाख रुपये है। हौपकोम्स, बंगलौर ने निम्नलिखित बिक्री केन्द्र स्थापित किए हैं :-

नगर का नाम	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
बंगलौर	156
मैसूर	36
मंगलौर	19
कोलार	13
मंड्या	13
टुमकूर	8
	245

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का राहत कोष

3585. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम, (एन.एस.सी.एफ.डी.सी.) के सभी कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश मुख्य मंत्री राहत-कोष, 1996 में एक दिन का वेतन स्वैच्छा से दान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एस.सी.एफ.डी.सी. के अधिकारियों को आर्थिक कार्य शुरू करने हेतु सहायता देने के लिए आंध्र प्रदेश में तैनात किया गया था?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी हां। दिनांक 18.11.1996 के चैक संख्या 201865 द्वारा 22,022/- रुपए की राशि आन्ध्र प्रदेश मुख्य मंत्री सहायता कोष में भेजी गई है जो एन.एस.सी.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों का एक दिन का वेतन है।

(ग) जी, हां। एन.एस.सी.एफ.डी.सी. ने हैदराबाद के अपने क्षेत्रीय अधिकारी को चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके तथा एन.एस.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं में शामिल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को हुई क्षति की मात्रा का अनुमान लगाया जा सके और प्रभावित हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अन्य सहायता प्रदान करने के उपाय सुझाए जा सकें। राज्य माध्यम ऐजेंसी की सिफारिशों के आधार पर, एन.एस.सी.एफ.डी.सी. द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों से उर्वरकों का आयात

3586. श्री उत्तम सिंह पवार :
श्री माधवराव सिंधिया :
डा. सी. सिल्वेरा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इस चेतावनी के बावजूद कि स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों से किए जा रहे पोटाश उर्वरकों के आयात हेतु सांविधिक विनिर्देशों में छूट देने से घटिया किस्म के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा, सरकार ने इन विनिर्देशों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार स्वतंत्र राष्ट्रकुल देशों से पोटाश उर्वरकों का आयात करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की आशंका दूर करने के लिए कुछ उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल देशों से म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) के आयात के लिए 31.10.1996 से एक वर्ष की अवधि के लिए एम.ओ.पी. की कण आकार विनिर्दिष्ट में छूट को (-) 1.7 मिली मीटर एवं 0.25 मिली मीटर आई.एस. सीव के बीच वर्तमान 95 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया।

यह कहना सही नहीं है कि एम.ओ.पी. के कण आकार में दी गयी छूट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तकनीकी अभिमत के विरूद्ध है। वास्तव में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा एम.ओ. पी. के कण आकार के संबंध में कोई तकनीकी अभिमत जाहिर नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

उग्रवादी संगठन

3587. श्री उधव बर्मन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभुसत्ता को स्वीकार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या पहलें की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). इस समय कोई ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

गया में प्रदूषण

3588. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ संसद सदस्यों और कुछ संस्थानों की ओर से बिहार स्थित गया के लोगों के सभी ओर से प्रदूषण से पीड़ित होने के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या नगर निगम द्वारा पानी के पुराने तालाबों को गाद से भर दिए जाने के परिणामस्वरूप वहां स्थायी रूप से प्रदूषण हो गया है;

(ग) क्या कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ-साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपरोल्लिखित तालाब का निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने इस संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान वास्तविक स्थिति का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गया में दिघी तालाब और सूरजकुण्ड के जल की गुणवत्ता की जांच की है। जहां तक विलीन आक्सीजन की मात्रा का जल की गुणवत्ता से संबंध है यह तालाब से बाहर स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदण्ड की सीमा के अन्दर ही है।

(घ) बिहार सरकार के शहरी विकास विभाग ने शहरी झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अध्ययन शुरू किया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में पुलिस द्वारा गोलीबारी के मामले

3589. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994, 1995 और 1996 के दौरान और अब तक पुलिस द्वारा गोलीबारी से कितनी मौतें हुई और पिछले तीन वर्षों के मुकाबले इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या पुलिस फायरिंग के मामलों की सरकार द्वारा जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

वर्ष	पुलिस द्वारा गोलीबारी किए जाने की घटनाओं की संख्या	पुलिस गोलीबारी गोलीबारी में हुई मौतों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच/ मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी।	जांच के निष्कर्ष	निष्कर्षों पर की गयी कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1991	1	1	-	-	पुलिस स्टेशन अलीपुर में भा.द.सं. की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6
1992	2	2	1	गोलीबारी करना उचित पाया गया।	-
1993	-	-	-	-	-
1994	1	2	1	जांच अधिकारी ने एक विधायक की भूमिका पर प्रतिकूल टिप्पणी की है।	सार्वजनिक नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 147/148/149/353/186/427/436/307 और धारा 3 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
1995	1	4	1	गोलीबारी करना उचित पाया गया।	-
1996 (12.12.96 तक)	1	2	1	जांच पूरी नहीं हुई है।	-

टिप्पणी : उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 1991 से 1996 (12.12.96 तक) के दौरान पुलिस के साथ विभिन्न मुठभेड़ों में 13 अपराधी और 5 आतंकवादी मारे गए।

खाद्यान्नों को कम तोला जाना

3590. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान उचित मूल्य के दुकानों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम तौल के खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में सरकार को अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में सही तौल सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी के अतिरिक्त भंडार

3591. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 अक्तूबर, 1996 के "न्यूज टाइम्स (हैदराबाद)" में "शुगर स्टोक पाइल लाइकली टू केन 1200 करोड़ लोस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या इस वर्ष 8 मिलीयन टन के अतिरिक्त भंडार के कारण सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे चीनी उत्पादक राज्य अपने उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा चीनी उद्योग की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ). चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए 10.1.1996 से एक वर्ष के लिए 5 लाख टन चीनी का बफर स्टाक बनाया गया था जिसे दूसरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और एक वर्ष के लिए 5 लाख टन का अतिरिक्त बफर स्टाक बनाया गया है। चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र के अन्य फसलों के उत्पादन में परिवर्तन होने के बारे में राज्य सरकारों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय अंतःक्षेत्रों के भारतीय नागरिकों की समस्याएं

3592. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** 23 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें किस तिथि से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या बांग्लादेश में स्थित भारतीय अंतःक्षेत्रों के भारतीय नागरिकों की समस्याएं पिछले 45 वर्षों से सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी समस्याओं का समाधान कब तक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 19 मार्च, 1996 से।

(ख) और (ग). बंगलादेश में पड़ने वाले एनक्लेवों पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण अथवा पहुंच नहीं हैं। तथापि, सरकार एनक्लेवों की अदला-बदली करने सहित भारत-बंगलादेश भूमि-सीमा समझौते के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध रही है। तथापि, इसके लिए कोई समय-सीमा निश्चित करना संभव नहीं है। 1974 के समझौते से संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों, दोनों में पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पेटेंट कानून की समीक्षा

3593. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व स्तर पर हो रहे पेटेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसमें आ रही कानूनी अड़चनों की समीक्षा करने के लिए कोई उचित कदम उठाए हैं ताकि कृषि उत्पादों/पैदावार और उनके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). विश्व व्यापार संगठन के तहत ट्रेड से संबंधित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों संबंधी समझौता या तो पेटेन्ट के माध्यम से या प्रभावी व अद्वितीय पद्धति के जरिए पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए सदस्य देशों से व्यवस्था करने की अपेक्षा करता है। सरकार ने पौध किस्मों की सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय पद्धति तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित पद्धति में अन्य बातों के साथ साथ किसानों पौध प्रजनकों और अनुसंधानकर्ताओं के पारम्परिक अधिकारों का बचाव करने की परिकल्पना है।

(ग) एक विधायी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विश्व खाद्य कार्यक्रम

3594. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में, विशेषरूप से मांडला जिले में विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ख) राज्य में 1994 से 1995-96 तक किन किन स्थानों पर विश्व खाद्य कार्यक्रम शुरू किया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). वर्ष 1994-95, एवं 1995-96 के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन-विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू एफ. पी) द्वारा निम्नलिखित दो परियोजनाओं को खाद्य सहायता प्रदान की गयी थी :-

1. परियोजना 3227 - मध्य प्रदेश में अपरदित वनों का पुनर्रोपण एवं वनरोपण।
2. परियोजना 2206- असम, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाओं को सहायता।

वनरोपण से संबंधित परियोजना 3227 के तहत जो जून, 1995 तक जारी थी। मध्य प्रदेश में माण्डला सहित सभी जिलों को डब्ल्यू एफ.पी. सहायता प्रदान की गयी। इसके बाद परियोजना के विलिंग चरण में 18 चुनिन्दा जिलों-झाबुआ, बस्तर, माण्डला, धार, सरगुजा, रायगढ, पश्चिम निमाड़, शहडोल, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, सीधी, बिलासपुर, पूर्वी निमाड, रतलाम, राजनांदगांव, पन्ना, एवं जबलपुर जिलों, के आदिवासी प्रखण्डों को डब्ल्यू.एफ.पी. सहायता दी जा रही है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना से संबंधित परियोजना 2206 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के तीन जिलों-झाबुआ, खरगोन एवं धार में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को डब्ल्यू.एफ.पी. सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

[अनुवाद]

मत्स्य उद्योग का विकास

3595. श्री राजकेशर सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चालू वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष (30 सितम्बर तक) के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मत्स्य उद्योग के समेकित विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उक्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 (30.9.96 तक) के दौरान 5861.894 लाख रुपए (5528.726 लाख रुपए ऋण एवं 333.168 लाख रुपए राजसहायता के रूप में) संस्वीकृत किए हैं। उपर्युक्त संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा 1995-96 एवं 1996-97 (30.9.96 तक) के दौरान समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना के लिए संस्वीकृत धनराशि में से 297 290 लाख रुपए की धनराशि (ऋण के रूप में) उपयोग में लाई गई है। ये ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना के लिए संस्वीकृत सहायता एवं राज्य सरकारों द्वारा 1995-96 तथा 1996-97 (30.9.96) के दौरान उपयोग की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	परियोजना	मंजूरी की तिथि	ब्लाक लागत	एन.सी.डी.सी. द्वारा संस्वीकृत सहायता			भारत सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशि		
					ऋण	राजसहायता	कुल	ऋण	राजसहायता	कुल
1.	पश्चिम बंगाल	समेकित खारापानी मत्स्यपालन विकास परियोजना	28/8/95	1302.311	1070.667	44.888	1115.555	157.500	-	157.500
2.	पश्चिम बंगाल	समेकित समुद्री मात्स्यिकी विकास परियोजना (चरण-3)	22/3/96	1654.672	1255.978	256.585	1512.563	139.790	-	139.790
3.	महाराष्ट्र	समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास परियोजना (परभणी एवं नान्देड जिले में)	22/7/96	373.839	332.448	8.571	341.019	-	-	-
4.	महाराष्ट्र	समेकित जलाशय मात्स्यिकी विकास परियोजना (चन्द्रपुर गडचिरोली जिले में)	23/7/96	293.168	260.293	6.844	267.137	-	-	-
5.	कर्नाटक	समेकित समुद्री मात्स्यिकी विकास परियोजना (दक्षिण कन्नड तथा उत्तर कन्नड जिले में)	23/7/96	2324.010	1998.590	16.280	2014.870	-	-	-
6.	केरल	समेकित समुद्री मात्स्यिकी विकास परियोजना चरण-3	17/9/96	675.350	610.750	-	610.750	-	-	-
		अतिरिक्त सहायता		6623.350	5528.726	353.160	5861.894	297.290	0.000	297.290

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा

3596. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित महाजन आयोग की रिपोर्ट किस तिथि को सरकार को सौंपी गई थी;

(ख) क्या आयोग ने शोलापुर तथा अन्य समीपवर्ती कन्नड क्षेत्रों को कर्नाटक में शामिल करने का सुझाव दिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार महाजन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे कब तक अक्षरशः लागू कर दिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट, भारत सरकार को 25.8.1967 को सौंप दी थी।

(ख) महाजन आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों का हस्तांतरण, महाराष्ट्र राज्य से मैसूर राज्य को किए जाने की सिफारिश की थी :-

1) अक्कलकोट नगर के साथ-साथ अक्कल कोट तालुका;

2) जाठ तालुका के 44 गांव;

3) दक्षिण शोलापुर तालुका में स्थित 65 गांव; और

4) गडहिंग लार्ज तालुका के 15 गांव।

आयोग ने मैसूर राज्य द्वारा शोलापुर शहर, चांदगढ़ तालुका और उत्तरी शोलापुर तालुका पर किए गए प्रतिदावे को अस्वीकार कर दिया। मैसूर राज्य से भी कुछ इलाकों का हस्तांतरण, महाराष्ट्र राज्य को किए जाने की सिफारिश आयोग ने की थी।

(ग) से (च). भारत सरकार का मत है कि इस विवाद का हल, संबंधित राज्य सरकारों के इच्छुक सहयोग से निकाला जा सकता है। इस संबंध में उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान करने में भारत सरकार को खुशी होगी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, लंबे समय से लंबित सीमा संबंधी मुद्दे पर परस्पर बातचीत करने हेतु अपनी अच्छा प्रकट की है।

पेंशनभोगी स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ

3597. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल के निर्णय से स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले लाभों से और अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा क्षमा दान प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी भी पेंशन के हकदार हो गए हैं; और

(ग) क्या उक्त निर्णय से नौ सैनिक विद्रोह में सेवामुक्त किये गये व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). माननीय उच्चतम न्यायालय ने, समय-समय पर, विभिन्न मामलों में कतिपय निर्णय पारित किए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय (निर्णयों) के बावजूद भी, सरकार की यह मंशा और उद्देश्य रहा है कि कोई भी वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के उसके न्यायसंगत दावे से वंचित न हो।

वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अपनी सजा पूरी करने से पहले, समयपूर्व छोड़ देने के लिए माफी मांगे बिना या आम माफी के लिए पूछे जाने के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा आम काफी दे दी गयी थी, पेंशन प्रदान किए जाने के पात्र हैं। इसी तरह, रायल इंडियन नेवी म्यूटनी में भाग लेने के कारण, जिन व्यक्तियों को उनकी सेवा से सेवा मुक्त/बर्खास्त किया गया था, वे भी, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्मान पेंशन प्रदान किए जाने के पात्र हैं।

नेफ्था का आबंटन

3598. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से सोडा एश, यूरिया, डायमोनिया, फास्फेट के उत्पादन हेतु नेफ्था का आबंटन करने और राजस्थान में पेट्रो-रसायन परिसर स्थापित करने के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गोदामों के लिए प्रस्ताव

3599. श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे के साथ-साथ राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं के सृजन का लक्ष्य क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं और ज्यादातर किराये के गोदामों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). अतिरिक्त भण्डारण सुविधा के सृजन हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए छोटे गोदामों के निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके किराए के गोदामों पर निर्भरता को कम करना है। तथापि, केन्द्रीय सरकार बजट संबंधी अड़चनों के कारण राज्य सरकारों की मांगों को केवल आंशिक रूप से पूरा करने में सक्षम रही है और इस प्रकार किराए के गोदामों पर निर्भरता जारी है। स्कीम के तहत अधिक आवंटन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक निधि उपलब्ध कराई जा सके।

विवरण-I

1995-96 के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव और मंजूरियां

(रु. लाख में)

स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव			स्वीकृत		
		सं.	क्षमता	राशि	सं.	क्षमता	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	29	9400	228.60	-	-	107.48
2.	गुजरात	20	9250	291.05	8	4000	-
3.	जम्मू और कश्मीर	58	19230	1071.11	20	6650	288.23
4.	मध्य प्रदेश	14	14000	228.70	-	-	-
5.	महाराष्ट्र	1	500	8.60	4	2442	41.10
6.	मणिपुर	11	2200	89.45	11	2200	136.80
7.	मिजोरम	14	3300	82.63	11	2400	62.63
8.	उड़ीसा	77	19250	334.75	-	-	-
9.	राजस्थान	10	18000	261.90	4	8800	113.76
10.	उत्तर प्रदेश	63	19550	1510.49	-	-	-
11.	अंडमान व निकोबार	-	-	-	-	-	5.00*
	जोड़	305	116130	4183.28	58	26492	755.00

* 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान स्वीकृत व्यय निधि में वृद्धि।

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव और मंजूरियां

(रु. लाख में)

स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त प्रस्ताव			स्वीकृत		
		सं.	क्षमता	राशि	सं.	क्षमता	राशि
1.	आंध्र प्रदेश*	-	-	-	16	5000	124.20
2.	असम	16	30300	364.62	-	-	-
3.	हरियाणा	13	38500	500.00	-	-	-
4.	मध्य प्रदेश*	-	-	-	14	14000	228.76
5.	तमिलनाडु*	-	-	-	18	2480	50.00
6.	उत्तर प्रदेश*	-	-	-	20	5400	162.00
	जोड़	29	68800	864.62	68	26880	564.96

* हालांकि 1995-96 के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों पर वर्ष 1996-97 के दौरान विचार किया गया था।

खराब गेहूं की बिक्री

3600. श्री सनत मेहता : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में सुरेन्द्रनगर बयाना रोड़ पर 48 करोड़ रुपए मूल्य के 90 हजार मीट्रिक टन गेहूं जुलाई, 1996 से खुले में भण्डार किया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसे खराब गेहूं की भी खुले बाजार में बिक्री की जा रही है; और

(ग) गेहूं की इस प्रकार भण्डारण करने और खुले बाजार में खराब गेहूं की बिक्री करने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सूचित किया गया है कि 31.5.1996 को स्थिति के अनुसार दुधरेज (सुरेन्द्रनगर) में कैप (कवर और प्लिंथ) भंडारण में 92,413 मी. टन गेहूं का भंडारण किया गया था जिसके लिए डनेज के रूप में सीमेंट कंकरीट ब्लाक और बांस की चटाइयों का प्रयोग करके, पोलीथीन कवरों से ढककर और उपयुक्त रूप से बांधकर उचित सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह भी सूचित किया गया था कि इस केन्द्र पर गेहूं की प्राप्ति जुलाई, 95 में नहीं हुई बल्कि अक्तूबर, 1995 में हुई थी।

(ख) और (ग). यह सूचित किया गया है कि दुधरेज में कैप भंडारण में रखे गेहूं के स्टाक पर जून, 1996 में भारी वर्षा हुई थी और भारी चक्रवात के साथ तूफान भी आया था। चक्रवात के पश्चात् वरिष्ठ गुण नियंत्रण अधिकारियों ने इस स्टाक का निरीक्षण किया था और रिपोर्ट के अनुसार निचली सतह की बोरियों को हुई कुछ क्षति तथा आंशिक क्षति को छोड़कर अधिकांश स्टाक अच्छी स्थिति में पाया गया था जिसे अलग कर लिया गया था और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप पाए गए गेहूं के ठोस स्टाक को भारतीय खाद्य निगम के गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता के संबंध में प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् खुले बाजार में जारी किया गया था।

अपेक्षित सीमा तक ढके हुए भंडारण स्थान की कमी के कारण गुजरात में खुले में भंडारण किया गया था। पंजाब और हरियाणा से भेजे गए गेहूं के स्टाक को दुधरेज में किराये के खुले स्थान में भंडारित किया गया था क्योंकि दुधरेज सौराष्ट्र में निर्यात/खुली बिक्री के लिए नोडल केन्द्र है।

पशुओं पर परीक्षण

3601. श्री विजय हाण्डिक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, निर्माता कम्पनियों द्वारा श्रृंगार और प्रसारण सामग्री के हानिकारक प्रभावों के आकलन के लिए जीवित पशुओं पर निमर्म परीक्षण करने की प्रथा को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में ऐसे परीक्षणों पर रोक लगाने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन निर्माताओं से ऐसी मानकीय प्रणाली विकसित करने का है जिसमें पशुओं का प्रयोग न किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बनाई गई समिति ने 2 अगस्त, 1996 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में सुझाव दिया कि औषधीय एवं प्रसाधन नियमों की अनुसूची "एस" के तहत आने वाले श्रृंगार एवं प्रसाधन सामग्री जिसके लिए परीक्षण अनिवार्य है, का पुनर्निर्धारण किया जाए और उत्पाद का पशुओं पर परीक्षण किया जाए या न किया जाए यह विनिर्माता की इच्छा पर छोड़ दिया है। ब्यूरो ने "पशुओं पर परीक्षण नहीं किया गया" के प्रदर्शित करने की इच्छा विनिर्माताओं पर छोड़ दी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कास्मेटिक्स संक्शनल समिति की 11 सितंबर, 1996 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि अवयवों तथा सूत्रों पर पहले भी परीक्षण हो चुका है तो पशुओं पर सुरक्षा मूल्यांकन करना इतना आवश्यक न होता और इसे निर्माता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता। तथापि, असाधारण अवयवों/उत्पाद सूत्रों के मामले में नियमों के तहत विनिर्माता के लिए परीक्षण करना आवश्यक होगा।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लिए गए निर्णय उनके प्रकाशन के बाद ही लागू हो जायेंगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

व्यापारी भी आई.एस.आई. की मुट्ठी में

3602. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 1996 के "जनसत्ता" में "व्यापारी भी आई.एस.आई. की मुठ्ठी में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। आतंकवादी एवं जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं (क) केन्द्र एवं राज्य की आसूचना एजेंसियों के साथ निकट

समन्वय; (ख) संदिग्ध गेस्ट हाउसों तथा छिपने के ठिकानों की जांच करना; (ग) जनता को इलैक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य माध्यमों द्वारा संदेहास्पद व्यक्तियों को ताक में रहने के लिए जागरूक बनाना; (घ) नए किराएदारों का सत्यापन; (ङ) विदेशी पर्यटकों के शिविरों आदि पर नजर रखना; और (च) सीमा जांच चौकियों पर कड़ी चौकसी रखना।

[अनुवाद]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3603. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री बची सिंह रावत "बचदा" :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, विशेष रूप से दक्षिण दिल्ली में हत्या के अनसुलझे मामलों की संख्या में तेजी से बढोत्तरी हो रही है जैसा कि 22 नवम्बर, 1996 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान अब तक हत्या के दर्ज किए गए, सुलझाए गए और नहीं सुलझाए गए मामलों का पृथक-पृथक और पुलिस स्टेशनवार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनसुलझे मामलों की सी.बी.आई. अथवा विशेष कार्य बल को सौंपने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्। अपेक्षित सूचना, जिला-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

1.12.95 से 30.11.96 तक की अवधि के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए हत्या के जिला-वार मामले

क्र.सं.	जिला/यूनिट	सूचित किए गए	रद्द किए गए	स्वीकृति किए गए	हल किए गए	हल नहीं किए गए	
						जांच पड़ताल लंबित	जिसका अता-पता नहीं है।
1.	पूर्वोत्तर	66	-	66	54	12	-
2.	पूर्वी	46	-	46	32	13	1
3.	केन्द्रीय	40	-	40	31	8	1
4.	पश्चिम	80	4	76	70	6	-
5.	आई.जी.आई.	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर	37	-	37	27	8	2
7.	पश्चिमोत्तर	113	2	111	84	26	1
8.	नई दिल्ली	11	3	8	3	5	-
9.	दक्षिण	84	6	78	54	24	
10.	दक्षिण-पश्चिम	42	-	42	34	8	-
11.	अपराध एवं रेलवे	9	2	7	2	5	-
	कुल	528	17	511	391	115	5

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन

3604. **श्री पंकज चौधरी :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश कब तक आत्मनिर्भर होगा?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए 70.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुशंसित दूध की पौष्टिक आवश्यकताओं को देखते हुए उम्मीद है कि देश दुग्ध उत्पादन के मामले में इस सदी के अंत तक आत्मनिर्भर हो जाएगा।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976

3605. **श्री मनोज कुमार सिन्हा :**
श्री लालमुनी चौबे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक नीति की पृष्ठभूमि में सरकार ने एफ. सी.आर.ए.-76 की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की समीक्षा लगातार चलती रहती है। अधिनियम में परिवर्तन के प्रस्तावों, यदि कोई हो तो, पर विचार करते समय सरकार की मौजूदा नीतियों को ध्यान में रखा जाता है।

औद्योगिक इकाइयों को बन्द करना

3606. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान आज तक देश में सरकार के माध्यम से मंत्रालय द्वारा तथा न्यायालय द्वारा राज्य-वार कितनी औद्योगिक इकाइयों का अन्यत्र ले जाने अथवा उन्हें बन्द किये जाने का आदेश दिया गया है;

(ख) उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में आज तक बंद की गई औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त आदेशों पर पुनर्विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जिन औद्योगिक इकाइयों पर पुनर्विचार हो रहा है, उनके राज्य-वार नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). वर्ष 1995 से आज तक की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों और इस मंत्रालय के आदेशों के कारण देश में जो औद्योगिक इकाइयां बंद की गई उनका राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है :—

राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या	विवरण
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2	रिट्रीडिंग यूनिट
बिहार	43	43 इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए गए थे। परन्तु 6 इकाइयों को निर्धारित शर्तें पूरी कर लेने के पश्चात पुनः खोलने की अनुमति दे दी गई थी।
गुजरात	39	इस समय 39 इकाइयां बंद हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने ओदश दिनांक 28.9.1995 के द्वारा 1447 इकाइयों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इन इकाइयों में डाइस्टफ इंडस्ट्रीज, केमिकल, पैट्रोकेमिकल और फार्मास्युटिकल्स शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश	54	स्टोन क्रैशिंग यूनिट
मध्य प्रदेश	1	केमिकल यूनिट

1	2	3
हरियाणा	46	स्टोन क्रैशिंग, टेनरी, डिस्टिलरी और डाइंग यूनिट।
तमिलनाडु	485	टेनरीज।
उत्तर प्रदेश	154	बोर्ड एण्ड पेपर मिल, टेक्सटाइल मिल, लैदर इन्डस्ट्रीज, डाइंग एण्ड प्रिंटिंग यूनिट, स्टील ट्यूब, लाइम यूनिट, बोन मिल, मैन्योर यूनिट, मैमिकल यूनिट, शूगर और डिस्टिलरी।
पश्चिम बंगाल	38	रेसिन और कैमिकल, रायल मिल, पेपर इन्डस्ट्रीज, वीवरेज, जूट फैक्टरी, कैमिकल यूनिट, आयरन और स्टील तथा फर्टिलाइजर्स।
दिल्ली	169	ये यूनिट श्रेणी "एच" के अन्तर्गत आते हैं और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डी.ए.आर.ई. द्वारा किए गए समझौते

3607. श्री मुरलीधर जेना : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए आई.सी.ए.आर/डी.ए.आर.ई. द्वारा 1995-96 के दौरान किए गए समझौतों/समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भा.कृ.अनु. प./कृ.अ. और शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान जिन समझौता-ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए वे उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/समझौतों को दोनों पक्षों के विशेष कार्यकलापों के द्वारा वार्षिक द्विवार्षिक कार्य योजना के आधार पर लागू किया जाता है।

विवरण

कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए भा.कृ.अ.प./कृ.अ. और शि.वि. द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों/समझौतों का विवरण

क्र.सं.	समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले देश/ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान	हस्ताक्षर की तिथि	हित वाले क्षेत्र
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, औगाडोगो, बुरकीना फासो के साथ सहमति का नयाचार	7 अगस्त, 195	वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा
2.	लाइबेरिया विश्वविद्यालय मोन रोबिया के साथ हस्ताक्षर किया गया समझौता ज्ञापन।	11 अगस्त, 1995	तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग।
3.	ब्राजील कृषि अनुसंधान कार्पोरेशन (एम्ब्राफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।	30 अगस्त, 1995	कृषि अनुसंधान
4.	एशिया नेटवर्क, जिसका मुख्यालय आई.सी.यू.सी. में है (साउथ हेम्पटन विश्वविद्यालय ब्रिटेन) के लिए कम प्रयुक्त शीतोष्ण फलों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	11 सितम्बर, 1995	उष्ण फलों पर अनुसंधान

1	2	3	4
	कृषि विज्ञान की रूसी अकादमी (आर.ए.ए.एस.) रूस के साथ समझौता।	5 अक्तूबर, 1995	कृषि और संबंधित विषयों में अनुसंधान
6.	अमरीका के कृषि विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।	27 जनवरी, 1996	कृषि विज्ञान
	अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए आस्ट्रेलियाई केन्द्र (ए.सी.आई.ए.आर.) और भा.कृ.अ.प. के बीच सहयोगी प्रायोजनाएं विकसित करने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गये।	2 फरवरी, 1996	पशु विज्ञान और मछली पालन सहित कृषि अनुसंधान के विषय में सहयोगी प्रायोजनाएं।
8.	आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आई.सी.जी.ई.बी.) नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।	31 जुलाई, 1996	आनुवंशिक इंजीनियरी और जैव प्रौद्योगिकी के विषयों में अनुसंधान
9.	जीवित जलीय संसाधन प्रबन्ध के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, (आई.सी.एल.ए.आर.एम.) फिलीपीन्स के साथ समझौता ज्ञापन।	15 जुलाई, 1996	मात्स्यिकी अनुसंधान
10.	अन्तर्राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन संस्थान (आई.पी.जी.आर.आई.) रोम, इटली के साथ समझौता ज्ञापन।	17 जुलाई, 1996	पौध आनुवंशिक स्रोत
11.	अन्तर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान (आई.एल.आर.आई.) नेरोबी, केन्या के साथ समझौता ज्ञापन।	15 नवम्बर, 1996	पशुधन अनुसंधान
12.	अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबन्ध संस्थान, (आई.आई.एम.आर.), श्री लंका।	25 नवम्बर, 1996	सिंचाई और जल प्रबंध

[हिन्दी]

"टाडा" के अंतर्गत नजरबंद

3608. श्री इलयास आजमी :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टाडा" अधिनियम लागू किए जाने के बाद राज्यवार कितने व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद किया गया;

(ख) कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और कितनों को न्यायालयों ने रिहा किया;

(ग) "टाडा" के अंतर्गत पकड़े गए व्यक्तियों को लम्बी अवधि तक नजर बंद रखने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक विवरण संलग्न है।

(ख) दोषी पाए गए और निर्दोष ठहराए गए व्यक्तियों के बारे में यह मंत्रालय कोई सूचना नहीं रखता है।

(ग) और (घ). चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है इसलिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग वहां व्याप्त लोक व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अतः केन्द्र सरकार संबंधित नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	टाडा अधिनियम के निरसन तक टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या। (1985 से मई, 95 तक संचित)
1.	आंध्र प्रदेश	7485
2.	अरुणाचल प्रदेश	109
3.	असम	13637
4.	बिहार	359
5.	गोवा	4
6.	गुजरात	18686
7.	हरियाणा	2658
8.	हिमाचल प्रदेश	30
9.	जम्मू और कश्मीर	11616
10.	कर्नाटक	236
11.	केरल	14
12.	मणिपुर	1694
13.	मध्य प्रदेश	731
14.	महाराष्ट्र	2537
15.	मेघालय	21
16.	पंजाब	15525
17.	राजस्थान	477
18.	तमिलनाडु	384
19.	उत्तर प्रदेश	1137
20.	पश्चिम बंगाल	531
21.	चंडीगढ़ प्रशासन	249
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1212
	जोड़	79332

उत्तर प्रदेश में नशामुक्ति केन्द्र

3609. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कितने नशामुक्ति केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग की योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 129 निर्व्यसन केन्द्रों को सहायता दी गई है जिनमें से 12 उत्तर प्रदेश में हैं।

(ख) और (ग). नए केन्द्र खोलना योजना में निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी दिए वर्ष में केन्द्रों की सही संख्या, जिनकी स्वीकृति प्रस्तावित हैं, देना सम्भव नहीं है।

बीहड़ क्षेत्रों का विकास

3610. श्री अशोक अर्गल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर कृषि हेतु विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने संबंधी क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार चम्बल बीहडों को कृषि योग्य बनाने तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कृषि हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो अब तक सम्पर्क स्थापित की गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थानीय भूमि हीन किसानों को पट्टे पर इन बीहड़ क्षेत्रों को देने तथा आसान ब्याज दर पर उन्हें ऋण प्रदान कर इसे कृषि योग्य बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) विभिन्न योजना अवधियों में बीहड़ क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय व राज्य स्तरों पर प्रयास किए गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 26.61 करोड़ रुपये की लागत से 0.59 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सुधार किया गया। बाद में, राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार 1991-92 से इस योजना का राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया।

चम्बल तथा यमुना आवाह क्षेत्रों के बीहड़ क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध नामक विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश में 47,494 हैक्टे. क्षेत्र के सुधार के लिए 81.05 करोड़ रुपये की सहायता भी प्रदान की गई है।

(ख) से (घ). इस तरह के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पशु चिकित्सालय और गर्भाधान केन्द्र

3611. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पशु चिकित्सालय तथा गर्भाधान केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं और इस प्रयोजनार्थ एक गांव के लिए कितने पशु निर्धारित किए गए हैं;

(ख) देश में पशु चिकित्सालयों तथा गर्भाधान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पशु चिकित्सालयों तथा गर्भाधान केन्द्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में पशु चिकित्सालयों तथा गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है तथा प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने चिकित्सालय तथा केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) किसी गांव में मवेशियों की संख्या के हिसाब से पशु चिकित्सालय खोलने के लिए कोई मानदंड तय नहीं किए गए हैं। तथापि, कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने 1976 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि 1980 तक प्रत्येक 20,000 मवेशियों के लिए कम से कम एक पशु चिकित्सालय, 1990 तक 10,000 मवेशियों के लिए एक पशु चिकित्सालय तथा वर्ष 2000 तक प्रत्येक 5000 मवेशियों के लिए पशु चिकित्सालय खोला जाए। योजना के अनुसार, प्रत्येक 1000 प्रजननीय गायों/भैंसों के लिए एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की आवश्यकता है।

(ख) देश में राज्यवार पशु चिकित्सालयों और गर्भाधान केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ). सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पशु चिकित्सालयों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि, हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार संबंधी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना सहित आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न II (i), II (ii) और II (iii) दिया गया है।

(ङ) और (च). पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

विवरण-I

31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार पशु चिकित्सालयों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या (अनन्तिम)

क्र.सं.	राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	पशु चिकित्सालय/ पोलिक्लिनिक	पशु औषधालय	पशु सहायता केन्द्र/स्टॉकमैन केन्द्र/चलते-फिरते औषधालय	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	280	1641	2589	3009
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	91	164	30
3.	असम	26	387	1235	731
4.	बिहार	62	1155	2190	1652
5.	गोवा	3	21	56	74
6.	गुजरात	13	388	587	3514
7.	हरियाणा	606	859	751	2276
8.	हिमाचल प्रदेश	230	514	14	710
9.	जम्मू और कश्मीर	48	302	201	1226
10.	कर्नाटक	240	697	1795	4645

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	175	541	11	1600
12.	मध्य प्रदेश	772	2152	90	2818
13.	महाराष्ट्र	31	992	1908	3972
14.	मणिपुर	52	108	29	119
15.	मेघालय	4	57	75	87
16.	मिजोरम	5	39	98	21
17.	नागालैंड	4	27	70	5
18.	उड़ीसा	58	465	2831	1564
19.	पंजाब	1096	1328	45	1965
20.	राजस्थान	1028	284	56	2109
21.	तमिलनाडु	58	791	2226	2770
22.	त्रिपुरा	9	49	220	21
23.	उत्तर प्रदेश	1855	258	2712	2723
24.	पश्चिम बंगाल	140	612	702	1865
25.	सिक्किम	12	25	59	53
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	9	39	8	31
27.	चंडीगढ़	5	3	–	1
28.	दादर व नगर हवेली	1	–	–	–
29.	दमन व दीव	1	–	–	–
30.	दिल्ली	53	23	–	22
31.	लक्षद्वीप	–	10	–	5
32.	पांडिचेरी	3	14	–	57
	जोड़	6850	13872	20722	39675

विवरण–II (i)

हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार संबंधी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता 1993–94

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपयों में)	बुनियादी सुविधाएं				
			कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	हिमित वीर्य केन्द्र	हिमित वीर्य बैंक	प्रशिक्षण केन्द्र	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	1.195	–	–	–	–	माइक्रोस्कोप
2.	हरियाणा	127.30	–	1	–	–	–
3.	हिमाचल प्रदेश	22.30	90	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जम्मू और कश्मीर	51.01	80	–	–	–	तरल नाइट्रोजन संयंत्र
5.	कर्नाटक	30.88	24	–	2	–	–
6.	केरल	5.86*	–	–	–	–	–
7.	मेघालय	3.95*	–	–	–	–	–
8.	उत्तर प्रदेश	14.00	–	–	1	–	–
9.	पश्चिम बंगाल	84.00	–	–	1	–	–
	जोड़	340.495	194	1	4	–	

* पिछली परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई थी।

विवरण–II (ii)

हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार संबंधी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपयों में)	बुनियादी सुविधाएं				
			कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	हिमित वीर्य केन्द्र	हिमित वीर्य बैंक	प्रशिक्षण केन्द्र	अन्य
1.	जम्मू और कश्मीर	220.00	450	1	2	–	–
2.	महाराष्ट्र	74.05	100	1	1	–	–
3.	मिजोरम	1.80	15	–	–	–	–
4.	उड़ीसा	12.00	–	–	–	–	तरल नाइट्रोजन संयंत
5.	तमिलनाडु	45.00	–	1	–	–	–
6.	पश्चिम बंगाल	46.00	–	–	1	–	–
	जोड़	398.85	565	3	4	–	

विवरण–II (iii)

हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार संबंधी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण 1995–96

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रुपयों में)	बुनियादी सुविधाएं				
			कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	हिमित वीर्य केन्द्र	हिमित वीर्य बैंक	प्रशिक्षण केन्द्र	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	23.80	170	–		–	–
2.	केरल	99.16	288	1	3	1	–
3.	मध्य प्रदेश	35.00	200	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मेघालय	58.60	–	–	1	–	
5.	मिजोरम	73.40	15	–	1	–	
6.	उत्तर प्रदेश	69.00	147	–	4	–	–
7.	पश्चिम बंगाल	170.00	–	–	2	–	–
	जोड़	528.96	760	1	11	2	–

ग्रीन हाउस टेक्नॉलॉजी

3612. श्री ललित उरांव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत में "ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी" में परिवर्तन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार समझती है कि उपर्युक्त प्रौद्योगिकी किसी भी फसल के लिए अपेक्षित जल, तेल, जलवायु आर्द्रता और अनुकूल पर्यावरण जैसे प्राकृतिक बुनियादी संघटकों में आई अनियमितता और अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषकों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) किन-किन राज्यों में इस प्रौद्योगिकी को इस समय कृषि में आंशिक रूप से अपनाया जा रहा है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सरकार ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। यह प्रौद्योगिकी इस प्रयोजनार्थ फसलोत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करती है। भारत सरकार एक योजना क्रियान्वित कर रही है जिसके अधीन किसानों को ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है।

(घ) जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और नागालैण्ड ऐसे प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने फसलोत्पादन के लिए ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी को अपनाया है।

बिहार में कल्याण योजनाएं

3613. श्री रमेन्द्र कुमार :

श्री तारीक अनवर :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) तत्संबंधी जिले वार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). यह मंत्रालय बिहार राज्य सहित सम्पूर्ण देश में कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। निधियां केवल योजनावार आबंटित की जाती है परन्तु जिलावार नहीं। वर्ष 1995-96 के दौरान योजनाओं तथा उनके तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त राशि 1995-96
1	2	3
	अनुसूचित जाति विकास	
1.	एस सी डी सी	57.64
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	990.75

1	2	3
3.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	84.46
4.	अ.जा/अ.ज.जा. छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	5.00
5.	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	2.96
6.	पी सी आर एक्ट	18.00
7.	अ.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	48.70
8.	अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	98.00
	अनुसूचित जनजाति विकास	
1.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	14.73
2.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	35.31
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता (टी एस पी)	274.22
4.	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	725.25
5.	राज्य टी डी सी सी एस को सहायतानुदान	50.00
	समाज रक्षा (वयोवृद्धों का कल्याण)	4.47
	अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	
1.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों को कोचिंग	15.09
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	1017.45
3.	बहुक्षेत्रीय विकास योजना	1.00
	विकलांगों का कल्याण	
1.	सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना	29.50
2.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	56.71
3.	विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	2.03

जनजातीय लोगों के लिए भूरिया समिति

3614. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों के स्वशासन के संबंध में भूरिया समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब गठित की गई थी और इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी, हां। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए कानून की मुख्य विशेषताओं के संबंध में सिफारिश करने के लिए श्री दिलीप सिंह भूरिया, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति 10 जून, 1994 को गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1995 में प्रस्तुत की है। इस समिति की सिफारिशों के सारांश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). भूरिया समिति की सिफारिशों और राज्य सरकारों के विचारों पर आधारित एक विधेयक अर्थात् पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 1996 राज्य सभा द्वारा दिनांक 12.12.1996 को पहले ही पारित किया जा चुका है। यह विधेयक लोक सभा में विचारार्थ लम्बित है।

विवरण

संविधान (तिहत्तवा संशोधन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक किए जाने के बारे में विधि संबंधी सिफारिशें करने के लिए गठित संसद सदस्यों एवं विशेषज्ञों की सिफारिशों का सारांश।

(1) मोटे तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संसद द्वारा पारित किए जाने वाले कानून के संविधान के भाग 9 के उपबंधों को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन इसके साथ ही आदिवासी समाजों और आदिवासी क्षेत्रों के कुछ विशेषताओं को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से इसमें उनके रीति-रिवाजों, देशी संस्थाओं, परंपरागत रीति-रिवाजों, सामुदायिक आचार, उनके जीवन याापन के ढ़ग, संगठन, सांस्कृतिक प्रथाओं आदि तथा उनके वर्तमान शोषण की स्थिति, वंचना तथा उन्हें दरकिनार किया जाना इत्यादि।

(2) एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे ध्यान में रखा जाना है, वह यह है कि आदिवासी समुदायों के शोषण का निवारण करने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान किया जाना चाहिए। यह कार्य उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाकर किया जा सकता है ताकि वे आदिवासी लोगों में उभर रही समस्याओं जैसे भूमि पर कब्जा, विस्थापन, वनों की कटाई, पारिस्थितिक अपक्षय, बढ़ती ऋण-ग्रस्तता, उत्पाद नीति आदि के साथ निपट सकें।

(3) संविधान के भाग 9 में प्राथमिक रूप से एक ग्राम सभा सहित ग्राम, माध्यमिक तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की परिकल्पना की गई है। इस समिति ने एक ग्राम सभा सहित एक त्रि-स्तरीय संरचना की भी सिफारिश की है। तथापि, पंचायती रूपरेखा से महत्वपूर्ण रूप से अलग हटकर समिति के विचार-विमर्शों में जो विचार उभरा और जिसकी इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है, वह यह है कि विशाल केन्द्रीय भारतीय आदिवासी मुख्य भाग के लिए भी, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र शामिल हैं, छठी अनुसूची की समग्र रूपरेखा को, 5वीं अनुसूची की विस्तृत रूपरेखा के भीतर संविधान के भाग 9 के उपबंध के साथ ताल-मेल बैठाते हुए अपनाया जाना चाहिए। छठी अनुसूची के मॉडल को आत्म-निश्चय व एक उपकरण बनाने के लिए स्वायत्तता के एक विस्तृत चार्टर के रूप में लिया गया है जबकि पांचवीं अनुसूची की सम्पूर्ण रूपरेखा की मांग विनियम बनाने अथवा यथावश्यक किसी अन्य कानून बनाने के लिए की गई है। इस समिति ने जिला स्तर पर छठी अनुसूची में उल्लिखित स्वायत्त जिला परिषद की सिफारिश की है जो जातीय इच्छाओं एवं केन्द्रीय भारतीय आदिवासी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली स्व-प्रबंधन की अवधारणा को संतुष्ट करेगी। अधिशासी, विकासात्मक और वित्तीय उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त छठी अनुसूची में जिला परिषदों को न्याय संबंधी विधायन और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। यह समिति सिफारिश करती है कि यह प्रपत्र छठी अनुसूची के क्षेत्रों के जिलों के लिए लागू किया जाना चाहिए लेकिन इसका विस्तार उन विषयों को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए जो पंचायतों के गठन संबंधी ।।वीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

4. प्रतिनिधि लोकतंत्र के इन तीन स्तरों पर संविधान के भाग 9 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य इन विभिन्न स्तरीय पंचायतों को शक्ति और प्राधिकार का हस्तांतरण करे। जबकि इस समिति की रिपोर्ट पंचायतों को प्रदान की जाने वाली शक्तियों तथा उनके कार्यों के संबंध में निर्णायक है। विशेषकर उन पंचायतों के संबंध में जो आदिवासियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं जैसे भूमि स्वामित्व परिवर्तन, विस्थापन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, वनों में विस्तार अधिकार, न्याय निपटारा, शराब बनाने तथा उनका विक्रय करने पर नियंत्रण आदि से निपट रहे हैं।

5. समिति की दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश ग्राम सभा है। भारत में अधिकांश आदिवासी समाजों में समतावादी भावना पाई जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पर विचार करते समय उनकी विशिष्ट परंपरागत संगठनात्मक रूपरेखा पर ध्यान देना होगा। ऊबड़-खाबड तथा पहाड़ी स्थलाकृति-विज्ञान, विरल आबादी वाले छुट-पुट गांव, जिन्हें छोटी बस्तियों के रूप में बेहतर ढंग से वर्णित किया जा सकता है, आदिवासी क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ग्राम सभा को ऐसी इकाई का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। समिति यह गंभीरतापूर्वक महसूस करती है कि आदिवासी समुदायों में ग्राम सभा की भूमिका एक गुंजायमान तथा जीवंत संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। यह समिति जोरदार ढंग से यह सिफारिश करती है कि ग्राम सभा एक इकाई होनी चाहिए जो जीवंत और कार्यरत हो।

6. इस तथ्य को अपनी प्रबल सिफारिशों की पंक्ति में रखते हुए कि पंचायती राज प्रणाली में प्रत्यक्ष भागीदारी वाले लोकतंत्र को प्रधानता दी जाए, समिति ने ग्राम सभाओं में प्रदान किए जाने वाले दायित्वों और शक्तियों तथा कार्यों के संबंध में विस्तृत सुझाव दिए हैं। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम यह बात राज्यों पर छोड़ता है कि वे ग्राम सभाओं को शक्तियों और कार्यों से सम्पन्न करें। वे संविधान से स्वतः नहीं प्राप्त होते। ग्राम सभाओं को प्रदान की जाने वाली शक्तियों, कार्यों एवं प्राधिकार के संबंध में इस समिति की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं।

7. समिति का यह विचार है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अपनी परंपरागत भूमिका विशेषकर उन विभिन्न कार्यों, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन सहित परंपरागत रूप से निर्धारित है, का निर्बाध रूप से निर्वाह करने को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में इस बात को सुनिश्चित करने पर बल

दिया गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी पहुंच बनी रहनी चाहिए और उन्हें उनका उपयोग करने का अधिकार उपयुक्त रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

8. इसके अतिरिक्त ग्राम सभा में एक परंपरागत ग्राम परिषद होती है जो धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक आदि विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है। इन्हें कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी भूमिका का आधुनिक संस्था के साथ ताल-मेल बैठाया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई निकाय विद्यमान न हो तो संघटक ग्राम सभा विकास कार्यों और अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यकारी ग्राम परिषद का सृजन कर सकती है।

9. इस समिति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों के अनुसार पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर अनुसूचित जनजातियों को होना चाहिए। इसके अतिरिक्त माध्यमिक तथा जिला स्तरीय पंचायतों के साथ केवल अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों को ही सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

10. उन अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जीत सकते, के लिए जिला परिषद में मनोनयन के लिए अधिक से अधिक पांच स्थान निर्धारित करना।

11. किसी पंचायत को भंग करने वाला प्राधिकारी राज्यपाल होना चाहिए।

12. निधियों का विपथन और दुरूपयोग रोकने के लिए सभी आदिवासी उप-योजना निधियों, चाहे वे राज्य योजना अथवा विशेष केन्द्रीय सहायता या किसी अन्य से संबंधित हों, का निर्धारण और स्थापन संबंधित सरकारों के बजट में "प्रमार्य" श्रेणी में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इन निधियों को ए.डी.सीज. और पंचायतों के निपटान पर रखा जाना चाहिए और ए.डी.सीज. को इन निधियों का सीधे आबंटन करने संबंधी विधि तैयार की जानी चाहिए।

कुछ अन्य सिफारिशें भी हैं जो समग्र रूप से 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों जैसे आदिवासी सलाहकार परिषद को एक प्रभावी तथा कार्य करने वाले संगठन बनाने, केन्द्रीय सलाहकार परिषद को पुनर्जीवित करने, ए.डी.सीज. के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों की जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए राज्यपाल द्वारा एक आयोग की स्थापना करने, जातीय गुण तथा जनसांख्यिकीय विचारों पर आधारित प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन करने तथा उन आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने, जिन्हें छोड़ दिया गया है, के लिए अनुसूचित क्षेत्रों की नए ढंग से जांच करने से संबंधित है।

डकैती रोकने संबंधी कार्यक्रम

3615. श्रीमती कमल रानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में डकैती रोकने संबंधी कार्यक्रम के लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) डकैती रोकने संबंधी कार्यक्रम को कितने चरणों में विभाजित किया गया है;

(ग) अगले वित्त वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित किये जाने की आशा है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार राज्यों को, विशेष रूप से डकैतियों का उन्मूलन करने के लिए, धन जारी नहीं करती है। तथापि, "राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" नामक योजना के तहत यह राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष (1996-97) के लिए उत्तर प्रदेश को 336.300 लाख रुपये आवंटित किए गए जिसमें से 168.150 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश को गत वर्ष (1995-96) में भी 336.300 लाख रुपये आवंटित किए गए थे परन्तु इससे पूर्व के वर्षों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण, कोई राशि जारी नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

बिहार हेतु केन्द्रीय सहायता

3616. श्री तारीक अनवर : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को किन-किन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है और इस सहायता हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन-किन योजनाओं के लिए दी गई थी;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा सीधे ही इस सहायता का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) तथा (ख). योजनाओं में निर्धारित मानदंडों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। योजनाओं के ब्यौरे के साथ विशेष केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) तथा (घ). इस सहायता का उपयोग विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सीधे किया जाता है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	निर्मुक्त धनराशि		
		1993-94	1994-95	1995-96
	अनुसूचित जाति विकास			
1.	अनुसूचित जातियों को विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2327.11	2327.11	-
2.	एस सी डी सी को सहायता	113.52	-	57.64
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	590.14	451.00	990.75
4.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	65.80	शून्य	84.46
5.	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पुस्तक बैंक	9.91	16.99	5.00
6.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	40.00	-	-
7.	अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए होस्टल	70.77	-	-
8.	कोचिंग की सम्बद्ध योजना	8.57	1.70	2.96
9.	पीसीआर एक्ट तथा अ.जा./अ.ज.जा.	26.50	15.00	116.00
	अनुसूचित जनजाति विकास			
1.	स्व व्यावसायियक प्रशिक्षण		44.34	-
2.	अ.ज.जा के लड़कों के लिए होस्टल	-	4.84	-
3.	अ.ज.जा. की लड़कियों के लिए होस्टल			
4.	अ.ज.जा. की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसर			
5.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	12.71	10.63	14.73
6.	विशेष केन्द्रीय सहायता (टी एस पी)	3497.39	1748.70	174.22
7.	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	801.00	725.25	725.25
8.	राज्य टीडीसीसी का सहायतानुदान	-	-	50.00
	अल्पसंख्यक विकास			
1.	बहुक्षेत्रीय विकास योजना	शून्य	शून्य	1.00

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं के निर्यात/आयात से लाभ

3617. श्री गंगा राम कोली : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को निर्यात और आयात किए जा रहे खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान आयात/निर्यात से केन्द्र सरकार ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या सरकार इस लाभ को बढ़ाने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले एक वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान देश से निर्यात किए गए चावल,

गेहूं और अन्य अनाजों की कुल मात्रा और कीमत नीचे दी गई है :-

जिन्स	मात्रा (लाख टन में)	कीमत (करोड़ रुपए में)
चावल (बासमती)	3.92	851.16
चावल (गैर-बासमती)	51.20	3701.85
गेहूं	6.17	360.90
अन्य अनाज	0.28	17.15

0.23 करोड़ रुपए की कीमत के 994 टन अन्य अनाजों को छोड़कर 1995-96 के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया गया।

(ख) ये निर्यात प्राइवेट निर्यातकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये थे जिसका लाभ सरकार के पास नहीं जाता है।

तथापि, सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से 30.00 लाख टन बढ़िया और उत्तम चावल तथा 25 लाख टन गैर डुरूम गेहूं निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए दिए गए प्राधिकार के प्रति इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से उच्चतर मूल्यों पर लगभग 14.82 लाख टन चावल और लगभग 0.81 लाख टन गेहूं बेचा था। इस निर्यात बिक्री के कारण भारतीय खाद्य निगम को देय सब्सिडि की राशि में 1995-96 के दौरान अनुमानतः 72 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी समितियां

3618. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों की संख्या कितनी है एवं इनमें से कितनी सहकारी समितियां कार्य नहीं कर रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने और इनकी संख्या बढ़ाने के संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ग) "ऑपरेशन फ्लड" I-2-3 के अंतर्गत राज्यवार व्यय की गई धनराशि और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) "ऑपरेशन फ्लड" योजना के पूरा होने के पश्चात डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) सरकार का उन क्षेत्रों में जहां "ऑपरेशन फ्लड" योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों की किसी भी सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया, वहां डेयरी उद्योग के लिए कौन सी योजनाएं शुरू करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) डेयरी विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत 31.3.96 तक लगभग 85,000 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संगठित किया गया है। इनमें से लगभग 74 प्रतिशत कार्यरत हैं। इनकी सुस्ती के कारण हैं-कम उत्पादन, किसानों की भागीदारी का अभाव तथा अव्यावहारिक संचालना।

(ख) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन बंद पड़ी कुछ समितियों को फिर से चालू करने का प्रयास कर रही है। नई समितियों को केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम के रूप में स्थापित करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) 31.3.1996 तक ऑपरेशन फ्लड-1,2 तथा 3 के तहत विभिन्न राज्यों को जारी धनराशि संलग्न विवरण-I में दी गई है। संचित उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना शुरू की है। ऑपरेशन फ्लड गतिविधियों के अंतर्गत बड़ी संख्या में किसानों को शामिल करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में नई डेयरी सहकारी समितियों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऑपरेशन फ्लड मिल्क शेडों में सभी बंद बड़ी समितियों को फिर से चालू करने का भी प्रस्ताव है।

विवरण-I

31.3.96 तक ऑपरेशन फ्लड-1,2 व 3 के तहत जारी धनराशि

(लाख रुपयों में)

राज्य	परियोजना			
	ऑपरेशन फ्लड-1 1970-82	ऑपरेशन फ्लड-2 1878-85	ऑपरेशन फ्लड-2 (स्पिलओवर) 1985-87	ऑपरेशन फ्लड-3 1987-96
1	2	3	4	5
अंडमान निकोबार		26.23	2.59	73.31
आंध्र प्रदेश	503.27	2449.49	1412.41	6207.67

1	2	3	4	5
असम		227.74	174.28	190.01
बिहार	323.55	443.72	373.09	1955.08
दिल्ली	903.35	573.59	144.42	2039.08
गोवा		106.42	13.71	197.24
गुजरात	2188.75	4338.84	2391.44	38021.51
हरियाणा	375.94	492.43	534.96	2491.17
हिमाचल प्रदेश		54.69	50.66	127.75
कर्नाटक		484.53	1131.70	8376.72
केरल		833.75	891.01	2398.81
जम्मू और कश्मीर		34.69	15.03	55.59
मध्य प्रदेश		2186.27	1365.94	1257.25
महाराष्ट्र	1800.19	1671.52	1145.22	4138.90
मणिपुर			0.16	0.85
मिजोरम			2.28	1.49
नागालैंड		1.00	5.23	5.42
उड़ीसा		728.27	287.65	632.85
पांडिचेरी		42.61	63.07	106.22
पंजाब	528.71	2225.30	1039.13	4067.64
राजस्थान	400.58	606.58	1030.89	3617.39
सिक्किम		59.35	10.43	1.12
तमिलनाडु	1426.41	1807.39	1436.26	6265.81
त्रिपुरा		19.64	7.23	8.63
उत्तर प्रदेश	578.81	740.42	1287.00	8880.00
पश्चिम बंगाल	1491.84	821.29	392.17	6745.63
राज्यों को जारी कुल धनराशि	10521.40	20975.76	15207.96	97863.14
केन्द्रीयकृत गतिविधियां	1132.51	6741.54	5723.87	12612.48
सकल योग	11653.91	27717.30	20931.83	110475.62

विवरण-II

31.3.96 तक विभिन्न राज्यों में ऑपरेशन फ्लड के कुछ मुख्य घटकों की उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समितियां (सं.)	कृषक सदस्य (000)	दुग्ध* अधिप्राप्ति (टीकेजी. पीडी)	दुग्ध* विपणन (टीएल पीडी)	सृजित डेयरी प्रसंस्करण क्षमता (टीएल पीडी)	दूध सुखाने की सृजित क्षमता (एमटीपीडी)
1.	अंडमान निकोबार		सूचित नहीं किया			5	-
2.	आंध्र प्रदेश	5311	714	585	620	2247	-
3.	असम	122	2	5	8	60	-
4.	बिहार	2722	135	155	175	586	12.5
5.	दिल्ली	-	-	-	1096	1150	-
6.	गोवा	155	16	23	49	75	60
7.	गुजरात	11430	1950	3157	1431	6660	393
8.	हरियाणा	2296	154	119	62	430	25
9.	हिमाचल प्रदेश	178	15	12	15	30	-
10.	जम्मू और कश्मीर		सूचित नहीं किया		-	10	-
11.	कर्नाटक	7193	1382	1206	1136	1805	34
12.	केरल	1415	366	321	322	525	10
13.	मध्य प्रदेश	4215	211	179	247	1030	30
14.	महाराष्ट्र	5807	1106	1896	1824	3940	-
15.	मणिपुर				-	-	-
16.	मिजोरम				-	-	-
17.	नागालैंड	22	1	1	1	-	-
18.	उड़ीसा	1060	72	56	89	125	-
19.	पांडिचेरी	81	22	32	29	30	-
20.	पंजाब	6009	339	640	321	1410	99
21.	राजस्थान	5128	370	420	232	1050	60
22.	सिक्किम	122	4	5	5	15	-
23.	तमिलनाडु	8158	1834	1369	1296	2421	70
24.	त्रिपुरा	80	4	2	5	10	-
25.	उत्तर प्रदेश	9845	533	635	376	1140	60
26.	पश्चिम बंगाल	1395	85	123	601	1510	10
	जोड़	72744	9315	10941	9940	26264	989.50

*-वर्ष 1995-96 का औसत

टीकेजीपीडी-हजार किलोग्राम प्रतिदिन।

टीएलपीडी-हजार लीटर प्रतिदिन।

एमटीपीडी-मीट्रिक टन प्रतिदिन।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सांड प्रजनन कार्यक्रम

3619. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय सांड प्रजनन कार्यक्रम आरंभ किया गया;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य तथा अन्य राज्यों में जहां यह योजना आरंभ की गई थी, को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों में केन्द्रीय सहायता के उपयोग से कौन सी गतिविधियां चलाई जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). ब्यौरा विवरण में दिया गया है। उड़ीसा राज्य सरकार के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

(ग) राज्यों को निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी :-

(1) प्रजनन के लिए अनपेक्षित नर बछड़ों तथा निकम्मे सांडों का बंधियाकरण।

(2) गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में क्रमशः गीर, कंकरेज, हरियाणा तथा साहिवाल नामक देशी नस्लों के मवेशियों के लिए सहयोजित गो यूथ संतति परीक्षण कार्यक्रम।

(3) गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्यों में क्रमशः गीर, कंकरेज, हरियाणा, साहिवाल तथा रेड सिंधी नामक नस्लों के देशी मवेशियों के लिए भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण।

(4) नागौर, अम्बलाचारी, कंगेयम, अमृत महल, खिल्लर तथा मालवी, टोडा भैंस तथा मिथुन जैसी नस्लों और राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य नस्ल के संरक्षण हेतु।

(5) गोशालाओं को सहायता।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
1.	अरुणाचल प्रदेश	8.40	14.25	-	-	22.65
2.	हिमाचल प्रदेश	-	30.00	-	-	30.00
3.	केरल	-	42.50	-	-	42.50
4.	मिजोरम	-	8.00	2.00	12.00	22.00
5.	उत्तर प्रदेश	33.00	25.75	128.05	-	186.80
6.	गुजरात	188.00	212.05	178.00	-	578.05
7.	जम्मू और कश्मीर	-	18.00	-	-	18.00
8.	मणिपुर	-	12.00	-	-	12.00
9.	तमिलनाडु	-	104.25	-	-	104.25
10.	पंजाब	-	92.20	-	191.00	283.20
11.	उड़ीसा	-	30.00	-	-	30.00
12.	मध्य प्रदेश	-	10.00	20.00	-	30.00
13.	हरियाणा	186.10	-	163.00		349.10
14.	कर्नाटक	-	-	7.00		7.00

[हिन्दी]

मिल मालिकों को गेहूं की आपूर्ति

3620. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैदा तथा आटा का उत्पादन करने हेतु मिल मालिकों को गेहूं की आपूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार का कोई मामला ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में बिक्री की योजना (घरेलू) के अधीन थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, रोलर फ्लोर मिलों, चक्कियों, सहकारी समितियों, सुपर बाजार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों आदि सहित सभी को गेहूं की बिक्री करता है।

(ग) और (घ). भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा गेहूं की खुली बिक्री में की गई अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रमाणनीय शिकायतों की जांच की गई थी। इस जांच के परिणामस्वरूप, श्रेणी-1 के 3 अधिकारियों और श्रेणी-3 के 4 कर्मचारियों को प्रमुख दण्ड के रूप में चार्जशीट जारी की गई थी। श्रेणी-1 के एक अधिकारी, श्रेणी-2 के एक अधिकारी और श्रेणी-3 के तीन कर्मचारियों को निलम्बि किया गया है। श्रेणी-1 के एक अधिकारी और श्रेणी-2 के एक अधिकारी, जो भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार पाए गए थे, को असंवेदनशील पदों पर स्थानान्तरित किया गया था।

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-2 के दो और श्रेणी-3 के दो कर्मचारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी एक आर.सी. 45/96-सी.एच.डी., दिनांक 4.9.1996 को गहन जांच करने के लिए दर्ज की है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में हत्या

3621. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चा" :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1996 के "पंजाब केसरी" में "दो सगे भाइयों की हत्या से क्षुब्ध भीड़ ने थाने को घेरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बारे में जनता और विधायकों की ओर से पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वन भूमि उपलब्ध कराना

3622. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मैसूर में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने हेतु दूरदर्शन टावर के निर्माण किए जाने के लिए मैसूर के नजदीक चामुण्डा पहाड़ियों पर वन भूमि उपलब्ध कराने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु कितनी भूमि की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). मैसूर जिले में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रान्समीटर परियोजना तक सम्पर्क मार्ग के लिए 0.12 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव कर्नाटक राज्य सरकार से बंगलौर में इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को दिनांक 16.1.96 को प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ). इस प्रस्ताव को दिनांक 17.1.1996 को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3623. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति के कारण भूख से हुई मौतों की जांच करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

चारा वितरित करना

3624. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988-89 में सूखे के दौरान दिल्ली में कमजोर वर्गों के लोगों को चारा वितरित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने चारे की खरीद की गई, इस पर कितना व्यय हुआ और इसको किस पर खरीदा गया;

(ग) क्या चारे की बिक्री से प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा किया गया था, और यदि हां, तो कितनी राशि जमा की गई;

(घ) क्या इस संबंध में अभी भी कुछ राशि वसूल की जानी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त सौदे में कतिपय अनियमितताएं सरकार के ध्यान में लाई गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) से (छ). ये प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरकों की आपूर्ति

3625. श्री कर्नल राव राम सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा के किसानों को समय से उर्वरक नहीं मिल रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप फसलों का उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भावी आवश्यकतानुसार राज्य को उर्वरकों की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). रबी 1996-97 मौसम के दौरान हरियाणा में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य सरकार ने राज्य में किसी भी प्रकार के उर्वरक की कमी की सूचना नहीं दी है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

वृद्धावस्था आश्रम

3626. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विशेषरूप से उन वृद्ध व्यक्तियों, जिनके परिवार नहीं है, के लिए वृद्धावस्था आश्रमों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए निकट भविष्य में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों खासकर निराश्रितों के लिए वृद्धावस्था गृहों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थानों/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस समय इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रिक्त आरक्षित पद

3627. डा. बलिराम : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भांडागार निगम की शाखाएं कहां-कहां हैं;

(ख) इन शाखाओं में आज तक रिक्त आरक्षित पदों की संख्या कितनी है;

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम की शाखाओं के स्थान क्रमशः विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणी-3		श्रेणी-4	
अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
19	5	5	-

जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबंध है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र को केवल श्रेणी-3 और 4 के लिए रिक्तियों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र यूनिट के रूप में गिना जाता है। रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणी-3		श्रेणी-4	
अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
85	126	68	108

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम में रिक्तियां आवश्यकता के आधार पर सौपानवार आधार पर भरी जा रही हैं। भारतीय खाद्य निगम में रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक "विशेष भर्ती अभियान, 1996" चलाया गया है।

(घ) केन्द्रीय भंडारण निगम में रिक्त पदों को क्रमानुसार (प्रोग्रेसिवली) भरा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम में ये 31 मार्च, 1997 को भर लिए जाने की संभावना है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों के स्थान को दर्शाने वाला विवरण

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम का लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय तथा इलाहाबाद और मुरादाबाद में एक-एक उप क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्यालय के अंतर्गत 23 जिला कार्यालय हैं।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम
1	2
1.	हापुड़
2.	बुलन्दशहर
3.	सहारनपुर
4.	मुरादाबाद
5.	बरेली
6.	लखनऊ
7.	फैजाबाद
8.	सीतापुर
9.	शाहजहांपुर
10.	गोंडा
11.	बांदा
12.	आजमगढ़
13.	गाजीपुर
14.	इलाहाबाद
15.	कानपुर
16.	वाराणसी
17.	झांसी
18.	आगरा
19.	हलद्वानी
20.	गोरखपुर
21.	देहरादून
22.	श्रीनगर
23.	अलीगढ़

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भण्डागारों के स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	भण्डागार का नाम
1	2
1.	बहराइच
2.	बलिया (प्रचालन में नहीं)
3.	बांदा
4.	बस्ती
5.	बाजपुर
6.	बिजनौर
7.	बिसालपुर
8.	चन्दौसी
9.	चिरगांव
10.	दादरी
11.	डुंमरियागंज
12.	इटावा
13.	फैजाबाद
14.	गाजियाबाद-1
15.	गाजियाबाद-2
16.	गोलागोकरन नाथ
17.	गोरखपुर
18.	हरदोई

1	2
19.	जहांगीराबाद-1
20.	जहांगीराबाद-2
21.	जसपुर
22.	झांसी
23.	कानपुर (कस्टम बांडेड)
24.	कानपुर -एच.ए.एल. (कस्टम बांडेड)
25.	काशीपुर-1
26.	काशीपुर-2
27.	खटीमा (कस्टन बांडेड)
28.	खटीमा
29.	लोनी-बी.एड.
30.	लखनऊ-1
31.	लखनऊ-2
32.	लखनऊ-एच.ए.एल. (कस्टम बांडेड)
33.	लखनऊ-एस.आई.एल. (कस्टम बांडेड)
34.	महोबा
35.	मनकातोर (कस्टम बांडेड)
36.	मऊ नाथ भंजन
37.	मौरानीपुरा
38.	मोहन नगर (कस्टम बांडेड)
39.	मुजफ्फरनगर
40.	मुजफ्फरनगर-बी.डी.
41.	नोएडा
42.	रामपुर
43.	राबर्ट्सगंज
44.	सहारनपुर-1-247001
45.	सहारनुपर-बी.डी.
46.	साहिबाबाद-2-201010
47.	शाहगंज-223101
48.	शाहजहांपुर
49.	शामली
50.	वीरभद्र (कस्टम बांडेड)
51.	कानुपर-(आई.सी.डी.)
52.	श्रीनगर

[अनुवाद]

लोनी पुलिस स्टेशन

3628. डा. अरविन्द शर्मा : क्या **गृह मंत्री** 10 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है और सभा पटल पर रख दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

इमारती लकड़ी का दोहन

3629. श्री सी. नरसिम्हन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरूणाचल प्रदेश और अंडमान द्वीप समूह के वनों से प्रतिवर्ष कितनी इमारती लकड़ी का दोहन करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इसके दोहन के लिए अब तक कितने परमिट जारी किए गए हैं;

(ग) इससे अब तक कितने प्लाइवुड उद्योग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य और द्वीप से कितनी इमारती लकड़ी का दोहन किया गया और कितनी लकड़ी बाहर भेजने की अनुमति दी गई;

(ङ) क्या उन क्षेत्रों में पुनः वन रोपण के लिए कोई ठोस नीति अपनाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

लक्षद्वीप में पुलिस फायरिंग

3630. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 में लक्षद्वीप में हुई पुलिस फायरिंग की कोई जांच करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच समिति की सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). जी हां, श्रीमान्। अंद्रोत द्वीप में पुलिस की गोली-बारी की जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की रिपोर्ट, रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के नोट सहित दिनांक 22.4.94 को लोक सभा के पटल पर रख दी गयी थी। जैसा कि, की गई कार्रवाई के नोट में कहा गया है, अंद्रोत के तत्कालीन सब-डिवीजन आफीसर-कम-एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट तथा अंद्रोत के पुलिस उप-निरीक्षक, के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। तथापि, जिस जांच अधिकारी ने जांच की थी, वे इस फैसले पर पहंचे थे कि आरोपति अधिकारी ने किसी प्रकार का अनाचरण नहीं किया था तथा उसकी दोषमुक्त किए जाने की सिफारिश की थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया तथा दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी।

उरूज करने के लिए दोनों पक्षों को अलग-अलग समय देने संबंधी आयोग की सिफारिश न्यायालय में विचाराधीन है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

3631. श्री विजय अन्नाजी मुडे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि लागत और मूल्य आयोग का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसमें नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त आयोग में किसी गैर प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दो तरह के सदस्य होते हैं—सरकारी और गैर-सरकारी। चूंकि गैर-सरकारी सदस्य किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः ऐसे मामलों में प्रशासनिक पृष्ठभूमि का होना आवश्यक नहीं है। फिलहाल गैर-सरकारी सदस्य की एक रिक्ति है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में दुग्ध उत्पादन

3632. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दूध की मांग और पूर्ति के अन्तर को समाप्त करने के लिए राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक से सहायता मांगने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार बिहार में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए नॉन ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार सरकार को सहायता दे रही है ताकि मांग तथा पूर्ति के बीच के अंतर को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जा सके।

[अनुवाद]

तिलहनों का उत्पादन

3633. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम में सात मुख्य तिलहनों के उत्पादन में गिरावट होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट का गत वर्ष की रिकार्ड फसल उत्पादन की तुलना में प्रतिशत क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने तथा इसके आयात को कम करने हेतु क्या विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं। चालू खरीफ मौसम 1996-97 में सात प्रमुख खाद्य तिलहनों का उत्पादन उनके 124.00 लाख मीटरी टन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 127.0 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। यह भी अनुमान है कि रबी 1996-97 के लिए निर्धारित 95.0 लाख मीटरी टन के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ख) 1996-97 के दौरान खरीफ के 7 खाद्य तिलहनों का उत्पादन 127.0 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जो कि खरीफ 1995-96 के दौरान हासिल उत्पादन (120.1 लाख मीटरी टन) की तुलना में अधिक है।

(ग) तिलहनों में वृद्धि करने के लिए और आयात में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार देश के 22 राज्यों के 337 जिलों में तिहलन उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों जैसे कि बीजों का उत्पादन और वितरण, मिनीकिटों के वितरण, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम/पाइराइट्स, उन्नत फार्म उपस्करों, पौध संरक्षण

उपकरणों, किसानों को प्रशिक्षण तथा स्प्रिंकलर सेटों आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी का अंतरण करने के लिए किसानों के खेतों में अग्रणी तथा साधारण प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।

आर्गेनिक कृषि

3634. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसान रसायन आधारित कृषि को छोड़ रहे हैं क्योंकि इससे भूमि की उर्वरकता कम हो रही है और आर्गेनिक कृषि को अपना रहे हैं;

(ख) क्या सरकार आर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) आठवीं योजना के दौरान आर्गेनिक कृषि हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ङ) अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). रासायनिक उर्वरकों को उचित सीमा के अंतर्गत रखने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, नामतः (1) उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना (2) निम्न खपत और वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरक के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना, और (3) जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना के जरिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंध की अवधारणा का प्रचार किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फार्म तथा नगर के कचरों के जैव-विज्ञानीय नाइट्रोजन निर्धारण और सूक्ष्म जीव-विज्ञानीय विघटन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों के जरिए कार्बनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है जिनके केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों में स्थित हैं।

(घ) और (ङ). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों का राज्यवार आवंटन तथा अब तक उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :-

(रुपए करोड़ में)

योजना का नाम	8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटित धनराशि	अब तक उपयोग की गई निधि
1. उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना	26.00	13.00
2. निम्न खपत एवं वर्षासिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना	10.00	4.50
3. जैव-उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना	16.00	8.20
4. फार्म तथा नगर के कचरों के जैव-विज्ञानीय नाइट्रोजन निर्धारण तथा सूक्ष्म जैव-विज्ञानीय विघटन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम	3.00	2.60

सुनहरे लंगूर

3635. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि असम के सुनहरे लंगूरों के वास स्थान का लगातार अतिक्रमण जारी रहा और नर-वानरों की तस्करी तुरन्त न रोकी गई तो वे बहुत शीघ्र विलुप्त हो जाएंगे;

(ख) क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा इन प्रजातियों को वैधानिक संरक्षण दिए जाने के बावजूद यह अधिनियम अप्रभावी है क्योंकि उनके वासस्थान संरक्षित नहीं हैं; और

(ग) असम के सुनहरे लंगूरों को पूर्ण संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम सरकार ने सूचित किया है कि मानस बाघ रिजर्व में सुनहरे लंगूरों के वासस्थलों पर कुछ अतिक्रमण हुआ है। तथापि, इस प्रजाति को अनधिकृत शिकार या तस्करी से कोई खतरा नहीं है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। राज्य वन्यजीव प्राधिकारी नियमित गश्त लगाकर इस प्रजाति को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, डूबरी जिले में चक्रशिला अभयारण्य को दूसरे सुनहरे लंगूरों की आबादी और उनके वासस्थलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए घोषित किया गया है।

बिनौलों का वितरण

3636. श्री एन.जे. राठवा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान नवम्बर, 1996 तक गुजरात में विशेषकर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में किसानों को वितरित किये गये बिनौलों की कुल मात्रा क्या है;

(ख) राज्य में जिन बिनौलों की खेती की जा रही है उनकी किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उपर्युक्त अवधि के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गुजरात राज्य में किसानों को वितरित किए गए कपास के बीज की कुल मात्रा इस प्रकार हैं :-

वर्ष	मात्रा (क्विंटल में)
1994-95	94,451
1995-96	96,281
1996-97	89,057

सभी जनजातीय प्रखंडों (32) में उनकी आवश्यकतानुसार, बीज सुगमता से उपलब्ध हैं। गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त बीज की मात्रा का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य में उगाए जाने वाले कपास के बीजों की विभिन्न किस्मों का ब्यौरा इस प्रकार है : -

1. दिग्विजय
2. बी-797
3. संजय
4. देवीराज
5. गजकाट-10
6. गजकाट-11
7. गजकाट-12
8. गजकाट-13
9. गजकाट-15
10. गजकाट-16
11. एच.वाई-6
12. एच.वाई-8
13. एच.वाई-9
14. एच.वाई-10
15. एल.आर. ए-5160
16. डी.सी.एच-32
17. वरलक्ष्मी
18. एच.एच.एच-44, आदि।

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपास का कुल उत्पादन इस प्रकार हैं :-

वर्ष	कुल उत्पादन (लाख गांठ में) (170 कि.ग्रा. की प्रत्येक गांठ)
1994-95	22.69
1995-96	22.02
1996-97	1.53 (नवम्बर, 1996)

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा उपलब्धता की निगरानी

3637. श्री सौम्य रंजन : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य तथा उलब्धता की निगरानी हेतु विशेष उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उपायों की समय-समय पर समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछली समीक्षा के बारे में क्या आंकलन किया गया;

(ङ) क्या इन कदमों से वांछित फल प्राप्त होंगे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). 12 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलभ्यता पर लगातार निगरानी रखी जाती है। पूरे देश के चुनिंदा केन्द्रों से खुदरा मूल्यों की निगरानी दैनिक आधार पर और थोक मूल्यों की निगरानी

साप्ताहिक आधार पर की जाती है। जिन वस्तुओं की निगरानी की जाती है वे हैं :- चावल, गेहूं, चना, दाल, तुर दाल, चीनी, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, चाय (खुली), आलू, प्याज और नमक।

(ग) से (छ). आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और उपलब्धता की मूल्य निगरानी संबंधी सचिवों की विशेष कार्रवाई समिति तथा मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति जैसी उच्च स्तरीय समितियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि उपयुक्त उपाय किए जा सकें। इन समितियों के निर्णयों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लागू किया जाता है।

[अनुवाद]

दूध का आयात

3638. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूध का मुक्त आयात अभी भी जारी है;

(ख) क्या दूध के लिए 8 से 9 रुपये तक राजसहायता दी गई है जिसके कारण आयातकों को शत-प्रतिशत की दर से राजसहायता प्राप्त है और उन्हें कर से छूट का लाभ भी प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धन का उपयोग

3639. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान विकास योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए राज्यों को और अधिक सहायता स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जिन राज्यों ने पूरी राशि व्यय नहीं की है, सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्वरक उत्पादन में गिरावट

3640. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के नौ माह के दौरान सरकारी और सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों के उत्पादन और लाभप्रदत्ता के साथ-साथ इन कम्पनियों के संचालन, गत लाभ में गिरावट दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान और 1995-96 और 1994-95 की संगत अवधि में एकक-वार समग्र गिरावट और उत्पादन एवं लाभप्रदता के अलग-अलग आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गिरावट के मुख्य कारण क्या क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अप्रैल-नवम्बर, 1996 तथा 1994-95 तथा 1995-96 की संगत अवधि के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में एक तुलनात्मक विवरणपत्र विवरण-I पर दिया गया है। अप्रैल-सितम्बर, 1996 की अवधि के लिए तथा 1995-96 एवं 1994-95 की संगत अवधि के लिए उपक्रमों के संचालन लाभ विवरण-II में दिए गए हैं।

चालू वर्ष में नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे माल, इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा तकनीकी बाधाओं के कारण आई जिसमें से एक अथवा एक से अधिक से एन एफ एल, फैक्ट, इफको, एफ सी आई और एच एफ सी संयंत्रों का कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ। फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करने वाले एककों की मांग रूक जाने, वित्त संबंधी बाधाओं और बिक्रियों पर विशेष रियायत की उपलब्धता के संबंध में अनिश्चितता जो 6.7.1996 को विशेष रियायत घोषित किए जाने तक लागू रही, के कारण उत्पादन में कटौती करनी पड़ी।

विवरण-I

1996-97 के प्रथम तीन महीनों तथा 1995-96 तथा 1994-95 की समकालीन अवधि के दौरान उर्वरकों का कंपनीवार उत्पादन

(000 मी.टन)

कम्पनी	उत्पादन (अप्रैल-नवम्बर)					
	1996-97		1995-96		1994-95	
	एन	पी	एन	पी	एन	पी
सार्वजनिक क्षेत्र						
एन एफ एल	594.7	-	702.8	-	696.1	-
फैक्ट	168.9	84.7	218.8	100.0	173.8	84.2
आर सी एफ	508.7	68.4	563.9	61.8	587.1	53.9
एम एफ एल	90.1	82.7	106.3	79.1	80.3	68.2
पी पी एल	47.1	121.1	76.3	195.2	78.1	199.6
पी पी सी एल	-	20.9	-	16.1	-	16.1
एफ सी आई	111.7	-	116.8	-	99.8	-
एच एफ सी	97.1	-	74.3	-	40.3	
योग (सार्वजनिक)	1618.3	377.8	1859.2	452.2	1755.5	422.0
सहकारी क्षेत्र						
इफको	617.7	221.5	642.7	246.1	675.7	255.4
कृभको	485.3	-	517.6	-	476.1	-
योग (सहकारी)	1103.0	221.5	1160.3	246.1	1151.8	255.4
योग (सार्वजनिक + सहकारी)	2721.3	599.3	3019.5	698.3	2907.3	677.4

विवरण-II

टैक्स पूर्व कंपनीवार लाभ

(रु. करोड़)

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अप्रैल-सितम्बर 1994	अप्रैल-सितम्बर 1995	अप्रैल-सितम्बर 1996
1	2	3	4	5
	सार्वजनिक क्षेत्र			
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)	66.50	29.86	-13.30
2.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)	9.13	45.96	9.36
3.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर सी एफ)	125.12	72.33	36.71
4.	पारादीप फास्फेट्स लि. (पी पी एल)	8.95	7.00	-31.23

1	2	3	4	5
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल)	3.57	7.23	5.56
6.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पीपीसीएल)	-4.71	0.77	-4.65
7.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई)	-178.62	-230.58	-288.06
8.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन (एच एफ सी)	-234.46	-246.94	-237.10
	सहकारी क्षेत्र			
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	55.59	88.47	48.14
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृषको)	54.00	135.24	158.22

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के सूखा क्षेत्र

3641. श्री सुशील चन्द्र :

श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं होने के कारण कौन-कौन से स्थान सूखा से प्रभावित हुए हैं;

(ख) इन क्षेत्रों में औसतन कितनी वर्षा होती है तथा इस वर्ष कितनी वर्षा हुई है;

(ग) इन क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल को कुल कितनी क्षति हुई है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में हुई क्षति का आकलन करने हेतु किसी केन्द्रीय दल द्वारा दौरा किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) यदि नहीं, तो इस दल को वहां कब तक भेजे जाने की संभावना है; और

(छ) इन क्षेत्रों में तुरंत राहत कार्यों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस राज्य के 9 जिलों की 28 तहसीलों में सूखे का प्रभाव पड़ा है। प्रभावित जिलों और तहसीलों के नाम तथा दक्षिण पश्चिम मानसून 1996 के दौरान इनमें हुई सामान्य तथा वास्तविक वर्षा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस राज्य के 10 जिलों में फसल कटाई प्रयोग अब भी चल रहे हैं। फसल कटाई प्रयोग के समाप्त हो जाने के बाद ही पता चलेगा कि फसलों को सूखे से कितनी हानि हुई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारत सरकार को राज्य सरकार से ऐसा कोई ज्ञापन नहीं मिला है जिसमें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कोई सहायता मांगी गयी है। ऐसे ज्ञापनों के प्राप्त होने के बाद ही केन्द्रीय दल भेजे जाने पर विचार किया जाता है।

(छ) सूखे सहित राष्ट्रीय आपदाओं के कारण राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिये भारत सरकार ने 1996-97 के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से केन्द्रीय हिस्से की तीन किश्तों के रूप में कुल 2873 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों और इनमें हुई सामान्य और वास्तविक वर्षा को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	सामान्य वर्षा (मि.मी.)	वास्तविक वर्षा (मि.मी.)	सूखा प्रभावित तहसीलें		
1	2	3	4	5		
1.	रायपुर	1213.4	803.9	1. बलोड़ा बाजार	2. कासदोल	3. बिलासगढ़
				4. भाटपाड़ा	5. सिमांग	6. टिल्डा
				7. महसामन्द	8. देवभाग	9. सरायपाली

1	2		4			
2.	दुर्ग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2. [illegible]	
3.	राजनन्द गाँव	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	बालाघाट	1425.7	1035.0	1. बालाघाट	2. बाडास्युना	3. [illegible]
5.	जबलपुर	1161.8	641.4	1. जबलपुर	सिहोर	3 विजयराघवगढ़
6.	शिवनी	1173.8	808.2	1. बरघट	2. कवलारी	
7.	रायगढ़	1336.9	1492.7	1. सारंगढ़		
8.	झाबुआ	2?0.9	1362.1	1. पेटलावाड़	2. थाण्डला	3. मघनगर
9.	राजगढ़	945.3	1547.9	1. खिलचीपुर	2. राजगढ़	

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए धनराशि

3642. **श्री सुरेश कोडीकुनील :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को किसी राज्य की ओर से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ उपलब्ध कराई गई धनराशि का दुरूपयोग किए जाने के बारे में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी धनराशि का दुरूपयोग किया गया है;

(ग) क्या 1991 से 1996 के दौरान राज्य सरकारों को आवंटित कोई धनराशि व्यपगत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत सरकार को 1996-97 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ अधिक धनराशि के आवंटन के लिए केरल सरकार की ओर से कोई परियोजना/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, निधियों के विपथन के बारे में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :-

	राज्य	विपथन की गई धनराशि
1.	मिजोरम	आदिवासी उम्मीदवारों के लिए वर्ष 1992-93 में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को 14.78 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए, जिसका विपथन राज्य सरकार ने वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने के लिए किया।
2.	राजस्थान	(1) वर्ष 1993-94 में आदिवासी उम्मीदवारों के लिए तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को निर्मुक्त किए गए 44.34 लाख रुपए का विपथन राज्य सरकार ने वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुधारने के लिए किया। उपर्युक्त दोनों राज्य सरकारों को धनराशि वापस करने के लिए कहा गया है। (2) वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निर्धारित 20.00 करोड़ रु. का अग्रिम राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को दिया। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार विद्युत बोर्ड ने यह धनराशि निगम को अक्तूबर, 1994 में वापस की तथा निगम द्वारा इसका प्रयोग अनुसूचित जातियों के लाभार्थ किया गया।

(ग) क्योंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता की व्यय नहीं की गई शेष राशि को संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुसार उसके बाद वाले वर्ष में उपयोग के लिए पुनः वैधीकृत कर दिया गया है, इसलिए धनराशि का अभाव नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तथा (च): वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आवंटन चाहने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	योजना का नाम, जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगी गई है	मांगी गई सहायता की राशि (रु. लाख में)
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	11.73
2.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	25.94
3.	अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	5.16
4.	अनुसूचित जाति विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता	84.13
5.	अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास	14.70
6.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास	20.00
7.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण- आदिवासी अनुसंधान संस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता	15.00

प्राकृतिक आपदाओं हेतु कोष

3643. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सूखा, बाढ़ इत्यादि से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियम निर्धारित करने हेतु कोई मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

बर्मा के शरणार्थियों को सुविधायें

3644. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा से प्रत्यावासित भारतीयों को सुविधायें और प्राथमिकता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यांगून स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया आपत प्रमाणपत्र नौकरी/लाइसेंस/परमिट आदि के मामलों में उनकी पहचान हेतु वैध है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि आरा (भोजपुर) बिहार के जिलाधीश द्वारा कुछ बर्मा प्रत्यावासितों को उनके पास आपत प्रमाणपत्र होने के बावजूद प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें निर्धारित सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) वर्ष 1965 में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए थे कि बर्मा से प्रत्यावर्तित लोगों को कारोबार हेतु ऋण प्रदान करने के अलावा उन्हें जहां किसी व्यवसाय या व्यापार के लिए लाइसेंस, परमिट, आदि की आवश्यकता होती है, वहां इन्हें प्रदान करने के मामले में उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पशुपालन का विकास

3645. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में पशुपालन विकास की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जहां तक पशुपालन और डेयरी विभाग का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सभी विकासीय क्रियाकलापों का ध्यान विद्यमान बुनियादी ढांचे द्वारा रखा जा रहा है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

3646. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है;

(ख) क्या ये जांच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की फालतू निधि को अत्यधिक कमीशन प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक बैंकों में निवेश करने से संबंधित है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली वित्त निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक के बतौर उनकी नियुक्ति हेतु सतर्कता मंजूरी दे दी है;

(घ) क्या दिल्ली वित्त निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आपत्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के पिछले अध्यक्ष के खिलाफ कुछ आरोपों की जांच कर रहा है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपयुक्त रैंक के संवर्ग अधिकारियों में से यह नियुक्ति करने में सक्षम है। केन्द्र सरकार के पास सतर्कता संबंधी क्लीयरेंस दिए जाने हेतु कोई संदर्भ नहीं भेजा गया है। अन्यथा, ऐसी सतर्कता क्लोयरेंस सामान्य तौर पर, शुरूआती जांच पड़ताल के दौरान आरोपों की प्रथमदृष्ट्या पुष्टि हो जाने के पश्चात् आरोप पत्र जारी किए जाने की तिथि से ही रोकी जाती है। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं है।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस नियुक्ति को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शीतगृह की स्थापना

3647. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कुछ शीतगृह स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसे कितने शीतगृह चल रहे हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक शीतगृह की भण्डारण क्षमता कितनी-कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेष रूप से उड़ीसा में कुछ नए शीतगृह खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). जी, नहीं। बहरहाल, देश में शीत गृहों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त निगम द्वारा 31.03. 1996 तक सहकारी क्षेत्र में 7.386 लाख टन की क्षमता वाले 248 शीतगृहों की स्थापना के लिए सहायता दी गयी है। इन 248 शीतगृहों में से 6.646 लाख टन क्षमता वाले 234 शीतगृह स्थापित किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिलने पर, बशर्ते वे वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हों, नए सहकारी शीत गृहों की स्थापना करने पर विचार किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा देश में 10 सहकारी शीत गृह यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव है। उड़ीसा सरकार से प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर वित्तीय व्यवहार्यता की दृष्टि से विचार किया जाएगा।

विवरण

31.03.96 तक संगठित/स्थापित सहकारी शीतगृहों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/ संस्था	संगठित (संख्या)	संगठित क्षमता (टन)	स्थापित (संख्या)	स्थापना क्षमता (टन)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1	1,000	1	1,000
2.	असम	1	1,000	1	1,000
3.	बिहार	25 + (2)	79,850 + (4000)	20 + (2)	59,850 + (4000)
4.	गुजरात	3 + (1)	3,200 + (1800)	3 + (1)	3,200 + (1800)
5.	हरियाणा	5	16,000	4	12,000
6.	हिमाचल प्रदेश	2	6,000	1	1,000
7.	जम्मू और कश्मीर	3	3,400	3	3,400
8.	कर्नाटक	5	7,800	4	5,300

1	2	3	4	5	6
9.	मध्य प्रदेश	17 + (10)	49,000 + (24750)	14 + (8)	33,000 + (18250)
10.	महाराष्ट्र	2	1000	2	1000
11.	नागालैंड	1	1000	1	1000
12.	उड़ीसा	20 + (3)	33,670 + (4000)	18 + (3)	23,670 + (4000)
13.	पंजाब	16 + (1)	22,300 + (2000)	16 + (1)	22,300 + (2000)
14.	राजस्थान	3	6,000	3	6,000
15.	तमिलनाडु	2	3,750	2	3,750
16.	त्रिपुरा	1	2,000	1	2,000
17.	उत्तर प्रदेश	95 + (1)	2,82,600 + (2000)	95 + (1)	2,82,600 + (2000)
18.	पश्चिम बंगाल	44 + (3)	1,66,200 + (10800)	43 + (2)	1,61,200 + (5800)
19.	चंडीगढ़	1	1000	1	1000
20.	नैफेड, नई दिल्ली	1	2,500	1	2,500
		248 + (21)	6,89,270 + (49,350)	234 + (18)	6,26,770 + (37850)
			7,38,620		6,64,620

() = उन यूनिटों की संख्या एवं क्षमता, जिनकी क्षमता में विस्तार किया गया है।

लिबरहान जांचायोग

3648. श्री मुख्तार अनीस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1996 को बाबरी मस्जिद गिराये जाने संबंधी लिबरहान जांचायोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खंड पीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग चलाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) स्वामित्वाधिकार के दावे की सुनवाई कर रही विशेष पूर्ण पीठ ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य दावे में 24.7.1996 से मौखिक गवाहियां रिकार्ड करना शुरू कर दिया है। 4.12.1996 तक, बोर्ड द्वारा उपस्थित किए गए 6 गवाहों से न्यायालय द्वारा परीक्षा/प्रतिपरीक्षा की गयी और उनका परिसाक्ष्य रिकार्ड किया गया। साक्ष्यों को रिकार्ड किया जाना जारी है।

(ग) 6 दिसम्बर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने से संबंधित अपराधों आदि की स्वतंत्र रूप से की गई जांच पड़ताल के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लखनऊ स्थित विशेष न्यायालय के समक्ष 49 व्यक्तियों के खिलाफ एक संयुक्त आरोप-पत्र दाखिल किया था। इन सभी मामलों को विचारणार्थ विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ की अदालत के सुपुर्द कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों की वित्तीय मामलों में भागीदारी

3649. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त के मामलों में राज्य को अधिकाधिक भागीदारी देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं;

(ख) प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों की बैठक में बनाये गये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ और अधिक कार्यक्रम बनाये जायेंगे चूंकि इस कारण से नौवीं पंचवर्षीय योजना में विलम्ब हो रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). 15.10.1996 को हुई अन्तर-राज्यीय परिषद की दूसरी बैठक में, केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सरकारिया आयोग की 44 सिफारिशों की जांच के लिए कार्यपद्धति पर विचार किया गया था। इस परिषद ने सिफारिश की कि परिषद की स्थायी समिति होनी चाहिए। आगे यह सिफारिश की गयी कि यह स्थायी समिति, सरकारिया आयोग की सिफारिशों, विशेषरूप से वित्तीय शक्तियों को केन्द्र सरकर से राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने के महत्वपूर्ण प्रश्न, की पुनरीक्षा करेगी और इन्हें अद्यतन करेगी। यह निर्णय भी लिया गया कि इस स्थायी समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर देनी होगी और इसके तुरंत बाद परिषद द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

यूरिया का आयात

3650. श्री संतोष मोहन देव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दीर्घकालिक अनुबंध के द्वारा लीबिया से यूरिया का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान कुल कितने यूरिया का आयात किया गया;

(घ) लीबिया द्वारा पेशकश किया गया मूल्य कितना था; और

(ङ) यूरिया की आपूर्ति हेतु अन्य किन-किन देशों के साथ अनुबंध किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ). सरकारी खाते में यूरिया के आयात नामित एजेंसियों के माध्यम से सरणीबद्ध किये जाते हैं। ये एजेंसियां टेंडरों तथा यूरिया उत्पादों के साथ दीर्घावधि अनुबन्धों के माध्यम से यूरिया प्राप्त कर रही है।

वर्ष 1995-96 के दौरान 37.82 लाख मी. टन यूरिया का आयात किया गया था जिसमें से 3.70 लाख मी. टन यूरिया 7221.08 रुपए प्रति मी. टन के भारित औसत सी एण्ड एफ मूल्य पर लीबिया से प्राप्त किया गया था।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

3651. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में कुप्रबंध के कारण पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्थित शिवपुर वनस्पति उद्यान में पुराने पेड़ों और दुर्लभ पौधों की सुरक्षा के मामले में उपेक्षा की गई है;

(ख) क्या यहां अनेक वैज्ञानिकों के पद विगत 7-8 वर्षों से रिक्त पड़े हैं और बीएसआई एवं वनस्पति उद्यान में क्षेत्र स्तरीय प्रबंधन में आंतरिक संघर्ष के कारण वहां कोई जाने को तैयार नहीं है;

(ग) क्या बीएसआई के कर्मचारियों के कतिपय मामलों को निपटाने के बारे में केन्द्रीय सरकार कर्मचारी और कामगार महासंघ से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) यह कहना सच नहीं है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कुप्रबंध के कारण शिवपुर वनस्पति उद्यान, हावड़ा में पुराने वृक्षों और दुर्लभ पादपों की सुरक्षा की अनदेखी की गई है।

(ख) अलग-अलग अवधियों से वैज्ञानिकों की रिक्तियां हैं। इन्हें भरने की कार्रवाई की जा रही है। वहां नए लोगों के कार्यभार ग्रहण करने के विरूद्ध किसी आन्तरिक गुटबाजी की कोई शिकायत नहीं है।

(ग) से (ङ). महासचिव, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ, दिल्ली से सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय को उनका दिनांक 30.10.1996 का एक पत्र प्राप्त हुआ है। सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13.11.1996 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की। बैठक में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई और इन मामलों को हल करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

इस बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की कार्रवाई की प्रगति नोट की गई :—

1. फीडर ग्रेड में विज्ञान स्नातक अर्हता वाले वैज्ञानिकों के पक्ष में वैज्ञानिक "बी" के रूप में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञान स्नातकोत्तर अर्हता की शर्त में छूट देने के बारे में विश्वास समिति की रिपोर्ट कार्यान्वित करना।
2. वैज्ञानिकों के पदों की वर्तमान रिक्तियों पर सीधी भर्ती तथा जबकि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में कार्य अध्ययन प्रगति पर है, इस तरह की सीधी भर्ती/पद का दर्जा बढ़ाने पर रोक से संबंधित अनुदेशों में ढील मिलने के बाद आशुलिपिकों के कुछ पदों का दर्जा बढ़ाना। कार्य अध्ययन को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।
3. ड्राइवर के पदों की पुनः संरचना तथा फील्डमैन एवं ड्रेसर को उच्च वेतनमान देना।
4. प्रशासनिक अधिकारियों के दो पदों को भरना।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मोती का उत्पादन

3652. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेंग, लाडेन्स सीपों से, जो कि नर्मदा नदी में बहुतायत में पाई जाती हैं, मोती प्राप्त किए जा सकते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में कृत्रिम मोती के उत्पादन हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्रीय ताजा पानी मत्स्यपालन संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा मीठे पानी में पाई जाने वाली "लेमिलिडन्स मार्जिनलिज" नामक सामान्य सीप से मोतियों के संवर्द्धन की एक स्वदेशी विधि विकसित की गयी है।

(ख) और (ग). यह प्रौद्योगिकी अभी प्रायोगिक चरण में है।

वेतन संशोधन समझौता

3653. श्री अशोक प्रधान :
श्री गंगा राम कोली :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के साठ हजार कर्मचारियों के संबंध में वेतन-संशोधन समझौता । फरवरी से उनके मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) इस समझौते को स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारियों को आर्थिक क्षति होगी; और

(ग) उक्त समझौते को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जुलाई, 1996 में भारतीय खाद्य निगम से मंजूरी में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ऐसे प्रस्तावों की खाद्य, वित्त मंत्रालयों तथा लोक उद्यम विभाग में जांच की जानी होती है।

(ख) और (ग). इस मामले के क्लीयरेंस में कोई अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है चूंकि ऐसे मामले जटिल होते हैं और इनके लिए अंतर्मंत्रालयीय परामर्श अपेक्षित होता है। यद्यपि इस मामले को विभिन्न स्तरों पर उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है परन्तु इसे क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए किसी विशिष्ट तारीख का वचन नहीं दिया जा सकता।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्व-रोजगार योजना

3654. श्री भक्त चरण दास : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई नई स्वरोजगार योजना शुरू करने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें ऋण तथा राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या मापदंड निर्धारित करने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं। तथापि, पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्व-रोजगार के लिए ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन तथा आयोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए उपायों का इसके लाभार्थियों, जिनमें से लगभग 10-15 प्रतिशत आयु समूह में है, पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों की तोड़-फोड़

3655. श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल लाइनों की तोड़-फोड़ की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेल लाइनों की तोड़-फोड़ की अधिकांश घटनाएं किन-किन राज्यों में हुई हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश को कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद फकरूल डार) : (क) से (ङ). रेलवे से जुड़े अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच करने उसका पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की है जो कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रण में कार्य करती है। अतिरिक्त यह, "रेल मार्गों की तोड़ फोड़" के अंतर्गत जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय शक्तियां

3656. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को वित्तीय शक्तियां सौंपने संबंधी प्रस्ताव की जांच करने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार को यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कोई स्थायी समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ क्या मुख्य मुद्दे सौंपे गये हैं और समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). अन्तर-राज्यीय परिषद की दिनांक 15.10.1996 को हुई दूसरी बैठक में सिफारिश की गई कि इस परिषद की एक स्थाई समिति होनी चाहिए, जिससे सतत परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ आने वाले मामलों पर कार्रवाई की जा सके। उक्त समिति का गठन कर लिया गया है। यह समिति :-

1. परिषद के विचारार्थ मामलों पर निरंतर विचार-विमर्श करेगी तथा उन्हें प्रोसेस करेगी;
2. सरकास्या आयोग की सिफारिशों, विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय शक्तियां अंतरित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न की पुनरीक्षा करेगी और इन्हें अद्यतन बनाएगी;
3. संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित संशोधनों की जांच करेगी;
4. उप-समिति में जिन 179 सिफारिशों पर सर्व-सम्मति व्यक्त की गई थी तथा उन 12 मदों जिन पर सर्व-सम्मति नहीं थी, पर राज्य सरकारों के वर्तमान दृष्टिकोणों पर विचार करेगी;
5. केन्द्र-राज्य संबंधों विषयक सभी मामलों पर, उनको अन्तर-राज्यीय परिषद के विचारार्थ रखे जाने से पूर्व, प्रोसेस करेगी;
6. परिषद की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करेगी; और
7. *अध्यक्ष/परिषद द्वारा इसको भेजे गए अन्य किसी भी* मामले पर विचार करेगी।

स्थाई समिति उपर्युक्त मद संख्या (2) और (3) पर अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

होम गार्ड

3657. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि मुख्य नियंत्रक (पेंशन) के कार्यालय का सुरक्षा प्रभार पिछले कई वर्षों से गृह मंत्रालय के अधीन होम गार्ड के पास था, जो अब अकस्मात् ले लिया गया है तथा एक निजी कम्पनी को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा नई व्यवस्था पर कितना वार्षिक खर्च किया जा रहा है;

(ग) क्या यह भी बताया गया है कि यह उक्त कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसकी बहाली के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). होम गार्ड्स की सेवाएं 31.10.1996 से हटा ली गयी हैं। केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने अब इस कार्यालय की सुरक्षा एक प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी को सौंपी है जो विदेश मंत्रालय के अधीन पासपोर्ट कार्यालय को भी सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है तथा उसे उस मंत्रालय के सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया गया है। चूंकि होम गार्ड्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा संतोषजनक नहीं समझी गयी थी, अतः यह व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था पर 1.80 लाख रु. वार्षिक खर्चा हो रहा है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यमुना कार्य-योजना

3658. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना कार्य-योजना संबंधी परियोजना जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस परियोजना के लिए जापान से कुल कितनी राशि की *सहायता प्राप्त की गई?*

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फंड, जापान यमुना कार्य योजना को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने के रूप में उदार शर्तों पर ऋण प्रदान कर रहा है।

(ख) यमुना कार्य योजना की अनुमानित लागत 479.56 करोड़ रु. है।

(ग) वित्तीय सहायता के रूप में 17.773 बिलियन जापानी येन की धनराशि उपलब्ध है।

पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्री

3659. श्री चित्त बसु : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों का विलय करके एक राज्य बनाने के प्रस्ताव पर इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों की राय जानने के लिए गत जुलाई में कोई परिपत्र जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिपत्र की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सीमाओं पर किसानों को मुआवजा

3660. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों को मुआवजे का भुगतान कर दिया है जिनकी भूमि भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अधिगृहीत की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुआवजे का कब तक भुगतान किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जिन किसानों की जमीन का उपयोग भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने हेतु किया गया था, उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है तथा किसानों को शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने के लिए उनके साथ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

[अनुवाद]

गैर-कानूनी हथियार

3661. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सितम्बर, 1996 को दिल्ली में अवैध हथियारों का धंधा करने वाले एक गिरोह का भण्डाफोड़ किया गया है जिसके संबंध पाकिस्तान से थे;

(ख) यदि हां, तो हथियारों की जब्ती और पकड़े गए व्यक्तयों और इसकी कार्यप्रणाली तथा इसके पाकिस्तानी संबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस गिरोह को समाप्त करने और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने 22 सितम्बर, 1996 को ताज होटल, जामा मस्जिद, दिल्ली के सामने से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 50 जिन्दा कारतूस बरामद किए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उससे एक दिन पहले दो अन्य व्यक्तियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था जिनके पास से कारतूसों सहित अनेक रिवाल्वर और पिस्तौलें बरामद की गई थीं। इन दोनों मामलों में की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि दोनों स्थानों पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध कुछ पाकिस्तानी सहयोगियों के साथ थे और देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलापों में प्रयोग हेतु ये हथियार पाकिस्तान से लाए जा रहे थे। अटारी-सीमा पर कार्यरत एक कुली को भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जो कि गिरफ्तार व्यक्तियों को हथियारों एवं गोली बारूद की आपूर्ति के लिए माध्यम के रूप में काम कर रहा था।

(ग) दिल्ली में ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं-केन्द्र और राज्य की आसूचनाएं एजेंसियों के साथ गहन समन्वय, संदिग्ध गेस्ट हाउसों/छिपने के ठिकानों की जांच, विदेशी पर्यटकों के शिविरों पर कड़ी नजर, भेदियों/निगहबानों की ज्यादा संख्या में तैनाती, नए किराएदारों का सत्यापन, संदिग्ध वाहनों की जांच, सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के फोटो प्रदर्शित किया जाना तथा जनता का और अधिक सहयोग प्राप्त करने के प्रयास करना।

[हिन्दी]

अम्बेडकर फाउंडेशन की फैलोशिप इकाई का कार्यकरण

3662. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अम्बेडकर फाउंडेशन की फैलोशिप इकाई के कार्यकरण की जांच करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). जी, नहीं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

3663. श्री हंस राज अहीर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से "झुदपी" (बंजर भूमि) "वन भूमि" के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू न करने की कोई मांग की गई है ताकि उसका उपयोग सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के विकास के लिए किया जा सके तथा उसे कृषि हेतु बेरोजगार युवकों को पट्टे पर दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार उपर्युक्त मांग को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) महाराष्ट्र सरकार "झुदपी" वन भूमि के बारे में भी वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव कर रही है। भारत सरकार के अधिकारियों और महाराष्ट्र सरकार के वन और राजस्व अधिकारियों की एक समिति ने धारा-4 के अन्तर्गत 2,68,293.58 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित करने तथा आरक्षित वनों के रूप में उपयुक्त क्षेत्रों की घोषणा करने के लिए जांच को शीघ्र पूरा करने का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अपराध

3664. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने जमानती और गैर-जमानती अपराध किए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किए गए अपराधों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य में आई.एस.आई. द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों का नियंत्रण रखे जाने की जानकारी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने हतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ज). भारतीय दण्ड संहिता और स्थानीय तथा विशेष कानूनों के अधीन संज्ञेय अपराधों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर रखी जाती है। इस संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से यथा-उपलब्ध सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि जबकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति स्थायी रही है, फिर भी आई.एस.आई. राज्य के कुछ जिलों में अपनी गतिविधियों को फैलाने की कोशिश कर रही है। सरकार स्थिति से अवगत है तथा आई.एस.आई. के इरादों का मुकाबला करने और उन्हें नाकाम करने के लिए सरकार आसूचना तंत्र को सुग्राही और सक्रिय बनाने तथा संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों, इत्यादि द्वारा समन्वित कार्रवाई करने जैसे सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

विवरण

1992 से 1994 के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता तथा स्थानीय और विशेष कानूनों के तहत हुए अपराधों की घटनाएं।

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
भा.द.सं. अपराध				
1.	हत्या	10559	10589	10776
2.	हत्या का प्रयास	9804	9054	9541
3.	हत्या की कोटि में न आने वाला अपराधिक मानववध	1728	1543	1371
4.	बलात्कार	1757	1787	2078
5.	अपहरण और व्यपहरण	4357	4423	4798
	(1) महिलाओं और लड़कियों का	2550	2522	2796
	(2) अन्य का	1802	1901	2002
6.	डकैती	2210	1778	1740
7.	डकैती के लिए तैयारी व एकत्र होना	496	362	238

1	2	3	4	5
8.	लूटपाट	7591	6683	6506
9.	सेंधमारी	18400	17541	16822
10.	चोरी	49956	45491	43143
11.	दंगे	10604	9273	9594
12.	आपराधिक विश्वासघात	3799	3792	3615
13.	बेईमानी	3894	3886	3722
14.	जालसाजी	246	403	284
15.	भा.दं.सं. की अन्य अपराध	90943	86883	90475
16.	भा.दं.सं. के अधीन कुल संज्ञेय अपराध	216339	203488	204703
स्थानीय और विशेष कानून				
1.	शस्त्र अधिनियम	40658	41665	37246
2.	एन.डी.पी.एस. अधिनियम	9863	8699	7803
3.	जुआ अधिनियम	8511	6313	6254
4.	आबकारी अधिनियम	29469	25904	21048
5.	निषेध अधिनियम	5	0	8
6.	विस्फोटक और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	2421	2492	1477
7.	अनैतिक देह व्यापार (नि.) अधिनियम	148	169	27
8.	भारतीय रेल अधिनियम	2005	1368	1787
9.	विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम	171	4	12
10.	नागरिक अधिकरण संरक्षण अधिनियम	1128	1693	1483
11.	भारतीय पासपोर्ट अधिनियम	4	19	6
12.	आवश्यक वस्तु अधिनियम	2223	2003	61
13.	टाडा अधिनियम	235	56	15
14.	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम	2	0	0
15.	दहेज निषेध अधिनियम	369	563	538
16.	अन्य एल.एस.एल. अपराध	235723	276711	184633
17.	एल.एस.एल. के अधीन कुल संज्ञेय अपराध	332935	367659	262398

जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के वर्गीकरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल लिमिटेड

3665. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की 14 नवम्बर, 1996 के "हिन्दू" समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के मद्देनजर बालानगर (हैदराबाद) की इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटीकल लि. के एककों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) ऐसी समस्याओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) ऐसी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). जी हां। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल) को 1996-97 में अभी तक 23.04 करोड़ रुपए

की गैर-योजना वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। आईडीपीएल ने अपने कर्मचारियों को अक्टूबर, 1990 महीने का वेतन और मजदूरी का भी भुगतान कर दिया है। आईडीपीएल को अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विचाराधीन कैदियों के लिए आहार

3666. प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर' :
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी विचाराधीन कैदियों के लिए 12 रुपए अथवा 16 रुपए मूल्य का आहार प्रतिदिन देने हेतु राज्यों से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कैदियों को दिए जा रहे आहार का मूल्य क्या है; और

(घ) उपर्युक्त सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद के साथ परामर्श करके एक उपयुक्त आहार चार्ट तैयार कर लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की आदतों के अनुसार न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पुलिस हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के लिए एक संतुलित आहार चार्ट तैयार किया गया था। यद्यपि, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के मापदण्ड तैयार किए गए थे किन्तु आयोग ने केवल शाकाहारी आहार की ही संस्तुति की और इसकी लागत 16 रु. प्रतिदिन आती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने 25 अक्टूबर, 1996 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे पुलिस हवालात में रखे गए कैदियों के आहार भत्ते को संशोधित करें और इसी के साथ राष्ट्रीय आहार संस्थान, हैदराबाद के मत का अनुमोदन कर दिया।

(ग) और (घ). "कारागार" चूंकि राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें, अपने राज्य की जेल नियमावली में सन्निहित उपबंध के अनुसार जेलों का प्रशासन चलाती हैं। स्थानीय जरूरतों के अनुसार, कैदियों को दिए जाने वाले आहार हेतु प्रत्येक राज्य के अपने-अपने मानक होते हैं जो कि संबंधित राज्य की जेल नियमावली में वर्णित होते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा दिए जा रहे आहार के मूल्य से संबंधित आंकड़े केन्द्र सरकार नहीं रखती है। चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार/लागू करें।

[अनुवाद]

मात्स्यिकी उद्योग

3667. श्री दत्ता मेघे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी उद्योग के विकास हेतु केन्द्रीय योजनाओं के लिए योजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है; और

(ख) इस संबंध में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी विकास संबधी योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण मदों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों एवं प्राप्त उपलब्धियों का योजनावार विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में मात्स्यिकी विकास संबंधी योजनाओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण मदों संबंधी लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	योजना/भद		1993-94	1994-95	1995-96
1	2		3	4	5
1.	ताजे पानी में मत्स्य पालन विकास				
	(क) कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टयेर)				
		लक्ष्य	40,000	40,000	40,000
		उपलब्धि	35,567	30,319	38,413
	(ख) प्रशिक्षित मत्स्य पालक (संख्या)				
		लक्ष्य	40,000	40,000	40,000
		उपलब्धि	30,552	33,260	35,992

1	2		3	4	5
2.	समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास				
	(क) कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टे.)				
		लक्ष्य	1500	2,000	2,500
		उपलब्धि	1689	2,660	1,996
3.	तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास				
	(क) मोटरीकृत की जाने वाली पारम्परिक नौकाएं (संख्या)				
		लक्ष्य	3920	4040	24900
		उपलब्धि	1600	4405	8360
	(ख) उपयोग की जाने वाली प्लाइवुड नौकाएं (संख्या)				
		लक्ष्य	130	200	320
		उपलब्धि	60	170	शून्य *
	(ग) उपयोग की जाने वाली मध्यम नौकाएं (संख्या)				
		लक्ष्य	13	20	70
		उपलब्धि	13(15)	17	4*
4.	हाई स्पीड डीजल आयल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति				
	(क) लाभान्वित यांत्रिक नौकाएं				
		लक्ष्य	औसतन लगभग 18,000 नौकाएं प्रति वर्ष		
		उपलब्धि	प्रतिवर्ष लगभग 15,000 नौकाएं लाभान्वित हुई।		
5.	समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का प्रवर्तन एवं कृत्रिम शैलभित्तियों द्वारा संसाधन उन्नयन				
	(क) स्वीकृत गश्ती नौकाएं				
		लक्ष्य	6	8	8
		उपलब्धि	12	5	8
	(ख) स्वीकृत कृत्रिम शैलभित्तियां				
		लक्ष्य	–	10	30
		उपलब्धि	–	5	35
6.	बड़े पत्तनों पर मत्स्यन बन्दरगाह सुविधाएं				
	(क) स्थापित मत्स्यन बंदरगाह (संख्या)				
		लक्ष्य	–	1	1
		उपलब्धि	–	11	–
7.	छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह सुविधाएं				
	(क) स्थापित मत्स्यन बंदरगाह (संख्या)				
		लक्ष्य :	2	3	3
		उपलब्धि	2	3	1
	(ख) स्थापित मत्स्य अवतरण केन्द्र संख्या				
		लक्ष्य :	5	5	5
		उपलब्धि	5	9	5
8.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी विपणन के सुदृढीकरण हेतु सहायता				
	(क) स्वीकृत यूनिटें (संख्या)				
		लक्ष्य :	नई यूनिटें स्वीकृत नहीं की गयी।		
		उपलब्धि :	15, व्यय वित्त समिति के निर्णयानुसार।		
9.	मछुआरों का कल्याण				
	(क) सामूहिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कीमित मुछआरों की संख्या (लाख)				
		लक्ष्य :	8.50	8.50	8.50
		उपलब्धि :	8.00	8.67	10.65

1	2	3	4	5
	(ख) विकसित किए जाने वाले आदर्श मछुआरा गांव (संख्या)			
	लक्ष्य :	26	26	26
	उपलब्धि :	255	86	207
	(ग) बचत सह राहत घटक के अंतर्गत लाभानुभोगी (लाख)			
	लक्ष्य :	1.46	1.46	2.00
	उपलब्धि :	2.03	2.05	2.66 (अ)
10.	मात्स्यिकी प्रशिक्षण एवं विस्तार			
	(क) प्रशिक्षित मात्स्यिकी कार्मिक (संख्या)			
	लक्ष्य :	-	**	**
	उपलब्धि	-	825	795
	(ख) उन्नत बनाए गए प्रशिक्षण केन्द्र (संख्या)			
	लक्ष्य :	-	**	**
	उपलब्धि :	-	15	12

* राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

स्वीकृत मत्स्य बन्दरगाहों का निर्माण प्रगति पर था।

** इन मदों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

अ. अनन्तिम।

केन्द्रीय बीज अधिनियम

3668. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से संकर बीजों का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय बीज अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय बीज अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन किए जाने के क्या कारण बताए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

सुपर बाजार में पामोलीन की कमी

3669. श्री हरिन पाठक : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार के नेटवर्क द्वारा आपूर्ति की जा रही पामोलीन की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में पामोलीन की आपूर्ति को कब तक सामान्य बनाने की संभावना है;

(घ) क्या पामोलीन की आपूर्ति के लिए राशि के भुगतान में सुपर बाजार ने चूक की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार को इस चूक हेतु जिम्मेदार ठहराया गया है;

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल से दिसम्बर, 1996 तक 2260 मी.टन पामोलीन का आवंटन किया गया था किन्तु सुपर बाजार को हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन से 1552.57 मी. टन पामोलीन प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में कमी हुई।

(ग) भारत सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से पामोलीन की कमी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सुपर बाजार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने पामोलीन की आपूर्ति हेतु भुगतान करने में कोई गलती नहीं की है।

(ङ) से (छ). प्रश्न नहीं उठता।

शहरी खाद्य वितरण प्रणाली के लिए थोक बाजार

3670. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरजकुण्ड, नई दिल्ली में हाल ही में "एशिया में शहरी खाद्य वितरण प्रणाली के लिए थोक बाजारों की भूमिका के बारे में चार दिवसीय कार्यशाला" आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार किए गए विषय के बारे में ब्यौरा क्या है तथा कार्यशाला में क्या-क्या सुझाव दिए गए तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) सुझावों तथा निर्णयों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कार्यशाला में केस स्टडी पेपर्स प्रस्तुत किए गए, तकनीकी सत्र आयोजित किए गए तथा भारतीय खाद्य निगम के तत्वावधान में एसोसिएशन आफ फूड मार्केटिंग एजेन्सीज वन एशिया एंड पैशिफिक के सदस्य देशों में अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए फील्ड दौरों का आयोजन किया गया। इसमें विचार-विमर्श आमतौर पर शहरी खाद्य वितरण प्रणाली की आपूर्ति को नियमित करने, गुणवत्ता में सुधार करने, मूल्य स्थिर करने, लागतों को न्यूनतम करने, निर्यात की मांग को पूरा करने आदि के मामले में थोक बाजारों की भूमिका के आस-पास केन्द्रित रहा। कार्यशाला द्वारा केवल कुछ सामान्य सिफारिशें की गई।

वन्य जीव संरक्षण

3671. श्री नारायण अठावले :
श्री डी.पी. यादव :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वन्य जीवों और प्रजातियों के संरक्षण हेतु विभिन्न चाल योजनाओं की व्यापक समीक्षा की है जिनके समाप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत योजनावार की गई प्रगति/प्राप्त की गई उपलब्धियों और निगरानी प्रक्रिया के दौरान पाई गई/बताई गई कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं, विशेष रूप से प्रोजेक्ट एलीफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन में लगे हुये विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र और विदेशों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध है; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं पर योजनावार और राज्य-वार कितना व्यय किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां। क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कीमों की नियमित मॉनीटरी के अलावा "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास", और "राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में तथा उनके आस-पास पारि-विकास" संबंधी स्कीमों का मूल्यांकन करते समय बाघ परियोजना स्कीम की एक व्यापक पुनरीक्षा की जा रही है।

(ख) बाघ परियोजना स्कीम की पुनरीक्षा करने पर मुख्य सिफारिशें अधिक बजटीय सहायता मुहैया कराने, स्पष्ट निर्धारिणी, वास-स्थल प्रबंधन के जरिए शिकार आधार में वृद्धि करने, चराई नियंत्रण, स्थानीय लोगों को वैकल्पिक सुविधाओं सहित पारि-विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने, भारतीय वन्यजीव संस्थान के जरिए अनुसंधान करने, अपराधियों पर अभियोजन चलाने तथा सुरक्षा कर्मचारियों के लिए कानूनी सहायता मुहैया कराने आदि की आवश्यकता से संबंधित हैं। ये सिफारिशें उन सभी राज्यों से संबंधित हैं जहां बाघ परियोजना स्कीम चल रही है।

(ग) गैर-सरकारी संगठन बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना जैसी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती हैं। तथापि, कुछ गैर-सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों को विशेषकर जो ई एफ-आई डी ए की निधियों से भारत पारि-विकास परियोजना के तैयारी चरण' के तहत कतिपय अध्ययन करने और रिपोर्टें तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं के रूप में लगाया गया है। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) चार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास", "बाघ परियोजना", "हाथी परियोजना" तथा "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में तथा उनके आस-पास पारि-विकास" के अन्तर्गत स्वीकृत निधियों और उनके उपयोग का राज्यवार ब्यौरा विवरण II (क) से (घ) में दिया गया है।

विवरण–I

विदेशी सहायता प्राप्त पारि–विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम	प्रदत्त/निर्धारित राशि (लाखों रुपयों में)			
		1993–94	1994–95	1995–96	1996–97
1.	बर्ल्ड वाईड फंड फार नेचर इंडिया, नई दिल्ली	–	–	2.60	7.10
2.	जेवियर संस्थान, रांची	–	–	–	1.89
3.	म्यारदा, बंगलौर	–	–	–	1.65
4.	ओम कनसलटैंट्स, बंगलौर	–	–	–	12.00
5.	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	–	–	–	5.835
अन्य संगठन/संस्थान					
1.	भारतीय वन्यजीव संस्थान	–	10.40	–	108.44
2.	साकोन, कोयम्बतूर	–	0.90	–	–
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद	–	–	–	1.55
4.	राइट्स, नई दिल्ली	–	–	–	10.95
5.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	5.94	5.23	–	75.00
		5.94	16.53	2.60	224.415

विवरण–II (क)

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास" के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य		1993–94		1994–95		1995–96	
		स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग
1		2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	54.53	54.53	69.803	49.683	59.033	56.823
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.873	15.467	31.44	9.65	7.305	5.48
3.	असम	103.97	शून्य	शून्य	56.17	शून्य	4.57
4.	बिहार	शून्य	शून्य	57.85	12.42	2.26	शून्य
5.	गोवा	14.485	4.425	14.301	9.851	5.478	0.11
6.	गुजरात	36.06	25.314	31.70	–	27.59	उपलब्ध नहीं
7.	हरियाणा	10.75	6.00	14.88	14.23	13.13	9.49
8.	हिमाचल प्रदेश	84.735	36.905	84.224	56.907	61.23	32.66
9.	जम्मू और कश्मीर	15.575	15.575	2.70	2.70	27.31	24.58

1		2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	114.54	113.575	132.86	130.83	108.32	88.53
11.	केरल	42.54	27.734	70.815	62.485	64.80	54.80
12.	मध्य प्रदेश	132.35	119.56	98.08	80.41	186.20	185.25
13.	महाराष्ट्र	51.76	32.314	127.485	22.885	35.43	17.71
14.	मणिपुर	15.15	14.75	19.30	19.30	25.29	25.29
15.	मेघालय	19.81	19.81	19.03	14.53	26.25	0.55
16.	मिजोरम	15.84	13.142	25.05	25.05	7.46	7.06
17.	नागालैंड	2.62	शून्य	शून्य	2.62	5.015	–
18.	उड़ीसा	71.33	69.341	72.96	55.71	50.61	16.93
19.	पंजाब	19.91	9.248	14.195	13.277	4.975	1.77
20.	राजस्थान	79.456	56.916	64.30	58.08	85.555	74.905
21.	सिक्किम	29.90	29.90	33.42	33.42	23.926	18.367
22.	तमिलनाडु	55.33	55.33	15.43	शून्य	20.83	उपलब्ध नहीं
23.	त्रिपुरा	9.75	9.75	3.344	1.954	24.72	उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	75.55	75.548	75.10	55.458	68.34	39.19
25.	पश्चिम बंगाल	41.26	33.46	63.245	63.075	70.529	70.529
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	3.00	–	–	–
27.	दमन व दीव	1.50					
	जोड़	1129.56	838.594	1144.49	724.28	1011.58	734.594

विवरण-II (ख)

"बाघ परियोजना" के लिए पिछले तीन वर्षों में राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य		1993-94		1994-95		1995-96	
		स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग
1		2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	91.715	82.14	90.554	85.00	96.64	94.86
2.	बिहार	54.20	53.50	51.50	51.50	62.10	85.25
3.	उड़ीसा	46.52	45.69	69.38	60.94	50.125	44.05
4.	मध्य प्रदेश	125.101	104.51	142.505	108.50	140.979	105.44
5.	असम	36.38	36.38	42.325	42.05	55.65	34.81

1	2	3	4	5	6	7
6. राजस्थान	105.79	95.48	96.525	87.41	113.765	109.06
7. कर्नाटक	35.196	35.20	47.75	47.75	50.33.	52.04
8. पश्चिम बंगाल	84.308	83.74	87.54	84.08	90.165	86.13
9. महाराष्ट्र	36.713	36.71	63.11	49.90	52.253	17.82
10. केरल	46.73	32.58	16.673	15.63	28.065	27.60
11. अरुणाचल प्रदेश	32.00	24.80	34.54	28.81	35.672	उपलब्ध नहीं
12. आंध्र प्रदेश	25.27	23.48	26.38	23.79	27.36	20.33
13. तमिलनाडु	40.865	17.68	29.12	21.25	24.48	27.02
14. मिजोरम	-	-	-	-	13.45	13.18
जोड़	760.802	661.89	797.998	706.61	841.036	714.59

विवरण–II (ग)

"हाथी परियोजना" के लिए पिछले तीन वर्षों में प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
	स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	32.15	32.11	32.62	17.13	15.21	15.21
अरुणाचल प्रदेश	11.17	6.36	19.12	0.42	7.52	7.52
असम	3.00	3.00	51.15	8.51	-	-
बिहार	-	-	-	-	38.00	शून्य
कर्नाटक	73.57	73.57	68.88	62.97	68.09	68.09
केरल	8.75	8.75	63.58	51.66	42.75	42.25
मेघालय	288.60	265.66	24.50	1.46	20.95	20.95
नागालैंड	-	-	7.10	शून्य	-	-
उड़ीसा	37.70	शून्य	47.00	37.70	-	-
तमिलनाडु	24.52	14.20	19.40	2.96	-	-
उत्तर प्रदेश	21.48	21.48	58.40	27.88	47.76	47.76
पश्चिम बंगाल	39.74	39.74	50.10	28.52	62.06	62.06
मध्य प्रदेश	17.92	17.92	34.15	34.15	-	-
जोड़	558.60	482.69	480.00	273.36	301.84	263.84

विवरण-II (घ)

"सुरक्षित श्रेणी के चारों ओर पारि-विकास" के लिए पिछले तीन वर्षों के राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
	स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग	स्वीकृत	उपयोग
आंध्र प्रदेश	19.65	16.77	18.91	18.91	50.71	19.31
अरुणाचल प्रदेश	6.75	4.945	7.928	9.07	10.88	3.47
असम	11.25	4.75	-	-	-	-
बिहार	32.70	-	8.25	-	-	-
पंजाब	5.65	5.25	2.218	2.218	4.45	-
गुजरात	14.083	11.508	-	-	11.84	-
हरियाणा	-	-	3.60	3.60	-	-
हिमाचल प्रदेश	12.20	8.388	35.789	32.189	15.75	-
जम्मू और कश्मीर	13.05	13.05	-	-	-	
कर्नाटक	59.785	14.515	14.07	13.68	75.15	21.73
केरल	49.359	38.215	36.41	33.86	53.04	45.48
मध्य प्रदेश	102.01	31.685	63.072	33.18	77.45	8.05
महाराष्ट्र	10.91	10.46	8.276	4.74	19.91	18.02
मणिपुर	-	-	-	-	4.45	4.45
मेघालय	6.54	6.54	-	-	3.785	-
मिजोरम	-		2.329	2.329	9.32	-
नागालैंड		-	2.75	2.75		-
उड़ीसा	31.90	-	31.70	13.00	14.85	
राजस्थान	33.06	33.06	23.88	12.61	34.875	7.65
सिक्किम	10.30	10.30	13.95	13.95	4.35	-
तमिलनाडु	13.38	3.21		-	-	-
उत्तर प्रदेश	25.27	18.52	12.00	12.00	24.01	23.21
पश्चिम बंगाल	53.516	53.516	57.168	41.11	51.02	44.47
जोड़	296.434	284.682	484.280	249.196	346.150	195.84

[हिन्दी]

कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3672. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986-96 के दौरान गिरिडीह (बिहार) में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने की कोई योजना थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस औद्योगिक क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना और उससे वहां के युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). गिरिडीह (बिहार) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार द्वारा 24.7.91 को जारी किए गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार,

उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी, पर्यावरण संबंधी मंजूरी लेकर भारत में कहीं भी उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

3673. श्री उधव बर्मन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक योजना में कार्यान्वयन के पश्चात् अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) असम राज्य में वर्ष 1990-91 से वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जो बहुघटकीय है। इस परियोजना के अंतर्गत 110 सूक्ष्म पनधाराएं 104973 है. क्षेत्र को शामिल करते हुए कई प्रखंडों में शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2494.26 करोड़ रुपये हैं।

(ख) वर्ष 1990-91 से 1996-97 की अवधि के लिए असम राज्य को इस योजना के अंतर्गत 2843.00 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) अब तक असम राज्य को 2378.38 लाख रुपये की धनराशि दी गई है, इसमें से जून, 1996 तक 1081.72 लाख रुपये का उपयोग कर लिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले

3674. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले दर्ज किए जाने की शिकायत मिली है;

(ख) क्या सरकार उक्त अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच करा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.94 से 30.1.96 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ कुल 530 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	प्राप्ति
1994	173
1995	193
1996	164
	530

इनमें से 435 शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया था क्योंकि संबंधित अधिकारी राज्य सरकारों के साथ काम कर रहें हैं/ थे तथा वे कार्रवाई करने में सक्षम हैं। 92 शिकायतों पर सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये शिकायतें अज्ञात/छद्म नाम से की गयी शिकायतें थीं। भारतीय पुलिस सेवा के दो अधिकारियों के मामले में, सी.बी.आई. ने पहले ही मामले दर्ज कर लिए हैं। एक मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु सी. बी.आई. को भेज दिया गया है। ये मामले उस अवधि से संबंधित हैं जब ये अधिकारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर थे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

3675. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अक्टूबर, 1996 के इण्डियन एक्सप्रैस में "ड्रग्स प्राइसिंग पैनल विदआउट हीथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, जिसे भेषजों के मूल्यों के समय-समय पुनरीक्षण तथा विनियमन के लिए गठित किया गया है, को वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या उक्त प्राधिकरण के कार्य शुरू न करने के कारण इनका स्थापित करने का उद्देश्य आसान हो गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त प्राधिकरण को और प्रभावी बनाने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का सृजन औषध नीति, 1986 के अन्तर्गत किया गया है जिसे कि 1994 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में यह शर्त नहीं है कि एन पी पी ए एक सांविधिक निकाय होना चाहिए। यह निर्णय किया गया है कि एन पी पी ए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अधीन एक

सम्बद्ध कार्यालय होगा। एक अधिकारी जिसका कि ओहदा और वेतन-मान सचिव, भारत सरकार के बराबर है, ने चेयर मैन, एन पी पी ए का कार्यभार संभाल लिया है और वह इस नए प्राधिकरण को यथाशीघ्र गठित करने के कार्य में जुटा हुआ है। औषध नीति में यथा निर्धारित कार्य एन पी पी ए को सौंपे जाएंगे, इस कार्य से इसके एक अतिप्रभावी निकाय बन जाने की संभावना है।

यूरिया की आपूर्ति

3676. श्री अनंत कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के खरीफ और रबी के मौसम के दौरान कर्नाटक को यूरिया का कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या इसकी आवश्यकता और आपूर्ति में अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में यूरिया की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). निम्नलिखित सारणी वर्ष 1995-96 के खरीफ और रबी मौसमों दौरान कर्नाटक में यूरिया की अनुमानित आवश्यकता, उपलब्धता और खपत को दर्शाती है :—

(हजार मीटरी टन)

		खरीफ 1995	रबी 1995-96
1.	अनुमानित आवश्कयता	430.00	370.34
2.	उपलब्ध कराई गई मात्रा (आपूर्ति)	466.56	425.07
3.	खपत	452.47	307.34

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि यूरिया की आपूर्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में और नाम शामिल किया जाना

3677. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री रामसजीवन :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यार सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की संरचना क्या है और उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में मध्य प्रदेश की पनिका जनजाति, गुजरात की पासी जाति और बिहार के छैन एवं सायाह समुदायों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के संबंध में "पनिका" पहले ही अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट हैं तथा गुजरात में "पासी" अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट है बिहार राज्य के संबंध में "चैन" तथा "लेयाहि" अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बन्ध्यता का उपचार

3678. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गायों और भैसों में बन्ध्यता के उपचार के लिए कोई प्रभावकारी दवा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गायों और भैसों में बन्ध्यता के उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कि देश में बन्ध्यता से ग्रस्त कितनी गाएं और भैसें हैं, कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पशुपालन तथा डेरी विभाग, कृषि मंत्रालय "राष्ट्रीय महत्व के पशु रोगों का क्रमबद्ध तरीके से नियन्त्रण" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना चला रहा है जिसके पास बांझपन, निर्जीवाणु तथा गर्भपात के नियंत्रण हेतु एक संघटक है और जिसे 50:50 अंश (भागीदारी) के आधार पर राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चावल की नई किस्म

3679. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान चावल की ऐसी उत्कृष्ट किस्म विकसित कर रहा है जिसका प्रति हैक्टेयर उत्पादन 10 से 12 टन होगा;

(ख) क्या चावल की यह विशेष किस्म आज से सात वर्ष बाद ही वाणिज्य उत्पादन हेतु उपलब्ध हो पाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसंधान प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है ताकि वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र ही शुरू किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) मनीला, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई.आर.आर.आई.) द्वारा विकसित की जा रही नई चावल की उत्तम किस्म से चावल की पैदावार 20-25 प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा की जाती है। वर्तमान किस्म से अनुमानतः करीब 7-8 टन/हैक्टर प्राप्त होने वाली पैदावार की अपेक्षा इससे लगभग 10 टन प्रति हैक्टर पैदावार प्राप्त होने की आशा है।

(ख) इस प्रकार का किस्म को विकसित करने में 5-8 वर्ष का समय लग सकता है।

(ग) और (घ). आई.आर.आर.आई. की अपनी स्वयं की अनुसंधान प्राथमिकताएं हैं और इसकी गतिविधियां भारत सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जातीं। फिर भी, भा.कृ.अनु.प. के वैज्ञानिक भी इसी प्रकार की किस्म को विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में आई.आर.आर.आई. के साथ सहायोग कर रहे हैं।

उत्पादों का पेटेन्ट किया जाना

3680. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से भारत जैव उत्पादों के क्षेत्र में 30 बिलियन डालर तक अर्जित कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी स्थिति हासिल करने के उद्देश्य से औषधि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु लघु अवधि और दीर्घावधि नीतियां तैयार करने के लिए की गई हैं/प्रस्तावित पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नीतियों में किए गए परिवर्तनों का औषधि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है और विचाराधीन नई नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इनका क्या प्रभाव पड़ा है और इस दिशा में कौन सी नई पहल किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय जेनरिक बाजार अर्थात् औषधों के बाजार जो ऑफ पेटेंट है, वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। पेटेंटों की समय अवधि समाप्त होने के बाद भी ये बने रहेंगे और इनका देश में बौद्धिक संपदा अधिकार की स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है।

(ख) से (घ). अर्थव्यवस्था को खोलने और उदारीकरण के कारण लाइसेंसिंग नीति, आयात नीति और प्रशुल्क मामले प्रभावित हुए जिसके कारण औषध नीति, 86 के माध्यम से आवश्यक संशोधन सितम्बर, 1994 में घोषित किए गए और औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में इसका अनुसरण किया गया। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विशेष लाभ दिए गए जिनका विश्वव्यापी व्यापार दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष महत्व है। इस प्रकार प्रभावशाली अनुसंधान और विकास प्रयासों और प्रपुंज औषध उत्पादन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय लागत प्रभावी बनाने के लिए इसके माध्यम से स्वदेशी उद्योग को बनाए रखने सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को योजना के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय समर्थन, सी.एस.आई.आर. की विभिनन प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे सामूहिक अनुसंधान और नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के द्वारा अनुसंधन और विकास के लिए वैज्ञानिकों को तैयार करना आदि कुछ कदम हैं जिनके द्वारा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

अपराध जगत के सरगना

3681. श्री टी. गोपालन कृष्ण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुम्बई के अपराध जगत के सरगनें अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों के संचालन में उत्तर प्रदेश/बिहार के बेरोजगार युवकों का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) इन बेरोजगार युवकों को अपराध जगत के सरगनों का शिकार होने से बचाने में सहायता करने लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) इन अपराधियों को खाड़ी के देशों की तरह दण्डित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) ऐसी कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

1977 के चीनी उत्पादन आदेश

3682. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 का वर्तमान चीनी उत्पादन आदेश चीनी के उत्पादन को सीमित करता है और यह चीनी उद्योग में मशीनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में विकास, जिससे चीनी उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, को ध्यान में रखते हुए आदेश पुराना पड़ गया है;

(ख) क्या वर्तमान कानून में संशोधन का सुझाव देने के विचार से कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें संशोधन करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) किसी चीनी फैक्ट्री में चीनी का उत्पादन उसकी लाइसेंसशुदा क्षमता पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ). चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम

3683. श्री सनत मेहता :

श्री जी.एम. बनातवाला :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **कल्याण मंत्री** 1 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम (एन.एम. एफ.डी.सी.) के इक्विटी में भागीदारी के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके आरम्भ से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम द्वारा जिले-वार कितना खर्च किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोग लाभान्वित हुए और उनको राज्य-वार कितनी धनराशि दी गयी;

(घ) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चयन किये गये लोगों के लिए अपनाये जा रहे मानदण्ड क्या हैं;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा दें; और

(च) योजना के अन्तर्गत उनको कितनी धनराशि दी गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	अंशदान की राशि (रु. करोड़ में)
1.	उत्तर प्रदेश	7.00
2.	बिहार	5.00
3.	आन्ध्र प्रदेश	1.00
4.	कर्नाटक	1.00
5.	केरल	1.00

(ख) और (ग). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लोगों का चयन करने हेतु अपनाए जा रहे मानदंड इस प्रकार हैं :-

(1) आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक अर्थात मुस्लिम, सिक्ख, जैन, बौद्ध या पारसी से संबंधित होना चाहिए।

(2) आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे अर्थात 22,000/- प्रति वर्ष होनी चाहिए।

(ङ) तथा (च). ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त आवेदनों की सं.	1996-97 में (30.11.96 तक) प्रदान की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	15.99
2.	केरल	4	291.40
3.	कर्नाटक	10	154.12
4.	मिजोरम	32	33.44
5.	हिमाचल प्रदेश	13	23.93
6.	मणिपुर	25	-
7.	मध्य प्रदेश	7	-
8.	महाराष्ट्र	1	-

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अपनी स्थापना से एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा किया गया व्यय	वितरित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा					
			1993-94		1994-95		1995-96	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	98.00	निगम की स्थापना 30.9.1994 को हुई।		शून्य	शून्य	98.00	1050
2.	हरियाणा	93.44			शून्य	शून्य	93.44	263
3.	जम्मू और कश्मीर	112.83			शून्य	शून्य	112.83	230
4.	केरल	327.14			327.14	1378	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	277.08			253.43	3275	23.65	210
6.	महाराष्ट्र	582.95			582.95	850	शून्य	शून्य
7.	मध्य प्रदेश	136.29			शून्य	शून्य	136.29	763
8.	पंजाब	91.69			शून्य	शून्य	91.69	181
9.	तमिलनाडु	464.00			464.00	1000	शून्य	शून्य
10.	उत्तर प्रदेश	1469.58			1376.40	3067	93.18	1500

उत्तर प्रदेश में बसों में लूटपाट की घटनाएं

3684. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की गाजीपुर से कानपुर जा रही बस को चन्देसर में 31 अगस्त, 1996 को लूट लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में बस-यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). संविधान के उपबन्धों के अनुसार, अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसका पता लगाना और उसे रोकने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। अपराध की किसी घटना विशेष से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

यमुना में प्रदूषण

3685. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के बारे में कोई गहन अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उक्त अध्ययन में क्या सिफारिशें की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). जी, हां। प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. हरिद्वार ने 21.9.1993 से पश्चिमी यमुना नहर में जल गुणवत्ता की मानिटरिंग के बारे में अध्ययन शुरू किया है। यह अध्ययन 30.11.1977 तक पूरा किया जाना है।

आदिवासी बच्चों की मौत

3686. श्री संदीपान थोरात : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अगस्त, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" मुम्बई में "255 ट्राइबल चिल्ड्रेन फ्रोम 6 स्टेट डिस्ट्रिक्स डाइड इन जून एलोन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आदिवासियों के कुपोषण की समस्या पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी केन्द्रीय दल ने महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों में पता लगाये गये कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए स्थिति का आकलन किया है तथा कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) कल्याण मंत्रालय 24 से 30 अगस्त, 1996 की "ब्लिटज" वीकली में "500 किड्स स्टार्व टू डेथ इन मेलघाट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित रिपोर्ट, 18 अगस्त, 1996 के 'संडे टाइम्स' "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली संस्करण में "500 ट्राइबल चिल्ड्रन हैव डाइड आफ मैलन्यूट्रिशन" शीर्षक के अंतर्गत छपे न्यूज आइटम तथा उन अन्य संबंधित न्यूज आइटमों से परिचित है जो इसी विषय पर अगस्त, 1996 में प्रेस के विभिन्न भागों में प्रकाशित हुए हैं।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के अमरावती जिले, जिसमें मेलघाट क्षेत्र आता है, में बच्चों की मृत्यु के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुख्य निष्कर्षों का सार इस प्रकार है:—

(1) मृत्यु के कारण के अनुसार विश्लेषित किए गए कृतकों की कुल संख्या :—

क्र.सं.	मृत्यु का कारण	मृतकों की संख्या
1.	बुखार	11
2.	निमोनिया	53
3.	अतिसार	39
4.	डायरिया	3
5.	क्षयरोग	3
6.	जन्म से पूर्व मृत्यु	42
7	दुर्घटनाओं के कारण तथा विषैले जंतुओं के काटने आदि से मृत्यु	61
	कुल	212

(2) मृत बच्चों की आयु समूह के अनुसार मृतकों की कुल संख्या :—

आयु समूह	मृतकों की संख्या
0-6 माह	83
6 माह से 1 वर्ष	19
1-6 वर्ष	110

मई 1996 से सर्वाधिक मौतें हुई। जुलाई, 1996 में यह संख्या 58 थी।

यद्यपि यह सामने आया है कि काफी संख्या में बच्चों की मृत्यु विभिन्न बीमारियों से हुई, महाराष्ट्र सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि मृत्यु का मुख्य कारण सामान्य रूप से कुछ बच्चों की कमजोर स्थिति था जिसके कारण वे बीमारियों से ग्रस्त हुए। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण जिसकी पहचान की गई है, आदिवासियों द्वारा क्लोरिन युक्त जल के स्थान पर प्रदूषित जल पीने को प्राथमिकता दिया जाना है क्योंकि क्लोरिन से पानी का स्वाद बदल जाता है। अमरावती में आदिवासियों की कुछ अस्वच्छ आदतों ने भी जल उत्पन्न बीमारियों की घटनाओं को अधिक किया है।

(घ) और (ङ). जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार सचिव, आदिवासी कल्याण की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार के सचिवों की एक समिति जिसमें सचिव, महिला एवं बाल विकास, सचिव, जन स्वास्थ्य, आयुक्त, परिवार नियोजन रहे हैं, ने डाक्टरों, कर्मचारियों तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार पेयजल की कोटाणु रहित करने के लिए आदिवासी हेमलेटों में प्रशिक्षित हेमलेट स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं को लगाने तथा बच्चों के लिए पूरक पोषाहार की पूर्ति करने और आई.सी.डी.सी. कार्यक्रमों के अंतर्गत माताओं का पता लगाने के लिए राहत शिविरों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए उक्त क्षेत्र का दौरा किया। इसके अतिरिक्त, पीड़ित परिवारों को खर्च के लिए वित्त वितरण भी सुनिश्चित किया गया।

अनेक दीर्घावधि के उपायों की भी परिकल्पना की गई है जैसे स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में नियमित चिकित्सा जांच, स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण तथा उन्हें दवाई किटों की आपूर्ति अमरावती जिले के प्रभावित धर्मों तथा चिक्कले धारा ब्लाकों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिचर कर्मचारियों के साथ इंक्यूबेटरों को लगाना, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामुदायिक सामाजिक कार्य तथा जिला स्वास्थ्य शिक्षा दल द्वारा आदिवासियों को स्थानीय आदिवासी भाषाओं में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

रॉक फास्फेट का आयात

3687. श्री पी.सी. थामस : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रॉक फास्फेट का आयात किया जा रहा है:

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या रॉक फास्फेट का इस्तेमाल उर्वरकों के उत्पादन में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होगा है और

(च) यदि हां, तो उर्वरकों के उत्पादन में रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). रॉक फास्फेट, फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण में अपेक्षित एक आवश्यक कच्चा माल है। विभिन्न उर्वरक निर्माता कम्पनियों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा इसका सीधा आयात किया जा रहा है क्योंकि अपेक्षित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान, रॉक फास्फेट की निम्नलिखित मात्रा का आयात किया गया है :—

वर्ष	मात्रा (000 टन)
1993–94	2349
1994–95	2595
1995–96	2450

(ङ) उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किए जाने की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एस.पी.जी., एन.एस.जी. और "रा" में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

3688. श्री इलियास आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.पी.जी., एन.एस.जी. और "रा" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन एजेंसियों में इस समय कार्यरत अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का अनुपात कितना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और विशेष संरक्षा ग्रुप के मामले में, पदों को केवल विभिन्न पुलिस संगठनों तथा राज्य पुलिस से कार्मिकों को निश्चित कार्यकाल हेतु प्रतिनियुक्ति पर लेकर भरा जाता है। अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के उपबंध लागू नहीं होते हैं। अपनी अनूठी कार्यप्रणाली के कारण रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के उपबंधों से छूट दी गई है। तथापि, जहां पर विशेष सुरक्षा जरूरतें प्रभावित नहीं होती वहां रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भर्ती के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को बोनस अंक दिए जाते हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विशेष संरक्षा ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद तथा रिसर्च एवं एनालिसिस विंग में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत क्रमशः 10.0, 7.8 और 7.7 है।

उत्तर प्रदेश में हिरासत में हुई मौतें

3689. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में 1995-96 के दौरान पुलिस हिरासत में कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या हिरासत में हुई मौतों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मानवाधिकार का उल्लंघन

3690. श्री अशोक अर्गल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार सरकार और मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के कितने मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जनगणना 1991

3691. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना के दौरान एकत्रित किये गये आंकड़ों की श्रेणियां अभी तक जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाल श्रमिक से संबंधित आंकड़े अभी जारी नहीं किए गये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बाल श्रमिक संबंधी आंकड़े कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 1991 की जनगणना के दौरान एकत्रित आंकड़े संसाधित किए जा

रहे हैं और इन्हें पिछली जनगणनाओं के अनुसार ही, कई चरणों में प्रकाशित किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 5-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों (बाल मजदूर) की संख्या, जो कि मुख्य काम करने वाले या सीमांतिक काम करने वाले हैं, और काश्तकारों, खेतिहर मजदूरों, घरेलू उद्योगों और अन्य काम करने वालों के रूप में कार्यरत मुख्य काम करने वाले बच्चों की संख्या, मुख्य काम करने वाले बाल मजदूरों का शैक्षिक स्तर और क्या ये बाल मजदूर (मुख्य या सीमांतिक) स्कूल जा रहे हैं; संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

3692. डा. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भारत तिब्बत मैत्री संघ" हिमालय कमेटी फार एक्शन आन तिब्बत और "तिब्बत मुक्ति संघर्ष समिति" ने चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के विरोध में 28.11.96 और 29.11.96 को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रदर्शनों में किन-किन व्यक्तियों, संगठनों और संसद सदस्यों ने भाग लिया; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान। 28.11.96 को "इन्डो-तिब्बत फ्रेन्डशिप सोसायटी" के लगभग 100 कार्यकर्त्ताओं ने, श्री मुकुन्द बिहारी फारिक के नेतृत्व में जन्तर-मन्तर से संसद मार्ग तक प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि "पंचिम लामा को आजाद करो"। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्य नगेन्द्र देव, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. राजकुमार जैन, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो. आनन्द कुमार, समता पार्टी की महासचिव सुश्री जया जेतली इत्यादि इसमें भाग लेने वालों में प्रमुख थे। श्री रवि राय, भूतपूर्व अध्यक्ष, लोक सभा और श्री एस.पी. मालविया, संसद सदस्य, राज्य सभा, भी 28.11.96 को लंच समय के दौरान कुछ समय के लिए जन्तर-मन्तर गए थे।

29.11.96 को "इन्डो तिब्बत मैत्री संघ" के लगभग 39 कार्यकर्त्ताओं ने जन्तर-मन्तर से राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन किया। श्री जार्ज फर्नान्डीज, संसद सदस्य (लोक सभा) के नेतृत्व में आंगन बाड़ी के 197 कार्यकर्त्ताओं ने उनका सहयोग किया। समता पार्टी की महासचिव सुश्री जया जेतली इसमें भाग लेने वालों में प्रमुख थी।

(ग) भारत और चीन, लम्बित पड़े मुद्दों पर विचार करते हुए, मैत्रीपूर्ण, अच्छे पड़ोसियों वाले रचनात्मक और सहयोगपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तिब्बत के संबंध में भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जैन जांच आयोग

3693. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैन आयोग द्वारा किस तिथि तक रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य है;

(ख) इसकी अब तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है तथा जांच कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) जैन आयोग द्वारा पहले किस तिथि तक रिपोर्ट सौंपा जाना निर्धारित था; और

(घ) इसके विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जैन जांच आयोग के कार्यकाल को इस शर्त पर 28.2.1997 तक बढ़ाया गया है कि आयोग अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र किन्तु 28 फरवरी, 1997 के अपश्चात प्रस्तुत करेगा।

(ख) आयोग ने अभी तक कुल 217 बैठकें आयोजित की हैं। आयोग ने आज तक 64 साक्ष्यों की जांच की है और 866 प्रदेशों को मार्क किया है। जांच, साक्ष्यों को रिकार्ड किए जाने की अवस्था में है।

(ग) और (घ). जैन जांच आयोग का गठन इस शर्त पर 23.8.1991 को किया गया था कि आयोग अपनी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र किन्तु 6 महीने के अपश्चात प्रस्तुत करेगा। तथापि, इसके काम के आकार और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आयोग का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया।

लेवी चीनी मूल्य संतुलन निधि

3694. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम एवं केरल सरकार के बीच लेवी चीनी मूल्य संतुलन निधि (एस.पी.ई.एफ.) लेखा संबंधी समझौता 1980 से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान समय में उक्त मामला किस स्थिति में है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग). केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने भारतीय खाद्य निगम के पास 31.3.1993 तक लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि लेखों को प्रस्तुत किया है और इन्हें पास कर दिया गया है। कुछ मतभेद हैं जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया था। दुलाई आदि के संबंध में स्पष्टीकरण मंत्रालय द्वारा 18.10.1996 को दे दिया गया है ताकि दावों का शीघ्र निपटान किया जा सके।

[अनुवाद]

सीमा पर बाड़ लगाना

3695. श्री तारीक अनवर :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री मोहन रावले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने की छोड़ी गई परियोजना को पुनः आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को बन्द करने के क्या कारण थे; और

(ग) सीमा के कुल कितने क्षेत्र पर अभी बाड़ लगाना शेष है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना को सरकार द्वारा छोड़ा नहीं गया है। पाकिस्तान की ओर से गोली-बारी होने के कारण केवल जम्मू सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य रोका गया था। अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सैक्टर में बाड़ लगाने का कार्य पुनः शुरू करने पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) केवल कुछ ऐसे हिस्सों, जहां नदीय/निचले क्षेत्र होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, को छोड़कर, पंजाब की संपूर्ण सीमा पर बाड़ लगा दी गई है। राजस्थान की 1035 कि.मी. लम्बी सीमा में से 720 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा 145 कि.मी. बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके दिसम्बर, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस हिस्से में कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्, 131 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा जोकि दिसम्बर, 1998 तक पूरा हो जाएगा। शेष 39 कि.मी. में इसके बाद बाड़ लगाई जाएगी।

गुजरात के रण क्षेत्र के साथ-साथ खाई और बांध, तथा इस प्रकार के भू भाग के लिए उपयुक्त, रूपांतरित की हुई सीमा बाड़ के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शीघ्र शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में कथित भ्रष्टाचार

3696. श्री राम टहल चौधरी :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसद सदस्यों ने भारतीय खाद्य निगम में कथित भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो । जुलाई से कितने संसद सदस्यों ने इस बारे में शिकायत की है तथा शिकायतों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार के बारे में पहली जुलाई, 1996 से माननीय संसद सदस्यों के पांच पत्र प्राप्त हुए हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सरकार भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में मुस्तैद है। दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है और दोषी पाए गए कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	शिकायत का सार और स्रोत	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	डा. के.पी. रामालिंगम, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा अग्रेषित की गई दक्षिण राज्यों के फ्लोर मिलों के परिसंघ की दिनांक 24.8.96 की शिकायत आरोप लगाया गया है कि "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर दक्षिण राज्यों में व्यापारियों को गेहूं का आवंटन करते समय भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी कदाचार में लिप्त हो रहे हैं।	भारतीय खाद्य निगम से सूचना प्राप्त हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है।
2.	श्री वी. अलगिरीसामी, संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा अग्रेषित तमिलनाडु रोलर फ्लोर मिल्स एसोशियेशन की दिनांक 20.8.96 की शिकायत- आरोप लगाया गया है कि "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर दक्षिण राज्यों में व्यापारियों को गेहूं का आवंटन करते समय भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी कदाचार में लिप्त हो रहे हैं।	यह मामला भारतीय खाद्य निगम को भेजा गया है।

1	2	3
3.	करोड़ों रुपए मूल्य के चावल की वसूली और भंडारण में श्री रामनाथ सिंह, जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम जबलपुर द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में श्री दादा बाबूराव परांजपे, संसद सदस्य (लोक सभा) से प्राप्त शिकायत।	भारतीय खाद्य निगम से सूचना प्राप्त हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है।
4.	राजस्थान में खुली बिक्री में अनियमितताओं के बारे में श्री वैद्य दाऊ दयाल जोशी, संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत।	-वही-
5.	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब द्वारा चावल की खुली बिक्री में अनियमितताओं के बारे में श्री हरवंश सहाय, संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत।	-वही-

गेहूं तथा चावल की खुली बिक्री

3697. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घरेलू बाजार के लिए कितनी मात्रा में गेहूं तथा चावल खुली बिक्री के लिए राज्यवार जारी किया गया:

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए और अधिक मात्रा में गेहूं तथा चावल जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा बेचे गए गेहूं और चावल की राज्यवार मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने और गेहूं के खुले बाजार के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव डालने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को दिसम्बर, 1996 और मार्च, 1997 के बीच खुले बाजार में बिक्री करने के लिए प्रतिमाह 6 लाख टन गेहूं रिलीज करने के लिए प्राधिकृत किया है।

वर्ष 1996-97 में खुले बाजार में 5 लाख टन चावल बेचने के लिए दिए गए प्राधिकार के प्रति भारतीय खाद्य निगम नवम्बर, 1996 तक केवल 1.88 लाख टन चावल की मात्रा बेच सका है। वर्ष के दौरान खुले बाजार की आवश्यकता पूरी करने के लिए शेष मात्रा पर्याप्त समझी जाती है।

विवरण

1993-94 से 1995-96 तक के दौरान खुली बिक्री के अन्तर्गत बेची गई गेहूं और चावल की मात्रा।

(गेहूं के आकड़े लाख टन में)
(चावल के आकड़े हजार टन में)

राज्य का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7
1. पंजाब	2.00	1.6	3.25	24.7	7.69	36.2
2. हरियाणा	5.41	4.9	7.18	15.5	12.84	47.9
3. उत्तर प्रदेश	8.55	-	6.72	1.9	8.58	1.6
4. दिल्ली	0.13	-	1.26	11.4	1.43	3.0
5. राजस्थान	0.10	-	0.40	0.6	0.41	0.5
6. हिमाचल प्रदेश	0.10	-	0.17		0.14	-
7. जम्मू और कश्मीर	0.26	-	0.48		0.13	-

	1	2	3	4	5	6	7
8.	पश्चिम बंगाल	0.71	-	1.20	9.1	1.14	16.5
9.	बिहार	1.65	-	2.79	1.0	4.02	2.1
10.	उड़ीसा	0.28	-	1.48	-	1.88	1.2
11.	महाराष्ट्र	2.15	7.4	5.32	182.1	6.80	295.0
12.	गुजरात	0.65	1.9	2.07	62.5	4.00	102.9
13.	मध्य प्रदेश	1.19	1.2	4.47	40.9	5.49	13.5
14.	तमिलनाडु	2.73	-	6.25	23.6	3.39	11.1
15.	आंध्र प्रदेश	1.10	-	2.11	48.7	2.37	98.3
16.	कर्नाटक	1.38	-	4.36	30.1	2.24	0.4
17.	केरल	0.17	-	0.78	1.8	0.83	6.6
	जोड़	28.56	17.0	50.29	453.9	63.38	636.8

[अनुवाद]

चीनी की आपूर्ति

3698. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू त्यौहारों के मौसम में राज्यों को राज्य-वार कितनी चीनी उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) क्या राज्यों को विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र को त्यौहारों के दौरान पेर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्यों को लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ). इस समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.1.1996 से 1.1.1991 की आबादी के अनुसार लेवी चीनी का मासिक आवंटन, प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान आधार पर किया जा रहा है। तथापि, चीनी की उपलब्धता में वृद्धि और महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को देखते हुए भी पंचांग वर्ष 1996 के लिए वार्षिक त्यौहार कोटा दुगुना कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 1996 के लिए मासिक लेवी कोटा आबंटन में 10 प्रतिशत की तदर्थ बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

उपर्युक्तता के आधार पर आवंटित किए जा रहे वार्षिक त्यौहार कोटे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इस समय राज्यों/संघ राजय क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

लेवी चीनी के राज्य-वार मासिक त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक त्यौहार कोटा	(मी.टन में) वर्ष 1996 के लिए बढ़ाया गया त्यौहार कोटा
	1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7614	15228
2.	अरुणाचल प्रदेश	94	188
3.	असम	2896	5792
4.	बिहार	10078	20156
5.	गोवा	150	300
6.	गुजरात	4878	9756
7.	हरियाणा	1924	3848
8.	हिमाचल प्रदेश	608	1216
9.	जम्मू और कश्मीर	868	1736
10.	कर्नाटक	5350	10700

	1	2	3
11.	केरल	3600	7200
12.	मध्य प्रदेश	7536	15072
13.	महाराष्ट्र	9014	18028
14.	मणिपुर	208	416
15.	मेघालय	200	400
16.	मिजोरम	78	156
17.	नागालैंड	128	256
18.	उड़ीसा	3730	7460
19.	पंजाब	2392	4784
20.	राजस्थान	5092	10184
21.	सिक्किम	50	100
22.	तमिलनाडु	6790	13580
23.	त्रिपुरा	302	604
24.	उत्तर प्रदेश	15936	31872
25.	पश्चिम बंगाल	7796	15592
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	74	148
27.	चंडीगढ़	112	224
28.	दिल्ली	2316	4632
29.	दादर व नगर हवेली	14	28
30.	दमन व दीव	12	24
31.	लक्षद्वीप	22	44
32.	पांडिचेरी	88	176
	अखिल भारत	100000	200000

औषधि नीति

3699. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1996-97 के दौरान औषधि नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ आवश्यक तथा जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). औषधों पर कीमत नियंत्रण "औषध नीति में संशोधन, 1986" और औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

अपहरण या हत्या का मामला

3700. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 1996 के "दैनिक जागरण" में "अपहरण या हत्या का मामला पर्याप्त सबूत ना जुटाने पर अदालत ने पुलिस की खिंचाई की" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान्। इस मामले में न्यायालय का यह मानना है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य अभियुक्त व्यक्तियों का दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिल्ली पुलिस ने यह पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है कि क्या मामले की जांच कर रहे अधिकारी द्वारा कोई चूक की गई थी।

पदोन्नति के अवसरों के मामलों में विसंगतियां

3701. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम और अन्य उर्वरक संयंत्रों में चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों में काफी विसंगतियां हैं;

(ख) क्या गैर-चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर उत्साहवर्धक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय उर्वरक निगम के अंतर्गत उर्वरक संयंत्रों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के लिए बेहतर पदोन्नति के अवसर सृजन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) जो कि एक रुग्ण कम्पनी है, में चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर पर एक अन्य रुग्ण कम्पनी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. से भिन्न नहीं है।

(ख) और (ग). गैर-चिकित्सा पदों पर पदोन्नति, ऐसी पदोन्नति के लिए नियमों तथा कम्पनी की अनुमोदित व्यवस्था के आधार पर की जाती है।

(घ) और (ङ). बोर्ड स्तर से कम स्तर की नियुक्ति होने के कारण, चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति की निबन्धनों तथा शर्तों का निर्धारण कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किया जाता है।

गिरफ्तार युवक से बरामद रकम

3702. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1996 के "जनसत्ता" में "गिरफ्तार युवक से बरामद रकम पौने दो करोड़ या चालीस लाख" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच करने का विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की सतर्कता जांच कराना निश्चित किया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

अवैध हथियार

3703. डा. बलिराम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध हथियारों की बहुतायत है;

(ख) यदि हां, तो क्या आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों के परिसरों में अवैध हथियारों की बरामद करने हेतु छापे मारे गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा सरकार द्वारा इन अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वर्षा सिंचित क्षेत्र

3704. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड क्षेत्र को वर्षा सिंचित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उपर्युक्त क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया है;

(ग) इस क्षेत्र में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) कुल आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि को उपयोग में नहीं लाया जा सका?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). उत्तराखंड क्षेत्र में उन क्षेत्रों, जिनमें किसी विकास प्रखंड में 30 प्रतिशत से कम कृषि क्षेत्र सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के अधीन हैं, को वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अधीन लिया गया है। तदनुसार यह परियोजना उक्त क्षेत्र के आठ जिलों के कई प्रखंडों में 70 सूक्ष्म पनधाराओं में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र को परियोजना के अधीन 2033.63 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिसमें से अभी 469.84 लाख रुपये का उपयोग किया जाना है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार का कार्यकरण

3705. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सुपर बाजार के कार्यकरण का आंकलन तथा अंतिम समीक्षा किस तारीख को की गयी थी तथा इसे क्या सलाह दी गई थी;

(ख) क्या इस तरह की सलाह विगत में भी दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में सुपर बाजार के कार्यकरण के संबंध में क्या कमियां तथा अनियमितताएं ध्यान में आयी हैं; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). सुपर बाजार एक स्वायत्त सहकारी समिति है, जिसका अपना निदेशक मंडल है, जो इसके कार्य की समीक्षा करता है।

पंजाब नेशनल बैंक में डकैती

3706. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुई डकैती की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). पंजाब नेशनल बैंक की नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट I शाखा में सेंधमारी का एक मामला दिल्ली पुलिस द्वारा 2 दिसम्बर, 1996 को दर्ज किया गया। इस मामले में की गई जांच-पड़ताल से इस बात का रहस्योद्घाटन हुआ है कि प्रवेश पाने के लिए स्ट्रौंग रूम की छत तोड़ी गई थी और अनेक लॉकरों को खोलने के लिए गैस गटर का उपयोग किया गया था। जांच दल के साथ गये अंगुली छाप विशेषज्ञों ने घटनास्थल से 11 चांस प्रिंट लिए। तथापि, जिन लोगों ने टूटे हुए लॉकरों को किराये पर लिया हुआ था, उन्होंने अपने-अपने लॉकरों से चुराई गई वस्तुओं के ब्यौरों की अभी तक सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

अरब देशों से घुसपैठ

3707. श्री भीमराव विष्णु जी बडाडे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों में कार्यरत विभिन्न देशों के मजदूर, जिन्हें वहां से निकाल दिया गया है, समुद्री मार्ग से भारतीय तटों पर पहुंच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन घुसपैठियों को यहां आने से रोकने हेतु कोई सुरक्षा प्रणाली तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारत में कितने विदेशी नागरिक आकर बस गए; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) ऐसी कोई घटना हमारी जानकारी में नहीं आयी है जिससे सऊदी अरब अथवा खाड़ी के अन्य देशों में काम कर रहे, अन्य देशों के कामगार, जो वहां से बाहर निकाले गए हैं, समुद्र के रास्ते से भारतीय तट पर पहुंचे हैं। तथापि, बगैर वैध दस्तावेजों और वीजा के विदेशों में रह रहे भारतीयों को, समय-समय पर, खाड़ी देशों से बाहर निकाला गया है। यू.ए.ई. सरकार द्वारा घोषित आम माफी की योजना के बाद 10 सितम्बर से 10 दिसम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान भारत में पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 60,000 है, उनमें से अधिकांश हवाई जहाज से लौटे हैं, जबकि कुछ समुद्री रास्ते से भी लौटे हैं। वापस आए सभी व्यक्तियों के पास वैध भारतीय यात्रा दस्तावेज थे, अर्थात, वे यू.ए.ई. में स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी किए गए आपातकाल प्रमाण-पत्रों, जिन्हें कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जारी किया गया था, पर लौटे थे तथा उन्हें आप्रवासी चैक-पोस्ट अधिकारियों द्वारा उनके आपातकाल प्रमाण-पत्रों/पासपोर्टों सहित यात्रा दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही प्रवेश करने दिया गया था।

(ख) यह मंत्रालय, समय-समय पर, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों सहित संबंधित एजेंसियों को विदेशी नागरिकों की घुसपैठ चैक करने तथा उचित मामलों में उन्हें स्वदेश लौटाने के बारे में सुग्राही बनाता आ रहा है।

(ग) और (घ). प्रश्न के (क) और (ख) भागों में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न और उनकी आवश्यकता का "प्रश्न ही नहीं उठता"।

[अनुवाद]

भेषज कंपनियों में अनुसंधान और विकास संबंधी निवेश

3708. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भेषज-कम्पनियों की अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य में कम निवेश किये जाने के कारण शोचनीय दशा होने की संभावना है, जबकि उनके समकक्ष की अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां अनुसंधान तथा विकास कार्य संबंधी लागत को कम करने तथा अपने उत्पादों में वृद्धि करने के उद्देश्य से आपस में विलय कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय भेषज कम्पनियों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन भेषज कम्पनियों को गम्भीरतापूर्वक मूल अनुसंधान कार्य करने विशेषकर उस स्थिति में, जब सरकार उन पर पेंटेट अधिनियम लागू करेगी और इन कम्पनियों को 2010 ई. में भारी आघात पहुंचेगा, का निदेश देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). विदेशों में भेषज कम्पनियों में बहुत विलय हो रहा है, अतः ऐसी कंपनियों को प्राप्य संसाधनों और अनुसंधान एवं विकास पर उनके द्वारा दिए जा रहे जोर से भारत में भेषज कंपनियों को चुनौतियां पेश आएंगी।

इन चुनौतियों के चलते भारतीय भेषज कंपनियों को प्रक्रिया विकास से हटकर अधिक मौलिक अनुसंधान और विकास करना होगा। चूंकि कंपनियों को इसे मुख्य रूप से स्वयं उत्पन्न करना होगा, अतः आर एंड डी के लिए प्रोत्साहन, नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के लिए प्रावधान करना, सी एस आई आर प्रयोगशालाओं से अवस्थापना संबंधी सुविधाएं और राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान और विकास की ओर उन्मुख वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना आदि वे कुछ कदम हैं, जो भावी चुनौतियों के लिए भेषज उद्योग को तैयार करने हेतु सरकार ने उठाए हैं।

[हिन्दी]

आई.डी.पी.एल.

3709. श्री राम नाईक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.डी.पी.एल. के रिपोर्ट के अध्ययन के पश्चात् बी.आई.एफ.आर. द्वारा अप्रैल, 1992 के दौरान इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड को पुनः चालू किया गया है;

(ख) क्या सरकार को आई.डी.पी.एल. के सभी पांचों संयंत्रों के बंद पड़े होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कर्मचारियों का वेतन 1988 से ही बकाया है;

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि बकाया है तथा बकाया राशि के भुगतान के संबंध में क्या समयबद्ध कार्यक्रम है;

(च) क्या अक्टूबर, 1996 से मजदूरी का भुगतान किया जाना शेष है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इसके भुगतान के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). आई.डी.पी.एल. प्रबन्धन द्वारा तैयार की गई पुनरूद्धार योजना रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 17(2) के अनुसार औद्योगिक और वित्तीय पुनरूद्धार बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा 10.2.1994 को अनुमोदित की गई थी। आई.डी.पी.एल. को 1994-95 में उत्पादन और बिक्री के लक्षित स्तरों तक पहुंचने में असफलता के फलस्वरूप बी.आई.एफ.आर. ने स्थिति की समीक्षा की और आईडीपीएल के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहारिता का अध्ययन करने तथा दीर्घकालीन पुनर्वास के उपाय सुझाने के लिए आई.डी.बी.आई., बम्बई को संचालन एजेन्सी नियुक्त किया गया। संचालन एजेन्सी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। आई.डी.पी.एल. कार्यशील पूंजी और अन्य वित्त संबंधी भारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। परिणामस्वरूप केवल मद्रास इकाई, जो सामान्य तौर पर चल रही है, को छोड़कर इसके संयंत्रों में संचालन बन्द हो गया।

(घ) और (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) से (ज). आई.डी.पी.एल. ने अपने कामगारों और कर्मचारियों को अक्तूबर, 1996 माह का वेतन का भुगतान कर दिया है।

[अनुवाद]

पशुधन की तस्करी

3710. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से बंगलादेश में ढांचागत संसाधनों की खामियों तथा प्रशासनिक उदासीनता के कारण पशुधन की तस्करी अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश को पशुधन की हो रही तस्करी के बारे में बी.बी.सी. द्वारा प्रसारण किया गया था;

(घ) क्या पशुधन की तस्करी को रोकने के संबंध में जून, 95 में भारत तथा नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस अवैध क्रियाकलाप को रोकने हेतु सीमा पर क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). बिहार के साथ बंगलादेश की सीमा नहीं लगती है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पशुओं को सीमा पर तस्करी करके ले जाने के लिए हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से पश्चिम बंगाल लाया जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बी.बी.सी. पर बंगलादेश को पशुओं की तस्करी के संबंध में कोई समाचार प्रसारित हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(घ) और (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत और नेपाल को, सीमा पार से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 31 मई, 1996 को एक बैठक वन महानिरीक्षक की अध्यक्षता में हुई थी।

(च) सीमाओं पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं :—

(I) सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना :

(1) सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के तहत अतिरिक्त बटालियनें गठित करना;

(2) सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना;

(3) सीमा प्रेक्षण टावरों की संख्या बढ़ाना;

(4) निगरानी उपकरण और नाईट विजन डिवाईसिज उपलब्ध कराना;

(5) सीमा सुरक्षा बल के नदी तटीय वाटर विंग का गठन करना।

(II) बाड़ फ्लड लाईट तथा गश्त लगाना :

(1) भारत पाकिस्तान और भारत बंगलादेश सीमाओं पर सीमा सड़कें और बाड़ लगाना;

(2) भारत-पाक सीमा की संवेदनशील हिस्सों में फ्लड लाईट लगाना; और

(3) सीमा के साथ-साथ गश्त बढ़ाना।

(III) तटीय क्षेत्र पर निगरानी :

(1) गहरे समुद्र में नैसेना के पोतों द्वारा गहन निगरानी रखना;

(2) राज्य क्षेत्रीय जल क्षेत्र में तट-रक्षक और नौसेना द्वारा संयुक्त निगरानी; और

(3) समुद्र तट के साथ-साथ उथले समुद्र में ट्रालरों के द्वारा नौसेना (तटरक्षक), कस्टम और राज्य पुलिस की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा गश्त लगाना।

(IV) आसूचना संग्रहण, आदान-प्रदान और समन्वय : यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक पक्की और उपलभ्य आसूचना उपलब्ध रहे, आसूचना संग्रहण का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है। इस प्रकार की सूचना का राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान करने के लिए, तन्त्र स्थापित किए गए हैं।

चीनी का भंडार

3711. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों सहित चीनी मिलों में चीनी का अत्यधिक भंडार एकत्र है जबकि चालू मौसम में पेराई आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो चालू पेराई मौसम के आरम्भ में मिलों तथा सरकारी गोदामों में चीनी का कुल कितना भंडार है; और

(ग) भंडार को खाली करने तथा गन्ना उत्पादकों के ऋण को चुकाने तथा अन्य संबद्ध उद्देश्यों हेतु सहकारी तथा अन्य मिलों को आवश्यक ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). चीनी मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान चीनी उत्पादन के उच्चतर स्तर के कारण वर्तमान पेराई मौसम के आरम्भ में फैक्टिरयों के पास चीनी का स्टॉक उच्च स्तर पर था। वर्तमान मौसम के आरम्भ में 1.10.1996 तक महाराष्ट्र तथा उ.प्र. में फैक्टिरयों के पास चीनी का स्टॉक क्रमशः 28.02 लाख टन तथा 20.79 लाख टन (अनंतिम) था।

(ग) स्टॉक का निपटान करने तथा चीनी मिलों की नकदी स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जैसे, खुली बिक्री चीनी की उच्चतर रिलीज, बफर स्टॉक का सृजन, निर्यात की अनुमति तथा चीनी मिलों को बैंकों से उच्चतर सीमा तक ऋण लेने की छूट आदि।

सीमावर्ती गांव का अतिक्रमण

3712. श्री सुशील चन्द्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मणिपुर में मोलकाम गांव का बर्मा सीमा में चले जाने की आशंका की जानकारी है;

(ख) क्या बर्मा के सैनिक अक्सर गांव में आते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोलकाम में बर्मी सैनिकों द्वारा अतिक्रमण न हो, क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मालकोम क्षेत्र के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है; और

(ङ) इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसी कोई धमकी सूचित नहीं की गयी है।

(ख) और (ग). मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गयी। मणिपुर सरकार द्वारा भोलचाम गांव में एक पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। इस गांव के निकट सीमा सुरक्षा बल की एक सीमा चौकी भी स्थित है।

(घ) और (ङ). चूंकि नशीले पदार्थों की तस्करी चोरी-छिपे की जाने वाली गतिविधि है, अतः ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि म्यांमार से नशीले पदार्थों की तस्करी मोलचाम गांव से होकर की जाती हो। प्रवर्तन एजेन्सियों को अत्यधिक चौकसी रखने या नशीले औषधि तथा मादक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के प्रयत्न तेज करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। प्रवर्तन एजेन्सियों के कार्यों की समीक्षा करने तथा मादक पदार्थों के व्यापार के बारे में आसूचना का आदान-प्रदान करने के लिए सांवधिक रूप से उच्चस्तरीय समन्वय बैठकें की जाती हैं। भारत सरकार ने म्यामार सरकार के साथ, विशेष रूप से मादक पदार्थों के व्यापार की रोकथाम करने के लिए, एक द्विपक्षीय समझौता किया है।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

3713. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जो कि सरकारी अनुदान से पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को कितना अनुदान दिया गया; और

(ग) उन कार्यों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए अनुदान दिया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र

3714. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इंदौर की स्थापना कब हुई थी:

(ख) इस केन्द्र के मूल उद्देश्य क्या हैं:

(ग) इस केन्द्र में अब तक विकसित सोयाबीन की उन्नत किस्मों का ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या इस केन्द्र में प्रगति आशा से कम प्रगति हुई है:

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई जा रही है: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना जनवरी, 1987 में इंदौर (मध्य प्रदेश) में की गई थी।

(ख) केन्द्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) सोयाबीन जर्म-प्लाजम के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना।

(2) देश की विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के लिए सोयाबीन की उचित सुधरी किस्में और प्रजनन सामग्री को विकसित करने के लिए आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान करना।

(3) सोयाबीन के पोषण, जल तथा कीट-व्याधियों/रोगों के प्रबंध के लिए समाकलित प्रणाली को विकसित करना तथा अधिकतम पैदावार के लिए उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करना।

(4) नाभिकीय और प्रजनक बीज के उत्पादन को व्यवस्थित करना।

(5) सोयाबीन की उत्पादन प्रौद्योगिकी और नई सुधरी किस्मों की लोकप्रियता के लिए विकासात्मक एजेंसियों के साथ सहयोग और सहायता करना।

(ग) राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र ने तीन सुधरी किस्में नामतः अहिल्या-1, अहिल्या-2 और अहिल्या-3 को विकसित किया है जिन्हें मध्य प्रदेश में कृषि के लिए जारी किया गया है। अहिल्या-1 की 25-30 क्विंटल/हैक्टर पैदावार क्षमता है जो लगभग 100 दिन में तैयार हो जाता है और इसका अंकुरण भी अच्छा है। अहिल्या-2 और अहिल्या-3 की पैदावार क्षमता 30-35 क्विंटल/हैक्टर है जिसकी फलियां फटती नहीं है और पत्ते भी नहीं झड़ते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुधन की हानि

3715. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गत छः माह के दौरान कितने पशुधन की हानि हुई है: और

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता की मांग की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा किस रूप में सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1996 में चक्रवात और बाढ़ में 66694 पशु लापता हुए थे। इसके अलावा, अप्रैल से सितम्बर, 1996 के दौरान पशु रोगों के कारण 5150 पशु मरे थे।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 30.90 करोड़ रुपये की मांग की है। भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 के लिए विपदा राहत कोष से 93.14 करोड़ रुपये की अपनी समूची हिस्सेदारी पहले ही जारी कर दी है। इसके अलावा, अक्तूबर और नवम्बर, 1996 के चक्रवात के कारण हुई हानि के लिए अग्रिम उपायों के रूप में 76.715 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ये राशियां पशुपालन क्षेत्र सहित प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए हैं।

उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार ने 1996-97 के दौरान पशुपालन रोग नियंत्रण के लिए 21.37 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है।

असम में कृषि विज्ञान केन्द्र

3716. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में उन जिलों के क्या नाम हैं जहां अभी कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं: और

(ख) राज्य के सभी शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) असम के 18 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं हैं—जो ये हैं :—

(1) बारपेटा,

(2) दारांग,

(3) डिब्रूगढ़,

(4) धुब्री,

(5) गोलपाड़ा,

(6) जोरहट,

(7) कामरूप,

(8) कर्बी आंगलोंग,

(9) करीमगंज,

(10) नागांव,

(11) लखीमपुर,

(12) उत्तरी सचर,

(13) नालबारी,

(14) धेमाजी,

(15) मारीगांव,

(16) हेलकन्डी,

(17) बोंगाईगांव,

(18) सिबसागर।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद असम सहित देश में और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना आयोग से विभिन्न विकल्पों पर बातचीत कर रही है।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाएं

3717. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) ऐसे क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं को लागू किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). आठवीं पनंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा परियोजना 25 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है और यह 45.84 लाख है हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं।

पनधाराओं के क्षेत्र व इनकी संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत, कृषि-योग्य और गैर-कृषियोग्य भूमि क्षेत्रों में मृदा तथा आर्द्रता संरक्षण उपाय और उत्पादन में सुधार लाने के लिए विविधीकृत कृषि प्रणालियां शुरू की जाती हैं। प्राकृतिक निकासी लाइनों का उपचार और पशुधन विकास इस परियोजना के अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। शुरू किए गए मुख्य कार्यकलाप हैं-कन्टूरों पर वानस्पतिक वाड़ लगाना, खड्डों को नियोत्रित करना, कृषि वानिकी, शुष्क-भूमि बागवानी, चरागाह विकास और जलमग्न खाइयों में संरचनाओं को स्थापित करना।

वर्ष 1990-91 से इस परियोजना के शुरू होने से आज तक धन के राज्य-वार आवंटन व निर्मुक्ति के साथ-साथ इनका उपयोग विवरण-II में दिया गया है।

विवरण–I

आठवीं योजना के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत कवर किए राज्यों/संघ शसित प्रदेशों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूक्ष्म-पनधारा परियोजनाओं के तहत कवर किया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	शुरू की गई सूक्ष्म-पनधारा परियोजनाओं की सं.
	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	191949	94
2.	अरुणाचल प्रदेश	1970	3
3.	असम	104973	110
4.	बिहार	98978	191
5.	गोवा	3808	4
6.	गुजरात	334261	168
7.	हरियाणा	18725	5
8.	हिमाचल प्रदेश	37240	58
9.	जम्मू एवं कश्मीर	22000	44
10.	कर्नाटक	357607	85
11.	केरल	88276	114

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	749641	385
13.	महाराष्ट्र	917900	266
14.	मणिपुर	6821	5
15.	मेघालय	4110	8
16.	मिजोरम	17666	20
17.	नागालैंड	14125	28
18.	उड़ीसा	388875	258
19.	पंजाब	19270	13
20.	राजस्थान	533939	204
21.	सिक्किम	7031	12
22.	तमिलनाडु	176390	88
23.	त्रिपुरा	7634	17
24.	उत्तर प्रदेश	327716	202
25.	पश्चिम बंगाल	150000	165
26.	दादर व नगर हवेली	692	3
27.	अंडमान एवं निकोबार	2669	4
	जोड़	4584266	2554

विवरण–II

वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के तहत राज्य–वार आवंटित, निर्मुक्त तथा प्रयुक्त धन के संबंध में उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ष 1990-91 तथा 8वीं योजना के दौरान आवंटन	वर्ष 1990-91 से 96-97 (नव. 96) तक निर्मुक्त की गई कुल धनराशि	वर्ष 1990-91 से 96-97 (नव. 96) तक प्रयुक्त कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9207.970	4944.647	4593.989
2.	अरुणाचल प्रदेश	133.000	146.000	62.824
3.	असम	2843.000	2378.387	1081.727
4.	बिहार	6452.400	1738.433	292.450
5.	गोवा	140.200	73.933	10.728
6.	गुजरात	9796.235	5728.677	4990.240
7.	हरियाणा	1904.686	460.338	436.807
8.	हिमाचल प्रदेश	659.130	1039.530	838.440
9.	जम्मू और कश्मीर	559.000	464.112	388.944
10.	कर्नाटक	11982.750	9293.384	8815.452
11.	केरल	2454.000	2293.900	2000.000
12.	मध्य प्रदेश	21539.992	10695.213	10019.773
13.	महाराष्ट्र	21402.975	15330.098	14548.810
14.	मणिपुर	101.000	251.900	248.900
15.	मेघालय	186.000	218.550	94.380
16.	मिजोरम	80.000	811.670	791.580
17.	नागालैंड	175.000	623.900	618.900
18.	उड़ीसा	6415.617	6507.712	6065.750
19.	पंजाब	755.367	495.660	429.230
20.	राजस्थान	15996.220	14437.300	12484.117
21.	सिक्किम	191.000	338.910	328.820
22.	तमिलनाडु	4196.440	3631.649	3245.822
23.	त्रिपुरा	291.000	242.800	234.763
24.	उत्तर प्रदेश	9805.620	9015.497	8387.810
25.	पश्चिम बंगाल	4484.000	2461.975	1598.856
26.	दादर व नगर हवेली	32.000	12.315	2.604
27.	अंडमान एवं निकोबार	30.000	112.000	59.260
	जोड़	131801.602	93748.490	82670.981

मुसलमानों को नौकरियां

3718. श्री मुख्तार अनीस : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के अधीन श्रेणीवार सरकारी नौकरियों में इस समय अनुमानतः कितने मुसलमान हैं;

(ख) क्या सरकार को समस्त मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने संबंधी अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) क्योंकि भर्तियां धर्म के आधार पर नहीं की जाती हैं, इसलिए धर्मवार, भर्ती से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग). अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में पूरे मुस्लिम समुदाय को शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश, गोआ, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा त्रिपुरा के कुछ संगठनों से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कुछ अभिवेदन प्राप्त किए गए हैं। इसके लिए कोई सिफारिश आज तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा नहीं की गई है। तथापि, मुस्लिमों

सहित अल्पसंख्यकों के कुछ वर्ग, जिनको अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है, भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं तथा पदों में आरक्षण के प्रावधानों के लाभ लेने के पात्र हैं।

वन भूमि

3719. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से उद्योग वन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तथा 40 प्रतिशत से भी कम सघनता वाली लगभग 2500 हेक्टेयर वन भूमि वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दे दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने वन भूमि लेने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मांगी थी तथा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लेने के लिए अनुमति नहीं दी है। मंत्रालय ने मध्य प्रदेश से एक रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

सागवान के वृक्ष

3720. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों की साठगांठ से दामोह जिले में सागवान वृक्ष की अवैध कटाई की जा रही है और ये अधिकारी धन एकत्र कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने सागवान के वृक्षों की कटाई के संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें लिप्त लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सूचना संबंधित राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पूर्ण नशाबन्दी

3721. श्री संतोष मोहन देव : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों की बैठक कब होने की संभावना है;

(ग) क्या इसमें नशाबन्दी से होने वाले राजस्व की हानि पर विचार किया जायेगा; और

(घ) जिन अन्य प्रस्तावित मुद्दों पर चर्चा किए जाने का विचार है, उसका ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल-उत्पीड़न

3722. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 नवम्बर, 1997 "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चिल्ड्रन रूटीनली टार्चर्ड इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस की हिरासत में हुई बच्चों की मौत संबंधी कथित आंकड़े सही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्राओं का अवैध व्यापार

3723. श्री एन.जे. राठवा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गई; और

(घ) विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति

3724. श्री हंस राज अहीर :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री संदीपान थोरात :
श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा केरल सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण हेतु गेहूं तथा अन्य वस्तुओं के आबंटन में वृद्धि किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों की मांग को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मांग को पूरा करने का है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ). जी, हां। अतिरिक्त आवंटनों के लिए महराष्ट्र और केरल सहित राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के लिए माह दर माह आधार पर आवंटन किए जाते हैं। ये आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, उनकी संगत आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक, मौसमी उपलब्धता और उठान प्रवृत्तियों आदि को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने चीनी का मासिक कोटा 33550 टन से बढ़ाकर 43157.3 टन करने, चावल और गेहूं का कोटा बढ़ाकर क्रमशः एक लाख टन और 1.2 लाख टन करने के लिए अनुरोध किया है। यद्यपि महाराष्ट्र के लिए चावल का मासिक आवंटन 71500 टन ही बनाए रखा गया है लेकिन जनवरी, 1997 के लिए गेहूं के मासिक आवंटन को 80000 टन से बढ़ाकर 85000 टन कर दिया गया है। केरल सरकार से खाद्यान्नों के मासिक कोटे में वृद्धि करने की मांग की है जिसके लिए उन्होंने 1,50,000 टन चावल और 50,000 टन गेहूं के कोटे को बढ़ाकर 1,50,000 टन चावल और 60,000 टन गेहूं करने की मांग की है। तथापि, नवम्बर, 1996 से जनवरी, 1997 तक केरल के लिए खाद्यान्नों का आवंटन निम्नानुसार है :—

(टन में)

माह	आवंटित की गई मात्रा	
	चावल	गेहूं
नवम्बर, 96	1,55,000	45,000
दिसम्बर, 96	1,58,000	42,000
जनवरी, 97	1,58,000	40,500

लेवी चीनी का आवंटन पहली जनवरी, 1996 से एक-समान मानदंड के आधार पर किया जा रहा है जिसमें दिनांक 1.1.1991 की जनसंख्या के अनुसार प्रति-व्यक्ति 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। चीनी की अच्छी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1996 के लिए त्यौहार कोटा दुगुना कर दिया गया है और महाराष्ट्र तथा केरल सहित सभी राज्यों के लिए दिसम्बर, 1996 मास के लिए लेवी के मासिक कोटे में 10 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की गई है।

1996-97 के दौरान महाराष्ट्र और केरल को गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 15275 टन और 4862 टन मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है।

देश में जेलों की संख्या

3725. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जेलों की संख्या कितनी है तथा इनमें कितने कैदी रह सकते हैं;

(ख) इस समय जेलों में राज्यवार कितने कैदी हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन जेलों की क्षमता बढ़ाने के संबंध में तथा इनकी खराब स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देते हुए विवरण-I और विवरण-II संलग्न है।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-सूची II की प्रविष्टि 4 के अनुसार "जेल" राज्य का विषय होने के कारण यह मुख्यतः राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने नियमों, विनियमों, जेल नियमावली इत्यादि के अनुसार जेल प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले से निपटे। तथापि, भारत सरकार, जेल की आधारभूत सुविधाओं तथा कैदियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने के राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, दसवें वित्त आयोग ने भी जेल भवनों की मरम्मत

और नवीकरण करने और जेलों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की है।

विवरण–I

30.6.1996 की स्थिति के अनुसार जेल संबंधी आंकड़े

	राज्य का नाम	जेलों की संख्या	जेल की क्षमता	जेल में कैदियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	115	9338	12595 *
2.	बिहार	76	26238	36797*
3.	गोवा	05	331	276
4.	गुजरात	22	5263	8136
5.	हरियाणा	19	3775	6019
6.	हिमाचल प्रदेश	12	566	414*
7.	जम्मू और कश्मीर	15	2060	2168
8.	कर्नाटक	96	7718	7097
9.	केरल	40	5659	4813
10.	मध्य प्रदेश	101	17720	27309*
11.	महाराष्ट्र	208	18989	21238
12.	उड़ीसा	66	7386	8821*
13.	पंजाब	27	9569	7942
14.	राजस्थान	93	8838	7727*
15.	तमिलनाडु	131	18228	13659
16.	उत्तर प्रदेश	66	30395	35964*
17.	पश्चिम बंगाल	52	18763	10111

विवरण–II

30.6.1996 की स्थिति के अनुसार जेल संबंधी आंकड़े

	राज्य का नाम	जेलों की संख्या	जेल की क्षमता	जेल में कैदियों की संख्या
	1	2	3	4
ख. पूर्वोत्तर				
18.	अरुणाचल प्रदेश	01	–	303*
19.	असम	27	6216	4707
20.	मणिपुर	05	1267	711
21.	मेघालय	04	562	401
22.	मिजोरम	06	563	619*
23.	नागालैंड	09	1160	470*
24.	सिक्किम	02	100	66
25.	त्रिपुरा	11	743	567*
ग. संघ शासित क्षेत्र				
26.	दिल्ली	05	3237	8703
27.	अंडमान और निकोबार	04	264	178
28.	चंडीगढ़	01	850	277
29.	दादरा और नागर हवेली	01	40	40 *
30.	दमन व दीव	02	140	72
31.	लक्षद्वीप	03	12	
32.	पांडिचेरी	04	315	98
	जोड़	1229	205771	228298

* (31.12.1995 की स्थिति के अनुसार)

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

3726. श्री हरिन पाठक : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या योजना काल हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खाद्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख). सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई विशेष मध्यकालिक मूल्यांकन नहीं किया है तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन में बताया गया है कि यह स्कीम आमतौर पर सभी

क्षेत्रों तथा राज्यों की कमजोर तबके की आबादी के लिए फायदेमंद है। अध्ययन में स्कीम के संबंध में कुछ कमियां तथा कठिनाइयां भी बताई गई हैं। इनकी ओर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफलता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, का ध्यान आकर्षित किया गया है, ताकि वे उन पर उपयुक्त कार्रवाई कर सकें।

(ग) से (च). संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लक्ष्यों का प्रस्ताव स्वयं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलने, अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने, जाली राशन कार्ड समाप्त करने तथा अतिरिक्त गोदाम क्षमता सृजित/भाड़े पर लेने के मामले में देश के स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा करती है।

केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गोदामों का निर्माण करने तथा चलती फिरती उचित दर दुकानों के रूप में इस्तेमाल के लिए अथवा उचित दर दुकानों के दरवाजे तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को सुपुर्दगी करने के लिए इस्तेमाल करने हेतु ट्रक/वैन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।

फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एक्शन

3727. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फाउंडेशन ऑफ हेल्थ एक्शन" के अनुसार देश में विपणन की जा रही 80 प्रतिशत औषधियों का उपचार की दृष्टि से बहुत ही कम महत्व है;

(ख) क्या औषधि निर्माताओं को इन औषधियों के उत्पादन हेतु आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बालक नौकर का उत्पीड़न

3728. श्री भक्त चरण दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "चाइल्ड सर्वेंट टार्चर्ड एट मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल हाउस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार ने उस शीर्षक-युक्त समाचार को देखा है जो इंडियन एक्सप्रेस के 15 सितम्बर, 1996 के अंक में प्रकाशित हुआ है।

(ख) से (ङ). सरकार ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है। तथापि, अभी तक की गई जांच पड़ताल से इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चे को प्रताड़ित किया गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अपराध

3729. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के इटावा में नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान गोली चलाए जाने के कारण एक पुलिस निरीक्षक की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले के संबंध में कोई जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे; और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, उसका पता लगाना तथा उनकी रोकथाम करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अपराध की किसी घटना विशेष से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय उर्वरक निगम में घोटाला

3730. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसम्बर, 1996 के "नवभारत टाइम्स" समाचार पत्र में "टाटा से मिलकर एफ सी आई में करोड़ों रुपये का घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख). जी, हां। दिनांक 13.9.1996 के "नवभारत टाइम्स" में "टाटा से मिलकर एफ सी आई में करोड़ों रुपए का घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में मै. टिस्को तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) के सिन्दरी एकक के बीच कोल प्रोसेसिंग के संबंध में किए गए करार में अनियमितताओं के कुछ आरोप लगाए गए हैं। यह पता लगाने के लिये कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है और इस मामले में कोई अगली जांच करने की आवश्यकता है, इन आरोपों की जांच की गई है। ये आरोप झूठे साबित हुए हैं।

हरियाणा स्थित नुह में पेड़ों की कटाई

3731. श्री आई.डी. स्वामी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिनांक 30 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार "हरियाणा स्थित नुह में तीन सौ पेड़ों की कटाई" के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार उन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है जिनके आदेश से हरे भरे पेड़ों की कटाई हुई है और इससे भारी पारिस्थितिकीय क्षति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

एल.टी.टी.ई. उग्रवादी

3732. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से एल.टी.टी.ई. उग्रवादियों ने शरणार्थियों के रूप में रामेश्वरम द्वीप पर घुसपैठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक शरणार्थी श्रीलंका से तमिलनाडु में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या श्रीलंका के कुछ एल.टी.टी.ई. शरणार्थियों ने तमिलनाडु में शरणार्थी शिविरों में प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में तमिलनाडु सरकार को निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों में से कोई भी लिट्टे कैडर का नहीं पाया गया है। तमिलनाडु सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नजर रख रही है कि शरणार्थियों की आड़ में लिट्टे उग्रवादियों की कोई घुसपैठ न हो।

(ग) तमिलनाडु सरकार के अनुसार 31.7.1996 से अब तक श्रीलंका से 6783 शरणार्थी आ चुके हैं।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई गतिविधि उनके ध्यान में नहीं आई है तथा यह कि शरणार्थी बस्तियों में रहने वाले शरणार्थियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है तथा किसी शरणार्थी के बारे में अगर यह संदेह होता है कि उग्रवादियों से उसके संबंध हैं, तो उसे तत्काल विशेष कैंप में रखा जाता है।

(ङ) और (च). जी हां, श्रीमान्। तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया है कि वह 12-35 वर्ष आयु-वर्ग के शरणार्थियों को संदेही नजर से देखे तथा उन्हें विशेष कैंप में रखे जिससे कि भारत में उनकी गतिविधि पर पूर्ण रूप से नजर रखी जा सके।

याक्षय वन पर अतिक्रमण

3733. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने रानोपुल के नजदीक रानीखोदा में एक निजी पार्टी द्वारा तरण ताल के निर्माण शुरू करने के संबंध में अनुमति दे दी है जबकि संरक्षण नियम के अन्तर्गत नदी से पचार फीट के घेरे के अन्दर निर्माण पर प्रतिबंध लगा है;

(ख) क्या याक्षय वन भूमि पर एक प्रभावी निजी पार्टी द्वारा अतिक्रमण पर सिक्किम सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जानें का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) सिक्किम सरकार ने सूचित किया है कि रानीपुल के पास रानीखोदा में एक तरणताल शुरू करने के लिए किसी निजी पार्टी को कोई अनुमति नहीं दी है।

(ख) क्षेत्र के जिला कलेक्टोरेट अधिकारियों ने संयुक्त जांच पूरी कर ली है और 2.19 हैक्टेयर क्षेत्र में अवैध कब्जे की पुष्टि की है। सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम सार्वजनिक परिसर तथा अनधिकृत कब्जाधारियों के बेदखली और किराया वसूली अधिनियम, 1989 तथा सिक्किम वन जल मार्गों सड़क आरक्षण अधिनियम, 1988 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि वह दोनों मामलों में जांच करे और इस मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

एन्कलेव में जनगणना

3734. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश में भारत के 119 प्रत्यावर्तनीय एन्कलेव में 1951 की जनगणना के अनुसार भारतीय नागरिकों की आबादी 10,104 है;

(ख) क्या इन एन्कलेवों में 1951 के बाद कोई जनगणना नहीं करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन एन्कलेव में रहने वाले भारतीय नागरिकों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए जनगणना कार्य कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्। तथापि इन विदेशी अंतःक्षेत्रों (इन्कलेव) में जनसंख्या की गणना बहुत संतोषजनक रूप से नहीं हो पाई थी जिसके कारण इन विदेशी अंतःक्षेत्रों में पहंचने में कठिनाई और तत्कालीन पाकिस्तान सीमा पुलिस द्वारा हमारे प्रगणकों के मार्ग में डाली गई रुकावटें थीं, तथा साथ ही इन विदेशी अंतःक्षेत्रों के कई निवासियों ने अपनी गणना पाकिस्तानी जनगणना में कराना अधिक सुरक्षित समझा था जो कि उसी समय की जा रही थी। इन्हीं कारणों से इन विदेशी अंतःक्षेत्रों में 1951 में उपयुक्त ढंग से जनगणना कराना संम्भव नहीं हो पाया था।

(ख) से (घ). बांगलादेश में स्थित इन विदेशी अंतःक्षेत्रों पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण या पहुंच नहीं है। अतः 1951 के पश्चात इन क्षेत्रों में कोई जनगणना कराना संभव नहीं हो पाया है। विदेशी अंतःक्षेत्रों की अदला-बदली का प्रश्न प्रत्यक्ष और अनिवार्य रूप से भारत-बंग्लादेश भू-सीमा समझौता, 1974 के अनुसार बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण के पूरा होने और भारत द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ही भारत सरकार द्वारा इन विदेशी अंतःक्षेत्रों में जनगणना कराई जा सकती है।

एफ.बी.आई.

3735. श्री बीर सिंह महतो :
श्री चित्त बसु :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में संयुक्त राज्य अमरीका का संघीय जांच ब्यूरो (एफ.बी.आई.) कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली सुरक्षा समस्याओं पर विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी अधिकारियों का छोड़ा जाना

3736. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी को दिल्ली पुलिस द्वारा 28 सितम्बर, 1996 को छोड़ दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राजनयिकों तथा राजनयिक मिशनों के सदस्यों को उनके कार्यस्थल वाले देश की दाण्डिक अधिकारिता से उन्मुक्ति प्राप्त है।

अलग पर्वतीय राज्य की मांग

3737. श्री पी.आर. दासमुंशी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जिलिंग/पर्वतीय परिषद के नेताओं के साथ बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार गोरखा पर्वतीय परिषद को राज्य सरकार के माध्यम से मदद देने के बजाए सीधे योजनागत सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के नेता 10.11.96 को गृह मंत्री से मिले थे और दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को राज्य का दर्जा देने की मांग संबंधी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

(ग) और (घ). योजना आयोग ने सूचित किया है कि गोरखा पर्वतीय परिषद को सीधे योजनागत सहायता या वित्तीय सहायता देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों को योजनागत सहायता, संशोधित गाडगिल फार्मूला, 1991 के अनुसार दी जाती है, जिसे एन.डी.सी. का अनुमोदन प्राप्त है और इस फार्मूले में संपूर्ण राज्य की योजना के लिए सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और इसे राज्य की स्वायत्त परिषद को नहीं दिया जा सकता है।

सेना द्वारा विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी

3738. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों ने श्री पुंजराज सिंह और उसके साथियों से 67 किलोग्राम शक्तिशाली विस्फोटक (आर.डी.एक्स.) बरामद किया है;

(ख) क्या श्री पुंजराज सिंह सहित तस्करों का एक गिरोह पाकिस्तान की आई.एस.आई. की शह पर अपनी गतिविधियां चला रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एक वर्तमान विधायक का छोटा भाई और कुछ संबंधी हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी में शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय एजेंसी से कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री पुंजराज सिंह और उसके सहयोगी सीमा-पार तस्करों के रूप में अपनी गतिविधियां चला रहे थे।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च). राज्य सरकार के प्राधिकारी इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर

3739. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर खरीदना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो द्विभाषी कम्प्यूटर उपलब्ध होने के बावजूद ये सभी कार्य अंग्रेजी में करने का क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि द्विभाषी कम्प्यूटरों के उपलब्ध होने के बावजूद सभी कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में द्विभाषी कम्प्यूटरों पर किये जा रहे कुल कार्य का 28.7 प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ को वित्तीय आवंटन

3740. श्री सत्य पाल जैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को किए गए वित्तीय आवंटन का पूर्व उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों और उप-शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, मुख्य रूप से कतिपय पदों का सृजन न होने के कारण योजना खाते में 19 लाख रुपये और गैर-योजना खाते में 1.33 करोड़ रुपये की मामूली बचत हुई थी।

पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने

3741. श्री जोआचिम बक्सला : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार में टूटे चावल, प्लास्टिक आदि के अनेक कारखाने प्रदूषण नियंत्रण संबंधी साधन लगाये बिना ही स्थापित की गयी है/की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि ये कारखाने इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदण्डों/दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करें, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि दक्षिण बिहार, विशेषकर देवघर में टूटे चावल/प्लास्टिक की कुछेक बहुत छोटी इकाइयां लगाई जा रही हैं। आमतौर पर इन छोटी-छोटी इकाइयों से प्रदूषण नहीं फैलता है।

(घ) बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन इकाइयों पर बारीकी से नजर रखे हुए है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता

3742. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "एन.जी. ओज होल्ड नाट टू फोलो फोरेन एजेंसिज डिम्टेट्स ब्लाइंडली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के कई स्वयंसेवी सामाजिक संगठन विदेशों से नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1993 से मार्च, 1996 तक, विदेशों से नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले देश में चल रहे स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक द्वारा विदेशी स्रोतों से कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ). प्रश्नगत समाचार एन.जी.ओ. के पटना में हुए सम्मेलन के बारे में है जहां मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा एन.जी.ओ. को सहायता देने के बारे में चर्चा की गई थी। जहां तक उन संगठनों/संस्थाओं, जिन्हें विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, का संबंध है, उनके नाम तथा उनके द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान सामूहिक रूप से विभिन्न गतिविधियों हेतु प्राप्त की राशि "स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" संबंधी जानकारी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों में दी गई हैं, जो कि संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। चूंकि करीब 11.000 रिपोर्टिंग यूनिटें हैं अतः 1995-96 के लिए आंकड़े तैयार नहीं है क्योंकि इनकी छंटनी और संकलन एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

उर्वरक संयंत्रों के कर्मचारी

3743. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी उर्वरक फैक्टिरयों के कर्मचारियों में उनके वेतन की काफी लंबे समय से पुनरीक्षा नहीं किए जाने के कारण अत्यधिक आक्रोश है;

(ख) क्या प्रबंधन द्वारा केन्द्रीय नेताओं की सहमति के बाद उक्त उर्वरक फैक्टिरयों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रुग्ण घोषित कर दिया गया है; को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उर्वरक उपक्रमों में मजदूरी/वेतन संशोधन लागू कर दिया गया है। उर्वरक क्षेत्र के निजी उपक्रमों के संबंध में मजदूरी/वेतन संशोधन उनके संबंधित प्रबन्ध तंत्रों द्वारा किये जाते हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने अप्रैल, 1995 में सिद्धांत रूप से एच एफ सी और एफ सी आई के पुनरूद्धार पैकेजों को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इन पुनरूद्धार पैकेजों की फिर से तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था जिसने वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण के उद्देश्य से पुनरूद्धार पैकेजों की तकनीकी व्यवहार्यता का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए एक परामर्शदाता संगठन की नियुक्ति की थी। परामर्शदाता संगठन ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर यह दल सरकार के विचारार्थ पुनरूद्धार पैकेज को फिर से तैयार करेगा। तथापि, फिर से तैयार किए गए पुनरूद्धार पैकेजों को लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय वित्त पोषण संबंधी व्यवस्था हो जाने तथा बी आई एफ आर, जो एक अर्द्ध न्यायिक संगठन है, के समक्ष लंबित कार्रवाइयों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

जम्मू तथा कश्मीर को सांविधिक ध्वज प्रदान करना

3744. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 नवम्बर, 1996 के "टेलेग्राफ" में "यू.एफ. रेडी टू गिव कश्मीर स्टेट्यूट फ्लैग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के तीन क्षेत्रों अर्थात् कश्मीर घाटी, जम्मू तथा लद्दाख को स्वायत्तता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार को प्रश्नगत रिपोर्ट की जानकारी है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अधिकतम स्वायत्तता दिए जाने के पक्ष में है। सरकार इस संबंध में ब्यौरों पर उपयुक्त स्तर एवं समय पर, उनके समक्ष विशिष्ट प्रस्ताव रखे जाने पर विचार करेगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर

राज्य को स्वायत्तता दिए जाने के मुद्दे और साथ ही, राज्य के अंदर क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रश्न की जांच के लिए दो समितियां गठित की हैं। इस समय, और अधिक ब्यौरा देना संभव या व्यवहार्य नहीं है।

संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

3745. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधान सभाओं में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान करने का है जैसा कि सामान्य तौर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग). यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड

3746. श्री पी.वी. राजेश्वर राव : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को रुग्ण एकक घोषित किया है और इसे बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार आई.डी.पी.एल. को अपने उत्पादों की खुले बाजार में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उसके विपणन प्रभाग को किसी निजी एजेंसी को सौंपने की अनुमति प्रदान करने का है;

(ग) क्या सरकार अपनी पुनरूद्धार नीति के अंग के रूप में प्राथमिकता के आधार पर केवल आई.डी.पी.एल. से ही औषधियां और दवाईयों को खरीदने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और विभागों को निर्देश देगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादक और उपभोक्ता को एक समान मंच पर लाने की दृष्टि से आई.डी.पी.एल. को स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां। आईडीपीएल को इसकी हैदराबाद इकाई सहित बी आई एफ आर को भेजा गया और रुग्ण घोषित किया गया है।

(ख) और (ग). अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

आतंकवादी शिविर

3747. श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :
प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "आतंकवादी शिविर उड़ा दिए जाएंगे—फारूख" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). सरकार ने प्रश्नगत समाचार देखा है। उसे पता है कि पाकिस्तान, जम्मू एवं कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवाद के प्रायोजन, इसमें सहायता करने और इसे उकसाने के काम में सक्रिय रूप से संलिप्त बना हुआ है और इस उद्देश्य हेतु वह राज्य में आतंकवादियों एवं विध्वंसकारी तत्वों को प्रशिक्षित करने, बरगलाने, हथियारबन्द करने और घुसपैठ कराने के काम करता आ रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा और नियंत्रण रेखा पर अति सतर्कता बरतने और राज्य के अंदर आंतकवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के अलावा इस संबंध में पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

सरकार ने लगातार पाकिस्तान से कहा है कि वह सीमा पार से आतंकवाद और हिंसा को प्रायोजित करने से बाज आ जाए। इन क्रियाकलापों में उनकी संलिप्तता का भंडाफोड़, राजनयिक एवं अन्य चैनलों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता रहा है। इस दिशा में कार्रवाई जारी रखी जाएगी और देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

मध्यान्ह 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ, लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1078/96]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना, आदि

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1996-97 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1996 जो 30 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 502(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1079/96]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1080/96]

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना, आदि

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम 1996 जो 7 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण), तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 11 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 563(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1081/96]

बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, संपत्ति तथा निधि, लेखा, लेखापरीक्षा, डिक्रियों, आदेशों तथा निर्णय का परिसमापन और निष्पादन) (संशोधन) नियम, 1996 जो 25 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148(अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1082/96]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1084/96]

(5) (एक) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षात लेखे।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसंघ लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1084/96]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1085/96]

(ख) (एक) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, तिरूअनन्तपुरम के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1086/96]

(ग) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1087/96]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1088/96]

(9) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा प्रतिवेदन के कार्य की प्रगति का विवरण।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर बोर्ड की टिप्पणियां।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1089/96]

(10) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-आपरेटिव बैंकस लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-आपरेटिव बैंकस लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिकवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-आपरेटिव बैंकस लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1090/96]

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1091/96]

(ख) (एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लिमिटेड के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1092/96]

(ग) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स, एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1093/96]

(घ) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1094/96]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाईड फोरमुलेशन टेक्नोलाजी, गुड़गांव के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाईड फोरमुलेशन टेक्नोलाजी, गुड़गांव के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1095/96]

(4) (एक) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1096/96]

(5) (एक) कृषक भारती सहकारी लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती सहकारी लिमिटेड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1097/96]

(6) राष्ट्रीय भेषज, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1098/96]

(7) राष्ट्रीय भेषज, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1099/96]

(8) राष्ट्रीय भेषज, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1100/96]

(9) भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 548(अ) जो 3 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 2 और 3 दिसम्बर, 1984 की रात्रि में हुई भोपाल गैस विभीषिका से प्रभावित लोगों से दावे के बारे में आवेदन आमंत्रित किये गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1101/96]

मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1102/96]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1103/96]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1104/96]

(2) (एक) सी.पी.आर. एनवाइरनमेंटल एजूकेशन सेन्टर, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी.पी.आर. एनवाइरनमेंटल एजूकेशन सेन्टर, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1105/96]

(3) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1106/96]

रिहेबिलीटेशन प्लान्टेशन्स, लिमिटेड, पूनालूर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) रिहेबिलीटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पूनालूर का वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेबिलीटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पूनालूर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1107/96]

(2) (एक) रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1108/96]

अपरान्ह 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अपरान्ह 12.01 $^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं 16 दिसम्बर, 1996 को राज्य सभा द्वारा यथापारित कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1996 सभा पटल पर रखता हूं।

अपरान्ह 12.02 बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—अनुदानों की विस्तृत मांगों के साथ संलग्न निर्माण कार्य उपाबंध में दर्शाये गए निर्माण कार्यों की आर्थिक सीमा को बढ़ाया जाना—संबंधी प्राक्कलन, समिति (दसवीं लोक सभा) के चौवनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग बजट प्रभाग)—रक्षा मंत्रालय के अधीन सिविल प्राक्कलनों में रक्षा सम्पदा संगठन को एक प्रथक बजट शीर्ष का आवंटन-संबंधी प्राक्कलन, समिति (दसवीं लोक सभा) के चौवनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन।

अपरान्ह 12.02 $^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)—इलाहाबाद बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदत्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपरान्ह 12.03 बजे

[अनुवाद]

रेल अभिसमय समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, मैं "ऊर्जा संरक्षण उपायों सहित रेलवे में आधुनिकीकरण कार्यक्रम की प्रगति" के बारे में रेल अभिसमय समिति (1991) के दसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में रेल अधिसमय समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तु करता हूं।

अपरान्ह 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

[अनुवाद]

कृषि संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अपरान्ह 12.04 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"
> ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में महिलाओं के बिल का कहीं जिक्र नहीं है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम यह प्रतिवेदन स्वीकार करें। उसके पश्चात् और सब काम होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :—

> "कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्र का अंतिम सप्ताह है और इस अंतिम सप्ताह में बहुत सी कार्यवाही सदन को करनी है लेकिन उस कार्यवाही की सूचना सरकार की ओर से आनी चाहिए। महिलाओं संबंधी विधेयक का क्या हुआ? भ्रष्टाचार के निरोध के लिए लोकपाल बिल लाने की बात थी।

वह कहां है? सरकार ने वायदा किया था कि पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए कार्रवाई करेंगे, उसकी कोई सूचना नहीं है। जो डीलिमिटेशन कमिशन विधेयक आया था, वह अन्तर्ध्यान हो गया है। इस बारे में इस तरह से मंत्री महोदय बताएं कि सदन की कार्यवाही में किस किस विषय का समावेश होने वाला है? जो महत्वपूर्ण विषय छोड़े जा रहे हैं, उनका क्या होगा?

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, परिसीमन से संबंधित अस्सीवां संविधान (संशोधन) विधेयक प्रारम्भ में इस सभा के विचाराधीन था

और चूंकि राजनैतिक पार्टियां इस पर एकमत नहीं थी इसलिए उसे सभा के विचारार्थ पेश नहीं किया गया। लेकिन आज बैठक में, यह निर्णय लिया गया और हम इसे कल या परसों ला रहे हैं।

लोकपाल विधेयक के संबंध में, यह पहले ही स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है और वे इस पर विचार कर रहे हैं। यह अभी उनसे वापस नहीं आया है। ज्योंही स्थायी समिति इसकी सिफारिश करेगी, सरकार तत्काल उस विधेयक को विचारार्थ पेश कर देगी।

विपक्ष के नेता ने भी उत्तराखंड राज्य के संबंध में विधेयक के बारे में मुद्दा उठाया है। पहले यह घोषणा की गई थी कि उत्तर प्रदेश की नई विधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव करने और इसकी सिफारिश करने के पश्चात् उत्तराखंड राज्य विधेयक आगे लाया जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व): महोदय, यहां विधान सभा ने पहले ही दो प्रस्ताव किए हैं। उन्हें तीसरे की क्यों आवश्यकता है?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कितनी बार पास करना होगा?

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, जब प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बारे में घोषणा की थी, तो घोषणा के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि केवल उत्तर प्रदेश की नई विधान सभा द्वारा सिफारिश करने के पश्चात् ही भारत सरकार विधेयक आगे लाएगी। चूंकि नई विधान सभा ने अभी सिफारिश नहीं की है, इसलिए सरकार को यह विधेयक आगे लाना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस को/पर अपने भाषण में उत्तराखंड का स्पष्ट उल्लेख किया था और उस समय उन्होंने विधान सभा द्वारा पारित किये जाने की कोई प्री-कंडीशन नहीं बताई थी। अब जहां तक विधान सभा द्वारा पारित होने का सवाल है तो इसके पहले माननीय कल्याण सिंह के समय में और उसके बाद श्री मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश राजय के मुख्यमंत्री थे तो यह प्रस्ताव पारित हो चुका है। इसलिये अब आप इस बात को बहाना बनाकर टालने की कोशिश न करें और यदि इसको तय नहीं करना चाहते तो इसके लिये बहाना बनाने की जरूरत नहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, अब ये इस विषय को टालना चाह रहे हैं। उनको मालूम है कि उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायकों में से 17 विधायक चुने गये हैं और इसलिये इस मामले को स्कटल कर रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : नहीं, ऐसा नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले हमें संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करना होगा। हमें उन प्रस्तावों की अच्छी तरह जानकारी है जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो बार पारित हुए थे और मुझे इस बात की खुशी है। यह विधेयक तैयार है। ...**(व्यवधान)** लेकिन निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि विधेयक संसद में पुर:स्थापित करने और पारित होने से पहले इसे संबंधित राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास उनकी टिप्पणियों, विचारों और सुझावों के लिए भेजा जाना होता है। फिर वह रिपोर्ट वापस केन्द्र के पास आएगी और उसके पश्चात् केन्द्र, चुने हुए प्रतिनिधियों, जो दुर्भाग्यवश तकनीकी रूप से इस समय मौजूद नहीं हैं, की टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। वास्तव में, वहां विधान सभा के चुनाव हो चुके हैं लेकिन विधान सभा के सदस्यों ने अभी तक अपनी सीट अथवा शपथ नहीं ली है। वहां केवल राज्यपाल है। राज्यपाल इस संवैधानिक आवश्यकता के प्रयोजन को पूरा नहीं करता और यह स्वभाविक भी है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। अत: हम इस प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं।

यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं और सभा महसूस करती है कि यह आवश्यक नहीं है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप सुन लीजिए। उसके बाद बोलिए। नहीं तो आपकी बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही है।

[अनुवाद]

महोदय, यदि सभा यह महसूस करती है कि निर्धारित संवैधानिक दायित्व की अनदेखी की जा सकती है तो हमें उनका अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधानसभा में पहले दो संकल्प पारित हो गए थे, तो उन्हें ऐसा कहने दें। लेकिन इस समय हमारी विधिक सलाह यह है कि हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा ही चलना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां चुनाव होने के बावजूद, सभी को कारण मालूम हैं, उत्तर प्रदेश में अभी चुनी हुई विधान सभा काम नहीं कर रही है। इसलिए, हम अभी तक संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 की अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री एन.एस.वी. चित्थन (डिंडीगुल) : महोदय, हमें तमिलनाडु में चक्रवातीय स्थिति के संबंध में बोलने की अनुमति दें। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, एक बात और है। आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न न केवल अलग राज्य की बात का समर्थन करने वाला संकल्प पारित करने का है बल्कि इस विधेयक में और भी अनेक बातें हैं। परिसम्पत्तियों के विभाजन का सम्पूर्ण प्रश्न, नए राज्य जिसे बनाए जाने का प्रस्ताव है और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच वित्त अथवा निधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रश्न तथा वह सभी जिसे इन दो राज्यों के बीच विभाजित किया जाना है, को कैसे विभाजित किया जाए। वह सब संकल्प पारित करने से नहीं किया जा सकता। इसका भी समाधान निकालना होगा। इस सबके लिए एक प्रक्रिया है। अतः हम उस प्रक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से, मुझे आशा है इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन सारी समस्या यह है कि हमें इसे यहां संसद में प्रस्तुत करने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा को भेजना होगा...**(व्यवधान)**

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट के बारे में है?

श्री जी.जी. स्वैल : महोदय, सिक्किम से ये मित्र जो यहां बैठे हैं भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहते हैं। कृपया उन्हें अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करने जा रहे हैं। क्या आपके पास इस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहने के लिए है?

श्री भीम प्रसाद दाहाल (सिक्किम) : महोदय, मेरे पास उठाने के लिए अलग मुद्दा है।

श्री जी.जी. स्वैल : यह शून्य काल का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने अभी शून्य काल शुरू नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए, लेकिन विधानसभा की बैठक नही बुलाई गई।

श्री इंद्रजीत गुप्त : वह दूसरी बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप कहेंगे कि वह विवाद अलग है, वह बात अलग है, लेकिन आपने स्वयं ही दोनों को जोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को नहीं बुलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा नया प्रस्ताव पास नहीं कर सकती और इसलिए उत्तरांचल के वायदे को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए जा सकते। यह कैसी गुत्थी है? इसको हम हल करने का एक ही तरीका है कि आप उत्तर प्रदेश की विधान सभा बुलाइए और उत्तरांचल के बारे में प्रस्ताव पास करके अगर उसको भंग करना हो तो भंग कर दीजिए लेकिन लोगों को संदेह करने का पूरा कारण है कि उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय सरकार इसलिए नहीं बनायी जा रही है क्योंकि आपके यूनाइटेड फ्रंट में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पृथक उत्तरांचल के विरोधी हैं और वह इस तरह से इसमें रोड़े अटका रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और कुछ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की बैठक बुलायी जाए और बैठक हो।...**(व्यवधान)** राज्यपाल, जिसके साथ मैंने इस मामले पर लम्बी चर्चा की थी, भी इच्छुक थे कि विधान सभा की बैठक बुलाई जाए।...**(व्यवधान)** एक मिनट। हमें कानूनी सलाह यह दी गई है कि विधान सभा की बैठक तब तक नहीं बुलाई जा सकती जब तक कि वहां का मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधान सभा की बैठक बुलाने की सलाह नहीं देता। विधान सभा की बैठक कौन बुलाएगा?...**(व्यवधान)** राज्यपाल यह नहीं कर सकता। वह किसकी सलाह पर विधान सभा को बुलाएगा? मुख्यमंत्री को उन्हें सलाह देनी होती है।

मैं श्री वाजपेयी को सलाह देता हूं जिनकी पार्टी वहां अकेली सबसे बड़ी पार्टी है कि वे जल्दी करें और मुख्यमंत्री बनाएं और फिर शेष प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी...**(व्यवधान)**

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : जब गृह मंत्रालय उत्सुक है और राज्यपाल उत्सुक हैं तो विधान सभा क्यों नहीं बुलाई जा सकती?

श्री अनंत कुमार (दक्षिण बंगलौर) : रक्षा मंत्रालय उत्सुक नहीं है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 16 दिसम्बर, 1996 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

डा. के.पी. रामालिंगम (तिरुचेगोडे) : महोदय, मैं तमिलनाडु में चक्रवाती विध्वंस का मामला उठाना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : सर, अटल जी ने जो मुद्दे उठाए थे, उनमें से एक महिला आरक्षण बिल के बारे में था.... **(व्यवधान)** उस पर मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। इसलिए आज कैसे कह दें...**(व्यवधान)** नोज हैव इट, नोज हैव इट।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो अडाप्ट हो गई है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्यन (डिंडीगुल) : उपाध्यक्ष महोदय हम तमिलनाडु में बाढ़ का मामला उठाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहते हैं?

श्री एन.एस.वी. चित्यन : तमिलनाडु में बाढ़ आई हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप शून्य काल चाहते हैं?

श्री एन.एस.वी. चित्यन : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक मौका दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सबके नाम मेरे पास हैं, अब आप बैठ जाइये।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने देश के अंदर लगभग चार लाख कश्मीर के बंधु इस समय बेघर हैं और अपने देश के अंदर शरणार्थी बने हुए हैं। पूरे सैशन के अंदर उनकी आवाज यहां पर उठाई नहीं जा सकी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इन लगभग चार लाख कश्मीर के वासियों में हिंदू, मुसलमान और सिख आदि हैं जो इस समय बेघर हैं। इनमें से कुछ जम्मू के अंदर हैं, कुछ दिल्ली के अंदर हैं और कुछ देश के अन्य शहरों के अंदर हैं। नई सरकार बन गई है। सरकार बार-बार यह कह रही है कि हम उनको वापस ले जायेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं कि सरकार के पास क्या ब्लू प्रिंट हैं। मैंने यहां पर एक प्रश्न किया था और उसमें मुझे बताया गया कि आज तक, जब से इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से केवल मात्र सात परिवार वापस गये हैं, उन सात परिवारों के सदस्यों की संख्या केवल 21 है, जो वापस गये हैं। परंतु उनके घर जला दिये गये हैं और उनके बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम महाराष्ट्र सरकार के बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने कॉलेजों के अंदर बाकायदा सीटें देकर उन्हें पढ़ाई करने का मौका दिया हैं। परंतु चार लाख लोग जो अपने देश के अंदर बेघर हैं और शरणार्थी बने हुए हैं और केन्द्रीय सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान न दे, इससे बड़ी अफसोसजनक बात मैं समझता हूं और कोई नहीं हो सकती है। हममें से जिस किसी ने भी जाकर उनकी हालत देखी है, सरकार ने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया है कि केवल 47 परिवार ऐसे हैं जो टैंट के अंदर रह रहे हैं, बाकी सबके सब परिवार खुद किराये के मकान लेकर रहे हैं। कुल 15 सौ रुपये एक परिवार को आप इस समय दे रहे हैं। मेरी सरकार से एक तो यह मांग है कि कम से कम यह जो धनराशि है, जब तक हम उनको वापस सुरक्षा के साथ उनके घरों को नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम कम से कम तीन हजार प्रति परिवार यह राशि कर दें और दूसरा प्रश्न यह है कि उनके लिए जो सुविधाएं इस समय होनी चाहिए जैसे पढ़ाई की सुविधा, रोजगार की सुविधा है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारियों के व्यापार खत्म हो गये हैं। स्थिति यहां तक खराब है कि वहां जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके जो मकान जले हुए हैं, उनको रिपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मार्मिक समस्या है, देश की ज्वलंत समस्या है, इसके ऊपर वह अपनी प्रतिक्रिया दें। हमने पहले ही दिन हाउस में यह मसला भी उठाया था कि अमरनाथ यात्रा पर जो इतनी बड़ी ट्रेजडी हुई थी उसकी रिपोर्ट सब अखबारों में छप चुकी है लेकिन हाउस के अंदर आज तक नहीं आई है जबकि हाउस का सत्र समाप्त होने को आ रहा है। होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे इन दो प्रश्नों पर वे अपनी प्रतिक्रिया दें कि ये जो शरणार्थी हैं इनको और कौन सी सुविधाएं आप दे रहे हैं और इनको वापस ले जाने के लिए क्या आपके पास कोई व्यवस्था है, यदि है तो उसकी ब्लू प्रिंट क्या है। यह कहते हैं कि ये इनको वापस ले जाना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ये लोग अपने घरों में सुरक्षा और सम्मान के साथ रहें।

[अनुवाद]

श्री वी.पी. चणमुगा सुन्दरम (गोबिचेट्टि पालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य और विशेष रूप से तटीय जिले बंगाल की खाड़ी में हवा का दवाब बनने के कारण भारी वर्षा और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। वर्षा अभी भी हो रही है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आश्वासन दिया है कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप इससे अधिक और क्या चाहते हैं? कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। आप उनके बाद बोल सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। आप उन्हें कहिए कि वे इन सवालों पर सदन में बयान दें ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमरनाथ यात्रा की घटना के बारे में जो तीन रिपोर्ट आई है, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, आश्वासन दिया था कि उसका तर्जुमा हो जाए तो उसे सभा-पटल पर लेकर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका तर्जुमा हो गया होगा और मैं ज्यादा से ज्यादा कल तक उसे सभा-पटल पर रख सकता हूं। जहां तक दूसरे सवाल का संबंध है, वह बहुत लम्बा-चौड़ा सवाल है, उसका जवाब में कैसे दे दूं कि गवर्नमेंट का क्या ब्लू-प्रिंट है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया, उस सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं कि वहां एक परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी जिससे कि उन शरणार्थियों में भरोसा हो सके और वापस जाने की हिम्मत वे कर सकें। उसके लिए कई काम करने हैं। अब वहां एक निर्वाचित सरकार आ गई है, उसके साथ सलाह-मशवरा करके हम इस काम को कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप उनकी सहायता-राशि बढ़वा दें ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वी.पी. चणमुगा सुन्दरम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक अत्यावश्यक मुद्दा उठाना चाहता हूं। समूचा तमिलनाडु राज्य और विशेषकर इसके तटीय जिले बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव कम बन जाने के कारण भारी वर्षा और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वर्षा अभी भी हो रही है।

इस राज्य में सामान्य स्थिति पूर्णतया गड़बड़ा गई है। अनेक भवन और गंदी बस्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा हजारों हेक्टेयर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। 90 से भी अधिक व्यक्तियों की जान चली गई तथा हजारों लोगों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। अनेक स्थानों पर रेल एवं सड़क यातायात सेवाएं अवरूद्ध हैं। इस राज्य में दूरसंचार प्रणाली पूर्णतया ठप्प है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री महोदय, डा. कलैगनार ने इस स्थिति का सामना करने और बचाव कार्य शुरू करने के लिए अंतरिम सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्रीय सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से भी यह अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु की जनता की सहायता के लिए केन्द्रीय राहत कोष में से कम-से-कम 200 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह यह धनराशि कोई और विलम्ब किए बिना शीघ्र जारी करने की कृपा करेंगे।

डा. के.पी. रामालिंगम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां एक महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक मुद्दा उठा रहा हूं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण तमिलनाडु राज्य में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु राज्य में वर्षा के चार दौर आए, जिनमें से अन्तिम दो दौरों में गत दो माह के दौरान आंधी-तूफान आया और इस राज्य में पिछले 15 दिनों से भारी वर्षा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामालिंगम जी, यह नियम 377 के अधीन मामला नहीं है। आप इसे पढ़कर नहीं सुनाएंगे।

डा. के.पी. रामालिंगम : महोदय, मैं केवल मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं।

महोदय, इससे सड़कों एवं पुलों को भारी क्षति पहुंची है। प्रमुख शहरों को जाने वाली सभी सड़कें अब क्षतिग्रस्त हैं। लगभग 1800 झीलों एवं तालाबों में दरारें पड़ गई हैं।

इसके अतिरिक्त, 2500 पशु मर गए हैं; सौ व्यक्ति मर गए हैं और तीन लाख से भी अधिक व्यक्ति बेघर हो गए हैं। भारी वर्षा अभी भी हो रही है। राज्य सरकार अकेले इस जिम्मेदारी को संतोषजनक तरीके से पूरा नहीं कर सकती। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार को कम-से-कम 200 करोड़ रुपए की धनराशि देनी होगी। राज्य के मुख्य मंत्री इस संबंध में प्रधान मंत्री से पहले ही अपील कर चुके हैं। लेकिन धनराशि अभी तक भी जारी नहीं की गई है। 200 करोड़ रुपए की सहायता के लिए अपील तीन दिन पहले की गई थी। लेकिन वर्षा अभी भी हो रही है। अतः, इस धनराशि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 अथवा 400 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। यह अत्यावश्यक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर इस सभा में अल्पाधिक चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगमोहन।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) **:** महोदय, यह अत्यंत गम्भीर मामला है। अतः, तमिलनाडु में एक केन्द्रीय दल भेजा जाना चाहिए और राहत उपाय तुरंत शुरू किए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्री जगमोहन जी।

(व्यवधान)

श्री एन.एस.वी. चित्तन : महोदय, मुझे खेद है कि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम पुकारूंगा।

श्री एन.एस.वी. चित्तन : आप मेरा नाम कब पुकारेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कैसा रवैया है? मुझे सभा के सभी वर्गों का नाम पुकारना है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) **:** सर, ये इसी पर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस पर बोलना चाहते हैं? मैं आधा घंटा और बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप में इतना भी पेशेंस नहीं है?

[अनुवाद]

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस माननीय सभा को एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर कश्मीर मुद्दे पर सुश्री राफेल के वक्तव्य के संबंध में दिलाना चाहता हूं। इस समाचार-पत्र में उद्धरण चिन्हों में जो प्रकाशित हुआ है, मैं केवल उसी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उनका कहना है :—

> "कश्मीर में चुनाव हो जाने से कश्मीर के विवादास्पद क्षेत्र का महत्वपूर्ण प्रश्न हल नहीं होगा...अतः वह प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों है।"

उन्होंने यह भी कहा है :—

> "हमें वास्तव में सरकार से काफी उम्मीद है कि भारत कश्मीर को अधिक से अधिक स्वायत्तता दिए जाने का अपना वायदा याद होगा और इस मामले में कोई ढील नहीं बरती जाएगी क्योंकि यदि ऐसा हुआ, तो यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।"

इसी प्रकार, उन्होंने अन्य अनेक टिप्पणियां की हैं। यदि हम उनके वक्तव्य का अत्यंत साधारण-सा अर्थ भी लें, तो इसका कोई भी यही मतलब निकाले बिना नहीं रह सकता कि वह इस मामले को हर प्रकार से हवा देना चाहती हैं। अन्यथा ऐसी टिप्पणियां करने का कोई कारण नहीं है।

मैं सभा से यह अनुरोध करता हूं कि उनके ऐसे रवैये और इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पर नाराजगी व्यक्त करने में मेरा साथ दें। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसी स्थिति पर समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकार का तत्काल ध्यान केरल के कुट्टानाड़ क्षेत्र के धान उत्पादकों के लिए कृषि क्षेत्र में हाल में हुई तबाही की ओर दिलाना चाहता हूं। कुट्टानाड़ के कृषक अब 'गाल फ्लाई' नामक कीट महामारी से हुई तबाही का सामना कर रहे हैं। कुट्टानाड़ में धान के खेत 55000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिनसे इस राज्य के चावल उत्पादन का लगभग एक-तिहाई भाग पैदा होता है, जिसकी कीमत 125 करोड़ रुपए से अधिक बनती है।

800 हेक्टेयर क्षेत्र में अगाई बोई गई पुंजा धान की फसल 'गाल फ्लाई' नामक कीट के कारण पूर्णतया नष्ट हो गई है। इस फसल के उत्पादकों ने 14000/-रु. प्रति हेक्टेयर की दर से खर्च किया है। लेकिन फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है।

इस प्रकोप से अकेले अलेप्पी जिले में ही लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।

मेरी राय है कि स्थिति की गम्भीरता पर विचार करते हुए, भारत सरकार कृपया विशेष मामले के रूप में कृषकों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मंजूर करे।

महोदय, इतना ही नहीं, साधारण बीमा निगम द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से संचालित केन्द्रीय बीमा योजना के वर्तमान मापदंडों में संशोधन किया जाए, ताकि फसल की क्षति के आंकलन को मूल इकाई, वर्तमान एन.ई.एस. ब्लाक एरिया को बजाए **पदसेखरम** निर्धारित की जाए। कीट के कारण हुए फसल नुकसान को प्राकृतिक आपदा के कारण हुए फसल नुकसान के बराबर माना जाए। भारत सरकार के एकीकृत कीट प्रबंधन एवं निगरानी संबंधी कार्यक्रम को भविष्य में कीट महामारी से धान की फसल को बचाने के लिए पूरे अमले तथा बुनियादी ढांचे सहित कुट्टानाड़ में स्थायी रूप से कार्यान्वित किया जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुट्टानाड़ भेजा जाए।

महोदय, आज सुबह माननीय सदस्य श्री रमेश चेन्नित्तला और मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय और केन्द्रीय कृषि मंत्री से मिले तथा उन्हें कुट्टानाड़ में विद्यमान गम्भीर स्थिति के बारे में अवगत कराया। हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से यह निवेदन किया कि इस गम्भीर स्थिति पर विचार करें और कुट्टानाड़ के किसानों को अधिकतम सहायता प्रदान करें ताकि उन्हें इस तबाही से बचाया जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें समुचित सहायता प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : यह एक अत्यंत गम्भीर स्थिति है और पूरे कुट्टानाड़ क्षेत्र, जिसे केरल के अन्न भण्डार की संज्ञा दी गई है, को प्रभावित कर रही है। धान की पूरी खेती 'गाल फ्लाई' नामक इस कीट महामारी के प्रकोप से ग्रस्त है। कुट्टानाड़ क्षेत्र में हजारों एकड़ फसल को भारी क्षति पहुंची है।

जैसा कि श्री वी.एम. सुधीरन ने ठीक ही कहा है, कुट्टानाड़ क्षेत्र में छोटे एवं सीमान्त किसान रहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चंगनचेरी तालुक, वायक्कोम तालुक और कोट्टायम तालुक के किसान मुसीबत की स्थिति में हैं तथा असहाय महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। हम दोनों प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें इस गंभीर स्थिति के बारे में बताया था। सरकार को अतिशीघ्र कदम उठाने चाहिए और अचानक फैली इस कीट महामारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजना चाहिये। यह महामारी केरल राज्य के अन्य भागों में भी फैल रही है। यह एक अत्यंत गम्भीर स्थिति है। कृषि मंत्री को इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल भेजना चाहिए।

महोदय, जो गरीब किसान पूर्णतया धान की खेती पर आश्रित हैं, उन्हें समुचित वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। भारत सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार इसका उत्तर दे।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि सरकार को इन किसानों के लिए तत्काल तदर्थ सहायता मंजूर करनी चाहिए: यह सहायता तदर्थ अनुदान अथवा सहायता के रूप में हो सकती है। दूसरा यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के एक दल को कुट्टानाड़ का दौरा करना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हैं और इसको रोकने के लिए उपाय सुझाने चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस बारे में सरकार को निदेश दें। यह एक अत्यंत गम्भीर स्थिति है।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, वहां एक अत्यंत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, केरल एक ऐसा राज्य है, जहां कि चावल की प्रूर्णतया: राशन व्यवस्था है। जहां तक चावल का प्रश्न है, हम अत्यंत विकट स्थिति में हैं। जैसा कि श्री रमेश चेन्नित्तला ने पहले ही कहा है कि कुट्टानाड़ केरल के अन्न भण्डार के नाम से जाना जाता है। यह कीट संबंधी समस्या किसानों और केरल की समूची जनता के लिए बड़ी कठिनाई और परेशानी पैदा कर रही है। यह एक अत्यंत गम्भीर मुद्दा है और इस पर हम सरकार की ओर से प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक पर्यटन क्षेत्र भी है, जहां बहुत-से लोग आ रहे हैं। इस पर हर तरीके से प्रभाव पड़ा है। अत:, हम इस संबंध में सरकार से उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मंत्री महोदय इस संबंध में कुछ बोलने जा रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, मैंने इस बात पर गौर कर लिया है और मैं इस मुद्दे को समुचित कार्यवाही करने हेतु प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, बरैली स्थित दूरदर्शन केन्द्र जनवरी 1994 से प्रारम्भ हो चुका है। यहां पर पी. जी.एफ. की सुविधायें भी उसी समय से दिया जाना प्रस्तावित किया गया था। आवश्यक सारी औपचारिकतायें भी इस हेतु पूरी हो चुकी थी। स्टाफ भी यहां उपलब्ध है परन्तु इतना धन खर्च होने के बावजूद भी स्टूडियो में स्थानीय कार्यक्रम नहीं बनाये जा रहे हैं। इस कारण रंगकर्मियों और समाजसेवियों में अत्यधिक रोष हैं। वे आन्दोलन, धरना एवं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बरेली उत्तर-प्रदेश का एक महानगर है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाना नितान्त आवश्यक है :—

1. बरेली, दूरदर्शन केन्द्र पर स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाये और हम केन्द्र पर प्रतिदिन दो घंटे का समय प्रसारण हेतु आवंटित किया जाये ताकि स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिल सके।
2. बरेली दूरदर्शन केन्द्र हेतु स्वीकृत सभी पदों हेतु स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए तथा स्टाफ के स्थानान्तरण की अनावश्यक प्रक्रिया को रोका जाए।
3. बरेली केन्द्र पर इंटर लिंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि बरेली केन्द्र का लखनऊ-दिल्ली से सीधा सम्पर्क हो सके।
4. बरेली केन्द्र पर रंगकर्मियों के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त कर रंगकर्मियों द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं बरेली महोत्सव, रोहेलखंड महोत्सव तथा राज्य महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को बरेली दूरदर्शन केन्द्र से कवर करवाकर प्रसारित किया जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री भीम प्रसाद दाहाल (सिक्किम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आज मैं सदन में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं, जो मेरे अपने राज्य सिक्किम के बारे में है। राष्ट्रीय दैनिक **हिन्दुस्तान** ने 12 दिसम्बर को पूर्व मुख्य मंत्री श्री नर बहादुर भंडारी की राष्ट्रीयता के प्रश्न पर एक समाचार छापा था। इस समाचार पत्र में बताया गया है*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए।*

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर से नाम ले रहे हैं।

श्री भीम प्रसाद दाहाल : जी हां, यह समाचार पत्र में दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जायेगा।

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : मुख्य प्रश्न यह है; मैं जानना चाहता हूं क्या कोई भारतीय विदेश में अपनी संपत्तियों और परिसम्पत्तियों का मालिक हो सकता है। इसका उत्तर गृहमंत्री जी को देना है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह काफी है।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान भारत के लगभग दो करोड़ जैन समाज द्वारा इस समय उनके मैनपुरी के धार्मिक स्थान भगवान पारसनाथ मंदिर के ऊपर 31 मूर्तियों और उनके ऊपर जो दो करोड़ के हीरे और पन्ने थे, उनको उठाकर ले जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके द्वारा सारे भारत में पूरा जैन समाज उसी प्रकार आंदोलित है जैसे कश्मीर में हजरत मोहम्मद साहब के बाल की चोरी पर हुआ था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यपाल शासन है, आपका राज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करके उन मूर्तियों को बरामद करवाने का कष्ट करें। जिन्होंने दो करोड़ जैन समाज की धार्मिक भावनाओं के ऊपर और भगवान पारसनाथ की मूर्तियों को उठाकर इस प्रकार की धार्मिक वैमनस्यता करने का प्रयास किया है, उनको दंड दिया जाए। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में पूरी जांच करके सदन को विश्वास में लें।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कौनसा मुद्दा उठाना चाहते हैं? क्या आपने नोटिस दिया है?

श्री अनिल बसु : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पढ़ूंगा। कृपया बैठ जाइये। आप मुद्दा उठाने का तरीका जानते हैं। मेरे पास एक सूची है।

श्री अनिल बसु : यह पूर्वोत्तर त्रिपुरा में विद्रोह की समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको चिल्लाने मात्र से वरीयता नहीं दी जा सकती। आप पिछली बार चिल्ला रहे थे। अब फिर चिल्ला रहे हो। मैंने प्रो. अजित कुमार को बोलने के लिए कहा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मुद्दा उठाने का यह तरीका सहन नहीं करूंगा। आपने एक बार पहले भी यह मुद्दा उठाया था।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : पहले आपने मुझे बताया था कि आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खुद तो नहीं बोल रहा हूं, औरों से बुलवा रहा हूं। जिनके नाम लिस्ट में हैं, उनको बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों के नाम पुकारूंगा जो सूची में हैं।

श्री अनिल बसु : मैं यह कैसे जान सकता हूं कि आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई है?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. अजित कुमार मेहता उल्लेख क्यों नहीं करते केवल आप ही क्यों उल्लेख करते हैं? कृपया बैठ जाइए।

श्री अनिल बसु : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सभी के लिए नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेहता का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कैसे कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सहन नहीं किया जाएगा। यह मुद्दा उठाने का तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजनैतिक सक्रियता इस हद तक आ गई है कि हम अपराध के दूसरे मामलों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधी वगैरह ये सब दृष्टि से जैसे ओझल होते रहकर अपना काम करते रहते हैं। असली आर्थिक अपराधी अपने काले धन को शहरी सम्पत्ति में निवेश करके रखे हुए हैं। मेरी सरकार से यह मांग है कि शहरी सम्पत्तियों की अच्छी तरह से जांच करके यह पता लगाया जाये कि कितने ऐसे राजनीतिज्ञ, नौकरशाह, न्यायमूर्ति, व्यापारी, वकील अपनी आमदनी से अधिक शहरी सम्पत्ति अर्जित करके रखे हुए हैं। इससे हमको असली आर्थिक अपराधियों का पता चलेगा और मैं सरकार से इसकी मांग करता हूं कि इसकी जांच हो।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं, जो वकील हैं, जो व्यापारी हैं, सभी के सभी ईमानदार हैं। अनैतिक रूप से ये धन उपार्जित करते हैं और उसको शहर में सम्पत्ति खरीदने में लगाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे मामले हैं, जो सदन के सामने लाये जा सकते हैं। उनको यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कोर्ट का मामला है, जैसे कोई आज भी...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : चारा घोटाले के बारे में भी तो बता दीजिए।

प्रो. अजित कुमार मेहता : चारा घोटाला और बहुत से घोटाले हैं, केवल वही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्लोज कीजिए, मेहता जी, बैठिये।

प्रो. अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी थी। अभी कहा जाता है, यह बात सामने आती है कि बहुत से मामले चूंकि कोर्ट से संबंधित हैं, इसलिए उसकी चर्चा यहां नहीं हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उदाहरण छोड़िये, आपने बात कह ली।

प्रो. अजित कुमार मेहता : तो मेरी यह मांग है कि ऐसी शहर की सम्पत्ति की जांच होगी तो आर्थिक अपराधियों को खुलकर सामने लाया जा सकता है और उनपर कार्रवाई की जा सकती है, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) **:** उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में केरल में जो ग्रीनरी के नाम से इलाका जाना जाता है, वहां की समस्या की चर्चा हुई है। मैं आपके माध्यम से बिहार के टाल क्षेत्र की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसको दलहन का कटोरा माना जाता है, पल्स बॉल है और 1062 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्र है, एक लाख नौ हजार हैक्टेयर से ज्यादा उसका रक्बा है। वहां का इलाका पांच से छह महीने पानी में डूबा रहता है। वहां मुश्किल से एक फसल हो पाती है। वहां के किसान आन्दोलित हैं। बहुत पहले से टाल योजना बनी, उसके क्रियान्वयन के लिए लोग दबाव डालते रहे, लेकिन आनाकानी होती रही। योजनाएं बनीं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी वहां के किसान फिर आन्दोलन की राह पर अग्रसर हैं। उनका प्रतिनिधि-मंडल आकर के प्रधान मंत्री से, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से, इन सब लोगों से मिल करके गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वहां की जल जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए, वहां जो फसल में कीड़ाखोरी होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए और टाल क्षेत्र की जो विशेष भौगोलिक स्थिति है। दक्षिण बिहार की नदियों का सारा पानी टाल होते हुए हरोहर नदी से गंगा नदी में जाता है, गंगा नदी का बैक वाटर भी वहां जाता है इसलिए उस बहुत बड़े इलाके में जल-जमाव की समस्या रहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चम्बल घाटी और पहाड़ी एरिया को विशेष एरिया घोषित किया गया है, उसी तरह से दियारा क्षेत्र और टाल क्षेत्र को विशेष एरिया घोषित करके उसके लिए विशेष योजना बनाई जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए। डा. के. एल. राव के जमाने से जो योजना बनी है, उसको लागू किया जाए और नौंवी पंचवर्षीय योजना जो बनने जा रही है उसमें इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) **:** उपाध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिले में जगदीशपुर नामक गांव आता है। वहां के बाबू वीरकुंवर सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 की लड़ाई में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था और पूरे शाहबाद जिले को अंग्रेजों के हाथों से हासिल किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : जरा एक्सप्रैस ट्रेन की तरह चलें, पैसेंजर गाड़ी की तरह न चलें।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : 23 अप्रैल 1858 को शाहबाद पर उन्होंने फतेह हासिल की। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि जगदीशपुर, जो कि बाबू वीरकुंवर सिंह की जन्मस्थली है, को आदर्श गांव के रूप में परिणित किया जाए। ये उद्गार तत्कालिक राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी ने 1955 में व्यक्त किए थे। लेकिन जगदीशपुर की हालत की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बाबू वीरकुंवर सिंह की मूर्ति की स्थापना संसद परिसर में की जाए और एक मूर्ति की स्थापना उनके गांव जगदीशपुर में भी की जाए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय में एक ही बोलेगा। अब चंदूमाजरा जी को कहने दें।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) **:** उपाध्यक्ष जी, 1984-85 से 1994-95 तक पंजाब के लिए भारत सरकार ने स्पेशल टर्म लोन दिया था। यह लोन इसलिए दिया गया था कि पंजाब में जो प्राब्लम पैदा हुई थी, उसको हल किया जा सके। यह धनराशि 9545 करोड़ रुपये तक चली गई है। सारा देश समझता है कि पंजाब ने जो लड़ाई लड़ी वह देश की लड़ाई लड़ी इसलिए इसको पंजाब की नहीं, बल्कि देश की प्राब्लम माना गया। इस समस्या को हल करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ वह पंजाब के ऊपर डाला जा रहा है। उसको राइट-ऑफ करने के लिए, लुधियाना में जिन लोगों ने आग लगाई वही लोग बुझाने जा रहे हैं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री नरसिंह राव ने ऐलान किया था कि यह राशि भारत सरकार देगी। मुझे अफसोस है कि केवल 891 करोड़ रुपये ही अब तक दिए गए हैं। पंजाब के वार्षिक प्लान में भी कट किया जा रहा है। पंजाब में कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस्मिानी तौर पर भी पंजाब के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले पंजाब के ऊपर ही क्यों इसका बोझ डाला जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो ऐलान किया था, पंजाब का जो 9545 करोड़ रुपए का कर्ज है क्या उसको सरकार माफ करने को तैयार है? मैं निवेदन करूंगा कि पंजाब बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है इसलिए यह कर्ज राइट-ऑफ किया जाए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनिल बसु।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, एक समय में दस आदमी तो नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

अभी आप बैठिए, सबको चांस दिया जाएगा।

[अनुवाद]

समय बरबाद मत कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा और सरकार के भी सामने एक गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप जब इस तरह बोलेंगे तो आपकी बात का पता नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले इनकी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, **विशेषकर त्रिपुरा राज्य में** उत्पन्न बहुत गंभीर स्थिति की ओर सदन का **और सरकार** का **भी ध्यान** दिलाना चाहता हूं।

आप सभी ने **12 दिसम्बर, 1996 की रात को** त्रिपुरा राज्य के कांट्राबाई उपखंड **के अंतर्गत कल्याणपुर क्षेत्र में गैर आदिवासी** लोगों की हुई अंधाधुंध **मौतों के बारे में सुना होगा।**

महोदय इस सदन **के तीन सदस्य मैं स्वयं,** कामरेड बाजू बन रियान और कामरेड **बादल** चौधरी और राज्य सभा **में** हमारे सहयोगी श्री सेनगुप्ता भी कल **सुबह** घटनास्थल पर गए थे। अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने जिसमें श्री एल.के. आडवाणी ने भी उसी समय, कल सुबह घटनास्थल का दौरा किया था।

इस समूची घटना में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि अंधाधुंध हत्याएं इस प्रकार से की गई कि इससे समूचे त्रिपुरा राज्य में जातीय असंतुलन पैदा हो गया। यह समूची घटना स्थानीय सी.पी.आई. एम. विधायक श्री माखनलाल चक्रवर्ती के घर के पास कल्याणपुर बाजार के ठीक पीछे से हुई। उनका मकान राख के ढेर में तब्दील हो गया। वहां कुछ नहीं बचा। अनेक मकान का केवल छोटा सा हिस्सा यहां सलामत बचा था। वह स्वयं भी केवल इसलिए बच गए, क्योंकि उन्होंने अपने मकान के पीछे के जंगल में शरण ले ली थी। कोई भी जिन्दा नहीं बचा था। यहां तक कि पांच साल के बच्चे सहित एक महिला भी मारी गई, जब उग्रवादियों द्वारा मकान में आग लगाए जाने पर वह बाहर आ रही थी। वे लोग उस क्षेत्र में बागियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, उग्रवादियों द्वारा अंधाधुंध मारे गए थे। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए केन्द्रीय बलों को त्रिपुरा से हटा लिए जाने के बाद ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है।

महोदय, त्रिपुरा की बंगलादेश से लगती हुई सीमा की कुल समग्र लम्बाई 839 किलोमीटर है। और इसके एक हिस्से पर बाड़ लगाने का फैसला लिया गया था। इस क्षेत्र के 239 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है और इसके लिए अभी तक कोई धन राशि स्वीकृत नहीं की गई है। सीमा सुरक्षा बल का कार्य हमारी सीमाओं की रक्षा करना है किन्तु यहां पर सीमा सुरक्षा बल की कोई चौकी नहीं है। यहां सीमा के साथ लगभग 200 किलोमीटर की विशाल लम्बाई है। इसलिए उग्रवादी बंगला देश से त्रिपुरा में सभी प्रकार के आधुनिक हथियार और गोला बारूद लेकर आते हैं।

महोदय, त्रिपुरा तथा मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियों के लिए गलियारे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्यतः एन.एस.सी.एन., ए.टी.टी.एफ., 'अल्फा' और टी.एल.ए. विद्रोही दलों के घुसने का संकेत है जो एक साथ मिलकर आ रहे हैं और सभी प्रकार की उग्रवादी गतिविधियों की योजना बना रहे हैं।

बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। इसलिए हमने घटनास्थल का दौरा किया। वहां लोग गुहार कर रहे हैं कि त्रिपुरा से वापिस लिये गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों को तत्काल वापिस तैनात किया जाए। यहां केन्द्रीय रिजर्व बल की साठ कम्पनियों की आवश्यकता है। इस समय राज्य सरकार के पास पचास कम्पनियां हैं। इसलिए स्थिति से निटपने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दस और कम्पनियां का तुरन्त त्रिपुरा में भेजी जानी चाहिए। सीमा क्षेत्र पर पहले सीमा सुरक्षा बल द्वारा पहरा दिया जाता था। सीमा सुरक्षा बल की संख्या में पर्याप्त मात्रा वृद्धि की जानी चाहिए ताकि सीमा की सुरक्षा की जा सके।

महोदय एक बात और है, आसाम राइफल की तीन बटालियनें, जिन्हें त्रिपुरा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इलाकों की अच्छी जानकारी है, को इस तर्क पर त्रिपुरा सरकार के नियन्त्रण से वापिस ले लिया गया था कि आसाम राइफल्स सेना के नियंत्रण में थी। इन तीन बटालियनों को त्रिपुरा राज्य को वापिस दिया जाना चाहिए, ताकि वे लोगों की जानें, बचायें और सीमा की सुरक्षा करने के उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें।

त्रिपुरा सरकार को एक अन्य सहायता की आवश्यकता है। त्रिपुरा सरकार को त्रिपुरा राज्य रिजर्व बल की दो अतिरिक्त बटालियनें गठित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कहा गया है। यह धन त्रिपुरा सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वह राज्य राइफल्स की दो बटालियनें गठित कर सके।

य अनिवार्य आवश्यकता हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल और त्रिपुरा राइफल्स कार्मिकों पर घात लगाकर हमला करने की संख्या में वृद्धि हो रही है। मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। समूचे त्रिपुरा में जातीय संघर्ष ज्वालामुखी का रूप लेने जा रहा है। एकता ही ऐसी समस्याओं का एकमात्र हल है। यदि त्रिपुरा की जनता में एकता बनी नहीं रह सकती, यदि लोगों की जान-माल की रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होती है चूंकि सभी विद्रोही गतिविधियां, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ लगे क्षेत्रों में हो रही है पर नियंत्रण किया जा सकता है यदि त्रिपुरा की विद्रोही ताकतों पर नियंत्रण पा लिया जाए। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यथासंभव त्रिपुरा सरकार को अविलम्ब सहायता पहुंचाने का अनुरोध करूंगा...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने डा. मदन प्रसाद जायसवाल को बोलने के लिए कहा है। क्या आप उन्हें बोलने की अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : त्रिपुरा मुद्दे पर अन्य सदस्यों सहित मुझे भी नोटिस दिया गया है। इसलिए मैं त्रिपुरा की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

माननीय गृह मंत्री त्रिपुरा की स्थिति से परिचित हैं। त्रिपुरा सरकार, की ओर से त्रिपुरा के संयुक्त वाम मोर्चा की ओर से तथा अन्य दलों कुछ शिष्टमंडल गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हम हर समय त्रिपुरा राज्यों में विद्रोही ताकतों से निपटने के लिए अतिरिक्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देते रह हैं ताकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्णतया तथा सफलतापूर्वक बचाया जा सके।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय गृह मंत्री से त्रिपुरा की घटना के संबंध में कुछ करने का अनुरोध करता हूं।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद, महोदय, उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, अट्ठारह लोग अभी भी अस्पताल में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया गृह मंत्री की बात सुनिये।

श्री अनिल बसु : वह त्रिपुरा के एक आदिवासी सदस्य हैं। उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अपरान्ह 1.00 बजे

श्री बाजू बन रियान : महोदय, इस हादसे में 26 लोग मारे गए थे और 18 लोग अभी भी अस्पताल में हैं। उनका इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाना चाहिए। वे लोग जिनके घर राख हो गये थे और जल गये थे, उनको केन्द्र सरकार द्वारा सहायता की जानी चाहिए। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए वहां और अधिक बलों को तत्काल तैनात किया जाना चाहिए। यह एक जातीय समस्या है। जो लोग मारे गये हैं वे लोग गैर आदिवासी थे और उग्रवादी आदिवासी थे। इसलिए, बंगाली लोगों के दिमाग में सभी आदिवासियों के प्रति संदेह है। इसलिए मैं गृह मंत्री से जल्दी सशस्त्र बलों की तैनाती हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध करता हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सब बैठ जाइए। मंत्री जी को कुछ बोलने दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय मैं ऐसी कोई बात नहीं कह सकता जो नई है और जिसे माननीय सदस्य पहले से नहीं जानते हैं। वे मेरे से मिलते रहे हैं और गृह सचिव के साथ मीटिंग करते रहे हैं। हमने दो दिन पहले ही मीटिंग की थी जिसमें त्रिपुरा के मुख्य सचिव और त्रिपुरा के डी.जी.पी. उपस्थित थे। वे समस्या के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वे इस बारे में बहुत चिंतित है, क्योंकि विशेषकर जिस घटना के बारे उन्होंने बताया, कल्याणपुर में हुई हत्याएं, एक वहशियाना और सदमा पहुंचाने वाली घटना है।

सभी जानते हैं कि आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच झगड़ों और नरसंहार का सिलसिला लम्बे समय से चला आ रहा है। यह पहला अवसर नहीं है। वहां पर बड़े पैमाने पर हथियार बंद लोग हैं। वास्तव में, अभी हाल ही में, पहले अधिकतर मामलों में बंगाली लोगों पर इन आदिवासियों ने हमले किए हैं, आप इन्हें बलवाई अथवा, आतंकवादी, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं और इस बार भी वैसी ही घटना हुई है।

मुख्य मुद्दा यह है कि इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? मुझे यह कहते हुए दुख है, किन्तु वे मुझसे सहमत नहीं होंगे। मुझे बताया गया था कि सभी दलों ने, राज्य सरकार और त्रिपुरा के अन्य अधिकारियों ने केवल यही सुझाव दिया था कि अधिकाधिक संख्या में सशस्त्र बलों को बाहर से तैनाती की जानी चाहिए, केन्द्र से...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण-मध्य) : आई.एस.आई. उन्हें सपोर्ट कर रही है...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने आई.एस.आई. की बात नहीं की आप इस फिजूल में उठा रहे हैं।

श्रीमोहन रावले : उन्होंने नहीं कहा लेकिन सच्चाई यह है कि आई.एस.आई. उन्हें सपोर्ट कर रहा है और हथियार दे रहा है... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या करें...**(व्यवधान)** ठीक है, बोलना बहुत आसान है।...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : ऐसे कांड करके आतंकवादी बंगलादेश भाग जाते हैं। यह बात उनके सामने उठानी चाहिए कि वे उग्रवादियों को प्रोत्साहन न दें...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह उनसे नहीं पूछेंगे कि क्या करें। यह आपने करना है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं सोचता हूं, कि यह बेहतर होगा कि सत्र समाप्त होने से पहले, सभा स्थगित होने से पहले पूर्वोत्तर में जो हो रहा है, उस पर हम पूरी बहस या चर्चा करें। यह केवल त्रिपुरा की समस्या नहीं है, बल्कि नागालैंड में भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले सप्ताह ऐसा ही एक मामला हुआ था। महिलाओं और बच्चों सहित यात्रियों से भरी एक बस...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : आप गृह मंत्री हैं। आप दृढ़ता का परिचय दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह मैं आपसे सीखूंगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : आप सरकार के अन्दर हैं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महिलाओं और बच्चों सहित यात्रियों से भरी एक बस रोक कर, जिसमें अधिकतर कुम्की लोग थे, को नागा उग्रवादियों द्वारा और लोगों को उतार कर सड़क पर एक लाइन में खड़ा करके उन पर गोलियां चलाई गई थी और उनकी हत्या की गई थी।

यह उत्तर नहीं है, "आपको दृढ़ता से कुछ करना चाहिए।" प्रत्येक कोई यही कह रहा है कि हमें बाहर से और अधिक बल मिलने चाहिए। ये बल कहां से आएंगे? जो कुछ बल हमारे पास हैं, वे अर्धसैनिक बल हैं और उन्हें उन सभी स्थानों पर भेज दिया गया है, जहां इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। कुछ सैनिक बल वापिस ले लिये गये थे। मुझे यह कहते हुए दुख है—और कुछ बल कश्मीर चुनावों के समय अस्थाई तौर पर लेने पड़े थे और उन्हें चुनाव समाप्त होने के बाद पुनः तैनात किया जाना था। दुर्भाग्य से, कश्मीर में भी ऐसी स्थिति है कि हम तत्काल वहां से उन सैनिक बलों को हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम स्थिति पर नियंत्रण पा लेने के बाद जल्द ही उन्हें वापिस बुला लेंगे।

इस समस्या के दीर्घकालिक हल के लिए कुछ और बातों की आवश्यकता है। यदि हम कोई बहस या चर्चा करते हैं, तो मैं इसके बारे में बोलने के लिए तैयार हूं। पूर्वोत्तर की समस्या बाहर से अधिकाधिक अर्धसैनिक बलों को भेजने से हल नहीं हो जाएगी, ...**(व्यवधान)**

हम पूर्वोत्तर की कुछ राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करते रहे हैं और दबाव डालते रहे हैं कि उन्हें भी और अधिक आई.आर. बटालियनों को बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए केन्द्र द्वारा आधा खर्च वहन करेगी। यदि वे आई.आर. बटालियनों का गठन करते हैं, तो वे बड़ी संख्या में उन युवा लोगों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे जो अब बेरोजगार हैं और वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। अब कुल मिला कर पूर्वोत्तर के लिए छः बटालियनों की स्वीकृति दी गई है। दो बटालियनें आसाम के लिए और एक बटालियन त्रिपुरा के लिए, एक बटालियन नागालैंड हेतु, एक बटालियन मणिपुर आदि के लिए नियत की गई हैं तथा और भी बटालियनें बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन हमने बाहर से कोई अनिश्चित संख्या में अर्धसैनिक बल प्राप्त नहीं किए हैं। उनका अधिकतम विस्तार किया जाना है।

आंध्र प्रदेश में भी अधिक बलों की मांग है, क्योंकि वहां स्थिति से निपटना पूरी तरह मुश्किल हो रहा है। वहां सैनिक बल भेजे गए हैं और जितना हम दे सकते हैं भेज रहे हैं। समूची तैनाती और पुनः तैनाती की जा रही है। लेकिन मैं नम्रता पूर्वक एक सुझाव देना चाहूंगा कि इसका केवल यही हल नहीं हो सकता और यह दीर्घकालिक हल नहीं हो सकता। अन्य कुछ भी किया जाना चाहिए।

कुछ सुधार जैसे सामाजिक-आर्थिक सुधार किए जाने होंगे ...**(व्यवधान)** मुझे इसे क्यों करना चाहिए? वहां पर राज्य सरकार जैसी विभिन्न एजेंसियां हैं। आप चुनी हुई सरकार में विश्वास नहीं करते...**(व्यवधान)** महोदय, मैं इस प्रश्न पर पूरी चर्चा करने का स्वागत करूंगा। चूंकि बहुत से माननीय सदस्य इस मुद्दे में रूचि ले रहे हैं; हमें इस पर उचित तरीके से चर्चा करने दें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. एम.पी. जायसवाल (बेतिया) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक आवश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश में छोटे किसान बहुत हैं और उनका जीवन यापन करना पड़ता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शिष्टाचार बनाएं रखे।

[हिन्दी]

डा. एम.पी. जायसवाल : लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज लाखों की संख्या में पशुधन बंगला देश को तस्करी के द्वारा भेजा जा रहा है। आज विश्व में बंगला देश सबसे ज्यादा गौ मांस निर्यातक देश बन गया है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा एक अधिनियम लागू किया गया है जिसके अनुसार पशुधन बाहर नहीं भेजा जा सकता लेकिन रेल द्वारा बंगला देश के बार्डर पर बसे शहरों को भेजा जा रहा है और यह सब बी.एस.एफ. की मिलीभगत से किया जा रहा है। इसके पश्चात् बंगला देश द्वारा चुंगी लगाकर अधिकृत रूप से उसकी स्वीकृति दी जा रही है। ऐसा होने से छोटे किसान जिनके पास 2 या 3 कट्ठा पशुधन है, बंगला देश चले जाने से बर्बाद हो जायेंगे और वे अपनी खेती नहीं कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि जो पशुधन रेल द्वारा और बी.एस.एफ. की मिलीभगत से बंगला देश भेजा जा रहा है, उसे बंद किया जाये, नहीं तो देश में पशुधन की कमी हो जायेगी और किसान बर्बाद हो जायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इनके शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किए जाएंगे।*

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक बुलाऊंगा। खाली एक साईड से ही नहीं बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एन.एस.वी. चित्यन : महोदय, जैसा कि माननीय श्री षणमुगा सुंदरम और डा. रामालिंगम ने कहा है कि तमिलनाडु में विशेषकर इसके उत्तरी भाग, तटीय क्षेत्रों और विशेषतया चैन्नई शहर तथा आसपास के इलाकों के इतिहास में इतनी वर्षा नहीं हुई, जितनी कि पिछले कुछ वर्षों में हुई है। न थमने वाली इस वर्षा ने तिरूवररूर, तंजवूर, रामानाथापुरम, पासमपोन ओर मेरयुरामालिंग थांडर जैसे जिलों को तहस-नहस कर दिया।

महोदय, बहुत से टैंकों में दरार आ गई हैं। किसानों की 1.5 लाख हैक्टेयर से अधिक की भूमि पर खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। सब जगह पानी ही पानी है। देव कोट्टल, कराईकुडी, सिवामंगल और न्यीस्याथुर जैसे कस्बे पानी की चपेट में हैं। दस बड़े पुलों सहित लगभग 100 पुलों को नुकसान पहुंचा है। चेन्नई में छः सौ किलोमीटर सड़कें और लगभग दो हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को नुकसान पहुंचा है।

निचले क्षेत्रों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का सब कुछ बह गया है और वे अनाथों की तरह मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुझे डर है कि मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है, जबकि हजारों बीमार हैं। तमिलनाडु में फसलों के नुकसान का अभी अन्तिम अनुमान लगाया जाना है। यद्यपि तमिलनाडु की राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया है, क्या मैं केन्द्रीय सरकार, अपने प्रियजनों और माननीय प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री राहत कोष में से उदारता से और जी खोल कर धन देने की तथा शोक और संकट की इस घड़ी में तमिलनाडु के लोगों को मुसीबत से निकालने की अपील कर सकता हूं?

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री डी.पी. यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा मुल्क बेरोजगारी की चपेट में है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री यादव को बुला चुका हूं। आप उनके बाद बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री डी.पी. यादव : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बबराला टाउन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत वर्ष के औद्योगिक नक्शे पर यह उद्योगविहीन जनपद के रूप में दर्ज है। आज से पांच वर्ष पहले यहां एक बड़े उद्योग समूह का उपक्रम लगना शुरू हुआ था। टाटाकॉम टाटा फर्टिलाइजर उसका नाम है। 16 गांवों के किसानों की जमीन उसमें अधिग्रहीत की गई थी। जी.ओ. के अनुसार जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है, उनके परिवार के किसी न किसी नौजवान को रोजगार दिया जाता है चाहे नौएडा की बात हो या भारतवर्ष के किसी भी जनपद की बात हो, ले। टाटा समूह के उपक्रम में जिन किसानों की जमीन ली, उन किसानों के किसी आश्रित को रोजगार की व्यवस्था नहीं है और वहां पर जिन किसानों की जमीनें ली हैं, उसमें कोई भी मुआवजा कई किसानों को नहीं दिया गया है।

एक और रवैया इन बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपनाया है कि अपने उद्योगों में ये ठेकेदारों के रूप में दूसरे उद्योग को अनुबंधित कर देते हैं और वह डेली वेजेज में लेबर भर्ती करते हैं। इनके परिणामस्वरूप लगातार छः-आठ वर्ष काम करने के बावजूद लेबर स्थायी सेवा में नहीं आ पाते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार के पास जी.ओ. है और सरकार से आपके द्वारा हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत हुई थी, उनके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और मुआवजे का पैसा शीघ्र मिलना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों की संख्या के कारण है। मैं सदन के सभी लोगों को बोलने का मौका दूंगा।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (भिंड) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों चंबल में भंयकर बाढ़ आई और उसके कारण भिण्ड जिले में किसानों के कई पक्के मकान और उनके जानवर सैकड़ों-हजारों की तादाद में नष्ट हो गए और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्राकृतिक बाढ़ नहीं थी। इसको लाया गया था। कोटा बैराज बांध का गेट खोला गया और अधिकारियों द्वारा पूर्व सूचना नहीं दी गई। अधिकारियों की गलती से यह बाढ़ आई और उसके कारण पक्के मकान और कई हजारों जानवर बह गए। पक्के मकानों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया और जानवरों के लिए यह कहा गया कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, तब तक उनके लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जो जानवर बाढ़ में बह गए, उनका पोस्टमार्टम कहां से हो जाएगा?

दतिया जिले में डबरा चीनी मिल में किसानों को गन्ने का भुगतान तीन साल से नहीं किया गया है, जबकि इस साल के एग्रीमेंट में सिर्फ 50 रुपये भरा जा रहा है जबकि पिछली बार 60 रुपये भरा गया था। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था। अब की बार 50 रुपये भर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पेमेण्ड तीन साल और पांच साल के भीतर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों को एक तरफ बाढ़ में कोई मुआवजा नहीं मिला और दूसरी तरफ जो गन्ना बचा है, उसके लिए उनको मनमानी चल रही है। उसके भुगतान के लिए नहीं कहा जा रहा है।

तीसरा, मालमपुर में जो औद्योगिक क्षेत्र है, जब एक तरफ बाढ़ की चपेट में मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो वहां के बेरोजगार नौजवानों को वहां मालमपुर में जो कारखाने खुले, उद्योग खुले हैं, वहां उनको नौकरी के लिए यहां की सरकार को कहा जाना चाहिए और जो पक्के मकान गये हैं वे सरकार की गलती से गये हैं। तो उनको पूरी तरह से पूरा का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, न कि सिर्फ प्रतीकात्मक मुआवजा जो सरकार दे रही है।

[अनुवाद]

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने केरल स्थित उसके अपने कारखानों की पूरी जमीन को बेचने हेतु कदम उठाए हैं। यहां तक कि श्रमिकों के हाई स्कूलों के खेलों के मैदानों को भी बेचा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि निगम द्वारा अपनी इस जमीन को इस प्रकार गलत तरीके से बेचने के पीछे क्या बाध्यता है। श्रमिक आन्दोलनरत हैं और सभी कारखानों में असंतोष व्याप्त है। अतः, मैं वस्त्र मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और कपड़ा कम्पनियों के आसपास की जमीन को बेचने हेतु उठाए जा रहे गलत कदमों को रोकें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी को मौका मिलेगा। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री चर्चिल अलेमाओ (मारमागाओ) : महोदय, गोवा में ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव कराने के संबंध में, प्रारंभ में ही, मैं यह बता देना चाहता हूं कि गोआ की सरकार संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 और गोवा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में किए गए प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने जिला परिषदों के चुनाव कराने या उनकी घोषणा करने की बजाय गोवा पंचायती राज (पहला संशोधन) अध्यादेश, 1996 की आड़ ली है और 12 जनवरी, 1997 को केवल ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का एकतरफा निर्णय लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के चुनावों के साथ जिला परिषदों के चुनाव न कराकर, राज्य सरकार संविधान की उस भावना का उल्लंघन कर रही है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पंचायतों और जिला परिषदों, दोनों के चुनाव साथ-साथ कराए जायें।

इस मुख्य गलती के अलावा, राज्य सरकार एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के बिना ही ये चुनाव करा रही है। परिसीमन प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा राजनैतिक विरोधियों की छवि को धूमिल के लिए महिलाओं को दी गई आरक्षण सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित क्यों नहीं की गई हैं? राज्य सरकार के विधि सचिव को चुनाव आयुक्त क्यों नियुक्त किया गया है? समान दर्जे के एक निष्पक्ष अधिकारी को इस पद पर नियुक्त क्यों नहीं किया गया? अभी तक, पंचायतों को शक्तियों और संसाधनों के अंतरण हेतु किसी वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। उक्त अध्यादेश में सरपंचों और पंचायतों की शक्तियों में भी कमी की गई है।

ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर माननीय प्रधान मंत्री और ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री को ध्यान देना चाहिए और गोवा सरकार द्वारा की गई गलतियों को सुधारने हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : सबके नाम मेरे पास हैं, एक समय में एक ही मैम्बर बोलेगा।

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर (सतारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज लोक महत्व का विषय शून्यकाल के दौरान उठाना चाहता हूं जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के संबंध में हैं। मैं जिस विषय को उठाने जा रहा हूं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय है।

महाराष्ट्र राज्य का सतारा जिला, हर प्रकार की आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की संभावनाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी आज तक उपेक्षित रहा है। इस जिले में उद्योग लगाने हेतु समुचित भूमि के अलावा पर्याप्त बिजली एवं पानी की सुविधा भी है। इन सभी बातों से परे, इस जिले में कुशल किन्तु बेरोजगार हाथों की बहुतायत है, जिनका उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है।

पिछली सरकार के माननीय उद्योग मंत्री ने इस आशय का एक सर्वे कराने हेतु निर्देश जारी किया था। उस निर्देश पर कहां तक अमल हुआ है, यह मैं सरकार से जानने की आशा रखता हूं।

और अगर इस तरह का कोई सर्वे अभी तक नहीं हुआ, तो भविष्य में कब तक सरकार द्वारा सर्वे कराया जाने वाला है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

मेरी उत्कंठा सिर्फ सर्वे कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि मैं इस बात के लिए व्याकुल हूं कि हमारे जिले में अनेक प्रकार के उद्योग स्थापित हों, बेरोजगार हाथों को काम मिले और हमारे क्षेत्र के लोगों का आर्थिक विकास हो। इसके लिए न सिर्फ मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं की तरफ से सरकार का आभारी रहूंगा बल्कि वहां की आम जनता भी अपने क्षेत्र को औद्योगिक नक्शे पर देखकर धन्य हो जाएगी।

अतः मैं इस नोटिस के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि सरकार वहां तत्काल औद्योगिक सर्वे कराए। यदि सर्वे कार्य पूरा हो गया हो तो नए औद्योगिक संस्थाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया अविलम्ब शुरू करें ताकि मैं अपने आपको वहां का सच्चा जन-प्रतिनिधि साबित कर जनता से किए गए वायदे को पूरा कर सकूं।

[अनुवाद]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय जब राष्ट्र 1971 के युद्ध की रजत जयन्ती-विजय दिवस-मना रहा है, मैं लद्दाख स्काउटों द्वारा दी गई सेवाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। यह यूनिट भारतीय थल सेना की सबसे छोटी यूनिटों में से एक है, परन्तु उसे भारतीय थल सेना में सबसे अधिक पदक प्राप्त हुए हैं।

लद्दाख स्काउट्स, जिसे भारतीय थल सेना की 'आंख और कान' समझा जाता है, अपनी स्थापना से ही, अर्थात पिछले 48 वर्षों से, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अतः, इस अवधि के दौरान, इस यूनिट ने कई विशिष्टताएं हासिल की हैं। पाकिस्तान के साथ हुए तीन युद्धों और चीन के साथ हुए एक युद्ध के दौरान इस यूनिट को 214 शौर्य पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें 1 अशोक चक्र-जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है- 9 एम वी सी, 2 के सी, 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 20 वी आर सी, 6 शौर्य चक्र, 1 वाई एस एम, 43 सेवा मेडल, 12 विशिष्ट सेवा मेडल, 7 मेन्शन इन डिस्पैचेज, 79 सी ओ ए एस कमेंडेशन कार्ड तथा 32 जी ओ सी-इन-सी कमेंडेशन कार्ड शामिल हैं।

यह उपयुक्त समय है जब सरकार इस यूनिट को मान्यता प्रदान करे। सरकार को इस यूनिट की सैन्य संख्या बढ़ाकर इसे रेजीमेंट का दर्जा दे देना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : सरकार ने इसे नोट कर लिया है। मैं रक्षा मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाऊंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी कमजोरी है, जिसे मैं पूरे हाउस को बताना चाहता हूं कि जिनके नाम लिस्ट में हैं वे मेरे ध्यान में हैं। आप चेयर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ खड़े कर दीजिए। जो सदस्य शोर मचाते हैं, मेरा दिल करता है कि उनको बिल्कुल न बुलाऊं। इतना ही बेहतर है कि मैं चांस दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और पूरे सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश के विभिन्न विश्व-विद्यालयों में जो रिसर्च एसोसिएशट्स हैं, पी.एच.डी. की डिग्री लेने के बाद विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जिन वैज्ञानिकों का चयन 5 वर्ष के लिए होता है और फैलोशिप दी जाती है, आज वे प्रधानमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन करने जा रहे हैं तथा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसलिए मैं पूरे सदन और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसी दिसम्बर माह में जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज से 13 वर्ष पूर्व देशभर में जिन रिसर्च एसोशिएट्स या रिसर्च साइंटिस्ट को भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न विश्व-विद्यालयों में प्रवक्ता का पद देकर स्थाई किया था, आप कल्पना कीजिए कि पी.एच.डी. की डिग्री लेने के बाद, जो फैलोशिप लेकर 5 वर्ष तक अध्ययन कार्य करते हैं, 5 वर्ष तक जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिनके लिए बेरोजगारी का बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया है। वे लोग सड़कों पर दर-दर भटक रहे हैं। मैं सरकार और इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इस देश के पढ़े-लिखे वैज्ञानिक, पी. एच.डी. की डिग्री लेने के बाद, पांच वर्ष तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण शोध करने के बाद आज प्रधान मंत्री के आवास पर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर आरमरण अनशन कर रहे हैं। सरकार को अविलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार के किसी प्रतिनिधि को वहां जाकर के विश्वविद्यालय के इन पढ़े-लिखे विद्यार्थियों के, देश के इन नौनिहालों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे लगभग 1700 लोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हैं इनको स्थाई प्रवक्ता बनाकर इनके भविष्य को सुधारने की जरूरत है। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर, भदोही संसदीय क्षेत्र से आती हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूं कि

मेरे संसदीय क्षेत्र में पानी के बड़े-बड़े बांध बनाकर उसको रोक कर रखा जाता है और वहां से अन्य जगहों को पानी दिया जाता है, इलाहाबाद को भी वहां से सप्लाई किया जाता है, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता को पर्याप्त पानी न तो पीने के लिए और न सिंचाई के लिए मिल पाता है। इसके कारण उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वहां की जनता को पेय जल उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि सिंचाई के अभाव में वहां की जमीन सूख रही है। इसलिए सिंचाई हेतु पानी मुहैया करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या मेरे क्षेत्र की बिजली की है। वहां पर आजकल बिजली संकट चला हुआ है। वैसे वहां पर 16 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल मुश्किल से दो-तीन घंटे ही बिजली मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 16 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाए। ताकि जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के किसान कपास का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। विशेषरूप से मैं राजस्थान के जिस संसदीय क्षेत्र बीकानेर से आता हूं वहां के दो जिलों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान बहुत बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन करते हैं और इस वर्ष भी बड़ी मात्रा में किसानों ने कपास का उत्पादन किया है, लेकिन सरकार ने इन कपास उत्पादकों की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया है। उनकी फसल को खरीदने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के नरमा कपास के उत्पादकों की डेढ़ लाख गांठों को निर्यात करने का निर्णय किया था, उसी प्रकार राजस्थान के नरमा कपास उत्पादकों की कपास खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से व्यवस्था की जाए और विशेषरूप से मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि 30 लाख गांठों को निर्यात करने का निर्णय लें जिससे किसानों को फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकार ने अभी गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि इस निर्णय से किसानों को नुकसान होगा क्योंकि गेहूं की फसल आने वाली है और आगामी फरवरी में जब यह फसल आ जाएगी, तो आपके इस निर्णय से किसानों को नुकसान होगा। उनको गेहूं का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया गया है उसी प्रकार से राजस्थान के कपास उत्पादकों की मदद करने के लिए राजस्थान से कम से कम 30 लाख गांठों को निर्यात करने का निर्णय मंत्री महोदय करें ताकि कपास उत्पादकों को राहत मिल सके। धन्यवाद

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहती हूं। पाकिस्तान की कुख्यात मैरीटाइम एजेंसी ने बहुत बार हमारे मछुआरों का हमारी ही जल सीमा में आकर अपहरण किया है। पिछले दो सालों से 160 खलासियों को ले गये हैं जो आज तक रिहा नहीं किये गये। वे पाकिस्तानी जेल में सड़ रहे हैं और मरने की हालत में जा रहे हैं। उसके बारे में हमने कई बार चर्चा की। मिनिस्टर साहब से भी मिले सरकार का ध्यान भी इस तरफ दिलाया लेकिन आज तक उन खलासियों को वहां से यहां लाने की कोई कोशिश नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं। अभी हाल में 9 दिसम्बर को 11 बजे 6 बोट जो कि मछली मार रहे थे, उन 6 बोटों का वे लोग किडनैप करके ले गये। उन बोटों में हमारे 33 मछुआरे थे। वे जिन 33 लोगों को किडनैप करके ले गये हैं उन लोगों का क्या हुआ, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसमें बताया गया था कि एक टंडेल था जो कि दुर्गा प्रसाद नाम की बोट से छूटकर आ गया है और उसने बयान दिया कि वे बहुत बुरी तरह से लोगों को उठाकर ले गये हैं। मेरा आग्रह है कि सरकार इन 33 लोगों और पिछले दो सालों से जो 160 मछुआरे पाकिस्तान की जेल में हैं, उन्हें छुड़ाकर यहां ले करके आयें तथा अगली बार ऐसा कुछ न हो, उसके बारे में हमारे मछुआरों को कुछ प्रोटेक्शन दें जिससे पाकिस्तान की मैरीटाइम एजेंसी दुबारा हमारे मछुआरों को परेशान न कर सके, इसके बारे में कुछ कार्यवाही की जाये।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र थिरूवाला में एअर इंडिया का उपग्रह कार्यालय है। यह बताया गया है कि एअर इंडिया का इस कार्यालय को इस स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस समय इस कार्यालय को उस स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र बहुत से मजदूर कामगार विदेशों में काम कर रहे हैं, वे सभी इसी कार्यालय का उपयोग करते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि थिरूवाला से इस कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का कोई भी प्रयास रोक दिया जाना चाहिए। इस कार्यालय को वहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस स्थिति से नागर विमानन मंत्री को अवगत करा दें और इस मामले में मेरी मदद करें। यह कार्यालय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां से इस कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित न किया जाए।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय, लगभग 17,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने कुछ काम पाने की आशा से भिन्न-भिन्न रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करा रखे हैं। लेकिन केवल एक या दो को बुलावा पत्र मिलता है और वे साक्षात्कार भी देते हैं और बस इतना ही होता है। उनहें कोई रोजगार नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाया पद हैं और सरकार इन बकाया पदों

को भरने के लिए व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं कर रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज, करीमगंज और हालाखंड जिलों को मिलाकर 1600 से अधिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवा काम की तलाश में है। सरकार ने उनकी ओर उदासीन रवैया अपना रखा है। उनका भाग्य बंद है और मैं समझता हूं उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी। यह एक गम्भीर समस्या है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनके इन बकाया पदों को भरने के लिए एक विशेषरूप स राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में, विशेष अभियान चलाए, विशेष भर्ती अभियान के बिना बकाया रिक्त पदों को भरा नहीं जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सुख लाल कुशवाहा (सतना) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 18 नवम्बर को दुर्लीचंद नाम का एक तस्कर दिल्ली के अंदर गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से 1 करोड़ 75 लाख रुपये नकद और 100 सोने के बिस्कुट बरामद हुए थे। बाद में इसके बारे में तमाम समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं। नवभारत टाइम्स में लिखा है कि युवक से बरामद नकदी और सोना को लेकर विवाद है। इसी प्रकार पंजाब केसरी लिखता है कि युवक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

युवक के पास 40 लाख थे या करोड़, हेराफेरी की जांच होगी। जे.वी.जी. टाइम्स लिखता है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभी हैडिंग्स छोड़िए, अपनी बात कह दीजिए।

श्री सुख लाल कुशवाहा : जो वास्तविकता है, 1 करोड़, 75 लाख रुपये और 100 सोने के बिस्कुट, उसमें से जब्ती में 40 लाख रुपये और 2 बिस्कुट दिखाए गए हैं। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो राशि उस युवक के घर से जब्त की गई है, उसकी वास्तविक जांच करके शो किया जाए और उसे शासकीय खजाने में जमा कराया जाए। जो संलग्न अधिकारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो माथे पर जनसेवक का बिल्ला लगाकर घूमते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।

श्री ताराचन्द साहू (दुर्ग) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सारे स्टील प्लांट्स के कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। पता नहीं, सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं। नई पेंशन योजना जब चालू की गई थी तो उसके विकल्प के रूप में उनको एक अवसर दिया गया था कि यदि वे बेहतर योजना प्रस्तुत करते हैं तो उनको स्वीकार किया जाएगा। कोल इंडिया ने वह प्रस्तुत की किन्तु सेल ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की और आज सी.पी.एफ. की राशि कटनी बंद हो गई है। परिणामस्वरूप भिलाई स्टील प्लांट की यूनिट बंद होने की स्थिति में है।

पिछले दिनों कोक अवन की कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर बंद कर दिया था। एक दिन में एक यूनिट बंद होने से कई करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मैं चाहूंगा कि सरकार समय रहते इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करे और इस पर पहल करे। ...**(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। 1992 में यू.पी. एस सी की परीक्षा हुई थी जिसमें हजारों छात्र सम्मिलित हुए थे। दुर्भाग्य यह हुआ कि उस परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट हो गया। आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है। उसकी जांच सी.बी.आई. ने की और अभियुक्त को पकड़ने का काम भी किया। पनिशमेंट भी मिली। इलाहाबाद, यू.पी. से प्रश्न पत्र लीक हुआ था। उस समय से छात्रों ने कई स्तरों पर इस बारे में चर्चा करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर सरकार चाहे तो उस समय जो छात्र उसमें सम्मिलित हुए थे, उनको एक चांस और दिया जा सकता है। इस मामले की स्थायी कमेटी में भी चर्चा हुई थी। गृह विभाग था, उसने भी अनुशंसा की। लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढा है। कई बार इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा भी की है। अब 1997 की जो परीक्षा हो रही है, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। लेकिन उसमें भी इसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। सारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 1992 में जो परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया था, उन तमाम छात्रों को एक चांस और प्रदान करने की कृपा करवाएं ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो सके। ... **(व्यवधान)**

यहां गृह मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। वे इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल राम कृपाल यादव जी ने उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए तमाम *सांसदों ने मिलकर भी सरकार* को लिखा है कि उनको एक अवसर और मिलना चाहिए। इसके पहले भी एक बार जब इस तरह की घटना हुई थी तो एक अवसर प्रदान किया गया था। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि नई परीक्षा का नोटिफिकेशन हो चुका है। जो छात्र 1992 की परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन लीकेज के कारण अवसर से वंचित रह गए, उनको एक अवसर और दिया जाए। हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर कोई सकारात्मक रूख अख्तियार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हो गया, ठीक है। आप कुछ कहना चाहें तो कहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया। यहीं से तो कुछ हुक्म जारी नहीं होगा, आगे कहीं नोट कराएंगे।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : जो लोग उससे वंचित रह गये थे, उनको एक चांस देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : इस मामले पर निर्णय लेने के लिए कार्मिक विभाग का ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। मैं इस मुद्दे को कार्मिक विभाग के ध्यान में लाऊंगा ताकि वह इस पर ...निर्णय ले ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे पहले ही उनके ध्यान में लाया जा चुका है। ...**(व्यवधान)**

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) **:** मैं सरकार का ध्यान गुजरात में कपास उत्पादक किसानों के समक्ष उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात के कपास किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। गत वर्ष, उन्हें 3000 रुपए प्रति कुन्तल दिए गए थे। इस वर्ष, लाभकारी मूल्य केवल 1750 रुपए है। इसमें 1250 रुपए का अंतर है। गुजरात ऐसा राज्य है जहां कपास अनेक किसानों द्वारा उगाई जा रही है। उन्हें सिंचाई, खाद और सभी चीजों के लिए अत्यधिक मूल्य अदा करना होता है। मेरा अनुरोध है कि कपड़ा मंत्री और कृषि मंत्री उन्हें लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए। यदि उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तो वे भविष्य में कपास का उत्पादन नहीं करेंगे जो हमारे देश की आवश्यकता है।

यहां कपास के निर्यात में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है हालांकि गुजरात सरकार, चालू वर्ष के दौरान अनेक बार पत्रों के माध्यम से और कपड़ा मंत्री के साथ निजी बैठकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती रही है। अतः इसलिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा आगे बिना किसी विलम्ब के कपास के निर्यात के लिए कोटा जारी करने हेतु तत्काल कदम उठाया जाना आवश्यक है और देश में कपास के मूल्य को गिरने को रोकने का केवल यही उपाय है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनको तो बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढवी : भारतीय कपास निगम को कपास की खरीद बिचौलियों के बजाय सरकारी मूल्य पर सीधे किसानों से अथवा सहकारी समितियों से जिस प्रणाली का निर्वाह आजकल भारतीय कपास निगम द्वारा किया जा रहा है, करना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत नाम बाकी हैं, मैं सब को तो एक टाइम में नहीं बुला सकता।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात रिकार्ड में दर्ज कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भी किसानों को कपास का कोई भाव नहीं मिल रहा है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, रिकार्ड पर आ जायेगा, आप उनको बोलने दीजिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार : और वे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए किसानों को कपास का अधिक भाव मिले, ऐसी व्यवस्था की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : चलो, रिकार्ड पर आ गया। ठीक है।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) **:** हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से हमारे देश का वैज्ञानिक समुदाय, विशेष रूप से आई.सी.एम.आर. के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से सम्बद्ध वैज्ञानिक, विक्षुब्ध है। उन्होंने क्रोजेने इंकार्पोरेटिड नामक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को नई दिल्ली में मानव आनुवंशिक केन्द्र और देश के प्रमुख शहरों में आनुवंशिक परीक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमति देने के सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इस बात की आशंका व्यक्त की जाती है कि कम्पनियां रक्त के नमूने अपने सहयोगी मूल संगठनों को भेजेंगी। ऐसा करना हमारे देश, हमारी जनता, हमारी जातीय जीन विविधता और ऐसी सभी बातों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस संबंध में वैज्ञानिक समुदाय पहले ही सरकार से बातचीत कर चुका है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। भारतीय जनता के रक्त का नमूना जीन और ऐसी सभी बातों के अध्ययन के लिए अमरीका भेजे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि इस संबंध में पुनर्विचार किया जाये और इस संगठन को यह परीक्षण करने की अनुमति न दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 02.52 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.52 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) प्रथम श्रेणी प्रबंधन परीक्षा में स्नातक इंजीनियर (खनन) को रियायत दिये जाने संबंधी अंतर-मंत्रालयीय समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह) : महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा संचालित प्रथम श्रेणी प्रबंधकीय परीक्षाओं में खनन स्नातक अभियंताओं को कोई रियायत नहीं, जबकि इसमें बाहर के कनिष्ठ इंजीनियरों को भी परीक्षा देने की छूट है। यदि इस परीक्षा में कनिष्ठ अभियंता उत्तीर्ण हो जाते हैं तो खनन स्नातक अभियंताओं को उनके साथ कार्य करने में परेशानी होती है और विभागीय कार्यकुशलता घटती है।

ऐसी व्यवस्था अंग्रेजी हुकूमत में थी, जब देश में उच्च कोटि के अभियंत्रण शिक्षण संस्थान नहीं थे। इस व्यवस्था के विरोध में खनन स्नातक अभियंताओं ने डी.जी.एम.एस. द्वारा संचालित उपर्युक्त परीक्षा का वर्ष 1990 में बहिष्कार किया था। फलतः अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन हुआ, जिसने 1993 में रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गयी है।

अतः सरकार से आग्रह है कि खनन स्नातक अभियंताओं को प्रथम श्रेणी प्रबंधकीय परीक्षाओं में रियायत दी जाए एवं तत्संबंधी गठित समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की जाए।

(दो) गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेस को मथुरा से पुनः चलाये जाने की आवश्यकता

चौधरी तेजवीर सिंह (मथुरा) : कुछ समय पूर्व गंगा-यमुना एक्सप्रेस में 6 बोगियां मथुरा से चलती थी जोकि गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती थीं। ये 6 बोगियां मथुरा जंक्शन से चल कर आगरा, राजामंडी और आगरा सिटी स्टेशनों से होती हुई टूण्डला जंक्शन पर मुख्य गंगा-यमुना एक्सप्रेस में जुड़ जाती थी लेकिन वर्तमान में मथुरा जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक व औद्योगिक नगर को पूरी तरह से अनदेखा कर मथुरा से उस रेल द्वारा लखनऊ व वाराणसी को जाने के लिए जो सुविधा प्राप्त थी, उसे छीन लिया गया है जिससे क्षेत्र के निवासियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेस को शीघ्र ही पूर्व की भांति मथुरा से चलाया जाए और टूण्डला पर जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

(तीन) कालीकट और मंगेश्वरम के बीच उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : केरल का उत्तरी भाग अर्थात् मालाबार क्षेत्र रेलवे सहित विकास के सभी क्षेत्रों में एक अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र है। केरल के इस भाग के लोगों में भारी असन्तोष व्याप्त है। रेलवे संबंधी सुधारों की तत्काल आवश्यकता की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान बार बार दिलाया गया है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कालीकट से मंगेश्वरम तक रेलवे लेवल क्रॉसिंग (रेल फाटक), सड़क द्वारा यात्रा करने वाली जनता के लिए अत्यधिक देरी एवं असुविधा उत्पन्न कर रहा है। 100 किलोमीटर की थोडी-सी दूरी में कालीकट से कन्नानौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आठ रेलवे फाटक हैं। इससे रेलवे के इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैय का साफ तौर पर संकेत मिलता है। कन्नानौर से मंगेश्वरम तक भी बहुत से रेलवे फाटक हैं। कोंकण रेलवे के चालू हो जाने से रेलगाड़ियों की आवाजाही बढ़ जायेगी और इससे विशेषकर सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचना असम्भव हो जाएगा।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कालीकट से मंगेश्वरम तक पर्याप्त संख्या में उपरि पुलों का अविलंब निर्माण करके इन बाधाओं को दूर करने हेतु शीघ्र कदम उठाएं।

(चार) सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी में और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाइगुडी) : मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि काफी समय से रेल संचार के क्षेत्र में उत्तर बंगाल की उपेक्षा की जाती रही हैं। इस क्षेत्र के लोग लम्बे समय से निम्नलिखित की मांग कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई परिणाम नहीं निकला जिससे इस क्षेत्र में अशान्ति पैदा हो रही है :-

(एक) सिलीगुडी जंक्शन से अलीपुरद्वार जक्शन और सिलीगुडी से न्यू जलपाईगुडी तक के रेल मार्ग का आमान परिवर्तन। इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान होने के नात सिलीगुडी को बड़ी लाइन के अविलम्ब जोड़ा जाना चाहिए।

(दो) गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाना।

(तीन) कलकत्ता से न्यू जलपाईगुडी के लिए शताब्दी एक्सप्रेस चलाना।

(चार) कूच बिहार से कलकत्ता के लिए एक सुपर फास्टर गाड़ी चलाना।

(पांच) तीस्ता-टेरशा एक्सप्रेस को दो जगहों से, एक हल्दीबाडी से और दूसरी न्यू अलीपुरद्वार से अलग-अलग चलाना।

(छः) न्यू जलपाईगुडी से देश के सभी महत्वपूर्ण स्थानों के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाना।

(सात) न्यू जलपाईगुडी और कलकत्ता के बीच और अधिक रेल गाड़ियां चलाना और न्यू जलपाईगुडी गुवाहाटी तक दोहरी लाइन का निर्माण।

मैं सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि लम्बे समय से चली आ रही उपर्युक्त उचित मांगों को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

(पांच) बरेली, उत्तर प्रदेश में इफ्को द्वारा जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में इफ्को कारखाना हेतु कृषकों की भूमि अधिग्रहण करते समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मुआवजे के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को योग्यतानुसार नौकरी दी जाएगी। आज कारखाना चालू हुए कई वर्ष बीत गए परन्तु किसी भी प्रभावित परिवार के सदस्य को आज तक नौकरी नहीं दी गई जबकि इसी कारखाने में हजारों लोगों की भर्ती की जा चुकी है। आज जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, वे भूमि के अभाव में रोजी रोटी के लिए दर-दर भटक रहे हैं और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों की मिन्नत करके इनमें से कुछ परिवार के लोगों को डेलीवेजिस पर भर्ती कर रखा गया है जो कि कई महीने बेरोजगार रहते हैं। कारखाना प्रशासन ने आज तक इनको भर्ती नहीं किया है। इस कारण कई बार ये लोग आन्दोलन का रास्ता भी अख्तियार कर चुके हैं। यह क्षेत्र मेरा चुनाव क्षेत्र पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिन परिवारों की भूमि अधिग्रहण की गई है, उनमें से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए और अस्थायी (डेलीवेजिस) लोगों को शीघ्रतिशीघ्र स्थायी किया जाए ताकि इन गरीब किसानों के साथ की गई बेइन्साफी का अंत हो सके।

[अनुवाद]

(छः) आन्ध्र प्रदेश में नागरकुरनूल में वर्तमान कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर में बदलने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के नागरकुरनूल तालुक में इस समय एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर काम कर रहा है, जिसके कारण पूरे नागरकुरनूल तालुका में टी.वी. के कार्यक्रम साफ नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा, नागर कुरनूल लोक सभा संसदीय क्षेत्र अधिकतर नक्सलवादी प्रधान क्षेत्र है। यदि समुचित ट्रांसमिशन की व्यवस्था कर दी जाती है, तो लोगों को दृश्य श्रव्य माध्यम से सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी टी.वी. के कार्यक्रम धुंधले दिखाई देते हैं और लोग दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को नहीं देख पाते। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नागरकुरनूल में वर्तमान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को बदल कर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाए और नागरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कलवाकुरथी असेम्बली क्षेत्र के कोलापुर, अचमपेट तथा अमानगल में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाए। आन्ध्र प्रदेश में नागरकुरनूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जडचेरला और आयमपेट असेम्बली क्षेत्र में कम शक्ति वाली ट्रांसमीटर परियाजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्यवाही की जाए। सभी प्रस्तावित अधिक शक्ति वाले और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की ऊंचाई बढ़ाई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट देख सकें।

अपराह्न 3.00 बजे

(सात) पश्चिमी घाट क्षेत्र, जिसे खनिजों की खोज के लिए पट्टे पर दिया जाना प्रस्तावित है, के संरक्षण की आवश्यकता

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : महोदय, कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट क्षेत्र 60 लाख हैक्टेयर है, जिसमें सागर, सरोबा और शिमोगा तालुक शमिल हैं। इसके पच्चीस प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं और सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों को इस भूमि को खनन हेतु लीज पर देने के प्रस्ताव से न केवल इस क्षेत्र का पर्यावरण खराब होगा बल्कि पीढ़ियों से रह रहे यहां के निवासियों के लिए भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसने कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्र में किसी भी प्रकार के खनन कार्य का जोरदार विरोध किया है। इस विचार की कैनरा वन विभाग ने भी पुष्टि की है। यह भी पता चला है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में खनिज का पता लगाने/खनन हेतु कर्नाटक राज्य सरकार को लगभग 260 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी सम्मिलित हैं। सोना, प्लेटिनम, तांबा, अभ्रक आदि

खनिजों की खोज की जानी है। कुछ प्रतिष्ठान जैसे भारत गोल्ड माइन्स और हरट्टी गोल्ड माइन्स जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के भी इस परियोजना में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे है।

इस क्षेत्र के लोग सरकार के इस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध करने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। उनकी शिमोगा जिले के सागर तालुक के हाला इक्केरी और जमबानी में बैठकें हुई हैं जिनमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में तत्काल कदम उठाए तथा यह सुनिश्चित करे कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में खनन संबंधी कोई कार्यवाही न की जाए।

अपराह्न 3.02 बजे

[अनुवाद]

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय विधेयक

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं तथा इस बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रकाश डाला है।

अपराह्न 3.03 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की सिफारिश बीस वर्ष पहले गुजराल समिति द्वारा की गई थी। तत्पश्चात् 1992 में एक कार्य बल का गठन किया गया था जिसने कई सिफारिशें की थीं। श्री कुरैशी की अध्यक्षता में 1992 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी और उसने अपना प्रतिवेदन 1993 में प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् एक ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया गया था और इस विधेयक को राज्य सभा में 25.8.1993 को प्रस्तुत किया गया था। स्थायी समिति ने भी इस विधेयक पर विचार किया था और उसने बिना किसी संशोधन के इसे पारित किए जाने की सिफारिश की थी। परंतु उसने कुछ सुझाव दिए थे जिन्हें विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद लागू किया जाना था।

मैं इस बात को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना काफी समय पहले हो जानी चाहिए थी। इस देश में काफी बड़ी संख्या में उर्दू भाषी लोग हैं। परंतु स्थिति यह है कि किसी भी राज्य में वे बहुमत में नहीं हैं। सारे देश में उर्दूभाषी लोग हैं।

महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं-कई वक्ताओं ने भी कहा है-कि उर्दू भारतीय मूल की भाषा है। हिन्दी भी एक ऐसी ही भाषा है। वास्तव में महान विद्वान और कवि अमरो खुसरो ने उर्दू भाषा के उद्भव में काफी योगदान दिया था। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह भाषा स्थानीय और विदेशी भाषाओं जैसे-अरबी, तुर्की, फारसी आदि का एक सुंदर सम्मिश्रण है। यह एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में जाने को आवश्यकता नहीं समझता।

देश के कुछ भागों में विशेषकर दक्षिण में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर उर्दू माध्यम के स्कूल और हाई स्कूल हैं। परन्तु वहां उर्दू माध्यम का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जहां लड़के पढ़ सकें। ऐसे एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की गई थी। अतः इसकी स्थापना हैदराबाद में की जा रही है, जहां उर्दू माध्यम का एक विश्वविद्यालय था- उस्मानिया विश्वविद्यालय-जिसमें 1950 तक चिकित्सा, अभियांत्रिकी और विधि सहित सभी विषय उर्दू में पढ़ाए जाते थे। हैदराबाद में पहले से ही कुछ अवसंरचना उपलब्ध है। दक्षिण में उर्दू माध्यम के और भी स्कूल और हाई स्कूल हैं। अतः इस विश्वविद्यालय को हैदराबाद में स्थापित करने के बारे में सोचा गया था।

यह दुर्भाग्य की बात है किन्तु यह सत्य है कि यद्यपि उर्दू भाषी लोगों की संख्या उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य स्थानों पर अधिक है, वहां उर्दू माध्यम के स्कूलों और हाई स्कूलों की संख्या बहुत कम है। वहां मदरसे हैं। वहां यह हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों की भाषा है। कुछ लोगों के मन में यह आशंका है कि उर्दू केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा है। मैं यह कह सकता हूं कि यह एक भाषायी अल्प संख्यक समुदाय है। परन्तु भाषा किसी समुदाय की नहीं होती है। सामान्तया कोई भी भाषा किसी समुदाय विशेष की नहीं होती है। भाषा का उद्भव स्वतः होता है। ज्ञान का प्रसार करने और विचारों को व्यक्त करने का उसका एक अपना उद्देश्य होता है। यह एक साधन होती है। इस प्रकार, मेरे विचार में उर्दू भाषा का भी एक ऐतिहासिक उद्भव, ऐतिहासिक भूमिका और ऐतिहासिक पहलू है। वह तो संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। अतः, यह एक धर्म-निरपेक्ष भाषा है। इसमें हिन्दु, मुस्लिम और अन्य फारसी संस्कृतियों का सम्मिश्रण है।

इस विश्वविद्यालय का नाम मौलाना आजाद के नाम पर रखे जाने के बारे में टिप्पणियां की गई थीं। किसी ने तो यहां तक पूछ लिया था कि उर्दू विश्वविद्यालय का नाम मौलाना आजाद और हिन्दी विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी के नामों पर क्यों रखा जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसके पीछे ठोस कारण हैं। हिन्दुओं को हिन्दी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध मत कीजिए। मैंने महात्मा गांधी को कभी हिन्दू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को कभी मुसलमान नहीं समझा है। ऐसे महान व्यक्तियों को यदि हम इस प्रकार देखें या समझें, तो यह उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। **(व्यवधान)**

महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी के नाम पर इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि वह हिन्दू थे। आपको शायद यह याद होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन स्वराज और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ था।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप दो चार लाइन हिन्दुस्तानी में बोलिये, आप इतनी अच्छी हिन्दी बोलते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : मुझे खेद है कि मैं अपने विचार हिन्दी में ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता। अन्यथा, मुझे हिन्दी में बोलने में खुशी होती।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप दो-चार सेन्टेंस हिन्दी में बोलिये ताकि हम बिल पास करें।

श्री गुलाम रसूल कार : सर, आप उर्दू में बोलिये क्योंकि यह उर्दू यूनिवर्सिटी का मामला है।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं हिंदी में भी बोल सकता हूं। उसमें गांधी जी का नाम इसलिए लिखा क्योंकि स्वराज मूवमेंट हिंदी से जुडा था। गांधी जी के खादी और ग्रामोद्योग में भी हिंदी उनके कार्यक्रम का एक प्वांइट था। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मैं हिंदी स्कूल में विद्यार्थी था, उस समय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में थी। वहां हम सब लोगों ने हिंदी पढ़ी, प्रथमा, मध्यमा मैंने वहां पास की, बाद में भूल गया, यह बात अलग है। आजादी के बाद तमिलनाडु में बहुत लोग हिंदी पढ़ते थे। आजादी के बाद जैसा आपने बोला हिंदुस्तान में उर्दू का शब्दकोष ज्यादा था, इसलिए उसका विरोध नहीं किया। जब संस्कृत शब्द ज्यादा आए तो हिंदी इम्पोज करने की कोशिश हुई। उसका तमिलनाडु और दक्षिण ने विरोध किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राज्य सभा में तेलगुदेशम, डी.एम.के. सब दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी में भाषण किये। हिंदी का बहुत लोगों ने समर्थन किया।

[अनुवाद]

महोदय, मैं अब पुनः अंग्रेजी में बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप इतनी अच्छी हिंदी बोले, यही बहुत अच्छा है आप इतनी शुद्ध और अच्छी हिंदी बोले।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : जब यह हिन्दी में बोलते हैं तो लगता है कि उर्दू में बोल रहे हैं क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती है।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय है। जब हम विधेयक को पारित करते हैं चाहे वह केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक हो अथवा राज्य विश्वविद्यालय विधेयक हो-इस सम्बन्ध में अधिनियम में आधारभूत रूपरेखाएं रखे उल्लेखित रहती हैं। अध्यादेशों में उन नियमों का, जिन्हें कि विभिन्न निकाय विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद तैयार करेंगे, विस्तृत ब्यौरा रहता है। लिखित कानून बाद में तैयार किये जाते हैं। अतः यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालयों की पद्धति पर ही एक विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में है। इस विश्वविद्यालय की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें केवल परिसर शिक्षा ही नहीं, बल्कि दूरस्थ शिक्षा सम्बन्धी योजना भी है।

परिसर में शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस विश्वविद्यालय से उपाधियां प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी, विधि चिकित्सा विज्ञान आदि सभी विषय उर्दू माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। अतः हमें इस पृष्ठभूमि के साथ इस विधेयक पर विचार करना होगा।

महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय पारम्परिक विश्वविद्यालय और खुला विश्वविद्यालय का सम्मिश्रण है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और माननीय सदस्य श्री जी.एम. बनातवाला और अन्य एक या दो सदस्यों ने संशोधन भी दिए हैं कि इस विश्वविद्यालय के पास अन्य महाविद्यालयों को सम्बद्ध करने की शक्ति होनी चाहिए इसमें कानूनी अड़चनें आएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के सिवाय सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में केवल परिसरों में ही पढ़ाई होती है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय आदि जैसे अन्य विश्वविद्यालयों के पास किसी महाविद्यालय को सम्बद्ध करने की शक्तियां नहीं हैं, क्योंकि सम्बद्ध करने के प्रावधान से पहले से ही विद्यमान अन्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण होगा। इससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। परंतु साथ ही साथ यह विश्वविद्यालय कालेजों की स्थापना कर सकता है और विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। अतः सम्बद्ध करने के प्रावधान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और यह संभव भी नहीं है।

फिर, इस बात की कुछ शंकाएं व्यक्त की गई थीं कि उर्दू में शोध कार्य तथा सामग्रियों का मुद्रण और प्रकाशन किया जा सकता है अथवा नहीं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस कानून के अन्तर्गत सभी कुछ संभव है। इसके लिए कोई रूकावट नहीं है। इसमें निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था है जहां वे उर्दू को बढ़ावा देने और इसे समृद्ध करने हेतु शोध कार्य कर सकते हैं तथा इस कानून के अन्तर्गत सामग्रियों का मुद्रण और प्रकाशन भी किया जा सकता है।

महोदय, कुछ लोग चाहते हैं कि कोर्ट को और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिवाए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यकारी परिषद को 'सीनेट' और 'सिंडिकेट' की भांति अधिकार प्राप्त है। 'सीनेट' एक सामान्य निकाय है, जो परामर्शदाता के रूप में नीतियां बनाता है और कार्य करता है। 'सिंडिकेट' अथवा कार्यकारी परिषद को अधिकार प्राप्त हैं और ये ही विश्वविद्यालय के अधिकांश कार्यों के देखरेख करते हैं।

महोदय, एक बात की और शंका व्यक्त की गई थी और एक संशोधन भी दिया गया है कि इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय के डिग्री और डिप्लोमा अन्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष हो हों। यह आवश्यक नहीं है। जब कानून के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो सभी डिग्रियां समान होती हैं। वे सब मान्यता प्राप्त होती हैं। किसी भी विश्वविद्यालय अधिनियम में इन्हें समकक्ष बनाने हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जब कानून के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और फिर इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत रखा जाता है, तो इस प्रकार के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रावधान पहले से स्थापित अधिकांश विश्वविद्यालयों में नहीं है। चाहे वे राज्य विश्वविद्यालय हों या केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो सभी डिग्रियां मान्यता प्राप्त हैं और सभी डिप्लोमा समान हैं। किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतएव इस पर अलग से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ मित्रों ने यह पूछा है कि उर्दू में डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् रोजगार प्राप्त करने के क्या अवसर हैं। ऐसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जो हिन्दी में डिग्री प्रदान कर रहे हैं और कुछ विश्वविद्यालय क्षेत्रीय भाषाओं में डिग्री प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र का ही मामला लीजिए। महोदय, यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि किसी डॉक्टर ने क्षेत्रीय भाषा में अपनी डिग्री प्राप्त की है। मुख्य बात यह है कि उसमें गुण होना चाहिए। यही बात अधिवक्ता पर भी लागू होती है। सभी कुछ उसके ज्ञान और गु पर निर्भर है। अतः व्यक्ति विशेष ने किस भाषा में डिग्री प्राप्त की है इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति योग्य और सक्षम डाक्टर है तो उसे रोजगार प्राप्त होगा। अतः किसी को भी किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ लोगों ने इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों और छात्रावासों की विशेषकर महिलाओं हेतु आलोचना की है। जी हां, इसकी स्थापना एक विशेष उद्देश्य से की गयी है क्योंकि परदानसीन महिलाओं के लिए यह आवश्यक है। हमें इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। युवावस्था में मैंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में देखा था कि छात्राओं के बैठने की व्यवस्था अलग तरीके से की गयी थी। जहां तक मुझे याद है वे परदे के पीछे ऐसे स्थान पर बैठती थीं जहां से वे सुन और देख सकती थी। परन्तु छात्र उन्हें नहीं देख सकते थे। निश्चित रूप से यह एक धार्मिक विश्वास है और शायद मैं इससे सहमत न होऊं। परन्तु इस प्रकार के परदे के लिए...

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, यह केवल हैदराबाद में ही होगा या दूसरे प्रदेशों में भी इसका विस्तार होगा?

श्री एस.आर. बोम्मई : होगा।

श्री राम कृपाल यादव : उत्तर प्रदेश में जहां इस भाषा के बोलने वाले, लिखने वाले और समझने वाले ज्यादा हैं, क्या वहां भी इसका विस्तार होगा?

श्री एस.आर. बोम्मई : मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसका जुरिस्डिक्शन आल इंडिया है।

[अनुवाद]

इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण देश है। यदि आवश्यक हो तो यह बाहर भी केन्द्रों की स्थापना कर सकता है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और जहां भी आवश्यक हो, महाविद्यालयों की स्थापना कर सकता है। इसमें ऐसा प्रावधान है।

महोदय, 6 करोड़ रुपए के आवंटन के सम्बन्ध में आलोचना की गयी है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इसकी स्थापना में जितनी भी धनराशि की आवश्कता होगी, सरकार द्वारा दी जाएगी।

यद्यपि केवल 6 करोड़ रुपए का ही उल्लेख किया गया है, तथापि यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि दी जाएगी। मैं यह भी आवश्यक देता हूं कि यहां कार्य यथाशीघ्र शुरू हो जाएगा। संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद मैं इस पर यथाशीघ्र राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लूंगा। सरकार का इरादा इस विश्वविद्यालय को तत्काल शुरू करने का है।

महोदय, इस दिशा में आवश्क कदम उठाये जायेंगे। उर्दू के विकास हेतु सभी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी आवश्यक पूरी सहायता मिले, सभी प्रयास किए जायेंगे। जब इस संबंध में कानून और नियम बनाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मैं यह अवश्य कहूंगा कि प्रथम बोर्ड शीघ्र ही मनोनीत किया जाएगा और विजिटर राष्ट्रपति

जो इस विश्वविद्यालय के मुखिया होंगे। यह प्रावधान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में है और इस विश्वविद्यालय में भी जारी रहेगा। राष्ट्रपति जो इस विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे। कार्यकारी शक्तियों आदि जैसी अन्य सभी बातों के बारे में अनुसची में उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी) : अच्छा होता यदि मंत्री जी भी उर्दू में बोलते।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप रोजाना व्यर्थ की टिप्पणियां करते रहते हैं जिसकी अनुमति नहीं है। व्यर्थ की टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि व्यर्थ की टिप्पणियों हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

श्री एस.आर. बोम्मई : इस विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के बारे में धारा 4 में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। इसमें कहा गया है कि :

> "विश्वविद्यालय का उद्देश्य उर्दू भाषा का संवर्धन और उसका विकास करना; उर्दू के माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना; परिसर में और साथ ही दूर प्रशिक्षण द्वारा उर्दू माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को चलाने की वांछा रखने वाले व्यक्तियों तक व्यापक रूप से पहुंचने की व्यवस्था करना और स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देने का उपबंध करना होगा।"

धारा 5 में विश्वविद्यालय की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : क्या कोर्सपोडेंस कोर्स रहेगा?

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थ है कि यह दूरवर्ती शिक्षा भी प्रदान कर सकता है। कोई भी छात्र राज्य में कहीं से भी पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त कर सकता है। इस विश्वविद्यालय को मुक्त विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही शिक्षा प्रदान करना नहीं है। बल्कि दूरवती शिक्षा प्रदान करना भी है।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : मंत्री जी, क्या उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ेंगे।

श्री एस.आर. बोम्मई : हां, जरूर जोड़ेंगे। इसका जवाब हमने दे दिया है।

श्री राम कृपाल यादव : छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। क्या वह आप देंगे?

श्री एस.आर. बोम्मई : हम देंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : आपने केवल 6 करोड़ रुपये प्रोवाइड किये हैं उससे तो बिल्डिंग भी नहीं बन पायेगी।

श्री एस.पी. जायसवाल : सभापति जी, आप तो इनको बोलने को इजाजत दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)** अगर आप इनको बोलने की इजाजत देते हैं तो हमको भी इजाजत दीजिए। ...**(व्यवधान)** माननीय सभापति जी का इधर तो बड़ा कड़ा रूख रहता है लेकिन उधर नरम रूख रहता है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : अध्यक्षपीठ हमेशा निष्पक्ष होती है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कोई रिमार्क नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखिये। किसी भी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। मंत्री के लिए व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

श्री कमारुल इस्लाम (गुलबर्गा) : क्या विश्वविद्यालय के कोर्ट को कोई शक्तियां भी प्राप्त होंगी।

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, मैंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक कोर्ट की शक्तियों का संबंध है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को छोड़कर जामिया अथवा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अथवा बनारस विश्वविद्यालय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कोर्ट मात्र परामर्शदात्री निकाय हैं।

कार्यकारी परिषद अथवा सिंडिकेट को शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यकारी निकाय में कुलपति को मनोनीत किया जाता है, दो सदस्य कार्यकारिणी में से चुने जाते हैं। एक सदस्य विजिटर द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस पैनल का चयन समिति द्वारा चुना जाता है और कुलपति का चयन पैनल द्वारा किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी से पांच सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से

कोर्ट तीन व्यक्तियों का चयन करता है और इसे विजिटर को प्रस्तुत करता है जो कुलपति की नियुक्ति करता है। यहां यह अन्तर है। यह विश्वविद्यालय बहुत पहले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन से भी पहले अस्तित्व में आई थी। अतः अब स्थिति बदल गई हैं और अब इस प्रयोजन के लिए समितियां हैं जिन्होंने यह सिफारिश भी की है कि कोर्ट अथवा सीनेट केवल परामर्शदाता निकाय होने चाहिए और शक्तियां कार्यकारी परिषद् के पास होनी चाहिए। यह बात सभी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के अनुभव द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जा चुकी है। अतः कोर्ट को और अधिक शक्तियां देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद आवश्यक कानून तैयार किए जाएंगे और विश्वविद्यालय के कार्यकरण से जो भी आवश्यक समझा जाएगा, उन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनके पास शक्तियां हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : संसद सदस्य कर सकते हैं।

श्री एस.आर. बोम्मई : इस पर भी विचार किया जा सकता है। कार्यकारी समिति द्वारा भी कानून बनाते समय ऐसा प्रावधान किया जा सकता है अथवा उनके पास नए कानून बनाने की शक्तियां हैं। संसद सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है और कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। नए कानून बनाए जा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कानून द्वारा कोर्ट प्रतिनिधित्व दिए जाने संबंधी, इसमें शिक्षण संकाय से इतने व्यक्ति होंगे तथा इतने सदस्य संसद में से इतने सदस्यों से होंगे और अन्य निकायों से इतने सदस्य होंगे, ब्यौरा तैयार किया जा सकता है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। इस सम्बंध में ब्यौरा कार्यकारी निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा।

अतः मैं समझता हूं कि मैंने माननीय संदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे दिया है। उत्तर देते समय मैंने हरेक सदस्य का नाम नहीं लिया है। मैंने बहस के दौरान उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं अपने मित्र श्री जी.एम. बनातवाला जी से यही निवेदन करता हूं कि वह कोई संशोधन प्रस्ताव न रखें और मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों की मूल भावना का ध्यान रखा जाएगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो मैं विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावों को इस विधेयक में शामिल करूंगा। मेरा उनसे केवल यही अनुरोध है कि वह संशोधन प्रस्ताव न रखें। हमें इस विधेयक को सर्व सम्मति से यथाशीघ्र पारित कर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "उर्दू भाषा के मुख्य रूप से संवर्धन और विकास के लिए और परंपरागत शिक्षा तथा दूर शिक्षा पद्धति द्वारा उर्दू माध्यम से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला, आपका संशोधन संख्या 1 है। क्या आप इस पर जोर देना चाहते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : यह संशोधन आवश्यक नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5– (विश्वविद्यालय की शक्तियां)

सभापति महोदय : श्री जी.एम. बनातवाला जी, खंड 5 के लिए आपके संशोधन संख्या 2,3,4,5, और 6 हैं। क्या आप अपने संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, –

पंक्ति 31 और 32 का लोप किया जाये। (2)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 और 8 में निम्नलिखित का लोप किया जाये:–

> "दूर शिक्षा प्रणाली का संव्यवहार कर रहे विभिन्न खुले विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से।" (3)

पृष्ठ 5, -

पंक्ति 14 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:

"(XXIX) अनुसंधान और अन्य कार्य जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाए के मुद्रण, प्रत्युत्पादन और प्रकाशन का उपबंध करना।" (4)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15

"(XXIX)" के स्थान पर "(XXX)" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 5, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए :-

"(XXXI) किसी संस्था अथवा उसके सदस्यों अथवा छात्रों को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों, जो समय-समय पर विहित की जायें, के आधार पर किसी प्रयोजन के लिए पूर्णत: अथवा अंशत: मान्यता देना तथा ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(XXXII) ऐसे महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जाएं, को स्थापित करना, उनका रखरखाव करना, उन्हें मान्यता देना अथवा संबद्ध करना;

(XXXIII) भारत में अथवा भारत से बाहर किसी महाविद्यालय को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो कि परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना:

परन्तु यह कि भारत के बाहर किसी भी महाविद्यालय को कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे विशेषाधिकार नहीं दिये जायेंगे।" (6)

ये सब संशोधन सिर्फ एक बात बोलने की खातिर मैं मूव करता हूं। हम बिल तो यूनानिमस्ली, इत्तफाक-ए-राय से मंजूर करेंगे। अभी-अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सैंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइन के ऊपर यह तैयार किया गया है, लेकिन अगर सैंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइन पर तैयार किया गया है तो बिल्कुल उसी तरह से तैयार करो, फिर इधर उधर डिपार्चर कैसे होता है। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइन पर चल रहे हो तो उस लाइन पर चलो। अगर आप एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी का पैटर्न ले रहे हो तो फिर सैंट्रल यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर चलो, जैसे कि इन्दिरा गांधी आपन यूनिवर्सिटी है, अपन सैंटर्स बना सकती है, स्टडी सैंटर्स, रीजनल सैंटर्स, उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि सैंटर बनाते वक्त, स्टडी सैंटर या रीजनल सैंटर बनाते वक्त वह पहले गवर्नमेंट के पास आय, पहले इजाजत ले और इजाजत ले ले तो फिर वह बनाये। यहां पर बेचारी इस उर्दू यूनिवर्सिटी पर इतनी पाबन्दी क्यों कि अगर वह छोटी-मोटी लैबोरेट्री भी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो पहले गवर्नमेंट के पास जाओ ...**(व्यवधान)**

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : यह तो सभी में है।

श्री जी.एम. बनातवाला : नहीं, सब में नहीं है। मेरे पास यहां पर एक्ट मौजूद है। मैं पढ़कर सुना सकता हूं, लेकिन मैं टाइम नहीं लेना चाहता। लेकिन आप वहां जाओ, इजाजत हासिल करो और इजाजत हासिल करने के बाद बनाओ। काश कि यह गवर्नमेंट हमेशा कायम रहे ताकि इतने फ्रेंडली आनरेबल मिनिस्टर, एच. आर. डी. हमें मिल जायें, तब तो हमें कोई फिक्र की बात नहीं होगी, लेकिन कौन जानता है कि कांसप्रेंडली यूनिवर्सिटी होगी या नहीं होगी। सेंटर बनाना है, यह करना है, यहां तक कि इंस्ट्रक्शनल मैटीरियल भी अगर तैयार करने हैं, इंस्ट्रक्शन के मैटीरियल, टीचिंग मैटीरियल, लर्निंग मैटीरियल भी अगर तैयार करने हैं, जरा आप अपनी इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का कानून उठाकर देखो, सेक्शन पांच है और सेक्शन पांच के अन्दर यह मौजूद है कि इंस्ट्रक्शन मैटीरियल वह तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहां हमारे पास दिया गया है कि अगर इंस्ट्रक्शन मैटीरियल भी तैयार करना होगा तो उनके ऊपर यह पाबन्दी होगी कि बगैर सलाह-मशविरे के दूसरों के यह तैयार नहीं किया जा सकता, इसकी क्या जरूरत है? जैसे आपने वहां बनाया था, जैसे सैंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पैटर्न रखते हो, वैसा पैटर्न यहां पर भी रख देते तो हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इन छोटी छोटी बातों पर, आप बहुत फ्रेंडली हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, मैंने तो यह मुबारकबाद देते वक्त कहा कि उर्दू की तारीख में आपका नाम, आपकी गवर्नमेंट का नाम यकीनन सुनहरे अल्फाज के अन्दर लिखा जाएगा और आप कायम भी रहो, लेकिन आगे चलते हुए कोई गवर्नमेंट इतनी फ्रेंडली है, नहीं है, हमें क्या मालूम, सिर्फ इतनी बात है।

सभापति महोदय : बनातवाला जी, इसमें कोई डॉयलाग का तो सवाल नहीं है।

श्री जी.एम. बनातवाला : अब मैं और भी एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, लेकिन मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। एक और बुनियादी बात इनके सामने रख रहा हूं, जिसके ऊपर वे तवज्जह दें।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, मैं अगला विधेयक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विधेयक में भी ऐसा ही प्रावधान है। यह तो एक औपचारिकता है। विजिटर की पूर्वानुमति लेना औपचारिकता है। मेरा यह कहना है कि यह विधेयक किसी केन्द्र अथवा किसी कॉलेज की स्थापना के रास्ते में रूकावट नहीं डालेगा। यदि यह विधेयक इनके रास्ते में कोई रूकावट पैदा करता तो कार्यकारी परिषद निश्चित रूप से इसके लिए कोई नियम बनायगा

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि इस संबंध में जब विस्तृत कानून बनाए जायेंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

सभापति महोदय : श्री सनत मेहता - अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : इन्होंने एक एश्योरेंस तो दिया है। मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा था। हम तो बेचारे जो वायदा-ए-बरदा पर हमेशा टलते रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 2 से 6 सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खण्ड-7 क

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बनातवाला जी क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : वही तो कह रहा हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 5, --

पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

" 7क विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तियों को दी गई या प्रदत्त की गयी उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य विद्या संबंधी विशेष, उपाधियों को केन्द्रीय और, राज्य सरकारों द्वारा उसी रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी जैसा कि किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत निगमित किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त तत्समय उपाधियों, डिप्लोमों और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियों को मान्यता प्रदान की गयी है।" (7)

हम इस एश्योरेंस को ही अपने सीने से लगाएं, इनके वायदों को सीने से लगाए मैं इजाजत चाहता हूं कि इसको मैं वापस लूं।

महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 7 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : अब संशोधन सं. 17 को लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : इन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया है, इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 से 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 11 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 18—विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

सभापति महोदय : अब, संशोधन सं. 15 को लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 8, --

(i) पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:-

"(6) मान्यता बोर्ड;

(7) योजना बोर्ड ; और"

(ii) पंक्ति 29 में, --

"(6)" के स्थान पर "(8)" अंत:स्थापित किया जाए। (15)

इसे मैं एक बार फिर गुजारिश करने के लिए मूव कर रहा हूं, ये कबूल कर लेंगे, इसके लिए कि यह वही क्लाज है, जो हूबहू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सैक्शन '5' का क्लाज '27', जब उस डिस्टेंस यूनिवर्सिटी को यह हक मौजूद है, और उसमें यह लिखा है कि किसी भी महाविद्यालय को इसके विशेषाधिकारों में शामिल करना।"

"किसी भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में शामिल करना"

इसको एडमिट करिए। आप हैदराबाद में ही बैठे हुए हो। हर जगह डिस्टेंस एजुकेशन पहुंच रहा है। जैसे यहां दिल्ली में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वालों को तो आपने यह हक दे दिया, तो यहां देने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बोर्ड आफ रिकोग्नीशन और बोर्ड आफ प्लानिंग हो सकता है। जब मैंने इतने विदड्रा कर लिए तो आप कम से कम यह तो मान लें।

और यह लिखा है, "किसी भी महाविद्यालय को इसके विशेषाधिकारों में शामिल करना"

"किसी भी महाविद्यालय को इसके विशेषाधिकारों में शामिल करना"

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : यह देखा गया है कि योजना बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसका अकादमी परिषद के साथ हमेशा संघर्ष बना रहता है। इससे कार्यकलापों की पुनरावृत्ति भी होगी। अत:, नए विश्वविद्यालय की स्थापना में योजना बोर्ड का प्रावधान नहीं है। फिर भी इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस विश्वविद्यालय को देश के किसी भी हिस्से में कॉलेज अथवा केन्द्र स्थापित करने की सभी शक्तियां होंगी।

अत:, व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार व्यापक कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखेगी। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं तथा उनसे यह भी निवेदन करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : कुछ लंगड़ा-लूला एशोरेंस है, लेकिन उसे कबूल करते हुए मैं वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 15 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-19

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 33 से 39 और

पृष्ठ 9, पंक्ति 1 से 2 स्थान पर निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए:-

"सभा विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय होगी और विश्वविद्यालय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जिनका अन्यथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में उपबंध न किया गया हो और इसे कार्यपरिषद् और विधान परिषद (जहां ऐसी परिषदों ने इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य किया है, वहां के सिवाय) के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।(2)

"इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का अनुपालन करेगी, अर्थात् :-

(क) परिनियम बनाना और इसमें संशोधन करना अथवा इन्हें निरसित करना;

(ख) अध्यादेशों पर विचार करना;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों संबंधी संकल्पों पर विचार करना और पारित करना;

(घ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में कार्य करने हेतु ऐसे व्यक्तियों का निर्वाचन करना और, ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना जैसा कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा विहित किया जाए :-

(ङ) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों को समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(च) ऐसी किसी विषय की बाबत जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए, दिया जाए, कुलाध्यक्ष को सलाह देना; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए गए हों।(3)

इसलिए कोर्ट को कुछ पावर्स देना जरूरी है। इस युनिवर्सिटी को तफ्ज्जात और सेफगार्ड्स देने की जरूरत है इसलिए इसे कबूल कर लें।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : मैंने माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं को पहले ही नोट कर लिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिवाय कोर्ट को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। ...**(व्यवधान)** यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होने से पूर्व स्थापित हो गई थी। मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि इस विश्वविद्यालय की शक्तियों में किसी भी तरह से कटौती नहीं की जायेगी।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं इनके एशोरेंस पर इसे वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा रखे गये संशोधन को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 2 और 3 सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 से 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खंड 23 क और ख

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : सरकार के एशोरेंस की वजह से मैं मूव नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 और 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 और 25 विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जी.एम. बनातवाला : इस खण्ड में मैं कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 और 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 29- वार्षिक रिपोर्ट

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12 पर

पंक्ति 17 में

"कुलाध्यक्ष" के पश्चात

"और सभा" अंत:स्थापित किया जाए।(21)

पृष्ठ 12,

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए :-

"(3) सभा अपनी वार्षिक बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगी और सभा उस पर अपनी टिप्पणियों को कुलाध्यक्ष और कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है।"(22)

[हिन्दी]

एनवल रिपोर्ट और एनवल एकाउन्ट को कोर्ट में भी आना चाहिए और कोर्ट में उस पर बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोर्ट सीनेट के बराबर है और कार्यकारी परिषद सिंडिकेट है। दिन-प्रति-दिन के कार्यकरण और अन्य मामलों का ध्यान कार्यकारी परिषद द्वारा रखा जाता है। कोर्ट, सलाहकारी निकाय के रूप में, परामर्श दे सकता है और यदि आवश्यक हो-अगर आपको विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कोई कठिनाई दिखाई देती है- तो हम कोर्ट की शक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं वापस लेने के लिए इजाजत चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 21 और 22 को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 21 और 22 सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं आपको समान तर्क नहीं दोहराना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 से 36 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री सनत मेहता उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 से 43 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, क्या आप अनुसूची के अंतर्गत अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला : मैं शेड्यूल में कोई अमेंडमेंट पेश नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री एस.आर. बोम्मई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.58 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

(सामान्य) 1996-97

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में राष्ट्रपति को दी जाए :

"5, 14, 17 से 20, 22, 28, 41, 48, 54, 63, 82, 86, और 91"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1996-97 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग		3,12,00,000
	संचार मंत्रालय		
14.	दूरसंचार विभाग	18,98,00,000	
	रक्षा मंत्रालय		
17.	रक्षा सेवाएं - सेना	830,50,00,000	
18.	रक्षा सेवाएं - नौसेना	80,06,00,000	
19.	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	162,24,00,000	
20.	रक्षा आयुध कारखाने	127,00,00,000	
	पर्यावरण और वन मंत्रालय		
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	
	वित्त मंत्रालय		
28.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	885,00,00,000	
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
41.	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
48.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	1,00,000	
	उद्योग मंत्रालय		
54.	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	2,00,000	

1	2	3	
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय			
63.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	34,12,00,000	
शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय			
82.	शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन		1,00,000
कल्याण मंत्रालय			
86.	कल्याण मंत्रालय	1,00,000	
अंतरिक्ष विभाग			
91.	अंतरिक्ष विभाग	150,00,00,000	
	जोड़ राजस्व/पूंजी	2287,97,00,000	3,13,00,000

कर्नल राव राम सिंह (महेन्द्रगढ़) : महोदय, मैं बड़ी निराशा और साथ ही कुछ आशंकाओं के साथ विशेषकर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में तथा देश में सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्तावों में 20 मांगें आती हैं जिनके लिए कुल खर्च 3,000 करोड़ रुपये के ऊपर बनता है। मैं समझता था कि अनुपूरक मांगों में धन सामान्यता किसी आपात स्थिति, किसी अप्रत्याशित परिस्थिति, किसी प्राकृतिक आपदा तथा किसी मानव जनित आपदा के मामले में जारी किया जाता है। लेकिन यहां, मैं देखता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित अधिकांश अनुपूरक मांगें वेतन और भत्तों के बारे में है। यह कुछ आश्चर्यजनक है।

अपराह्न 3.59 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

मैं तो यही समझता हूं कि विभिन्न विभागों के वेतन और भत्तों की गणना सामान्य बजट के समय ही कर लेनी चाहिए थी और मुझे विश्वास है कि किसी भी विभाग ने इसे नजरअंदाज नहीं किया होगा। अतः मैं केवल यही मान सकता हूं कि वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य बजट में इसे कम कर दिया था। शायद गणितीय हिसाब-किताब भी किया गया था और संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सभी वेतनों और भत्तों पर प्रतिशतता कटौती कर ली गई थी।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं समझता हूं, यह अनावश्यक रूप से कार्य बढ़ाता है। यदि संभव हो तो भविष्य इस तरह के कार्य से बचा जाना चाहिए और कम से कम जहां तक वेतन और भत्ते का प्रश्न है, उन्हें सामान्य बजट में ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब कभी पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें अन्तिम तौर पर घोषित की जाएंगी, तब वित्त मंत्रालय अनुदानों हेतु अन्य अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करेगा। इसके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं और लोग पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बात भी कही जा रही है कि सरकार आशंका की स्थिति का सामना कर रही है और शायद सरकार का यह पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को रोके रखने का एक जरिया है। मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर मामला है और मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जितनी जल्दी सम्भव हो, घोषित करें, लोग बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अब मैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक मांगों का उल्लेख करूंगा जिनका माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया है। सबसे पहले मैं मांग संख्या 5 को लेता हूं जो कि रसायन और पैट्रो रसायन विभाग से संबंधित है। यह मांग आई.डी.पी.एल. के लिए बजट में किए गए 20 करोड़ रुपये के प्रावधान से ज्यादा गैर योजना ऋण देने के संबंध में है।

महोदया, मैसर्स आई.डी.पी.एल. गुड़गांव देश का प्रमुख और सर्वाधिक आधुनिक फार्मास्यूटीकल्स संयंत्र है। परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसके कर्मचारियों को लगभग पिछले 3-4 महीनों से वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं हुए हैं। पिछली सरकार के माननीय वित्त मंत्री ने कम्पनी की स्थिति सुधारने हेतु मैसर्स आई.डी.पी.एल. का मामला बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा था, और बी.आई.एफ. आर. इस मामले पर विचार कर रही है। डा. मनमोहन सिंह जी ने लिखा था कि आई.डी.पी.एल. में इन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते किन्हीं भी परिस्थितियों में रोके नहीं जाने चाहिए। मैसर्स आई.डी.पी.एल. को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि वर्तमान वित्त मंत्री ने उक्त धनराशि

को स्वीकृति नहीं दी। वहां सैकड़ों कर्मचारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। संयोगवश यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। तथ्य यह है कि वे लोग बड़े कष्ट में हैं।

महोदया, मैसर्स आई.डी.पी.एल. के पास लगभग 100 एकड़ अत्यधिक मूल्यवान भूमि है और यहां उत्तम किस्म की औषधियों का उत्पादन होता है। यह अफवाह है कि इस क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस कम्पनी के बेहतर उत्पादन के प्रति चिन्तित हैं। यह भी अफवाह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इशारे पर कुछ अफसरशाह इस कम्पनी को बंद किए जाने में गहरी रूचि ले रहे हैं और इस कम्पनी के कर्मचारी भारी मुसीबत में हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं और आशा करता हूं कि जब उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री ने आई.डी.पी.एल. गुडगांव के लिए, मेरा ख्याल है, 18 करोड़ रुपये मंजूर करने की सिफारिश की थी, तो फिर अनुदानों की इस अनुपूरक मांग में—यहां आई.डी.पी.एल. के लिए गैर योजना ऋण का उल्लेख किया गया है—मैसर्स आई.डी.पी.एल. को भी सम्मिलित किया जाएगा।

यदि आई.डी.पी.एल. गुडगांव को बंद किया जाता है या उसे कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपा जाता है, तो यह बहुत बड़ी त्रासदी होगी। यह औषधि और भेषज का निर्माण करने वाला देश का सर्वाधिक आधुनिक संयंत्र है।

अब मैं मांग संख्या 22 पर आता हूं, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित है। भारत में 330 मिलियन हैक्टेयर भूमि है, जिसमें से 130 मिलियन हैक्टेयर भूमि को बंजर भूमि घोषित किया गया है, अर्थात देश के कुल क्षेत्र का एक तिहाई से अधिक क्षेत्र अनुत्पादक है, वन क्षेत्र बड़ी तेजी से घट रहा हैं और यदि इसी गति स वन घटते रहे तो शायद थार मरूस्थल दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक फैल जायेगा और महोदया यह बड़ी तेजी से आपके राज्य तक भी अपना विस्तार करेगा।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : थार पश्चिमी बंगाल राज्य तक नहीं फैलेगा।

कर्नल राव राम सिंह : ठीक है, जिस दर से वन क्षेत्र घट रहे हैं, यह दिल्ली तक निश्चित रूप से विस्तार करेगा। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री जी इस बात को मजाक के रूप में लेकर उपेक्षा दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री जी मैं इस विषय को देखता रहा हूं और आप इसे जिस तरह एक मजाक के रूप में ले रहे हैं उससे केवल तेजी से घट रहे वनों के बारे में आपकी गहरी उपेक्षा का इसमें कोई शक नहीं कि 330 मिलियन हैक्टेयर में से 113 मिलियन हैक्टयर भूमि को बंजर घोषित किया गया है। वर्तमान में, जिस दर से वन घट रहे हैं, जिस दर से वन्य जीवन खत्म किया जा रहा है, मैं महससू करता हूं कि यदि इसके प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है या पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है तो हम बहुत गंभीर मुसीबत में होंगे।

जहां तक वनरोपण के प्रयोजन हेतु विश्व बैंक से आने वाले धन की निगरानी का संबंध है, मैं कहूंगा कि उसका पचास प्रतिशत का दुरूपयोग होता है। इसके लिए कोई समुचित निगरानी प्रणाली नहीं है। इन परियोजनाओं पर हम जो भी धनराशि खर्च करते हैं, उसकी बहुत बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसके लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं है और मेरा सुझाव है कि पर्यावरण और वन विभाग निगरानी के इस प्रश्न पर विचार करे।

इस परियोजनाओं के लिए जो धन जारी किया जा रहा है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इन पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जहां तक वन्य जीव अभ्यारणों का संबंध है, इनमें परिवहन सुविधाएं या तो उपलब्ध ही नहीं हैं अथवा फिर इनमें परिवहन की बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन अभ्यारणों में नवीनतम हथियारों से लैस शिकारियों का मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं हैं। हाथी दांत, बाघ की खाल और हड्डी और गेंडें के सींगों की कीमत अत्यधिक है। यह बहुत ही लाभप्रद व्यापार है। ये शिकारी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं जबकि वन रक्षक उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। अतः मैं यही कहूंगा कि यदि हम इस विरासत को अपनी आने वाली पीढी के लिए बचाकर रखना चाहते हैं, तो हमें इन वन्य जीव अभ्यारणों में परिवहन, संचार, हथियार और उपस्करों की और बेहतर निगरानी की व्यवस्था करनी होगी।

अब मै मांग संख्या 79 का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं केवल कुछ ही मांगों का यहां उल्लेख करना चाहूंगा जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बदतर हैं। इसके परिणामस्वरूप डीजल और अन्य ईधनों पर अधिक धन व्यय करना पड़ता है। राष्ट्रपति कैनेडी ने एक बार कहा था "अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए नहीं है कि अमेरिका धनवान हैं बल्कि अमेरिका इसीलिए धनवान है कि यहां की सड़कें अच्छी हैं।" सड़कें बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और यदि कोई देश समृद्ध बनना चाहता है, तो यहां पर अच्छी सड़कों का होना आवश्यक है। फिलहाल मुझ यह बात पुनः कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे यहां सड़कों पर निगरानी कम ही रखी जाती है। मुझे यह पता है कि हम राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर भारी धनराशि खर्च कर रहे हैं किन्तु इनकी देखभाल बहुत कम की जाती है। इस मानसून के मौसम में बनाई गई सड़क अगले मानसून से पहले ही टूट जाती है क्योंकि पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था और इनकी पर्याप्त देखभाल नहीं की जाती है।

महोदया, अब मैं रक्षा मंत्रालय के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : कृपया समान रैंक—समान पेंशन का भी जिक्र करें।

कर्नल राव राम सिंह : जब भूतपूर्व सैनिकों की बात आती है तो निसंदेह ही समान रैंक-समान पेंशन की बात भी महत्वपूर्ण है। पहले मुझे सुरक्षा के पहलू पर कुछ कहना है।

महोदया, सुरक्षा का मुद्दा देश के उन महत्वपूर्ण विषयों में सबसे गम्भीर विषय है जिनका हमने गत पचास वर्षों में सामना किया है। सरकार इस संबंध में उदासीन है। सभी का यही कहना है कि हमारी सेना और वायुसेना सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि हम बिल्कुल सुरक्षित है। किन्तु मुझे अंदरूनी बातों की जानकारी है। सशस्त्र बलों का मनोबल तेजी से गिर रहा है। गत छः वर्षों से देश के सुरक्षा पहलू पर संसद में कोई गम्भीर वाद-विवाद नहीं हो सका है।

श्री के.पी. सिंह देव : गम्भीर वाद-विवाद की बात ही छोड़ दीजिए, बल्कि गत दो वर्षों से तो इस विषय पर कोई ही वाद-विवाद हुआ हो नहीं है।

कर्नल राव राम सिंह : देश के समक्ष सुरक्षा संबंधी जो मुद्दा है उस पर निकट भविष्य में संसद में गम्भीर वाद विवाद कराया जाना चाहिए। हम अपने विकल्प खुले रखने की बात करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इस विकल्प पर कार्यवाही कब की जाएगी? क्या इस दिशा में कार्यवाही तब की जाएगी जब दुश्मन अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा और हमारे उपर युद्ध थोप दिया जाएगा? सेना की इस समय जो तैयारी है वह 1962 की तैयारी से भी बदतर है। सन 1962 में भारतीय सेना को जो झटका लगा था वह सेना की तैयारी की कमी और तत्कालीन राजनीतिज्ञों को सुरक्षा पहलू की अपर्याप्त जानकारी के कारण ऐसा हुआ था। और आज भी बिल्कुल वही स्थिति पैदा हो रही है। उच्च स्तर पर कोई भी समेकित रक्षा संगठन नहीं है। विश्व के प्रजातांत्रिक देश में सेना मुख्यालय-सेना, वायुसेना और नौसेना-रक्षा मंत्रालय के अभिन्न अंग होते हैं। किन्तु हमारे देश में तीनों सेनाओं के मुख्यालय रक्षा मंत्रालय से पूरी तरह से अलग हैं। इस बात में कोई शंका नहीं है कि सेनाओं के प्रमुख जब चाहें रक्षा मंत्री से मिल सकते हैं किन्तु सेना प्रमुखों द्वारा जो भी प्रस्ताव रखा जाता है वह सबसे पहले रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव के पास जाएगा। एक अवर सचिव उस सेना प्रमुख की सिफारिश पर अपनी टिप्पणी देता है जिसके पास राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यह सिफारिश रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव के पास जाती है जो इस पर दो अथवा तीन महीने तक कार्यवाही रोके रख सकता है। जब यह सुझाव वित्त मंत्री के पास पहुंचता है तब तक यह पुराना हो चुका होता है और बहुत देर हो चुकी होती है। सन 1962 में जो झटका लगा था उसका एक प्रमुख कारण यही था और यही स्थिति दोबारा से पैदा होने जा रही है। आज हमारे सामने यही स्थिति है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मात्र श्री अरूण सिंह ही ऐसे रक्षा मंत्री रहे हैं जिन्हें रक्षा मामलों की कुछ जानकारी थी। श्री अरूण सिंह द्वारा पेश की गई रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुमूल्य और सुविचारित रिपोर्ट थी।

किन्तु मेरे विचार से जब से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तभी से किसी अलमारी में धूल चाट रही है। इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। श्री के.पी. सिंह देव ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। किन्तु मुझे नहीं लगता कि श्री के.पी. सिंह देव की रिपोर्ट की एक भी सिफारिश कार्यान्वित की गई है।

श्री राजेश पायलट : कुछ सिफारिशें तो स्वीकार कर ली गई थीं।

कर्नल राव राम सिंह : मेरे विचार से वर्ष 1992 में भूतपूर्व सैनिकों की काफी समय से लम्बित मांग जिसका श्री राजेश पायलट ने अभी जिक्र किया है, पर विचार किया गया था और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री शरद पवार ने इसे अपना पूरा समर्थन दिया था। नौकरशाही ने इसका फिर जोरदार विरोध किया। किन्तु तत्कालीन कैबिनेट सचिव ने जिनका मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसे अस्वीकार कर दिया। मेरे विचार से मेरे मित्र श्री राजेश पायलट उस बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने कहा था कि यह बैठक उद्देश्यहीन थी और यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। केवल श्री शरद पवार ने ही, जिन्हें मैं बधाई भी देना चाहूंगा, इस बात पर जोर दिया था कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी और यह समिति अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। यद्यपि उन्होंने इसे समान रैंक-समान पेंशन का नाम तो नहीं दिया किन्तु एकमुश्त वृद्धि जरूर की गई थी। जिससे सैन्य बलों के उन कार्मिकों को बहुत राहत मिली थी जो कि 1971 से पहले सेवानिवृत गए हुए थे। मेरे विचार से उनको पेंशन 1971 के बाद सेवानिवृत हुए समान रैंक के लोगों को मिल रही पेंशन का लगभग एक-तिहाई है। मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि इस निर्णय से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो लोग 1965 अथवा 1970 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे वे अब 70 और 80 वर्ष की आयु में पहुंच चुके हैं। इसलिए उनके अंतिम समय में मिलने वाली राहत से उन्हें बहुत लाभ पहुंचेगा। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि नौकरशाही ने इस मामले में टांग अड़ाई है और राजनीतिज्ञ भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों को कोई राहत नहीं पहुचाई जा रही हैं। यह बहुत शर्म की बात है।

महोदय, यही बात श्री वी.पी.सिंह के प्रस्ताव पर भी लागू होती है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का सुझाव दिया था। उनकी सरकार गिर गई और इसी के साथ उनका प्रस्ताव भी समाप्त हो गया। नौकरशाही समेकित सेना मुख्यालय के गठन में फिर से रोड़ा अटका रही है क्योंकि आजकल रक्षा मंत्रालय के सभी आफिसर नौकरशाही के हाथ में है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना प्रमुखों की है। वे देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं किन्तु निर्णय नौकरशाही तथा साऊथ में बैठे बाबुओं द्वारा लिए जाते हैं और साऊथ ब्लाक में बैठे नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम लाचार सैनिकों को सुनने पड़ते हैं।

महोदया, यद्यपि यह मामला अनुपूरक मांगों से संबंधित तो नहीं है किन्तु यह लम्बे अर्से से लम्बित मांग है। इंदिरा गांधी ने यह बात स्वीकार की थी कि राज्य सभा में एक भूतपूर्व सैनिक मनोनीत किया जाएगा। मेरे विचार से उन्होंने एयर मार्शल कपूर को राज्य सभा में मनोनीत किया था किन्तु बाद में वे दिल्ली के उप राज्यपाल बन गए तथा यह परम्परा भी इसी के साथ समाप्त हो गई।

जहां तक देश में हथियार प्रणाली का संबंध है, इस मामले में स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। पैदल सेना के पास एस एल आर है जो बहुत पुरानी पड़ चुकी है। भारत में उग्रवादियों के पास भी ए.के. रेंज के हथियार हैं जो एस एल आर से उत्कृष्ट हैं। पैदल सेना को 5.56 एम एम की राइफलों से लैस करने का प्रस्ताव लम्बित पड़ा हुआ है किन्तु मेरे विचार से जब तक नौकरशाही इस बारे में निर्णय लेगा, तब तक 5.56 एम एम हथियार भी पुराने पड़ जाएंगे। मेरा विचार है कि 5.56 एम.एम. राइफल एस.एल. आर. से, जो संभवतः अगले पांच वर्षों में सेना को दी जायेगी, बेहतर है। जब तक यह राइफल सेना को दी जायेगी, तब तक यह संसार की अन्य सेनाओं की तुलना में पुरानी हो चुकी होगी और इस संबंध में हम पुनः भारी घाटे में रहेंगे।

जहां तक भारी उपकरण का सम्बन्ध है, हमने सुना है कि मुख्य लड़ाकू टैंक, अर्जुन के क्षेत्रीय परीक्षण कर लिये गये हैं। एक बार फिर जब तक अर्जुन सीमा पर सेवा के लिये जायेगा, तब तक वह पुराना हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसलिये कोई नहीं जानता कि अर्जुन के सम्बन्ध में क्या हो रहा है।

अब मैं अग्नि तथा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों पर आता हूं। मेरे विचार से सरकार या तो अमरीकी दबाव या अन्य किसी बाहरी दबाव की आशंका से इन प्रक्षेपास्त्रों को विकसित नहीं कर रही है। मैं अपने वैज्ञानिकों को इन बेहतरीन अग्नि तथा पृथ्वी प्रेक्षपास्त्रों के विकास हेतु बधाई देता हूं। इन प्रक्षेपास्त्रों को सीमा पर सेवा के लिये जारी नहीं किया गया है। उन्हें अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं दी गई है? उन्हें कौन रोके हुये हैं?

सेना में अधिकारियों की भारी कमी है। मेरे विचार में, सेना में अधिकारियों के लगभग 40,000 पद हैं। कैप्टेन तथा मेजर श्रेणी में आज लगभग 13,000 अधिकारियों की कमी है। ये ही वे अधिकारी हैं, जो युद्ध में विजय दिलाते हैं। मैं यह जानता हूं, क्योंकि मैंने चार युद्धों में भाग लिया है। 1965 के युद्ध में, जब मेरी बटालियन ने इच्चोगिल केनाल पर हमला किया तो 2 या 3 वर्ष के सेवाकाल वाले एक कनिष्ठ कैप्टेन ने इस हमले का नेतृत्व किया था और भारी तोपों की बौछार के सामने पाकिस्तान को मात दी थी। आज ऐसे अधिकारियों की कमी है।

इसके अलावा, मैं यह भी जानता हूं, कि जैसे ही पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आयेगी तो इनमें से कम से कम 5,000 और अधिकारी गोल्डन हैंडशेक विकल्प चुनकर सेना छोड़ देंगे। सेना में 50 प्रतिशत अधिकारियों की कमी हो जायेगी। ऐसा क्यों? ऐसा सेना में अधिकारियों के लिए प्रस्तावित शर्तों एवं नियमों की वजह से है। एक समय ऐसा था जब सेना में कैरियर को सबसे उच्च माना जाता था। पहले वैवाहिक विज्ञापनों की शुरूआत, "सेना अधिकारी चाहियें" से होती थी। अब विज्ञापन में कहा जाता है, "सेना अधिकारी पत्राचार न करें।" अब सेना अधिकारियों का दर्जा निम्नतम है। जहां तक सेना अधिकारियों के पदों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, सेना अधिकारियों के पदों की प्रतिष्ठा को इस हद तक कम कर दिया गया है, कि एक मेजर, जो युद्ध में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालता है, को एक अवर-सचिव से भी नीचे माना जाता है, जिसका कार्य कार्यालय में बैठकर केवल फाइलें देखना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जिससे सेना में भर्ती प्रभावित हो रही है। यहां तक कि जवान, जो शारीरिक रूप से चुस्त दुरूस्त हैं वे भी सेना में भर्ती के लिये आगे नहीं आ रहे हैं। केवल गरीब लोग ही, सेना में भर्ती होते हैं ताकि वे भूख से बच सकें। इसलिये जहां तक सेना का सम्बन्ध है, यह परिदृष्य बहुत ही गम्भीर मुद्दा है जिस पर सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

जहां तक वायु-सेना का सम्बन्ध है, बड़ी संख्या में वायु दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। इनके कारणों के बारे में मेरे विचार से, मेरे मित्र श्री राजेश पायलट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। किन्तु मेरे विचार में इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान हैं। हम पिछले कई वर्षों से उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन्हें क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हमारे पास बेहतरीन पायलट हैं। वे पूरे विश्व में बेहतर पायलट हैं। किन्तु आप धीमी गति वाले विमान चालक को जेट पर भेज देते हैं। पहली ही उड़ान पर जेट कहीं न कहीं दुर्घटना ग्रस्त हो जाएगा। इससे हम न केवल एक बहुमूल्य विमान ही खोते हैं बल्कि उससे भी अधिक मूल्यवान पायलट भी खोते हैं।

ऐसा क्यों हैं? क्योंकि सरकार अभी तक एक अच्छा उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान प्राप्त नहीं कर सकी है अथवा इसके लिए धनराशि जारी नहीं की जाती है। मैं नहीं जानता कि मामला क्या है।

मैं, रक्षा मंत्री को सुकोई सौदे को अन्तिम रूप देने के लिये बधाई देता हूं। मेरे विचार में, यह भी काफी समय से लम्बित था। हमें, आज सुबह ही सलाहकार समिति की बैठक में यह बताया गया था कि रूस को 500/- करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में दिये गये हैं और अभी तक एक भी विमान नहीं दिया गया है। इनकी पहली खेप 31 मार्च के बाद प्राप्त होने की आशा है।

मेरा विचार है और मुझे निष्पक्ष रूप से कहना चाहिये कि पिछले रक्षा सौदों में बरती गई पारदर्शिता या पारदर्शिता की कमी की तुलना में इसमें काफी हद तक पारदर्शिता बरती गई है। माननीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि 500 करोड़ रुपये की यह राशि अग्रिम के रूप में न दी जाती तो रूस इस विमान की कीमत बढ़ा सकता था। 500 करोड़ रुपये के भुगतान के कारण इस सौदे में एक शर्त रखी गई है कि यह विमान हमारे मित्र या किसी अन्य पड़ौसी देश को नहीं दिया जायेगा। और रूस के साथ हमारे मित्रवत् संबंधों के कारण 500 करोड़ रुपये का अग्रिम देना उचित समझा गया। यह सभा को देखना है कि ये तीनों कारण उचित हैं या नहीं।

महोदया, पहले अमरीका तथा रूस हिन्द महासागर में सक्रिय थे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हिन्द महासागर में शून्यता पैदा हो गई

थी। शून्यता का पैदा होना प्रकृति के नियम के विरूद्ध है। इस शून्यता को भरना होगा, चाहे इसे भारत भरे या कोई अन्य देश। अमरीका ने कहा है कि एक अन्य बेड़ा जिसे कि पांचवां बेड़ा कहा जाएगा- हमें विख्यात सातवें बेड़े की जानकारी है- आएगा और हिन्द महासागर में पैदा हुई इस शून्यता को भरेगा। इससे पहले कि ऐसा हो हमारे पास दो बेड़े हैं-पश्चिमी नौ सैनिक बेड़ा तथा पूर्वी नौसैनिक बेड़ा। तीसरे दक्षिणी नौ सैनिक बेड़ा खड़ा करने हेतु हमारे पास बहुत मजबूत आधार है जो हिन्द महासागर में इस शून्यता को भर सकता है तथा हमारी नौ सेना को 'ब्ल्यू वाटर नेवी कान्सेप्ट दे सकता है। जिसके बारे में हम पिछले कई वर्षों से बात कर रहे हैं किन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है।

मैं एक बार पुनः इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा परिदृश्य वास्तव में चिन्ताजनक है तथा हम 1962 में हुए विध्वंस की तुलना में कहीं बुरी स्थिति में हैं, जब तक कि सरकार कमियों पर गम्भीरता से विचार न करे तथा इस बारे में कुछ करे।

मैं जानता हूं कि संभवतः सरकार धन की भारी कमी का सामना कर रही है। अक्सर सरकारी खर्चे में कटौती की बात की जाती है, किन्तु सरकारी खर्च में कटौती के सम्बन्ध में कोई वास्तविक कार्यवाही नहीं की जाती है। नौकरशाह अपना स्टाफ बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रशासनिक तन्त्र बहुत भारी है और मुझे यह बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या 40 लाख है जो दफ्तरों में बैठे हैं। यदि इनकी संख्या घटाकर आधी कर दी जाये तो हमारी कार्य दक्षता इससे कहीं अधिक होगी। इससे यहां कागज तथा समय की भारी बचत होगी। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं नहीं सोचता कि सरकार में इतनी हिम्मत है कि वह यह कदम उठाये तथा इस नौकरशाही, सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा खर्च में कमी कर सके।

महोदया, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली कारों पर पेट्रोल पर भारी खर्च किया जाता है। मैं अपने मंत्री काल के अनुभव से—मैं नहीं सोचता कि ऐसा करने के लिये मेरे पास समय है—आपको बता सकता हूं कि पेट्रोल पर व्यर्थ में भारी खर्च किया जा रहा है।

महोदया, इन टिप्पणियों के साथ मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं रखे गये प्रस्तावों को समर्थन देने में रक्षा बजट हेतु 12000 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जो साधारण बजट से कुछ बेहतर है, किन्तु यह रक्षा मंत्रालय तथा सैन्य-बलों की आवश्यकताओं की तुलना में बहुत ही कम है। स्थिति बहुत गंभीर है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रश्न पर रक्षा मंत्री के साथ गंभीरता से विचार करें और इस संबंध में कोई उपयुक्त कदम उठायें।

सभापति महोदय : अब शाम के 4.30 बजे हैं। अब हमें नियम 193 के अन्तर्गत विदेश नीति पर चर्चा करनी है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं जानना चाहूंगा कि क्या विदेश नीति पर चर्चा के बाद मुझे वापिस आना चाहिये या अनुदान की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा कल की जायेगी।

सभापति महोदय : अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नियम 193 के अन्तर्गत एक अन्य चर्चा पूरी करनी है।

श्री पी. चिदम्बरम : विदेश नीति पर चर्चा के लिये कितना समय दिया गया है?

सभापति महोदय : इसमें ज्यादा समय नहीं लिया जाना चाहिये, बल्कि इसके अलावा नियम 193 के अन्तर्गत एक और चर्चा करनी है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मुझे राज्य सभा जाना है।

सभापति महोदय : आप राज्य सभा जा सकते हैं और फिर हम आपको सूचित भी करेंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) **:** महोदया, क्या यह चर्चा कल की जायेगी? ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह सब समय पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदया, आप समय के बारे में हम से बेहतर जानती हैं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें आज 10 बजे तक बैठना है, जो हम सभी जानते हैं।

अपराह्न 4.32 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत की विदेश नीति

सभापति महोदय : अब हम भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ और चर्चा करेंगे।

श्री सुरेश प्रभु बोल रहे थे। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपनी बात जारी रखें।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) **:** महोदया, मैं अपनी ओर से इस महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात विदेश नीति पर वाद विवाद शुरू करने के लिय जरूर बधाई देना चाहूंगा। इस मुद्दे पर सभा में वाद-विवाद बहुत समय बाद किया गया है तथा जब से मैं इस सभा में आया हूं, तब से पहली बार इस पर वाद-विवाद हो रहा है।

महोदय मैं समझता हूं कि भारत की विदेश नीति से संबंधित इस मुद्दे पर चर्चा करना उचित है तथा यह [illegible] अति समयानुसार की जा रहा है क्योंकि हाल ही में सुरक्षा परिषद में सीट के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चुनाव में हमें जापान से हार का सामना करना पड़ा है। भारत इससे पहले सुरक्षा परिषद का सदस्य था। जब हम यह चुनाव हारे, तो उसका स्पष्टीकरण यह दिया गया था कि भारत आर्थिक रूप से अपने से अधिक सक्षम देश के आगे हारा है। हमने यह तर्क एक चुनाव हारने के लिये दिया।

जब हम विदेश नीति पर आते हैं, तो हम सदैव विभिन्न मूल्यों, प्रभावपूर्ण मूल्यों के बारे में बात करते हैं, तथा किसी के लिये भी उनसे समझौता करने का प्रयत्न सचमुच बहुत मुश्किल है। यह एक वास्तविकता है, कि भारत जापान जैसे देश से आर्थिक रूप से हीन (पिछड़ा) है। साथ ही हम इन मुद्दों पर इस तरह बात करते हैं कि मूल्यों की दृष्टि से हम एक अच्छा देश हैं तथा हम अपनी विदेश नीति के संबंध में अपने मूल्यों की दुहाई देते रहते हैं, कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं।

अपराह्न 4.33 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

महोदय, हाल ही में हमें एक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत को आमन्त्रित भी नहीं किया गया था। जब यूरोपीय संघ की एक बैठक थी जिसमें एशिया के कुछ देश शामिल थे, भारत शामिल नहीं था। जब 'आसियान' (ए.एस.ई.एन.) तथा यूरोपीय संघ पहली बार इकट्ठे मिले, तो भारत को आमन्त्रित भी नहीं किया गया। इसलिये इन दो मुद्दों को ध्यान में रखते हुये, मैं समझता हूं कि हमारी विदेश नीति पर वाद-विवाद के लिये यह सबसे उचित समय है।

यह हमेशा दिखाई देता है—जिससे हमारी विदेश नीति को वास्तव में प्रेरणा मिलती है- तथा हम हमेशा दावा करते हैं कि हमारी विदेश नीति में निरन्तरता है। यदि हम दिलासा लेने जा रहे हैं तथा यदि हम आराम से यह कहते हुये अपनी पीठ थपथपाने जा रहे हैं कि केवल हमारी विदेश नीति में निरन्तरता है तथा हम किसी मुद्दे को नहीं देखेंगे, तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे—कि हमारी विदेश नीति की दिशा क्या हो,—के साथ न्याय नहीं कर रहे।

महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी देश की विदेश नीति, उसके अपने स्व-हित से प्रेरित हो।

तब हम वास्तव में अपने हित के बारे में बात करते हैं। आज भारत विश्वभर में धन की भीख मांग रहा है। वे विश्व-व्यापीकरण की बात करते हैं, किन्तु हम कहते हैं कि कोई भी देश, जो ऋण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या अन्य किसी रूप में सहायता प्रदान कर सकता है, वह सादर आमन्त्रित है, क्योंकि यही अब भारत की सबसे मुख्य प्राथमिकता है। यह समस्या भी जा समझा है, क्योंकि भारत जैसे देश, जिसमें पूंजी की कमी है, को अपने घरेलू निवेशों की प्रतिपूर्ति के लिये विदेशी निवेश पर निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु यदि यह आज हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, यदि हमारी विदेश नीति इस उद्देश्य की पूर्ति करती है, जिस पर किसी को भी ध्यान देना चाहिये तो मैं यह समझ पा सकने में सचमुच असमर्थ हूं कि क्या हम सचमुच इस पहलू पर ध्यान दे रहे हैं।

महोदय, जैसा मैंने कहा, हम हमेशा अपनी विदेश नीति में निरन्तरता की बात करते हैं तथा हम अपने आप को यह कहकर सन्तुष्ट रखते हैं कि हम उस नीति का पालन कर रहे हैं जो 40 साल पहले भी थी, 30 साल पहले भी थी तथा इस तथ्य के बावजूद कि सरकारें बदली, किन्तु विदेश नीति नहीं बदली। यदि हम उस परिदृश्य पर ध्यान दें, तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न है कि-क्या हमारी निरन्तरता ने भारत की मदद की? यदि हां, तो किन क्षेत्रों में? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं विदेश मंत्री से जानना चाहूंगा, क्योंकि हम चीन से संबंध बनाए रखने की नीति को कायम रखे हुये हैं जिससे न तो कोई सुधार हुआ है, और न गिरावट आई है, किन्तु हम केवल उन संबंधों में एक तरह की निरन्तरता कायम रखे हुये हैं।

चीन ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की हैं। उसने पिछले आठ वर्षों में अपना सकल घरेलू उत्पाद दुगुना कर दिया हैं। अगले आठ वर्षों में इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है; जब चीन का सकल घरेलू उत्पाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी अधिक हो जायेगा। चीन जैसा देश वास्तव में विदेशी निवेश को भारी मात्रा में आकर्षित कर रहा है; चीन जैसा देश विश्व व्यापार संघ का सदस्य भी नहीं है; चीन जैसा देश अपनी उस नीति के लिए उस पर लादे जा रहे सुपर 301 के बारे में भी परवाह नहीं करता, जिसके लिए वह प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर, हम भारत दो देशों के मध्य संयुक्त उद्देश्य के रूप में **पंचशील** का दावा करने वाले, चीन जो पा सका है, उसका 10 प्रतिशत भी आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। यदि निरन्तरता का अर्थ यह है कि हमारे चीन के साथ कोई और मतभेद नहीं है, तो क्या हम वास्तव में चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या इस बात की ओर कोई वास्तव में ध्यान देगा?

मैं जानता हूं कि अब चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। हाल ही में, चीन के बहुत उच्च शक्ति प्राप्त शिष्ट मंडल ने भारत का दौरा किया था। किन्तु मैं सोचता हूं कि इस तरह के संबंधों के अलावा वास्तव में इस तरह की कोई चीज है। हमें संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि कल तथा आज भी, हमने विश्व व्यापार संघ के बारे में वाद-विवाद किया। हम विश्व व्यापार संघ पर ऐसे समय बातचीत कर रहे हैं, जब हम यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूंजीगत माल का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध आवागमन होना चाहिये तथा इस पर कम-से-कम पाबन्दी होनी चाहिये। किन्तु साथ ही, जब हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के

व्यापार ब्लाक स्थापित कर रहे हैं। वहां 'नाफ्ता' (एन ए एफ सी ए) है। वहां एक आसियान (ए एस ई ए एस) है। वहां एक यूरोपीय संघ है किन्तु भारत में व्यापार ब्लाक है। यह कम से कम व्यापार रूकावट नहीं है। यह सार्क का क्षेत्रीय सदभाव है, जिसके कारण भारत का सकल घरेलू उत्पाद संभवतः सार्क के अन्य सदस्यों से ज्यादा है। यदि हम चीन जैसे देश के साथ संयुक्त बाजार बनाने के उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए किसी प्रकार का समझौता कर सकें तो संभवतः वह हमारे लिये वास्तव में सहायक सिद्ध होगी। मेरे विचार में हमारी विदेश नीति में इस आर्थिक वास्तविकता के साथ साथ इस बात को भी ताकि हमारा देश इसकी ओर किस प्रकार आगे बढ़ सकता है।

चूंकि हम निरंतरता के बारे में बात कर रहे हैं, एक समय था जब हमें 'आशियान' से पूर्णकालिक सदस्यता का आमंत्रण मिला था। उस समय, कुछ स्पष्ट कारणों से भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। अब हम उसका वार्ता सदस्य बनने के लिए भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे विचार से यह निरंतरता का ही फल है। मुझे नहीं पता कि हमें वास्तव में इससे क्या लाभ हुआ है।

महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत को न केवल विदेशी मामलों और आर्थिक मामलों के लिए एक व्यापक नीति की आवश्यकता है बल्कि हमारे राष्ट्रीय हित के संवर्द्धन हेतु भी एक सामान्य राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार करना आवश्यक है। विदेश नीति उसका एक अंग होगी। इसके लिए हमें 15-20 वर्षीय एक योजना तैयार करनी चाहिए जिसमें हमारी सारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का उल्लेख हो और उन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में विदेश नीति भी एक अवयव होगी। मेरे विचार से हमें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई नीति होती है तो वास्तव में, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नीति के रूप में इस नीति पर देश ने चर्चा की है। तब हम यह दावा कर सकते हैं कि देश में सभी प्रकार के विचारों की इसमें सम्मति है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

प्रारम्भ में, मैं सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि भारत को एक और विदेश नीति बनाने पर विचार करना चाहिए। भारत विदेश नीतियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की पहचान करने में असफल रहा है, अतः उसे गुट-निरपेक्षता को और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। परंतु मैं उनसे सहमत नहीं हूं और इस बात को स्वीकार नहीं करता कि भारत की अपनी कोई विदेश नीति नहीं है। भारत की अपनी एक विदेश नीति है और उसके प्रमुख अवयव भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हैं। ये अवयव इस प्रकार हैं :-

(क) साम्राज्यवाद का विरोध;

(ख) गुट-निरपेक्षता;

(ग) विश्व शांति और सह-समृद्धि;

(घ) सभी के लिए समानता, न्याय, प्रजातंत्र, समान और आपसी सुरक्षा तथा समृद्धि पर आधारित नई विश्व व्यवस्था;

(ङ) आधिपत्यवाद का सैद्धांतिक विरोध; और

(च) शीत-युद्धोत्तर युग में एक ध्रुवीय विश्व का विरोध।

मेरे अनुसार, भारत की विदेश नीति के ये मुख्य अवयव हैं और इस विदेश नीति को हमारे देश में लंबे समय तक चले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तैयार किया गया था। अतः इसका श्रेय किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष को, चाहे वह कितना भी महान हो या सदन के इस पक्ष या उस पक्ष के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार को नहीं दिया जा सकता है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर है और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, वही लोग आजादी की इस लंबी लड़ाई और उसके परिणाम को, जोकि हमारी विदेश नीति है, कम आंक सकते हैं। हम यह महसूस करते हैं और मैं स्वयं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि यह हमारी धरोहर हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए तथा हमें इसे पूरे दृढ़ निश्चय तथा दृढ़संकल्प के साथ संभाल कर रखना चाहिए।

अगर विदेश नीति के यही अवयव हैं तो मुझे वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों की विदेश नीति का इस आधार पर परीक्षण करना होगा कि किस सीमा तक इन मानदण्डों इन अवयवों का अनुसरण किया जा रहा है।

जहां तक इस सरकार का संबंध है, मैं इस छोटी सी अवधि में सफलताओं के कुछ पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। इसका एक उदाहरण व्यापक परमाणु परीक्षण-प्रतिबन्ध सन्धि के मुद्दे पर सरकार का दृढ़ संकल्प है।

सरकार यह न्यायोचित दावा कर सकती है कि उसने घुटने नहीं टेके। जब हमारे राष्ट्र के हित की सुरक्षा करने और संभालने की आवश्यकता आती है तो हमारी सरकार के पास एक स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति और दृष्टि है।

यह सरकार अन्य पहलुओं के संबंध में भी सफलता का दावा कर सकती है। इन पहलुओं के संबंध में, मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में हरारे में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे विचार से यह उन पुराने गौरवपूर्ण दिनों को दोहराता है जब भारत ने हरारे में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करते हुए एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाया था तथा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप और पश्चिमी विश्व की नव-उपनिवेशवादी नीतियों के विरूद्ध लड़ने के अपने दृढ़-संकल्प को व्यक्त किया था। यह हमारी विदेश नीति के उद्धरणों में एक गौरवपूर्ण अध्याय है।

परंतु महोदय, सिंगापुर में हमें पीछे हटना पड़ा था। यह मेरे लिए दुःखदायी है। यह प्रत्येक देशभक्त के लिए दुःखदायी है। यह उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुःखदायी है जो सचमुच यह चाहता है कि भारत सरकार नव-उपनिवेशवाद; साम्राज्यवाद के दबाव के विरूद्ध कृतसंकल्प रहे और गुट निरपेक्षता की भावना तथा तीसरे विश्व के सभी विकासशील देशों के एक जुट होकर कार्य करने की भावना की रक्षा करे। मेरे लिए यह दुःख की बात है। मेरे विचार से सरकार को अपनी इस कमजोरी जैसा कि सिंगापुर में प्रदर्शित हुई थी, को दूर करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को निकट भविष्य या दूर भविष्य में इस प्रकार वापस न हटना पड़े, एहतियाती कदम उठाने चाहिए।

मैं पुनः कहूंगा कि भारत और चीन के बीच समझौता इस अवधि की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत और चीन के बीच इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां तक मैं समझता हूं वह महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पहली बार दोनों सरकारों ने आपसी और समान सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार किया है। यह केवल आपसी हित या आपसी सुरक्षा का ही प्रश्न नहीं है। आपसी सुरक्षा और आपसी हित के साथ साथ इसमें समान सुरक्षा की बात भी है। इसका एक अलग अभिप्राय है। अलग अभिप्राय यह है कि हमें भारत और चीन को तथा इन दोनों देशों की सरकारों तथा इन दोनों देशों के लोगों को समान सुरक्षा प्राप्त करने का आपसी अधिकार है।

परंतु यहां समानता का प्रश्न बहुत महत्व रखता है क्योंकि मेरे विचार से भारत या कोई भी अन्य देश समान सुरक्षा की अवधारणा को नहीं मानेगा। यदि समान सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाता है तो विश्व संघर्षों से मुक्त हो जाएगा, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित हो जाएगा और अगर क्षेत्रीय संतुलन होगा तो आर्थिक समृद्धता की गारंटी भी होगी।

महोदय, आपने घंटी बजा दी है। अतः मैं समय का ध्यान रखूंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : महोदय, मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दें। प्रिय मित्र चेचन्या, बोसनिया, फिलीस्तीन या काबुल के बारे में आपकी या आपके दल की क्या नीति है? आपको इस विषय में जरूर बताना चाहिए।

श्री चित्त बसु : मैं इसी बारे में बता रहा हूं। कृपया धैर्य रखें।

महोदय, भारत और बंगलादेश के बीच हुआ समझौता एक बहुत बड़े संतोष की बात है। इस समझौते से एक कष्टदायक समस्या का समाधान हुआ है। इससे भारत और बंगलादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के बीच कई द्विपक्षीय मामले लंबित हैं।

इस समस्या के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू का संतोषजनक ढंग से हल निकाल लिया गया है और मैं अपने दल की ओर से भारत और बंगलादेश के बीच हुए इस समझौते का स्वागत करता हूं। किन्तु कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समस्याएं भी हैं, जिनमें विशेष रूप से अंतःक्षेत्र की अदला-बदली, दोनों राष्ट्रों के बीच सीमांकन, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, व्यापार और वाणिज्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने, समान संस्कृति और भाषा वाले दो देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विस्तार आदि प्रमुख हैं। निस्संदेह सरकार और जनता का यह कर्तव्य बनता है कि वे इन दो पड़ौसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुधारने की संभावनाओं की दिशा में कार्य करें। अतः सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि सार्क देशों की एकता को और अधिक मजबूती प्रदान करने और सार्क देशों के बीच अधिक स्थिरता विकसित करने हेतु, जिससे सभी सार्क देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य तथा आर्थिक स्थिरता में तीव्र प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है, भारत सरकार को चाहिए कि वह दोनों देशों के बीच वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र कदम उठाए।

इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके केवल सकारात्मक पहलू ही हैं। अभी तक मैंने सकारात्मक पहलुओं का ही उल्लेख किया है। मैं अपने देश की विदेश नीति के कुछ नकारात्मक पहलुओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा। इनमें से एक तो सरकार की ओर से पहल किए जाने की कमी के संबंध में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन और जी-15 की सफलताओं की भी अवहेलना की जाती है। एक दुःखद पहलू यह है कि साम्राज्यवादी और नव-उपनिवेशवादी देशों की ओर से दबाव बढ़ता ही जा रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी ओर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जिन विशेष क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है उनमें संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अमरीका की दादागिरी को उजागर करना और इसका विरोध करना, संयुक्त राष्ट्र को लोकतांत्रिक संस्था बनाने हेतु किए जाने वाले प्रयासों में अमरीका द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाओं को उजागर करना, अफगानिस्तान की घटनाओं के बारे में उदासीनता और संवेदन-हीनता के दृष्टिकोण को समाप्त करना और पाकिस्तान के साथ-साथ अमरीका के विरूद्ध ठोस कदम उठाने में असफल रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार अफगानिस्तान की घटनाओं के संबंध में अमरीका और पाकिस्तान के विरूद्ध अटल दृष्टिकोण अपनाए चूंकि हम अफगानिस्तान और उसके विकास से जुड़े हुए हैं।

महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार गुट निरपेक्ष नीति के समर्थन में तीसरी दुनियां के देशों का समर्थन जुटाने और नए आर्थिक ढांचे की स्थापना के मामले में असफल रही हैं जो तीसरी दुनियां के देशों की आशाओं और अभिलाषाओं को संतुष्ट कर सकता है। उनकी अभिलाषाओं और आशाओं की मात्र संख्या के कारण अनदेखी नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : चेचन्या में रूसी हवाई जहाजों ने हमला किया, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, यह नहीं बताया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री विजय हाण्डिक, आप दस मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री विजय हाण्डिक (जोरहाट) : हमारे दल को इससे अधिक समय दिया गया है।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य दस मिनट तक बोला है। श्री चित्त बसु को इससे अधिक समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने सहयोग देते हुए अपना भाषण मात्र 12 मिनट में ही समाप्त कर दिया।

श्री विजय हाण्डिक : महोदय, मैं दस मिनट से थोड़ा अधिक समय लूंगा।

श्री चित्त बसु : विदेश नीति पर चर्चा के दौरान, 12 मिनट तक बोलना कोई ज्यादा समय नहीं है।

सभापति महोदय : इसी वजह से मैंने यह कहा है कि आपने वास्तव में पूरा सहयोग दिया है।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, हम काफी समय के बाद विदेश नीति पर पूर्ण चर्चा कर रहे हैं। अतः, आपको कुछ समय और देना चाहिए।

श्री विजय हाण्डिक : सभापति महोदय, कुछ ही दिन पहले एक साहसिक घटना हुई है। मैं सिर्फ गंगा सन्धि पर हस्ताक्षर किए जाने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यह भी उल्लेख कर रहा हूं कि जागृति पैदा होने के फलस्वरूप 25 वर्ष पहले आजादी की लड़ाई के माध्यम से बंगलादेश नामक एक नया राष्ट्र कैसे अस्तित्व में आया। इस युद्ध के दौरान भारत ने वहां की दमित जनता को समर्थन करके एक नए राष्ट्र का सृजन करके अपनी पहचान बनाई थी।

महोदय, जब बंगलादेश की नई प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने 25 वर्ष बाद भारत का दौरा किया तब इतिहास गुंजायमान और सजीव हो गया। उनका यह दौरा एक तीर्थयात्रा है, उनके स्वर्गीय पिता बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान की भारत के साथ मैत्री, शान्ति और सार्थक सहयोग बनाए रखकर सशक्त बंगलादेश का निर्माण करने की अधूरी यात्रा को पुनः शुरू करने की प्रतिज्ञा है।

महोदय, इस संधि के विस्तार में जाये बिना चूंकि आपने समय पहले ही नियत कर दिया है- मैं बातों के परिणाम का उल्लेख कर रहा हूं। दक्षिण एशिया के सहकारिता पैटर्न में यह एक प्रमुख मोड़ है, जो अन्य अनेक कारणों से जन-साधारण से होने वाले फायदों का लाभ नहीं उठा पाया जैसा कि 'दक्षेस' द्वारा की गई धीमी प्रगति से लगता है। यद्यपि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच विरोधात्मक संबंध मुख्य बाधा थी तथा एक ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल एवं श्रीलंका के बीच असममिति से उत्पन्न होने वाली रूकावटें थीं। गंगा जल सन्धि और इससे सम्बद्ध बातें इनमें से कुछ कठिनाइयों को दूर करने में कारगर सिद्ध होंगी और इस प्रक्रिया में, एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। एक दशक पुरानी इस अलंघ्य बाधा का अंत निस्संदेह हमारी पड़ौसी नीति की सफलता की कहानी है।

दूसरे, हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों पर पुनः दृष्टिपात करने से, सबसे पहले तो इस बात का महत्व है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाए कि परिवर्तित परिदृश्य में भारत की विदेश नीति संबंधी अपनी प्राथमिकताएं पुनः तय करने की आवश्यकता है तथा यह परिवर्तित परिदृश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बदल रहे पैटर्न से साफतौर पर परिलक्षित होता है। इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, यद्यपि मैं सुरक्षा परिषद के हाल ही के चुनावों में भारत की बहुचर्चित और घोर लज्जाजनक असफलता का ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। यह बात बार बार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे हमारी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और परिवर्तित परिदृश्य के लिए हमारी विदेश नीति के चिरस्थायी मूलतत्वों को पुनः समायोजित किए जाने की आवश्यकता पर एक बार फिर दबाव पड़ा है।

महोदय, माननीय विदेश मंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल-जैसा कि एक प्रेस इण्टरव्यू में उन्होंने कहा है—सम्भवतः इस पराजय को अनर्थकारी न समझें, न ही हम इसे अनर्थकारी मानते हैं। यद्यपि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसे हम भले अनर्थकारी न मानें, जब कोई व्यक्ति पराजित होता है और वह भी तब जब वह बिना सोचे समझे गलत निशाना लगा बैठता है तो इससे उसे गहरा धक्का तो लगता ही है।

इस संबंध में, मैं एक स्पष्टीकरण मांगता हूं। इस वर्ष 6 नवम्बर को हरारे में हुए जी-15 शिखर सम्मेलन से प्रधान मंत्री के विशेष विमान द्वारा वापस आते समय प्रधान मंत्री महोदय ने उनके साथ यात्रा कर रहे पत्रकार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कथित रूप से यह कहा था कि सुरक्षा परिषद के चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव पिछली कांग्रेस सरकार ने रखा था और वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से इस प्रक्रिया को पूरा करने का औपचारिक तौर पर अनुरोध किया था।

अपराह्न 5.00 बजे

वास्तव में मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार भी मूल्यांकन और निर्णय के संबंध में अपनी गलतियों पर पर्दा डालने हेतु पूर्व सरकार के पद चिन्हों पर ही चल रही है। मेरे विचार से संयुक्त मोर्चा सरकार अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस सरकार की नीतियों का ही अनुसरण कर रही है। महोदय मई, 1994 में जो निर्णय लिया गया था वह केवल सीट के जीतने की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में था। दो वर्ष और सात महीने की इस अवधि में विशेष रूप से चुनाव के तुरन्त बाद के महीनों के दौरान, स्थिति की वास्तविकताओं का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करने हेतु वर्तमान सरकार के पास पर्याप्त समय था। किसी भी आने वाली नई सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कार्य करे। चूंकि इस चुनाव में वातावरण हमारे जीतने की संभावनाओं

के पूर्णतः विपरीत बना हुआ था, अतः हमें उपयुक्त समय पर अपना नाम इज्जत से वापस ले लेना चाहिए था। मैं यह महसूस करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र में हमारी ओर को देखते हुए हमें अपनी प्राथमिकताओं को पुनःपरिभाषित करके गहन आत्म विश्लेषण करना चाहिए। हमारे बहुपक्षीयवाद के प्रति मोह, हमारे द्वारा किसी प्रतिबद्धता पर विचार किए बिना गुट निरपेक्षता को लापरवाही से समर्थन दिये जाने के मामले पर इस पर नए सिरे से विचार किए जाने की आवश्यकता है। निस्संदेह यह बुनियादी बातें हैं और हम इनसे पीछे हटने की कल्पना भी नहीं कर सकते। यथार्थवाद की ओर अधिक यथार्थवाद के साथ परिस्थिति के अनुकूल बनाये जाने की जरूरत है। निस्संदेह बहुपक्षीयवाद विश्व को परिवर्तित करने का एक साधन है। यह विश्व को व्यापक रूप से मान्य मूल सिद्धान्तों पर प्रतिपादित करने का तरीका है। लेकिन भारत के बहुपक्षीयवाद का स्वतः ही अंत हो गया है और इस संबंध में हम विगत दशक में अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाए। इसी वजह से, मैंने परिवर्तित हो रही विश्व स्थिति के बारे में बात की है। साठ और सत्तर के दशकों के अन्तिम वर्षों में उपनिवेशवाद का अंत हो जाने से संयुक्त राष्ट्र संघ में गुट-निरपेक्ष आंदोलन और तीसरे विश्व के देशों को कूटनीतिक कार्यकलापों को बढ़ावा मिला है। तीसरे विश्व के देशों द्वारा अपनी शासन-प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यसूची के इर्दगिर्द एक जुट होकर आने की आकांक्षा से भारत के लिए स्वतः ही नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था और पूर्ण निरस्त्रीकरण जैसे विचारों को एक जुट होकर बढ़ावा देना चाहता था। निस्संदेह ये खोखले आदर्श हैं। किन्तु सत्तर के दशक अर्थात् गुट निरपेक्ष का स्वर्ण युग और संयुक्त राष्ट्र की मूल कार्य सूची में इसका महत्व अब बीते दिनों की बात हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 1990 में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अतः हमें इस तथ्य को दिमाग में रखना चाहिए अन्यथा यदि हम बदलते हुए परिदृश्य के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पायें, तो हम पुनः गलती करेंगे। मेरा यह कहने का यही कारण है कि हमें विशेष रूप से ऐसे समय में चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए था। महोदय, अंत में मैं भारत-चीन संबंधों के विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय, भारत-चीन संबंधों का मामला ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इन के पड़ौसी देशों के परस्पर अधिकाधिक समझबूझ समय की मांग है। चीन के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा राजनैतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये दोनों देश विश्व के सबसे बड़े देश हैं और अपने औद्योगिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक शक्ति के विकास के साथ भारत और चीन का एशिया तथा विश्व में आर्थिक और राजनैतिक रूप से विशेष महत्व है। दो ही देश विश्व की प्रमुख सैन्य शक्तियां हैं और विशेष रूप से चीन ने तो राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष स्थान बना लिया है।

इन दोनों देशों के बीच स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध चीन और भारत दोनों ही देशों तथा इसके साथ-साथ पूरे विश्व के हित में हैं। मेरा निश्चित रूप से यह मानना है कि चीन भारत के साथ संबंधों में सुधार लाने का बेहद इच्छुक है। पेइंचिंग, तिब्बत की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। चीन ऐसे समय में भारत के साथ तनाव नहीं चाहता जब उसे बहुविधि किस्म की चुनौतियों अर्थात् आधुनिकीकरण, डेंग शासन के बाद की पारिस्थिति, प्रभुसत्ता का मामला, जिसमें ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सरकार जैसी चुनौतियों तथा अमरीका के साथ तनावपूर्ण संबंधों का सामना करना पड़ रहा है। चीन अपने देश में सीमा-पार व्यापार और निवेश का विस्तार कर रहा है कि और वह इसमें भारत की भागीदारी भी चाहता है। चीन के साथ सामान्य संबंधों की स्थापना और व्यापार का विस्तार करके अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाना भारत के हित में है। भारत को यह भी देखना चाहिए कि वह विश्वास पैदा करने वाले उपायों के माध्यम से वर्तमान नियंत्रण रेखा को बनाए रखे।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय हाण्डिक : महोदय, हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कई वर्ष बीत चुके हैं और हमारे सभी वायदों के बावजूद, हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिल पाई है। अभी भी अरूणाचल प्रदेश में काफी अन्दर सेम डोंग सू स्थित हैली पैड को चीनी फौजों ने खाली नहीं किया है। और फिर, चीन द्वारा पाकिस्तान को दिये जा रहे प्रेक्षपास्त्र और परमाणु सहयोग से भी विश्वास पैदा नहीं होता है। इसमें मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में **साइंटिफिक अमेरिका** नामक एक पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात खत्म कीजिए।

श्री विजय हाण्डिक : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। उस रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मपुत्र के मार्ग को इसके उत्तर-पश्चिम में मोड़ने का अभियान चल रहा है, जिसमें गोबी मरूस्थल आता है, जो चीन की कुल भूमि का आधा है। इसमें केवल सात प्रतिशत ताजा पानी है। अब ब्रहमपुत्र के मार्ग को बदलने का अभियान चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत और बंगलादेश इन विशाल जल संसाधनों से वंचित हो जायेगें।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विजय हाण्डिक : महोदय, चूंकि यह परम्परागत तरीके से संभव नहीं है, वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर इस कार्य को करने के लिए आणविक विस्फोट करने का सुझाव दिया है। इससे भारत और बंगलादेश के समूचे पूर्वोत्तर हिस्सों में बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी नर संहार की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। और इससे देश के उस हिस्से में जल भी नहीं मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इस रिपोर्ट की सच्चाई का पता लगाएंगे और यदि इसे सही पाते हैं तो इस माममे को समुचित स्तर पर उठायेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम 193 के अधीन इस निर्णय पर चर्चा करने हेतु दो घंटे का समय दिया था। हम पहले ही लगभग दो घंटे और चालीस मिनट ले चुके हैं। अभी भी बोलने के लिए आधे दर्जन से अधिक सदस्य रह गए हैं। अब यह सभा पर निर्भर करता है कि वह मुझे निदेश दे कि क्या समय बढ़ाया जाए या नहीं।

श्री गुलाम रसूल कार : कम से कम सात बजे तक समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसलिए समय जरूर बढ़ाना चाहिए।

श्री ई. अहमद : समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री गुलाम रसूल कार : महोदय, समय बढ़ाया जाना चाहिए। मुझे कुछ बोलना है क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

लैफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और समय बढ़ाना जाना चाहिए। यहां समय के समान वितरण का प्रश्न नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, कृपया समय बढ़ाइये ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, अगर 2 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं तो भी विदेशी मामलों से संबंधित इस बहस को हाउस में रस्मी तौर पर नहीं कराया जाए। यदि बहस दो घंटे और भी चले तो उससे कुछ नहीं होगा। टाइम बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिनके ऊपर यहां चर्चा करना आवश्यक है और कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिए इसका टाइम और बढ़ाया जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जी.जी. स्वैल (शिलांग) : दो घंटे तक का समय बढ़ाया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

लैफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : संसदीय कार्य मंत्री समय में कटौती नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हम 45 मिनट तक का समय बढ़ाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मेरी सारी समस्या यह है कि आज की कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि आज हम वित्तीय कार्यों पर चर्चा करेगें और वित्तीय कार्यों से अभिप्राय आम बजट और उत्तर प्रदेश के बजट से है। इसे आज पूरा किया जाना चाहिए और इसे राज्य सभा में भेजा जाना चाहिए। हम विदेशी मामलों और बाद में डब्ल्यू.टी.ओ. पर चर्चा कर सकते हैं और हम सभा का समय बढ़ा सकते हैं और इस मुद्दों पर वाद-विवाद कर सकते हैं।

श्री जी.जी. स्वैल : हम इन पर कल चर्चा करेंगे।

श्री श्रीकांत जैना : आज यह फैसला किया गया था कि आज हम सदन का समय बढा सकते हैं और अधिक समय तक बैठ सकते हैं तथा कम से कम हम दो वित्तीय कार्यों, आम बजट और उत्तर प्रदेश बजट को निपटा सकते हैं।

सभापति महोदय : इसका मतलब डब्ल्यू.टी.ओ. पर कल चर्चा की जा सकती है। इसके बाद हम अनुपूरक मांगों पर चर्चा करेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत : डब्ल्यू.टी.ओ. केवल एक स्टेटमेंट मात्र है।

सभापति महोदय : मैं देखूंगा कि क्या डब्ल्यू.टी.ओ. पर बोलने के लिए और वक्ता हैं। पहले ही तीन घंटे लिए जा चुके हैं।

श्री श्रीकांत जेना : माननीय मंत्री जी को विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत : बहुत से प्रतिष्ठित सदस्यों को इस विषय पर बोलना है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा की सहमति से हम विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए 45 मिनट तक की अवधि बढाएंगे। लेकिन मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध कि वे सहयोग दें।

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : क्या मैं इस पर कुछ कह सकता हूं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं 'हम' कह रहा हूं। मैं 'यह सरकार' नहीं कह रहा हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम 15 मिनट की बैठक में बहुत ही खण्डशः तरीके से विदेशी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री जी.जी. स्वैल : हम यह सरसरी तौर पर कर रहे हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब विश्व इतना सिमट रहा है और इतने सारे महत्वपूर्ण मामले उठ रहे हैं। हमें विदेश मंत्रालय पर चर्चा करने का समय नहीं मिल पा रहा है, जहां तक बजट के पारित होने का संबंध है, समय की कोई सीमा नहीं है। यह 31 मार्च नहीं है। इसे कल भी पारित किया जा सकता है और इस पर परसों भी चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी यह बहुत अन्याय होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका क्या सुझाव है?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और यह न केवल पीठासीन अधिकारी के लिए है, बल्कि यह सदन के लिए है और सरकार को भी इन पर विचार करना है। यदि आप विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनसंख्या और बेरोजगारी मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, तो हम यहां क्या कर रहे हैं?

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हो सकता हूं लेकिन कृपया अपना सुझाव दीजिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सुझाव दिया है कि दो घंट तक का समय दिया जाना चाहिए। मैंने तीन घंटे के समय के लिए कहा था। लेकिन मैं दो घंटे के समय के लिए सहमत हो जाऊंगा। ...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं समय दो गुना करने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति जी, इस विषय पर चर्चा दो घंटे और चालीस मिनट हो चुकी है, यदि और दो घंटे चालीस मिनट हो जाएगी, तो इस देश का कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी.जी. स्वैल : यदि सरकार को वित्तीय कार्य पारित करवाने की जल्दी है, तो उन्हें वित्तीय कार्य पारित करने दीजिए और हम इस मामले पर कल चर्चा करेंगे और हमें दो घंटे का समय और दीजिए।

सभापति महोदय : हम इस पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। हम एक घंटे तक का समय बढ़ाएंगे। इस समय सवा पांच बजे हैं। हम इसके लिए सवा छः बजे तक का समय बढ़ाएंगे। हमें सदन की बैठक अधिकतम समय तक बढ़ानी पड़ेगी।

श्री शिवराज वी. पाटिल : क्या मैं एक और सुझाव दे सकता हूं? आप किसी एक सदस्य से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर पांच मिनट में अपने विचार व्यक्त करने की आशा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : यह एक या दो मुद्दों के चयन का प्रश्न है। यदि आप विदेशी मामलों के संबंध में छः विषयों पर बोलना चाहते हैं तो निःसंदेह आपको अधिक समय चाहिए। अतः प्रत्येक माननीय सदस्य को एक विषय चुनना चाहिए।

श्री शिवराज वी. पाटिल : हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री जी.जी. स्वैल : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं विदेश नीति से संबंधित केवल एक विषय पर बोलूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन हमें इस मामले पर चर्चा करने दीजिए। यह बहुत गम्भीर मामला है। वास्तव में हमारी विदेश नीति गड़बड़ा रही है। हम कहीं नहीं है।

सभापति महोदय : ठीक है। शुरू में हम सवा छः बजे तक समय बढ़ा देंगे। हम देखेंगे यह कैसे होगा जब हम इस मुद्दे पर आयेगें इस पर चर्चा करेंगे।

अगले वक्ता श्री ई. अहमद हैं। वह पहले बोलने का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हवाई जहाज या किसी अन्य वाहन से जाना हैं। लेकिन श्री अहमद कृपया बहुत संक्षेप में बोलिए।

श्री ई. अहमद : जी हां। महोदय, जहां तक संभव होगा, मैं संक्षेप में बोलूंगा।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष, सरकार और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ समय निकालने के लिए प्रशंसा करता हूं क्योंकि मेरे विचार से यह प्रथम अवसर हैं कि हम नीति के अर्थात इस देश की विदेश नीति के इस महत्वपूर्ण मामले पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। समय की कमी के कारण, मैं केवल संक्षेप में बोलूगा। मैं इस सभा में कुछ मुद्दों का बहुत संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा।

विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। भारत को भी चाहिए कि वह विश्व सम्बंधी मामलों में इन परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें और उत्तर दें क्योंकि हमारी एक परम्परा रही है और हमारा एक इतिहास रहा है कि हमने विश्व सम्बंधी मामलों में एक निरपेक्ष भूमिका निभायी है। भारत चुप नहीं रह सकता। भारत राष्ट्र समुदाय से अलग नहीं हो सकता। अतः भारत को निश्चय ही एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और सरकार को इस मामले में कैसी कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले में सासंदों को बोलने या अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि भारत ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में वर्तमान स्थिति के साथ सक्रियता, व्यावहारिक दृष्टिकोण और स्पष्ट वादिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया है और इसका उत्तर दिया है। इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर वर्तमान सरकार की विदेश नीति पिछली सरकार जैसी ही है। मैंने वर्तमान सरकार की विदेश नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं देखा है। यदि इसमें कोई परिवर्तन है, तो मुझे यह नोट करके संतोष होगा कि इसमें उत्साह है इसमें पारदर्शिता है और पड़ोसी देशों के साथ काफी सहयोग भी हैं।

अब मैं केवल कुछ मुद्दों के बारे में बात करूंगा। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) के संबंध में भारत द्वारा उस पर बड़ी ताकतों द्वारा डाले गए दबाव के आगे झुकने से इन्कार करने से भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में वास्तव में एक विशिष्ट दर्जा दिया गया है। वास्तव में यह प्रशंसनीय बात है कि सरकार ने राष्ट्रीय सहमति के अनुसार कार्य किया है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह सरकार के दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के संकल्प के बारे में है। सरकार ने इस देश के लाभ के लिए दक्षिण एशियाई देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय तालमेल में तेजी लाने का भी प्रयास किया है। यह भी बहुत ही प्रशंसनीय मामला है। मैं इस सम्बंध में सरकार और विदेश मंत्री को बधाई देता हूं।

तीसरा मुद्दा बंगलादेश समझौते के बारे में है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसका श्रेय हमारे माननीय विदेश मंत्री को जाता है। मैं वहां था और मैंने बंगलादेश के विदेश मंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में अन्य व्यक्तियों के साथ उनके प्रयास, उनके कार्य और उनके साथ उनके पारस्परिक सम्पर्क को स्वयं देखा है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। सचमुच यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और हमारे विदेश नीतिगत निर्णय के इतिहास में यह एक युगान्तरकारी घटना है।

एक अन्य मुद्दा पाकिस्तान के सम्बंध में एकपक्षीय निर्णय के बारे में है। लोगों के उस पारस्परिक सम्पर्क से अच्छा प्रभाव पड़ा है। जिसके लिए श्री गुजराल ने मंत्री बनने से पहले और मंत्री बनने के बाद आह्वान किया है। प्रश्न यह नहीं है कि पाकिस्तान इस संबंध में सकारात्मक उत्तर देगा या नहीं जो कुछ हमने किया है उससे दोनों देशों के बीच में एक बहुत अच्छी धारणा बनी है। सभी देशों की नजरें इस बात पर लगी है कि भारत इस बारे में क्या निर्णय लेता है। इस संबंध में भी मैं माननीय विदेश मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा।

अगला मुद्दा अफगानिस्तान के बारे में है। अफगानिस्तान के मामले से अब तक हमारा ज्यादा संबंध नहीं था। अब हम अफगानिस्तान की समस्या के साथ जुड़ गए हैं। अफगानिस्तान के मामले में, क्या मैं एक बात का उल्लेख कर सकता हूं। मेरा विचार यह है कि भारत को इस मामले पर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। काबुल का असैन्यीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न दलों के बीच युद्ध की स्थिति न हो यह महत्वपूर्ण है। हमने रब्बानी सरकार का समर्थन करने के बारे में ठीक निर्णय लिया है। लेकिन देखना तो यह है कि रब्बानी सरकार कब तक रहेगी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि तालिबान एक आन्दोलन है जबकि दोस्तुम या मसूद या रब्बानी केवल गुटों और जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तालिबान क्या करेगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। वहां अफगानिस्तान संबंधी नीति भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ अमेरीका ने ईरान को पराजित करने का निर्णय लिया है और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भी रूस को पराजित करने का निर्णय लिया है। इसीलिए अमेरीका तालिबान का और उनके आन्दोलन का गुप्त रूप से समर्थन कर रहा है। इसलिए जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है भारत को सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही भारत के निर्णय के बारे में अफगानिस्तान के अधिकांश लोगों को भी स्पष्ट बता दिया जाना चाहिए। हमें इस मामले में उनकी भावनाओं को कद्र करनी होगी।

इस्लामी देशों के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, भारत केवल तभी इस्लामी देशों में जायेगा जब हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की घृणास्पद इरादे को विफल करने के लिए इस्लामी देशों के संघ को या का समर्थन मांगने के लिए हम उनके पास जाते रहे हैं। लेकिन एक बार कार्य हो जाने पर हम उनके प्रति उदासीन रवैया अपना लेते हैं। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सरकार पारस्परिक सम्पर्कों में और अधिक प्रगाढ़ता लाने के लिए कुछ और कदम उठायेगी और इस्लामी देशों के साथ हमारे संबंधों को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठायेगी।

हमने ईरान की नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष श्री नेतन नूरी की हाल की यात्रा के दौरान उन पर अच्छा प्रभाव डाला था। मेरी कामना है और मैं आशा करता हूं कि ऐसी पूरी संभावना है कि वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अगले राष्ट्रपति होंगे। इस देश में उनके दौरे का अच्छा प्रभाव पड़ा है और ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं।

सभापति महोदय : श्री अहमद, मेरे विचार से आपको किसी व्यक्ति को ईरान का राष्ट्रपति बनाने के लिए उसके पक्ष में प्रचार करना उचित नहीं है।

श्री ई. अहमद : महोदय, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने केवल अपना विचार व्यक्त किया है। मैंने किसी का प्रचार नहीं किया है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो, मैं अपनी बात वापिस लेने के लिए तैयार हूं मैंने ईरान के बारे में अपनी टिप्पणी की है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ईरान एक प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है। आप यह कैसे कह सकते हैं, कौन राष्ट्रपति बनेगा?

श्री ई. अहमद : इसीलिए मैंने कहा "पूरी संभावना है" मैंने प्रचार नहीं किया था। मैंने केवल टिप्पणी की थी कि उनके अगले राष्ट्रपति होने की पूरी संभावना हो सकती है। हमारे देश के लिए और ईरान के साथ हमारे संबंध के लिए उनका दौरा महत्वपूर्ण था। फिर भी यदि यह उचित नहीं है, तो मैं अपनी बात वापिस लेने के लिए तैयार हूं।

जहां तक सऊदी अरब के साथ हमारे संबंधों की बात है, हमारे अध्यक्ष और संसदीय शिष्टमंडल के दौरे का विशेष प्रभाव पड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय शिष्टमंडल विभिन्न विचारों के प्रतिनिधियों से मिले और सऊदी अरब के शहजादे से मिले थे। उन्होंने अपने विचारों और नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मैं इस बारे में अधिक कहना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारत को खाड़ी देशों के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने चाहिए। क्या मैं इस संबंध में एक बात का उल्लेख करूं? 60,000 से ज्यादा भारतीय हैं जो संयुक्त अरब अमीरात से वापिस आये हैं। इन लोगों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाइयों की वजह से ये लोग वापिस नहीं जा पा रहे हैं।

मैं विदेश मंत्री से उन लोगों के लिए जल्द से जल्द पासपोर्ट जारी करने के लिए अनिवार्य कदमों को उठाने का अनुरोध करती हूं जिससे कि वापिस जा सकें। परंतु मुझे कहते हुए खेद हैं कि भारत सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये लोग अपना खून पसीना एक करके गत कई वर्षों से इस देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। जब वे यहां आ गए तो हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकें। हम केवल उन्हें यहां वापस ले आए। उनके पास अपनी जीविकोपार्जन हेतु कुछ भी नहीं है। इस ओर ध्यान देना भी सरकार का कर्त्तव्य है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब युगांडा ने भारतीयों को निकाला था, जब वे ब्रिटिश नागरिक थे, ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए सभी कुछ करने का प्रयास किया था। परंतु, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिन भारतीय भाइयों को वापस अपनी मातृभूमि में भेज दिया गया है, उनके लिए यहां कुछ भी नहीं है। अतः, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को उनके लिए निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए और इस मामले में उनकी सहायता करनी चाहिए।

मैं हज यात्रियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मक्का में हमारा एक औषधालय हैं। यह औषधालय न केवल भारतीयों के लिए बल्कि अन्य एशियाई देशों के लोगों के लिए भी हज के दौरान और आम समय में भी बहुत उपयोगी है। परंतु अब उसे बंद किया जा रहा है।

अतः, भारत सरकार को इस औषधालय को न केवल हज के दौरान बल्कि आम समय में भी खुला रखने की अनुमति देने हेतु सऊदी अरब सरकार को अभ्यावेदन देना चाहिए।

महोदय, पासपोर्ट संबंधी मामले में, नियमों में छूट दिए जाने हेतु उठाये गए कदमों के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, परंतु साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को देश के बेहतर हित के लिए इस्लामी देशों, खाड़ी देशों और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में हमेशा जागरूक रहना चाहिए।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

हमारा ऐसा विश्वास है कि सफल विदेश नीति वही है जिससे अनुपालन से अन्य देश हमारे मित्र बनें, अन्य देशों पर हम प्रभाव डाल सकें, हमारे आर्थिक कार्य-कलाप में वृद्धि हो और अंतिम, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करे।

अगर किसी विदेश नीति का गुण विवेचन करना है-उसके लिए अन्य मानदंड भी हो सकते हैं—तो उसमें ये चार मानदंड पूरे होने चाहिए। और हमें अपनी विदेश नीति को इन मानदंडों के अनुसार जांचना है। हम यह जानते हैं कि किसी देश की विदेश नीति देश की आर्थिक मजबूती, समाज की ताकत, देश की राजनैतिक स्थिरता जैसी ही अन्य बातों पर निर्भर करती है। इसमें यही सब बातें प्रतिबिंबित होती हैं। परंतु हम देखते हैं कि जहां कहीं भी हमने बहुत मजबूती, भारी सफलताएं दिखाई हैं, वहां भी हमारी विदेश नीति और उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं।

1971 का ही उदाहरण ले लीजिए। हमने वहां बहुत ताकत दिखाई थी। मैं थोड़ा पीछे की ओर जा रहा हूं क्योंकि विदेश नीति ऐसी चीज नहीं है जो आज ही से लागू हो रही हो। यह एक निरंतरता है और ऐसी चीज है जो आपको भूतकाल में ले जाती है। 1971 में हम इस उप-महाद्वीप में शीर्ष पर थे। हमने एक युद्ध लड़ा था और एक शानदार विजय पाई थी। हमारे पास 92,000 पाकिस्तानी कैदी थे। हमने एक देश को विभाजित किया था और पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर एक नया देश, बंगलादेश बनाया था।

हमें हमारी विदेश नीति से क्या मिला? शिमला समझौता। शिमला समझौते को लेकर काफी शोर मचाया जाता है। उस समय, पाकिस्तान और हमारे बीच केवल एक ही प्रमुख मुद्दा था। जब हमारे पास पाकिस्तान के 92,000 कैदी थे और पाकिस्तान इस स्थिति में फंसा हुआ था, तो क्या उस समय कश्मीर के सीमा संबंधी प्रश्न को सुलझा लेना कोई कठिन काम था? हमने शिमला समझौता किया—एक द्विपक्षीय समझौता। द्विपक्षीयता इस समझौते का मूल मंत्र है जिस पाकिस्तान अपनी इच्छानुसार निकाल बाहर कर देता है। जब हम गरीब हैं, फटे हाल हैं और अन्य लोगों का सामना नहीं कर सकते, तो इस स्थिति में हमारा क्या सहारा है? मैं यह समझ सकता हूं, हम बहुत अच्छा समझौता नहीं कर पाते हैं। परंतु यह हमारी आदत है और हमारी सफलताओं का ऐसा ही परिणाम होता है।

मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका आज की विदेश नीति से कोई संबंध है, बल्कि मैं एक ऐसी संस्कृति की ओर इंगित कर रहा हूं कि हमारी सफलताओं के बावजूद हम न तो अन्य देशों पर प्रभाव डाल सकते हैं, न उन्हें मित्र बना सकते हैं, न ही अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा दे सकते हैं और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के बारे में कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस पहलू पर पर्याप्त रूप से प्रकाश नहीं डाला गया है। सभी का यही कहना है कि एक नीति को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। मैं इस पहलू पर बाद में आऊंगा। परंतु वही संस्कृति, जिसके बारे में मैं पहले बता रहा था, चीन के राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले दृश्यमान हो उठी थी।

समाचार पत्रों में यह प्रकाशित होने लगा था—"बहुत ज्यादा की आशा मत रखो:" हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे कि गलत संकेत जाएं। विदेश सचिव ने कहा था कि समय से पहले ही हमारा चिंता व्यक्त करना गलत होगा। माओत्से तुंग के बाद, चीन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भारत की यात्रा पर आ रहा था। मुझे माननीय विदेश मंत्री को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि माओत्से तुंग के पश्चात वर्तमान राष्ट्रपति ही केवल ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी पोलिट ब्यूरो के महासचिव के साथ-साथ मिलिट्री कंट्रोल कमीशन का चेयरमैन भी है। माओत्से तुंग के पश्चात वर्तमान राष्ट्रपति के अलावा

किसी भी व्यक्ति ने दोनों पद एक साथ नहीं संभाले हैं। वह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि पहली बार हमारे देश की यात्रा पर आ रहे थे। यात्रा कार्यक्रम की सूची क्या थी? हमने तुरंत ही एक आवरण ओढ़ लिया और उसका परिणाम हम सबके सामने है।

कश्मीर समस्या पर उनके क्या विचार थे? अब मैं विशेष रूप से उस समझौते की बात कर रहा हूं जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शिमला समझौते के द्विपक्षीय खंड के विशेष संदर्भ में कश्मीर समस्या पर उनके क्या विचार थे? क्या उन्होंने कहा था कि 'हां, यह दोनों देशों के बीच की बात है?' क्या उन्होंने "नहीं" कहा था? क्या उन्होंने इसके प्रति उदासीनता दिखाई थी? उसके कुछ कहने से पहले ही हमने कह दिया, "तिब्बत आपका है, दलाई लामा को भारत में कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" परंतु कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं हुई। क्या यहां गलती नहीं हुई है?

क्या म्यांमार क्षेत्र में भारी पैमाने पर शस्त्रों के प्रवेश पर चर्चा की गई थी? क्या इस बात का कोई उल्लेख भी किया गया था? क्या उनसे पूछा गया कि क्यों वे दो पत्तनों का विकास कर रहे हैं, क्यों बंगाल की खाड़ी में नौसेना बेस की स्थापना कर रहे हैं? क्या इस बारे में चर्चा की गई? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?

वर्तमान समझौता सैन्य सक्षमताओं की बात करता है। "पहले वाले समझौते में एक सैन्य शक्ति की बात थी।" 1993 के समझौते में यह कहा गया था कि हम सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के विरूद्ध अपनी सैन्य सक्षमता का उपयोग नहीं करेगा। क्या अंतर है? पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का अंतरण किया गया है। क्या यह इस देश के विरूद्ध सैन्य सक्षमता का उपयोग करना नहीं है।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया (अमृतसर) : सैन्य सक्षमता का अभिप्राय परमाणु सक्षमता से है।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : तो ऐसे कहिए।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : वह इसे आपको स्पष्ट कर देंगे।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अतः, अब 'शक्ति' का अब प्रयोग किया जा सकता है; 'सैन्य' सक्षमता, का नहीं।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें और आपस में बातचीत न करें।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : एक बड़ी अजीब टिप्पणी की गई है कि सैन्य सक्षमता का अर्थ परमाणु सक्षमता है। चूंकि मैं खुद सेना में काफी लंबे समय तक रहा हूं इसलिए इस बात को हजम करने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है।

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : मैंने केवल शक्ति और सक्षमता के अंतर को स्पष्ट किया है।

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : परमाणु प्रौद्योगिकी अंतरण या इस्लामाबाद के पास एक प्रक्षेपास्त्र कारखाने की स्थापना का प्रश्न कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमने पता लगाया या जिसकी जानकारी हमने विश्व को दी। यह समाचार हमें अमेरिका से एक साधारण वक्तव्य के साथ प्राप्त हुआ था कि 'हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप केवल कल्पना करने का प्रयास कीजिए कि अगर हमने ताइवान में एक फैक्टरी स्थापित कर दी होती तो उसका क्या परिणाम होता? चीन तो हमें समाप्त ही कर देता। परंतु हम उसका भी कोई उल्लेख नहीं करते हैं।

शायद आपने इसका उल्लेख किया था, किन्तु इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है तथा इस पर बल दिया जाना चाहिये।

1993 समझौते तथा 1996 समझौते में वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन ऑफ एक्च्यूअल कंट्रोल) के बारे में उल्लेख था। किन्तु अब मेकमोहन रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। जल के बंटवारे संबंधी सिद्धांतों का कोई उल्लेख नहीं है। अब हमें वास्तविक नियन्त्रण रेखा को अधिक स्पष्ट करना है।

कृपया मुझे इस मुद्दे को स्पष्ट करने की अनुमति दें। वास्तविक नियन्त्रण रेखा का अर्थ है कि वह विवादाग्रस्त क्षेत्र है; इसका अर्थ है कि मूल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में बदलाव हुआ है। जम्मू तथा कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण रेखा है। इसका अर्थ है कि जिस क्षेत्र में आपका नियन्त्रण है, वहां आपकी सेनाएं एक-दूसरे के काफी निकट हैं, इसका अर्थ है कि खाली स्थान आपकी नजर के अन्दर है और वहां गोलाबारी की जा सकती है।

इसका अर्थ है कि आपको यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय करने होंगे कि कोई अन्य वहां प्रवेश न करने पाए क्योंकि ऐलान करने से दूसरे ओर की सेनाएं वहां आकर नियंत्रण कर सकती हैं और यह नियंत्रण रेखा जाएगी। अब हम इस बारे में बहस तथा चर्चा करने जा रहे हैं कि "नियन्त्रण रेखा" क्या है। कहीं पर भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा, के हमारे दृष्टिकोण आदि का कोई उल्लेख नहीं है। हम केवल कह रहे हैं कि 'इन मुद्दों पर अन्तिम निर्णय लम्बित हैं" तथा अन्य ऐसी ही बातें कह रहे हैं।

कल, वे "विश्व व्यापार संघ" के बारे में बात कर रहे थे कि वह पहले से कोई निर्णय नहीं लेता। किन्तु हम केवल वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारी उत्तरी सीमा-रेखा या स्थिति बिल्कुल साफ है तथा वह यह है कि...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जनरल साहब कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, कृपया मुझे तीन चार मिनट और जारी रखने की अनुमति दें।

अरुणाचल-प्रदेश तथा सिक्किम पर चीन दावा करता है, जहां मेकमोहन रेखा तक हमारा नियन्त्रण हैं। मतभेद केवल अकसाई चीन क्षेत्र पर है। इसका अर्थ है कि जिस 37,500 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का कब्जा है उसमें से उन्हें 15 किलोमीटर पीछे जायेंगे। अभी भी हमारे क्षेत्र में है तथा हमें उनके लिये कुछ और क्षेत्र छोड़ना होगा। यह तो बहुत-बहुत खतरनाक है। यह तो परेशान करने वाली बात है तथा 1962 का पूरा युद्ध इसी मुद्दे पर लड़ा गया था।

महोदय, अभी भी मानचित्र में परिवर्तन हो रहा है। अब उस युद्ध को 34 वर्ष हो गये हैं और हमारी उपलब्धि यह है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-रेखा के रूप में मेकमोहन रेखा के बारे में बातचीत करने के बजाय वास्तविक नियन्त्रण के बारे में बात कर रहे हैं। यह तो अवनति है। हम इस मुद्दे पर पीछे हट गये हैं।

माननीय सदस्य श्री भाटिया ने कहा है कि ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे विश्वास उत्पन्न हो। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अभ्यास करने की घोषणा करना या दूसरे को पक्ष अभ्यास करने के बारे में बतलाना, विश्वास उत्पन्न करने का कोई उपाय नहीं है। जब तक कि अरुणाचल प्रदेश पर दावा है, सिक्किम पर दावा है, अकाई चिन पर एक सड़क बन रही है तथा म्यांमार में समुद्री तट बन रहा है तथा समुद्री-जहाज वहां रखे जा रहे हैं, हम विश्वास उत्पन्न करने के उपायों के बारे में नहीं कह सकते। दूसरे पक्ष को बतलाना कि आप अभ्यास करने जा रहे हैं, दूसरे पक्ष को यह बतलाना कि आप अपने जहाज उड़ाने जा रहे हैं। हम इन्हें विश्वास उत्पन्न करने के उपाय नहीं कह सकते।

मैं समझती हूं कि राजनीतिक स्थिति भी पूर्णतः पलट गई है तथा यह बात चीन के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान बिलकुल स्पष्ट रूप से देखने को मिली।

सभापति महोदय : जनरल साहब अब आपको अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए। आपने काफी समय ले लिया है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं समाप्त करने में दो मिनट और लूंगा।

यहां पर उठाने के लिए अनेक मुद्दे हैं किन्तु मैं अभी सिर्फ नेपाल के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि जब हमने सुरक्षा परिषद में स्थान के लिये चुनाव लड़ा था, तो नेपाल ने हमारे विरूद्ध मत दिया था। हम उनके चालीस लाख लोगों को अपने देश में रोजगार दे रहे हैं। हमने उनके लिए कुछ क्षेत्रों में पेंशन देने की भी व्यवस्था की है ताकि उन्हें देश से बाहर न जाना पड़े परन्तु हमने देखा है कि भारतीय मूल के आठ सौ शिक्षकों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। मैं समझता हूं कि आपको इसकी जानकारी है। हमने उनके 40 लाख लोगों को रोजगार दिया है और हमारे साथ वे यह कह रहे हैं।

अन्तिम मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा वह एक राष्ट्रीय सुरक्षा तन्त्र की आवश्यकता के बारे में है। हमारे देश में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा तन्त्र नहीं है। इसके अलावा आप कुछ भी कह सकते हैं, परन्तु मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारी अलग से कोई विदेश नीति नहीं है।

विदेशी नीति हमारी आर्थिक आवश्यकताओं तथा दीर्घकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक विदेश नीति बनानी पड़ेगी। जब आपने जल्दबाजी में तिब्बत चीन को दिया तब कहना चाहिए या एक ऐसा समझौता या कोई गठबंधन होना चाहिये कि यदि वे मेकमोहन रेखा स्वीकार करते हैं तो हम तिब्बत उन्हें दे देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र बनाने, विदेशी कार्यों संबंधी विभाग में रक्षा संबंधी तत्वों की प्रमुखता होनी चाहिए जिससे कि विदेश संबंधी कार्य सुरक्षा आवश्यकता के अनुरूप किए जा सकें।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। समय हो रहा है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : महोदय, हम जब कभी भी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते हैं, हर कोई उस पर लगाने वाले समय के बारे में व्याकुल हो जाता है।

सभापति महोदय : मैं यह निर्णय सभा पर छोड़ता हूं। यदि प्रत्येक सदस्य 20 या 30 मिनट बोलना चाहता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : सभा पहले ही आपसे अनुरोध कर चुकी है। मैं समझता हूं कि यह आपका ही निर्णय था कि हमें अधिक समय मिलना चाहिये।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सोचता हूं, यह इनका प्रथम भाषण है, उन्हें बिठाया न जाये।

सभापति महोदय : उन्होंने सी.टी.बी.टी. पर अच्छा प्रथम भाषण दिया है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : एक वृद्ध सैनिक होने के नाते आप मुझसे सहमत होंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा तन्त्र को समझना आवश्यक है क्योंकि सभी कमियां इससे ही जन्मी हैं। इस पर विशेष संस्थाओं तथा सम्पूर्ण संसद द्वारा बहस की जानी चाहिये। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जानी चाहिये। विदेश नीति वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिये। आज यह पूरी तरह से विपरीत है। यहां बहुत अधिक धनराशि है। इसलिये आपके पास ज्यादा थल-सेना, नौ-सेना तथा वायु-सेनाएं होनी चाहिए। इसीलिये आप इस नीति को नहीं बना पा रहे हैं। हम किस आधार पर निरन्तरता कायम रख सकते हैं।

सभापति महोदय : जनरल साहब आप मुझ पर इल्जाम लगाने का अवसर दे रहे हैं कि मैं भा.ज.पा. के सदस्य को बहुत अधिक समय दे रहा हूं। आप कृपया समाप्त करें।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : एक आखिरी मुद्दा और है। इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा...**(व्यवधान)** मैं विदेश मंत्रालय में आसूचना और सूचना के महत्व पर जोर देना चाहूंगा। चूंकि सदस्य बैचेन हो रहे हैं, मैं समाप्त करना चाहूंगा।

श्री शिवराज वी. पाटिल : सभापति महोदय, मैं अपना भाषण इस स्वीकृति के साथ शुरू करना चाहूंगा कि हम रक्षा, विदेशी कार्य, जनसंख्या तथा बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं कर पाते हैं। पोठासीन अधिकारियों पर भी इस प्रकार का इल्जाम लगता रहता है। पहले मैं इस सभा का अध्यक्ष था, इसलिये मैं भी इस इल्जाम का भागीदार हूं किन्तु इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर तब तक सभा में चर्चा नहीं की जा सकती, जब तक कि सत्ता पक्ष तथा विपक्ष तथा अन्य इस मामले में सहयोग नहीं करत।

इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना हमारे देश एवं जनता के हित में होगा। यदि आप रक्षाा संबंधी मामलों पर विचार नहीं करते तो जब विदेश संबंधी मामलों पर चर्चा होती है, तो हम रक्षा संबंधी मामले उठाते हैं। हमें इन मामलों पर चर्चा करने से घबराना नहीं चाहिये। कभी कभी यह महसूस होता है कि हम रक्षा तथा विदेश संबंधी मामलों पर चर्चा करने से घबराते हैं। क्या हम घबराते हैं? क्या हम सदन में अपना मत व्यक्त करने से भी घबराते हैं।

यदि ऐसा है, तो हमें इसमें सुधार करना ही होगा, अन्यथा हमें हानि होगी।

मुझे वह दिन याद है जब विदेश कार्यों संबंधी मामलों पर चर्चा चल रही थी, तो एक सदस्य उठा और बोला कि जब तक हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, कोई भी हमारी रक्षा नीति की परवाह नहीं करेगा और उसने पूछा कि इस पर सभा में चर्चा करने का क्या लाभ है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता, जो इस समय यहां उपस्थित बैठे हैं, उठे और पूछें कि क्या स्वतन्त्रता मिलने के समय हम आर्थिक रूप से बेहतर थे। उस समय हमारी रक्षा नीति पर ध्यान दिया जाता था तथा हमारे कहे गये शब्द अधिक ध्यान से सुने जाते थे। मेरे विचार में इसे सही किया जाना चाहिये।

दुर्भाग्य से, विदेश मंत्रालय को पर्याप्त धन भी नहीं मिलता। उनके लिये यह संभव नहीं है कि वे, दूसरे देशों में अपने दूतावासों की व्यवस्था करना अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उचित ढंग से भाग लेना तथा इस क्षेत्र में इस ढंग से अपनी गतिविधियां चलाना कि हम विश्व के समक्ष अपना दृष्टिकोण रख सकें और उन्हें अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना उनके लिए संभव नहीं है।

मेरे पास भारत के संविधान की प्रति है। संघीय सूची में 'रक्षा' पहले स्थान पर तथा "विदेशी कार्य" दसवें स्थान पर उल्लिखित है। इनके बीच में नौ-सेना, थल-सेना, वायु-सेना तथा इसी तरह के अन्य विषय हैं। इसका अर्थ है कि रक्षा तथा विदेशों संबंधी कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं तथा इन मुद्दों पर संसद के द्वारा चर्चा की जानी चाहिये तथा उस पर संघीय कार्यपालिका द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो शायद हम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी जिनमें से असफल हैं।

मैं विषयों के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं जितना संभव हो सकेगा संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा; तथा जैसे ही आप मेरा समय समाप्त होने की ओर इशारा करेंगे, मैं बैठ जाऊंगा। किन्तु इस बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिये-विदेश नीति के स्थूल पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिये, विदेश नीति के सूक्ष्य पहलुओं पर भी चर्चा होनी चाहिये। मैं विदेशी नीति के सूक्ष्म पहलुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं, विदेश नीति के स्थूल पहलुओं पर नहीं।

भारत की विदेश नीति निर्धारित करते समय यह आवश्यक नहीं है कि उसमें केवल युद्ध, शान्ति तथा निरस्त्रीकरण से संबंधित मामलों पर ध्यान दिया जाये। यह हमारे लिये आवश्यक है कि शीत युद्ध जैसी जो स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। वह भी पर्याप्त नहीं है। हमारे लिये यह निर्णय लेना आवश्यक होगा कि विश्व में किस प्रकार का नया आर्थिक ढांचा निर्मित किया जाना चाहिये तथा हम किस तरीके से इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। यदि हमें विश्व में व्याप्त आर्थिक नीतियों के बारे में स्पष्ट नहीं हैं तथा हम इस संदर्भ में हमारे देश में कैसी आर्थिक नीति चाहेंगे, हम अपनी विदेश नीति को उचित रूप नहीं दे पायेंगे। आर्थिक पहलू पर चर्चा करते समय यह आवश्यक होगा कि हमें प्रौद्योगिकी पहलू तथा वैज्ञानिक पहलू पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

जब हम वस्तुओं तथा सामग्री का एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से लेन-देन की बात कर रहे हैं, तो प्रौद्योगिकी की एक देश से दूसरे देश में आदान-प्रदान की अनुमति क्यों नहीं है। निर्यात का माल एक देश से दूसरे में जाने की अनुमति क्यों नहीं है। ये कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से समझना है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो विश्व में उभर कर आ रहे हैं इसके संबंध में भारत की एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति होनी आवश्यक है, न केवल वाणिज्य और व्यापार पर, न केवल आर्थिक मुद्दों पर।

हमें संस्कृति के संबंध में भी बहुत स्पष्ट नीति अपनानी होगी कि किस तरह की संस्कृति विश्व में पनप रही है और किस तरह की संस्कृति हमारे देश में होनी चाहिए और उन दोनों के साथ संबंध हेतु हम कौन सी शैली अपनाने जा रहे हैं। नई राजनैतिक व्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था, नई सांस्कृतिक व्यवस्था और नई वैज्ञानिक व्यवस्था-ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिए, तभी हम एक व्यापक भारतीय विदेश नीति बनाने में समर्थ होंगे। एक विखंडित भारतीय विदेश नीति सफल नहीं होगी। यह हमें कुछ विषयों और समस्याओं को हल करने में सहायता देगी लेकिन यह हमें वास्तविक मजबूती नहीं देगी, जिसकी हमें आवश्यकता है।

जब हम कोई व्यापक भारतीय विदेश नीति बनाते हैं, तो उसमें सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाए और तब जो नीति तैयार होगी वह हमारे देश के लिए वास्तव में उपयोगी सिद्ध होगी।

दूसरा प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमारी अपने पड़ोसी और विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों के बारे में स्वतंत्र और द्विपक्षीय नीति होनी चाहिए। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। आज विश्व में क्षेत्रीय संगठन विकसित हो रहे हैं और यदि हम क्षेत्रीय संगठनों के विकास को और समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम पड़ोसी देशों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने में समर्थ नहीं होंगे। सार्क (दक्षेस) का विकास करना आवश्यक होगा, हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम "भाशियान" आन्दोलन में भाग लें और हमारे लिए यह भी आवश्यक होगा कि हम अन्य क्षेत्रीय संगठनों में भाग लें और इन संगठनों में अपनी उपस्थिति महसूस कराएं तथा उनकी कठिनाइयों को समझें और उन्हें हल करने में उनकी सहायता करें, तब वे निश्चित रूप से हमें भी सहयोग देंगे और तब यह हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा।

जहां तक गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नैम) का संबंध है, यह समझा जा रहा है और 'नैम' की आलोचना करने का चलन हो गया है। लोग कह रहे हैं कि 'नैम' अप्रासंगिक हो गया है। मैं नहीं जानता कि 'नैम' कैसे अप्रासंगिक हो गया है। राजनैतिक रूप से यह उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, जितना यह था। लेकिन क्या यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? क्या यह सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? क्या यह सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? क्या यह एक मंच नहीं है, जहां 'नैम' के देश एक साथ आ सकते हैं और उन मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनका अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व है? 'नैम' की आलोचना या उपेक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इस मंच को हटाने का कोई औचित्य नहीं है, जो कि हमें पहले ही उपलब्ध है। एक तरफ हम आर्थिक, वैज्ञानिक और मौसम विज्ञान के मामलों पर चर्चा करने, साथ बैठने और हाथ मिलाने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ एक उपलब्ध मंच को हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम भारत के लिए यह अच्छी बात नहीं है। भारत इस आंदोलन को चलाने हेतु जिम्मेदार देशों में से एक है और भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह आंदोलन बिगड़ने या टूटने न पाए। इस आंदोलन का संरक्षण किया जाए और इसे मजबूत बनाया जाए।

यहां अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक प्रश्न जो कि हमें कई बार अपने आप से पूछना पड़ता है वह यह है कि क्या हम वास्तव में उन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय हैं? किसी समय हम सक्रिय थे, और कुछ लोगों ने पूछना चाहा, "आप आर्थिक रूप से और अन्य तरह से भी बहुत कमजोर देश हैं, और आप यदि विश्व के नहीं, तो कम से कम अपने क्षेत्र में नेता बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या यह सही है?" यह प्रश्न पूछा गया और मैं समझता हूं कि हमने सही कहा था कि हम नेता नहीं बनना चाहते और जबकि हम नेता नहीं बनना चाहते, तो हम पिछली कतार में भी नहीं बैठना चाहते। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में पिछली कतार में बैठते हैं, तो अपने विचारों को प्रकट करने और उनके विचार सुनने का जो अवसर उपलब्ध है, वह चला जाएगा। और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में यह आवश्यक नहीं कि हर कोई हमारे विचारों को स्वीकार कर ले या उनके विचारों को हम स्वीकार कर लें या फिर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारों के आदान प्रदान का कोई अवसर नहीं होता। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों या नीतियों में विचारों का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है लेकिन यदि हम इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में पर्याप्त सक्रिय नहीं है, क्योंकि धन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी नीति केवल आर्थिक मामलों पर केन्द्रित है और अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अनावश्यक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो दूसरे लोग इसे अन्यथा लेंगे, तब हमारे लिए यह सही है? क्या हम अपने प्रति न्याय कर रहे हैं? क्या हमारी अन्तर्राष्ट्रीय या विदेश नीति है या बनाने जा रहे हैं? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत सभी मामलों में अपर्याप्त रूप से सक्रिय है। कई बार हम सक्रिय रहे हैं लेकिन कभी मैं महसूस करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कई मामलों में हम पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं हैं और हमेशा हम पीछे हटने या पिछली कतार में बैठने का प्रयत्न करते रहे थे। केवल अगली कतार में बैठना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे लिए यही पर्याप्त होगा कि हम अपने विचारों को समुचित ढंग से व्यक्त करें और उनके विचारों को समझें, और इसके बाद कार्रवाई करें। यह वह है जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में हमें करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। हम संयुक्त राष्ट्र में केवल इसीलिए सक्रिय रहना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास सुरक्षा परिषद की स्थाई या कोई अन्य सदस्यता नहीं है। बल्कि हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करना आवश्यक है और बदले में संयुक्त राष्ट्र भारत जैसे देशों की और साथ ही सम्पूर्ण विश्व की ऐसे कई मामलों में सहायता कर सकता है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के बारे में बात करें। यदि हम पूरे संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के बारे में बात नहीं करते हैं, और केवल सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के बारे में बात करते हैं, तो इससे हमें कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। हमें संयुक्त राष्ट्र के बहुत से भागों में सक्रिय होना पड़ेगा। हमें अन्य क्षेत्रों में भी सक्रिय होना पड़ेगा।

अब मैं युद्ध और शांति के प्रश्न पर आता हूं। सौभाग्य से विश्व के क्षितिज पर यह दिखाई नहीं पड़ता। हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी स्थिति बनी रहे। हम यह भी प्रार्थना करेंगे और इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि कोई युद्ध न हो और शांति रहे। लेकिन जब हम निरस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, तब हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि हम केवल तभी प्रतिवाद कर रहे हैं जब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर चर्चा हो रही है और व्यापक तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण की बात

नहीं कर रहे हैं, तो हम कमजोर हो रहे हैं। कोई भी हमारे विचारों को समझने वाला नहीं है। इसलिए यह पर्याप्त नहीं है कि सी.टी.बी.टी. पर चर्चा होने पर हम केवल उसी की बात करें, बल्कि निरस्त्रीकरण के सम्पूर्ण पहलुओं पर बात करना आवश्यक होगा। हमारे पड़ोस में और विश्व के कुछ भागों में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है, वह है धीमा युद्ध। यह आवश्यक है कि हमारी एक नीति हो। यह आवश्यक है कि हमारी नीति विश्व के अन्य देशों द्वारा अपनाई गई नीति के अनुकूल हो। केवल तभी हम इस मामले से निपटने में समर्थ होंगे। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस संसद, सरकार और लोगों को विदेश मंत्रालय हेतु अधिक धन, समय और अवसर देने में अनिच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं सबसे पहले विदेश मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में जो कुछ कदम उठाए हैं, उसमें बंग्लादेश के साथ पानी के मामले पर एक लंबे अरसे से पड़े हुए विवाद को कुछ उम्मीद और आशा के साथ निपटाने में कामयाबी पाई है। मैं नहीं जानता कि अन्य कितने लोगों के साथ उनकी देश के भीतर बात हुई, क्योंकि यह काम कराने में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का सहयोग तो जरूर लिया था, लेकिन पानी के बारे में जो फैसला हुआ है, इसका असर उन तमाम प्रदेशों पर भी पड़ने वाला है जहां से गंगा का पानी पूर्व की ओर बंगलादेश की तरफ बहता है। मेरे अपने क्षेत्र नालन्दा के लोगों ने पूछा कि यह जो समझौता हुआ है और हम लोगों का काफी पानी छोड़ दिया जा रहा है, तो क्या बिहार में हमारी खेती पर इसका कुछ असर पड़ने वाला है? हम उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं थे और इसलिए हम मंत्री जी से जरूर जानना चाहेंगे कि क्या बिहार के किसानों पर वहां की खेती आदि पर इसका कुछ असर होने वाला है, इस पर आपने कुछ विचार किया है? अगर आप चाहें तो दो साल के बाद इस समझौते का रैव्यू होना है वरना पांच साल में रैव्यू होना है। मुझे आशा है कि जो भी अनुभव आने वाले दो सालों में होंगे, उसके आधार पर इस समझौते को मजबूत करने में और दोनों तरफ के लोगों का इससे फायदा हो, इस पर ठीक निगरानी रखने में हमें कामयाबी मिलेगी।

अपरान्ह 6.00 बजे

सभापति महोदय, विदेश नीति पर चर्चा करते समय कई बातें यहां पर आईं, अभी माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि हम लोग विदेश नीति पर बात करने से क्यों डरते हैं? विदेश नीति और देश की सुरक्षा के बारे में बात करने से हम सचमुच डरते हैं। इस देश की व्यवस्था, इस्टेब्लिशमेंट जो एक अहम शब्द है, हमेशा डरती है। डरने का कारण यह है कि जब तथ्य लोगों के सामने आ जायेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, हम लोगों के बारे में पड़ोसियों के क्या इरादे हैं, जब देश के लोग पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं तो उसका जवाब देने का समय आ जायेगा तब आज देश का जो बंटवारा है अमीर और गरीब का, शहर और गांव का और विदेशी पूंजी और देश की लाचारी का, इस बंटवारे के साथ आप देश की सुरक्षा को यानी दोनों चीजों को एक साथ नहीं चला पाओगे। यही तथ्य है जिसको लेकर हमेशा हमारे देश में, इन अहम सवालों के ऊपर बहस करने में, चाहे यह सदन हो या सरकारें हों, कभी आगे नहीं बढ़े। आज एक माननीय सदस्य जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर दो साल से चर्चा नहीं हुई है। महोदय, दो साल नहीं पिछली तीन सरकारों के समय से चर्चा नहीं हुई है। पिछले तीन प्रधान मंत्री जो यहां हुए, उनके मंत्रिमंडलों में भी चर्चा नहीं हुई है। मैं भी एक सरकार में रहा, भले ही कुछ समय के लिए रहा, कुछ समय के लिए वह सरकार रही, लेकिन रक्षा का प्रश्न चर्चा का विषय नहीं बना, हम इस बात को जानते हैं, मंत्रियों से भी हमारी बातें होती हैं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल कभी बहस के सवाल के तौर पर नहीं उठा और मैं इसलिए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब हम लोग विदेश नीति की बात करते हैं तो उसके साथ हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते और इस देश की सुरक्षा के मामले, इन सबको मुख्य बातों के तौर पर हमें रखना चाहिए। मुझे यह मालूम है कि बढ़ती हुई दुनिया में विदेश नीति व्यापार तक ही सीमित हो रही है और विदेश मंत्रालय व्यापार करने और कराने में ही लगा हुआ है। अमरीका का राष्ट्रपति दुनिया का चक्कर मारता है इसलिए छोटे देशों के प्रधान मंत्री भी दुनिया का चक्कर मारते हैं कि अगर अमरीका के राष्ट्रपति को दुनिया भर में कुछ मिलेगा तो हमें भी उनका अनुकरण करके कुछ मिलेगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलेगा। अमरीका की आज समूचे विश्व पर हावी होने की रणनीति है। यहां गुलाम रसूल साहब ने एक सवाल पूछा, शायद अब वह चले गये हैं, उन्होंने चेचन्या की बात की, बोस्निया की बात की, ये अहम मसले हैं। लेकिन उसके साथ इराक की भी बात करनी चाहिए। अमरीका ने इराक के साथ जो व्यवहार किया, गरीब राष्ट्रों के साथ या छोटे राष्ट्रों के साथ जो उनका व्यवहार रहा है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि इन चीजों पर हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और सोचना भी चाहिए। इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि आप हमारे नजदीकी, पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने देश के रिश्ते सुधारने के बारे में सोच रहे हैं

अपरान्ह 6.03 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

तो उसके साथ थोड़ी सी नजर इस लम्बे दौर पर डालनी होगी और विशेषकर सैंट्रल एशिया के जो राष्ट्र एक जमाने में सोवियत यूनियन के अनेक राज्यों और राष्ट्रों के तौर पर थे और आज आजाद राष्ट्रों के तौर पर हैं, उनके साथ भी आपको विशेष तौर पर रिश्ते बनाने का प्रयास करना चाहिये। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, इस देश की सुरक्षा के मामले में, देश के आगे बढ़ने के मामले में, जहां-जहां खतरे नजर

आते हैं, इस देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर सैंट्रल एशिया के इन राष्ट्रों के साथ, सब के नाम यहां गिनाने की जरूरत मैं नहीं समझता, विशेष तौर पर हर प्रकार के रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते और आर्थिक रिश्ते हम लोगों को बनाने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस दिशा में आपने कुछ प्रयास जारी रखे हैं, उनको और तेजी से बढ़ाना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात बार-बार हम लोगों की चर्चा में आती है।

अफगानिस्तान में पिछले कई दशकों से जो स्थिति बनी रही है, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए पहले हम लोग साम्राज्यवादी ताकतों को जिम्मेदार कहा करते थे लेकिन अब साम्राज्यवादी ताकत नाम की कोई चीज नहीं है, उसकी जगह आज अमेरिका है इसलिए उसके प्रयासों को नजरअंदाज करना गलत होगा। जहां-जहां हमें इस बात को स्पष्ट तौर से कहना है, मंत्री जी, हम लोगों को बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए। अमेरिका क्या सोचता है, उसकी राजनीति क्या है, हमारे एशिया इलाके में उसकी जो भी हरकतें होती हैं, चाहे जिस ढंग से होती हों, चाहे किसी का इस्तेमाल करके होती हों, लेकिन उनके बारे में, मैं चाहूंगा कि हम मजबूती के साथ बोलते रहें और अपनी नीति पर चलते रहें।

अब मैं अपने उन दो पड़ोसियों की ओर आता हूं, जिनके बारे में हम विशेष आस्था रखते हैं और हमें आस्था रखनी भी चाहिए क्योंकि मैं मानता हूं कि इस देश की सुरक्षा के लिए ये दोनों पड़ोसी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं-उनमें से एक तिब्बत है, जिसे मैं अपना पड़ोसी मानता हूं, हो सकता है कि कोई उसे चीन का हिस्सा मानता हो, लेकिन तिब्बत को मैं अपना पड़ोसी मानता हूं, और दूसरा हमारा पड़ोसी बर्मा है, जिसे म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं।

तिब्बत के बारे में, मैं सबसे पहले एक बात कहूं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जब रोम गए थे, वहां यद्यपि वे अनाज पर बहस करने के लिए गए थे लेकिन तिब्बत के बारे में सौदा करके आए। वहां ली पांग से ऐसा कहने की क्या जरूरत थी कि आप चिन्ता मत करिए, हम दलाई लामा की परवाह नहीं करने वाले हैं-मेरी समझ में नहीं आता और अभी तक नहीं आया कि ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। जब उनके राष्ट्रपति यहां आए तो उनके आने से पहले, आने के बाद और जाने के बाद, हम लोग यही कहते रहे कि नहीं, आप चिन्ता मत करिए, तिब्बत के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी है। मैं आज इस सदन में आपको बताना चाहता हूं कि तिब्बत के बारे में एक भारी गलतफहमी पिछले कुछ सालों से फैलाई जा रही है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है और इस सदन में उसके बारे में कुछ बातें स्पष्ट कहने की जरूरत है। मैं सदन का ध्यान 1937-38 की तरफ ले जाना चाहता हूं जब हमारे देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी उस संघर्ष के नेता थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक पम्पलैट निकाला, जिस दस्तावेज का नाम था 'इंडिया ऑन चाइना'। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी ने चीन, तिब्बत और जापान आदि के बारे में जो भी बयान दिए, वह उन बयानों का संकलन था। उस 'इंडिया ऑन चाइना' संकलन की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जिसका एक पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़कर सुनना चाहता हूं :—

[अनुवाद]

चीन की सीमाएं सम्पूर्ण उत्तर, सोवियत रूस की सीमा, पश्चिम और दक्षिण, तिब्बत तथा ब्रिटन और फ्रांस, अधिकृत बर्मा और भारत चीन और सम्पूर्ण पूर्वी प्रशांत महासागर का तट, जापान और उसके कोरिया और फोरमोसा दो उपनिवेशों तथ्य यूनाइटेड स्टेट्स फिलीपीन आइलैंड से मिलती है। चीन के आसपास की विदेशी शक्ति चक्र की चीन में भारी रूचि है और वह किसी न किसी रूप में वहां आन्तरिक नियंत्रण पाना चाहता है।

[हिन्दी]

उस समय कांग्रेस की यह नीति थी-सोशलिस्ट पार्टी या जनसंघ की नीति नहीं थी, बल्कि उस कांग्रेस पार्टी की थी जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कर रहे थे।

सभापति जी, मैंने यह बात आपको आजादी की लड़ाई के समय की बताई। अब मैं आपको उससे आगे ले चलता हूं-1947 में-जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ लेकिन चीन में क्रांति का संघर्ष अभी चल रहा था, चीन पर अभी लाल सेना का कब्जा नहीं हुआ था।

सभापति महोदया, फर्स्ट एशियन रिलेशंस कान्फ्रेंस, इस महानगरी, राजधानी दिल्ली में पं. जवाहर लाल नेहरू ने बुलाई। उसमें एशिया के अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए। उसमें चीन शायद नहीं आया और आया हो, तो लड़ाई लड़ते हुए तथा अभी भी अपने राष्ट्र के ऊपर पूरी आजादी न पाया हुआ नेतृत्व आया हो, लेकिन तिब्बत का प्रतिनिधि मंडल इस सम्मेलन में आया था जिसकी सदारत पं. जवाहर लाल नेहरू ने की थी और उस सम्मेलन को महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। तिब्बत को उस समय भारत ने आजाद राष्ट्र के तौर पर मान लिया था।

मैं आपको फिर ले जाता हूं 1950 में और मैं यहां पर महात्मा गांधी का नाम नहीं ले रहा हूं। लोहिया का नाम भी नहीं ले रहा हूं और न ही जय प्रकाश के नाम का जिक्र कर रहा हूं जिनके बारे में अनेक बातें अनेक समय पर लोगों ने कही हैं। मैं पं. नेहरू का जिक्र कर रहा हूं। 7 दिसंबर, 1950 को इस सदन में पं. जवाहर लाल नेहरू कहते हैं-

[अनुवाद]

चूंकि तिब्बत चीन जैसा नहीं है, किसी कानूनी या संवैधानिक तर्क के बिना तिब्बत के लोगों की आकांक्षा अंततः पूरी होनी चाहिए।

सिद्धांतों के अनुसार, मैं हिमायत करता हूं कि तिब्बत के संबंध में अन्तिम आवाज तिब्बत के लोगों की आवाज होनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं।

[हिन्दी]

फिर मैं आपको ले जाता हूं डा. राजेन्द्र प्रसाद की ओर और तारीख है 24 अक्तूबर, 1962। अभी चीनी आक्रमण हो चुका है। अभी देश में उथल-पुथल हो रही है तथा देश की सुरक्षा को लेकर भारी उठाव है और पटना के गांधी मैदान में डा. राजेन्द्र प्रसाद कहते हैं-"स्वतंत्रता एक पवित्र वरदान है। इसकी हर तरह से रक्षा करनी होगी। तिब्बत को चीनी के फौलादी शिकंजे से स्वतन्त्र करना है और उसे तिब्बत के लोगों को सौंपना है।"

[हिन्दी]

फिर मैं आपको ले जाता हूं 24 मई 1964 के दिन की ओर। पं. नेहरू का देहान्त 27 मई 1964 को हुआ था। उससे तीन दिन पहले की यह बात है। पं. नेहरू उड़ीसा में आकर बीमार पड़े थे और वहां से फिर आराम करने के लिए और इलाज के लिए उनको देहरादून ले जाया गया। देहरादून से एक चिट्ठी उन्होंने लिखी। यह चिट्ठी उन्होंने लिखी डा. गोपाल सिंह को जो बड़े हिस्टोरियन थे, एम्बैसेडर थे और पंडित जी के बड़े दोस्त थे। डा. गोपाल सिंह ने एक चिट्ठी लिख कर कहा कि क्या हो रहा है उत्तरी सीमाओं का? कैसे होगा भारत का संरक्षण? और पंडित जी ने उत्तर लिखा। वह लंबा उत्तर था, लेकिन उसमें से पैराग्राफ मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं-

[अनुवाद]

"मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में तिब्बत के बारे में हम क्या कर सकते हैं।"

देहान्त के तीन दिन पहले-

"तिब्बत के बारे में संयुक्त राष्ट्र में संकल्प पारित होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां चीन का प्रतिनिधित्व नहीं है तिब्बत में जो हुआ है। इससे हम अलग नहीं रह सकते।"

1949 से जो कुछ हुआ था उसकी प्रत्येक बात के संबंध से हम कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

यानी एक हताशा थी। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने मन की पीड़ा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पंडित जी लिख गए हैं मृत्यु के तीन दिन पहले। मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा सिर्फ एक आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। भारत सरकार का आफीशियल डैलीगेट संयुक्त राष्ट्र असैम्बली में बोलता है-

हम सभी को इस नग्न सत्य का सामना करना होगा कि चीनी सरकार तिब्बत के लोगों को मिटा देने का इरादा रखती है। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा समय तक दबा कर नहीं रखा जा सकता। मेरा विश्व समुदाय में विश्वास है। मेरा विश्वास है कि यह तिब्बत को ऐसी सभी आजादी दिला पाने में समर्थ होगा जिसे हमने विश्व मानव अधिकार घोषणा में निष्ठा के साथ संन्निहित किया है।

[हिन्दी]

यह भारत सरकार का आफीशियल डैलीगेट 1965 में जनरल एसेम्बली में बोलता है और प्रतिनिधि का नाम डा. रफीक जकारिया। कांग्रेस के बड़े नेता।

सभापति महोदया, कहां हम लोग वहां से यहां आकर पहुंचे हैं? कौन इन नीतियों को बदल रहा है? किसने इन नीतियों को बदला? 1937, 1938 से फिर हम आते हैं 1947 और फिर हम आते हैं 1950 में और फिर हम आते हैं 1962, 1964, 1965 में। किसने इन नीतियों को बदला? इस सदन में दिए गए वचनों को, इस सदन में लिए गए निर्णयों को कौन बदल रहा है? किस सरकार ने बदला? किस सरकार और किस मंत्रिमंडल को इन्हें बदलने का अधिकार था? हमारे लिए केवल तिब्बत की आजादी का ही मतलब नहीं है। दलाईलामा केवल बातचीत चाहते हैं। केवल आजादी का सवाल नहीं है। दलाईलामा तिब्बत की आजादी नहीं चाहते हैं। केवल बातचीत चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं।

आप इतनी मदद नहीं कर सकते। यह देश इतना भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं है। दशकों तक हम लोगों के किये अन्याय के लिए इतना भी प्रायश्चित हम लोगों की तरफ से नहीं होगा। हमारे माननीय श्री शिवराज पाटिल ने जो सवाल पूछा कि क्यों नहीं बहस होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि इन सारी चीजों पर कुछ ठीक निर्णय, कुछ कटु निर्णय, कुछ मजबूत निर्णय लेना जरूरी होता है।

सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तिब्बत के साथ बर्मा का नाम लेता हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जनरल त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से यहां पर बातें कहीं। बर्मा पिछले 35 सालों से मिलिट्री शासन में है। मैं उनके अंदरूनी मामलों में चर्चा नहीं करना चाहता मगर पिछले 35 सालों में वहां पर मिलिट्री शासन है। जनरल आंग सांग सूचि पंडित जवाहर लाल नेहरू के भक्त थे। वे महात्मा गांधी के भक्त थे। जब उनकी हत्या हुई तो गांधी जी रोये थे और उस दिन उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। "एक महापुरुष हम लोगों से चला गया, साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने वाला एक महापुरुष हम लोगों से चला गया," यह महात्मा गांधी के शब्द थे। आज उनकी बेटी जेल में बंद होती तो भी हम मानते। लेकिन छह साल जेल में बैठने के बाद जेल में बैठते हुए अपनी पार्टी को 80-85 प्रतिशत सीटें पार्लियामेंट में एक चुनाव जिसको मिलिट्री ने अपने कब्जे में रखते हुए चुनाव करवाया था। उस चुनाव में इतनी सीटें उनकी पार्टी को प्राप्त हुईं। इसलिए आज उनकी जान पर खतरा है।

जो सरकार आज यहां पर है, उस सरकार ने पिछले साल नवम्बर की 14 तारीख को यहां पर बुलाया था और उन्हें जवाहर लाल पीस प्राईज देने का ऐलान किया था। मगर वह पीस प्राईज लेने के लिए नहीं आ पायीं। उन्होंने अपनी एक रिश्तेदार महिला को भेजा और उन्होंने उस प्राईज को लिया। पिछले 8,10,12 दिनों से बर्मा के मिलिट्री जनरल लोग बोल रहे हैं। हम उसका अस्तित्व मिटा देंगे जो हमारे विरूद्ध खड़ा होगा 'अनाइअलट' शब्द का प्रयोग किया गया था। सारे विश्व में आज यह घबराहट है और हमारे दिल में, हमारे मन में घबराहट है कि आंग सांग सूचि का ज्ञान आज खतरे में है। क्या भारत कुछ नहीं बोलेगा? गांधी जी का हिन्दुस्तान कुछ नहीं बोलेगा? आंग सांग और गांधी जी, आंग सांग और पंडित जवाहरलाल, इन सभी लोगों के उस साम्राज्यवाद से लड़ते हुए जो रिश्ते थे, उनको भी हम लोग याद नहीं करेंगे। छह साल पहले आंग सांग सूचि को जेल में रहना पड़ा। 35 साल से बर्मा की तीन पीढ़ियां मिलिट्री की बंदूकों का शिकार होती रहीं। 1988 में दो हजार से अधिक बच्चों को सीधे दो दिनों में गोलियां चलाकर मिलिट्री ने उड़ा दिया। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या विदेश नीति यानी व्यापार, देश की सुरक्षा यानी व्यापार है। हम नहीं समझ पा रहे हैं। मोहरें खोल दिया, चम्पाई खोल दिया! चम्पाई खोलते हुए वहां जो बर्मा के कुछ बच्चे मिजोरम में शरण लेकर बैठे थे उनका गिरफ्तार करके उनमें से 10-12 लोगों को सीधे बर्मा भेज दिया गया। शायद उनको अब तक फांसी हो गयी होगी। इतना ही नहीं हम लोगों ने प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए, मानवाधिकार के लिए, उन सभी चीजों के लिए जिन पर हम हर दिन भाषण देने में दुनिया में सबसे अधिक चतुर हैं, तो क्या यही चलता रहेगा? देश की सुरक्षा के लिए हम जो खतरे देखते हैं, मेरे लिए बर्मा और तिब्बत, वहां एक जगह पर प्रजातंत्र को फिर से लौटाना और एक जगह पर केवल बातचीत, आजादी नहीं है, केवल बातचीत, मेरे लिए यह सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। मेरे लिए दोनों इस देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। जनरल साहब ने बहुत जानकारी यहां पर दी। मैं यहां पर उसे नहीं दोहराऊंगा लेकिन बर्मा की मिलिट्री थी साढ़े चार महीने में एक लाख 70 हजार जवानों की। आज बर्मा की मिलिट्री है सवा चार लाख जवानों की और आज से साल-डेढ़ साल में वह मिलिट्री पांच लाख जवानों की होगी।

बर्मा की आबादी साढ़े चार करोड़ है और भारत की आबादी 95 करोड़ है। साढ़े चार करोड़ का बर्मा 5 लाख की सेना को बना रहा है। चीन उस सेना को प्रशिक्षण दे रहा है। चीन उस सेना को हथियार पहुंचा रहा है। किससे लड़ने के लिए? आंग सांग सूची को मारने के लिए, वहां के स्कूल-कालेज के बच्चों को मारने के लिए। उसके लिए 5 लाख की सेना। भारत की सेना 12 लाख है।...**(व्यवधान)** भारत का घेरने का हम जो सिलसिला देख रहे हैं, इसलिए मैं न सरकार से, न देश से और न किसी से यह कह रहा हूं कि आप चीन से लड़ाई करिए, चीन से गुस्सा करिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारे देश का हित कहां है, हमारे देश की सुरक्षा के मामले कहां हैं। किस व्यूह रचना से हम अपने देश की सुरक्षा बचा सकते हैं और कौन सी व्यूह रचना हमारे इर्द-गिर्द आज चीन और उनके मित्रों द्वारा हो रही है, इसको यह देश समझ ले। व्यापार और केवल शाब्दिक दोस्ती के लिए जिन मानवीय मूल्यों को हम समर्पित हैं, उन मानवीय मूल्यों को न भूलें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप कल बर्मा के राष्ट्रपति को यह कहिए कि अमुक करना चाहिए, तमुक करना चाहिए। लेकिन आप बहुत पुराने कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत ही होशियार डिप्लोमैट हैं। मेरी प्रार्थना है कि आपमें जो भी खूबियां हैं, उन खूबियों का इस्तेमाल कीजिए और आंग सांग सूची की न केवल जान बचाने के लिए बल्कि बर्मा में फिर से प्रजातंत्र लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। उसी तरह से चीन को कहिए कि वह दलाई लामा से बात करे। चीन की चाहे जो शर्त हो लेकिन दलाई लामा बिना शर्त बात करना चाहते हैं। देश को नहीं बताना हो तो मत बताइए लेकिन उनसे अपने ढंग से कहिए और बातचीत करिए तथा हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने का जो दायित्व आज आपके ऊपर है, उस दायित्व को निभाइए।

श्री श्रीकान्त जेना : क्योंकि आज हम देर तक बैठेंगे, अतः सभी माननीय सदस्यों के लिए 8.30 बजे कमरा संख्या 70 में और कर्मचारियों के लिए कमरा संख्या 73 में रात्रि-भोज की व्यवस्था की जाएगी। प्रेस वाले भी रात्रि-भोज के लिए आमंत्रित हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) **:** महोदया, हम यह जानना चाहते हैं कि सभा की बैठक कब तक चलेगी। हमें किसी ने भी यह नहीं बतया है कि सभा की बैठक कब तक चलेगी।

श्री श्रीकान्त जेना : सभा की बैठक 10.00 बजे तक चलेगी।

सभापति महोदय : मैंने माननीय सदस्यों को पहले ही बता दिया है कि सभा की बैठक 10.00 बजे तक चलेगी। जब मैंने माननीय सदस्यों को यह बताया था, तब आप यहां उपस्थित नहीं थे।

[हिन्दी]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) **:** सभापति महोदया, पिछले दिनों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस हाउस में एक सुओ-मोटो स्टेटमैंट हमारी फौरन पॉलिसी पर दिया। यदि आप केयरफुली देखें तो उसमें हमने कुछ खास नहीं पाया। जहां तक हमारी फौरन पॉलिसी का सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारी शुरू से ही नेबर्स के साथ जो फौरन पॉलिसी रही है, वह सही नहीं है, खासकर चाइना विज-अ-विज तिब्बत के साथ। जब शुरू में पंडितजी ने तिब्बत पर चाईनीज सूजरनिटी ऐक्सैप्ट की तो मैं समझता हूं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी।

अब क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, उसके बाद हमारी पॉलिसी और भी बहुत डाइल्यूट हो चुकी है तो मैं नहीं समझता कि इस पर बहस करने की ज्यादा गुंजाइश रही है। लेकिन जो एक्सटर्नल अफेयर्स

मिनिस्टर साहब ने स्टेटमैंट दी, उसमें खासकर जो चाइनीज प्रेसीडेंट यहां पर तशरीफ लाये थे, उनकी विजिट के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन हमारे जो इंटरैस्ट हैं, उसमें खासकर सिक्किम के बारे में या अरुणाचल प्रदेश के बारे में या कश्मीर के बारे में जो हम समझते थे इस मौजू पर भी कुछ डिस्कशन चली होगी, उन्होंने यहां वेगली कहा कि हमने अपने जितने भी सारे इंटरनल मामलात हैं, उनके साथ जो आउटस्टेंडिंग इश्यूज हैं, उन पर हमने डिस्कशन की है, लेकिन स्पेसिफिकली नहीं मालूम कि क्या-क्या हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपने मैच पब्लीसाइज्ड कंसीडर बिल्डिंग मेजर्स के बारे में आपने कहा है, हमें तो उसमें कुछ लगता नहीं है। 1993 में जो एकोर्ड साइन हुआ था, उससे आगे और कुछ मुझे नहीं लगता। जो कुछ हुआ, लगता है कि उसी लाइन पर हम चल रहे हैं, इसलिए हम आपसे डिटेल में सुनना चाहेंगे कि यह जो कंसीजर बिल्डिंग मेजर्स हैं, उनमें क्या-क्या आपने पाया है, क्या-क्या एचीव हुआ है।

जहां तक इन जनरल हमारे नेबर्स के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, आमतौर पर कश्मीर का मसला हो, जो पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा है, चाहे चाइना के साथ हो या फिर बंगलादेश के साथ हो या श्रीलंका के साथ हो, हमने कोई खास इसमें पाया नहीं है। अलबत्ता यह मैं जरूर कहूंगा कि लेटैस्ट बंगलादेश के साथ जो पानी के झगड़े निपटाये हैं, उसके लिए मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक इश्यू है, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच में आपस में कुछ नाचाकती रहती आई है। इसके सिवा बाकी इसमें कुछ खास पाया नहीं है। मैं वक्त का ख्याल रखते हुए सिर्फ चाइना के बारे में तिब्बत के बारे में कुछ पाइंट्स आपके सामने कहना चाहता हूं।

जैसे कि मैंने पहले कहा कि तिब्बत की जो पॉलिसी हमारी रही है, वह शुरू से ही फैल्योर रही है। आपको मालूम है कि लेट फिफ्टीज में चाऊ एन लाई यहां आये थे, फिर उनके साथ पंचशील का एग्रीमेंट हुआ कि एक दूसरे की सीमा को छोड़कर हमें एक दूसरे पर हमला नहीं करना है, एक दूसरे की बाउण्ड्री को रैस्पैक्ट करना है, लेकिन हुआ ऐसा कि यह बोलते-बोलते चुपके से चाइना ने हमारा अक्साई चीन का 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो मेरी कौंस्टीट्वेंसी का इलाका था, वह चुपके से हड़प कर लिया तो यह प्राब्लम अभी तक चली आ रही है। मैं तो यह समझता था और हम यहां एक्सपैक्ट कर रहे थे कि कल जो आपके साथ बात चली तो इस विषय पर भी अपने कुछ डिस्कशन की होगी, लेकिन लगता ऐसा है कि इन चीजों को आपने छोड़ दिया है, सिवा इसके कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसी को रैस्पैक्ट करना है। मेरे इस मामले में कुछ सजेशंस भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी बातें कहना चाहता हूं। तिब्बत के इश्यू पर और खासकर दलाई लामा के इश्यू पर, जिसपर जनरल त्रिपाठी साहब और जार्ज जी ने इश्यू रेज किया है, मैं उनके साथ सहमत हूं। दलाई लामा के बारे में सरकार की पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये कहते हैं कि इनको पोलिटिकल एक्टीविटीज इंडियन सोइल पर बिल्कुल बन्द होनी चाहिए या बन्द कर दी गई हैं। आप यह बताइये कि उन्होंने कौन सी पोलिटिकल एक्टिविटी इंडियन सोइल पर आज तक की है? अलबत्ता यह है कि जो रिलीजिसय इश्यूज पर है, मजहबी इश्यूज हैं, अगर किया भी तो क्या हो गया।

जो पाकिस्तान यहां पर हुर्रियत वालों को लाकर जलसा कराता है और चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, उसको तो आप इजाजत दे रहे हैं। अगर किसी ने कहा भी हो तो मैं समझता हूं यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मजहब के नाम पर यहां व्याख्यान जरूर दिए हैं। इस बात को जितने भी विश्व में बुद्धिस्ट हैं, वे भी मानते हैं, उसके अलावा उन्होंने और कोई एक्टीविटी नहीं की। आपने उनकी रिलीजिसय एक्टीविटी पर रोक लगा दी है, क्योंकि सिलीगुड़ी में काला चक्र की पूजा होने वाली थी, उसको आपने शिफ्ट करा दिया है। अगर देश में धर्मनिरपेक्षता है तो इसको करने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। आगामी गर्मियों में लद्दाख में न्यूमा में काला चक्र का प्रोग्राम पिछले एक साल से बना हुआ है। मुझे यहीं से पता चला है कि वह भी करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर यह बात है तो आप देश में धर्मनिरपेक्षता की धज्जियां उड़ा रहे हैं मैं आपसे स्पेसिफिक एशोरेंस चाहता हूं कि ऐसे वाक्यात नहीं होने चाहिए।

जहां तक दलाई लामा की बात है, वे सिर्फ यहीं के छः मिलियन बुद्धिस्ट के लीडर नहीं है, बल्कि दुनिया के करोड़ों बौद्धों के लीडर हैं। उनके ख्यालात की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसमें हमारे सेंटीमेंट्स भी इंवाल्व हैं। जहां तक उनकी पोलिटिकल एक्टीविटी का सवाल है, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। मैं मानता हूं हमारे देश से पोलिटिकल एक्टीविटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वे ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वे तो संत आदमी हैं और अमन चाहते हैं। अगर अमन चाहना गुनाह है तो मैं नहीं समझता कि फिर आप क्या चाहते हैं।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि अक्साई-चिन का 37555 वर्ग किलोमीटर का हमारा एरिया चीन दबाए बैठा है। मेरा खयाल है कि वह इसे छोड़ने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके लिए तिब्बत के वास्ते यह लाइफ लाइन बनी हुई है। अगर वह लाइन कट गई तो उनके लिए तिब्बत में जितना भी रिइंफोर्समेंट हो या फूड सप्लाई हो, वह नामुमकिन हो जाएगा। रैस्ट ऑफ इंडस साउथ और वैस्ट की तरफ लद्दाख बॉर्डर से लेकर इंडिया-नेपाल तिब्बत बॉर्डर तक जो ट्राईजंक्शन है, वहां का एरिया रफली हमारे अक्साई-चिन के एरिये के बराबर बनता है। उस एरिये में चीन को कम्युनिकेशन प्राब्लम है। मैं समझता हूं यह प्रपोजल रखना चाहिए, क्योंकि वह एरिया हम छोड़ नहीं सकते और वह देंगे भी नहीं, तो ऐसे ही यह झगड़ा बना रहेगा। अगर इसका कोई हल निकलता है तो आपको इस पर एक्सप्लोर करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब अंतिम बात कहकर समाप्त कीजिए।

श्री पी. नामग्याल : मैं अंतिम पाइंट ही रखना चाहता हूं। आपने बॉर्डर पर कुछ कल्चरल एक्टीविटी के लिए रास्ता खोलने की बात कही है। यह आमतौर पर हमने पेपर्स के माध्यम से देखी है। डेंगजाक जो लद्दाख से चंगसंग एरिया के लिए मानसरोवर और कैलाश के लिए रास्ता जाता है, वह तीर्थयात्रियों और ट्रेड के लिए खोल दिया जाए तो उससे हमें भी फायदा होगा और चाइनीज को भी फायदा होगा। हमारे देश से तीर्थयात्रियों के मानसरोवर तक जाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हर साल जो लोग वहां जाते हैं उनको पहाड़ी दर्रे को क्रास करके जाना पड़ता है और बहुत मुश्किलात आती हैं। अगर वह रास्ता खुल जाएगा तो दिल्ली से गाड़ी में बैठकर आप तीसरे दिन वहां पहुंच सकते हैं।

यहां से लेह तक आपको फ्लाइट है। लेह से देमचोक आप एक दिन में जा सकते हैं और दूसरे दिन आप देमचोक से कैलाश और मानसरोवर गाड़ी में पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

मेडम, इन चंद लफ्जों के साथ मैं एक दफा फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे जो बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपको यह सूचित करना चाहती हूं कि संसद सदस्यों और प्रेस वालों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था कमरा संख्या 70 तथा कर्मचारियों के लिए कमरा संख्या 73 में की गई है। अतः, कृपया धैर्य रखिए और जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनको एक एक करके बोलने दीजिए। मैं सभी को एक साथ बोलने के लिए नहीं कह सकती। क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदया, हमने अपने रात्रि भोज की व्यवस्था स्वयं की है। भाजपा के सभी सदस्यों को इसमें शामिल होना है। हमें रात्रि भोज पर कुछ कूटनीतिक बातें करनी हैं। यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : एक मिनट। उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विदेश मंत्री का उत्तर सुनना चाहता हूं, हमें सांय सात बजे तक जाना है।

श्री जी.जी. स्वैल : वे अभी उत्तर नहीं दे सकते। हमें अपनी बात कहनी है। वह हमारी बात सुने बगैर उत्तर कैसे दे सकते हैं?

सभापति महोदय : विभिन्न दलों के अनेक वक्ताओं को बोलना है। मैं क्या करूं?

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) **:** प्रत्येक दल से एक प्रतिनिधि एक के बोलने से काम चल जाएगा।

श्री श्रीकान्त जेना : मेरे विचार से हम इस कार्य को सात बजे तक पूरा कर सकते हैं। यदि मंत्री महोदय और आधे घण्टे में उत्तर दे सकते हैं, तो प्रत्येक वक्ता पांच मिनट तक बोल सकता है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : मैं आज पहली दफा बोलना चाहता था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक-एक करके सभी को बोलना है। मैं तो सूची के अनुसार बुला रही हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : मेरा नाम भी वहां लिखा हुआ है।

सभापति महोदय : नाम तो सभी का लिखा है लेकिन क्या सभी एक साथ बोल लेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल कार : तो क्या मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी से इस तरह बात मत कीजिए। यह बात मेरे विवेकाधीन है। मुझे माफ कीजिए। वी.वी. राघवन जी, कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री गुलाम रसूल कार : यह बात पार्टी के विवेकाधीन है।

सभापति महोदय : जी नहीं।

श्री वी.वी. राघवन : महोदया, सी.पी.आई. को वक्ताओं की सूची में सबसे नीचे रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदया, मेरी दृष्टि से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अत्यंत पेचिदा एवं जटिल है।

मैं विदेश मंत्री महोदय को विदेशी मामलों की इस एक कठिन स्थिति में मार्ग दर्शन करने तथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बधाई देता हूं। भारत में विशाल संसाधन हैं और एक व्यापक बाजार है। अमरीका के नेतृत्व में सभी औपनिवेशिक ताकतें जीवन के हर क्षेत्र में हम पर हावी होने के लिए निकल पड़ी हैं। अतः, मेरे विचार से हमारी विदेश नीति में प्रमुख जोर हमारी अर्थव्यवस्था पर इन औपनिवेशिक हमलों के विरूद्ध कमर कसने और लड़ने तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारे बड़े हितों की रक्षा करने पर दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं विदेश मंत्री जी और

सरकार द्वारा हमारे पड़ौसी देशों विशेष रूप से चीन से मैत्री को मजबूत करने में की गई पहल का स्वागत करता हूं। इस संदर्भ में हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे मित्र देश कौन-कौन से हैं तथा ऐसे देश कौन कौन से हैं जो प्रत्येक अतंर्राष्ट्रीय गतिविधि में हमारे विरूद्ध सक्रिय हैं। मुझे पता है कि चीन के साथ हमारे सीमा संबंधी विवाद अभी भी लम्बित हैं।

इस समय इन सभी बातों के शांतिपूर्ण समाधान तथा हमारे बड़े पड़ौसी देश के साथ मित्रता मजबूत करने का वातावरण है। मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि इन दिनों तिब्बत का मुद्दा अधिक चर्चा में है। हमने श्री जार्ज फर्नान्डीज को मीडिया और इस सभा में तिब्बत पर पुराने रिकार्ड के बारे में बातचीत करते सुना है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हम चीन से अपनी मित्रता मजबूत करना चाहते हैं। यदि हम तिब्बत का मुद्दा-जैसा कि जार्ज फर्नान्डीज ने यहां रखा है- उठाएं तो क्या इससे हमें मदद मिलेगी? जहां तक मुझे याद है पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में भारत ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि तिब्बत चीन का अंग है। जब हम चीन के साथ मैत्री की बात करते हैं तो हमारे लिए तिब्बत, ताईवान और अन्य संवेदनशील मुद्दे अत्यंत चिन्ता के विषय बन जाते हैं। मैं नहीं समझता कि तिब्बत की जनता के प्रति प्यार के कारण भारत-चीन को एक दूसरे से दूर रखने के लिए कुछ ताकतें इन मुद्दों को आजकल पुनः अनुचित महत्व दे रही हैं। अतः, हमें सर्तक रहना चाहिए कि हम कश्मीर, भारत की एकता और अखण्डता के बारे में अधिक चिन्तित हैं तथा इसके लिए हमें मित्र बनाने ही चाहिए। हमारे पड़ौसी देशों का हमारे प्रति सार्थक रवैया अपनाने से आशा की एक किरण दिखाई दी है। अतः चीन के साथ मैत्री से, यदि कश्मीर की समस्या हमारे पक्ष में हल हो सकती है, तो हमें इन बातों के बारे में ज्यादा चिन्तित होना नहीं चाहिए।

अतः, चीन, बंगलादेश, म्यांमार और नेपाल के साथ हमारी मैत्री को सुदृढ़ करने हेतु मुझे आशा है कि एक साथ बैठक करके इस मुद्दे पर बातचीत करने से पाकिस्तान के साथ हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें हल करने का एक बार फिर प्रयास किया जा सकता है। यह सही है कि अमरीका विश्व के इस भाग में तनाव बनाये रखना चाहता है। वह पाकिस्तान को सैन्य उपकरण की दृष्टि से समृद्ध बनाना चाहते हैं और इसके लिए वे उसे हथियार देने को भी तैयार हैं। यह मत भूलिए कि अमरीका अभी भी आजाद कश्मीर की बात कर रहा है, न कि इसे भारत का अभिन्न अंग मान रहा है। हाल ही में अमरीकी प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि वे आजाद कश्मीर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाग के साथ हमारी अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सीमाएं लगती हैं। अमरीका कश्मीर का विनाश करना चाहता है। अतः, जब हम क्षेत्रीय मित्रता की बात करते हैं, तो हमें अपने प्रमुख हितों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। चीन माओ त्से तुंग के शासन काल को नहीं दोहरा सकता और भारत अपने लम्बे इतिहास को नहीं दोहरा सकता। एक नए विश्व का सूत्रपात हो रहा है, जिसमें औपनिवेशिक ताकतों का विश्व पर हावी होने का भय है। जहां तक आर्थिक और राजनैतिक मामलों का संबंध है, ये ताकतें हर तरीके का इस्तेमाल करने को तैयार हैं, जैसा कि हमने सिंगापुर में देखा।

कल, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इस मामले का यही सार है। यही हमारी स्वदेशी और विदेशी, दोनों नीतियों का मार्गदर्शन करता है। विश्व इसी खतरे का सामना कर रहा है। जैसा कि श्री रमेन्द्र कुमार ने ठीक ही कहा है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) विश्व की सर्वोच्च संस्था एवं विश्व का सर्वोच्च शक्ति केन्द्र बनना चाहता है।

आप संयुक्त राष्ट्र संघ को ही देखिए। अब अमरीकी सरकार इसे भी अपने देश का एक अंग बनाना चाहती है। महोदय, वे संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह एक अत्यंत पेचीदा और जटिल स्थिति है।

मैं श्री शिवराज वी. पाटिल के गुट-निरपेक्ष आंदोलन सम्बन्धी कथन से सहमत हूं। विश्व की उपनिवेश विरोधी ताकतों को एकत्रित करने के हमारे प्रयासों में अब हम प्रमुख विरोधाभास यही देखते हैं कि प्राचीन साम्राज्यवादी ताकतें नव-उपनिवेशवाद के लिए एक नए तरीके से हावी होने की कोशिश कर रही हैं। अब ये ताकतें सक्रिय हैं। अतः, हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को और अधिक महत्व देना चाहिए। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं।

महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मुझे केवल एक बात और कहनी है।

मैं विदेश मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह न्यूयार्क स्थित हमारे देश के स्थायी मिशन को मजबूत करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा स्थायी मिशन है, जिसका संचालन योग्य आई.एफ.एस. और आई.ए.एस. अधिकारी कर रहे हैं। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। आप अमरीका को देखिए। उनकी शीर्षस्थ राजनैतिक हस्ती, एक महिला सेक्रेटरी आफ स्टेट बन गई हैं जो हमारे विदेश मंत्री के बराबर का पद है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत के दर्जे वाला कोई व्यक्ति इस मिशन में नियुक्त करना होगा। हम वहां अपने स्थाई मिशन को अधिकारियों के माध्यम से चला रहे हैं। महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने कार्यकलापों का स्थायी रूप से संचालन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसी परिपक्व राजनेता को नियुक्त करना चाहिए। हमारे पास ऐसे नेतागण मौजूद हैं। हमारे पास वी.के. कृष्ण मेनन और डा. विजयलक्ष्मी पण्डित जैसे नेतागण मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए अतंर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त ऐसी राजनैतिक हस्तियों एवं राजनेताओं को नियुक्त किया जाना चाहिए।

श्री जी.जी. स्वैल : सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आभारी हूं। विदेश नीति के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमारे साथ समस्या यह है कि हम मूल बात को छोड़ कर व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं और यदि हम एक बार व्यर्थ की बातें में उलझे तो उनका कोई अन्त नहीं होता है। यह मुख्य समस्या है।

मेरा विदेश मंत्री महोदय, जो मेरे मित्र हैं, से पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि जब चीन के राष्ट्रपति यहां आये थे तो हमने यह वायदा किया था कि हम अपने अग्नि प्रेक्षपास्त्र की प्रगति को तकनीकी-स्तर तक ही सीमित रखेंगे तथा इसे सैन्य प्रयोजन के लिए तैनात नहीं करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देना इस सभा और देश के प्रति उनका उत्तरदायित्व है।

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मेरा इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं है।

श्री जी.जी. स्वैल : जहां तक इस बात का संबंध है, उत्तर स्पष्ट है क्योंकि यह रिपोर्ट है।

दूसरी बात कल की घटना के बारे में है। महोदया, कल यह रिपोर्ट थी कि चीन ब्रहमपुत्र नदी के बहाव के मार्ग को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र और समूचे भारत में पारस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा। मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी है। उनका कहना था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने सी.टी.बी.टी. का उल्लेख किया है तथा कहा है कि चीन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या इस नदी का मार्ग परमाणु विस्फोट के सिवाय किसी अन्य विस्फोट द्वारा बदला जा सकता है।

उनका कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उनका यह उत्तर था।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इस संबंध में मैं और अधिक जानकारी आज दूंगा।

श्री जी.जी. स्वैल : ठीक है। हमें इस बारे में और अधिक जानकारी दीजिए। हम इसमें रूचि रखते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की जानकारी नहीं है। चीन के राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश का दौरा करना अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। यह एक अच्छा व्यवहार है, परंतु चीन के राष्ट्रपति वापस चले गए और हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। उन्होंने सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश के मामले में हमें कोई रास्ता नहीं दिया। म्यांमार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। मैं लेफ्टी. जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी का आभारी हूं कि उन्होंने म्यांमार की स्थिति का सुधार किया। दो साल पहले हमारे रक्षा मंत्रालय ने उल्लेख किया था कि चीनियों ने एक ब्लू नौसेना तैयार करने और उस नौसेना द्वारा पूरे भारत को घेरने के लिए बर्मा के दक्षिण में हॉग्यी द्वीपों में एक नौसेना यार्ड का निर्माण किया है। यह भी बताया गया था कि चीन ने कोको द्वीपों में जोकि भारत के बाजू में है एक निगरानी (श्रोता) चौकी की स्थापना की है। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और विदेश मंत्री ने भी उस बारे में कोई सुझाव नहीं दिए।

महोदया, मेरी हमेशा यही धारणा रही है कि भारत चीन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। भारत चीन के लिए केवल एक नगण्य वस्तु की तरह अल्प महत्व है जिससे शंति बनाए रखा जा सके। चीन की कुछ और महत्वाकांक्षा है। उसकी महत्वाकांक्षा एक महाशक्ति बनने की है। उसकी दृष्टि उसी दिशा में लगी हुई हैं। चीन की आंखें पूर्व में संकाकु द्वीपों पर लगी हुई हैं जहां कि विश्व में तेल और पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार हैं। चीन के राष्ट्रपति को अमेरिका से कोई प्यार नहीं है। फिर भी, अमेरिका का राष्ट्रपति चीन का दौरा इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन एक औद्योगिक महाशक्ति है और इसलिए उन्हें आपस में शांति बनाए रखना है। चीन की रूचि एशिया पेसिफिक आर्थिक सहयोग में है। उसकी हममें रूचि नहीं है। चीन की हमारे में रूचि केवल इतनी ही है कि हम उनके लिए कोई संकट खडा न करें। हमारे पास केवल कुछ ही चीजें है जैसे कि वास्तविक नियंत्रण को रेखा है। हमारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। हम कम ही देंगे। हमारे पास कम सैन्य बल है; उनके पास ज्यादा सैन्य बल है। व्यापार में वृद्धि करने के वचन के संबंध में, चीन के साथ व्यापार में कुछ वृद्धि हो सकती है, परंतु वह हमारी समस्याओं का उत्तर नहीं है।

हमारा विश्व में कोई सम्मान नहीं है। हमारी विदेश नीति कमजोर हो गई है। सी टी बी टी पर हम पूर्णतः अकेले हैं। सिर्फ म्यान्मार और लीबिया के गद्दाफी ने हमारा साथ दिया। गद्दाफी की एक ही कामना है कि किसी प्रकार से भी—भीख लेकर, उधार लेकर या चोरी करके एक परमाणु बम प्राप्त करें और उसे अमेरिका में कहीं पर गिराए। भूटान हमेशा से हमारा सेवक रहा है। अतः सी टी बी टी पर हम पूर्णतः अकेले हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उस पर हस्ताक्षर कर दें?

श्री जी.जी. स्वैल : मैं यह नहीं कह रहा कि यह गलत है या सही है। परंतु इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम पूर्णतः अकेले हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : एक बड़े राजनेता के रूप में, आपको हमें यह भी बताना चाहिए कि क्या किया जाए।

श्री जी.जी. स्वैल : ठीक है। मैं आपको बता सकता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। परंतु मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि हमारी क्या स्थिति है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में, हमें केवल 40 मत प्राप्त हुए जबकि जापान को 140 मत प्राप्त हुए। उन सभी गुट-निरपेक्ष देशों, विकासशील देशों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने अंतिम वक्त पर हमारा साथ छोड़ दिया। आज के विश्व में

शक्ति और सामर्थ्य ही महत्वपूर्ण हैं। अतः भारत को चाहिए कि वह अपने आपको साम्थर्यवान बनाए। मैं मंत्री महोदय से अलग से बात करूंगा कि इसको कैसे किया जाए। मैं उन लोगों से बात करूंगा जो नीति के बारे में जानते हैं। हमे चर्चा करनी होगी। हमें नए रूप से देखना होगा। हमें विदेश नीति पर नए रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा और देखना होगा कि हम किस प्रकार स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, कभी इस विचार के, कभी उस विचार के उल्लेख करने से कुछ नहीं मिलेगा। गुट निरपेक्षता आंदोलन अपना महत्व खो चुका है, अन्य सारे देशों का भी उतना महत्व नहीं रहा है। भारत को एक मजबूत और शक्तिशाली देश बनना पड़ेगा।

भारत को, उसके व्यापार को और उसकी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के अन्य तरीके भी हैं। मेरे विचार से अमरीका यह एकदम भी नहीं चाहता है कि चीन महाशक्ति बने। अमेरीका चीन को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए हर कोशिश करेगा और यहां पर भारत की भूमिका है। यही मेरी प्रस्तुति है।

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : सभापति महोदया, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। छह महीने पुरानी यूनाईटेड फ्रंट सरकार के समग्र कार्यनिष्पादन को सामान्य रूप से संतोषजनक कहा जा सकता है क्योंकि बडी उपलब्धियों के बीच में भी गंभीर चूंकें हुई हैं।

सी टी बी टी पर सरकार द्वारा अपनाया गया दृढ़ रवैया, चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में उठाए गए सकारात्मक कदम तथा प्राप्त हुए लाभ और जल के बंटवारे के अत्यधिक चर्चित प्रश्न पर हुआ ऐतिहासिक समझौता आदि इनकी उपलब्धिया हैं। ये वास्तव में बहुत सकारात्मक उपलब्धियां हैं और इसके लिए मंत्री जी तथा सरकार बधाई के पात्र हैं। परंतु सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के घोषित लक्ष्यों और उद्देश्यों से विपथन हुआ है और इस संबंध में मंत्री महोदय को सदन में एक स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री डा. नजीबुल्लाह और उनके भाई की तालीबान रूढिवादी, उग्रवादी ताकतों द्वारा नृशंस हत्या के बारे में तत्काल निंदा करने में सरकार ने काफी विलंब किया। ऐसा विलंब क्यों हुआ?

दूसरा, क्यूबा को उसके साम्राजयवाद विरोधी दृष्टिकोण संयुक्त राज्य अमेरीका के निरंतर आर्थिक दंडों और दबावों को सहने की क्षमता तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण उसे गुट-निरपेक्ष आंदालेन के बीच में रखा गया है। भारत ने क्यूबा को 18,000 टन खाद्यान्न दवाईयों, डिटर्जेंटों और अन्य चीजों की आपूर्ति कर उसकी सहायता की थी। तकनीकी रूप से वह केवल एक व्यावसायिक सौदा था और पिछली सरकार ने अपनी सीमाओं के बावजूद सहयोग का हाथ बढ़ाया था और अतः यह सहायता संभव हो सकी। अब क्यूबा ने प्रस्ताव किया है कि वह कुछ-बहुत मूल्यवान दवाईयों की आपूर्ति कर सकता है जोकि हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इस व्यावसायिक सौदे से उनको अपने कठिन समय में बहुत सहायता मिलेगी। परंतु सरकार इस प्रश्न पर डगमगा रही है।

इराक पर अमरीका के प्रक्षेपास्त्र हमले तथा बाद की घटनाओं की सरकार द्वारा निंदा न किए जाने का प्रश्न भी गंभीर चिंता का विषय है और सरकार को इस संबंध में सभा को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए।

एस.ए.डी.आर, पश्चिमी सहारा के संबंध में, 50 देशों ने पहले ही संकल्प पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और हम भी एस.ए.डी.आर. के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए वचनबद्ध हैं, परंतु मोरक्को के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मोरक्को ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया. काश्मीर को मान्यता देने के प्रश्न पर भी वह पाकिस्तान के साथ रहा। हम मारक्को से डरते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कुछ विशेष कार्य करेंगे तो, पता नहीं मोरक्को क्या कदम उठाएगा?

हमारा विचार से यह एक चूक है तथा इन्हीं चूकों और साझा न्यूनतम कार्यक्रम से विपथन के कारण गुट निरपेक्ष देशों के सामने हमारी छवि खराब हो गई है जिस वजह से हमें अलग होना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद में हमारी हार हुई। मैं अन्य लोगों द्वारा कही गई इस बात से सहमत नहीं हूं कि सी.टी.बी.टी. पर हमारे दृढ़ रवैये के कारण हमारी हार हुई है। कुल 141 देश, जिनमें से कुछ गुट-निरपेक्ष देश भी हैं, हम पर विश्वास नहीं करते। आस्ट्रेलिया भी एक उम्मीदवार था। वे सी.टी.बी.टी. के समर्थक थे। फिर उनकी हार क्यों हुई? वह सी.टी.बी.टी. के पक्ष में प्रस्ताव के प्रस्तावक थे।

अपराह्न 7.00 बजे

अतः एक अलग ही कारण से हमारी हार हुई थी। हमें अंतर्निरीक्षण करना चाहिए। दबावों के बावजूद, क्यूबा किस प्रकार स्थिर रहा है और उसकी लोकप्रियता स्थिर रही है और हमें अलग किया जा रहा है? हमारे मित्र हम पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे मित्र विश्व व्यापार संघ के समझौते के एक मुद्दे पर या कहीं और हमारा साथ छोड़ देते हैं। परन्तु इसके बावजूद मैं नहीं समझता कि इस सरकार का समग्र कार्यनिष्पादन एक असफल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के संबंध में, माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटिल जी ने एक बहुत वैध मुद्दा उठाया है। हम सुरक्षा परिषद् और महासभा में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की बात कर रहे हैं। परंतु संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अपने आप में गैर-प्रजातांत्रिक है। इसको प्रजातांत्रिक बनाना और विकेंद्रीकृत करना होगा और दक्षिण और तृतीय विश्व के देशों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की मांग के बजाय हमें किसी महत्वपूर्ण मामले पर नेतृत्व देने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे माननीय विदेश मंत्री द्वारा 4 अक्टूबर, 1996 को ऐसा

कहा गया था। मैं उसको उद्धृत करूंगा :—

> "महासभा, जोकि संयुक्त राष्ट्र संघ का अकेला विश्वव्यापी अंग है, को भूमिका और प्राधिकार को पृष्टि किए जाने को आवश्यकता है ताकि उसको आवाज प्रणाली के अन्य निकायों में और अधिकार प्रभावशाली ढंग से प्रतिध्वनित हो।"

यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जहां हम नेतृत्व कर सकते हैं।

मैं संक्षेप में बोलूंगा। अतः मैं सीधे ही बंगलादेश के साथ पानी के बंटवारे पर हुए ऐतिहासिक समझौते, जिसमें भूटान को सम्मिलित किया जाना है, के बारे में एक प्रश्न करूंगा। कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है कि योजना आयोग आगामी परियोजना के लिए कुछ राशि मंजूर कर रहा है तथा किस प्रकार यह सरकार भूटान को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि पानी के बंटवारे को बहुत लाभदायी तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

मैं संक्षेप में बोलूंगा। इसीलिए मैं कुछ और चीजों का उल्लेख करूंगा। हमारा बाह्य प्रचार बहुत अपर्याप्त है। मैंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है। पाकिस्तान इस मामले में काफी आगे है। हमारे विदेश मंत्रालय में कुछ न्याय होना चाहिए। पदस्थापनों और ऐसे अन्य मामलों के बारे में आलोचना की जाती है। हमारे बहुत योग्य राजनयिकों और अधिकारियों के एक खंड का मनोबल इस वजह से टूटा हुआ है। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

नेपाली मूल के भूटानियों के संबंध में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार से बार बार कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को उन लोगों को, जिनके साथ भूटान की सरकार कुछ ऐसा व्यवहार कर रही है जिसे वे लोग पसंद नहीं करते हैं, वापस भेजना अच्छा नहीं लग रहा है। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं।

19 दिसंबर को सार्क की बैठक होने जा रही है। हमें बताया गया है कि हमारे घोषित लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है न केवल बंगलादेश, श्रीलंका, अथवा चीन, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी संबंधों में सुधार किया जाए। मैं इस संबंध मे माननीय मंत्री के पारस्परिकता विरोधी रवैये का पूरा समर्थन करता हूं। हमें बडप्पन नहीं जताना चाहिए। हमें ही सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए सिद्धांत और कार्यक्रम का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान की परिवर्तित स्थिति में, 19 दिसंबर को और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ बैठक और वार्ता होगी। मैं आशा करता हूं कि सार्क की बैठक बहुत सफल होगी। आज की वर्तमान परिस्थिति में जहां अमेरीका के प्रभुत्व के प्रयास जारी हैं और जहां कुछ धनी देशों द्वारा विश्व को नियंत्रित करने के उपनिवेशवादी प्रयास जारी हैं, क्षेत्रीय दलों, पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार और सार्क, साप्ता जैसे संगठनों का सुदृढीकरण अत्यावश्यक है। मुझे विश्वास है कि 19 दिसंबर को होने वाली बैठक बहुत सफल होगी। यह मंत्री महोदय की इस दौरान हुई उपलब्धियों में एक उपलब्धि होगी। फिर भी कई गंभीर गलतियां हैं, जिनके बारे में उन्हें सभा को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम* (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदया, मुझे भारत की विदेश नीति पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे सहयोगी हमारे पड़ोसी देशों जैसे चीन, बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा के साथ हमारे संबंधों का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण कर रहे हैं। मैं अपने वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सीमा पार से बढ़ावा दिए गए कुछ स्थानीय मुद्दों पर गहराई से चर्चा करना असामान्य नहीं है।

अपराह्न 7.06 बजे

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब दस हजार परिवार श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा की गई कुछ कार्यवाही से अत्यधिक प्रभावित हैं। यह केवल तूतीकोरिन के लोगों की ही समस्या नहीं है, बल्कि देश के उस भाग के सभी भारतीयों की समस्या है। मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखें तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर तूतीकोरिन के लोगों की समस्याओं को दूर करें।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक दिन तूतीकोरिन से आवश्यक वस्तुएं और सामान जैसे प्याज, आलू, लहसुन, हल्दी, मिर्चे, अंडे, सोयाबीन, सूखी मछली, मकई, संतरे, चावल का आटा और अन्य घरेलू मसाले कोलम्बो पत्तन को भेजी जाती हैं। सामान ढोने का यह पारंपरिक कार्य छोटी नावों द्वारा किया जाता है जो कि अब मशीनी नावें हैं। यह व्यापार संपर्क जोकि बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध है। इन नष्ट हो जाने वाले आवश्यक वस्तुओं को भारतीय नावों द्वारा आर-पार ले जाया जाता है। पिछले कई सौ वर्षों से तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच नाव संचालन हो रहा है। दोनों देशों के छोटे व्यापारी और छोटे नाव संचालक समुद्री मार्ग के माध्यम से आवश्क वस्तुएं ढोने के इस व्यापार में लगे हुए हैं। तूतीकोरिन से कोलम्बो पत्तन तक ले जाने में केवल 24 घंटे लगते हैं।

मशीनी नावों द्वारा संचालित इन नाव सेवा से ढोये जाने का खर्च भी कम आता है। इन छोटी नावों के प्रयोग से लागत से अधिक लगने की राशि कम हो जाती है। हमसे भी ज्यादा श्रीलंका के लोगों को इससे फायदा होता है। उन्हें उचित और सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। भारत से भेजे गए घरेलू सामान उन लोगों को श्रीलंका के बाजारों में अच्छी दामों पर मिल जाते हैं। यह सच है कि इस कार्य का ज्यादा लाभ श्रीलंका को ही प्राप्त होता है।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि तूतीकोरिन से ढोया जाने वाला ज्यादातर सामान नष्ट होने वाला है। अगर इन्हें बड़ी नावों और जहाजों द्वारा भेजा जाएगा, तो लागत में वृद्धि होगी और जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है। बड़ी नावों को काफी समय तक, दिनों तक कोलम्बों पत्तन के बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर ऐसे जहाजों द्वारा इन खराब होने वाले सामानों को भेजा जाता है, वे अधिक दिन तक ठीक नहीं रहेंगे और व्यर्थ हो जाएंगे। ये आवश्यक वस्तुएं उपयोग करने लायक नहीं रह जाएंगी। इससे इस पारंपरिक व्यापार पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसी कारण से इतने वर्षों तक छोटी नावों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को आर-पार भेजा जा रहा है।

दुर्भाग्य से, इन मोटर नावों के कोलम्बो बन्दरगाह में प्रवेश पर इस माह की चार तारीख को प्रतिबंध किया गया है। यह श्रीलंका प्रशासन का एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। कथित तौर पर यह एक पक्षीय निर्णय उस राज्य के प्रमुख द्वारा लिया गया है। ब्यूटी कॉरिन -कोलम्बो में यांत्रिक नावों का परिचालन 4.12.96 से रद्द कर दिया गया है। इन मोटर नावों को कोलम्बो बंदरगाह में प्रवेश मना कर दिया गया है। इसका छोटे व्यापारियों और कारोबारियों, छोटी नाव के मालिकों और दोनों देशों के कर्मियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह उनके जीवन और उनके आश्रित परिवार की तबाही का कारण बनेगा। इससे थोड़े समय के लिए समुद्र में यात्रा करने वालों को बहुत नुकसान होगा।

यह कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने यहां लिट्टे का भी नाम लिया है। लेकिन मैं इस बात को बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि इस ब्यूटी कोरीन कोलम्बो के बीच चलाने वालों नावों के परिचालन से कभी सुरक्षा को खतरा नहीं हुआ है। भारत और श्रीलंका दोनों को ही सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। बल्कि इस मोटर युक्त नौकाओं के परिचालन से दोनों देशों को आर्थिक लाभ हुआ है। विशेषकर श्रीलंका को बहुत ज्यादा लाभ हुआ था।

तूतीकोरिन से कोलम्बो तक समुद्री मार्ग पर एक विशेष समुद्री मार्ग हैं। वहां केवल एक ही मार्ग है और उसका कोई विकल्प नहीं है। इस नाव मार्ग को बारह फीट की गहराई की आवश्यकता है। वे केवल एक दूसरे के पीछे चल सकते हैं। इसलिए वे अपनी बारी आने पर ही चलते हैं। जो परिवहन अधिभार लिया जाता है। उसे छोटी नौकाओं के मालिक और मजदूर 65:35 के अनुपात में बांट लिया जाता है। इस प्रकार उनके बीच औद्योगिक संबंध सराहनीय है। सभी अपनी रोजी रोटी के लिए माल नौकायन सेवा पर निर्भर करते हैं। जब यह उनकी आय का स्रोत बनता है तो वे ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी। वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि उन देशों में से किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, जिन पर उनकी जीविका निर्भर करती है। ऐसा वे सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए हम यह तर्क स्वीकार नहीं कर सकते कि यह माल नौकायन सेवा किसी देश खासकर श्रीलंका, जिसके साथ उनके पारम्परिक व्यापार संबंध है, की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

इसके साथ ही, श्रीलंका प्रशासन एक बेतुका कार्य कर रहा है। वे आवश्यक सामग्री की ढुलाई करने वाली इन मोटर नौकाओं को कोलम्बो बन्दरगाह के दक्षिण में स्थित गेल बन्दरगाह ले जाने का निर्देश दे रहे हैं। कोलम्बों बन्दरगाह गेल बन्दरगाह से जाते समय रास्ते में पड़ती है ओर यह कोलम्बो से 120 कि.मी. आगे है। पर जब उसी समुद्री मार्ग पर आगे जाने की अनुमति दी जा सकती है, तो उन्हें कोलम्बो बन्दरगाह जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती।

प्रवेश पत्तन के स्थानान्तरण में कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि गेल बन्दरगाह चट्टानी क्षेत्र में हैं और वहां छोटी यांत्रिक नौकाओं को चलाना खतरनाक है। गेल जैसे बन्दरगाह को पूरे वर्ष उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह वर्ष में पांच छः महीने उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जो आवश्यक वस्तुएं नौका द्वारा लाई जाती हैं वे जल्दी खराब होने वाली और मियादी मौसमी वस्तुएं होती हैं। इसलिये उनका परिवहन पूरे साल आवश्यक होता है। इन कठिनाइयों को देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि हम नौवहन सेवाओं के लिए कोलम्बी ही सर्वोत्तम है। इसके अलावा गेल से कोलम्बो तक के परिवहन प्रभारों से मूल्य वृद्धि हो जायेगी। इनके व्यापार में लागत वृद्धि हो जायेगी, माल गेल से कोलम्बो तक लारी और ट्रकों द्वारा ले जाना पड़ता है जो कि 120 किलोमीटर दूर है। इसका दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे नौकाओं द्वारा लाये गये सामान के मूल्य पर असर पडेगा। इस प्रकार यदि इसको गेल बन्दरगाह से नियंत्रित किया जाता है तो इससे कई कठिनाईयां पैदा होंगी।

यदि इन रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं को समुद्री जहाज या जलयान द्वारा तूतीकोरिन से कोलम्बो भेजा जाता है, तो इससे देरी होगी और इससे विदेशी मुद्रा की समस्या भी आएगी, क्योंकि भुगतान अमेरिकी डालर में करना पड़ता है। भारतीय नौकाएं जो इस क्षेत्र में चल रही हैं, भारतीय मुद्रा में कारोबार करती है, जोकि दोनों देशों के लिए खासकर दोनों देशों के छोटे व्यापारियों के लिए लाभप्रद है। भारतीय नाविक भारतीय रुपयों में बहुत कम भाड़ा लेते हैं जोकि लगभग 13 अमरीकी डालर बनता है। जबकि बड़े जहाज लगभग 110 अमेरिकी डालर भाड़ा लेते हैं और वह भी विदेश मुद्रा में। श्रीलंका हो या भारत इससे किसी भी देश को लाभप्रद नहीं होगा। अन्य देश जैसे सिंगापुर परिवहन के साधन में मजबूरन किये गये इस परिवर्तन का लाभ उठायेंगे। निसंदेह इससे हमारी विदेशी मुद्रा में कमी आयेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि भारतीय नौकाओं के परिचालन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे राजस्व में तो वृद्धि होगी ही, दोनों देशों के इस व्यापार पर आश्रित व्यापारियों और श्रमिकों तथा उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी।

मैं चाहता हूं कि दोनों देशों और उनकी अर्थव्यवस्था के आपसी हितों को ध्यान में रखकर इस समस्या पर विचार किया जाए। श्रीलंका भारत का मित्र देश है। यह दक्षेस संगठन का सदस्य देश भी है। इसलिए इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दृष्टि से इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। अतः कोलम्बो बंदरगाह में भारतीय नौकाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए। इस संबंध में अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग कर श्रीलंका सरकार को यह समझाये कि वह सुरक्षा के खतरे की आशंका को छोड़े क्योंकि ऐसी कोई आशंका नहीं है। भारत सरकार को श्रीलंका प्रशासन के साथ इस मसले को समझ लेना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह समस्या मित्रतापूर्वक कोलम्बो बंदरगाह का रास्ता खोल कर सुलझा ली जाए। इस संकट का स्थाई समाधान होना चाहिए। हमें श्रीलंका के साथ अच्छे पड़ौसी जैसे संबंध बनाकर इसका कोई व्यावहारिक हल निकालना चाहिए। तूतीकोरिन कोलम्बो माल नौवहन सेवा बिना किसी बाधा के जारी रहनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार तथा हमारे विदेश मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में आवश्यक कदम उठाए। भारतीय नौकाओं का कोलम्बो बंदरगाह में प्रवेश पहले की तरह ही होना चाहिए। दोनों देशों के हितों में यह व्यवस्था करनी होगी। मैं इस विशिष्ट प्रार्थना के साथ अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि कोलम्बो बन्दरगाह में इन लघु व्यापारिक नौकाओं का प्रवेश पूर्ववत बनाए रखा जाना चाहिए ताकि वे परम्परागत तूतीकोरिन-कोलम्बो के मध्य समुद्री मार्ग से होकर पारम्परिक व्यापार जारी रख सकें।

श्री दिलीप संघानी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम पूरा नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब कोरम पूरा है। माननीय सदस्य श्री डी.एम.ए. शिवप्रकाशम अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम : मैं इस मौके पर एक अन्य उदाहरण की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। इस माह की चार तारीख को पांच नौकाएं श्रीलंका के प्राधिकारियों की अनुमति से तूतीकोरिन से कोलम्बो रवाना हुई। लेकिन उनमें से केवल तीन को कोलम्बो बन्दरगाह में प्रवेश की अनुमति दी गई और उनमें से दो अभी भी कोलम्बो बन्दरगाह के बाहर रूकी हुई हैं। उन्हें इस महीने की चार तारीख से बाहर रखा गया है और वे अभी वहां फंसी हुई हैं। हमारे विदेश मंत्री को इसकी छानबीन करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये भारतीय नौकाएं वहीं न फंसी रहें। श्रीलंका के विदेश मंत्री शीघ्र ही भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। मैं माननीय विदेश मंत्री श्री आई.के. गुजराल से निवेदन करता हूं कि इन मामलों को श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ उठाएं।

इस पर बिना और देर किए ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वाणिज्य मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री को भी हमारे विदेश मंत्री से सहयोग करके एक सौहार्दपूर्ण हल निकालना चाहिए। वे बातें जो हम दोनों देशों के आपसी संबंधों में आड़े आती हैं, उन्हें हटाना चाहिए। आपको बिना समय गंवाए दस हजार परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए जो पूरी तरह तूतीकोरिन से कोलम्बो तक पारम्परिक नौवहन सेवा पर निर्भर हैं।

सभापति महोदय : हम इस चर्चा को आधे घंटे में समाप्त करेंगे। केवल तीन और वक्ता हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, आपका आभारी हूं जो आपने मुझे भारत की विदेश नीति के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है।

20वीं शताब्दी का अन्त विकसित देशों राजनैतिक और आर्थिक अपराधों का काल रहा है। मोर्चा सरकार को इस तथ्य को ध्यान में रखकर एक नीति बनाने और उसका अनुसरण करने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसी देश की आर्थिक नीति विदेश नीति तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए आजकल यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी देश की विदेश नीति, विदेशी मामले, बहुत से तथ्यों पर विशेषकर वाणिज्य, व्यापार और श्रमिक मानदण्डों पर निर्भर करती हैं। यह 20वीं शताब्दी की समाप्ति की एक विशेषता है। इसलिए इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हम उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का विश्लेषण करें जो सोवियत संघ के विघटन के कारण उत्पन्न हुई है।

विचारणीय प्रासंगिक प्रश्न यह है कि सोवियत गणराज्य के विघटन का तीसरे विश्व के देशों और विकासशील देशों, खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा? हमारे पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हमारे पहले के सोवियत संघ के साथ पारम्परिक संबंध रहे थे। हमारे समाजवादी देशों के साथ भी पारम्परिक संबंध रहे हैं। सोवियत गणराज्य के विघटन के पश्चात विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी ताकतें सम्पूर्ण विश्व पर तानाशाही कर रही हैं। साम्राज्यवादी ताकतें दूसरे देशों पर अपनी शर्तें लादने की कोशिश कर रही हैं। साम्राज्यवादी ताकतें सम्पूर्ण तीसरी दुनिया के देशों, विकासशील देशों पर अपनी पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था को थोपने की कोशिश कर रही हैं और अपनी शर्तें उन पर थोपने का प्रयास कर रही हैं। यह हम हाल ही में सिंगापुर में सम्पन्न सम्मेलन में देख चुके हैं। इस विषय पर अलग से चर्चा की जा रही है और इसलिए मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करने वाला हूं। ...**(व्यवधान)**

मैं कहना चाहूंगा कि सिंगापुर में हमारा शिष्टमंडल इन सभी तथ्यों पर चर्चा कर रहा है। इसकी जांच करके पता लगाना होगा कि क्या

हरारे में जी-15 शिखर सम्मेलन में हमारा शिष्टमंडल असफल नहीं रहा है।

महोदय, सभी विकासशील देशों ने जी-15 शिखर सम्मेलन को समर्थन दिया है। सिंगापुर सम्मेलन के दौरान मलेशिया जैसे विकासशील देशों ने अपना विचार बदल लिया, परिणामस्वरूप भारत उतने भी मत प्राप्त नहीं कर सका जितनों की उसने आशा की थी। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या हरारे में हमारा शिष्टमंडल असफल नहीं रहा है और क्या इस संकट को इस घड़ी में तीसरे विश्व के देशों में भारत का नेतृत्व अपेक्षित स्तर का है।

सीटीबीटी के संबंध में लगभग हम सभी ने विदेश मंत्री और भारत सरकार के लिये संधि पर हस्ताक्षर न करने पर बधाई दी। कुछ मिनट पहले यह विस्तारपूर्वक बताया गया है कि क्या सरकार द्वारा अमरीका के दबाव में न आकर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करके जो सख्त कदम उठाया गया, उसी के कारण भारत को अलग थलग कर दिया गया। एक आशंका यह है कि सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर न करने पर भारत को शेष विश्व से अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के चुनाव में क्या हुआ। मैं नहीं समझता कि यह अलग थलग पड़ना है। भारत को अलग थलग नहीं किया गया है। इससे विश्व में भारत की छवि निखरी है और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न कर भारत ने अपने स्वतन्त्र निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया है। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया मजबूत कदम है। सीटीबीटी मुद्दे पर भारत द्वारा उठाए गए खुले और मजबूत कदम की सभी विकासशील देश और शेष विश्व भी प्रशंसा कर रहा है और इसके लिए भारत को बधाई दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिये हुये चुनाव में क्या हुआ? मैं इस प्रश्न से सहमत हूं, जो पहले ही उठाया गया है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। हम यह मानते हैं कि हमें असफल हुए हैं। हम बुरी तरह असफल हुए हैं। बावजूद इसके कि हम चालीस देशों और तीन परमाणु शक्तियों का समर्थन जुटाने योग्य हैं। हमने सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए लेकिन परमाणु ताकतों ने हमें समर्थन दिया है। इसलिए हम सीटीबीटी पर मजबूत कदम उठाकर अलग थलग नहीं पड़े हैं।

भारत-चीन के संबंधों पर पहले ही विस्तृत चर्चा की जा चुकी हैं। यह एक अच्छी शुरूआत है, क्योंकि हमने अपने पड़ोसी देशों से संबंधों को सुदृढ़ किया है। पहली बात यह है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा की जांच करानी है। केवल पड़ोसी देशों के बीच मित्रता पूर्वक संबंधों को मजबूती देकर ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

भारत-चीन शांति संधि दोनों देशों की सेनाओं का पुनर्गठन करने और सीमा पर तैनात सेना में कमी करने के लिये की गई है। यह द्विपक्षीय समझौता है जो कि शुरूआत है और इसे मजबूत किया जाना चाहिए। इसकी तुरन्त जांच की जानी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति अपनी भारत यात्रा के बाद वह पाकिस्तान भी गए। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। हमें पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने चाहिए।

भारत की परम्परागत विदेश नीति शांति स्थापना की रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाए रखने हैं। हमने इसकी शुरूआत चीन से की है और हाल ही में भारत-बंगला देश के बीच हुई जल बटवारे की संधि भी प्रशंसनीय है। इसकी अधिकाधिक प्रशंसा की जानी चाहिए। यह मामला बहुत समय से लम्बित पड़ा था जिसे हल कर लिया गया है। यह लम्बित मामला इतने दशकों के बाद भी हल नहीं किया जा सका। यह दोनों देशों के राजनयिकों के बीच लम्बी बातचीत के द्वारा हल किया गया है। यह भी भारत और बंगलादेश के बीच बेहतर संबंध बनाने की दिशा में एक अच्छी शुरूआत सिद्ध होनी चाहिए।

खाड़ी के देशों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि हमारे खाड़ी के देशों के साथ बेहतर संबंध होने चाहिए। हम अपने देश की प्रमुख ताकत को पहचानते हैं। अब भारत की जनशक्ति या श्रमिक बल निर्यात करने योग्य वस्तु है। इससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई हैं। हमें खाड़ी के देशों से बेहतर संबंध बनाने चाहिए। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से 60,000 लोगों को निकाल दिया गया और उन्हें भारत आना पड़ा है। समाचार पत्रों से यह भी पता चला है कि उस देश के अतिरिक्त सऊदी अरब से भी एक लाख से अधिक लोग निकाले जाने वाले हैं। अतः हमें खाड़ी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए, ताकि हमारी जन शक्ति का उपयोग किया जा सके, विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और देश को लाभ हो। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और तीसरे विश्व में भी हमारी बेहतर स्थिति हो सकती है।

भारत और अन्य विकासशील देशों को प्रमुख खतरा-जिसका कि मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है-अमरीका जैसे विकसित देशों की साम्राज्यवादी ताकतों से है। इसका कैसे मुकाबला किया जाये? इस स्थिति से कैसे निपटा जाये? हमारे सामने एक स्पष्ट उदाहरण विद्यमान है। क्यूबा एक छोटा-सा देश है यह देश अमरीकी साम्राज्यवादी ताकतों के बीचे दबा हुआ पड़ा है। परन्तु यह छोटा-सा देश एक बड़ी एकाधिवादी एवं सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत से लड़ रहा है। यह सब कुछ क्यूबा की सरकार और उसकी जनता की राजनैतिक मंशा के कारण हो रहा है।

तीसरे विश्व के देशों और विकासशील देशों के समक्ष अनुसरण करने और साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने के लिए एक अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है। हमारी विदेश नीति का भी यह एक परम्परागत गुण है जिसका कि हम गत अनेक दशकों से अनुसरण करते रहे हैं। इसके लिए, हमें अपनी शान्ति, स्थिरता, नैतिकता, सर्व सम्मति और मुद्दों को द्विपक्षीय विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने की अपनी परम्परागत नीति को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय हितों और अपने

देश के देश भक्ति पूर्ण हितों से वंचित हुए बिना, अपने देश भक्ति पूर्ण और राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करते हुए, हमें विश्व में शान्ति और स्थिरता के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए मेरे विचार से हमें तीसरे विश्व के देशों के प्रमुख नेताओं को अपने साथ लेना चाहिए, जैसा कि हमने प्रारम्भिक दशकों में किया था, हमें विकासशील देशों को अपने विश्वास में लेना चाहिए, ताकि हम इन ताकतों का मुकाबला कर सकें। इसके लिए, हमें जनता को अपने विश्वास में लेना होगा तथा अपने आपको मजबूत करना होगा।

इस चर्चा के दौरान यह भी उल्लेख किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी स्थिति अत्यंत खराब है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारी पराजय हुई है, सोटोबोटो के संबंध में पहले ही इसका उल्लेख किया जा चुका है और सिंगापुर में हुई बैठक में भी ऐसा कहा गया है। अतः, जनता के मन में आशंका है। इसी वजह से मेरा यह कहना है कि जनता को विश्वास में लिया जाये और जनता की शक्ति, इस सरकार की राजनैतिक मंशा तथा अपनी राजनैतिक सीमाओं से दूर रहकर हम सभी एकजुट होकर इन साम्राज्यवादी ताकतों का मुकाबला कर पायेंगे और अपने पड़ौसी देशों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हो सकेंगे, ताकि हम इक्कीसवीं सदी के नए युग में सुव्यवस्थित रूप से पदार्पण कर सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : इस पार्लियामेंट में आने के बाद यह पहला मौका है। जब मुझे बोलने का मौका मिला है। फारेन पालिसी किसी सियासी जमाते वाहिद का हिस्सा नहीं है। यह तमाम मुल्क की पालिसी होती है। जैसा हमारे पूर्व साथी ने कहा यह कौम की पालिसी होती है और कौम को बाकी मोमालिक के साथ दोस्ती या मोहतात करने पड़ते हैं। हालात का तकाजा यह है कि इसमें बेनुलअक्वामी हालात पर जेरेनजर रखकर मुल्क की अंदरूनी और बाहरी आजादी के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। फारेन मिनिस्टर कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। ये कांग्रेस की हुकूमत में भी मंत्री रहे हैं और उस समय की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नजदीकी भी रहे हैं, इनका एक अहम् मुकाम था।

हिंदुस्तान की आजादी के बाद नवाबवादी निजाम टूट गया, साम्राज्यवाद खत्म हो गया। यह तब मुमकिन हुआ जब हिंदुस्तान की लीडरशिप ने, जवाहर लाल नेहरू ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और फारेन पालिसी को ज्यादा तरजीह दी। इससे तमाम नवाब्बवादी निजाम टूट गया और जमींबोस हो गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, जो हमारी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता दल की सरकार हो या आज की यह सरकार हो, जो हमारे नजदीकी मुमालिक हैं, हमसाया हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात गहरे नहीं हुए, बल्कि आपस में इख्तलाफात हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं बेनुलअक्वामी सतह पर चेचेन्या के बारे में, बोस्निया के बारे में, फिलीस्तीन के बारे में, काबुल के बारे में हमारी सरकार खामोश रही, हमारे फारेन मिनिस्टर खामोश रहे। एक हजार मुसलमानों को खड़ा किया गया और गोलियों से भून दिया गया। महज इस वजह से कि हमारा रूस के साथ बिजनेस का मुआहिदा है, हिंदुस्तान ने उसके बारे में बात तक नहीं की। आज तक हम डरते हैं, दुनिया में एक ही दादा रहा अमेरिका, जो हर मामले में दखल देता है।

हम उनसे भी डरते हैं और दोस्तों को भी गिनवाना नहीं चाहते हैं। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी में यह हिम्मत थी, यह बका थी कि वह हर मामले में बेनलअकवामी सतह पर हिन्दुस्तान का एक नाम पैदा करते थे, अपनी पालिसी का इजहार करते थे। हमने इराक को बचाने के लिए कोई आवाज तक नहीं उठाई। हम काबुल की खाना जंगी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए। एक तरफ से रूस मुखालफत करता है और दूसरी ताकतें मुखालफत कर रही हैं। अगर बेनलअकवामी ताकतें वहां अपनी बंदूकें और हवाई जहाज सप्लाई न करे तो वहां कुछ ही दिनों में यह जंग खत्म हो सकती है लेकिन अखलाकी दबाव, जो हमारे बड़े मुल्कों को लाना था उसमें हम नाकाम रहे। हाल ही में मुझे अरब जाने का मौका मिला, वहां हमने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ, मजलिसें शूरा के साथ मीटिंग की, शूरा के क्राउन किंग के साथ की। मुझे ऐसा लगा कि सऊदी अरब हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करना चाहता है और उन्होंने शुरूआत की, लेकिन जब हम प्रिन्स किंग से मिले, जो वहां का निजाम चलाता है, कश्मीर का तजकरा उन्होंने किया, किस लहजे में किया, डिप्लोमेटिक लेंगवेज एक होती है, हमें यह नहीं कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में यह हो रहा है, हमें कश्मीर के मसले पर रेफरेंस देना पड़ा।

मैं गुजराल साहब को अच्छी तरह जानता हूं कि वह हमारे पोलिटिकल कुलीग रहे हैं, रहनुमा रहे हैं। उनका इंदिरा गांधी के साथ खास ताल्लुक रहा है। सियासी मामलात में यह हमारी रहनुमाई करते थे, कश्मीर के बारे में। कश्मीर का मसला आज कौम के सामने सही मायनों में पेश नहीं किया जा रहा। उनका एक दफ्तर श्रीनगर में और दूसरा हैड क्वार्टर रावलपिंडी में है। जम्मू में एक दफ्तर है और दूसरा हैड क्वार्टर सियालकोट में है। लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल पर उनका नब्बे मुबास्सिर हैं। ऐसा लगा कि जो नयी जनरेशन 50 साल में पैदा हुई है वह कश्मीर के पश्चिम से बेखबर है, लाफता है, नाइल्म है। हमें डर लगता है हम पाकिस्तान के साथ क्यों आमने-सामने बात कर रहे हैं, 50 साल हुए वहां मिलिटेंसी पैदा हुई। 50 साल में 1947 से लेकर आज तक करीबन एक लाख लोग कभी दफा तीन में, कभी दफा 50 डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में और कभी टाडा में 50 साल में गिरफ्तार हुए। इस जमाने में सात-आठ साल में मिलिटेंसी पैदा होगी, वहां 99 परसेंट कश्मीर में नौजवान उसमें इनवाल्व हैं और हम यह जो तजाकरा करते हैं, जो दो-तीन परसेंट बाकी लोग हैं बकोल फारूक अब्दुल्ला छह-सात हजार नौजवान मारे गए और सरकारी

आदाद-वशुमार 2.5 हजार से कम नहीं हैं। यह सिर्फ मिलिटेंसी का मसला नहीं है इसके पीछे पालीटिक्स भी है। नौजवानों के जजबात हैं, ख्वाहिशात हैं. आप लोगों ने बकलिंग की। 1965 में जंग हो गई। हमने हाजी पीर ले लिया। हमने हाजी पीर का रास्ता ले लिया। ताशकंद में मुजाहिदा हुआ, हमने हाजी पीर दे दी। क्या वजह थी जब हम एक तरफ कहते हैं कि हमारी धरती है, हमारी सरजमीन है। हमारे कब्जे में हाजी पीर का रास्ता आ गया, अल्टरनेट रूट था, मौजूदा नेशनल हाईवे, जो हमारे पास है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सड़क टूट जाती है, नेशनल हाईवे टूटता है, वहां साल में पांच महीने हमारा रास्ता रूकता है। अल्टरनेट रूट बना था, जम्मू से लेकर रूडो तक, और जब हमारा नेशनल हाईवे टूटता है, यह अंदर का हमारा रास्ता बचा था लेकिन ताशंकद वायदे में आपने इसको पाकिस्तान को वापस कर दिया। 1971 में जंग हो गई, खासी तबाही हो गई, पाकिस्तान की भी और हमारी भी। मिलियन, लाखों डालर आज तक हमने फौज पर खर्च किया, पाकिस्तान ने किया और हमने किया। कल तक पाकिस्तान हमारा भाई था, हम दो भाई अलग हो गए। एक कमरा उन्होंने ले लिया, तीन कमरे हमने ले लिए। जब हम बर्मा की, चाइना की बात करते हैं, जब हम बांग्लादेश के साथ दरिया पर मुआहदा कर सकते हैं, हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाते हैं।

गुजराल साहब, आपका असर और रसूक काफी है। आप दानिश्वर हैं और आपकी वहां के दानिश्वर काफी इज्जत करते हैं और आप भी उनकी इज्जत करते हैं। वे यहां आते हैं और हम भी वहां जाते हैं। अगर सरकारी स्तर पर आप बात नहीं करते हैं तो एक डैमोक्रेटिक तरीका यह होता है कि सियासी स्तर पर आप एक कल्चरल आर्गेनाइजेशन जिंदा कीजिए और उनको वहां अवाम के साथ, अपोजीशन लीडरों के साथ बातचीत करने के लिए भेज दीजिए। वहां से भी कल्चरल डैलीगेशन, पार्लियामेंटरी डेलीगेशन यहां बातचीत करने के लिए आ जाए। यह ठीक है कि वहां इस वक्त डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है लेकिन 3 फरवरी के बाद वहां इलेक्शन हो रहे हैं और वहां उसके बाद नयी सरकार आयेगी। आपका उससे बातचीत का फर्ज बनेगा। हमारा उनका गहरा संबंध है लेकिन हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान दूसरा मुल्क है। लेकिन मरता कौन है? आपके नौजवान मरते हैं। रोजाना 10-15 लोग मरते हैं। कश्मीर में गांव के गांव जल गये, 394 पुल जल गये, स्कूल जल गये, अस्पताल जल गये। उस मां का हाल क्या हुआ होगा जिस मां का बेटा छिन गया, जिस बहन का भाई या खाविंद छिन गया। यह ठीक है कि कश्मीर में डेमोक्रेटिक सरकार आप लाए। मैं इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं। इलेक्शन हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ लेकिन एक अवामी सरकार आ गयी। हमें फारूख अब्दुल्ला को सपोर्ट देनी चाहिए। फारूख अब्दुल्ला हमारी जमात का नहीं है। कांग्रेस के साथ उसने इलेक्शन लड़ा। हम हार गये, हमने शिकस्त को कबूल किया। हमने ऐसी कोई बात नहीं की जो मुल्क या कौम के लिए शर्म का बाइस बनती है। लेकिन आज भी वहां 10-15 लोग रोज मर रहे हैं। मुझे नींद नहीं आती है क्योंकि मैं समझता हूं कि ये मेरे भाई मर रहे हैं। अगर 10-15 आदमी रोज मर जाएं तो उस कौम पर, उस फिरके पर, उसके तबके पर, उस सूबे पर क्या असर होगा। इस मुल्क में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, अशोक पैदा हुए, अकबर पैदा हुए, चिस्ती पैदा हुए, नानक पैदा हुए, जिन्होंने अमन का संदेश दिया। हम अमन पसंद करते हैं, हम जंग करना नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान जंग करना नहीं चाहता है और न ही पाकिस्तान की सकत है कि हमारे साथ जंग करे। आज के हालात में कोई मुल्क के साथ जंग नहीं कर सकता है। दिल-नसवानी मुदाखलत फौरन आ जाती है और कश्मीर में पहले से ही दिल-नसवानी मुदाखलत हैं जिससे आप कौम को बेखबर रखते हैं बाखबर नहीं रखते हैं। हमारी रियासत में यू.एन.ओ. के दो दफ्तर हैं और दो पाकिस्तान में हैं। उन लोगों ने हमको 50 साल में कोई सहूलियत भी नहीं दी। हमारी वैली के पांच लाख कश्मीरी वहां हैं। उनको यहां आना है, भाई को बहन के पास आना है, बहन को भाई के पास जाना है। यहां उनके रिश्ते हैं वहां हमारे रिश्ते हैं। जब कश्मीरी भाई को पाकिस्तान जाना पड़ता है तो पासपोर्ट तो जम्मू से मिल जाता है लेकिन वीजा के लिए दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली के बाद वागा बोर्डर जाना पड़ता है। गुजराल साहब जानते हैं कि सुचेतगढ़ हमारी इंटरनेशनल सरहद हुआ करती थी जो जम्मू से 25-30 मील का फासला है। एक कश्मीरी को वीजा के लिए दिल्ली चार दिन आना पड़ता है और वागा दो दिन के लिए आना पड़ता है। उसके बाद अगर अमृतसर जाना पड़े, रावलपिंडी जाना पड़े तो उसके बाद जाना पड़ता है। हमने क्या जुर्म किया है। मैं नहीं कहता हूं कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दो, लेकिन क्या ये ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। मैं इस हाउस में कहता हूं कि जब तक पाकिस्तान के साथ अमन का मुहादा नहीं होगा तब तक कश्मीर में ये उथल-पुथल नहीं रूक सकती। इसका इलाज है कि इसका राजनैतिक फैसला हो। हमारी 6 लाख सिक्योरिटी फोर्स वहां है। वहां जितने लोग मर गये अगर मैं उनकी दास्तान सुनाऊं कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ तो यह हाउस रो पड़ेगा, यह महात्मा गांधी का मुल्क रो पड़ेगा, यह महात्मा बुद्ध का मुल्क रो पड़ेगा, यह चिस्ती, नानक और कबीर का मुल्क रो पड़ेगा।

मैं गुजारिश करता हूं कि आप कश्मीर के मसले को सुलझाइए और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का मुआहिदा और राब्ता कीजिए। अगर आपको सीज फायर लैंड में 19-20 का फर्क इधर-उधर करना पड़े तो कर दीजिए। हमारे पास मुजफराबाद का क्या है? एक नया रास्ता उड़ी की तरफ और एक नया रास्ता टीटवाल की ओर जाता है। आपने उनको मुजफराबाद दे दिया। सियाचीन पर आप लड़ रहे हैं। वहां दो फूट के फासले पर कुछ मिलता नहीं है। सियाचीन में क्या रखा है? आपका एक करोड़ रुपया पर-डे डिफेंस पर खर्च हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान का भी हो रहा है। हमारा मुल्क गरीब है।

पाकिस्तान हमारा भाई है। उनका अरबों मिलियन डालर डिफेंस पर खर्च हो रहा है। हमें 35 रुपये किलो दाल और 25 रुपए किलो साग मिलता है। आप इन चीजों पर तरफ ध्यान दीजिए। आपका फर्ज बनता है कि आप इस मामले में सरकारी सतह पर और सियासी सतह पर इनीशिएटिव लें और कुछ ऑर्गेनाइज करें। पाकिस्तान के साथ झगड़ा होने के कारण वूलर बैराज नहीं बन पा रहा है और उसमें रूकावट आ रही है। किशनगंज का प्रोजैक्ट जो हजारों मेगावाट पावर पैदा कर सकता है, वह आप नहीं कर पा रहे हैं। डाक्टर फारूख अब्दुल्ला जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि सिंध वाटर ट्रीटी को रीओपन करना चाहिए। आपके इनीशिएटिव पर वहां हजारों मेगावाट पावर पैदा हो सकती है लेकिन इसमें पाकिस्तान रूकावट डाल रहा है। सिंध वाटर ट्रीटी को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। चीन के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ जिस में हमारी टैरीटरी चीन के पास गई। अब चीन के साथ आपका मुआहिदा होने जा रहा है। एक्चुअल लाइन आफ कंट्रोल पांच हजार किलोमीटर के करीब उनके कब्जे में है। कश्मीर का कांस्टीट्यूशन डिमांड करता है कि जब कभी कोई मुआहिदा होगा तो कश्मीरियों के ऐतबार को आप ध्यान में रखेंगे। आप यकीन रखिए कश्मीर सैकुलर है, सैकुलर रहेगा। हिन्दुस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में तबदीली लानी पड़ेगी। आपको अरब मुमालिक के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहिए। पंडित नेहरू ने अरब मुमालिक के साथ दोस्ती बढ़ाकर वहां के मुसलमानों को विन ओवर किया था।

इस समय बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं है। जो होना था हो गया। इंशा अल्लाह बहमी राब्ता कायम करके हम बाबरी मस्जिद को भी तामीर कर सकते हैं। दोस्ती में राम का मंदिर भी बन सकता है। आप इस्लाम, कुरान के फलसफे को समझ लीजिए। इस्लामी मजहब एक इंटरनैशनल मजहब है। अगर पाकिस्तान और इस्राइल में मुसलमानों को दुख पहुंचता है तो यहां के मुसलमान भी उसे महसूस करते हैं। आप अरब मुमालिक को विन ओवर कीजिए। इससे यहां सियासी तौर पर फायदा होगा, सैकुलरिज्म को फायदा होगा और हिन्दुस्तान के मुसलमानों का वाबस्ता होगा। वे अभी अपने आपको अलग-थलग समझते हैं। आप उनकी कोई बात नहीं समझते। वे हज के लिए सऊदी अरब और मक्का जाते हैं। वे लीबिया के तुरबत के मकबरे पर जाते हैं और वहां नमाज अदा करते हैं। बैनलअक्वामी सतह पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाइए। आप उसमें वहां के मुसलमानों को भी मुसलत कीजिए और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाइए और इसका पाकिस्तान को एहसास दिलाइए। जो कुछ दरियाए झेलम का पानी बहना था, बह गया। उनके साथ तिजारती मुआहिदा, कल्चरल मुआहिदा और इक्तसादी मुआहिदा करना चाहिए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। आप हमें कैदखाने में मत रखिए। श्रीनगर से रावलपिंडी का छः घंटे का रास्ता है। रावलपिंडी से गिलगित तक पाकिस्तान ने हवाई जहाज द्वारा जाने का रास्ता बनाया हुआ है। वह एक घंटे का सफर है। उसके लिए साढ़े तीन सौ रुपए या डेढ़ सौ रुपए देने पड़ते हैं। आप हर रोज किराया बढ़ाते हैं। आप यह नहीं समझते कि बैनलअक्वामी सतह पर वैली के लोगों पर इसका क्या असर पड़ता होगा। हमसाया मुल्क का असर हमसाया पर पड़ता है। हम उन्हें विन ओवर करने के लिए सहूलियतें देते हैं। कश्मीर की सरकार लोगों को विन ओवर करने के लिए कोशिश कर रही है। वहां की सरकार पैसे के लिए परेशान है। आप करोड़ों रुपया यूं ही खर्च कर देते हैं। आप उन्हें वह पैसा दीजिए। आप फौज पर पैसा खर्च मत कीजिए और लोगों को मारने पर पैसा मत खर्च कीजिए। यहां की जमीं पर अच्छे कामों के लिए पैसा खर्च कीजिए। इतना ही मुझे कहना था।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मेरे विचार से इस विषय पर बोलने वाला मैं अन्तिम वक्ता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

मैं चीन, बंगलादेश और कुछ अन्य देशों के संबंध में की गई पहल के लिए सरकार और माननीय मंत्री महोदय की सराहना करता हूं। मैं अफगानिस्तान, क्यूबा, एस.ए.डी.आर. और अन्य देशों के बारे में दिखाई गई कमजोरी के लिए सरकार की आलोचना में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय श्री शिवराज पाटिल जी ने कहा है, मैं इस विषय के संबंध में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी विदेश नीति अब लगभग प्रतिक्रियात्मक है। हम विश्व में हो रही घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लेकिन विश्व की वर्तमान परिवर्तित स्थिति और विशेषतौर पर सोवियत संघ के विघटन के बाद, हमें और अधिक व्यावहारिक विदेश नीति की आवश्यकता है। इस एकध्रुवीय विश्व में जिन कठिनाइयों का हम सामना कर रहे हैं, हमें उनकी जानकारी है। कुछ अन्य कठिनाइयां भी विद्यमान हैं। आतंकवाद सक्रिय है; हमारी आंतरिक नीतियां भी हमारी विदेश नीतियों से जुड़ी हुई हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि आतंकवाद को बढ़ रही आंतरिक समस्याओं, अलगाववादी गतिविधियों और विखण्डनकारी शक्तियों के बावजूद, सरकार की विदेश नीति के वे कौन-कौन से कारक हैं, जिनका ऐसी समस्याओं का आंतरिक रूप से सामना करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? इस संबंध में विशिष्ट नीति क्या है? दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, निवेश-अनेक ताकतें इन्हें हमारे विरूद्ध एक साधन के रूप में, प्रयोग करने के लिए सक्रिय हैं- की आवश्यकताओं के संदर्भ में हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता अथवा निवेश अथवा अन्य लाभों के प्राप्त करने हेतु हमारी ठोस विदेश नीति क्या है?

तीसरे, हमने द्विपक्षीयवाद आधार पर अपनी नीति कैसे तैयार की है, जोकि आज हमारी विदेश नीति का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है?

चौथे, हमने समष्टिवाद के निर्माण के संबंध में क्या पहल की है? हम एकध्रुवीय विश्व के निर्माण हेतु नए साम्राज्यवादी प्रयास के विरूद्ध अन्य राष्ट्रों को कैसे एकजुट करेंगे? इस दिशा में हमने क्या पहल की है?

मेरा अगला प्रश्न यह है कि सरकार को राजदूतावास अथवा कार्मिक जैसी विदेश नीति को कार्यान्वित करने हेतु हमारे तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए क्या योजनाएं हैं? हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल, कमजोर एवं पुरानी है। विश्व में बदल रही नयी स्थिति में, हमें आज इस नीति की नए सिरे से व्याख्या करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सरकार का विदेश नीति को भविष्य में सफल बनाने के लिए निर्णय लेने की नई प्रक्रिया तैयार करने हेतु क्या प्रस्ताव है?

अन्ततः इस शताब्दी के अन्त में और इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में हमें अपने क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी और इसके साथ ही हमें विश्व के सामने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में हमारी सरकार इक्कीसवीं सदी में प्रवेश हेतु कैसा अनुभव करती है और हमारी विदेश नीति के नए निर्देश क्या होंगे?

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में अन्तिम वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। कम-से-कम मैं ऐसी स्थिति से तो बच गया कि यहां बोलने वाला मैं अकेला हूं और सुनने वाला कोई नहीं होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या आप अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति को अनदेखी कर रहे हैं?

डा. देवी प्रसाद पाल : मैंने कहा है, "मैं बच गया..." जहां तक किसी देश की विदेश नीति का संबंध है उसमें निरंतरता और दर्शनिकता व्यावहारिक होनी चाहिए। हमारे देश की विदेश नीति प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्यों के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारों के प्रति सम्मान पर आधारित है। हमारे संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों में भी यह प्रावधान है कि सरकार अतंर्राष्ट्रीय शान्ति और मानवता को बढ़ावा दे, सन्धि संबंधी वचनबद्धताओं तथा उन अतंर्राष्ट्रीय अधिकारों का भी सम्मान करे, जो हमें कतिपय सम्मेलनों और संधि संबंधी वचनबद्धताओं से प्राप्त होते हैं। हमारी विदेश नीति सन् 1960 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिश्र के नासेर द्वारा परिकल्पित गुट-निरपेक्षता की नीति के आधार पर तैयार की गई थी। निस्संदेह, गुट-निरपेक्ष की नीति का शक्ति गुटों में विभाजित विश्व में काफी महत्व है। शीत-युद्ध की समाप्ति के बाद, मैं नहीं समझता कि गुट-निरपेक्षता की नीति अप्रासंगिक हो गई है। किसी देश की विदेश नीति मिश्रित किस्म की होती है और यह नीति विश्व के विभिन्न देशों और विशेष तौर पर विकासशील देश जिन सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं, उनकी गति से प्रभावित होती है। यदि भारत को राष्ट्र समुदाय में सम्मानजनक स्थान हासिल करना है, तो मेरे विचार से इसे तीसरे विश्व के देशों का नेतृत्व करना चाहिए। आज विकसित देशों द्वारा धीरे-धीरे इस बात पर बल देने अथवा अपने ही देशों में संरक्षणवाद की दीवारें खड़ी करने के प्रयास किए जा रहे है, लेकिन इसके साथ ही वह विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को खुलासा करने की मांग कर रहे हैं, ताकि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित देशों के विभिन्न उत्पादों की भरमार द्वारा रौंदा जा सके। हमारी विदेश नीति में विकासशील देशों के हितों का समर्थन और उनकी अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रवेश को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भारत राष्ट्र समुदाय में अत्यंत सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकता है।

महोदय, सरकार ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी. टी.बी.टी.) से संबंधित संकल्प के बारे में जिस नीति का अनुसरण किया है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। यद्यपि सरकार को इस संबंध में पूर्ण समर्थन नहीं मिला, तथापि परमाणु अस्त्रों के लिए संसाधन रहित देशों में भी अब इसकी काफी सराहना की गई है। अब वे भारत द्वारा इस संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण को महसूस कर रहे हैं, हालांकि भारत की यह अकेली आवाज थी। आस्ट्रेलिया जैसा देश भी यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत पर सी.टी.बी.टी. से संबंधित निर्णय के बारे में बड़े देशों द्वारा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि यदि विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत पर किसी ऐसे सन्धि विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जाता है, जिसे यह देश अपने हित में नहीं मानता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का समूचा ढांचा गड़बडा जायेगा। इस क्षेत्र में भी सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है और इसके लिए उसकी विभिन्न राजनैतिक दलों ने राजनैतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद भी सराहना की है। लेकिन इसके साथ ही, जब हम उस दुखद स्थिति के बारे में सोचते हैं जिसका सुरक्षा परिषद् में स्थान पाने के लिए सरकार ने सामना किया है, तो मुझे वास्तव में दुख होता है कि भारत को इस चुनाव में केवल 40 मत मिले जबकि जापान को 142 मत प्राप्त हुए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार ने यह समझने में पर्याप्त सतर्कता क्यों नहीं बरती कि यदि भारत इस मुकाबले में शामिल होता है, तो इसकी क्या स्थिति होगी। हमें यह बताया गया है कि इस स्थिति का सामना हमें इसलिए करना पड़ा है क्योंकि सी.टी.बी.टी. के संबंध में हमने कड़ा रूख अपनाया है। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सरकार ने इसके प्रचार और भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने हेतु विभिन्न देशों से सम्पर्क करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए। इसी वजह से हमें इस दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा।

ऐसे अनेक देश हैं, जो वास्तव में इसमें शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपने मत वहां नियुक्त राजदूतों के माध्यम से भेज दिए। जापान ने विभिन्न देशों के सभी राजदूतों को आमंत्रित करके डिनर दिया और इस प्रकार सुरक्षा परिषद् में अपनी घुसपैठ के लिए बहुत-ही

चालाकी से प्रचार किया। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारत ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए। यदि भारत ने यह देख लिया था कि हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम इस मुकाबले में नहीं टिक सकते तो भारत को सुरक्षा परिषद् में उम्मीदवार बनना ही नहीं चाहिए था। इस प्रकार हमारी स्थिति बेहतर रहती और हम सुरक्षा परिषद में स्थान पाने के लिए चुनाव में भाग ही नहीं लेते।

आज मैं, इस दृष्टिकोण को पूरी तरह उचित मानता हूं कि पड़ौसी देशों के साथ हमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए और इनमें सुधार लाना चाहिए। हमने देख लिया है कि हाल ही में बंगलादेश और हमारे देश के बीच गंगा जल संबंधी सन्धि कैसे हुई। निस्संदेह, पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने भी इस संबंध में कुछ प्रयास किए थे। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, यह सन्धि हुई। दो पड़ौसी देशों के बीच आपसी संबंधों में जल विवाद का मसला एक उत्तेजक समस्या बना रहा है। इस सन्धि के फलस्वरूप बंगलादेश को व्यापक रूप से लाभ होगा। भारत को जो कुछ क्यूसेक जल मिलेगा, उसका स्तर पहले से नीचा हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता और हल्दिया पत्तन अत्यधिक प्रभावित होंगे। यह मात्र अंतर्देशीय पत्तन बनकर रह जाएगा क्योंकि इसमें गाद की मात्रा बढ़ जाएगी और यहां अंतर्राष्ट्रीय पत्तन स्थापित करने की कोई सम्भावना नहीं रहेगी।

यद्यपि, थोड़ी-सी व्यवस्था करके यदि कलकत्ता पत्तन को 1000 क्यूसेक जल की आपूर्ति कर दी जाती, तो शायद इस प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ही न हुई होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन लोगों ने यह सन्धि की है, उन्हें बंगलादेश के हितों को प्रभावित किए बिना थोड़ा और अधिक व्यावहारिक होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही मैं यहां कह सकता हूं कि इस सन्धि से दो देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने का रास्ता खुला है। इससे चाहे हमें नुकसान ही हुआ हो, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि यह दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने में सहायक होगी।

भारत के अपने पड़ौसी देशों के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। निस्संदेह भूटान और श्रीलंका के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण बनेंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध नाजुक हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान उस राज्य की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए उग्रवादियों को उकसा रहा है, हमारी सरकार को इसके प्रति कड़ा रूख अपनाना चाहिए। इसके साथ ही, इस संबंध में अन्य देशों के बीच समुचित प्रचार भी किया जाना चाहिए।

मुझे याद है, कुछ वर्ष पूर्व न्यूयार्क टाइम्स में "रेपिंग ऑफ दी वैली ऑफ कश्मीर" शीर्षक से एक लेख छपा था। उस लेख में सभी प्रकार की अविश्वसनीय कहानियां दी गई थीं। मैं चाहता था कि सरकार उस अखबार के सम्पादक से सूचना के स्रोत के बारे में पूछे। किन्तु कहा नहीं किया गया। सरकार को उस सम्पादक से इस बात का पता लगाए जाने में थोड़ा सा कड़ा रूख अपनाना चाहिए था कि इस प्रकार की अविश्वसनीय कहानियां क्यों तथा किस स्रोत से दी गई हैं?

अपराह्न 8.00 बजे

महोदय, आतंकवाद के संबंध में राष्ट्रों के बीच हमारा प्रचार पर्याप्त नहीं रहा है। जब कुछ समय पहले, मैं विदेश में था तो, मैंने पाया कि बहुत से देशों को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाए जाने के लिये, पाकिस्तान द्वारा जिस प्रकार से आतंकवाद को उकसाया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी भी नहीं थी। मेरे विचार में सरकार को, इस संबंध में पर्याप्त एवं उचित कदम उठाने चाहियें। यदि हम अपने मित्र देशों के साथ बेहतर (अच्छे) संबंध बना सकते हैं, तो वह हमारी स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा।

मैं माननीय विदेश मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वह मध्य एशियाई देशों, जैसे उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान तथा अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगायें। इन देशों के पास तेल के प्रचुर भण्डार हैं तथा अन्य विभिन्न प्रकार के संसाधन भी हैं, जिनका भारत लाभ उठा सकता है। ऐसा करके उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के अलावा, हम उन दो बड़े देशों, जैसे-रूस तथा चीन के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। अतः इन मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं माननीय विदेश मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मुद्दे पर अपना ध्यान दें।

महोदय, आजकल जबकि विभिन्न देशों के मध्य राजनयिक संबंध होना आवश्यक है में, कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। इसलिये विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंध व्यावहारिक दर्शन पर आधारित होने चाहिये। हमने देखा है कि कई बार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संकट के समय, भारत के दूसरे देशों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। इससे यह पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, किन्तु जब संकट आता है, तो हम निश्चित दृष्टिकोण नहीं अपना पाते। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सरकारी एजेन्सियों को सुदृढ़ करें, ताकि हमारे दूसरे देशों से संबंध भी सुदृढ़ हो सकें।

महोदय विदेश सेवा का दोहरा उद्देश्य है। पहला, विश्व के दूसरे देशों में भारत के दृष्टिकोण, दर्शन तथा अर्थव्यवस्था का प्रचार करना, तथा दूसरा, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने तथा आर्थिक गठबंधन की संभावनाओं का पता लगाना। हमारे विदेश सेवाओं के अधिकारी भी इसके अनुरूप प्रशिक्षित किये जाने चाहिये। मैं कई बार विदेश-यात्रा पर गया हूं तथा मैंने देखा है कि हमारी विदेश सेवा के अधिकारी उस उद्देश्य के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं। हम परीक्षा के माध्यम से विदेश सेवा में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों का नियुक्ति करते हैं, किन्तु इसके लिये, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। समय समय पर उनकी जिम्मेदारियों में और नई आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किये जाने चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

डा. देवी प्रसाद पाल : महोदय, मैं सरकार को कुछ दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बढ़ाने के उपायों के लिये विशेषकर गंगा जल-बंटवारे के संबंध में, किये गये उपायों के लिए जरूर बधाई देना चाहूंगा, जो कि उन्होंने किये हैं। किन्तु इसी के साथ ही कई क्षेत्रों में जहां हम असफल रहे हैं, वहां असफलता का कारण जानने के लिये गहन विचार करने तथा सचेत समीक्षा किये जाने रहने की आवश्यकता है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : सभापति जी, सुरक्षा परिषद् में हार की मार खाकर, मजदूरी में, विदेश नीति पर बहस करने का अवसर हम लोगों को मिला है। यदि ऐसी स्थिति न आती तो शायद इस सरकार के मन में कोई चिन्ता नहीं थी कि विदेश नीति पर भी बहस होनी चाहिए।

सभापति महोदय, जब चुनाव हो रहा था, तो अखबारों में रोज खबर आती थी कि हम चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन सरकार हार गई। सरकार को इस हार की वजह से हमारी प्रतिष्ठा को बहुत चोट लगी और सबसे ज्यादा चोट इसलिए लगी कि उन लोगों ने हमारा विरोध किया जो लोग कभी हमसे प्रेरणा लेते थे, जो लोग कभी हमारा नेतृत्व मांगते थे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गंभीर सवाल है और गंभीर मामला है। इसलिए इस पर विचार भी गंभीरता से करना चाहिए और इसके लिए हम सभी को पहल करनी होगी। मैं केवल इसके लिए आपकी ही जवाबदेही नहीं मानता हूं बल्कि इस सरकार की, इस सदन की और इस देश की जवाबदेही है।

सभापति महोदय, कुछ दिन पहले हमारे यहां चीन के राष्ट्रपति आए थे। बड़ी गर्मजोशी से उनकी आगवानी हुई और विदाई भी हो गई। दोनों देशों के बारे में एक समझौता भी हुआ और उस समझौते के बारे में कहा गया कि यह एक ऐतिहासिक समझौता है। जब यह बात आती है, तो 50 के दशक में तिब्बत की भ्रूण हत्या करने के बाद हुए समझौते की बात याद आ जाती है और अभी उन समझौते की स्याही सूखने भी नहीं पाई थी कि चीन ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारी हजारों वर्गमील जमीन अपने कब्जे में ले ली। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस सवाल को उठाया था? चीन ने 1962 में जो हमारी हजारों वर्गमील जमीन अपने कब्जे में ले ली, उसका क्या होगा? इसी सदन में संकल्प लिया गया था कि हम मरते दम तक अपनी जमीन को वापस लेने का प्रयास करते रहेंगे। क्या आपने यह सवाल उठाया था? देश की सर्वोच्च संस्था ने इस सदन में जो संकल्प लिया था अपनी जमीन को वापस लेने के लिए उसके बारे में आपकी क्या मंशा है?

सभापति महोदय, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम के प्रति भी चीन की कुदृष्टि है। वह कहता है कि अरूणाचल हमारा है, सिक्किम हमारा है। आपको चाहिए था कि आप इन सवालों को चीन के राष्ट्राध्यक्ष के सामने उठाते और कहते कि इनके बारे में आपकी क्या मंशा है, लेकिन मुझे मालूम है आपने इन सवालों को नहीं उठाया।

सभापति महोदय, आज चीन के लोग पाकिस्तान को एटमी हथियार दे रहे हैं, मिसाइलें दे रहे हैं। बंगला देश में सैनिक अड्डा बनाना चाहते हैं। बंगला देश को हथियार दे रहे हैं। बर्मा को हथियार दे रहे हैं। क्या आपने उनके सामने इन सवालों को उठाया कि हमारे देश को इस तरह से चारों तरफ से क्यों घेरा जा रहा है? आपने इन सवालों को नहीं उठाया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी इस तरह के समझौते की बात हो, तो आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी और आपको चुस्त और दुरूस्त रहना होगा और इतिहास के अनुभव से आपको सीख लेनी पडेगी, नहीं तो मुमकिन है फिर एक बार 1962 का नजारा आपको देखने को मिले। यदि आप सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो यह निश्चित मान लें कि चीन के साथ दोस्ती का मतलब धोखा होगा। यह कहना कि दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यह ठीक नहीं है। दोस्ती हम भी करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ हम भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए कोई यह कहे कि हम चीन के साथ दोस्ती करेंगे, तो अपने को धोखा देना होगा।

माननीय सभापति महोदय, पाकिस्तान के बारे में मेरा निवेदन है जैसा अभी हमारे गुलाम रसूल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, फोर्सेस के ऊपर जो खर्च हो रहा है, यह कम होना चाहिए तथा उस धन को विकास के कामों पर लगाना चाहिए। मैं उनकी इस बात को मानता हूं और उनसे सोलह आने सहमत हूं बल्कि मैं तो उनसे एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि हमारा एक महासंघ बने। भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश का एक महासंघ बने, लेकिन यह कब बनेगा। क्या पाकिस्तान स्थित हिन्दुस्तान के हाईकमीशन में घुसकर वहां के लफंगे हमारे लोगों को पीटेंगे, क्या वहां महिलाओं को छुरा घोंपा जाएगा? यह दोस्ती कैसे हो सकती है। इसलिए मैं इस विचार का हूं कि इसमें पहल करनी चाहिए और एक वातावरण बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, रही तालीबान की बात। तालीबान ने अपने यहां से लोगों को हिन्दुस्तान में, कश्मीर में भेजा। पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान की मदद अमरीका हथयार और पैसे से कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। घन्टी बज रही है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अंतिम बात कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की विदेश नीति को बनाने से पहले देश की सार्वभौमिकता, देश की स्वतंत्रता और देश की समृद्धि को सामने रखकर तब विदेश नीति बनायी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो भी विदेश नीति बनेगी वह कभी सफल नहीं हो सकती है। अगर इन तमाम बिन्दुओं को सामने रखेंगे, तो उसमें न केवल राजनीतिक नीति आएगी, न केवल व्यापारिक नीति आएगी बल्कि उसमें वैज्ञानिक नीति,

तकनीकी नीति एवं सांस्कृतिक नीति भी आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मेरे विचार में यह चर्चा पिछले सात घण्टों से लगातार चल रही है। मैं यथासंभव संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा।

श्रीमान सभापति महोदय, मैं सभा को इतने उत्कृष्ट ढंग से की जा रही चर्चा के लिये धन्यवाद देता हूं। यहां हुये अधिकतर भाषण तथा उठाये गये मुद्दे उत्कृष्ट कोटि के तथा साथ ही सराहनीय हैं। मैं अपने वक्तव्य में इन मुद्दों का समावेश का प्रयत्न करूंगा। किन्तु उन मुद्दों पर आने से पहले, मैं उन स्वीकृत तथ्यों की संरचना के बारे में बताना चाहूंगा, जिनके आधार पर हम अपनी विदेश नीति बना रहे हैं। यह न केवल आवश्यक है कि मैं माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये गये मुद्दों का प्रत्युत्तर दूं, बल्कि मैं यह भी जरूर बताना चाहूंगा कि हम अपनी विदेश नीति कैसे बना रहे हैं और इस प्रकार की विदेश नीति क्यों बना रहे हैं?

आज के विश्व में जो कि शीत युद्ध के बाद का विश्व है, भारत की विदेश नीति के विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, कि किसी भी विदेश नीति पर चाहे वह वर्तमान, भूत या भविष्य की हो उसकी पृष्ठभूमि तथा उन अनिवार्य आधारभूत परिस्थितियों से अलग रहकर विचार नहीं किया जा सकता जिनकी मदद्नजर उसे बनाया गया है। अब हमारा गणतन्त्र 50 वर्ष का हो चुका है तथा 50 वर्ष पूर्व भी भारतीय विदेश नीति की संरचना किन्हीं आधारों पर की गई थी। मेरे विचार में भारतीय विदेश नीति की अनूठी विशेषता यह है कि इसकी परिकल्पना वह स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान ही कर ली गई थी। हमें याद है, जब चीन में युद्ध जारी था, तो हमने क्या किया था।

जब विश्व में कहीं भी औपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष छिड़ा, हमारे नेताओं ने उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की? शुरू से देखा जाये, तो महात्मा गांधी की अफ्रीका के मामले में कैसी प्रतिक्रिया की थी? इसीलिये जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो विदेश नीति बनाते हुये यही आधार अपनाया गया था। जब भारत स्वतन्त्र हुआ, हम दो बातें जानते थे। स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान केवल भारत का भविष्य तय किया बल्कि यह भी परिकल्पना की कि भारत भावी स्थिति से कैसे निपटेगा। उस समय भारत राष्ट्रों के गुटों बीच युद्ध की वास्तविकता का सामना कर रहा था। शीत युद्ध चल रहा था। आज हम गुट-निरपेक्षता की बातें कर सकते हैं। नेहरू के स्वप्नों में या इसे स्वतन्त्रता संघर्ष की विरासत कहें-एक बात निश्चित थी तथा वह यह थी कि कोई भी देश तब तक स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी विदेश नीति स्वतन्त्र न हो तथा जब तक उसकी विदेश नीति, किसी भी गुट के प्रति किसी वचनबद्धता से मुक्त न हो।

मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि यह वह समय था जब भारत ने स्वतन्त्रता के बारे में वार्ता शुरू ही की थी—गुट-निरपेक्ष विश्व उसके बहुत बाद आया—तथा यह कहा कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। दोनों ही गुटों ने हमारी निन्दा की थी। स्टालिन ने नेहरू को (साम्राज्यवादियों का प्यादा) कहा था तथा डल्स ने भारत के बारे में जो कहा था, उसे किताबों में पढ़ा जा सकता है। इसीलिये उसी संदर्भ में भारत भारत के पहले विदेश मंत्री के रूप में नेहरू ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते। एक तरह से वह किसी गुट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वह यह कह रहे थे कि भारत अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने में स्वतन्त्र रहे। गुट-निरपेक्षता का एक ही अर्थ है और वह है विकल्प चुनने की स्वतन्त्रता। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित का स्वयं विचार करे तथा निर्णय लें कि क्या करना चाहिये। नेहरू नहीं चाहते थे कि मास्को रूस या वाशिंगटन हमारी विदेश नीति तय करें। आप इसे अच्छा क या बुरा किन्तु आधारभूत मुद्दा है कि स्वतन्त्र भारत या गणतन्त्र भार की—यदि वह अपने भूतकाल की पुनरावृत्ति भी करना चाहे तो इस अलावा कोई अन्य विदेश नीति नहीं हो सकती। मेरे विचार में, या चुनौती थी, जो शक्तिशाली राष्ट्रों को पसन्द नहीं आई। किन्त धीरे-धीरे जब औपनिवेशवाद समाप्त होने लगा तथा एक के बाद एक देश स्वतन्त्र होने लगे तो अनेक देशों ने यह तय किया कि उनके दृष्टिकोण में समानता थी।

यह गुट बनाने जैसी बात नहीं थी। नेहरू ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होने के लिये लोगों से अनुरोध नहीं किया। बुनियादी तौर पर ऐसा इसलिये था क्योंकि ऐसा दिखाई दिया तथा अनुभव किया गया कि जब देश औपनिवेशवाद के चंगुल से बाहर जायेगा, तो देश को अपनी विदेश नीति के अनुसार यह सोचना होगा कि तथ्य आपके किस प्रकार के संबंध होंगे। कई देश, शुरू में 3-4 देशों ने इस आन्दोलन की शुरूआत की किन्तु आगे चल कर 100 से भी अधिक देश इस में शामिल हो गये। यह अनुभव किया गया कि यदि आप किसी भी गुट के सदस्य है, तो आपने उस सीमा तक तो अपनी स्वतन्त्रता की कीमत पर समझौता किया ही है। इसी कारण से, गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने अपनी जड़ें जमाई। नेहरू ने हमें बार-बार यह बताया और यदि हम उसे भूलना चाहें, तो हमें ही निर्णय करना होगा।

अमरीका ने नेहरू की आलोचना की थी कि वे निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने बार-बार कहा "हम तटस्थ नहीं है; जहां तक हमारे राष्ट्रीय हितों का संबंध है, हम तटस्थ नहीं रह सकते।" हम इसी परिप्रेक्ष्य में इसी दृष्टिकोण को लेकर चलते; वह निरन्तर हमारे रहेंगे कि जहां कहीं भी हमारे राष्ट्रीय हित जुड़े हुये हैं, हमें निष्पक्ष रहना होगा। यह भी सत्य है कि जहां कभी भी हमारे राष्ट्रीय हित जुड़े हुये हैं तथा अन्तर्ग्रस्त हैं, हमें हमेशा विकल्प चुनने की स्वतन्त्रता है। हम निर्णय करेंगे कि क्या करना है; हमें विकल्प चुनने की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होगी; हम ही यह निर्णय लेंगे कि क्या हमारे अनुकूल है या क्या हमारे अनुकूल नहीं है। स्वाभाविक है कि जो भी सरकार यहां बैठी है- चाहे वह मौजूदा सरकार हो, पिछली सरकार हो या आने वाली सरकार हो- वह इस सभा के प्रति जिम्मेदार है। इस सभा को निर्णय लेना है कि वह किस प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता चाहती है।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, कैसी स्थिति सामने आई? मैं आपको शीत युद्ध के युग में नहीं ले जा रहा हूं, किन्तु चलो हम शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के पांच वर्षों को लें। ऐसा लगा कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है, गुटों के बीच शत्रुता समाप्त हो गई है, किन्तु अचानक हमने पाया कि सुझाव एक दिशा की ओर हो गया। मैं किसी एक देश का नाम नहीं ले रहा हूं, किन्तु आप सभी जानते हैं, तथा मेरे विचार से मुझे उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हों, चाहे वे राजनीति क्षेत्र हो या विदेश नीति का क्षेत्र हो। उनके हमेशा से हर क्षेत्र में चौधराहट करने के इरादे रहे हैं, मेरा विचार है कि कुछ देश, विश्व को अपने अधीन देखना चाहेंगे। हालांकि कुछ संगठन भी बनाये गये हैं; कुछ अपने को जी-7 बताते हैं; दूसरी ओर कुछ अपने को पी-5 बताते हैं। उनके मध्य मतभेद हो सकते हैं, किन्तु जहां तक तीसरे विश्व पर अपनी चौधराहट चलाने की बात है, इस पर वे सभी एकमत्त हैं। इसी कारण जब हम अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं तो इस बारे में सोचते हैं कि आगे क्या करें अन्यथा हमारे सामने एक चुनौती आ खड़ी होती है कि यह सोचने कि यह स्वतन्त्रता, विशेषकर विकल्प, चुनाव की स्वतन्त्रता का उपयोग करें या न करें।

स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप धमकियां देने और शक्ति का उपयोग करने की कूटनीति अपनायें। इसके साथ ही, इन स्थितियों में आर्थिक क्षेत्र में आपका सामना जी-7 से हैं, परमाणु मुद्दों पर आपका सामना पी-5 से है, अपनी नीति कैसे बनायें? इस मुद्दे पर इन स्थितियों में क्या करें। सामान्य प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर यही होगा कि, "जो आपसे सहमत हैं, उन्हें संगठित करने का प्रयत्न करो।" हो सकता है वे पूर्णतः आपसे सहमत न हों, हो सकता है, वे हमेशा आपके साथ न रहें, हो सकता है, वे प्रत्येक मुद्दे पर आपके साथ न हों किन्तु ऐसा सर्वोत्तम सर्वहितकारी हल निकालने का प्रयत्न करें जो सबके अनुकूल हो। मेरे विचार में, आज निर्गुट आन्दोलन के सामने सर्वोत्तम सर्वहितकारी हल खोजने के चुनौती है। जब आप चुनाव में खड़े हुये तो आपकी निन्दा हुई थी, तथा फलां-फलां ने आपको वोट नहीं दिया। यह गुट नहीं है। यहां तक कि नेहरू के समय में भी कई बार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों ने एक गुट के रूप में मत नहीं मिला, किन्तु हम बुनियादी रूप से हमेशा सर्वनिष्ठता सर्वहितयुक्त मार्ग ढूंढने का प्रयास करते रहे। यह तलाश जारी रहती है तथा वह सर्वोत्तम सर्वहितकारी हल की खोज की तलाश है। वे कौन-से मुद्दे हैं, जिन पर एकमत हो सकते हैं? कौन से मुद्दे हैं, जिन पर हम सामूहिक रूप से प्रतिरोध कर सकते हैं? कई बार हम सफल हो जाते हैं, कई बार नहीं, क्योंकि विश्व परिवर्तनीय है। इसीलिये हम स्थिति पर निरन्तर नजर रखे रहते हैं।

इसके साथ ही, हम एक अनोखे प्रकार के सामान्य हितों को देखते हैं। हम परमाणु शक्तियों का नेव परमाणु शक्तियों के प्रति रूख देख रहे हैं। आप स्वयं भी देख रहे हैं कि कैसे जी-7 जैसी आर्थिक शक्तियां दबाव डालती हैं। हम कई बार "विश्व व्यापार संगठन" के बारे में बात करते हैं। कल हमने गेट पर उरूग्वे दौर की वार्ता के बारे में बात की थी। मुझे उस कमेटी के अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसने उरूग्वे दौर की वार्ता पर विचार किया था और उस पर अपनी रिपोर्ट दी थी। हमने सभी मुद्दों की जांच करने का प्रयत्न किया, जो आज हमारे सामने उपस्थित हैं।

मेरे विचार से इसे अच्छी तरह समझने के लिये मैं किसी अहं भाव से ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपके लिये यही लाभप्रद होगा आप उसे पढ़ लें। हमने कई बातें कही हैं और अभी इसे संतुलित बनाने में ही लगे हैं। हमने सोचा था कि 'विश्व व्यापार संगठन' का भागीदार बनना लाभप्रद होगा किन्तु हमें अपने हितों को अवश्य सुरक्षित रखना है।

कई बार हम सफल होते हैं; कई बार नहीं। मेरे विचार से, केवल परिणामों से आपको कोई राय नहीं बना लेनी चाहिये। हमने यह उस समय भी कहा था और वही हम आज भी कह रहे हैं। हम परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध (सी.टी.बी.टी.) के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम उन पर इसलिये हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे दोषपूर्ण हैं। ये व्यवस्थाएं वास्तविकता से परे हैं, उनमें सच्चाई नहीं है क्योंकि जो सी टी.बी.टी. या एन.पी.टी. की उन शर्तों में बात करते हैं किन्तु किसने सी.टी.बी.पी. पर हस्ताक्षर करने के बाद किसने समझौता तोड़ा है? किसने परीक्षण किया है? जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये, उन्होंने परीक्षण नहीं किये। हमने परीक्षण नहीं किये। फ्रांस ने समझौते पर हस्ताक्षर किये, उस समझौते को तोड़ दिया, चीन ने समझौते पर हस्ताक्षर किये और फिर उसे तोड़ दिया। आज भी, जब सी.टी.बी.टी. को परिभाषित कर दिया गया है, उसमें कुछ विशिष्ट शर्तें रखी गई हैं। वे एक विशेष प्रकार का परीक्षण नहीं करेंगे, किन्तु कुछ प्रकार के परीक्षण करते रहेंगे। हमें इसी बात पर आपत्ति है। हम कह रहे थे कि इसमें ईमानदारी बरतिये। हम यह भी कह रहे हैं कि यदि आप नियन्त्रण रखना चाहते हैं तो कृपया ईश्वर के लिये हमें बता दें तथा उन सभी घटकों तथा बातों पर प्रकाश डालें, जो इस पर प्रभाव डालेंगे। वे इसके लिये सहमत नहीं हुये किन्तु विशेष बात यह भी है कि वे ऐसा करने के लिये कहते रहते हैं।

तब हम सभा के समक्ष आये तथा हमें अवश्य कहना है कि सौभाग्य से यह सभा तथा अन्य सभा ने अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को समझा और उसका निष्पादन किया। मेरे विचार में, यह मेरे लिये गर्व का विषय है; यह हम सबके लिये गर्व का विषय है कि जब ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा, तो राष्ट्र इस मुद्दा पर एकजुट होकर खड़ा हो गया। यहां सत्तापक्ष या विपक्ष की बात नहीं थी, सभी एकमत थे। हम सभी ने अनुभव किया कि यह भारत की स्वतन्त्रता का प्रश्न है तथा हमें अपने गौरव को ऊपर रखना है। हम जानते थे कि इसके परिणाम क्या होंगे। सभा में सभी सदस्यों ने मुझसे कहा, "कोई परवाह मत करो; परिणाम की चिन्ता मत करो, इसके विरूद्ध उठ खड़े हो" इसलिये हम इसके विरूद्ध उठ खड़े हुये और मुझे खुशी है कि हमने उनका विरोध किया। किन्तु सितम्बर के उस महीने में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने, न करने का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, अभी भी तो

वर्ष शेष हैं और अभी भी यहीं इस पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं इसके परिणामों से हमें बार बार आगाह करते रहेंगे।

वह इसका पहला दंड हमें यह मिला कि हमें सुरक्षा परिषद में हरा दिया गया। मेरे दोस्तों आज भी यही कहते हैं कि "घोर अनर्थ"। आपने क्या अनुभव किया? क्या आपके विचार में सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करने के लिये भारत पुरस्कृत होगा? क्या कभी ऐसा सोचा जा सकता था कि हम इससे अपने को अलग रखें। इसका विरोध भी करें और यह सब करने के बावजूद सुरक्षा परिषद चुनाव भी जीत जायें। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

इसके बाद 26 अगस्त को, यदि आप मुझे अनुमति दें, मेरे विचार में, दूसरी सभा में, मैंने यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है। ...**(व्यवधान)** मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ...**(व्यवधान)** मैंने उस समय भी कहा था कि और मेरी यह बात कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज है कि इस तरह का प्रचार हमारे विरूद्ध जायेगा। फिर भी उस समय दोनों सभाओं ने कहा कि इस समझोते का विरोध करो और हमने किया तथा अब कई बार ऐसा सुनना अजीब और हास्यास्पद लगता है। अब स्थायी सदस्यता के लिये भी बात चल रही है। मैं आपको इसका विश्वास दिला सकता हूं कि आपको स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी। ...**(व्यवधान)** मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। सभा को यह जरूर पता होना चाहिये कि स्थायी सदस्यता के बारे में निर्णय कौन लेगा। इसका निर्णय न तो सामान्य मतदाताओं से होगा, न अफ्रीका के मतों से, न एशिया के मतों से। बुनियादी रूप में, अधिकार अन्यत्र केन्द्रित हैं तथा वे नहीं चाहेंगे कि आप सुरक्षा परिषद में बैठें तथा उनका विरोध करें।

हमारे पास एक विकल्प है, जिसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिये। हमें अभी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये तीन वर्ष उपलब्ध हैं। मुझे सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दें, तब आपको सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जायेगी और मेरे विचार से ऐसा ही वादा हुआ है। यदि आप हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे तो कृपया आप उनसे भी कोई उम्मीद न करें। यह नहीं हो सकता कि आप संधि हस्ताक्षर भी न करें और आपको स्थायी सदस्यता भी प्राप्त हो जाये? इसे ही अमरीका में कहते हैं, "खाना मुफ्त नहीं है।"

प्रत्येक विरोध की आपको कीमत चुकानी होगी तथा वे सभी राष्ट्र जो आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, उन्हें यह सीखना होगा कि वे विरोध कैसे करें। अपनी सदस्यता की दावेदारी का औचित्यता सिद्ध करने के लिये विरोध तो करना ही होगा। यदि आप यह अधिकार नहीं चाहते, तो स्वाभाविक है कि इसका निर्णय आपको ही लेना है। किन्तु यदि आप विरोध करते हैं, तथा आप उनका विरोध करना चाहते हैं, तो कृपया यह न पूछिये कि इसके लिये क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रशंसा की उम्मीद न करें, सदस्यता के लिये न कहें। ऐसा तो होना ही है यदि आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो तब मेरे विचार में यह बहुत अनोखी बात है, जिसके बारे में कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा।

प्रत्येक रुख, प्रत्येक नीति, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति, जो आत्मसम्मान रखता है, उसे उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है तथा भारत को भी वह कीमत चुकानी होगी। मेरे दोस्त कह सकते हैं; आस्ट्रेलिया क्यों हारा था? आस्ट्रेलिया का पुर्तगाल से मुकाबला था। दोनों ने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किये थे। इसलिये वे दोनों यूरोपीय शक्तियों के पसंदीदा राष्ट्र थे। यूरोपीय देश किसी यूरोपीय देश को ही चाहते थे। आस्ट्रेलिया के समर्थकों की अपेक्षा यूरोपियों के मत अधिक थे, किन्तु दोनों ही ने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किये हुये थे। अतः इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने वाला देश सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर न करने वाले देश से हार गया। इसलिये प्रश्न यह नहीं है, कि उनकी हार क्यों हुई। दुःख तो वनियादी रूप से इस बात का है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि हमने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किये होते, तो हमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल गई होती? ऐसा किसी सबूत के आधार पर नहीं कहा जा सकता।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं आपको इस बात का आभास कराना चाहता हूं। मैंने जो कहा था, मैं उसे ही दोहरा रहा हूं।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आप जिस तरह से कह रहे हैं, उससे लगता है कि समझौते का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किये होते, तो हमें सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिल गई होती।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : हां, मैं यह कह रहा हूं।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ऐसा लगता कि आपको वह पद मिल गया होता। ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसके बिना पर यह कहा जा सके कि आपके सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से 100 वोटों की कमी पूरी कर ली जाती।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ठीक है, इसका आपको निर्णय लेना है। किन्तु मैं आपको यह बता सकता हूं कि दुनिया भर में जो लोग इस बात को समझते हैं, वे यह बात जानते हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : हम इस बात को नहीं मानते।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : ये आपको सोचना है कि हमारी हार सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण हुई या इस पर हस्ताक्षर करने पर भी हमारी हार हुई होती।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आपको यह भलीभांति याद रहे कि मैंने ही यह चर्चा शुरू की थी। इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं किन्तु फिर से पिछली बात दोहराना और यह कहना कि यदि हमने उस पर हस्ताक्षर किये होते तो हम सुरक्षा परिषद के सदस्य बन गये होते। इससे दो प्रश्न उठते हैं।

पहला, आपने जो किया, क्या आप उसके लिये शर्मिंदा हैं? आपने एक वक्तव्य दिया है कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर किये होते तो हो सकता है कि हमें सदस्यता मिल गई होती। क्या आप अपने किये पर शर्मिन्दा हैं?...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : नहीं, कृपया मेरा आशय समझें। मेरी बात का गलत अर्थ न लगायें।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : आपने जो किया क्या आप उसके लिये शर्मिन्दा हैं?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरी बात सुनिये। कृपया बैठ जाइए। मेरी बातों का गलत अर्थ न लगाएं और मेरी बातों को गलत तरीके से उद्धृत न करें। मैंने जो बात कही उसे मैं दोहराता हूं। हमें इस अवज्ञा का मूल्य चुकाना पड़ा है। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत अपनी आन पर डटा रहा और किसी भी प्रकार का खतरा, भय या अन्य कोई मूल्य या लालच हमें नहीं रोक सका। जी नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि भारत इससे अलग हो गया था और भारत को कभी अलग होना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि यह भारत की विरासत है। मूल रूप से मैं यही बात कहना चाहता हूं। यदि आपके दल का दृष्टिकोण भिन्न है तो यह एक अलग बात है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : इसमें कोई भिन्नता नहीं है। परन्तु भिन्नता आपके कथन में है कि अगर हमने हस्ताक्षर कर दिए होते, तो हम सुरक्षा परिषद के सदस्य होते। अब हम इसके लिए दुःखी हो रहे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आधुनिक विश्व में कभी प्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं डाला जाता है। आधुनिक युग में दबाव कभी निर्लज्जता से समाप्त नहीं होता। तोप युक्त नौका की कूटनीति समाप्त हो गई है। दबाव निहितार्थ होते हैं। हमेशा अप्रत्यक्ष तरीकों से दबाव डाला जाता है अर्थात, इसी को लॉबी प्रचार कहा जाता है। लॉबियों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जाता है और लॉबियिस्टों का कार्य करने का अपना ढंग होता है। मैं समझता हूं कि हम सभी विदेशी मामलों में रूचि रखते हैं और लॉबियिस्टों के कार्य करने के तरीकों को हमें समझना चाहिए। मैंने 26 अगस्त को राज्य सभा में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि हमारा मनोबल गिराने के लिए प्रचार माध्यम पूरी तैयारी करेगा। ऐसा हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि वास्तव में ऐसी दुःखद घटना हुई। इस मुद्दे पर हमारे मनोबल को इस तरह से गिराया जा रहा है जैसे कि एक सीट को हारकर, हम पूरे विश्व को हार गए हैं। ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है। 1975 में हम पाकिस्तान से हार गए थे। उस वक्त भी एक मुद्दा था। चाहे हम उसको एक मुद्दा न भी मानें, परंतु एक मुद्दा था। मुख्य बात यही है कि अगर आपको कुछ करना है, तो परिस्थिति वैसी ही बन जाएगी। तीन वर्ष अभी भी बाकी हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा कही गई बात रिकार्ड में है कि भारत इन तीन वर्षों में रास्ते पर आ जाएगा। मुझे यह चुनौती दी गई है। अगर आप अपने मनोबल का ह्रास करते रहेंगे, ऐसा प्रचार करते रहेंगे कि यह पद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब इस तरह की बात होती रहेगी कि भारत रास्ते पर आ जाएगा। क्या भारत दब जाएगा? क्या भारत चाहता है कि वह दब जाए? क्या दब जाना भारत के हित में है? क्या दब जाना हमारे आत्मसम्मान के अनुरूप होगा? क्या दब जाना हमारी विरासत के अनुरूप होगा? यदि ऐसा नहीं है, तो हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमें हर वक्त सुधार की आवश्यकता नहीं है और यह सोचकर दुःखी नहीं होना चाहिए कि हमारी हार हुई है, जैसे कि बहुत बड़ी बात हो गई है या कोई विपदा आ पड़ी है। हमने दंड भी भुगते हैं। ये सब आज की परिस्थिति का एक अंग हैं। एक हार भी पूरी तरह से डाले गए दबाव का एक तरीका है। आप एक बार हारते हैं, दूसरी बार हारते हैं, तीसरी बार हारते हैं। कभी कभी दबाव काम कर जाता है। मुझे दुःख है कि मैं सभा में उपस्थित थोड़े ही सदस्यों के समक्ष बोल रहा हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि इस मामले पर मेरी बात को सुना जाए क्योंकि पिछले एक महीने से प्रचार कर रहे हैं कि 'आपदा आ पड़ी है, हमें नीचा दिखाया गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, आदि'। परंतु आप इसके अन्य आयाम को भूल जाते हैं।

मेरे मित्र, श्री स्वेल इस पर काफी मुखर थे और उन्होंने कहा कि 'किसने हमारा साथ दिया'? वे उन लोगों को अवमानना कर रहे हैं जिन्होंने सितंबर में हमारा साथ दिया था। इस विषय पर उनके अपने विचार हो सकते हैं। परंतु, दबाव के बावजूद उन्होंने हमारा साथ दिया था। अतः वे ही तीन देश थे जिन्होंने सितम्बर में हमारा साथ दिया था। उस समय तक, जब सुरक्षा परिषद की बात हुई, हम 40 हो चके थे। वह कैसे संभव हुआ? आखिरकार, यह महसूस किया गया कि चाहे यह सी.टी.बी.टी. का मुद्दा हो, किसी के द्वारा तो दबाव का विरोध करना है और अगर हमने विरोध किया है, तो उसकी काफी प्रशंसा की गई है।

जब हमारा चालीस का दल बन गया, तो इस तथ्य को भी नोट करना होगा कि पांच परमाणु शक्तियों में से, तीन ने हमारे पक्ष में मत दिया। उन्होंने हमारे लिए क्यों मत दिया? उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी बाध्यताएं थीं। चीन के अपने कारण थे; रूस के अपने कारण थे; और फ्रांस के अपने कारण थे। इसके बावजूद, आप वहां एक दरार पाते हैं। क्या हम छोड़ दें और दरार को बढ़ाने में सहायता न करें?

मेरे विचार से यही मुद्दे थे। अतः जब हम शीत युद्ध के बाद की बात करते हैं, मैं सी.टी.बी.टी. को वहीं छोड़ देता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि शीत युद्ध के बाद के युग में, क्षेत्रीय सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि मेरे विचार से, विश्व में अभी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित न कर रहा हो। यूरोप यूरोपियों के बारे में बात कर रहा है; अमेरिका मैक्सिको और कनाडा की बात कर रहा है, लैटिन अमेरिका का अपना क्षेत्रीय सहयोग है; अफ्रीकियों का भी अपना है और यह हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं।

क्षेत्रीय सहयोग में, हमारी अवधारणा केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। हम और व्यापक क्षेत्र की ओर देख रहे हैं और मेरे

मित्र याद करेंगे कि आज के संदर्भ में पड़ोस का अर्थ केवल भौगोलिक निकटता नहीं है। इसका अर्थ हितों में निकटता भी है। यह जरूरी नहीं कि हित सौ प्रतिशत ही एक समान हों, परंतु फिर भी सर्वोच्च सामान्य तथ्य हैं। हमारी पिछली सरकार की उपलब्धियां बहुत अच्छी रही हैं। हम आज आसियान के वार्ता करने वाले सामान्य सदस्य हैं।

कुछ मित्रों ने कहा कि कुछ साल पहले हमें शामिल होने का आमंत्रण मिला था, परंतु हम शामिल नहीं हुए। हां, हम उस समय शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि शीत युद्ध की कुछ ऐसी ही बाध्यताएं थीं। शीत युद्ध के युग में प्रत्येक देश कहीं न कहीं वचनबद्ध था। शीत युद्ध के बाद के युग में, आशियान का समग्र सामान्य सदस्य बनने से हमें लाभ हुआ है।

हम ए आर एफ के भी सदस्य हैं। कभी कभी इस बारे में प्रश्न किया जाता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहा जाता था, "हे भगवान, आप ऐसे-ऐसे संगठन में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने आपको शामिल नहीं होने दिया।"

जब फ्रांस और ब्रिटेन ए आर एफ में शामिल होना चाहते थे, मैं जकार्ता में था। उनके आवेदन नामंजूर कर दिए गए थे। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि उन्हें अलग कर दिया गया था? क्या इसका अर्थ यह है कि वे अब शक्ति नहीं रहे? मुख्य बात यह है कि कुछ विशेष चीजों को प्राप्त करने के लिए हरेक प्रयास किया जाता है और आप वह प्रयास करते रहते हैं। कभी आपको सफलता मिलती है, कभी नहीं। हम भी अपने एंटेना की पहुंच को बढ़ा रहे हैं। हमने न केवल आशियान के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, बल्कि हम भारतीय महासागर के घेरे में, आस्ट्रेलिया से लेकर एशिया तक, 14 देशों पर काफी तैयारी कर रहे हैं। मार्च में मंत्रिगण तीसरी बार मारिशस में बैठक करेंगे और मैं आशा कर रहा हूं कि इसी वर्ष ओमान में शिखर स्तर पर एक बैठक होगी।

हम एक ओर अन्य क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। करीब दस देश हैं जो भारतीय महासागर के घेरे में शामिल होना चाहते हैं। हमने अभी उस पर विचार नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि मारीशस में हमारी बैठक में क्या होगा और किस प्रकार का रवैया अपनाया जायेगा।

भारत का एक अन्य आयाम, जैसा कि मेरे कुछ मित्रों द्वारा ठीक ही कहा गया है, मध्य एशिया है। मध्य एशिया के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं और अगर हम यहां बैठकर इतिहास का स्मरण करते हैं, तो मैं उस भूतकाल की शताब्दियों के संबंध में बोल सकता हूं जब हमारे बौद्धों, कुशाणों, मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। सौभाग्य से, हमें उस संबंध का पालन करना है।

सोवियत संघ के दिनों में भी, जब मैं वहां राजदूत के रूप में कार्य कर रहा था, मैंने इस क्षेत्र का व्यापक दौरान किया और भारत के साथ काफी कुछ संबंध पाया-सांस्कृतिक, भाषायी, एतिहासिक, संवेदनात्मक और वह आज भी अनुपालनीय है।

अब हम पुनरानुकूलन स्थिति लाना चाहते हैं। सभापति महोदय ऐसा है कि यह देश अब बहुत पेट्रोलियम-धनी हो गये हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः गैस उपलब्ध है। इस महीने की शुरूआत में, एक सप्ताह या दस दिन पहले गोवा में विश्व पेट्रोलियम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। मुझे प्रधानमंत्री द्वारा वहां भेजा गया था। हमने वहां क्या पाया? यह प्रयोजना की गई कि आने वाली शताब्दी में ऊर्जा के 40 प्रतिशत की खपत एशिया में होगी और 40 प्रतिशत में से आधे से भी ज्यादा की खपत चीन और भारत दोनों में होगी। अब हमें यह कहां से प्राप्त होगा। प्राकृतिक रूप से लोगों की दृष्टि मध्य एशिया की ओर मुड़ रही है। इसी कारण से आप प्रायः पाइपलाइनों के बिछाने के बारे में सुनते हैं। कोई अफगानिस्तान से पाइपलाइन लाने की बात करता है; और कोई ईरान से समुद्र के नीचे या समुद्र के ऊपर से पाइपलाइन लाने की बात करता है। परन्तु आगामी कुछ वर्षों की राजनीति गैस पाइपलाइनों की राजनीति होने जा रही है। यहीं पर भारत का इन देशों के साथ संबंध का महत्व होगा। हाल ही में, हमें ईरान के साथ अपने संबंधों के पुनर्गठन में कुछ हद तक सफलता मिली है। विगत परिस्थिति में जब सोवियत संघ का अस्तित्व था, हमें अपने माल को ओडेसा के रास्ते मध्य एशिया में भेजना पड़ता था। यह अत्यधिक लम्बा मार्ग है। अब ईरान से तुर्कमेनिस्तान तक एक रेल मार्ग लगभग पूरा हो चुका है और फिर इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य एशिया में कर दिया जाएगा। इससे हमारे व्यापार में सुविधा होगी और हमारे संबंध प्रगाढ़ होंगे।

ईरान में भी भारी परिवर्तन हो रहे हैं। मुझे याद हैं जब मैं मंत्री था, उस समय 1990 में मुझे सरकारी दौरे पर ईरान जाना था। मेरे दौरे से एक सप्ताह पूर्व ईरान द्वारा यह कहकर कि उन्हें कश्मीर के पीड़ित मुसलमानों के साथ सहानुभूति है, अधिकारिक तौर पर मेरा दौरा रद्द कर दिया गया था। आज यही ईरान और श्री विलायती ने पिछले महीने दो बार यहां आकर भारत को वहां होने वाले सम्मेलन में भाग लेने का आमंत्रण इस तथ्य के बावजूद दिया कि वहां गए पाकिस्तान के मंत्री ने उनसे कहा कि यदि भारत को आमंत्रित किया गया तो वे सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। ईरान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। भारत ने सम्मेलन में भाग लिया। न्यूयार्क में हुए अफगानिस्तान सम्मेलन में भारत ने भाग लिया और मैं समझता हूं कि तीसरा सम्मेलन शीघ्र ही मध्य एशिया में कहीं होगा और उसमें भी भारत भाग लेगा। तीसरा सम्मेलन जो पेशावर में आयोजित किया जाना था, को भी पुनः रद्द कर दिया गया है। वहां भी पाकिस्तान ने कहा कि यदि भारत को आमंत्रित किया गया तो सम्मेलन पाकिस्तान में नहीं हो पायेगा। यह भारत के विदेश नीति की नई स्थिति है और हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं।

हम अफगान स्थिति का एक कारक हैं। हम अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में किसी प्रकार के हथियारों की होड़ करना नहीं चाहते हैं। हम अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए हमें बाहर से हस्तक्षेप

नहीं करना चाहिए। तालिबान बाहर से हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहां की शांति में हमारा निहित स्वार्थ है क्योंकि अगर वहां एक बार शांति स्थापित हो जाती है तो फिर हमारे यहां वहां से आने वाली गैस पाइप लाइन स्थापित हो जाएगी और इस क्षेत्र की अस्थिरता नहीं रहेगी। हम अपने पड़ोस में कट्टरवाद के विकास का प्रबल विरोध करते हैं। हम यही बात कह रहे हैं। और यही मुख्य कारण है कि हम रब्बानी की सत्ता को मान्यता दे रहे हैं। दोस्तम के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और मसूद के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हमने इस प्रकार की नई अफगान नीति तैयार की है और हम इसका अनुपालन कर रहे हैं। हमने एक नई स्थिति भी तैयार की है और जो तेहरान सम्मेलन के पश्चात की स्थिति है। वह यह है कि यदि इस क्षेत्र में हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाया जा सके तो हम यह स्थिति बनाये रखेंगे। परन्तु भारत की विदेश नीति की मुख्य बात दक्षेस, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कल से हम दक्षेस विदेश मंत्रियों का सम्मेलन अपने यहां आयोजित कर रहे हैं। वे सभी भाग ले रहे हैं। इस वर्ष दक्षेस का अध्यक्ष भारत है। मुझे आशा है कि आप सभी या अधिकांश लोग कम से कम उद्घाटन समारोह में, सम्मेलन को देखने के लिए अवश्य आयेंगे। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी भावना है क्योंकि दक्षेस में परिवर्तन हो रहा है।

बंगलादेश स्पष्ट रूप से भारत की एक अच्छी उपलब्धि हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह मेरी उपलब्धि है। यह सरकार की उपलब्धि नहीं है। यह भारत और बंगलादेश की एक संधि है। हमें उस वृहत परिपेक्ष्य में सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूं कि इससे इस सम्मेलन को वास्तव में बहुत बढ़ावा मिलेगा। नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम भारत के माध्यम से उन्हें बंगलादेश जाने की अनुमति देने के लिए भी सहमत हो गए हैं। हम सहमत हो गये हैं। महाकाली संधि को अन्तिम रूप दे दिया गया है। हमें आशा है कि कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जाएगा।

बंगलादेश के संबंध में मैं अपना वक्तव्य दे चुका हूं और हम जिस बात पर सहमत हो चुके हैं उन्हें दुहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। मैं यह जानता हूं कि यह संधि हमारी नई मित्रता और सहयोग की नींव है, इसका आधार है।

भूटान के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। यहां एक प्रश्न किया गया है कि संकोष नदी पर बांध बनाया जाएगा अथवा नहीं। यदि मैं यहां कहूं, ईशां अल्लाह हम इसका भी प्रयास करेंगे। भूटान से अच्छे आरंभिक संकेत प्राप्त हुए हैं। हमें अभी उनसे बातचीत करना है। मैं सोचता हूं मुझे शीघ्र ही वहां जाने और उनसे बात-चीत करने का अवसर प्राप्त होगा।

मैं गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भी बात कर रहा था। 3 और 4 अप्रैल को गुट निरपेक्ष देशों के 118 विदेश मंत्री एकत्र हो रहे हैं। भारतीय विदेश नीति की यह भी एक प्रमुख विशेषता है। यदि आप चाहें, तो गुट-निरपेक्ष आंदोलन की निंदा कर सकते हैं। यदि आपको अवसर मिले, तो आप इससे दूर रह सकते हैं। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के खिलाफ उन सभी मित्रों से मैं अक्सर एक प्रश्न पूछा करता हूं कि इसके लिए वैकल्पिक नीति क्या है? आप ही सुझाव दीजिए। यदि आप देशों का साथ नहीं देना चाहते, जो हमारे देश जैसे ही हैं, यदि हम उनका साथ नहीं देना चाहते, जो स्वयं ही औपनिवेशक युग से गुजरे हैं, यदि हम उन देशों का साथ नहीं देना चाहते, जो कुछ शक्तियों के प्रभुत्ववाद के विरूद्ध हैं। तो फिर हम किन देशों का साथ देना चाहते हैं? क्या हम प्रभुत्ववाद में विश्वास रखने वाले देशों का साथ देना चाहते हैं? क्या हम इन देशों के आगे घुटने टेकना चाहते हैं, जो हमारा शोषण करना चाहते हैं, जिनकी रूचि हमें पता है और जो हमारे पक्ष में नहीं हैं? अतः, इस संदर्भ में अगली सदी में गुट-निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका का आंकलन करने के लिए यहां आ रहे हैं और यदि ऐसा ही है, तो भारत अप्रैल में ही इस पर चर्चा करने के लिए केन्द्र बिन्दु होगा। इस संबध में हम उनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने आपके पक्ष में वोट क्यों नहीं दिया। हां, उन्होंने आपके पक्ष में वोट नहीं दिया है। क्या केवल यही परीक्षण है? जैसाकि मैंने इससे पहले भी इस चर्चा के दौरान यह कहा है कि क्या गत 50 वर्षों में कभी ऐसा हुआ है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों ने सामूहिक रूप से किसी एक ही पक्ष में वोट दिया हो? यही कारण है कि नेहरू हमेशा यही कहा करते थे कि हम कोई गुट नहीं है। हम एक आंदोलन में शामिल हैं और गुट और आंदोलन में यही अन्तर है कि आपके पास निरंतर चुनने की स्वतंत्रता है, कभी स्वेच्छा से और कभी-कभी इच्छा न होते हुए भी इसमें शामिल होना पड़ता है। इसके साथ ही हमें यह कहना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का केन्द्र बिन्दु न केवल चुनने की ऐसी स्वायत्तता और कार्य करने की स्वतंत्रता है, बल्कि मात्र इसी से एक विश्व व्यापी शक्ति को व्यक्त किया जा सकता है। हम भी यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हाल ही में, हमें दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति की अगवानी करने का सम्मान मिला था। गुट निरपेक्ष देशों के मंत्रियों की अप्रैल में हमारे देश में बैठक होगी और गुट निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन इस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है।

कुछ मित्रों ने चीन के राष्ट्रपति के दौरे के बारे में कुछ कहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी नहीं है। हम यह भी नहीं कहेंगे कि सब कुछ ठीक-ठाक है। नहीं ऐसा नहीं हुआ है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हमने इस हद तक इस घटना का ढिंढोरा नहीं पीटा है, जिस हद तक कई बार हमारे कुछ मित्र देश हमसे अपेक्षा करते हैं। आज हम इस स्थिति में हैं, उसे दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास की स्थिति कह सकते हैं।

सीमा का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। कुछ अन्य विचारों पर भी हमारा मतभेद है। किन्तु साथ ही, अब हम अनुभव कर रहे हैं कि

विश्वास उत्पन्न करने के इस उपाय से हमारे संबंधों में सुधार हो सकता है। 1993 में जब नरसिम्हा राव जी वहां गये, तो उन्होंने हमारी शांति की स्थिति के बारे में बताया था। अब हमने उस ओर एक कदम और बढ़ाया है। यह कोई नयी बात नहीं है। यह केवल उनकी विस्तृत व्याख्या है। आखिरकार वास्तविक नियन्त्रण रेखा सीमा नहीं है तथा यह समझौते में भी कहा गया है कि यह हमारे दावों में पूर्वाग्रह से परे है" तथा इससे हमारी सीमाओं तथा क्षेत्र से संबंधित उनके दावों को नहीं सुलझाया गया था। हमारे क्षेत्र के लिये हमारे दावे यथास्थिति बने रहेंगे जब तक हमें पर्याप्त रूप से संतुष्ट नहीं किया जाता है। इसलिये उनके संबंध में दिये गये किसी भी सुझाव को गलत नहीं समझना चाहिये। किन्तु, मुझे एक मुद्दे पर मत देना बहुत ही रूचिकर लग रहा है, जिसे आप सबने पढ़ा है। राष्ट्रपति जिआंग जेमिन ने इस्लामाबाद में क्या कहा था। उन्होंने कश्मीर के बारे में ऐसा क्यों कहा कि अब उन्हें द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिये? उन्होंने, उन्हें क्यों बताया कि यह एक नए प्रकार का माडल है जिसे भारत-चीन संबंधों पर तैयार किया गया है, भारत चीन माडल क्या है? विवादास्पद मुद्दा शेष है। तब भी हम विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सहयोग का प्रयत्न कर रहे हैं।

महोदय, यदि मैं आपका या किसी अन्य का अनादर किये बिना कहूं कि दो वर्ष पूर्व मुझे गैर-सरकारी दौरे पर पाकिस्तान जाने का अवसर मिला था। उस समय बेनजीर भुट्टो महोदया, का कार्यकाल था मैंने उन्हें यही सुझाव दिया था। मैंने कहा: विवादास्पद मुद्दों को अभी रहने दें, किन्तु अन्य करने की बात करें बातों जैसे आर्थिक संबंधों तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने की बात करें, हमें अपनी नीति को व्यक्ति-से-व्यक्ति संबंधों की ओर मोड़ना होगा। हो सकता है, कुछ मित्र इसका अनुमोदन न करें। किन्तु इसका लाभ किसे होगा? जब हम अधिक वीजा देते हैं, तो विभाजित परिवारों को ज्यादा वीजा दिया जाता है, जैसे मां यहां है, पुत्र पाकिस्तान में है, भाई यहां है और बहन वहां है। यदि वे भारत आते हैं और अपने परिवारों से मिलते हैं, तो क्या इससे भारत को लाभ है या हानि है। इनमें से बहुत से लोग करांची से आते हैं। पाकिस्तान ने करांची में वाणिज्य दूतावास बंद क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे वीजा रोकना चाहते थे। उस समय हम करांची से एक दिन में 750 वीजा जारी कर रहे थे। हमने यह बंद कर दिया। अब हम अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी संख्या 300 से ऊपर नहीं जा रही है, क्योंकि हमारे पास जन शक्ति उपलब्ध नहीं है और वे इसके लिए अधिक जनशक्ति की अनुमति नहीं देते।

कुछ समय पहले अफवाहें उड़ाई गई थीं कि भारत-पाक बातचीत के बारे में दो या तीन दिनों में क्या होगा, आदि। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि भारत अधिकारिक रूप से किसी बात तक नहीं पहुंचा था। भारत का जो पहले दृष्टिकोण था, वही अब है। माननीय प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने श्रीमती बेनजीर भुट्टो को जो पत्र लिखा था। उसका जवाब अभी तक नहीं आया है इसलिए हमारी स्थिति वैसी की वैसी है। मैं समझता हूं, जब कभी हमें बात करनी पड़ी/पड़ेगी, तब हम इन अधिकारिक स्तर पर उन आधारों पर बात करेंगे, जो कुछ वर्ष से समाप्त हो गए थे।

अतः यदि मैं साफ साफ कहूं जो विदेश नीति हम अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी प्रतिक्रियात्मक नहीं है। यह तब सक्रिय होगी जब हम इस दिशा में पहल करेंगे। हमने बंगलादेश के संबंध में बड़ी पहल की है। हमने अफगानिस्तान के संबंध में बड़ी पहल की है। हमने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के संबंध में बड़ी पहल की है। हमने आशियान के संबंध में पहल की है और कुछ हद तक हमारी सीमाओं पर शांति बढ़ाने के संबंध में सीमित दायरे में नई पहल की है। सीमाओं पर कितनी शांति होगी यह अभी देखा जाना है, क्योंकि उस समय हम सीमाओं की बात नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए।

हम वास्तविकता नियंत्रण रेखा के बारे बात कर रहे हैं : वास्तविक नियंत्रण रेखा को भी स्पष्ट किया जाना है। जनरल साहेब ने मुझसे ठीक ही पूछा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां है? इस दौरे में अब यह सहमति हो गई है कि हमारे अधिकारी दुबारा मिलेंगे और मानचित्रों का आदान-प्रदान होगा। क्या इस बात पर चर्चा हो सकती है कि उनके मानचित्र ठीक हैं या हमारे मानचित्र ठीक हैं? तब कोई विकल्प तैयार करना होगा।

यह सामान्य बात मैं कहना चाहता हूं। अब मैं चाहूं और यदि आप चाहें तो मैं एक एक करके विभिन्न प्रश्नों पर आना चाहता हूं जो मेरे दोस्तों ने उठाए हैं; बशर्ते आप में अभी भी धैर्य है और समय है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं वे सभी प्रश्न अब पूरे हो गए हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं एक बार फिर अपने माननीय दोस्तों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने लम्बे समय तक यहां बैठकर इतना धैर्य दिखाया और बहस को चलने दिया। मैं श्री शिवराज वी.पाटिल से सहमत हूं और सोचता हूं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम बार-बार विदेशी मामलों और सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। इसे फालतू समय की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम पौने नौ बजे तक बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि सभा को रहने तक हमें यहां पर बैठना चाहिए; क्योंकि ये वे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर राष्ट्र को इसके विचार जानने चाहिए और संसद के माध्यम से राष्ट्र को नीतिगत निर्णय लेने चाहिए।

सभापति महोदय : अब हमारे पास नियम 193 के अधीन एक और मुद्दा चर्चा के लिए है।

श्री श्रीकांत जेना : अब वित्तीय कार्यों को लिया जाना चाहिए। हम अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के बाद कल डब्ल्यू.टी.ओ. चर्चा पर उत्तर ले सकते हैं।

सभापति महोदय : यदि सभा की सहमति हो तो हम यह कर सकते हैं, क्योंकि कार्य सूची के अनुसार इसके तुरन्त बाद नियम 193 के अधीन अन्य चर्चाएं की जानी हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने एक सुझाव दिया है कि इस नियम 193 के अधीन चर्चा कल करेंगे और अब वित्तीय कार्यों को लेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : यह कैसे सम्भव है? इस समय वित्तीय कार्यों पर बोलने वाले हमारे वक्ता उपस्थित नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : जहां तक डब्ल्यू.टी.ओ. का प्रश्न है, हम उसे कल लेंगे। मैं पहले ही इस मामले पर कार्य सलाहकार समिति में चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि इस वित्तीय कार्य को दूसरे सदन में जाना है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : यह तो उचित नहीं होगा। पहले कहा था कि डब्ल्यू.टी.ओ. पर चर्चा होगी, यह बाद में आएगा। अब आप इसे हटाकर ये ले रहे हैं, तो हमारे मेम्बर्स भी यहां नहीं है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : आपकी पार्टी के सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। दूसरे भी बोलेंगे। हम इसे आज पूरा करेंगे। यह कार्य मंत्रणा समिति में तय हुआ था।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : आपकी पार्टी के कर्नल राव राम सिंह बोल चुके हैं।

श्री प्रमोद महाजन : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : हां, आप बोल सकते हैं। ये केवल अनुपूरक मांगें हैं। हमारे पास दस बजे तक एक घंटे का समय है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब हम वित्तीय कार्य करेंगे। नियम 193 के अधीन डब्ल्यू.टी.ओ. पर चर्चा कल की जाएगी।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : इस पर कब चर्चा होगी?

सभापति महोदय : उस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की जाएगी।

श्री के.पी. सिंह देव अनुपूरक मांगों पर बोलेंगे।

अपराह्न 8.51 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1996-97

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, ठीक तीन माह पहले हमने माननीय वित्त मंत्री को बहुत अच्छा बजट, जो कि बहुत मुश्किल कार्य था, बनाने पर बधाई दे चुके हैं। अर्थव्यवस्था प्रबंध हेतु सरकार के हाथ में बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और यह सार्थक नीति पर टिप्पण भी है। लेकिन ठीक तीन माह बाद ही हम अनुपूरक अनुदान मांगों का सामना कर रहे हैं, जो इस अनुपूरक अनुदान मांग 1996-97 की प्रथम खेप है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री कुल बढ़ते घाटे पर चुप हैं, जबकि संभवतः अगले तीन माह में वे नियमित बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। वह बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति, धनापूर्ति और साधनों के जुटाव पर भी चुप है। मैं समझता हूं कि वह थोड़ी बहुत पारदर्शिता वहन कर सकते हैं और हमें विश्वास में ले सकते हैं। आखिर यह सदन उनकी अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करने जा रहा है। अधिकतर मदें न्यायिक मामलों, बोनस, भत्तों, आवास, उदारीकरण और सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास से संबद्ध, जिनका मैं समझता हूं, शायद ही कोई विरोध करेगा।

यहां मैं अपने को एक ही विषय तक सीमित रखूंगा, जो देश की प्रभुसत्ता और अखंडता से संबंध रखता है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा है। रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इस पर दुख प्रकट किया है। वास्तव में बाद की स्थितियों में वह उन सिफारिशों से सहमत नहीं है, जिसमें भारत की अपनी कोई लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं है। जब कोई लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि हमें एक तदर्थ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रखनी होगी अथवा ऐसा पक्ष, दृष्टिकोण इत्यादि रखना होगा आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं।

इसे गंभीर मुद्दा है आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुसत्ता की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदम हैं और लोगों को सुरक्षा देना तथा आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करना है।

अब मैं बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री हारवर्ड विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने प्रो. इमिल बनौट का 45 विकासशील देशों का अध्ययन जरूर पढ़ा होगा; जिसमें अकाट्य साक्ष्य है कि रक्षा व्यय आर्थिक विकास में सहायक है और इससे चार मुख्य लाभ प्राप्त होते हैं जो परिष्कृत प्रौद्योगिकी में सहायता देते हैं, इससे सुरक्षा की भावना पैदा होती है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मिलती है, प्रशिक्षित जनशक्ति बढ़ती है और आर्थिक क्रियाकलाप तेजी से होते हैं।

अब हम अगस्त में प्रस्तुत बजट दस्तावेजों को पूरा पढ़ते हैं। उस समय भी रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने पाया था कि रक्षा परिव्यय अपर्याप्त था। नौसेना की स्थिति गंभीर थी, थल सेना का बजट पूरी तरह से अपर्याप्त था और वायु सेना, जिसे चुस्त लड़ाका मशीन माना था, कमजोर थी। वास्तव में हम सभी माननीय रक्षा मंत्री को मेरे अच्छे सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन द्वारा 1992 में किए सौदे को निपटाने के लिए धन्यवाद देते हैं और हम एसयू-30 विमान लेने वाले हैं, जो मारक क्षमता की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। अब यदि हम मांगों को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले रक्षा बजट में 938 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी जो कि 6.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति और पेट्रोल के दामों में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से निष्प्रभावी हो गई। मैं समझता हूं कि आज मुद्रास्फीति की दर 6.8 है। इस अनुपूरक बजट में, लगभग 3,000 करोड़ से लगभग 1,200 करोड़ रुपये रक्षा परिव्यय दिखाया गया है-थल सेना पर 830.50 करोड़ रुपये, नौसेना पर 80.6 करोड़ रुपये, वायुसेना पर 162.24 करोड़ रुपये और आयुद्ध कारखाने पर 127 करोड़ रुपये। यह वास्तव में कुछ भी नहीं है।

महोदय, हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक है? क्या यह आधुनिकीकरण में सहायक होगा? क्या यह आवश्यकता की प्राप्तियों में सहायक होगा? क्या यह प्रतिस्थापनाओं में सहायक होगा। अगस्त में एक यह आशंका थी। क्या यह हमारे प्रति शत्रुता का भाव रखने वालों को रोकने का प्रशंसनीय कार्य करेगा? मैं जानता हूं कि एक अनुपूरक बजट में माननीय वित्त मंत्री इतना नहीं कर सकते। बजटिंग में अनुपूरक बजट गलत है। मेरे मामले में, मैं इस प्रश्न को इसलिए उठा रहा हूं ताकि वह अपनी वचनबद्धता के प्रति सावधान रहें, जो उन्होंने वित्त विधेयक का उत्तर देते हुए की थी और देख सकें कि जब फरवरी-मार्च, 1997 में बजट आए तो ये आशंकाएं मिट जाएं।

महोदय, प्रो. बेनौट के अध्ययन से संकेत लेकर रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने रक्षा व्यय और आर्थिक विकास के कार्य पर भी प्रकाश डाला है।

आज हमने विदेश नीति पर लम्बी चौड़ी बहस सुनी। आज विश्व का उदारीकरण और आर्थिक क्रियाकलाप निश्चित रूप से हमारी भू राजनीति, भू युद्धनीति और भू अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेंगे। आज यद्यपि हम इसे पसन्द न करें, लेकिन अर्थशास्त्र आज की आवश्यकता है, चाहे वह विदेश नीति में हो, चाहें रक्षा नीति से हो। जैसा कि सर बेसिल लिडलो-हार्ट ने "स्ट्रेटेजी : द इन डायरेक्ट अप्रोच" में बताया है और ऐसा ही बेरोन वॉन क्लाजविट्ज ने अपने युद्ध पर सविस्तार लेख में लिखा है, तो अभी भी संगत है, उसमें कहा गया है:

> "रक्षा या युद्ध या कूटनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जहां कूटनीति असफल होती है, वहां युद्ध आरम्भ होता है।"

अपरान्ह 9.00 बजे

लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पिछले 25 वर्षों से हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, यह बतलाता है कि शायद हमारी विदेश नीति एक जगह रूकी हुई है और यह 1971 के युद्ध के बाद हुआ है, जब बंगलादेश आजाद हुआ था। उस युद्ध की याद में हमने केवल कल विजय दिवस मनाया। लेकिन उस ऐतिहासिक युद्ध के 25 वर्षों के बाद, जिसने हमें बहुत से सबक सिखाए हैं, संसद की थोड़ी सी सहायता से मनाया गया। संसद को चिंता थी क्योंकि यह सशस्त्र बलों पर छोड़ दिया गया कि वे अपने तरीके सीमित संसाधनों में इसे मनाएं। यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति ने उसी तरह श्रद्धांजलि दी, जिस तरह अपनी जान न्यौछावर करने वालों और अन्य शौर्य पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रास या इसके समान पुरस्कार पाने वालों को दी जाती है। पहली बार इस तरह का सम्मान शस्त्र बलों को दिया गया।

लेकिन इन 25 वर्षों ने यह तथ्य उजागर किया है कि 1971 के उस युद्ध में लड़ने वालों को जो हमने विश्वास दिलाया था, जो उनसे वादा किया था, वे सब अभी भी बेजान पत्र बनकर रह गए हैं।

यह दिन के उजाले में नहीं दिखाई देता। मेरे विख्यात सहयोगी श्री जसवंत सिंह और श्री राजेश पायलट ने महाराष्ट्र से आंकड़े उद्धृत किए हैं कि वहां 'द इंडियन एक्सप्रेस' और 'रक्षा मंत्री' के एक लेख में 85 मामले प्रकाश में आ चुके हैं जो कि निपटाए जाने हैं। उन्होंनें कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे।

1984 में तत्कालिक प्रधान मंत्री और 1971 के ऐतिहासिक युद्ध की विजेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने, एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी, जिसमें राज्य मंत्री, संसद सदस्य, केन्द्रीय मंत्री, विख्यात सैनिक एडमिरल और एयर मार्शल थे, जिसे सभी संबंधित विभागों ने सहयोग दिया था। जिसने कुल 68 सिफारिशों की थी और जिसमें से छोटी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। बड़ी सिफारिशें सशस्त्र बलों में काम रहे आदमियों से संबंधित है। एक सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक 18 वर्ष की आयु में सेवा में आता है, वह 33 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होता है या उसे छोड़ा जाता है। एक सैनिक, नौ सैनिक या वायु सैनिक को अनुशासित, उत्साहित, आज्ञाकारी और समर्पित बनाने व प्रशिक्षण देने में काफी व्यय, संसाधन और समय खर्च होता है। यदि उसे 33 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्ति दे दी जाती है, तो उसकी 58 वर्ष की आयु तक देश न केवल उसकी सेवाओं के लाभ से वंचित होता है, बल्कि हम उसकी 33 वर्ष की आयु में या अधिकतम 33 से 42 वर्ष में उसकी बलि भी चढ़ा रहे हैं।

महोदय, 70,000 लोग जो सेवा निवृत किए गए थे, उनमें से 50,000 लोग अधिकारी: कनष्ठि कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसे नायक सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और अन्य दो सेवाओं में उनके समान अधिकारियों से छोटे स्तर के हैं। जिनके जीवन-यापन का भार न तो केन्द्र सरकार लेना चाहती है और न ही राज्य सरकार। उच्च स्तरीय

समिति ने, जिसके प्रारूपण में कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और और रक्षा मंत्रालय ने भाग लिया था, सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि इन लोगों को आयुध कारखानों, या अन्य दूसरे विभागों और मंत्रालयों में 58 वर्ष की आयु तक सेवा करने की अनुमति दी जाए। उससे पेंशन राशि की बचत हो जाएगी, जो कि अत्यधिक है। यदि वह धनराशि बच गई होती तथा आप श्रमशक्ति का भी उपयोग करते तो उससे देश को लाभ होता। अब तो महिलाओं को भी सैन्य-दलों में ले लिया गया है, जो कि सही-दिशा में उठाया गया एक कदम है। कम-से-कम जो देश के लिये लड़े तथा जो देश के लिये शहीद हुये, उनकी पुनर्वास की वेदना का ध्यान रखा जाना चाहिये। पेंशन वृद्धि के कारण जो अतिरिक्त धनराशि बढ़ी है, वह उपकरणों के आधुनिकीकरण, या खरीद या यहां तक कि सुधार के लिये उपलब्ध हो सकती थी।

दूसरा मुद्दा भूतपूर्व सैनिक वित्त विकास निगम के संबंध में है। यहां तक कि आज के अखबार में रिपोर्ट है कि हम विकलांग लोगों के लिये एक ऐसा निगम शुरू कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री के पूर्ववर्ती, डा. मनमोहन सिंह ने लघु उद्योगों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के लिये क्रमशः एक-एक निगम शुरू किया था। समाज के सभी वर्गों के लिये ऐसे निगम हैं। किन्तु सेवा-निवृत्त लोगों, जिनकी देशभर में कुल संख्या 50 लाख के लगभग है, जिनका कोई 'भाई-बाप' नहीं है तथा जो आन्दोलन नहीं करते क्योंकि आन्दोलन करना उनके स्वभाव के विपरीत है, के लिए हम 5 वर्षों में 170 करोड़ रुपये—85 करोड़ रुपये केन्द्र तथा 85 करोड़ रुपये भारतीय संघ के 29 राज्यों से, भी नहीं जुटा पाए आज तक, यह मुद्दा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से, तथा उनके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि संभवतः 1984 में मूल्यांकित 170 करोड़ की राशि जो, अब 200 करोड़ रु. तक पहुंच जाती—चलिये हम 200 करोड़ रुपये ही मानते हैं—पांच वर्षों में, 100 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा तथा 100 करोड़ रुपये 29 राज्यों द्वारा, जो कि 3 करोड़ से थोड़ा ही अधिक है, से एक भूतपूर्व सैनिक वित्त विकास निगम बना सकते हैं।

अब प्रश्न आता है—'समान-रैंक समान पेंशन' का इस बारे में मेरे विख्यात वरिष्ठ साथी, कर्नल राम सिंह ने जिक्र किया था। सारी पेंशन योजना में एक विसंगति है। जब (ब्रिटिश सरकार) अंग्रेज पेंशन देते थे, तो वे अन्तिम 10 महीनों में, लिये गये वेतन का 50 प्रतिशत देते थे। वह एक आवश्यक मानदंड था। किन्तु जब 1950 में हमने थल-सेना तथा जल-सेना और 1954 में वायु-सेना के लिये पेंशन निर्धारित की थी तो हमने 1/80 को 1/33 से गुणा किया था, क्योंकि असैनिक 25 वर्ष की आयु में नौकरी में आते हैं तथा 58 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्ति होते हैं। हमने इनको उन कर्मचारियों के समान माना जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में सेवा में प्रवेश किया था तथा 33 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त हुये थे। अतः 1/33 के गुणक को ध्यान में लिया गया है तथा अन्तिम 10 महीनों में, गये वेतन को न्यूनतम आवश्यक योग्यता का मानदंड कसौटी माना गया था। असैनिक कर्मचारियों की पेंशन का सदैव यही आधार रहा है। सेवानिवृत्त के दिन उनकी पेंशन की गणना अन्तिम 10 महीनों में लिये गये वेतन के औसत के आधार पर की जाती है। सरकार वेतन आयोग के द्वारा या स्वयं अपनी ओर से या 'स्लैब' प्रणाली के माध्यम से पेंशन के लाभों को बढ़ाती है, जैसाकि 1979 में किया गया था, में किया गया था, जब मंहगाई-भत्ते के एक अंश को वेतन में शामिल किया था, किन्तु वेतन में विसंगतियां बढ़ती रही हैं। 1950 या 1995 में सेवानिवृत व्यक्ति, 1995 या 1996 में सेवानिवृत्त हुये व्यक्ति की तुलना में आप अधिक वृद्ध, व कम कार्यक्षमता वाला होगा तथा उस पर अधिक सामाजिक जिम्मेदारियां होंगी। किन्तु विसंगति यह है, कि 1996 में सेवानिवृत्त हुआ व्यक्ति 1950 में सेवानिवृत्त व्यक्ति से कहीं अधिक पेंशन पायेगा, जबकि 1950 में सेवानिवृत्त व्यक्ति को अधिक जिम्मेदारियां होंगी। अतः एक 'समान रैंक समान पेंशन' प्रणाली होनी चाहिए। जब कभी भी भावी तिथि से सुधार होता है, एक विशेष श्रेणी विशेष पेंशन प्राप्त करती है। अतः मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा-चूंकि पिछले पांच वर्षों या उससे भी अधिक वर्षों से वह इस क्षेत्र का कार्मिक मंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में देख-रेख कर रहे हैं, वे इस बारे में अधिक विस्तार से पायेंगे-कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें। अब पांचवें वित्त आयोग ने अपनी सिफ़ारिशें दे दी हैं।

चौथे वेतन आयोग ने पहली बार तब पेंशनभोगियों के प्रश्न पर विचार किया था, जब माननीय मंत्री के पूर्ववर्ती श्री वी.पी. सिंह ने पेंशनभोगियों को इस आयोग के दायरे में लेने के लिये निदेश पदों में परिवर्तन किया था। अतः यही समय है, जब सरकार इन पेंशनभोगियों के लिये कुछ कर सकती है।

उच्च स्तरीय कमेटी की एक अन्य प्रमुख सिफारिश, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक आयोग स्थापित करना था, जो संसद के प्रति जवाबदेह होगी। किन्तु जैसा कि कर्नल राव राम सिंह कह रहे थे, अंततः इस सर्वसम्मत रिपोर्ट में नौकरशाहों के सुझावस्तम्भ के साथ रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद बनाया गया; तथा अतिरिक्त सचिव के उस पद को भी दस वर्षों की अवधि में समाप्त कर दिया गया था। अब इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल के लिये कोई नहीं है। यह अपनी ही धारा में यूं ही चल रहे हैं। यदि इन सेवानिवृत्तों के प्रोत्साहित करने वाला कोई भी है, तो उन्हें इसका बहुत लाभ मिलेगा; अन्यथा वे ईश्वर के भरोसे हैं।

महोदय, हमने विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। मेरे विचार में, मातृभूमि के लिये बलिदान देने वाले लोगों के लिये थोड़ा-बहुत कार्य किया जा सकता है। उनके बीबी-बच्चे अभी भी जीवित हैं; उनमें से कुछ विकलांग हो गये हैं, कुछ अभी भी संघर्षरत हैं। इस प्रकार उच्च स्तरीय कमेटी तथा उन विभिन्न अन्य कमेटियों की भी सिफारिशों को स्वीकारने तथा उन्हें लागू करके उनके लिये कुछ प्रयत्न किये जा सकते हैं।

महोदय, 15 अगस्त को हम अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। पहली लड़ाई या युद्ध या विरोध अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ था। पहला वीर-परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा, चौथा

कुमाऊं रेजिमेंट को मिला था। यह सम्मान उनके भाई ने माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया था। मेजर पोरु सिंह, 6 बटालियन राजपूत राइफल के कम्पनी हवलदार को भी दिया गया था, जिनके पुत्र ने यह कल प्राप्त किया था। इसके बाद जे.ए.के.एल.आई. के नायक यदुनाथ सिंह, सेकेण्ड लेफ्टिनेंट राणे, सूबेदार जोगिन्दर सिंह तथा सूबेदार बन्ना सिंह को भी सम्मानित किया गया, किन्तु इनकी वजह से, सियाचीन भारत का हिस्सा है। मुझे आशा है कि स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाते समय हम उन्हें नहीं भूलेंगे। हमारे नवजात लोकतंत्र की रक्षा करने वालों के लिये, हमें उचित स्मारक बनाने चाहिए तथा उन्हें उचित सम्मान देना चाहिये। यह भारत की राष्ट्रीय सेना द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था। तब वह एक भाड़े की सेना थी। इतिहासकार तथा अन्य लोगों का कहना है कि यह भारत की पहली सेना थी, जिसके सर्वोच्च बलिदान के कारण, अभी भी कश्मीर का एक हिस्सा हमारे अधिकार में है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा हम बैठकों एवं समझौतों के दौरान खो चुके हैं, जबकि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुये, अनेक जीवन युद्ध वेदी पर चढ़ा चुके हैं। इन युद्धों में अंग्रेजों ने बहुत से सबक सीखें हैं? फाल्कलैंड युद्ध में अंग्रेजों ने बहुत से सबक सीखे थे तथा उन्होंने अपनी रक्षा के लिये लोकाचार का प्रयत्न किया था।

आज हमारे पास एक संस्थागत व्यवस्था या एक व्यवस्था प्रबंध नहीं है। हमारे माननीय वित्त-मंत्री कानून के अच्छे विद्वान होने के अलावा, एक प्रबंध विशेषज्ञ भी हैं। एक व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण की कमी है, जिसका उल्लेख न तो स्थायी कमेटी ही, अपितु रक्षा या रक्षा सेवाओं या रक्षा योजना संबंधी कमेटी के द्वारा भी नहीं किया गया है।

रक्षा भी आर्थिक विकास का ही एक अंग है। यह आर्थिक विकास के साथ विदेशी कार्यों का भी पर्याय है। यदि हमें एक विश्वसनीय सुरक्षा चाहिये तो हमारे पास वित्तीय पहलुओं, आर्थिक पहलुओं, मानसिक पहलुओं, राजनीतिक पहलुओं, संरचनात्मक पहलुओं तथा सामाजिक पहलुओं का समन्वय करने के लिये व्यवस्थित प्रबंध होना ही चाहिये।

अपराह्न 9.16 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

हमारे यहां चीन के राष्ट्रपति आये थे। पुनः इस देश में हिन्दी-चीनी भाई भाइ का नारा गूंजा। गंगा जल-बंटवारे पर हस्ताक्षर करने के लिये बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भी आई थीं। बांग्लादेश में लोग बहुत प्रसन्न हैं, किन्तु हमें बिहार से विसंगत मंतक प्राप्त हुआ है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : बंगाल से भी।

श्री के.पी. सिंह देव : बंगाल से भी। जूट की उपज वाले क्षेत्रों का क्या होने वाला है? हमें इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहिये, क्योंकि [illegible] श्रीमान बेरोन वॉन क्लाइनविट्ज ने कहा था केवल "[illegible] स्थायी दोस्त हैं, न स्थायी दुश्मन, किन्तु केवल स्थायी [illegible]" क्या हमने विशेषकर सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश के बारे में चर्चा की? जैसा कि थल-सेना के एक कर्नल, जब मैं मंत्री था, मुझे बता रहे थे, "महोदय, जब आप 15 अगस्त, 1947 को विजय चौक पर तिरंगा फहराने में व्यस्त थे, कोई हमारे देश की सीमा-रेखाएं भूल गया और हम अभी भी सियाचिन सीमा-रेखा तथा अन्य सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।" यही स्थिति चीन तथा अन्य देशों के साथ भी है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। यदि हमें उनका हल निकालना है, तो हमारे पास यथेष्ट सैन्य शक्ति तथा यथेष्ट साहस होना आवश्यक है।

हमने छुट-पुट युद्ध का सबक सीखा है, जो न केवल राष्ट्र को गहरा आन्तरिक आघात पहुंचा रहा है, बल्कि इसके कारण शोक, मृत्यु तथा आर्थिक विकास से ध्यान विकेन्द्रित हो रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ आर्थिक विकास की योजनाओं, विदेश नीति की योजनाओं और औद्योगिक योजनाओं में रक्षा योजना को भी शामिल करना चाहिये, इसके बिना हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आप यह आशंका सैनिकों तथा तीनों सैन्य-बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के मस्तिष्क पर छायी हुई है, जो इसे थल-सेना और जल-सेना प्रमुखों प्रेस तथा जनता तक भी इस आशंका को पहुंचा रहे हैं।

अतः अर्थव्यवस्था को एक तर्कसंगत रूप देने का पुनर्गठन का यह एक तरीका है, जिसे मैंने वित्त बिल पर चर्चा के दौरान विस्तार में बताया था तथा अब मैं उसकी पुनः व्याख्या नहीं करूंगा। किन्तु सेना मुख्यालयों तथा रक्षा मंत्रालय के द्वारा 1995 की जनशक्ति रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए कतिपय अध्ययन किये गये हैं। मैं आशा करता हूं कि इन पर ध्यान दिया जायेगा। एक, इन संगठनों का असैनिकीकरण, जिससे लागत घट जायेगी। दूसरा, रक्षा योजना के अनुसार वर्ष 2012 तक सैन्य-बलों को प्रादेशिक सेना में बदल दिया जायेगा। थल, जल तथा वायु सेना का एक तिहाई भाग प्रादेशिक सेना के रूप में होगा जिसमें वे दो महीने के लिये सैनिक होंगे तथा 10 महीने के लिए अपना असैनिक कार्य करेंगे। इसराईल, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा ब्रिटेन की रक्षा बलों का एक बड़ा भाग प्रादेशिक सेना के रूप में बनाया गया है। इससे पेंशन, भत्तों, बोनस, अतिरिक्त महंगाई भत्तों की बचत होगी तथा वह धनराशि आधुनिकीकरण, संयंत्रों की खरीद, उपस्करों को बदलने अथवा पुनः फिटिंग के लिये उपलब्ध होगी तथा आपके पास अनुसंधान के लिये अधिक धनराशि होगी। भूतपूर्व वायु-सेना प्रमुख, लो फान्टेन कमेटी की तरह ही पक्षियों से होने वाली दुर्घटनाओं तथा वायु-सुरक्षा के सम्बंध में अन्य अध्ययन तथा बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति रिपोर्ट भी उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि वायु सेना कार्यक्षेत्र के नजदीक बूचड़खानों का लाइसेंस श्री चतुरानन मिश्र के वर्तमान विभाग के द्वारा दिया गया है।

यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन है जिसका इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे 465 करोड़ रुपये के लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

लाइसेंस आप देते हैं और देखभाल करते हैं ...(**व्यवधान**) पार्लियामेंट में जवाब श्री दिलीप कुमार राय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री देते हैं। ...(**व्यवधान**) उसका थोड़ा रेशनलाइजेशन चाहिए।

[अनुवाद]

उनमें से अधिकतर वायु-सेना के कार्यक्षेत्र के समीप है। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आपने इनकी बात को सुना है।

श्री के.पी.सिंह देव (ढेंकानाल) : नहीं सुना ...(**व्यवधान**)

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : ज्यों-ज्यों राहत मिलती है। ...(**व्यवधान**) फूड का रकाल आता है। आप कुछ तो कृपा कीजिए।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : अतः सरकार के दो विभागों में पुनर्गठन हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे 465 करोड़ रुपये के लड़ाकू विमान नष्ट हो गए हैं, अब हम रक्षा सेवाओं को अधिक सुदृढ़, सुसज्जित करने हेतु सुखोई 30 लडाकू विमान शामिल करने के लिये 5000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यह कुछ विरोधाभासी-सा लगता है। हम एक ओर तो लड़ाकू विमान खोले जा रहे हैं दूसरी ओर हम नये खरीद रहे हैं, यह मामला कब तक सुलझ सकता है।

आज के संदर्भ में, अपनी जल-सेना को हम "ब्ल्यू वाटर नेवी" कहते हैं। हमारे पास दो बेड़े हैं—एक पूर्वी क्षेत्र में तथा एक पश्चिमी क्षेत्र में। पिछले दशक में अर्थात पिछले दस वर्षों में जल सेना में, जहां तक हमारे विमान-वाहक लडाकू जहाजों या युद्ध पोत या गश्ती जहाजों या हेलीकॉप्टर का संबंध है, हमने कोई निवेश नहीं किया। अतः हमें निर्णय करना है कि हमें तटवर्ती जल सेना चाहिये या समुद्री जल-सेना। यदि यह सेना समुद्र में है, तो उसमें समुद्री सीमाओं की रक्षा की क्षमता होगी। यदि हमें अपनी जल-सेना को सुदृढ़ बनाना है, तो हमें उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुविधाएं देनी होंगी। आखिरकार, हमारी अर्थव्यवस्था और वाणिज्य में विकास हो रहा है।

मेरे विचार में हमारे वित्त-मंत्री ने वाणिज्य मंत्री के रूप में एक उत्कृष्ट कार्य किया है। हमारे वाणिज्य कार्यकलाप भी बढ़ रहे हैं। वाणिज्यिक कार्य में भू-मार्गों या वायु-मार्गों की अपेक्षा समुद्री मार्ग का प्रयोग होता है। इसलिये थल-सेना को केवल हमारे तटों की सीमाओं की रक्षा ही नहीं करनी है, बल्कि हमारे वाणिज्य के साथ साथ शान्ति वाले क्षेत्रों में 'पॉलीमेटेलिक मोडयूल्स' की सुरक्षा भी करनी है, तथा इसके लिए जल-सेना के पोतों के साथ साथ विमानों को उड़ने-योग्य तथा लड़ाई के योग्य बनाना आवश्यक है, तथा उन्हें कर्मचारियों (सैनिकों) के प्रशिक्षित करने के लिये भी आधुनिक प्रौद्योगिकी देनी होगी। अतः सभी सैन्य बलों में ही प्रशिक्षण, सबसे बड़ी समस्या है।

आज, चाहे थल-सेना हो, जल-सेना हो या वायु-सेना, उसके सैनिक अपना दैनिक अभ्यास कर पाने में असमर्थ हैं। यदि वे दैनिक अभ्यास नहीं करते हैं तो मानव-मशीन तथा मानव हथियार का संबंध बेकार हो जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर कार्य नहीं करेगा। भारतीय सैन्य-बल हमेशा हथियारों पर कार्यरत व्यक्ति या उपस्करों पर कार्यरत व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं। आज कनिष्ठ स्तर जैसे कैप्टेन, लेफ्टिनेंट तथा मेजर के पदों पर 15000 सैन्य अधिकारियों की कमी है। जनरल तथा ब्रिगेडियरों की कमी नहीं है। अन्य श्रेणियों में लगभग 57,000 लोगों की कमी है। इसका अर्थ है कि लगभग 22 प्रतिशत सैनिकों की कमी है। भगवान न करे कि यदि हमें अगला युद्ध करना पड़े या ऐसी किसी स्थिति से निपटना पड़े तो हमारे पास निःसन्देह अपर्याप्त सेना है। हम जिस स्तर पर सैनिकों का असैनिक उद्देश्यों के लिये उपयोग करते हैं उसका भी उनके मनोबल पर बुरा प्रभाव होता है। आश्वासनों और वायदों को पूरा न किए जाने के कारण नव-युवक सैन्य-बलों में भर्ती के लिये आगे नहीं आ रहे हैं। अतः हमें इस दोहरी स्थिति का सामना करना हैं। एक अल्पावधि समस्या है तथा दूसरी दीर्घावधि।

महोदय, अधिकतर देशों में, लोगों को सैन्य-बलों में लेने से पहले इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने लिये पुनर्स्थापना तथा पेशा ढूंढ सकें। अब 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी' में, तीन वर्ष में, वे स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं, जो सेना छोड़ने के बाद उनके किसी काम नहीं आती।

मैं कहना चाहूंगा कि इस पुनर्गठन और श्रमशक्ति कमेटी के द्वारा इन बातों का अध्ययन किया गया है तथा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। यह अनुदानों के लिये अनुपूरक मांगों का हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जिसका देशभर में राष्ट्रीय संग्रहालय का जाल है तथा जो युवा छात्रों में वैज्ञानिक भावना जगाने में सहायता करता है, को एक सरकारी सूचना भेज दी गई है कि उन्होंने दिसम्बर के अन्त तक जो धनराशि खर्च की है, वह उनको उपलब्ध नहीं होगी। उनके व्ययों में 4 करोड़ रुपये की कटौती हुई है जिसके लिए वह पहले से ही वचन दे चुके हैं। इसलिये, माननीय वित्त मंत्री इस संबंध में एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं। यदि उन्हें खर्च किये गये 18 करोड़ रुपये नहीं मिलते हैं, तो ये विज्ञान संग्रहालय ठप्प पड़ जायेंगे। उन्हें 31 दिसम्बर को पूरा करना है। यह कार्य में बढ़ा हुआ समय तथा लागत खर्च बढने के कारण हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पिछली बार प्रतिक्रिया जाहिर की तथा इस बार भारत के खेल प्राधिकरण को 4 करोड़ रुपये दिये। यह प्रत्येक युवा खिलाड़ी के प्रशिक्षण तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे स्थिति में सुधार होगा। इस बार ओलम्पिक में, भारतीय टीम में, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में, भारतीय खेल प्राधिकरण के 33 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को शामिल किया गया था, जो एक अच्छा सूचक है।

मुझे कुछ और मुद्दों पर भी बोलना है, किन्तु समय की कमी को देखते हुये, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। परन्तु प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा और तंत्र प्रबंधन तथा इसका सतत मूल्यांकन किए जाने का है ताकि हम शान्ति के समय इनके प्रति उदासीन न रहें और युद्ध के समय बहुत अधिक भयभीत न हों।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं उनकी तरह रक्षा संबंधी विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर दो तरह से विचार करते हैं। हम यह देखते हैं क्या पहले वाले अनुमान में कोई संशोधन करना है अथवा आम बजट पर मतदान और चर्चा के दौरान सामने आए कुछ विचारों में भी संशोधन करना है। अब हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ है। हुआ यह है कि जब वेतन आदि के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन होता है तो अनुपूरक अनुदान आवश्यक हो जाता है। क्या इस दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है? मैं इस बात की जांच इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें अपने दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन लाने की जरूरत है और शायद यह बात आगामी बजट में दिखाई देगी। इस बीच, जहां तक मैं समझता हूं, मैं इनमें से कुछ प्रावधानों का स्वागत करता हूं। उदाहरण के तौर पर इस दृष्टिकोण में एक संशोधन हुआ है। खादी ग्रामोद्योग आयोग को कर से छूट के रूप में 50 करोड़ रुपये की अतिरक्त धनराशि दी गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। रक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान और विकास के लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और यह चाहता हूं कि यह प्रावधान भी आगामी बजट में परिलक्षित हो।

दूसरी बात विदेशी सहायता के बारे में है जिसका उपयोग किया जाता है। अतः, हम कुछ अतिरिक्त धनराशि दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि ऐसा इस सभा में इतनी अधिक विदेशी सहायता के अनुप्रयुक्त रह जाने संबंधी मुद्दे पर पहले हुई आलोचना पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है।

श्री पी. चिदम्बरम : केवल रक्षा क्षेत्र में ही अनुसंधान और विकास के लिए अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भी अतिरिक्त धनराशि दी गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री जी यह चाहते हैं कि आप इस विषय पर विस्तार से बोलें।

श्री पी. चिदम्बरम : अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान न केवल रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए किया गया है बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के लिए भी किया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आई.टी.आई. के लिए भी ऐसा प्रावधान किया गया है। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा। यह दिशा सूचक है।

पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम उदार दृष्टिकोण योजना के अंतर्गत पनधारा विकास कार्यक्रम आदि के लिए 'टोकन ग्रांट्स' जैसे कुछ संशोधन किए गए हैं। ऐसा करना ठीक है और इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। खेलों के लिए भी मूल बजट में दी गई धनराशि जितनी ही अतिरिक्त राशि दी है जो कि एक अच्छी बात है।

मेरी दो समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं। हमने पहले भी महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में देखा है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पारित हो जाने के बाद भी या तो इस राशि को खर्च ही नहीं किया जाता है या इसे अन्धाधुन्ध तरीके से खर्च किया जाता है। मैं नहीं जानता कि इन बातों का बजट बनाते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने बजट बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा या नहीं। महालेखापरीक्षक और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में ऐसी टिप्पणियां बार-बार की जा रही हैं। ऐसी अगली टिप्पणी भी शीघ्र ही आ रही है।

महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक बात यह कही गई है कि 3064 करोड़ रुपये में से 1064 करोड़ रुपए पुनर्विनियोग के माध्यम से आएंगे। मेरे विचार से यह वित्त मंत्री का कर्तव्य है कि वह यह बताएं कि ये बचत और प्राथमिकताएं कहां से वापस ली गई हैं। हमें खर्चे के मामले में प्राथमिकताओं की आवश्यकता की जानकारी है किंतु हम यह नहीं जानते कि यह धनराशि कहां से आ रही है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बजट सत्र के दौरान जो पारित किया है, उसमें कुछ धनराशि बचतों से प्राप्त होती है। हम बचतों को शामिल नहीं करते हैं। कौन-कौन से क्षेत्र हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं? मैंने ये टिप्पणियां की हैं और मैं सोचता हूं कि प्रत्येक अनुपूरक बजट का यह प्रमुख भाग होना चाहिए। ऐसा उल्लेख किए जाने का बहुत ही सामान्य सा कारण है। हमने पुनर्विनियोग लेखों संबंधी महालेखापरीक्षक के पिछले प्रतिवेदनों में यह देखा है कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई व्यय नहीं किया गया है और इन्हें बचतों के रूप में दर्शाया गया है तथा कुछ शीर्षों, "मुख्य शीर्षों" अथवा "लघु शीर्ष" आदि के लिए पुनर्विनियोजिन किया गया है।

अतः, मैं न केवल इस अनुपूरक बजट, बल्कि सभी भावी अनुपूरक बजटों, कम-से-कम फरवरी अथवा मार्च में पेश किए जाने

वाले अनुपूरक बजट, के बारे में यह बात कहना चाहता हूं। अन्त में, मैं यह टिप्पणी करना चाहता हूं कि मुझे अत्यंत खेद है कि इस अनुपूरक बजट में देश के रूग्ण एककों के लिए कुछ अधिक प्रावधान नहीं किया गया है। इस संबंध में मेरे पास भारी उद्योग विभाग का एक स्टडी रिपोर्ट है। इसमें टायर कारपोरेशन आफ इंडिया के बारे में यह कहा गया है "योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।" मेरे विचार में यदि इस योजना के कार्यान्वयन में धन की कमी है, तो इसे अनुपूरक बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है "कम्पनियों के अर्थक्षम होने पर भी सरकार द्वारा प्रवर्तक के रूप में कार्य करने से इनकार" ये कम्पनियां हैं एम. ए.एम.सी. दुर्गापुर, साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया, भारत प्रोसेस एण्ड मेकैनिकल इंजीनियरिंग, भारत ऑप्थेलिक ग्लास आदि। जेसप एण्ड कम्पनी को ही लीजिए। इस कम्पनी के पास पर्याप्त मात्रा में क्रयादेश होने के बावजूद भी कार्यगत पूंजी और गैर योजनागत सहायता के अभाव में इसका कार्यान्वयन रूका हुआ है।

वित्त मंत्री की इच्छा के अनुरूप ही मैं भी चाहता हूं कि बी.आई.एफ.आर. के इन रूग्ण एककों के लिए कुछ धनराशि प्रदान करें ताकि इनका नवीकरण करके इन्हें स्वस्थ बनाया जा सके। यह मेरी अन्तिम टिप्पणी है।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : सभापति महोदय, समय बहुत ज्यादा हो गया है लेकिन मैं संक्षेप में बोलूंगा। सप्लीमेंटरी बजट में आई.डी.पी.एल. के कर्मचारियों के लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपए मजदूरी का प्रावधान है। बात तो अच्छी है और स्वागत योग्य है। आई.डी.पी.एल. में करीब 8200 कर्मचारी काम करते हैं। इनका मंथली वेज बिल 4 करोड़ 60 लाख है। अक्तूबर 1995 से इसमें प्रोडक्शन होना बंद हो गया है।

आई.डी.पी.एल. में जितने कारखाने हैं, वे बंद हैं। अब एक महीने की तनख्वाह देनी है जो 4.6 करोड़ रुपया है लेकिन बजट में प्रावधान 3.12 करोड़ रुपये का है। अगर तनख्वाह देनी है तो कम से कम मार्च तक दीजिये। मुझे यह कहना है कि आप कब तक तनख्वाह देते रहेंगे? क्या हमारे देश के इन कारखानों को चलाना नहीं है? क्या बंद ही रखना है? इस बारे में इस देश को बताईये। दूसरी बात आती है किसानों को खाद पर सबसिडी देने की। वर्ष 1995-96 में 6735 करोड़ रुपये की सबसिडी दी गयी है और इस साल में 8359 करोड़ रुपया सबसिडी में चला जायेगा। आप 2000 करोड़ रुपये का खाद बाहर से मंगाते हैं जबकि हमारे देश में यह 3-4 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से कम खर्च उत्पादित में होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम विदेशों से खाद मंगाते हैं तो इन खाद कारखानों का क्या करें? हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कारपोरेशन जैसे कारखानों का क्या करें?

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : ये तो बंद कर रहे हैं जिसमें गोरखपुर का कारखाना भी है।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं यह कहना चाहता हूं कि आप भी इस बात को जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आप किसको सुनवा रहे हैं?

श्री सत्यदेव सिंह : यह सरकार बैठी हुई है, उसको सुना रहा हूं।

श्री रमेन्द्र कुमार : प्रश्न यह है कि जो कारखाने बंद हैं या बीमार हैं, उनका क्या होगा? हमारे देश में खाद कारखानों को री-आर्गनाईज करके या सबसिडी देकर पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उसको कम नहीं किया जा सकता? मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सबसिडी का पैसा कम कर दें और उत्पादन बढ़ायें। हमारे यहां उत्पादित खाद विदेशों से सस्ती पड़ती है। इसी सिलसिले में बरौनी खाद कारखाने की बात करना चाहता हूं। जापान की एक कम्पनी कर्जा देने के लिये तैयार है और बार बार पत्र भी दे रही है कि भारत सरकार हमें गारंटी दे। जो कर्जा देगा, वह गारंटी तो चाहेगा। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार खाद को प्रायरिटी सैक्टर में रखे। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब आपके पास पैसा नहीं है और विदेशी कम्पनी पैसा लगाना चाहती है तो आपको गारंटी देने में क्या एतराज है? गारंटी भी नहीं देंगे, कारखाने भी चालू नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे?

कपड़ा उद्योग की भी यही स्थिति है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सरकार ने छूटे हुये प्रखंडों में से 50 प्रतिशत प्रखंड इस योजना के अंतर्गत ले लिये, यह एक अच्छा काम किया। लेकिन जब प्रखंडों की संख्या इस देश में बढ़ायी गयी तो इस मद के लिये रुपया भी बढ़ाना चाहिये था। मैं इस सप्लीमेंटरी बजट में देख रहा हूं कि इस मद में रुपया बढ़ाया ही नहीं गया है। सरकार ने नये प्रखंडों के लिये पहले वाले प्रखंडों से रुपया काटकर दे दिया। यह कार्य तो हम सब कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, हर प्रखंड में संख्या कम हो सकती है फिर यह कहना कि यह प्रखंड रोजगार योजना में गया या नहीं गया? फलां प्रखंड सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत नहीं आएगा तो जिन प्रखंडों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत नहीं लिया है, उन प्रखंडों के जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्या उनको साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी दे सकते हैं? हम लोगों ने भूख तो जगा दी और कह दिया कि सबको घर बना देंगे ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यहां तो आप ऐसा उपाय कीजिए कि जल्दी हम घर पहुंचें।

श्री रमेन्द्र कुमार : इंदिरा आवास योजना में भी कुछ पैसा बढ़ना चाहिए था। ...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : जरा जो, बोलने दीजिए। लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता तो आप दें। ...**(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार : सरकार का कमिटमेंट था कि हम खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाएंगे, उसका क्या हुआ? प्रधान मंत्री

ने घोषणा की थी कि ट्रेड यूनियन की मान्यता गुप्त मतदान के जरिये निर्धारित करेंगे। और तो और कर्मचारियों के लिए जो ग्रेच्युटी कानून हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा ढाई लाख कर दी, परंतु जो इस देश के औद्योगिक मजदूर हैं, उनकी ग्रेच्युटी की सीमा एक लाख से अधिक नहीं होगी। हमें कहना है कि इसे भी बढ़ाइए। हम सोचते हैं कि वित्त मंत्री थोड़ा सा और फाइनेंस दे दें। इस पर मंत्री जी विचार करेंगे। इस देश के पब्लिक सेक्टर को कुछ चलने दीजिए, जिन्दा रहने दीजिए। क्यों सबको मार रहे हैं? विदेशों के भरोसे कितने दिन तक हमें लटकाकर रखेंगे? कोयला बाहर से मंगा रहे हैं। क्या हमारे देश में कोयले की कमी है? जो बाहर से सामान आप मंगा रहे हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। कांग्रेस ने 110 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी की थी जिसको उन्होंने कम करके 35 प्रतिशत तक कर दिया था और आपने 20 प्रतिशत कर दिया है। आप 20 लाख टन कच्चा कोयला बाहर से ले आए। हमने सुना है कि जयललिता जी का हाथ कोयले में काला हो गया। कोयले का व्यापार ठीक से होना चाहिए। इसलिए आप इन सारी बातों पर विचार कीजिए।

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : सभापति जी, सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के अंदर 650 करोड़ रुपया स्पेशल असिस्टेंस कश्मीर के लिए रखा गया है। यह बहुत अच्छी बात है। कश्मीर पिछले आठ सालों से इनसरजेन्सी में जिस तरह से चल रहा है, उसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए हैं। चार लाख बेघर हो गए हैं। हजारों स्कूल और कालेजों की बिल्डिंग्ज जलकर राख हो गई हैं। करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है। इन सब चीजों को फिर से री-कनस्ट्रक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आज तक हम कश्मीर पर एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा धनराशि खर्च कर चुके हैं। उस सारे रुपये का जिसको हमने खर्च किया है, उसमें से हमें क्या मिल रहा है? आज भी हमारे सैनिक, जिनकी चर्चा यहां पर हो रही थी, वह कश्मीर की गलियों से गुजरता है तो यह कहा जाए कि ...**(व्यवधान)** * हमें इस पर सोचना पड़ेगा। मैं आपके सामने 1995-96 का ऑडिट रिपोर्ट रखना चाहूंगा। उसमें आप देखें कि पृष्ठ 295 पर 32 इंस्टीट्यूशन्स दिये हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में 1972 से लेकर 1996 तक कोई एकाउंट ही मेनटेन नहीं किया गया है। अगर देश का पैसा इस तरह से माले-मुफ्त, दिले बेरहम समझकर वहां खर्च होना है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि आवश्यकता बहुत अधिक है। लेकिन इसके ऊपर आपको कोई मॉनीटरिंग रखनी पड़ेगी, कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर यह रुपया ठीक से खर्च हो, क्योंकि आज तक जो दिखाई दिया है उसमें हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार लड़ी गई है और वह हमारे ही देश के पैसे से लड़ी गई है। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की थी कि जैसे चुनाव हुए, नई सरकार बनी, उसके बाद सरकार इस बात का देखती कि आठ सालों के अंदर लोगों की तकलीफें कैसे दूर हों। जैसा मैंने कहा कि स्कूलों की बिल्डिंगें जलाकर राख कर दी गई, वहां चार लाख शरणार्थी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंडस्ट्री वहां पर नहीं चल रही है। कश्मीर में अगर आप जायेंगे तो इस समय आपको दिखाई देगा कि इस कड़कड़ाती सर्दी में वहां पर बिजली नहीं है। आज जरूरत इस बात की थी कि इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता। लेकिन सरकार ने क्या किया है, आते ही एक कमेटी बना दी कि हमको आटोनोमी चाहिए, आटोनोमी की चर्चा शुरू कर दी। आप उनको रुपया दे रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि हम 1952 में जाना चाहेंगे कि जिस समय भारत के एकाउंटेंट जनरल को कोई अख्तियार नहीं था कि वहां के एकाउंट्स को चैक कर सके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो गलत दिशा वहां पर चल रही है, इसके ऊपर आज चैक लगाने की जरूरत है और जैसा मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने पिछले असेम्बली चुनाव के पहले पैकेजिज एनाउंस किये थे और कहा था कि हम दुलहस्ती पनबिजली परियोजना को चालू कर देंगे, यह भी कहा था कि हम श्रीनगर तक रेल ले जायेंगे और यह भी कहा था कि बहुत से लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तक इनमें से एक भी चीज की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। अब यह कहा जा रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर इस सैशन के बाद वहां दोबारा टीम लेकर जायेंगे और फिर वह पैसा कैसे खर्च करना है, तय करेंगे। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश बहुत गरीब है। हममें से हर आदमी जानता है कि 56 परसेंट लोग आज गरीबी की रेखा के नीचे बस रहे हैं। उन्होंने अपने पेट के ऊपर पत्थर रखकर यह पैसा कश्मीर की बहबूदगी के लिए, बेहतरी के लिए देना है, उसकी एक-एक पाई ठीक से खर्च हो, उस पर आपकी पूरी मॉनीटरिंग हो, यह बहुत लाजिम है और इस तरफ आपका ध्यान जाए, यह मैं जरूर चाहूंगा। यहां मैं एक बात दर्शाना चाहता हूं कि जब हम कश्मीर की चर्चा करते हैं तो कश्मीर का मतलब सिर्फ कश्मीर वैली से ही नहीं है। कश्मीर वैली का एरिया सिर्फ 15 हजार स्कवायर कि.मी. है, लद्दाख का रकबा 97 हजार स्कवायर कि.मी. है, जम्मू रीजन का 27 हजार स्कवायर कि.मी. है, जब कि वैली का हिस्सा पूरी स्टेट का सिर्फ 1/8 है। जब आपकी योजनाएं बनती हैं तो पिछले 50 वर्ष में सारे प्रदेश में इतनी बड़ी डिसक्रिमिनेशन हुई है कि आज जम्मू के अंदर भी आवाज उठ रही है कि हमारा अलग स्टेट होना चाहिए। लद्दाख भी चिल्ला रहा है कि उसे यूनियन टेरिटरी के अंदर रखना चाहिए। आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। ताकि इन रीजन्स में से कोई भी यह महसूस न करें कि उसके साथ डिसक्रिमिनेशन हो रहा है। आपको यह भी ध्यान देना होगा कि पैसा पूरी तरह ठीक तराक से खर्च हो और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपको वहां पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। पिछले तीन साल से डोडा जिले में, जिस कांस्टीटुएंसी में मैं आ रहा हूं, वहां पर अगर आप देखेंगे एक हजार करोड़ रुपये की लकड़ी उग्रवादियों द्वारा जलाकर राख कर दी गई है।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया

कुछ उन्होंने जलाया और कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर जलाया। आप साढ़े छः सौ करोड़ रुपया वहां दे रहे हैं। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वहां हो, जितनी आर्मी हमारी वहां बैठी हुई है, अगर हम उसे फंक्शनल बना सकें तो उससे एक हजार करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। हमारा एक हजार करोड़ रुपया वहां मिट्टी में मिल गया, जलकर राख हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, जब आप यहां से पैसा दे रहे हैं, मुझे खुशी है, मुझे पता है और हम महसूस कर रहे हैं कि वहां अधिक पैसे की जरूरत है, 650 करोड़ रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, आपको अधिक रुपया देना पड़ेगा, फिर भी जो पैसा आप दे रहे हैं, वह ठीक से खर्च हो, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपको विशेष रूप से गिनाना चाहता हूं- जैसे शरणार्थियों का जिक्र मैंने किया, एनएम्पलायमेंट वहां बहुत ज्यादा है, उस पर भी आपको खर्चा करना होगा, इसके अलावा जो स्कूल और कालेज जलकर राख हो गए हैं, उन्हें फिर से री-कन्सट्रक्ट करना होगा, जो लोग मारे गए हैं, उन्हें एक्स-ग्रेशिया ग्रांट के रूप में पैसे देने होंगे। इसके अलावा, वहां बहुत सी डिफैंस कमेटियां बनी हैं, उनमें कुछ ऐसी हैं जो उग्रवाद का मुकाबला कर रही हैं। आपका पैसा वहां खर्च नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जो लोग बिना तनख्वाह के आपके सिपाही बने हुए हैं, जहां आपकी आर्मी और बी.एस.एफ. जा नहीं पाती, वे लोग ऐसी जगहों पर जाकर उग्रवादियों का मुकाबला कर रहे हैं, उन्हें बाकायदा आपको फाइनैन्शयल ऐड देनी पड़ेगी।

मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस समय बहुत अधिक सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग वहां हैं। फारूख अब्दुल्ला की सरकार बार-बार बोल रही है, जिस तरह की भाषा में वे चर्चा कर रहे हैं, उनका कहना है कि हजारों लोग जिस तरह पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, हजारों ट्रेनिंग लेकर वापस आ रहे हैं, वे खुले रूप से कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं जबकि हमने तमाम जगह बाकायदा बी.एस.एफ. और आर्मी के जवान तैनात किए हैं। फारूख अब्दुल्ला की सरकार ने एक जगह नहीं दस जगह यह बात कही कि जब हिन्दुस्तान की फोर्सेज के लोग वहां पर लगे हैं, फिर कैसे लोग सीमा पार चले जाते हैं, कैसे वापस आ जाते हैं। आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। वहां आर्म्ड फोर्सेज के अंदर अगर करप्शन घर कर गया है, दुश्मन के साथ यदि कुछ लोग मिलकर किसी तरह से हथियार पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं; इसे आपको चैक करना होगा।

आखिर में सिर्फ एक मुद्दा और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारा वहां जो 170 किलोमीटर लम्बा इंटरनेशनल बोर्डर है, उसे सील करने के लिए आपने बात कही है। लेकिन जब हमने उसे सील करना शुरू किया, तार लगानी शुरू की तो पाकिस्तान ने गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप तार सीमेंट पर जो हमने 6 करोड़ रुपया खर्च किया था, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बोर्डर पर तार बिछाए, उस पैसे को आपने कैसे जाया होने दिया। हमारा 90 करोड़ लोगों का देश है। क्या इतना छोटा सा पाकिस्तान हमें उस इंटरनेशनल बोर्डर को सील नहीं करने देगा जिसके लिए शिमला समझौता में व्यवस्था है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा, आपको वहां अपनी अथौरिटी इस्टैब्लिश करनी होगी, गवर्नमेंट वहां एक्जिस्ट करती है-यह आपको बताना होगा। जो पैसा आप वहां दे रहे हैं, उसमें और बढोत्तरी करें और उसकी पूरी मौनिटरिंग करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : चेयरमैन साहब, मैं जल्दी अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि फाइनैंस मिनिस्टर साहब भूखे हैं, जल्दी में हैं। खाने और तकरीर के दरम्यान जल्दी होनी चाहिए। बाकी लोग भी खाना खाना चाहते हैं।

अभी मेरे भाई चमन लाल गुप्त ने यहां कुछ अच्छी बातें कहीं, कुछ दुखदाई बातें भी कहीं और थोड़ी सी मिर्च भी डाल दी। जब 1947 में कश्मीर पर हमला हुआ, शायद वे पैदा भी नहीं हुए थे, अगर पैदा हो गए थे तो किसी स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त पाकिस्तान ने दरंदाज भेजे या किसी और आर्गेनाइजेशन ने दरंदाज भेज दिए, जिससे महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से चला गया, भाग गया। हमारी कश्मीर की फौजें शिकस्त खा गईं।

चेयरमैन साहब, शेख साहब की कयादत में, बक्शी साहब की कयादत में लोगों ने डंडे उठाकर उन दरिंदों का मुकाबला किया। हिन्दुस्तानी फौजें वहां आ गईं। कश्मीरियों ने उनका साथ दिया। बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पर, चोटियों पर उनके साथ गए, एम्यूनिशन पहुंचाया। हर सोसायटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। चमन लाल जी, मैं यह पूछना चाहता हूं झारखंड या नागालैंड या दूसरे इलाकों में जब मरकजी सरकार के खिलाफ एजीटेशन चलती हैं, तो क्या उनके खिलाफ नारे नहीं लगाते? आपने कश्मीर को हदफ बना लिया है, उनको प्यार दिया, मोहब्बत दी। किसने दी, कश्मीरियों ने दी। खुद भी शहीद हो गए, मर गए। यह अलफाज हैं। यह मैं जानकर कह रहा हूं। यह बड़ा सीरियस मामला है। मैं आज वार्न करना चाहता हूं कि अगर आप कश्मीरियों के दिल को चोट पहुंचाएंगे, तो वे उग्रवादी आपकी वजह से बनेंगे, सिर्फ आपकी वजह से क्योंकि कश्मीरियों को हमेशा आपने नफरत की नजर से देखा है।

चेयरमैन साहब, जब कश्मीर से दफ्तर जम्मू मुंतकिल होते थे, तजुर्बात होंगे या नहीं होंगे लेकिन कल्चर का तहजीब का ख्याल रखिए, यदि कश्मीर में उग्रवादी हमने पैदा किए, तो वहां पर इनको किसने बचाया। इसके लिए जम्मू वाले रेस्पांसीबल है। जब शेख साहब, बख्शी साहब, सादिक साहब और मीर कासिम साहब दफ्तर खोलने के लिए जम्मू आते थे, तो जम्मू वाले लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। उसका रिएक्शन है कि वहां उग्रवादी पैदा हुए और मिलीटेंट पैदा हुए। मैं उस मामले में जाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : गुलाम रसूल साहब, यदि आपको बजट के बारे में कुछ कहना है, तो कहिए ।

(व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल कार : चेयरमैन साहब, आपने इस बजट के द्वारा कश्मीर के लिए 650 करोड रुपए का प्रवीजन किया है। वहां पर 272 पुल जलाए गए। बहुत से स्कूल जलाए गए। उनको देखते हुए मैं चमन लाल जी से कहना चाहता हूं कि यह 650 करोड़ रुपया कम है बल्कि एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहिए। मौजूदा सरकार को मौरित इल्जाम ठहराते हैं। उनको तीन महीने हो गए हैं, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। आपके उनके साथ लाख इख्तिलाफात हां, सियासी इख्तिलाफात हों, लेकिन अमन कायम करने के लिए कश्मीर सरकार का आपको साथ देना चाहिए। पेट्रोट्रिज्म यही डिमांड करता है। आप डैमोक्रेटिक सरकार को पावर से बाहर कर दें, यह आपको नहीं करना चाहिए।

लिहाजा मैं इतना कहते हुए फायनेंस मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वहां पर एक शोपोर बाईपास है जिसको 1991-92 में बनना था और वह अभी तक नहीं बना है। उस पर आपने एक करोड़ 66 लाख रुपए भी खर्च कर दिए हैं और उसे ग्रेफ को बनाना था, लेकिन उसने अभी तक नहीं बनाया है। उसकी एप्रोच रोड बनकर तैयार हो गई हैं। आज छः सात साल हो गए, लेकिन वह पुल नहीं बना जिसका नतीजा यह हुआ कि जमीन एक्वायर करने के लिए हमने जो 1 करोड़ 33 लाख रुपया खर्च किये, वे बेकार हो गये और उस जमीन पर फिर कल्टीवेशन शुरू हो गई और लोगों ने वह जमीन वापस ले ली।

चेयरमैंने साहब, फारूख अब्दुल्ला ने इकॉनौमी के लिए एक कमेटी बनाई है। इकॉनौमी के लिए कमेटी बनाने का यह मकसद नहीं है कि वहां से औडीटर जनरल को हटा दो या वहां से सुप्रीम कोर्ट को हटाओ या इलैक्शन कमीशन को हटाओं। इकॉनौमी का मतलब यह है कि जिन कानूनों से कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं है जिनका वहां एप्लाई करना फिजूल है और जो विद इन द फ्रेम वर्क आफ कांस्टीट्यूशन कश्मीर में लागू नहीं हो सकते हैं, उन्हें हटाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हिन्दुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। हम हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हिन्दुस्तान हमारा है। हम ऐतबार के साथ, भरोसे के साथ हिन्दस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हम हिन्दुस्तान के साथ गुलाम बनकर, मजदूर बनकर, एजेंट बन कर नहीं रहना चाहते हैं। हम तो हिन्दुस्तान के साथ पेट्रोट्रिएज्म के साथ रहना चाहते हैं।

चेयरमैन साहब, इतना कहते हुए मैं फायनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मौजूदा रियासत-ए-कश्मीर सरकार को माफिक रहने दीजिए और औडीटर जनरल को कह दीजिए कि वह पूरा कंट्रोल रखें और फारूख अब्दुल्ला को सहायता कीजिए और जो पुल और स्कूल आदि टूट गए हैं उनको बनाइए और अवाम का दिल जीतिए, अवाम का दिल हमवार बनिए। वहां के नौजवानों को नौकरी दीजिए और वहां पर सैकुलरिज्म को मजबूत कीजिए। कश्मीर में अमन वापस लाइए, बाईपालिटिकल प्रोसेस, उसमें मजीद सहायता कीजिए और जो काम वहां पड़े हुए हैं, उन कामां को मंजूद बढ़ाना चाहिए।

अपराह्न 10.00 बजे

वहां इंडस्ट्री कायम करना, फूड इंडस्ट्री के लिए रिसर्च करना और पैस्टीसाइड कम कीमतों पर देना और स्प्रे ऑयल पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुझे इतना ही कहना है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन आप कहते हैं कि बैठिये। मैं दुबारा कहना चाहता हूं कि जो सप्लीमैंट्री बजट है, वह आपने गलत मौके पर पेश किया है। ले लीजिए आपका अपना ही खजाना है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, आई.डी.पी.एल., जिसके बारे में यहां तमाम चर्चा है। पहले कर्नल राव राम सिंह जी ने गुडगांव की एक यूनिट के बारे में कहा जिसको एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहा गया। औषधि निर्माण के मामले में आई.डी.पी.एल., वीरभद्र ऋषिकेश, उत्तरांचल में स्थित है और अक्टूबर 1996 से इसका प्रोडेक्शन बंद पड़ा है। बी.आई.एफ.आर. में इसको रैफर किया गया, इसका पैकेज बनाया था कि किस तरीके से इसको चलाया जाये। अक्तूबर 1996 में आज की तारीख तक उन्होंने जो निर्देश दिये हैं कि चार करोड़ 50 लाख रुपये प्रति माह वेज बिल के रूप में दिया जाये और इसे आपको मार्च 1997 तक देना है। लेकिन जो पैट्रो केमिकल की डिमांडस आई हैं वह 3 करोड़ 12 लाख हैं। इससे यह संदेह होता है आई.डी.पी.एल. जो कि एशिया का जीवनदायी औषधियों का सबसे बड़ा कारखाना उत्तराखंड के अंदर है, वह बंद हो जायेगा या प्राईवेट हाथों में चला जायेगा। जो हजारों मजदूर बेकार बैठे हुए हैं, जिनको दिवाली में वेतन नहीं मिला, उनको 4 करोड़ 50 लाख देना इन्होंने तय किया है। इसके प्रति भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे कि आई.डी.पी.एल. की यह मुख्य इकाई तथा अन्य जो सहयोगी इकाइयां हैं, वह सुचारू रूप से चलें।

इसी में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैट्रो केमिकल के अधीन यह संस्थान चला है, उसके फेल्योर होने का भी यही कारण है और शुरू से यही मांग की जाती रही है कि इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत किया जायेगा क्योंकि केन्द्र सरकार का एक उपक्रम उत्तराखंड के अंदर है जो कि आई.एम.पी.सी.एल., इंडियन मेडिकल फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड है, जिसके 51 प्रतिशत शेयर स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत हैं। वह अच्छी दवाइयां बना रहे हैं और वह कॉमर्शियली वायेबल है और प्रॉफिट में चल रहा है।

सभापति महोदय : 10 बजे तक हटने की बात थी। क्या थोड़ी देर और बढ़ा दें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, इसको आज ही समाप्त कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अतः, सभा का समय अनुदानों की मांगों और विनियोग विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा' : पूरे देश में जो यह मांग की जाती रही है कि उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा दिये जाने की बात कर रहे हैं। अगर वहां का इनफ्रास्ट्रक्टर जो है क्योंकि आई.डी.पी.एल. की बात आई है। मैं और इंडस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। इंडस्ट्री की हालत यही है कि मल्टी नेशनल आ रहे हैं चाहे पेपर इंडस्ट्री हो या मैगनेसाइट हो, पहाड़ के ऊपर सब जगह प्लांटों पर ताले लग रहे हैं और इसमें भी ताला लग रहा है। अगर इसमें विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, इसी स्टेज पर ध्यान नहीं दिया गया तो जो सदाशयता आपने दिखाई है कि हम उत्तराखंड बनायेंगे, जो कि स्वागत योग्य कदम है लेकिन इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, वहां ताला लग जाना है। इसके प्रति भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे। वहां वर्किंग केपीटल और रिवाइज्ड पैकेज है, इसको ग्रांट करे।

दूसरा विषय डिफेंस है। डिफेंस की ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री देव जी, कर्नल राव राम सिंह जी ने सोमनाथ शर्मा जी का नाम लिया था जो परमवीर चक्र प्राप्त है। वे मेरे टाउन रानीखेत, जिसे होम ऑफ द कुमाऊं रेजीमेंट कहा जाता है, के कर्नल ऑफ रेजीमेंट थे। उन्हें परमवीर चक्र मिला तथा रेजीमेंट के पास दर्जनों महावीर चक्र हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की आधी ढाई लाख यानी 50 प्रतिशत आर्मी कुमाऊं और गढ़वाल से है लेकिन हो क्या रहा है? थल-सेना ने कमाऊं क्षेत्र के युवकों की भर्ती के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं; जिनकी नेशनलिटी और कहा जाता है कि यह वारीयर रेस के मामले में और लड़ाई में टॉप मोस्ट यानी हाईस्ट रैंक का कुमाऊं का जवान पहुंचा है तो वहां के लिए इस तरह का भेदभाव हो रहा है। मेरी निजी जानकारी है कि इस समय कुमाऊं रेजीमेंट की भर्ती में कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। यदि इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, यदि कहीं पर गलत तरीके से कोई निर्देश गए हैं तो मंत्री जी उसे अवश्य देखें।

दूसरा विषय भी डिफेंस से लगा हुआ है। मेरा क्षेत्र तिब्बत और नेपाल के बार्डर से लगा हुआ है। तिब्बत में जिस समय मिसाइल तैनात करने की बात आई, मुझे जो जानकारी मिली थी, तो मैंने भी अपनी अल्पबुद्धि से 'पंजाब केसरी' का उदाहरण देते हुए एक प्रश्न यहां पर रखा था जिसमें यह आया था - "चीन के घातक प्रक्षेपास्त्र तिब्बत में तैनात, भारत की राजधानी सहित अनेक नगर निशाने में"- यानि तिब्बत में आईसीबीएम तैनात हो गया। हमारा पिथौरागढ़ जिला है जिसके बीच में पहाड़ पड़ता है। वह उससे लगा हुआ है। वहां पर तो लोग भयभीत हैं ही लेकिन दिल्ली और सारे नगर उसके निशाने पर हैं। यह एक गंभीर विषय है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जब चीन के साथ समझौता हुआ है तो उसमें इस बात का जरूर उल्लेख हुआ होगा कि यहां से मिसाइल हटा ले जाएंगे। चीन के ऊपर यह दबाव पड़ता। खैर, यह विषय दूसरा है।

जैसे कि यहां चर्चा में आया था, विदेश नीति में भी नैशनल सिक्युरिटी शामिल है और चूंकि डिफैंस का भी इसमें आइटम शामिल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे गंभीरता से देखा जाए। उन्होंने जो मिसाइल्स तैनात की हैं, उसमें उत्तर आया था कि हम भी उनको थ्रैट दे रहे हैं।

वन और पर्यावरण की मांग पर हमने डिमांड नम्बर 22 यहां पर रखी है। उसमें केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहा है।...(व्यवधान) वहां धारा 356 लागू है। वह जब तक है, उसे मानना है। वह किस उद्देश्य से लागू है, यह दूसरा विषय है। लेकिन धारा 356 के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। आज तीन हजार वन श्रमिक जिनको 35 रुपये रोज मिलते हैं और जो जंगल में काम कर रहे हैं, उनकी छंटनी कर दी गई है। यदि यह लोक-हितकारी कार्य है तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस पर अवश्य विचार करें कि उनकी छंटनी नहीं होनी चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे रोका था। गरीब मजदूर जिनकी छंटनी हुई है, उनका आंदोलन, अनशन चला हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे।

दूरसंचार पर मांग की गई है कि आईटीआई के लिए, टेलीफोन इंडस्ट्रीज के लिए इतनी डिमांड पूरी होनी है। उसके उपकरण कैसे हैं, वह तो मैं यहां पर देखता हूं। टेलीफोन गिरने से ही टूट जाता है। उसकी क्वालिटी से सुधार होना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हम मल्टी नैशनल्स और विदेशों से कम्पीट करेंगे लेकिन दूसरी तरफ दूरसंचार विभाग का यह हाल है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जो तिब्बत और नेपाल बार्डर से लगा हुआ है, वहां एक साल से टेलीफोन की लाइनें टूटी हुई हैं। मैंने दूरसंचार की सलाहकार समिति में भी निवेदन किया था लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। चीन द्वारा जब सन् 1962 में आक्रमण हुआ, डीजीबीआर बना और जो बार्डर रोड्स बनी, वे रोड्स आज ध्वस्त हो गई हैं। न वहां टेलीफोन का साधन है न ही सड़क का साधन है। किस तरह से सुरक्षा करेंगे, यह भी विचारणीय विषय होगा।

एक विषय अभी कार साहब और चमन लाल गुप्ता जी ने भी उठाया। साढ़े छः सौ करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता जम्मू कश्मीर के लिए दी जा रही है। यह स्वागत योग्य कदम है। उनकी मांग है कि और अधिक होना चाहिए। लेकिन उत्तरांचल या जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, मूल बजट में कहा गया था कि 227 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाएगी लेकिन आज 2 करोड़ रुपये और घट गए, केवल 225 करोड़ रुपये रह गए। 225 करोड़ रुपया इतने बड़े उत्तराखंड राज्य में कैसे फीड अप हो सकेगा। मेरा विशेष

निवेदन होगा, पहले पांचवीं-पंचवर्षीय योजना में यह तय हुआ था कि जितना हिमाचल प्रदेश को देंगे उसके बराबर समता के अनुसार उत्तराखण्ड को पैरिटी पर रखेंगे। उत्तराखंड क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में यह बढ़ना चाहिए।

एक समस्या जब तक नहीं कही जाएगी तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। यह सड़कों का मामला है। वहां सड़कों की डिमांड है। डी.जी.बी.आर. (सीमा सड़क संगठन) में ...**(व्यवधान)** लोग डेली वेजेस पर सुबह आठ बजे से सड़कों पर काम करते हैं। वे केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं। उनको नियमित करने पर विचार होना चाहिए। वे 15-20 वर्षों से कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।

मैं आखिर में संक्षेप में एक बात और कहना चाहता हूं।

जो चीजें इसमें आनी चाहिए थीं, बड़ा अफसोस हुआ इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में मैं जो उम्मीद कर रहा था कि उत्तराखंड राज्य के लिए टाकन मनी का प्रावधान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मार्च 1997 तक उत्तराखंड राज्य बनना है तो बिना पैसे का इंतजाम किए हुए एक तहसील या ब्लाक तक नहीं बन सकता, इतना बड़ा राज्य कैसे बनेगा। मुझे इसमें इसका कोई जिक्र नजर नहीं आया। माननीय प्रधान मंत्री हल्द्वानी में घोषणा करके आए थे कि मेडिकल कालेज बनेगा, उसका भी इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे ही बैलपुड़ाव जिला नैनीताल में कहकर आए थे कि चीनी मिल बनेगी, लेकिन उसका भी उल्लेख नहीं है। ये सप्लीमेंटरी डिमांड्स काफी मजबूरी में लेकर आए हैं, कोर्ट के आर्डर हुए हैं। पुनर्विनियोजन के द्वारा जो ये बचत दिखाई गई हैं, यह चतुराई भरा कदम है। होता यह है कि कम्पलसरी डिडक्शंस होती हैं। विभाग को कहा जाता है कि यहां तक काट दीजिए और यहां तक दीजिए तथा दूसरी तरफ रिएलोकेट कर दीजिए, यह प्रेक्टिस कम होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : सभापति महोदय, मैं खेलों के सम्बंध में एक मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में खेलों के लिए आबंटित राशि बहुत कम है। अचानक ही, पूरे देश में सभी खेल प्राधिकरण होस्टल वित्तीय कमी के कारण बंद कर दिये गये हैं। इसके फलस्वरूप, विद्यार्थियों को शैक्षिक वर्ष के मध्य में ही बाहर निकाल दिया गया है। इस पूरे वर्ष होस्टलों को चलाने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने होंगे। इस प्रयोजनार्थ अनुपूरक मांगों में पर्याप्त धन आबंटित किया जाना चाहिए। मुझे कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करनी है, किन्तु समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का, अनुपूरक मांगों की स्वीकृति के लिए सभा को राजी करने में मेरी सहायता करने हेतु शाम देर तक बैठने के लिए आभारी हूं। मैं केवल चार मिनट लूंगा।

इन मांगों के तीन मुख्य हिस्से हैं। प्रथम है: अतिरिक्त व्यय वाली मदें। दूसरा रक्षा के मामले में, अतिरिक्त व्यय 1200 करोड़ रुपये का है; जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता 650 करोड़ रुपये है जिसमें 585 करोड़ रुपये अनुदान सहायता और 65 करोड़ रुपये ऋण के रूप में है। तीसरा है अंतरिक्ष, जिसमें हम अंतरिक्ष अनुसंधान पर अतिरिक्त व्यय हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे विश्वास है, इनमें से प्रत्येक का इस सभा द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जायेगा।

रक्षा पर व्यापक वाद-विवाद हुआ है; मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि उचित अवसर पर रक्षा मंत्री इसका उत्तर देंगे। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जब मुख्य बजट प्रस्तुत किया गया, तो मैंने रक्षा हेतु पिछले वर्ष के 8,044 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में पूंजी खाते में 8,994 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। लेकिन राजस्व खाते में, मैंने पिछले वर्ष 18,835 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में केवल 18,854 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिसमें मात्र 19 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मैंने उस समय वायदा किया था कि अधिकांश वृद्धि वस्तुतः सम्पूर्ण वृद्धि पूंजी खाते में की गई है जिसका उपयोग उपस्कर खरीदने, आधुनिकीकरण आदि पर किया जायेगा और चालू वर्ष के दौरान मैं राजस्व खाते के लिए और अधिक धन का प्रावधान करूंगा, जिसका इस्तेमाल यूनिफार्म उपलब्ध कराने तथा जवानों के कल्याण के लिए अन्य मदों का व्यय तथा रक्षा के अन्य राजस्व व्यय की दृष्टि से किया जा सकता है।

इसलिए मैं राजस्व खाते के लिए और 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहा हूं और मेरे विचार से इससे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच संतुलन आ जाएगा। कृपया यह बात याद रखें कि पिछले वित्तीय वर्ष में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच, 1379 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष बजट अनुमान और प्रथम अनुपूरक के बीच मैं 1200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर रहा हूं। यदि रक्षा पर और अधिक धन की आवश्यकता होती है तो दूसरे अनुपूरक में और अधिक धन उपलब्ध कराया जायेगा।

कर्नल राव राम सिंह और श्री के.पी. सिंह देव ने जो कुछ कहा है, मैंने वह सब नोट कर लिया है। यह एक असाधारण वर्ष है। बजट 13 सितम्बर को ही पारित किया गया था। दूसरा बजट 28 फरवरी को पेश किया जाना है। मेरे विचार से बीच में कोई खास परिवर्तन नहीं किया जायेगा। मैंने आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं। लेकिन भूतपूर्व सैनिक, वित्त निगम और 'एक रैंक एक पेंशन' से संबंधित प्रश्नों पर अगले बजट फरवरी, 1997 में विचार किया जायेगा।

महोदय, जम्मू और काश्मीर के बारे में, मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। हम राज्य योजना के वित्तपोषण के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं। अन्यथा, राज्य योजना कार्यान्वित नहीं हो पायेगी। मैंने राज्य सरकार के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की है और हम 650 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 585 करोड़ रुपये अनुदान और 65 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये हैं। संसद के लिए यही रास्ता है कि वह जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकात्मता दिखाये और उन्हें बतायें: आप परिस्थितियों को झेल कर आये हैं, हम आपको सहायता कर रहे हैं। अब आप राज्य का निर्माण शुरू करवायें।

अंतरिक्ष के बारे में, हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय कार्य किया है और वे अंतरिक्ष अनुसंधान पर लगातार कार्य करते रहे हैं। हम 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान कर रहे हैं।

दूसरा क्षेत्र वह है जहां हम बचत के बदले मात्र समायोजित कर रहे हैं तथा बहुत ही अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर रहे हैं। मैं इन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं केवल इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं कि मैं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपये दे रहा हूं। श्री निर्मल कांति चटर्जी ने एक टिप्पणी की है। मुझे नहीं मालूम कि यह प्रशंसा थी अथवा अप्रशंसा। लेकिन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मुझे स्पष्ट करने दीजिए। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता वापिसी के आधार पर जारी की जाती है। पिछले वर्ष, सरकार को 1100 करोड़ रुपये अतिक्ति जारी करने चाहिए थे। पिछले वर्ष उन्होंने केवल 2500 करोड़ रुपये दिये थे: लेकिन संशोधित अनुमानों में उन्होंने 3000 करोड़ रुपये दिये थे: इसमें 1100 करोड़ रुपये अतिरिक्त थे जिसे पिछले वर्ष जारी किया जाना चाहिए था। इस वर्ष जुड़ गया है। इस तरह, हम पिछले वर्ष के बिल को ले रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने केवल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन चूंकि इसमें 1100 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के बिल के हैं, अतः यदि परियोजनाओं को, जो राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है, बिना किसी बाधा के कार्यान्वित किया जाना है, तो हमें 1000 करोड़ और देने होंगे। यही कारण है कि हम बजट अनुमानों को 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए कर रहे हैं अर्थात्, 1000 करोड़ रुपये और दे रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : और कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी?

श्री पी. चिदम्बरम : 1000 करोड़ रुपए के बराबर पहले ही आ चुका है। यह अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राप्त हुआ है और हम इन्हें जारी कर रहे हैं। इसका क्या आशय है—कृपया समझिये—ऐसे राज्य जो 2500 करोड़ रुपये तक की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं, वे केन्द्रीय सहायता से 3500 करोड़ रुपये परियोजनाएं कार्यान्वित करने में समर्थ हो जायेंगे। हम और 1000 करोड़ रुपये राज्यों को दे रहे हैं जिसका अर्थ होगा कि परियोजनाएं जल्दी पूरी हो जायेंगी। मेरे विचार से उसे बताया जाना जरूरी है, इसलिए मैंने इस पर प्रकाश डाला है।

श्री के.पी. सिंह देव : यह प्रशंसा के योग्य है।

श्री पी. चिदम्बरम : धन्यवाद।

तीसरा मुख्य क्षेत्र वह है जहां राजस्व में बचतें हुई हैं और उन्हें अन्य राजस्व शीर्षों पर विनियोजित किया है अथवा पूंजी में हुई बचतों को अन्य पूंजी शीर्षों में विनियोजित किया है। बहुत-सी मदों का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं सभा का ध्यान, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम—25 करोड़ रुपये, भारत जनसंख्या परियोजना 12 करोड़ रुपये: तथा खादी और ग्रामोद्योग के लिए खादी की बिक्री पर छूट-50 करोड़ रुपये: की ओर दिलाना चाहता हूं। ये सब पुनर्विनियोजन से प्राप्त हुए हैं।

कुछ मंत्रालयों में योजना और गैर-योजना दोनों के अन्तर्गत बचतें हुई हैं किन्तु इनका अर्थव्यवस्था के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन परिवर्तन के वर्ष में, जब बजट को चार-छः माह तक स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई सरकार सत्ता में आई, तो कुछ कार्यक्रम नए सिरे से तैयार किए गए। अतः इसके लिए बचत करना आवश्यक हो गया है।

ऐसा हमेशा नई सरकार के प्रथम वर्ष के समय होता होगा। बचतें करनी पड़ती हैं। मैं नहीं समझता कि केवल खर्च के नाम पर खर्च करना कोई अच्छी बात है।...**(व्यवधान)** अतः आपको इससे कुछ आशा हुई होगी। आप अपराह्न 10.20 बजे तक भी आशा रख सकते हैं। मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। अतः कुछ बचत होनी चाहिए। हम बचतों को पुनः विनियोजित कर रहे हैं। खर्च कारगर, उद्देश्यपूर्ण और कम लागत वाले होना चाहिए। एक क्षेत्र में कुछ बचत होती है, तो दूसरे क्षेत्रों में व्यय होते हैं। हम यह पुनर्विनियोजन कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का विकास इन छोटे-मोटे समायोजनों से प्रभावित न हो।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अनुदानों की मांगों का क्या हुआ?

श्री पी. चिदम्बरम : जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तब वह संशोधित अनुमानों में आयेगा। इसे अभी बताना अनुचित होगा। चूंकि जो अब हम एक शीर्ष को किसी अन्य शीर्ष में पुनर्विनियोजन कर रहे हैं, तो हम प्रथम शीर्ष पर खर्च सकते हैं। फिर, इसे फरवरी में पुनः विनियोजित किया जायेगा। मेरे विचार से आपको संशोधित अनुमानों के लिए इन्तज़ार करना होगा। उसे अब से लगभग अढ़ाई महीने में प्रस्तुत करना होगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सभा में रखता हूं और सभा से इन अनुदानों की मांगों को स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 1996-97 के लिए लेखानुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।
>
> मांग संख्या 5, 14, 17 से 20, 22, 28 41, 48, 54, 63, 82, 86 और 91"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 10.23 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1996*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 17.12.96 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सभापति महोदय : मंत्री अब इसे विचार करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मुझे यह बताया गया है कि मैंने ऋण एककों के लिए धन की मांग का उत्तर देने से इन्कार किया था। महोदय, यह स्मरण कराया जाये कि मैंने अनेक रुग्ण एककों में खाली मजदूरी और अन्य व्यय को ध्यान में रखते हुए लगभग 1270 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। अब, वास्तव में ये उपेक्षा पर मजदूरी है। कई वर्षों से कार्यक्रम बनाये गये थे लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। एन. टी.सी., एन.जे.एम.सी., आई.डी.पी.एल. आदि का उदाहरण लें। अब, आपने एक अन्य लम्बी सूची शामिल कर दी है। आपने टायर कारपोरेशन, साइकिल कारपोरेशन, एम.ए.एम.सी., एच.ई.सी., जेसोप आदि को शामिल किया है। हमारी सरकार इस मामले के निकट आ रही है। पिछले सप्ताह हमने एन.टी.सी., एन.जे.एम.सी. और आई. डी.पी.एल. पर विस्तार से चर्चा की थी। मुझे विश्वास हैं, इसे अगले कुछ दिनों में इस सत्र के समाप्त होने के तुरन्त बाद, मंत्रिमंडल के समक्ष पुनः रखा जायेगा।

मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वे क्षेत्र हैं जहां यह निर्णय कुछ वर्ष पहले लिये जाना चाहिए था। हम इस मामले की पकड़ में आ रहे हैं। मैंने अपने सहयोगियों को आश्वासन दिया है कि एक बार जब हम इस मामले पर सही दृष्टिकोण अपना लेंगे, तो समाधान ढूंढ़ लेंगे तथा सम्पूर्ण समाधान के बिना हर महीने बिना काम किए मजदूरी का भुगतान करना कोई समाधान नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन सेवानिवृति लाभ नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इस बात से सहमत हूं। माह-दर-माह मजदूरी का भुगतान करना कोई समाधान नहीं है। मैं जेसोप को देख रहा हूं। मैं इस मामले के बारे में एक सामान्य बात कर रहा हूं। अतः मेरे विचार से, मजदूरी का भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसका समाधान भी ढूढा जाना चाहिए। ऐसा समाधान जिससे हम या तो एकक को पुनः चालू कर सकते हैं या ऐसा कोई रास्ता ढूंढें जिससे एकक और कामगारों का पुनर्वास किया जा सके। उस प्रकार के एक समाधान के बिना, हर महीने बिना काम किए मजदूरी का भुगतान करना, इस देश की जनता की बचत का नष्ट करना है जिसे किसी अन्य परियोजना में निवेश किया जाना चाहिए। लेकिन हमारी कामगारों के साथ सहानुभूति है। हमें उन पर ध्यान देना होगा। हमें उनके लिए रास्ते ढूढने होंगे। महोदय मैं बस यही कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 18 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 10.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 18 दिसम्बर, 1996/27 अग्रहायण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।